

बंधुआ श्रम और अवैध यौन व्यापार से लड़ने की  
मानक प्रचालन कार्यविधियाँ

# मानव व्यापार

कानूनी संदर्भ टूलकिट

गैर-सरकारी संगठनों और उनके अधिवक्ताओं के लिए एक पुस्तिका

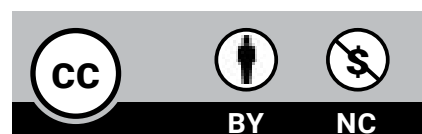
मानव व्यापार कानूनी संदर्भ टूलकिट  
बंधुआ श्रम और अवैध यौन व्यापार से लड़ने की मानक प्रचालन कार्यविधियाँ

गैर-सरकारी संगठनों और उनके अधिवक्ताओं के लिए एक पुस्तिका

तीसरा संस्करण, नवंबर 2021

यदि आप अपनी पक्षधरता में इस पुस्तिका को उपयोगी पाएँ, तो कृपया इसे भारत में काम कर रहे दूसरे लोगों से निःसंकोच साझा करें। यह एक सीमित क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के तहत कॉपीराइट के अधीन है और यह लाइसेंस बिना अनुमति के इस पुस्तिका की प्रतियाँ बनाएँ और वितरित किए जाने की अनुमति देता है बशर्ते कोई वित्तीय लाभ प्राप्त न हो और **Justice Ventures International** को श्रेय दिया जाए। यदि आप इसे कागजी प्रति के रूप में पढ़ रहे हैं, तो आप हमसे [info@justiceventures.org](mailto:info@justiceventures.org) पर संपर्क करके इसकी सॉफ्ट प्रति पा सकते हैं।

यह कार्य क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन नॉनकमर्शियल 4.0 इंटरनेशनल लाइसेंस के तहत लाइसेंसशुदा है



Justice Ventures International द्वारा निर्मित  
[www.justiceventures.org](http://www.justiceventures.org)



## आभार

हम उन सभी व्यक्तियों और संगठनों को धन्यवाद देना और उनका आभार प्रकट करना चाहते हैं जिनके योगदानों से इस मानव व्यापार कानूनी संदर्भ टूलकिट की रचना संभव हो पाई है। सबसे पहले हम ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क और उनके प्रत्येक सदस्य को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने मानव व्यापार से लड़ने में अपने अग्रणी अनुभव और विशेषज्ञता को साझा किया है; इन सदस्यों में शामिल हैं प्रयास जुवेनाइल एंड सेंटर, ऑगन ट्रस्ट, तटवासी समाज न्यास, अदिति, भूसरा महिला विकास समिति, IDF, सेंटर डायरेक्ट, डंकन हॉस्पिटल, आइडिया (IDEA), निर्देश (NIRDESH), फ़कीराना सिस्टर्स सोसायटी, महिला डेवलपमेंट सेंटर, गुडिया संस्थान, मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान, प्रगति ग्रामोद्योग एवं समाज कल्याण संस्थान, और रूरल ऑर्गनाइजेशन फ़ॉर सोशल एडवांसमेंट। दूसरे, हम इंटरनेशनल जस्टिस मिशन के हमारे मित्रों को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने भारत में मानव व्यापार से लड़ने के बारे में अपना ज्ञान और अपनी विशेषज्ञता कृपापूर्वक हमसे साझा की। तीसरे, हम JVI के निःस्वार्थ पैनल और अन्य निःस्वार्थ पहलों जैसे थॉमसन रॉयटर्स फ़ाउंडेशन के ट्रस्ट लॉ कार्यक्रम और लूथरा एंड लूथरा लॉ ऑफ़िसेज आदि के स्वयंसेवी अधिवक्ताओं को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस टूलकिट में शामिल विभिन्न टॉपिक पर कानूनी शोध किया। चौथे, हम भारत में केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर मानव व्यापार से लड़ रहे सरकारी कर्मचारियों, जिनमें पुलिस अधिकारी, ज़िला प्रशासन के अधिकारी, कानूनी सेवा प्राधिकरण के अधिवक्ता, अभियोजक, न्यायपालिका के सदस्य, और अन्य सरकारी अधिकारी शामिल हैं, को धन्यवाद देते हैं और उनकी सराहना करते हैं। हमने इन सरकारी कर्मचारियों से बहुत कुछ सीखा है और इस पुस्तिका में दी गई मानक प्रचालन कार्यविधियाँ उन्हीं सीखों पर आधारित हैं। और अंत में, हम फ़्रीडम फंड और जेनेवा ग्लोबल से मिली वित्तीय सहायता और इस पुस्तिका के शुरुआती मसौदे पर उनकी टिप्पणियों के लिए उनकी सराहना करते हैं। हम आशा करते हैं कि यह पुस्तिका भारत में मानव व्यापार के संकट से लड़ने में गैर-सरकारी संगठनों और उनके अधिवक्ताओं के लिए एक आसान और व्यावहारिक संसाधन का कार्य करेगी।

|                                                                                  |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 001. परिशिष्ट सूची                                                               | 067. बंधुआ श्रम के दोषियों पर अभियोजन की कार्यविधियाँ                                   |
| 002. संक्षिप्त                                                                   | 086. बंधुआ श्रम के पीड़ितों की बहाली की कार्यविधि-याँ                                   |
| 003. अध्याय 1                                                                    | 098. अवैध यौन व्यापार हस्तक्षेपों की SOP                                                |
| परिचय                                                                            | 098. अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बचाव की कार्यविधियाँ                               |
| 004. टूलकिट के बारे में                                                          | 113. अवैध यौन व्यापार के दोषियों पर अभियोजन की कार्यविधियाँ                             |
| 005. बंधुआ श्रम हस्तक्षेपों की SOP (व्याख्या के बिना)                            | 132. अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों की बहाली की कार्यविधियाँ                              |
| 015. अवैध यौन व्यापार हस्तक्षेपों की SOP (व्याख्या के बिना) (without commentary) |                                                                                         |
| 025. अध्याय 2                                                                    | 142. अध्याय 4                                                                           |
| भारत में मानव व अवैध यौन व्यापार का सिंहावलोकन और संदर्भ                         | क्रानूनी ढाँचा                                                                          |
| 026. आधुनिक दासता की परिभाषा और संबंधित शक्तियाँ                                 | 143. मानव व्यापार से संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाएँ और समझौते                        |
| 032. अवधारणाओं का स्पष्टीकरण                                                     | 144. क्षेत्रीय प्रसंविदाएँ और समझौते                                                    |
| 034. ऑकड़े                                                                       | 145. राष्ट्रीय कानून                                                                    |
| 037. भारत में मानव एवं अवैध यौन व्यापार                                          | 161. अपराधों का सारांश                                                                  |
| 039. अध्याय 3                                                                    | 166. अध्याय 5                                                                           |
| मानक प्रचालन कार्यविधियाँ                                                        | भारत के सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न राज्यों के अन्य उच्च न्यायालयों के ऐतिहासिक निर्णय |
| 040. प्रयोजन और उद्देश्य                                                         | 167. अवैध यौन व्यापार और सामान्य आपराधिक न्याय के प्रावधान                              |
| 040. संरचना                                                                      | 170. बाल श्रम और बाल व्यापार                                                            |
| 041. बंधुआ श्रम हस्तक्षेपों की SOP                                               | 172. लापता बच्चे                                                                        |
| 041. बंधुआ श्रम के पीड़ितों के बचाव की कार्यविधियाँ                              | 174. बंधुआ श्रम                                                                         |
|                                                                                  | 174. बंधुआ श्रम पर बेहतर कार्रवाई के निर्देश और NHRC की भूमिका                          |
|                                                                                  | 176. बंधुआ श्रम के पीड़ितों के लिए राहतें और क्षतिपूर्ति                                |



|                                                                  |                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 067. बंधुआ श्रम के दोषियों पर अभियोजन की कार्यविधियाँ            | 086. बंधुआ श्रम के पीड़ितों की बहाली की कार्यविधि-याँ      |
| 098. अवैध यौन व्यापार हस्तक्षेपों की SOP                         | 098. अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बचाव की कार्यविधियाँ  |
| 113. अवैध यौन व्यापार के दोषियों पर अभियोजन की कार्यविधियाँ      | 132. अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों की बहाली की कार्यविधियाँ |
| 142. अध्याय 4                                                    | क्रानूनी ढाँचा                                             |
| 143. मानव व्यापार से संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाएँ और समझौते | 144. क्षेत्रीय प्रसंविदाएँ और समझौते                       |
| 145. राष्ट्रीय कानून                                             | 161. अपराधों का सारांश                                     |

|                                                                |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 166. अध्याय 5                                                  | भारत के सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न राज्यों के अन्य उच्च न्यायालयों के ऐतिहासिक निर्णय |
| 167. अवैध यौन व्यापार और सामान्य आपराधिक न्याय के प्रावधान     | 170. बाल श्रम और बाल व्यापार                                                            |
| 172. लापता बच्चे                                               | 174. बंधुआ श्रम                                                                         |
| 174. बंधुआ श्रम पर बेहतर कार्रवाई के निर्देश और NHRC की भूमिका | 176. बंधुआ श्रम के पीड़ितों के लिए राहतें और क्षतिपूर्ति                                |
| 177. अध्याय 6                                                  | आधुनिक दासता हस्तक्षेप                                                                  |
| 182. परिशिष्ट सूची                                             |                                                                                         |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                        |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| परिशिष्ट 1<br>बचाव-पूर्व<br>दस्तावेज़ीकरण फ़ॉर्म                                                             | परिशिष्ट 2<br>राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग<br>में शिकायत दर्ज कराने के<br>दिशानिर्देश                                                                                                                                       | परिशिष्ट 3<br>राज्य मानवाधिकार आयोग<br>शिकायत पंजीकरण फ़ॉर्म<br>का नमूना                                                            | परिशिष्ट 4<br>बचाव-पूर्व नियोजन<br>बैठक फ़ॉर्म                                         | परिशिष्ट 5<br>बंधुआ श्रम के मिथक<br>और वास्तविकताएँ                                                             |
| पृष्ठ 187                                                                                                    | पृष्ठ 189                                                                                                                                                                                                                | पृष्ठ 190                                                                                                                           | पृष्ठ 192                                                                              | पृष्ठ 195                                                                                                       |
| परिशिष्ट 6<br>कानूनी हस्तक्षेप रिपोर्ट<br>प्रारूप का नमूना                                                   | परिशिष्ट 7<br>बंधुआ श्रम पहचान फ़ॉर्म<br>का प्रारूप                                                                                                                                                                      | परिशिष्ट 7A<br>RDO के पास बंधुआ श्रम<br>की मौजूदगी की शिकायत<br>दर्ज कराने के लिए नमूना<br>प्रारूप                                  | परिशिष्ट 7B<br>प्राथमिकी दर्ज कराने के<br>लिए शिकायत पत्र का<br>नमूना                  | परिशिष्ट 8<br>महत्वपूर्ण साक्ष्य की सूची<br>का प्रारूप और जाँच के<br>लिए उसकी प्रासंगिकता                       |
| पृष्ठ 196                                                                                                    | पृष्ठ 204                                                                                                                                                                                                                | पृष्ठ 206                                                                                                                           | पृष्ठ 208                                                                              | पृष्ठ 211                                                                                                       |
| परिशिष्ट 9<br>उत्पीड़न संरक्षण पत्र का<br>नमूना प्रारूप                                                      | परिशिष्ट 10<br>आरोप-पत्र दायर करने के<br>लिए लिखित निवेदनों का<br>नमूना                                                                                                                                                  | परिशिष्ट 11<br>CrPC की धारा 201 के<br>तहत आवेदन दायर करने<br>का नमूना प्रारूप                                                       | परिशिष्ट 12<br>CrPC की धारा 172(2) के<br>तहत आवेदन दायर करने<br>का नमूना प्रारूप       | परिशिष्ट 13<br>ज़मानत विरोध का आवेदन<br>दायर करने का नमूना<br>प्रारूप                                           |
| पृष्ठ 212                                                                                                    | पृष्ठ 212                                                                                                                                                                                                                | पृष्ठ 213                                                                                                                           | पृष्ठ 215                                                                              | पृष्ठ 217                                                                                                       |
| परिशिष्ट 13A<br>ज़मानत विरोध<br>संदर्भ शीट                                                                   | परिशिष्ट 14<br>पीड़िता को माननीय न्यायालय के<br>समक्ष प्रस्तुत करने और आवेदक/<br>प्राकृतिक संरक्षक/माता को पीड़िता की<br>अभिरक्षा सौंपने के लिए पुलिस/CWC<br>को निर्देश जारी करने का आवेदन<br>दायर करने का नमूना प्रारूप | परिशिष्ट 15<br>कानूनी हस्तक्षेप रिपोर्ट रिहाई<br>प्रमाणपत्रों के अनुरोध के लिए<br>DM/SDM को लिखे जाने<br>वाले पत्र का नमूना प्रारूप | परिशिष्ट 16<br>रिहाई प्रमाणपत्र<br>का प्रारूप                                          | परिशिष्ट 17<br>बंधुआ श्रम हस्तक्षेपों में दी<br>जाने वाली देखभाल सेवाओं<br>की जाँचसूची                          |
| पृष्ठ 224                                                                                                    | पृष्ठ 228                                                                                                                                                                                                                | पृष्ठ 230                                                                                                                           | पृष्ठ 232                                                                              | पृष्ठ 233                                                                                                       |
| परिशिष्ट 18<br>पुनर्वास परिवार फ़ॉर्म का<br>नमूना                                                            | परिशिष्ट 19<br>पीड़ित को क्षतिपूर्ति के<br>लिए CrPC की धारा<br>357A(6) के तहत आवेदन<br>का नमूना प्रारूप                                                                                                                  | परिशिष्ट 20<br>बंधुआ श्रम हस्तक्षेपों के<br>तहत मुकदमों में प्रस्तुत<br>किए जाने वाले लिखित<br>तर्कों का नमूना प्रारूप              | परिशिष्ट 21<br>वाणिज्यिक यौन शोषण के<br>लिए मानव व्यापार के<br>मिथक और वास्तविकताएँ    | परिशिष्ट 22<br>महत्वपूर्ण साक्ष्य की सूची<br>और जाँच के लिए उसकी<br>प्रासंगिकता (CSE हस्तक्षेप)                 |
| पृष्ठ 237                                                                                                    | पृष्ठ 241                                                                                                                                                                                                                | पृष्ठ 242                                                                                                                           | पृष्ठ 262                                                                              | पृष्ठ 263                                                                                                       |
| परिशिष्ट 22A<br>शिकायत का संज्ञान लेने के<br>लिए CrPC की धारा 200<br>के तहत मैजिस्ट्रेट को<br>आवेदन का नमूना | परिशिष्ट 23<br>आरोप-पत्र दायर करने के<br>लिए लिखित निवेदनों का<br>नमूना (CSE हस्तक्षेप)                                                                                                                                  | परिशिष्ट 24<br>CrPC की धारा 301 के<br>तहत आवेदन का नमूना<br>प्रारूप (CSE हस्तक्षेप)                                                 | परिशिष्ट 25<br>CrPC की धारा 172(2) के<br>तहत आवेदन का नमूना<br>प्रारूप (CSE हस्तक्षेप) | परिशिष्ट 26<br>ज़मानत विरोध के आवेदन<br>का नमूना प्रारूप (अवैध<br>यौन व्यापार)                                  |
| पृष्ठ 264                                                                                                    | पृष्ठ 268                                                                                                                                                                                                                | पृष्ठ 269                                                                                                                           | पृष्ठ 271                                                                              | पृष्ठ 273                                                                                                       |
| परिशिष्ट 27<br>न्यायालय से अभिरक्षा<br>आवेदन को संप्रेषित<br>करने के अनुरोध का नमूना<br>प्रारूप              | परिशिष्ट 28<br>CSE हस्तक्षेप बचाव की<br>जाँचसूची                                                                                                                                                                         | परिशिष्ट 29<br>गृह जाँच रिपोर्ट का<br>नमूना प्रारूप                                                                                 | परिशिष्ट 30<br>पीड़ित को क्षतिपूर्ति के<br>अनुरोध का नमूना प्रारूप<br>(CSE हस्तक्षेप)  | परिशिष्ट 31<br>CSE हस्तक्षेपों के तहत<br>मुकदमों में प्रस्तुत किए<br>जाने वाले लिखित तर्कों का<br>नमूना प्रारूप |
| पृष्ठ 275                                                                                                    | पृष्ठ 277                                                                                                                                                                                                                | पृष्ठ 278                                                                                                                           | पृष्ठ 282                                                                              | पृष्ठ 283                                                                                                       |
| परिशिष्ट 31A<br>प्रायः उठाए जाने वाले<br>समापन तर्क के टॉपिक                                                 | परिशिष्ट 32<br>उत्तर प्रदेश और बिहार के<br>आश्रय गृहों की सूची                                                                                                                                                           | परिशिष्ट 33<br>मानव व्यापार से संबंधित<br>प्रकाशनों की सूची                                                                         | परिशिष्ट 34<br>संबंधित अंतरराष्ट्रीय लिखतों<br>की सूची                                 | परिशिष्ट 35<br>CrPC की धारा 156(3) के<br>तहत आवेदन का नमूना<br>प्रारूप                                          |
| पृष्ठ 290                                                                                                    | पृष्ठ 299                                                                                                                                                                                                                | पृष्ठ 300                                                                                                                           | पृष्ठ 303                                                                              | पृष्ठ 306                                                                                                       |

**ACP** असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (सहायक पुलिस आयुक्त)  
**Addl. CP** एडीशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस (अपर पुलिस आयुक्त)

**AHTU** एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स (मानव व्यापार-रोधी इकाइयाँ)

**BLA** बॉन्डेड लेबर सिस्टम (एबॉलिशन) एक्ट (बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम), 1976

**CBI** सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो)

**CrPC** सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो)

**CSE** कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन (वाणिज्यिक यौन शोषण)

**CSS** सेंट्रल सेक्टर स्कीम (केंद्रीय क्षेत्र योजना), 2016 (23.06.2017 तक यथा संशोधित)

**CLTS** चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम (बाल श्रम ट्रैकिंग तंत्र)

**CWC** चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ (बाल कल्याण समितियाँ)

**CM** चीफ मिनिस्टर (मुख्यमंत्री)

**DA** ज़िला प्रशासन

**DM** डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट (ज़िलाधिकारी)

**DSP** डिप्यूटी सुपरइंटेंडेंट ऑफ पुलिस (पुलिस उप-अधीक्षक)

**ICCPR** इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकॉनमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स (अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा)

**ICESCR** इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकॉनमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स (अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा)

**IPC** सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो)



**IO** इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर (जाँच अधिकारी)

**ITPA** इम्मोरल ट्रैफिक (प्रिवेंशन) एक्ट (अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम), 1956

**JJA** जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट (किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम),

**JJB** जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (किशोर न्याय बोर्ड)

**MNREGA** महात्मा गाँधी नेशनल रूरल एंप्लॉयमेंट गारंटी एक्ट (महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम)

**MoLE** श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

**NGO** नॉन-गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशन (गैर-सरकारी संगठन)

**NHRC** नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग)

**POCSO** प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज़ (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण)

**PDS** पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम (जन वितरण प्रणाली)

**PP** पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (सरकारी अभियोजक)

**RDO** रेवेन्यू डिवीजनल ऑफिशियल्स (राजस्व मंडलीय अधिकारी)

**SC** शेड्यूल्ड कास्ट (अनुसूचित जाति)

**SCSTPOA** शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स (प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़) एक्ट (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम), 1989

**SDM** सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट (अनुमंडल दंडाधिकारी)

**SPO** स्पेशल पुलिस ऑफिशियल (विशेष पुलिस अधिकारी)

**SHRC** स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन (राज्य मानवाधिकार आयोग)

**ST** शेड्यूल्ड ट्राइब (अनुसूचित जनजाति)

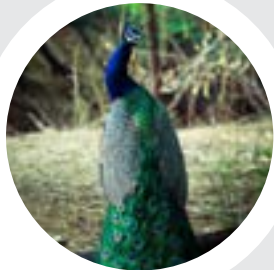
**SOP** स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (मानक प्रचालन कार्यविधियाँ)

**WPC** वुमेन पुलिस कॉन्स्टेबल (महिला पुलिस हवलदार)



# परिचय

## सांक्षिपतीकरण



# टूलकिट के बारे में

मानव व्यापार दुनिया भर में 4.03 करोड़ से भी अधिक लोगों को प्रभावित करता है, जिसमें भारत में आधुनिक दासता की स्थितियों में जी रहे लगभग अस्सी लाख लोग शामिल हैं।<sup>1</sup> इस टूलकिट का विकास **Justice Ventures International (JVI)** द्वारा मानव व्यापार से लड़ाई में लगे NGO साझेदारों और उनके अधिवक्ताओं के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका के रूप में किया गया है। ये व्यावहारिक टूल अग्रपंक्ति के अन्य संगठनों के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं, जिनमें भारत में पीड़ितों को न्याय दिलाने और उनकी बहाली के लिए कानूनी सलाह के साथ कार्य कर रही स्थानीय मानव व्यापार-रोधी इकाइयाँ, चाइल्डलाइन प्रोग्राम के कार्यान्वयनकर्ता और विभिन्न NGO शामिल हैं।

फ्रीडम फंड<sup>2</sup> एक निजी परोपकारी पहल है जो दासता की सर्वाधिक व्यापकता वाले देशों और क्षेत्रों में दासता से लड़ने के लिए आवश्यक ज्ञान और पूँजी जुटाने का लक्ष्य रखता है। हालाँकि यह टूलकिट भारतीय कानून के तहत बचाव, अभियोजन और पुनर्वास से संबंधित सार्वजनिक कानूनी प्रक्रियाओं पर फोकस करती है, पर फ्रीडम फंड और उसके साझेदार मानव व्यापार से लड़ने के लिए दूसरी मुख्य रणनीतियाँ भी प्रयोग करते हैं।

अध्याय 2 में मानव व्यापार का सिंहावलोकन है, जिसमें आधुनिक दासता की संचालक शक्तियाँ, इस मुद्दे से जुड़ी मुख्य अवधारणाओं, और कुछ आँकड़ों पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही, भारत में मानव व्यापार के संदर्भ का सिंहावलोकन भी दिया गया है।

अध्याय 3 में मानव व्यापार से लड़ने की “मानक प्रचालन कार्यविधियों (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, SOP) का वर्णन है। ये SOP भारत में मानव व्यापार के दो सबसे आम रूपों, बंधुआ श्रम और वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए मानव व्यापार (“अवैध यौन व्यापार”) से लड़ने में NGO और अधिवक्ता द्वारा उठाए जाने वाले चरणों की सूची प्रदान करते हैं।<sup>3</sup> प्रत्येक चरण के नीचे उसकी व्याख्या दी गई है जो उस चरण विशेष को और विस्तार में समझाती है। साथ ही, कई चरणों की व्याख्या के बाद

एक “स्मरणीय

बिंदु” अनुभाग दिया

गया है, जिसमें चरण के

कार्यान्वयन के मुख्य विचारणीय

बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है।

और अंत में, कई चरणों में एक “और

जानें तथा कदम उठाएँ” अनुभाग भी है जो

पाठक को अध्याय 4 (कानूनी ढाँचा), अध्याय 5

(कुछ ऐतिहासिक निर्णय), अध्याय 6 (मानव व्यापार से

जुड़ी सफलता की कहानियाँ), और परिशिष्टों के संबंधित

अनुभागों पर भेजता है जहाँ NGO और अधिवक्ताओं के लिए

और व्यावहारिक व कानूनी जानकारी दी गई है।

चूँकि SOP इस पुस्तिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं, अतः अध्याय 1 में नीचे वर्णित SOP का एक तैयार संदर्भ है जो व्याख्या और अतिरिक्त जानकारी से मुक्त है। कृपया ध्यान दें कि हालाँकि SOP को चरणों के रूप में उसी क्रम में दिया गया है जिसके घटित होने की सर्वाधिक संभावना है, पर जरूरी नहीं कि ये चरण इसी क्रम में घटित हों। कुछ चरण एक साथ या किसी अलग क्रम में घटित हो सकते हैं।



1 देखें ‘ Highlights: Global Slavery Index’, Global Slavery Index , 2018, यहाँ उपलब्ध:<<http://www.globalslaveryindex.org/findings/>>.

2 फ्रीडम फंड के बारे में और जानकारी के लिए [www.freedomfund.org](http://www.freedomfund.org) पर जाएँ।

3 इस पुस्तिका में हमने अवैध यौन व्यापार शब्द का उपयोग ‘वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए मानव व्यापार’ नामक तकनीकी शब्द के संदर्भ में किया है, क्योंकि हमारे अनुभव में NGO और अधिवक्ता संक्षेप में इसी शब्द का उपयोग करते हैं।

# बंधुआ श्रम की SOP (व्याख्या के बिना)

नीचे बंधुआ श्रम हस्तक्षेपों की SOP का वर्णन है। इन SOP को तीन भागों में बाँटा गया है:

- पीड़ितों के बचाव की कार्यविधियाँ
- दोषियों पर अभियोजन की कार्यविधियाँ
- पीड़ितों की बहाली की कार्यविधियाँ

इन SOP की विस्तृत व्याख्या और दूसरे संबंधित संसाधनों के लिए कृपया अध्याय 3 देखें।

## 1.0 बंधुआ श्रम के पीड़ितों के बचाव की कार्यविधियों का सारांश



**बंधुआ श्रमिकों की पहचान करना**  
NGO द्वारा दिए गए साक्ष्यों के आधार पर जिला प्रशासन (DA) बंधुआ श्रम की मौजूदगी की जाँच करता है



**बंधुआ श्रमिकों के बचाव की योजना तैयार करना**  
बचाव दिनांक तय करने और जिम्मेदारियों की जाँचसूची की समीक्षा करने के लिए बचाव दल (DA, पुलिस, श्रम एवं राजस्व विभाग) NGO के साथ बचाव-पूर्व बैठकों में भाग लेता है।



**बंधुआ श्रमिकों के बचाव की योजना तैयार करना**  
पुलिस बचाव स्थल की परिधि को सुरक्षित करती है और साक्ष्य को छिपाए या हटाए जाने से रोकती है; यदि बाल श्रम का उपयोग हो रहा हो तो श्रम विभाग इकाई को बंद कर देता है।



**बंधुआ श्रम का साक्ष्य इकट्ठा करना**  
पुलिस बचाव स्थल की परिधि को सुरक्षित करती है और साक्ष्य को छिपाए या हटाए जाने से रोकती है; यदि बाल श्रम का उपयोग हो रहा हो तो श्रम विभाग इकाई को बंद कर देता है।



**बंधुआ श्रमिकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना**  
पुलिस पीड़ितों को सुरक्षित स्थान पर ले जाती है और पीड़ितों को डराए-धमकाए जाने या उनका उत्पीड़न किए जाने के विरुद्ध उनका संरक्षण सुनिश्चित करती है।



**बंधुआ श्रम की शिकायत दर्ज कराना**  
DA (या नियुक्त व्यक्ति) शिकायत प्राप्त करता है; पुलिस, AHTU और श्रम विभाग भी शिकायत प्राप्त कर सकते हैं पर उन्हें जाँच से पहले DA के साथ समन्वय करना होगा।



**बंधुआ श्रमिकों का बचाव शुरू करना**  
IDA बचाव स्थल पर जाँच/पहचान/रिहाई की देखरेख और उसका संचालन करता है; श्रम विभाग पीड़ितों के बयान दर्ज करता है; पुलिस आरोपितों को गिरफ्तार करती है। यदि बाल श्रम शामिल है, तो बाल श्रम कार्य बल को शामिल करें।



**बंधुआ श्रमिकों को आरोपितों से अलग करना**  
पुलिस पीड़ितों को आरोपितों से अलग करती है और पीड़ितों को सुरक्षित खुले स्थान पर ले जाती है; वह पीड़ितों को बचाव का कारण बताती है।



**बंधुआ श्रमिकों के बयान दर्ज करना**  
DA और श्रम विभाग (दोषियों की मौजूदगी से दूर) पीड़ितों के बयान दर्ज करते हैं, और आवश्यक होने पर रिहाई प्रमाणपत्र तथा रिहाई के आदेश देते हैं।



**बंधुआ श्रमिकों के रिहाई प्रमाणपत्र प्राप्त करना**  
यदि चरण 1.8 में रिहाई प्रमाणपत्र प्रदान न किए गए हों, तो DA जाँच पूरी हो जाने के बाद उन्हें स्थल से इतर अन्य स्थान पर संरक्षण और न्यूनतम वेतन तथा निर्वाह राहत के भुगतान के रिहाई आदेश के साथ प्रदान करता है।

# बंधुआ श्रम के पीड़ितों का बचाव करना

चरण  
1.1

## बंधुआ श्रमिकों की पहचान करना

|          |                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को बंधुआ श्रम की मौजूदगी को साबित करने वाली जानकारी इकट्ठी करके उसकी पुष्टि करनी चाहिए।                                                                       |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को यह पुष्टि करनी चाहिए कि इकट्ठी की गई जानकारी बंधुआ श्रम अधिनियम, 1976 के तहत बंधुआ श्रम और संबंधित अपराधों के कानूनी पहलुओं को साबित करती है या नहीं। |

चरण  
1.2

## बंधुआ श्रम की शिकायत दर्ज कराना

|          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को इकट्ठी की गई जानकारी का उपयोग करके लागू जिलाधिकारी और उनके अधीनस्थों के सामने पेश करने के लिए बंधुआ श्रम की शिकायत का मसौदा तैयार करना चाहिए।                                                                                                          |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को बंधुआ श्रम की शिकायत की समीक्षा करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह शिकायत बंधुआ श्रमिकों का बचाव शुरू करने के पक्ष में एक ठोस कानूनी दलील पेश करती हो, और उसे जिलाधिकारी और उनके अधीनस्थों के सामने शिकायत पेश करने में NGO की सहायता करनी चाहिए। |

चरण  
1.3

## बंधुआ श्रमिकों के बचाव की योजना तैयार करना

|          |                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को बंधुआ श्रमिकों के बचाव की योजना तैयार करनी चाहिए।                                                                                              |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को बंधुआ श्रम से जुड़े कानूनी प्रावधानों और अवधारणाओं के बारे में NGO को सलाह देकर बंधुआ श्रमिक बचाव योजना तैयार करने में सहायता देनी चाहिए। |

चरण  
1.4

## बंधुआ श्रमिकों का बचाव शुरू करना

|          |                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को बचाव योजना के अनुसार दूसरे हितधारकों के साथ मिलकर बंधुआ श्रम के पीड़ितों के बचाव की शुरुआत करनी चाहिए।       |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को बंधुआ श्रम के पीड़ितों के बचाव में भाग लेकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह काम कानून के अनुसार किया जाए। |

चरण  
1.5

## बंधुआ श्रमिकों के बचाव स्थल को सुरक्षित करना

|          |                                                                                                                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को बचाव स्थल को सुरक्षित करने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि आरोपितों का दोष दर्शाने वाला कोई भी साक्ष्य खोने न पाए। |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को बचाव स्थल को सुरक्षित करने से जुड़े कानूनी कार्यविधियों के बारे में NGO को और (यदि जरूरी हो तो) पुलिस को जानकारी देनी चाहिए।         |

चरण  
1.6

## बंधुआ श्रमिकों को आरोपितों से अलग करना (बचाव वाले दिन ही)

|          |                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को बंधुआ श्रम के पीड़ितों को दोषियों से अलग करने में और घटना स्थल पर किसी खुले स्थान पर ले जाने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए।                                             |
| अधिवक्ता | पीड़ितों को दोषियों से अलग किया जाए यह सुनिश्चित करके और यदि जरूरी हो तो इस प्रक्रिया में पुलिस को सलाह देकर अधिवक्ता को उचित जांच और पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। |

चरण  
1.7

## बंधुआ श्रम का साक्ष्य इकट्ठा करना (बचाव वाले दिन ही)

|          |                                                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस बंधुआ श्रम की मौजूदगी से जुड़े सभी मौजूद साक्ष्य इकट्ठा कर ले।                                                                                  |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को बंधुआ श्रम से जुड़े साक्ष्यों के कानूनी एकत्रण के बारे में NGO को बताना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस सभी मौजूद साक्ष्यों को पंचनामा/ज़बती ज़ापन में शामिल करे। |

चरण  
1.8

## बंधुआ श्रमिकों के बयान दर्ज करना (बचाव वाले दिन ही)

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को बंधुआ श्रम के पीड़ितों के बयान दर्ज करने में सरकारी अधिकारियों की सहायता करनी चाहिए।                                                                                                                                                                                |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को बंधुआ श्रम की मौजूदगी का निर्धारण करने के लिए पीड़ितों से पूछे जाने वाले शुरुआती प्रश्नों के बारे में सरकारी अधिकारियों को सलाह देनी चाहिए और पीड़ितों का बयान दर्ज किए जाने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले पीड़ितों को उनके अधिकारों के बारे में बताना चाहिए। |

चरण  
1.9

## बंधुआ श्रमिकों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना (बचाव वाले दिन ही)

|          |                                                                                                                                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बंधुआ श्रमिक अपना सारा सामान अपने साथ ले लें और उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया जाए। |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को दोषियों की धमकियों और उत्पीड़न से बंधुआ श्रमिकों को बचाने के लिए एक संरक्षण आवेदन दायर करना चाहिए।                   |

चरण  
1.10

## बंधुआ श्रमिकों के रिहाई आदेश प्राप्त करना (1 से 3 दिन)

|          |                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को SDM या उनके अधीनस्थ अभिहित अधिकारी के समक्ष रिहाई आदेश और रिहाई प्रमाणपत्र शीघ्रता से जारी करने के अनुरोध का आवेदन करना चाहिए।                                                                 |
| अधिवक्ता | सभी बंधुआ श्रमिकों के लिए कानून द्वारा आवश्यक किए गए के अनुसार रिहाई आदेश और रिहाई प्रमाणपत्र शीघ्रता से जारी कर दिए जाएँ यह सुनिश्चित करने के लिए अधिवक्ता को NGO के साथ SDM के कार्यालय जाना चाहिए। |

## 2.0 बंधुआ श्रम के दोषियों पर अभियोजन की कार्यविधियों का सारांश



**बंधुआ श्रम की प्राथमिकी दर्ज कराना**  
पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी बंधुआ श्रम के अपराधों की जानकारी को प्राथमिकी (FIR) के रूप में दर्ज करता है और जाँच व गिरफ्तारी की कार्यवाही के साथ आगे बढ़ता है; वह यह सुनिश्चित करता है कि प्राथमिकी में सभी धाराएँ शामिल की जाएँ और प्राथमिकी की प्रति शिकायतकर्ता को देता है।



**आरोपित दोषियों को गिरफ्तार करना**  
पुलिस DA के निर्देशानुसार आरोपितों को गिरफ्तार करती है और जाँच के साथ तेजी से आगे बढ़ती है। प्राथमिकी की प्रति शिकायतकर्ता को देता है।



**अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए वकालतनामा और आवेदन दायर करना**  
पीडित का अधिवक्ता पीडित के प्रतिनिधित्व के लिए और अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए न्यायालय में आवेदन दायर करता है।



**दोषी के जमानत आवेदन का विरोध करना**  
आरोपित द्वारा जो भी जमानत याचिकाएँ दायर की जाएँ उनका विरोध करने के लिए अधिवक्ता पुलिस और सरकारी अभियोजक के साथ कार्य करता है।



**जाँच के दौरान बयान दर्ज करना**  
पुलिस पीडितों का साक्षात्कार लेकर उनके बयान दर्ज करती है; बयान पुलिस स्टेशन में नहीं बल्कि पीडित के लिए किसी सुविधाजनक स्थान पर दर्ज किए जाने चाहिए। ज़रूरी हो तो पिछले बयानों का पूरण करें।



**बंधुआ श्रम इकाई बंद/सील करना**  
DA और श्रम विभाग बंधुआ श्रमियों से काम लेने के कारण इकाई को बंद करने और उसका पंजीकरण रद्द करने का आदेश देते हैं।



**न्यूनतम वेतन वसूलना**  
श्रम विभाग (ज़िला श्रम अधिकारी) DA द्वारा जारी रिहाई आदेश के अनुसरण में न्यूनतम वेतन के भुगतान का आदेश देता है।



**बंधुआ श्रम आरोप-पत्र दायर करना**  
जाँच अधिकारी (पुलिस) देरी किए बिना 90 दिनों के भीतर आरोप-पत्र दायर करता है।



**मुकदमे का उपयुक्त मंच सुनिश्चित करना**  
आरोप-पत्र दायर होने के बाद न्यायाधीश मामले का संज्ञान लेते हैं और उसे उचित न्यायालय को सौंप देते हैं।



**बंधुआ श्रम के आरोप लगाना**  
न्यायालय आरोपितों पर समयबद्ध ढंग से आरोप (जिनमें तथ्यों द्वारा समर्थित सारे लागू अपराध शामिल हैं) लगाता है और उनसे सफाई माँगता है (दोष स्वीकार लेने पर मुकदमा समाप्त हो जाता है)।



**बंधुआ श्रम की सुनवाईयों में अभियो-जन पक्ष की सहायता करना**  
अधिवक्ता को सभी सुनवाईयों में सरकारी अभियोजक की सहायता करनी चाहिए और आवश्यक होने पर न्यायालय में पीडित की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए।



**बंधुआ श्रम के गवाहों को गवाही के लिए तैयार करना**  
अधिवक्ता को सरकारी अभियोजक को बंधुआ श्रम के और अभियोजन के सारे गवाहों को गवाही हेतु तैयार करने में सहायता देनी चाहिए। न्यायालय को पीडित के प्रति संवेदना रखने वाले उपाय करने चाहिए, विशेष रूप से बाल पीडितों के मामले में; यदि आवश्यक हो तो एकांत में कार्यवाही संचालित करनी चाहिए।



**बंधुआ श्रम के अंतिम तर्क प्रस्तुत करना**  
सरकारी अभियोजक न्यायालय को बंधुआ श्रम की मौजूदगी का विश्वास दिलाने के लिए अंतिम तर्क प्रस्तुत करता है।



**बंधुआ श्रम पर अंतिम निर्णय प्राप्त करना**  
न्यायालय सभी पक्षों को निर्णय की प्रमाणित प्रतियाँ प्रदान करता है।



**बंधुआ श्रम पर अंतिम**  
न्यायालय सभी पक्षों की अपीलें, यदि दायर की गई हों, पर उचित रूप से विचार करता है।

## 2.0

## बंधुआ श्रम के दोषियों पर अभियोजन चलाना

### चरण 2.1

#### बंधुआ श्रम की प्राथमिकी दर्ज कराना

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | जिस पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में बंधुआ श्रम की घटना हुई है उस पुलिस स्टेशन में NGO को बंधुआ श्रम के अपराध की सूचना दर्ज करानी चाहिए।                                                                                                                                       |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दर्ज कराई जाने वाली जानकारी को पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी प्राथमिकी (FIR) के रूप में रिकॉर्ड करे और उसमें BLA, IPC, SC/ST POAA (यदि लागू हो) और कानून की जो भी अन्य लागू धाराएँ हों उनके तहत सभी संबंधित अपराध सूचीबद्ध किए गए हों। |

### चरण 2.2

#### बंधुआ श्रम के आरोपितों को गिरफ्तार करना

|          |                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को बंधुआ श्रम अपराधों के सभी आरोपित व्यक्तियों को तुरंत गिरफ्तार करने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए।                                                           |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को CrPC के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोपितों की तुरंत गिरफ्तारी में पुलिस की सहायता करनी चाहिए और पुलिस को तेजी से जाँच आगे बढ़ाने को प्रेरित करना चाहिए। |

### चरण 2.3

#### अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए वकालतनामा और आवेदन दायर करना

|          |                                                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को बंधुआ श्रम के पीडितों का औपचारिक परिचय अधिवक्ता से कराना चाहिए ताकि वकील-मुवक्किल संबंध आसानी से स्थापित हो सके।                                                        |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को उनके कानूनी परामर्शदाता के रूप में वकालतनामा दायर करने के लिए बंधुआ श्रम के पीडितों की सहमति लेनी चाहिए और अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए एक आवेदन दायर करना चाहिए। |

### चरण 2.4

#### आरोपित दोषियों के जमानत आवेदन का विरोध करना

|          |                                                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को दोषियों और बंधुआ श्रम के मामले के बारे में जानकारी देकर जमानत का विरोध करने में अधिवक्ता को सलाह और सहायता देनी चाहिए।                                                             |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को मौखिक और लिखित रूप में जमानत का विरोध करने के लिए और, यदि जमानत स्वीकृत होती है तो जमानत की कठोर शर्तों के पक्ष में तर्क रखने के लिए, सभी जमानत सुनवाईयों में भाग लेना चाहिए। |

| चरण 2.5  | जाँच के दौरान बयान दर्ज करना                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को CrPC की धाराओं 161 और 164 के तहत अपने बयान देते समय सच बोलने के लिए पीड़ित को प्रेरित करना चाहिए और उसकी सहायता करनी चाहिए।                                                                                                                                  |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को सच बोलने में पीड़ित को प्रेरित करने और उसकी सहायता करने के लिए CrPC की धाराओं 161 और 164 के तहत बंधुआ श्रम पीड़ितों के बयानों की रिकॉर्डिंग की निगरानी करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बयानों को लागू कानूनों के अनुपालन में रिकॉर्ड किया जाए। |

| चरण 2.6  | बंधुआ श्रम इकाई बंद/सील करना                                                                                                              |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को इकाई बंद या सील करने की याचिका के लिए अधिवक्ता को पर्याप्त जानकारी देनी चाहिए।                                                     |
| अधिवक्ता | जिस इकाई में बंधुआ श्रम चल रहा था उस इकाई को बंद या सील करने की याचिका अधिवक्ता को जिलाधिकारी और श्रम विभाग के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। |

| चरण 2.7  | न्यूनतम वेतन वसूलना                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को श्रम विभाग के समक्ष न्यूनतम वेतन की वसूली का आवेदन प्रस्तुत करने में बंधुआ श्रम पीड़ितों और अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए। |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को श्रम विभाग के समक्ष बंधुआ श्रम के पीड़ितों की ओर से न्यूनतम वेतन की वसूली का आवेदन दायर करना चाहिए।                   |

| चरण 2.8  | बंधुआ श्रम आरोप-पत्र दायर करना                                                                                                                                 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO आरोप-पत्र दायर किए जाने के संबंध में अधिवक्ता से नियमित रूप से संपर्क करके पूछते रहना चाहिए।                                                               |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोप-पत्र बिना विलंब के निर्धारित अवधि के भीतर पुलिस के पास दायर कर दिया जाए और उसमें सारे लागू अपराध शामिल किए गए हों। |

| चरण 2.9  | मुकदमे का उपयुक्त मंच सुनिश्चित करना                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मामले को उपयुक्त न्यायालय के सुपुर्द किया जाए और उसे बंधुआ श्रमिक पुनर्वास केंद्रीय क्षेत्र योजना (17 मई, 2016 से प्रभावी) के दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। |

| चरण 2.10 | बंधुआ श्रम के आरोप लगाना                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को अधिवक्ता से नियमित रूप से संपर्क करके पूछते रहकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायालय ने आरोप तय कर दिए हों।                     |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायालय समयबद्ध ढंग से आरोप तय कर दे और उसमें तथ्यों द्वारा समर्थित सारे लागू अपराध शामिल हों। |

| चरण 2.11 | बंधुआ श्रम की सभी सुनवाईयों में अभियोजन पक्ष की सहायता करना                                                                                                                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को बंधुआ श्रम के पीड़ितों को सुनवाईयों के सभी दिनांकों की सूचना देने में अधिवक्ता और अभियो-जक की सहायता करनी चाहिए और आवश्यकतानुसार हर सुनवाई में भाग लेने हेतु उपस्थित रहना चाहिए। |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को मुकदमा शुरू होने से पहले अभियोजक से मिलकर मामले की रणनीति तैयार करनी चाहिए और अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए हर सुनवाई में न्यायालय में उपस्थित रहना चाहिए।                  |

| चरण 2.12 | बंधुआ श्रम के गवाहों को गवाही के लिए तैयार करना                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को बंधुआ श्रम के गवाहों को सच्चाई और निडरता से गवाही देने के लिए तैयार करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।                                              |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्य परीक्षा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से प्रतिपरीक्षा (जिरह) के लिए गवाहों को तैयार करके अभियोजक की सहायता करनी चाहिए। |

| चरण 2.13 | बंधुआ श्रम के अंतिम तर्क प्रस्तुत करना                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को मुकदमे के अंत में अंतिम तर्क तैयार करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।                                                                |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को बंधुआ श्रम के दोषी की दोषसिद्धि के समर्थन में अंतिम मौखिक तर्क पेश करने चाहिए (यदि न्यायालय अनुमति दे) और लिखित तर्क पेश करने चाहिए। |

| चरण 2.14 | निर्णय प्राप्त करना                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को न्यायालय से अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए। वह संक्षिप्त विचारण (मुकदमा) संचालित करने वाले न्यायालय अधिकारी (लगभग हर मामले में वह SDM या DM होंगे) से रिहाई प्रमाणपत्र प्राप्त करने में भी अधिवक्ता की सहायता करेगा।                             |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन करने चाहिए। यदि अब तक रिहाई प्रमाणपत्र जारी न किए गए हों, तो अधिवक्ता संक्षिप्त विचारण (मुकदमा) संचालित करने वाले न्यायालय अधिकारी (लगभग हर मामले में वह SDM या DM होंगे) से रिहाई प्रमाणपत्र प्राप्त करने में बंधुआ श्रमिकों की सहायता करेगा। |

| चरण 2.15 | जाँच के दौरान बयान दर्ज करना                                                                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को, यदि आवश्यक हो तो, अपील तैयार करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।                    |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को, यदि आवश्यक हो तो, प्रतिकूल निर्णय के विरुद्ध अपील या संशोधन आवेदन दायर करना चाहिए। |

## 3.0 बंधुआ श्रम के पीड़ितों की बहाली की कार्यविधियों का सारांश



### चिकित्सीय देखभाल तक तुरंत पहुँच सुनिश्चित करना

बचाव दल पीड़ितों की पहचान गोपनीय रखते हुए तत्काल चिकित्सीय देखभाल की व्यवस्था करता है; यदि बच्चों को बचाया गया है, तो उन्हें CWC भेजने से पहले चिकित्सीय देखभाल दी जानी चाहिए।



### अल्पकालिक प्रावधान प्रदान करना

बचाव दल रिहाई होने पर बुनियादी अल्पकालिक प्रावधान जैसे भोजन, कपड़े, अस्थायी आश्रय, और परिवहन, प्रदान करने में सहायता करता है।



### बचाए गए बंधुआ श्रमिकों के लिए निर्वाह भत्ता प्राप्त करना।

अनुमंडल दंडाधिकारी रिहाई आदेश के आधार पर निर्वाह भत्ते का आदेश देते हैं।



### BLA फंड और पुनर्वास फंड प्राप्त करना

DA, NGO के BLA और पुनर्वास फंड के अनुरोध में सहायता के लिए हस्तक्षेप करता है और उक्त फंड का श्रमिकों तक शीघ्रता से पहुँचना सुनिश्चित करता है; श्रम विभाग बच्चों को नियुक्त करने वाले व्यक्ति/इकाई से ₹20,000.00 का अर्थदंड वसूलता है और उसे बाल श्रमिक पुनर्वास कल्याण निधि में जमा करा देता है।



### बुनियादी सरकारी पात्रताएँ और पहचान दस्तावेज़ प्राप्त करना

DA यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को ID, आवास, रोजगार आदि की पहुँच प्रदान की जाए।



### बंधुआ श्रम पीड़ितों को वापस घर भेजना

घर वापसी हेतु आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त करने में सहायता करें; बाल श्रमिकों के मामले में, CWC गृह सत्यापन रिपोर्ट पूरी करेगा।



### निजी क्षेत्र के संसाधनों की पहुँच सुगम बनाना

भोजन, कपड़े, आश्रय, भू-अधिकार, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श और अन्य पात्रताओं से संबंधित निजी क्षेत्र के संसाधनों की पहुँच प्रदान करने में सहायता करें।



### स्थानीय BLA सतर्कता समितियों को संलग्न करना

राज्य सरकारें पीड़ितों के संपूर्ण पुनर्वास के प्रयोजन से सतर्कता समितियाँ बनाती हैं जिसकी अध्यक्षता DM/SDM द्वारा की जाती है।



### पीड़ितों की स्थायी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना

DA पीड़ितों को उनके अधिकारों और स्वतंत्र बने रहने की अटलता की ज़रूरत के बारे में बताता है; सतर्कता समिति निरंतर पुनर्वास और संरक्षण को सुगम बनाने का कार्य करती है।

## 3.0 बंधुआ श्रम पीड़ितों की बहाली

### चरण 3.1

#### चिकित्सीय देखभाल तक तुरंत पहुँच सुनिश्चित करना

|          |                                                                                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को सुनिश्चित करना चाहिए कि बंधुआ श्रम पीड़ितों की चिकित्सीय जाँच हो और उन्हें जो भी चिकित्सीय देखभाल चाहिए हो वह उन्हें मिले।                                       |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बंधुआ श्रम पीड़ितों के निजता के अधिकार और अन्य अधिकारों का सम्मान करते हुए चिकित्सीय जाँच की जाए और अविलंब देखभाल प्रदान की जाए। |

### चरण 3.2

#### अल्पकालिक प्रावधान प्रदान करना

|     |                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO | NGO उनकी रिहाई होने पर बुनियादी अल्पकालिक प्रावधान जैसे भोजन, कपड़े, अस्थायी आश्रय, और परिवहन, प्रदान करने में सहायता करेगा। |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### चरण 3.3

#### बचाए गए बंधुआ श्रमिकों के लिए निर्वाह भत्ता प्राप्त करना

|          |                                                                                                                                                                          |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बंधुआ श्रम पीड़ितों के रिहाई प्रमाणपत्र प्राप्त होते समय और उनके बचाव से 7 दिन के भीतर उन्हें निर्वाह वित्तीय राहत (भत्ता) प्राप्त हो। |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को बंधुआ श्रमिक रिहाई प्रमाणपत्र जारी किए जाते समय निर्वाह वित्तीय राहत के प्रावधान को अनिवार्य करने वाले कानूनी उपबंधों के बारे में SDM को बताना चाहिए।        |

### चरण 3.4

#### BLA फंड और पुनर्वास फंड प्राप्त करना

|          |                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को नकदी और गैरनकदी, दोनों प्रकार के घटकों के लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध BLA फंडों और अन्य पुनर्वास फंडों हेतु बंधुआ श्रम पीड़ितों की ओर से अनुरोध पेश करना चाहिए। |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को बंधुआ श्रम पीड़ितों की ओर से नकदी और गैरनकदी, दोनों घटकों के लिए BLA फंड प्राप्त करने में NGO को सलाह और सहायता देनी चाहिए।                                              |

| चरण 3.5  | बुनियादी सरकारी पात्रताएँ और पहचान दस्तावेज़ प्राप्त करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को बुनियादी सरकारी पहचान दस्तावेज़ जैसे राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज़ प्राप्त करने में बंधुआ श्रम पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए। NGO को भोजन, कपड़े, आश्रय, भू-अधिकार, शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श और अन्य पात्रताओं से संबंधित सरकारी पात्रताओं तक पहुँचने में बंधुआ श्रम पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए।                                                                                                          |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को सरकारी प्राधिकरणों से बुनियादी सरकारी पहचान दस्तावेज़ जैसे राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज़ जारी करने की प्रार्थना करने के लिए NGO को सलाह देनी चाहिए और (यदि आवश्यक हो तो) बंधुआ श्रम पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए। यदि उक्त सरकारी पात्रताओं से अनुचित ढंग से मना कर दिया जाए तो अधिवक्ता को सरकारी एजेंसियों से उक्त पात्रताएँ प्रदान करने की प्रार्थना करने में NGO और बंधुआ श्रम पीड़ितों को कानूनी सहायता देनी चाहिए। |

| चरण 3.6  | बंधुआ श्रम पीड़ितों को वापस घर भेजना                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को बंधुआ श्रम पीड़ितों को उनके परिवार/ पैतृक स्थान या किसी वैकल्पिक सुरक्षित स्थान तक सुरक्षित ढंग से पहुँचने में उनकी सहायता करनी चाहिए, इसमें अवयस्क पीड़ितों के मामले में CWC द्वारा यथा निर्धारित के अनुसार गृह सत्यापन रिपोर्ट पूरी करना शामिल है। |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करने के लिए NGO प्रतिनिधियों को सलाह देनी चाहिए कि बहाली की प्रक्रिया कानून द्वारा स्थापित कार्यविधियों के अनुसार संचालित हो।                                                                                                      |

| STEP 3.7 | निजी क्षेत्र के संसाधनों की पहुँच सुगम बनाना                                                                                                                                                                              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को भोजन, कपड़े, आश्रय, भू-अधिकार, शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श और अन्य पात्रताओं से संबंधित निजी क्षेत्र (NGO और व्यवसायों) के उपलब्ध संसाधनों तक पहुँचने में बंधुआ श्रम पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए। |

| चरण 3.8  | स्थानीय BLA सतर्कता समितियों को संलग्न करना                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस ज़िले में बंधुआ श्रम पीड़ित निवास करता है वहाँ के ज़िला प्रशासन ने एक सतर्कता समिति स्थापित की हुई हो, और फिर उसे पीड़ितों के निरंतर पुनर्वास और संरक्षण को सुगम बनाने के लिए उक्त सतर्कता समितियों के साथ कार्य करना चाहिए। |
| अधिवक्ता | यदि बंधुआ श्रम सतर्कता समिति स्थापित या सक्रिय नहीं है तो अधिवक्ता को ज़िला प्रशासन से उक्त समिति के गठन की प्रार्थना करने में NGO की सहायता करनी चाहिए।                                                                                                           |

| चरण 3.9 | पीड़ितों की स्थायी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना                                                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO     | NGO को बचाव से लेकर कम-से-कम 24 माह तक बंधुआ श्रम पीड़ित के साथ निरंतर संबंध बनाए रखना चाहिए ताकि पीड़ितों का स्थायी पुनर्वास और स्थायी स्वतंत्रता सुनिश्चित हों। |

# अवैध यौन व्यापारहस्तक्षेपों की SOP (व्याख्या के बिना)

नीचे अवैध यौन व्यापार हस्तक्षेपों की SOP का वर्णन है। इन SOP को तीन भागों में बाँटा गया है:

1. पीड़ितों के बचाव की कार्यविधियाँ
2. दोषियों पर अभियोजन की कार्यविधियाँ
3. पीड़ितों की बहाली की कार्यविधियाँ

## 1.0 अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बचाव की कार्यविधियों का सारांश

**1.1**

**अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों की पहचान करना**  
NGO द्वारा दिए गए साक्ष्यों के आधार पर ज़िला प्रशासन (DA) अवैध यौन व्यापार की मौजूदगी की जाँच करता है।

**1.3**

**अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बचाव की योजना तैयार करना**  
पुलिस बचाव स्थल के स्थान, भौतिक नक्शे, प्रवेश और निकास बिंदुओं, छिपने के अड्डों, बचाव स्थल के स्केच नक्शे, आदि के विवरण के साथ एक गोपनीय बचाव योजना तैयार करती है; SPO केस डायरी में नोट करता है।

**1.5**

**अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों का बचाव शुरू करना**  
बचाव दल (जिसमें महिला पुलिस हवलदार शामिल हैं) स्थल पर प्रवेश करके पीड़ितों तक पहुँचता है। पुलिस निगरानी दल के साथ समन्वय करती है और अपराध स्थल के फोटो लेती है/वीडियो बनाती है।

**1.7**

**अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों को आरोपितों से अलग करना**  
पुलिस पीड़ितों को आरोपितों से अलग करती है और पीड़ितों को किसी सुरक्षित खुले स्थान पर ले जाती है; महिला हवलदार बचाव पीड़ितों से बातचीत करती है; समाजसेवी पीड़ितों से बातचीत करती/ता है।

**1.9**

**अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बयान रिकॉर्ड करना**  
पुलिस और/या परिवीक्षा अधिकारी बयान रिकॉर्ड करते हैं, आवश्यक हो तो परामर्श और अनुवाद प्रदान करते हैं, और बच्चों को CWC भेजते हैं।

**1.2**

**अवैध यौन व्यापार की शिकायत दर्ज कराना**  
स्थानीय विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) शिकायत प्राप्त करता है; ज़िला/राज्य AHTU या CBI भी शिकायत प्राप्त कर सकते हैं पर उन्हें जाँच में पुलिस के साथ समन्वय करना होगा।

**1.4**

**पुलिस के साथ बचाव-पूर्व बैठक करना**  
SPO (महिला अधिकारी हो तो बेहतर) NGO के साथ बचाव-पूर्व बैठक में भाग लेकर बचाव दिनांक तय करता है और जिम्मेदारियों की जाँचसूची की समीक्षा करता है; बचाव दल में 2 पंच या मोहल्ले के प्रतिष्ठित गवाह भी होने चाहिए, जिनमें से एक महिला हो, और समाजसेवी हो।

**1.6**

**अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बचाव की जगह को सुरक्षित करना**  
सभी पीड़ितों को बचा लिया जाए और कोई भी महत्वपूर्ण साक्ष्य खोए नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बचाव स्थल को सुरक्षित करती है।

**1.8**

**अवैध यौन व्यापार के साक्ष्य इकट्ठे करना**  
दो या अधिक स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में पुलिस साक्ष्य इकट्ठे करती है (डायरियाँ और रजिस्टर, खाते, लेखा बहियाँ जो अन्य मानव व्यापारियों के साथ नेटवर्किंग दिखाती हों, नकदी, बिजली, टेलीफोन और पानी के बिल, राशन कार्ड, नगर पालिका/नगर निगम की कर रसीदें, यात्रा दस्तावेज़, फोटोग्राफ, एल्बम, कॉन्डोम)।

**1.10**

**पीड़ितों की सुरक्षा करने वाली अभिरक्षा सुनिश्चित करना**  
पुलिस बचाए गए पीड़ितों को, यदि उपलब्ध हों तो, मैजिस्ट्रेट या CWC के पास पहुँचाती है; यदि वे उपलब्ध नहीं हैं तो पुलिस पीड़ितों को आश्रय गृह या बाल गृह पहुँचाती है।

# 1.0 अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों का बचाव

## चरण 1.1 अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों की पहचान करना

|          |                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को अवैध यौन व्यापार की मौजूदगी को साबित करने वाली जानकारी इकट्ठी करके उसकी पुष्टि करनी चाहिए।                                                                                                  |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को यह पुष्टि करनी चाहिए कि इकट्ठी की गई जानकारी अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, IPC 370, और दूसरे लागू कानूनी उपबंधों के तहत अवैध यौन व्यापार के कानूनी पहलुओं को साबित करती है या नहीं। |

## चरण 1.2 अवैध यौन व्यापार की शिकायत दर्ज कराना

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को इकट्ठी की गई जानकारी का उपयोग करके पुलिस और दूसरे सरकारी अधिकारियों के सामने पेश करने के लिए अवैध यौन व्यापार की शिकायत का मसौदा तैयार करना चाहिए।                                                                                                                                                   |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को अवैध यौन व्यापार की शिकायत की समीक्षा करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह शिकायत अवैध यौन व्यापार पीड़ितों के बचाव (या किसी दूसरी जिम्मेदारी के तहत बचाव) के पक्ष में एक ठोस दलील पेश करती हो, और उसे पुलिस और दूसरे सरकारी अधिकारियों के सामने वह शिकायत पेश करने में NGO की सहायता करनी चाहिए। |

## STEP 1.3 अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बचाव की योजना तैयार करना

|          |                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को पुलिस और संबंधित अधिकारियों के परामर्श के साथ अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बचाव की एक चोतरफा योजना तैयार करनी चाहिए, जिसमें संबंधित जगह का पूरा नक्शा होना चाहिए।     |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को बचाव योजना तैयार करने में NGO को सलाह और सहायता देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसमें ITPA के तहत जितने ज़रूरी हैं उतने नकली ग्राहक और पंच गवाह शामिल हों। |

## चरण 1.4 पुलिस के साथ बचाव-पूर्व बैठक करना

|          |                                                                                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को बचाव योजना के अनुसार एक बचाव-पूर्व बैठक करनी चाहिए जिसमें दल के सदस्यों को उनकी भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं।                                                       |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को बचाव-पूर्व बैठक में NGO और सरकारी प्रतिनिधियों को किए जाने वाले बचाव कार्य से जुड़े कानूनी प्रावधानों और ज़रूरी जानकारी के बारे में बताकर NGO को सलाह व सहायता देनी चाहिए। |

## चरण 1.5 अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों का बचाव शुरू करना

|          |                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को बचाव योजना के अनुसार पुलिस और दूसरे हितधारकों के साथ मिलकर अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बचाव की शुरुआत करनी चाहिए। |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बचाव में भाग लेकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह काम कानून के अनुसार किया जाए।    |

## चरण 1.6 अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बचाव की जगह को सुरक्षित करना

|          |                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | बचाव की जगह को सुरक्षित करने में NGO को पुलिस की सहायता करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी पीड़ितों को बचा लिया जाए और बचाव के दौरान वे सुरक्षित रहें। |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को बचाव स्थल को सुरक्षित करने से जुड़े कानूनी कार्यविधियों के बारे में NGO को और (यदि ज़रूरी हो तो) पुलिस को जानकारी देनी चाहिए।                      |

## चरण 1.7 अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों को आरोपितों से अलग करना

|          |                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों को दोषियों से अलग करने में और बचाए गए पीड़ितों को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए।           |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को पुलिस को यह बताना चाहिए कि अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों को दोषियों से अलग किया जाना चाहिए ताकि एक सुरक्षित और कानून-सम्मत जाँच सुनिश्चित हो सके। |

## चरण 1.8 अवैध यौन व्यापार के साक्ष्य इकट्ठे करना

|          |                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस अवैध यौन व्यापार की पहचान और उसे साबित करने से जुड़े सभी मौजूद साक्ष्य इकट्ठे कर ले।                                                                    |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को अवैध यौन व्यापार से जुड़े साक्ष्यों को इकट्ठा करने से जुड़े कानूनों के बारे में NGO को बताना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस सभी मौजूद साक्ष्यों को अपने कब्जे में ले ले। |

## चरण 1.9 अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बयान रिकॉर्ड करना

|          |                                                                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बयान रिकॉर्ड करने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए।                              |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को पीड़ितों के बयानों को रिकॉर्ड करने का काम शुरू होने से पहले उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताना चाहिए। |

## चरण 1.10 पीड़ितों की सुरक्षा करने वाली अभिरक्षा सुनिश्चित करना

|          |                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | जब बचाए गए व्यक्तियों को मैजिस्ट्रेट या CWC के सामने पेश किया जाए तो NGO को उनके साथ होना चाहिए।                |
| अधिवक्ता | जब बचाए गए पीड़ितों को मैजिस्ट्रेट या CWC के सामने पेश किया जाए तो अधिवक्ता को NGO को सलाह व सहायता देनी चाहिए। |

## 2.0 अवैध यौन व्यापार के दोषियों पर अभियोजन की कार्यविधियों का सारांश

2.1

अवैध यौन व्यापार की प्राथमिकी दर्ज कराना

पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी अवैध यौन व्यापार की सूचना को प्राथमिकी (FIR) के रूप में दर्ज करता है और जाँच व गिरफ्तारी की कार्यवाही के साथ आगे बढ़ता है; वह यह सुनिश्चित करता है कि प्राथमिकी में सभी धाराएँ शामिल की जाएँ और प्राथमिकी की प्रति शिकायतकर्ता को देता है।

2.2

मैजिस्ट्रेट या CWC के सामने पीड़ितों को पेश करना

मैजिस्ट्रेट चिकित्सीय जाँच और आश्रय गृह में अस्थायी निवास का आदेश देते हैं; CWC अवयवों के बयान लेती है और गृह जाँच रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षित अभिरक्षा पर निर्णय लेती है; महिला पुलिस हवलदार उन्हें चिकित्सीय जाँच और आश्रय स्थल तक ले जाती है।

2.3

अवैध यौन व्यापार के आरोपितों को गिरफ्तार करना

पुलिस आरोपितों को गिरफ्तार करती है और जाँच के साथ तेज़ी से आगे बढ़ती है।

2.4

अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए वकालतनामा और आवेदन दायर करना

पीड़ित का अधिवक्ता पीड़ित के प्रतिनिधित्व के लिए और अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए न्यायालय में आवेदन दायर करता है; कोई कानूनी सेवाएँ प्राधिकार अधिवक्ता कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकता है।

2.5

आरोपित दोषियों के जमानत आवेदन का विरोध करना

आरोपित द्वारा जो भी जमानत याचिकाएँ दायर की जाएँ उनका विरोध करने के लिए अधिवक्ता पुलिस और सरकारी अभियोजक के साथ कार्य करता है।

2.6

जाँच के दौरान बयान दर्ज करना

पुलिस पीड़ितों का साक्षात्कार लेकर उनके बयान दर्ज करती है; बयान पुलिस स्टेशन में नहीं बल्कि पीड़ित के लिए किसी सुविधाजनक स्थान पर दर्ज किए जाने चाहिए। जरूरी हो तो पिछले बयानों का पूरण करें।

2.7

अपराधियों को निकालना और वेश्यालय बंद कराना

मैजिस्ट्रेट अपराधियों को निकालने का आदेश देते हैं; अवैध यौन व्यापार हुआ है उन व्यवसायों के लाइसेंस निलंबित करने का आदेश देते हैं; मैजिस्ट्रेट पीड़ितों को किसी संरक्षण गृह या देखभाल इकाई में रखने का आदेश देते हैं; पुलिस वेश्यालयों को बंद करके सील करती है।

2.8

अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन दायर करना

न्यायालय अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने का आदेश देता है।

2.9

अवैध यौन व्यापार आरोप-पत्र दायर करना

जाँच अधिकारी (पुलिस) देरी किए बिना और, यदि संभव हो तो, प्राथमिकी से 90 दिनों के भीतर आरोप-पत्र दायर करता है।

2.10

मुकदमे का उपयुक्त मंच सुनिश्चित करना

आरोप-पत्र दायर होने के बाद न्यायाधीश मामले का संज्ञान लेते हैं और उसे उचित न्यायालय को सौंप देते हैं।

2.11

अवैध यौन व्यापार के आरोप लगाना

न्यायालय आरोपितों पर समयबद्ध ढंग से आरोप (जिनमें तथ्यों द्वारा समर्थित सारे लागू अपराध शामिल हैं) लगाता है और उनसे सफाई माँगता है (दोष स्वीकार लेने पर मुकदमा समाप्त हो जाता है)।

2.12

अवैध यौन व्यापार की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की सहायता करना

अधिवक्ता को सभी सुनवाईयों में सरकारी अभियोजक की सहायता करनी चाहिए और आवश्यक होने पर न्यायालय में पीड़ित की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए।

2.13

अवैध यौन व्यापार के गवाहों को गवाही के लिए तैयार करना

न्यायालय को पीड़ित के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए उपाय करने चाहिए, विशेष रूप से उन मामलों में जिनमें बाल पीड़ित शामिल हैं; अधिवक्ताओं को पीड़ितों को मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा (जिरह) के लिए तैयार करना चाहिए; यदि आवश्यक हो तो एकांत में कार्यवाही की माँग करें।

2.14

अवैध यौन व्यापार सिद्ध करने के लिए अंतिम तर्क प्रस्तुत करना

अधिवक्ता, सरकारी अभियोजक के माध्यम से न्यायालय के समक्ष अंतिम तर्कों की प्रस्तुति के लिए लिखित निवेदन तैयार करके उन्हें दायर करता है; अधिवक्ता अंतिम मौखिक तर्क प्रस्तुत करता है।

2.15

निर्णय प्राप्त करना

न्यायालय सभी पक्षों को निर्णय की प्रमाणित प्रतियाँ प्रदान करता है।

2.16

अपील दायर करना

न्यायालय सभी पक्षों की अपीलें, यदि दायर की गई हों, पर उचित रूप से विचार करता है।

## 2.0 अवैध यौन व्यापार के दोषियों पर अभियोजन चलाना

| चरण 2.1  | अवैध यौन व्यापार की प्राथमिकी दर्ज कराना                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | जिस पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में अवैध यौन व्यापार हुआ है उस पुलिस स्टेशन में NGO को प्राथमिकी (FIR) दर्ज करानी चाहिए।               |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राथमिकी में सारे लागू अवैध यौन व्यापार अपराध और अन्य अपराध शामिल करके प्राथमिकी रजिस्टर की जाए। |

| चरण 2.2  | मैजिस्ट्रेट या CWC के सामने पीड़ितों को पेश करना                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाए गए वयस्कों को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए और बचाए गए अवयवों को बाल कल्याण समिति (CWC) के सामने पेश किया जाए। |
| ADVOCATE | अधिवक्ता को अधिकारियों को यह बताना चाहिए कि यदि वे संशय में हों तो पीड़ितों को अवयव मानें।                                                                |

| चरण 2.3  | अवैध यौन व्यापार के आरोपितों को गिरफ्तार करना                                                                                                                        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को अवैध यौन व्यापार अपराधों के सभी आरोपितों को तुरंत गिरफ्तार करने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए।                                                               |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को CrPC के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोपितों की तुरंत गिरफ्तारी में पुलिस की सहायता करनी चाहिए और पुलिस को तेज़ी से जाँच आगे बढ़ाने को प्रेरित करना चाहिए। |

| चरण 2.4  | अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए वकालतनामा और आवेदन दायर करना                                                                                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अवैध यौन व्यापार के पीड़ित अधिवक्ता को आवश्यक जानकारी दें और यह कि जब पीड़ित अधिवक्ता से मिलें तब उन्हें महिला परामर्शदाता या महिला कानूनी संरक्षक उपस्थित हों।                |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को उनके कानूनी परामर्शदाता के रूप में वकालतनामा दायर करने के लिए अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों की सहमति लेनी चाहिए और अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए CrPC की धारा 301(2) के तहत एक आवेदन दायर करना चाहिए। |

| चरण 2.5  | आरोपित दोषियों के जमानत आवेदन का विरोध करना                                                                                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO प्रतिनिधियों को आरोपितों द्वारा दायर जमानत आवेदनों के संबंध में जो भी सूचना मिले उसे तुरंत अधिवक्ता तक पहुँचाने में अपनी ओर से सक्रिय रहना चाहिए।                                     |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को मौखिक और लिखित रूप में जमानत का विरोध करने के लिए और, यदि जमानत स्वीकृत होती है तो जमानत की कठोर शर्तों के पक्ष में तर्क रखने के लिए, सभी जमानत सुनवाईयों में भाग लेना चाहिए। |

| चरण 2.6  | जाँच के दौरान बयान दर्ज करना                                                                                                                                                                                                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | जब पीड़ितों के गवाही बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हों तब NGO प्रतिनिधियों को पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए और इस प्रक्रिया के दौरान पीड़ितों को अच्छी गुणवत्ता की परामर्श सहायता प्रदान करनी चाहिए।                              |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को CrPC की धारा 161 के तहत संबंधित गवाहों के गवाही बयान रिकॉर्ड करने में पुलिस को सलाह देनी चाहिए और यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों के बयान CrPC की धारा 164 के तहत मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किए जाएँ। |

| चरण 2.7  | अपराधियों को निकालना और वेश्यालय बंद कराना                                                                                                                                              |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को अधिवक्ता को इतनी जानकारी प्रदान करनी चाहिए कि वह संबंधित प्राधिकरणों के सामने वेश्यालय या शोषण के स्थान को बंद करने, सील करने और/या खाली करने की याचिकाएँ और अभिवेदन पेश कर सके। |
| अधिवक्ता | जिस इकाई में अवैध यौन व्यापार चल रहा था उस इकाई को बंद/सील करने की याचिका अधिवक्ता को मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए।                                                         |

| चरण 2.8  | अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन दायर करना                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को CrPC की धारा 357 के तहत न्यायालय के समक्ष क्षतिपूर्ति के आवेदन प्रस्तुत करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।                |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को CrPC की धारा 357 के तहत न्यायालय के समक्ष अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों की ओर से क्षतिपूर्ति का आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए। |

| चरण 2.9  | अवैध यौन व्यापार आरोप-पत्र दायर करना                                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को आरोप-पत्र दायर किए जाने के संबंध में अधिवक्ता से नियमित रूप से संपर्क करके पूछते रहना चाहिए।                                      |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को पुलिस और सरकारी अभियोजक के साथ निकटता से कार्य करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोप-पत्र निर्धारित अवधि के भीतर दायर हो जाए। |

| चरण 2.10 | मुकदमे का उपयुक्त मंच सुनिश्चित करना                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | आरोप-पत्र दायर हो जाने पर, अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोपों के आधार पर मामले को उपयुक्त मंच के सुपुर्द किया जाए। |

| चरण 2.11 | अवैध यौन व्यापार के आरोप लगाना                                                                                                                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | न्यायालय में आरोप-पत्र दायर हो जाने पर, NGO को अधिवक्ता से नियमित रूप से संपर्क करके पूछते रहकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोप शीघ्रता से लगाए जाएँ। |
| अधिवक्ता | आरोप-पत्र दायर हो जाने पर, अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायालय के समक्ष आरोप जल्द-से-जल्द लगा दिए जाएँ।                                   |

| चरण 2.12 | अवैध यौन व्यापार की सभी सुनवाईयों में अभियोजन पक्ष की सहायता करना                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | मुकदमा शुरू हो जाने पर, NGO के एक प्रतिनिधि को सभी आवश्यक सुनवाईयों में न्यायालय में उपस्थित रहना चाहिए।                           |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को न्यायालय की हर सुनवाई में उपस्थित रहना चाहिए और मुकदमे के हर चरण में सरकारी अभियोजक की सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए। |

| चरण 2.13 | अवैध यौन व्यापार के गवाहों को गवाही के लिए तैयार करना                                                                                                                                              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | मुकदमे के दौरान, NGO को पीड़ितों को निडरता से, शुद्धता से, और स्पष्टता से गवाही देने का परामर्श देकर उन्हें उनकी गवाही के लिए तैयार होने में सहायता देनी चाहिए।                                    |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को अभियोजन पक्ष के गवाहों को मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा (जिरह) के लिए तैयार करने में सरकारी अभियोजक की सहायता करनी चाहिए, ताकि वे निडरता से, शुद्धता से, और स्पष्टता से गवाही दे सकें। |

| चरण 2.14 | अवैध यौन व्यापार सिद्ध करने के लिए अंतिम तर्क प्रस्तुत करना                                                                                                                                                                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | मुकदमे में बाद के चरण में, NGO को अधिवक्ता को व्यापक लिखित निवेदन दायर करने में सहायता के लिए अधिकतम संभव जानकारी प्रदान करनी चाहिए।                                                                                                                                      |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को, सरकारी अभियोजक के माध्यम से (या यदि अभियोजक सहायता से मना करे तो सीधे) न्यायालय के समक्ष अंतिम तर्कों की प्रस्तुति के लिए लिखित निवेदन तैयार करके उन्हें दायर करना चाहिए। न्यायालय द्वारा अनुमति मिल जाने पर अधिवक्ता को अंतिम मौखिक तर्क भी पेश करने चाहिए। |

| चरण 2.15 | निर्णय प्राप्त करना                                                                                  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को न्यायालय से अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए। |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन करने चाहिए।                               |

| चरण 2.16 | अपील दायर करना                                                                                  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को, यदि आवश्यक हो तो, अपील तैयार करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।                    |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को, यदि आवश्यक हो तो, प्रतिकूल निर्णय के विरुद्ध अपील या संशोधन आवेदन दायर करना चाहिए। |

# 3.0 अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों की बहाली की कार्यविधियों का सारांश



## चिकित्सीय देखभाल तक तुरंत पहुँच सुनिश्चित करना

मैजिस्ट्रेट पीड़ित की सहमति के साथ और महिला डॉक्टर की देखरेख में चिकित्सीय जाँच, HIV परीक्षण, और यौन दुर्व्यवहार परीक्षण का आदेश देते हैं; अवयस्क पीड़ितों को CWC भेजा जाता है; पुलिस अपनी सुरक्षा में पीड़ितों की चिकित्सीय जाँच करवाती है और बचाव स्थल से पीड़ितों का सामान लाती है।



## पीड़ितों को सुरक्षित अभिरक्षा में पहुँचाना

मैजिस्ट्रेट पीड़ितों को सुरक्षात्मक आश्रय गृह में रखने के संबंध में आदेश देते हैं; समाजसेवी पीड़ितों को गृह में रखते हैं और यदि वे मैजिस्ट्रेट या CWC से मिलने के लिए गृह से निकलते हैं तो समाजसेवी उनके साथ जाते हैं।



## परामर्श सेवाओं तक पहुँचना सुगम बनाना

आश्रय गृह में रखे जाने से 48 घंटे के भीतर महिला परामर्शदाता पीड़ितों से मिलती हैं (गृह की अनुमति से); मैजिस्ट्रेट परामर्श योजनाओं के स्वीकृति आदेश जारी करते हैं।



## गृह सत्यापन रिपोर्ट जमा करना

मैजिस्ट्रेट/CWC गृह सत्यापन रिपोर्ट का आदेश देते हैं और सुरक्षा की गारंटी देने वाली रिपोर्ट जमा होने से पहले पीड़ितों को किसी की भी अभिरक्षा में सौंपने का विरोध करते हैं।



## अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करना

जिला प्रशासन अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं के तहत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने में पीड़ितों की सहायता करता है।



## अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों को वापस घर पहुँचाना या उनका पुनर्वास करना

घर वापसी के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में सहायता करें; यदि गृह सत्यापन रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि पीड़ित का परिवार देखभाल और सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है तो मैजिस्ट्रेट/CWC सुरक्षात्मक गृह में ठहराव को बढ़ा सकते हैं।



## सरकारी पात्रताओं तक पहुँचना सुगम बनाना

भोजन, कपड़े, आश्रय, भू-अधिकार, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श और अन्य पात्रताओं से संबंधित निजी क्षेत्र के संसाधनों की पहुँच प्रदान करने में सहायता करें।



## निजी क्षेत्र के संसाधनों की पहुँच सुगम बनाना

भोजन, कपड़े, आश्रय, भू-अधिकार, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श और अन्य पात्रताओं से संबंधित निजी क्षेत्र के संसाधनों की पहुँच प्रदान करने में सहायता करें।



## पीड़ितों की स्थायी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना

पीड़ितों को दोबारा मानव व्यापार में फँसने से बचाने के लिए और उनका समाज में वापस एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए NGO के साथ कार्य करें; आवश्यकतानुसार फ़ॉलो अप करते रहें।

# 3.0 अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों की बहाली

## चरण 3.1

### चिकित्सीय देखभाल तक तुरंत पहुँच सुनिश्चित करना

NGO

NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अवैध यौन व्यापार पीड़ितों की चिकित्सीय जाँच हो और उन्हें जो भी चिकित्सीय देखभाल चाहिए हो वह उन्हें मिले।

अधिवक्ता

अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अवैध यौन व्यापार पीड़ितों के निजता के अधिकार और अन्य अधिकारों का सम्मान करते हुए चिकित्सीय जाँच की जाए और अविलंब देखभाल प्रदान की जाए।

## चरण 3.2

### पीड़ितों को सुरक्षित अभिरक्षा में पहुँचाना

NGO

NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित को सुरक्षित ढंग से किसी सुरक्षात्मक आश्रय गृह पहुँचाया जाए।

अधिवक्ता

पीड़ित को सुरक्षित ढंग से किसी सुरक्षात्मक आश्रय गृह पहुँचाया जाए यह सुनिश्चित करने के लिए अधिवक्ता को सरकारी प्राधिकरणों के समक्ष पीड़ित और NGO को सलाह और सहायता देनी चाहिए।

## चरण 3.3

### परामर्श सेवाओं तक पहुँचना सुगम बनाना

NGO

NGO को पीड़ित के उबरने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए उसे प्रशिक्षित और अर्ह महिला परामर्शदाताओं तक की पहुँच प्रदान करनी चाहिए।

अधिवक्ता

अधिवक्ता को पीड़ित के परामर्श के अधिकार और अन्य देखभाल सेवाओं के अधिकार के बारे में पीड़ित और NGO को बताना चाहिए।

## चरण 3.4

### गृह सत्यापन रिपोर्ट जमा करना

NGO

NGO को पीड़ित के परिवार और सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित विवरणों के सत्यापन के बाद एक भली-भाँति दस्तावेजीकृत गृह सत्यापन रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए।

अधिवक्ता

अधिवक्ता को यह अनुरोध करना चाहिए कि CWC/मैजिस्ट्रेट गृह सत्यापन रिपोर्ट का आदेश दें और गृह सत्यापन रिपोर्ट जमा होने से पहले पीड़ितों को किसी की भी अभिरक्षा में सौंपने का विरोध करें।

## चरण 3.5

### पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करना

NGO

NGO को क्षतिपूर्ति के आवेदन दायर करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए और जब पीड़ितों को उपयुक्त मंचों के समक्ष उपस्थित होने को बुलाया जाए तो उनके साथ जाना चाहिए।

अधिवक्ता

अधिवक्ता को उपयुक्त मंच के समक्ष पीड़ित की ओर से क्षतिपूर्ति के आवेदन दायर करने चाहिए।

| चरण 3.6  | अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों को वापस घर पहुँचाना या उनका पुनर्वास करना                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को पीड़ितों की सुरक्षित घर वापसी या पुनर्वास में सहायता करनी चाहिए।                                                   |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को पीड़ित की घर वापसी या पुनर्वास से जुड़े कानूनी मामलों के बारे में पीड़ित और NGO को सलाह और सहायता देनी चाहिए। |

| चरण 3.7  | सरकारी पात्रताओं तक पहुँचना सुगम बनाना                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को नक़दी (बंधुआ श्रम और वेश्यालय आदि से बचाए गए पीड़ितों के पुनर्वास के लिए हाल ही में नवीनीकृत CSS-2021 के तहत ₹3,00,000.00) और गैरनक़दी घटकों जैसे शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श आदि से संबंधित सरकारी पात्रताओं, और अन्य पात्रताओं तक पहुँचने में अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए। |
| अधिवक्ता | यदि उक्त सरकारी पात्रताओं से अनुचित ढंग से मना कर दिया जाए तो अधिवक्ता को सरकारी एजेंसियों से उक्त पात्रताएँ प्रदान करने की प्रार्थना करने में NGO और बंधुआ श्रम पीड़ितों को कानूनी सहायता देनी चाहिए।                                                                                                                   |

| चरण 3.8 | निजी क्षेत्र के संसाधनों की पहुँच सुगम बनाना                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO     | NGO को शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श और अन्य पात्रताओं से संबंधित निजी क्षेत्र (NGO और व्यवसायों) के उपलब्ध संसाधनों तक पहुँचने में अवैध यौन व्यापार पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए। |

| चरण 3.9  | पीड़ितों की स्थायी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना                                                                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO      | NGO को बचाव से लेकर कम-से-कम 24 माह तक अवैध यौन व्यापार पीड़ित के साथ निरंतर संबंध बनाए रखना चाहिए ताकि पीड़ितों का स्थायी पुनर्वास और स्थायी स्वतंत्रता सुनिश्चित हों। |
| अधिवक्ता | अधिवक्ता को समुदाय में पीड़ित के अधिकारों के बारे में सलाह और परामर्श प्रदान करने के लिए पीड़ित के लिए सुलभ बने रहना चाहिए।                                             |

# भारत में मानव व अवैध यौन व्यापार का सिंहावलोकन और संदर्भ

# अवैध यौन व्यापार के दोषियों पर अभियोजन चलाना

ऐतिहासिक रूप से, दासता को अक्सर कानूनी स्वीकृति मिलती थी। हालाँकि अब दासों के व्यापार का उन्मूलन कर दिया गया है और दुनिया भर में इसे गैरकानूनी माना जाता है, पर आज भी यह अपने आधुनिक रूप में मौजूद है। वर्तमान में, 4.03 करोड़ से भी अधिक लोग आधुनिक दासता में फँसे हुए हैं, और यह उद्योग प्रति वर्ष \$150 अरब का उद्योग है।<sup>4</sup>

**आधुनिक दासता के रूप**  
दासता के उन्मूलन से पहले, इसमें कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का स्वामी होता था और दास को किसी खरीदने-बेचने योग्य वस्तु के रूप में पेश किया जाता था। हालाँकि, दासता के आधुनिक रूप घरेलू दासता, 5 बंधुआ श्रम या ऋण बंधन, कृषिदासता (जिसमें व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के लिए उसकी भूमि पर रहना और कार्य करना पड़ता है), बलात् श्रम, बाल दासता, और वैवाहिक व यौन दासता<sup>6</sup> में देखे जा सकते हैं।

‘मानव व्यापार’ और ‘आधुनिक दासता’, इन शब्दों का उपयोग अक्सर एक ही अर्थ में किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य विभाग की व्यक्तियों का मानव व्यापार रिपोर्ट (ट्रेफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट या “TIP रिपोर्ट”) 2018 के अनुसार, “व्यक्तियों का व्यापार” (ट्रेफिकिंग इन पर्सन्स), “मानव व्यापार” (ह्यूमन ट्रेफिकिंग) और “आधुनिक दासता” (मॉडर्न स्लेवरी) व्यापक शब्द हैं जिनमें बल, धोखाधड़ी, या दबाव के उपयोग के माध्यम से बलात् श्रम या वाणिज्यिक यौन कृत्यों के लिए किसी व्यक्ति को भर्ती करना, शरण देना, उसका परिवहन करना, उसे किसी को प्रदान करना या किसी से प्राप्त करना शामिल है।<sup>7</sup> इस प्रकार, मानव व्यापार में व्यक्तियों को लाना-ले जाना ही नहीं बल्कि उन्हें दास बनाने की अवधारणा भी शामिल है।<sup>8</sup>



**मानव व्यापार की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा**  
वित्तीय दृष्टि से देखें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराधों की सूची में मानव व्यापार का तीसरा स्थान है, पहले स्थान पर हथियारों और दूसरे स्थान पर मादक पदार्थों का अवैध व्यापार आता है।<sup>9</sup> पलर्मो (Palermo) प्रोटोकॉल (व्यक्तियों के, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के, व्यापार की रोकथाम, का दमन, और को दंडित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का प्रोटोकॉल) एक व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा में “व्यक्तियों के व्यापार” को इस प्रकार परिभाषित करता है:

“शोषण के प्रयोजन से, बल या दबाव के अन्य रूपों, अपहरण, धोखाधड़ी, छल-कपट, शक्ति या असुरक्षा की किसी स्थिति के दुरुपयोग की धमकियों या के उपयोग द्वारा, या किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति की सहमति पाने के लिए भुगतान या लाभ देने या पाने के उपयोग द्वारा, व्यक्तियों की भर्ती, उनका परिवहन, स्थानांतरण, उन्हें आश्रय देना, या उनकी प्राप्ति।” शोषण में, न्यूनतम तौर पर, अन्य व्यक्तियों की वेश्यावृत्ति का शोषण या यौन शोषण के अन्य रूप, बलात् श्रम या सेवाएँ, दासता या दासता जैसी प्रथाएँ, दासत्व या अंगों का निकाला जाना शामिल होगा।<sup>10</sup>

## इस परिभाषा के अनुसार, मानव व्यापार के तीन घटक होते हैं:

- (1) कृत्य (क्या किया जाता है): व्यक्तियों की भर्ती, उनका परिवहन, स्थानांतरण, उन्हें आश्रय देना, या उनकी प्राप्ति;
- (2) साधन (यह कैसे किया जाता है): बल या दबाव के अन्य रूपों, अपहरण, धोखाधड़ी, छल-कपट, शक्ति या असुरक्षा की किसी स्थिति के दुरुपयोग की धमकियाँ या का उपयोग, या किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति की सहमति पाने के लिए भुगतान या लाभ देने या पाने का उपयोग; और
- (3) प्रयोजन (यह क्यों किया जाता है): शोषण के प्रयोजन से। शोषण में, न्यूनतम तौर पर, अन्य व्यक्तियों की वेश्यावृत्ति का शोषण या यौन शोषण के अन्य रूप, बलात् श्रम या सेवाएँ, दासता या दासता जैसी प्रथाएँ, दासत्व या अंगों का निकाला जाना शामिल होगा।

इन तीन घटकों को नीचे चित्र रूप में दिखाया गया है।<sup>11</sup>



## मानव व्यापार के वे रूप जिन्हें पूरी दुनिया में अवैध माना जाता है

संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय की व्यक्तियों का वैश्विक व्यापार 2014 रिपोर्ट के अनुसार, मानव व्यापार के दो सबसे आम रूप बलात् श्रम और यौन शोषण हैं।<sup>12</sup> इंटरपोल मानव व्यापार के इन दो प्रमुख रूपों को, और बलात् मानव गतिविधि के लिए मानव व्यापार, “मानव तस्करी”, और अंग निकालने हेतु मानव व्यापार को भी

अपराध मानती है।<sup>13</sup> मानव व्यापार किस प्रकार के शोषण के लिए किया जा रहा है इस आधार पर मानव व्यापार अलग-अलग प्रकार का होता है। मोटे तौर पर, दुनिया भर में मानव व्यापार के सबसे आम रूप इस प्रकार हैं:<sup>14</sup>

<sup>4</sup> “Prevalence: Global Slavery Index”, Global Slavery Index, 2018. यहाँ उपलब्ध: <<http://www.globalslaveryindex.org/findings/>>.

<sup>5</sup> ‘Slavery Today,’ End Slavery Now. यहाँ उपलब्ध: <http://www.endslaverynow.org/learn/slavery-today>

<sup>6</sup> ‘Modern slavery’, Ethics guide, BBC. यहाँ उपलब्ध: <[http://www.bbc.co.uk/ethics/slavery/modern/modern\\_1.shtml](http://www.bbc.co.uk/ethics/slavery/modern/modern_1.shtml)>

<sup>7</sup> ‘The Face of Modern Slavery/Trafficking in Persons Report’, 2018, pp.32-33. यहाँ उपलब्ध: <<https://www.state.gov/wpcontent/uploads/2019/01/282798.pdf>>.

<sup>8</sup> ‘Modern Slavery?’, Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, U.S. Department of State, Diplomacy in Action. यहाँ उपलब्ध: <<http://www.state.gov/what-is-modern-slavery>>.

<sup>9</sup> Malhotra D., Trafficking of Women and Children: A Culture of Silence, Eastern Book Company, PL Web Jour 1, 2005.

<sup>10</sup> Article 3(a), Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children . यहाँ उपलब्ध: <<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolTraffickingInPersons.aspx>>.

<sup>11</sup> ‘Elements of Human Trafficking; What is Human Trafficking?’, UNODC on trafficking in persons and smuggling of migrants, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). यहाँ उपलब्ध: <<https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?ref=menusid>>.

<sup>12</sup> Global Trafficking in Persons Report, 2020, UNODC. यहाँ उपलब्ध: <https://www.unodc.org/unodc/data-and-analysis/glotip.html>

<sup>13</sup> ‘Types of Human Trafficking’, Crime Areas: Trafficking in Human Beings, Interpol. यहाँ उपलब्ध: <<https://www.interpol.int/en/Crimes/Human-trafficking/Types-of-human-trafficking>>.

<sup>14</sup> मानव व्यापार की परिभाषाओं के लिए सामान्यतः “Forms of Slavery,” End Slavery Now, देखें जो यहाँ उपलब्ध है: <http://endslaverynow.org/learn>

### अवैध यौन व्यापार / वाणिज्यिक यौन शोषण

जब किसी वयस्क को किसी वाणिज्यिक यौन कृत्य, जैसे वेश्यावृत्ति, में लिस होने के लिए मज़बूर किया जाता है, धमकाया जाता है या धोखाधड़ी से विवश किया जाता है।<sup>15</sup>

### बाल यौन व्यापार / वाणिज्यिक यौन शोषण

जब किसी बच्चे (18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति) को किसी वाणिज्यिक यौन कृत्य में लिस होने के लिए मज़बूर किया जाता है।<sup>16</sup>

### बलात् श्रम और बंधुआ श्रम

जब मनोरंजन उद्योग, घरेलू कार्यों, कालीन उद्योग, कपड़ा उद्योग, ऊँटों के खेल में ऊँटों पर सवारी, ईंट उद्योग, कृषि आदि में काम करवाने के प्रयोजन से बलात् या शोषक श्रम के पीड़ितों का व्यापार किया जाता है।

बंधुआ श्रम, ऋणग्रस्तता का परिणाम है जो समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों का शोषण करता है। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी ऋण के बदले ऋणदाता को सेवाएँ प्रदान करने पर सहमत होता है। भारत में, कभी-कभी ऐसा होता है कि उच्च ब्याज दर पर उधार ली गई किसी मामूली राशि को चुकाने के लिए एक के बाद एक कई पीढ़ियाँ बंधुआ श्रम करती जाती हैं।<sup>17</sup>



### भीख माँगना

जब मानव व्यापारी महिलाओं और बच्चों को प्राप्त करके उन्हें भीख माँगने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रख देते हैं। चूँकि अशक्त बच्चों से भीख माँगवाने से अधिक मुनाफ़ा होता है, अतः मानव व्यापारी कभी-कभी बच्चों को अपंग बना देते हैं ताकि भिखारियों के रूप में उनका मूल्य बढ़ जाए।

### अंग प्रत्यारोपण

जब मानव व्यापारी मुनाफ़े हेतु अंगों के प्रत्यारोपण के लिए अक्सर व्यक्तियों का शोषण करते हैं। कुछ मामलों में पीड़ित को पता नहीं होता कि उसके अंग निकाले जा रहे हैं, और कुछ मामलों में व्यक्ति गहरे आर्थिक संकट के कारण अपने अंग निकलवाने पर सहमत हो जाते हैं।

### मानव व्यापार की संचालक शक्तिया

मानव व्यापार कई कारकों के कारण होता है, जो अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग होते हैं। हालाँकि, मानव व्यापार में दो कारक सामान्यतः आम हैं और वे विभिन्न क्षेत्रों, पैटर्नों या मामलों में देखे जा सकते हैं:<sup>18</sup>

बंधुआ श्रम, ऋणग्रस्तता का परिणाम है जो समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों का शोषण करता है। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी ऋण के बदले ऋणदाता को सेवाएँ प्रदान करने पर सहमत होता है। भारत में, कभी-कभी ऐसा होता है कि उच्च ब्याज दर पर उधार ली गई किसी मामूली राशि को चुकाने के लिए एक के बाद एक कई पीढ़ियाँ बंधुआ श्रम करती जाती हैं।<sup>17</sup>

- गरीबी
- दमन
- मानवाधिकारों का उल्लंघन
- सामाजिक या आर्थिक अवसरों का अभाव
- टकरावों या अस्थिरता से उत्पन्न खतरे
- धार्मिक या नस्लीय अत्याचार या भेदभाव
- प्राकृतिक आपदाएँ

ये कारक संभावित पीड़ितों को दासता की परिस्थितियों में प्रवेश करने या जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में स्थानांतरण करने का कारण बनते हैं, जिनसे वे मानव व्यापारियों के नियंत्रण में फँस जाते हैं। जनसमूहों की अस्थिरता और उनके विस्थापन का कारण बन सकने वाली अस्थिर स्थितियाँ भी शोषण और दुर्व्यवहार के प्रति उनकी असुरक्षा को बढ़ाती हैं। अनाथों और बच्चों को विशेष रूप से निशाना बनाया जाता है। लोगों को स्थानांतरण के लिए आकर्षित करने वाले आकर्षण कारक: लोग बेहतर स्थितियों वाले स्थानों की ओर आकर्षित होते हैं। स्थानांतरण के दौरान उनके मानव व्यापारियों के चंगुल में फँसने की संभावना अधिक होती है।

बिचौलिये अक्सर संभावित नियोक्ता और प्रवासी श्रमिकों के बीच के एक महत्वपूर्ण पुल का काम करते हैं। प्रवासी श्रमिक को उसके रोज़गार के स्थान पर पहुँचाने की व्यवस्थाएँ करने के लिए प्रवासी श्रमिक की बिचौलिये या श्रमिक दलाल पर जो निर्भरता होती है उससे प्रवासी श्रमिक मानव व्यापार के प्रति अधिक असुरक्षित हो जाता है, क्योंकि ये भर्तीकर्ता अक्सर झूठे वादे करते हैं या प्रत्यक्ष रूप से मानव व्यापार करवाते हैं।<sup>19</sup>

TIP रिपोर्ट 2018 में बताया गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक कारण, मानव व्यापार के प्रति व्यक्ति की असुरक्षा को और बढ़ाता है:<sup>20</sup>

**ऋण में हेरा-फेरी:** व्यक्ति कोई बड़ा ऋण लेता है और वह सोचता है कि रोज़गार मिल जाने पर वह उसे चुका देगा, और इस प्रकार वह मानव व्यापार के प्रति असुरक्षित हो जाता है। हालाँकि, रोज़गार शुरू हो जाने पर, ब्याज दरों में

वृद्धि, न्यूनतम भुगतान की स्थितियाँ, और रोज़गार की शर्तें ऋण की चुकौती को असंभव या अव्यावहारिक बना देती हैं।

**अनुबंध में धोखाधड़ी या बदलाव:** जब कार्य की स्थितियाँ मनमाने ढंग से बदली जाती हैं, या जब रोज़गार के अनुबंध का पालन नहीं किया जाता है, जिससे कर्म बलात् श्रम के प्रति असुरक्षित हो जाता है।

**दस्तावेज़ों की ज़बती और क़ानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग:** मानव व्यापारी अक्सर पीड़ितों के पहचान दस्तावेज़ों का उपयोग उनका शोषण और दुरुपयोग करने के लिए उन्हें रोज़गार के किसी स्थान विशेष पर मज़बूरन ठहराने के लिए करते हैं।



<sup>15</sup> TIP Report, US Department of State, 2018, p. 34. यहाँ उपलब्ध: <<https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/282798.pdf>>.

<sup>16</sup> पूर्वोक्त।

<sup>17</sup> देखें Handbook on Bonded Labour, National Human Rights Commission, India. यहाँ उपलब्ध: [http://nhrc.nic.in/sites/default/files/Hand\\_Book\\_Bonded\\_Labour\\_08022019.pdf](http://nhrc.nic.in/sites/default/files/Hand_Book_Bonded_Labour_08022019.pdf).

<sup>18</sup> 'Tool 9.2: Addressing the root causes of trafficking', UNODC Toolkit to Combat Trafficking in Persons, p. 454. यहाँ उपलब्ध: <[https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296\\_tool\\_9-2.pdf](https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Toolkit-files/08-58296_tool_9-2.pdf)>.

<sup>19</sup> 'Introduction: Labour Recruitment in Global Markets', TIP Report, 2015, p. 15. Available at: <<https://2009-2017.state.gov/documents/organization/245365.pdf>>.

<sup>20</sup> पूर्वोक्त, pp. 15 – 16 पर।

आधुनिक दासता से मुकाबले के 4 P और रणनीति

संयुक्त राष्ट्र ने पलर्मो प्रोटोकॉल में व्यक्तियों के व्यापार के प्रति एक चार चरणों वाली प्रतिक्रिया (जिसे “4 P” कहते हैं) का वर्णन किया है:

- प्रिवेंशन (रोकथाम)
- प्रोटेक्शन (सुरक्षा)
- प्रॉसिक्यूशन (अभियोजन)
- पार्टनरशिप (भागीदारियाँ)<sup>21</sup>

ये 4 P व्यक्तियों के व्यापार से निपटने के एक रणनीतिक ढाँचे की रचना करते हैं। चारों में से प्रत्येक रणनीति, आपूर्ति और माँग के मुद्दों से संबंध रखती है।<sup>22</sup> संबंधित उपायों के उदाहरण निम्नलिखित हैं

प्रिवेंशन (रोकथाम)

- व्यक्तियों के व्यापार की रोकथाम के क़ानून अपनाएँ या उनमें सुधार करें।
- राष्ट्रीय बाल संरक्षण तंत्रों का और रोकथाम के उपायों के विकास में बच्चों की सक्रिय भागीदारी का विकास करें।
- यक्तियों के व्यापार से संबंधिक सार्वजनिक नीतियों (प्रवास, अपराधों की रोकथाम, शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य, सुरक्षा, शून्य-भेदभाव, आर्थिक विकास, मानवाधिकारों का संरक्षण, बाल संरक्षण, लैंगिक समानता, एवं अन्य) के बीच सामंजस्य को बढ़ावा दें।
- मानव व्यापार के मूल कारणों पर ध्यान देकर मानव व्यापार के प्रति असुरक्षा को घटाने के उपायों का विकास करें और/या उन्हें और मज़बूत बनाएँ।
- रोकथाम की रणनीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव मूल्यांकन के लिए आवश्यकताओं का आकलन करें।

प्रोटेक्शन (सुरक्षा)

- पीड़ितों की पहचान की प्रक्रिया स्थापित करें या उसमें सुधार करें।
- पीड़ितों की सुरक्षा और सहायता के क़ानूनी उपाय अपनाएँ या उनमें संशोधन करें।
- अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुपालन में पीड़ितों की सुरक्षा और सहायता के उपाय विकसित करें।
- उपयुक्त जोखिम आकलन के साथ, मानव व्यापार के पीड़ितों की वापसी (यदि वे चाहें तो) सुनिश्चित करने के उपाय अपनाएँ।

प्रॉसिक्यूशन (अभियोजन)

- ऐसे राष्ट्रीय ढाँचे विकसित करें, उन्हें मज़बूती दें, और उन्हें लागू करें जो पलर्मो प्रोटोकॉल के अनुरूप हों, इसमें शामिल है:
  - व्यक्तियों के व्यापार को दंडनीय अपराध की मान्यता



- देना।
  - व्यक्तियों के व्यापार से संबंधित अन्य अपराधों, जैसे भ्रष्टाचार, धनशोधन, न्याय बाधित करना और किसी संगठित अपराधी समूह में भागीदारी, को ग़ैरक़ानूनी घोषित करना।
  - सज़ाओं और प्रतिबंधों को अपराध की गंभीरता के हिसाब से उपयुक्त और आनुपातिक बनाना और मानव व्यापार की प्राप्ति (मुनाफ़े) को ज़ब्त करना।
  - पीड़ितों के अधिकार सुनिश्चित करना, जिसमें पीड़ितों और गवाहों का सरकारी अभियोजन से पहले, के दौरान और बाद में सुरक्षा का अधिकार शामिल है, और क़ानून का पालन करने वाले विभागों, समाज कल्याण, और नागरिक समाज के बीच प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना।
  - पीड़ित की गवाही पर निर्भर हुए बिना, अपनी ओर से पहल करने वाली जाँच तकनीकें विकसित करना, और मानव व्यापार के पीड़ितों को, विशेष रूप से बच्चों को, न्यायिक प्रक्रिया के दौरान दोबारा पीड़ित होने से बचाने की न्यायिक कार्यविधियाँ लागू करना।
- राष्ट्रीय मानव-व्यापार-रोधी क़ानून लागू करें।
- विशेषज्ञ संस्थान स्थापित करें, जैसे विशेषज्ञ पुलिस इकाइयाँ और न्यायिक संरचनाएँ।

प्रॉसिक्यूशन (अभियोजन)

- राष्ट्रीय समन्वय और सहयोग
  - व्यक्तियों के व्यापार पर ऐसी साक्ष्य-आधारित नीतियाँ विकसित और लागू करें जो अन्य नीतियों से सामंजस्य में हों।
  - विभिन्न हितधारकों, जैसे सरकारी संस्थानों, NGO, पीड़ित सेवा प्रदाताओं, स्वास्थ्य संस्थानों, बाल संरक्षण संस्थानों, श्रमिक संघों, कर्मियों और नियोक्ताओं के संगठनों, और निजी क्षेत्र के बीच बहुविषयक सहयोग और समन्वय का एक तंत्र स्थापित करें।
  - प्रगति और प्रभाव के मूल्यांकन की राष्ट्रीय रणनीति-यों

और/या कार्य योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन करें।

अंतरराष्ट्रीय समन्वय और सहयोग

- अंतरराष्ट्रीय सहयोग के क़ानूनी आधारों की रचना करें और उसमें सहयोग समझौतों को बढ़ावा दिया जाना शामिल करें।
- प्रत्यर्पण, परस्पर क़ानूनी सहायता, अभियुक्तों के स्थानांतरण, संयुक्त जाँच, और मानव व्यापार की प्राप्ति (मुनाफ़े) की ज़बती के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग में राष्ट्रीय क्षमता विकसित करें या उसे और मज़बूत बनाएँ।
- मानव व्यापार के पीड़ितों की पहचान, वापसी, जोखिम आकलन और समाज में फिर से एकीकरण के लिए राष्ट्रीय क्षमताओं का विकास करें या उन्हें और मज़बूत बनाएँ, इसमें बच्चे के सर्वोत्तम हित पर विशेष ध्यान दें और गंतव्य, पारगमन और उद्गम देशों के बीच सहयोग स्थापित करें।
- संचार की कार्यविधियाँ, और सूचनाओं व आँकड़ों का आदान-प्रदान स्थापित करें।
- नीतिगत अनुशंसाओं और अंतरराष्ट्रीय व क्षेत्रीय संगठनों द्वारा दी गई तकनीकी सहायता के बीच सामंजस्य स्थापित करें।

<sup>21</sup> Counter-Trafficking in Persons Field Guide, US Agency International Development, April 2013. यहाँ उपलब्ध: <[https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/C-TIP\\_Field\\_Guide\\_Final\\_April%205%202013.pdf](https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/C-TIP_Field_Guide_Final_April%205%202013.pdf)>.

<sup>22</sup> International Framework for Action to Implement the Trafficking In Persons Protocol, UNODC, United Nations, New York 2009, pp. 10-13.

यहाँ उपलब्ध: <[https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Framework\\_for\\_Action\\_TIP.pdf](https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Framework_for_Action_TIP.pdf)>.

# अवधारणाओं का स्पष्टीकरण

प्रयोग हो रहे तकनीकी शब्दों की संख्या के कारण, मानव व्यापार को समझने के लिए कुछ अवधारणों को स्पष्ट करना/उनमें अंतर करना महत्वपूर्ण है।

## अवैध यौन व्यापार बनाम यौन कार्य

यौन शोषण के लिए मानव व्यापार का शिकार हुई महिलाओं और स्वेच्छा से यौन व्यापार में कदम रखने वाली महिलाओं के बीच अंतर किया जाना चाहिए।

## अवैध यौन व्यापार

2018 TIP रिपोर्ट<sup>23</sup> के अनुसार, अवैध यौन व्यापार का पीड़ित:

एक ऐसा वयस्क होता है जो किसी वाणिज्यिक यौन कृत्य, जैसे वेश्यावृत्ति, में लिप्त होता है और यह कृत्य ऋण बंधन (जिसमें मानव व्यापारी कहता है कि व्यक्ति के परिवहन, उसकी भर्ती, या उसकी अपरिष्कृत “बिक्री” के दौरान हुआ व्यय व्यक्ति पर ऋण है — और उस ऋण को चुकाने पर ही व्यक्ति को स्वतंत्र किया जाएगा — और इस ऋण को चुकाने के लिए व्यक्ति को वेश्यावृत्ति में बने रहने पर मजबूर किया जाता है);

ऐसी परिस्थितियों के फलस्वरूप कार्य कर रहा होता है जिनमें बल, बल की धमकियों, धोखाधड़ी, दबाव या ऐसे साधनों के किसी संयोजन का उपयोग किया गया होता है; और

कोई व्यक्ति, जिसे मानव व्यापारी कहते हैं, पीड़ित को किसी वाणिज्यिक यौन कृत्य में लिप्त करने हेतु उसका शोषण करने के प्रयोजन से पीड़ित की भर्ती करता है, उसे शरण देता है, उसका परिवहन रकता है, उसे प्रदान करता है, प्राप्त करता है, या उसका रखरखाव करता है।

उपर्युक्त परिस्थितियों में, वयस्क की वेश्यावृत्ति में भागीदारी की “सहमति” मान्य नहीं होती है।

जब इसी प्रकार किसी बच्चे को वाणिज्यिक यौन कृत्य

करवाने में लिप्त किया जाता है, तो इसे बच्चों का यौन व्यापार कहते हैं।



## अवैध यौन व्यापार

यौन कार्य का अर्थ धन या वस्तुओं के बदले यौन सेवाएँ प्रदान करने से है।<sup>24</sup>

हालाँकि अवैध यौन व्यापार का परिणाम यौन कार्य के रूप में मिलता है, पर यह आवश्यक नहीं कि यौन कार्य, अवैध यौन व्यापार का ही परिणाम हो। ऐसे भी मामले हैं जिनमें महिलाएँ स्वेच्छा से यौन व्यापार में शामिल होती हैं। वाणिज्यिक यौन शोषण के दोषियों को पलमो प्रोटोकॉल और राष्ट्रीय कानून के तहत सज़ा दी जा सकती है। इस तरह, यौन कार्य के लिए मानव व्यापार दंडनीय है, पर अपने-आप में यौन कार्य नहीं।

## मानव व्यापार बनाम प्रवास<sup>25</sup>

प्रवास का अर्थ लोगों द्वारा अपना निवास स्थान बदलने से है और नया निवास स्थान अलग ज़िले, अलग राज्य, या अलग देश में हो सकता है। यह मौसमी और अस्थायी, या स्थायी हो सकता है। प्रवासी व्यक्ति बेहतर संभावनाओं की तलाश में अपनी इच्छा से स्थानांतरण कर सकते हैं। जबकि इसके विपरीत, जब मानव व्यापारी पीड़ितों का स्थानांतरण करते हैं तो वे इसमें धोखाधड़ी, धमकियों, दबाव, डराने-धमकाने और हिंसा का सहारा लेते हैं। स्थानांतरण की अवधि के दौरान, लोगों के इन स्थानांतरणों के इरादे और उनके परिणामों को समझना हमेशा संभव नहीं होता है, उस एक अकेले कर्म के मामले में भी नहीं जो प्रवास या मानव व्यापार की प्रक्रिया के बीच में है। अक्सर, स्थानांतरण के परिणाम से तय होता है कि वह एक सुरक्षित प्रवास था या फिर मानव व्यापार। स्वैच्छिक प्रवास को मानव व्यापार समझने की ग़लती नहीं करनी चाहिए।

## बंधुआ श्रम बनाम बाल श्रम

BLA के तहत, बंधुआ श्रम एक प्रकार का बलात् श्रम है जिसमें श्रमिक किसी अग्रिम राशि या अन्य आर्थिक प्रतिफल के बदले में, या किसी “परिपाटी” या “सामाजिक दायित्व” को पूरा करने के लिए अपना श्रम प्रदान करता है। भारत में, बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 में वर्णित व्यवसायों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कार्य करने की अनुमति नहीं है। बाल श्रम के कई अलग-अलग रूप होते हैं और हालाँकि बंधुआ बाल श्रम के सभी रूप बाल श्रम हैं पर बाल श्रम के सभी रूप बंधुआ श्रम नहीं हैं। हालाँकि बच्चों में बंधुआ श्रम हो सकता है, पर यह बाल श्रम का एकमात्र रूप नहीं है।

## सहमति का विचार

बशर्ते कि मानव व्यापारी शोषण के प्रयोजन से लोगों की प्राप्ति, परिवहन, खरीद या बिक्री का इरादा रखता है, मानव व्यापार के अपराध के बचाव में “सहमति” कोई मान्य आधार नहीं है। मानव व्यापार में स्पष्ट बल प्रयोग से इतर, दबाव के अन्य प्रकार शामिल हो सकते हैं। मानव व्यापारी विभिन्न

साधनों के माध्यम से अपने पीड़ितों की पराधीनता बनाए रखते हैं – जैसे झूठे वादे, ऋण बंधन, शारीरिक और मानसिक दुर्व्यवहार, बलात्कार, यातना, और गिरफ्तारी की धमकी या पीड़ित के परिजनों को धमकियाँ। “सम्मान” की अवधारणा, विशेष रूप से अवैध यौन व्यापार के किसी पीड़ित के लिए, पीड़ितों को सहायता तलाशने या जब भागना संभव हो तब भी अपनी स्थितियों से बाहर निकलने से अक्सर रोक देती है। मानव व्यापार के पीड़ित सार्वजनिक अपमान के भय से और, संभावित रूप से समाज और अपने परिवार द्वारा और पीड़ित किए जाने के भय से, अपनी परिस्थिति से बाहर निकलने से अक्सर डरते हैं। चूँकि लगभग हमेशा ही वे आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं और उनके पास गुज़ारा करने का और कोई तात्कालिक साधन नहीं होता है, अतः परिस्थिति से निकलना उनके लिए व्यावहारिक नहीं होता है।<sup>26</sup>

<sup>23</sup>The Face of Modern Slavery:What is Trafficking in Persons?, TIP Report 2018, p. 32. यहाँ उपलब्ध

<https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/282798.pdf>.

<sup>24</sup>Overs C., 2002, Sex Workers: Part of the solution – An analysis of HIV prevention programming to prevent HIV transmission during commercial sex in developing countries. यहाँ

उपलब्ध: <https://www.who.int/hiv/topics/vct/sw\_toolkit/115solution.pdf>.

<sup>25</sup>The Difference between Trafficking and Migration, Trafficking and the Law , 2nd Ed., Socio Legal Information Centre, Human Rights Law Network, p 7.

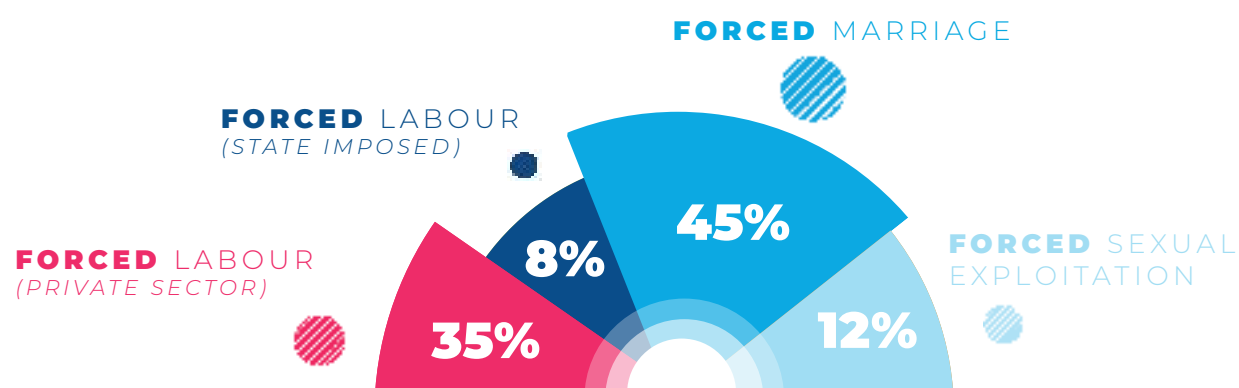
<sup>26</sup>Supra note 6

# आँकड़े

## वैश्विक दासता सूचकांक के निष्कर्ष<sup>27</sup>



नीचे ILO के अनुसार कुछ तथ्य और आँकड़े दिए गए हैं:<sup>28</sup>



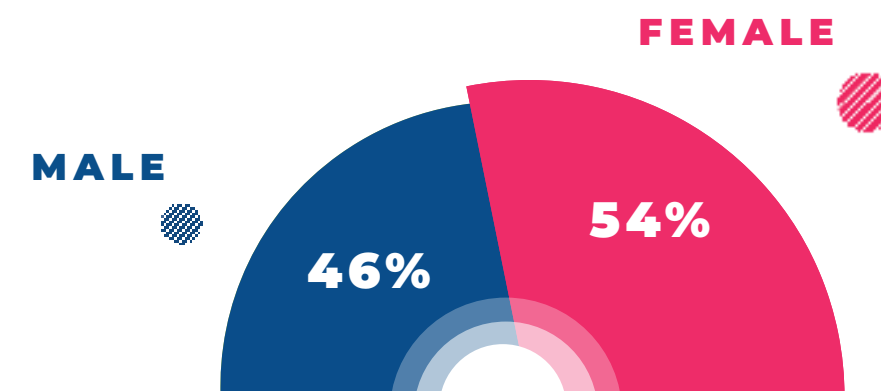
<sup>23</sup> The Face of Modern Slavery: What is Trafficking in Persons?, TIP Report 2018, p. 32. यहाँ उपलब्ध

<<https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/282798.pdf>>.

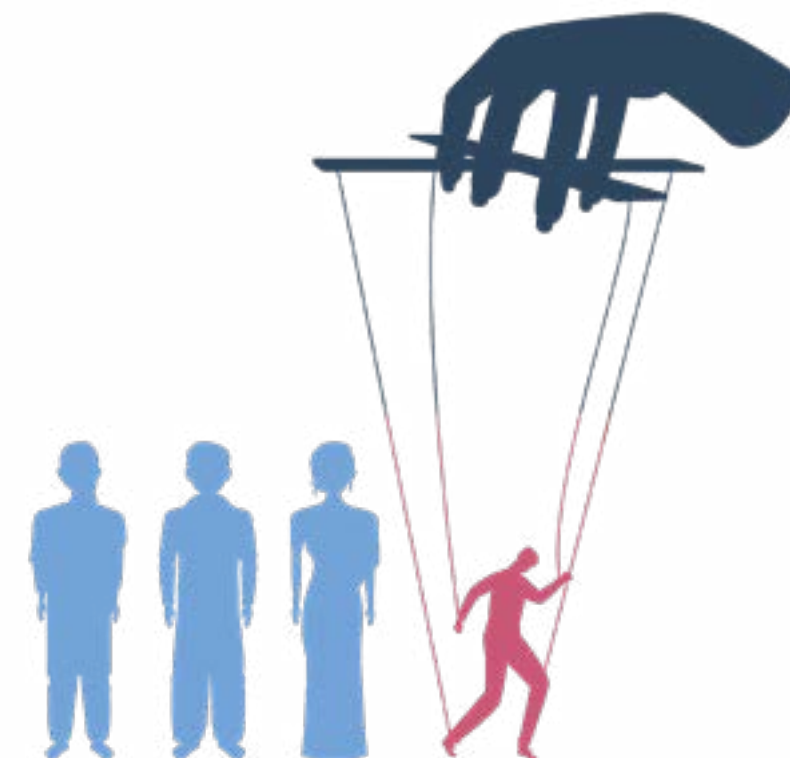
<sup>24</sup> Overs C., 2002, Sex Workers: Part of the solution – An analysis of HIV prevention programming to prevent HIV transmission during commercial sex in developing countries. यहाँ

उपलब्ध: <[https://www.who.int/hiv/topics/vct/sw\\_toolkit/115solution.pdf](https://www.who.int/hiv/topics/vct/sw_toolkit/115solution.pdf)>.

- दुनिया में हर 1,000 लोगों पर आधुनिक दासता के 5.4 पीड़ित हैं।
- महिलाएँ और लड़कियाँ बलात् श्रम से बहुत अधिक प्रभावित हैं, वे वाणिज्यिक यौन उद्योग में पीड़ितों का 99%, और अन्य क्षेत्रों में पीड़ितों का 58% हैं।<sup>29</sup>
- निजी अर्थव्यवस्था में, बलात् श्रम से हर वर्ष लगभग 150 अरब का गैरकानूनी मुनाफ़ा होने का अनुमान है। जहाँ यौन शोषण मुनाफ़ा कमाकर देता है, वहीं बलात् श्रम लागतों में बचत कराता है।
  - वाणिज्यिक यौन शोषण से 99 अरब
  - निर्माण, विनिर्माण, खनन और जनोपयोगी सेवाओं में 34 अरब
  - कृषि (वानिकी और मात्स्यिकी शामिल) में 9 अरब
  - बलात् श्रम की स्थितियों में घरेलू कर्मियों को काम पर रखने वाली निजी गृहस्थियाँ प्रति वर्ष 8 अरब की बचत करती हैं

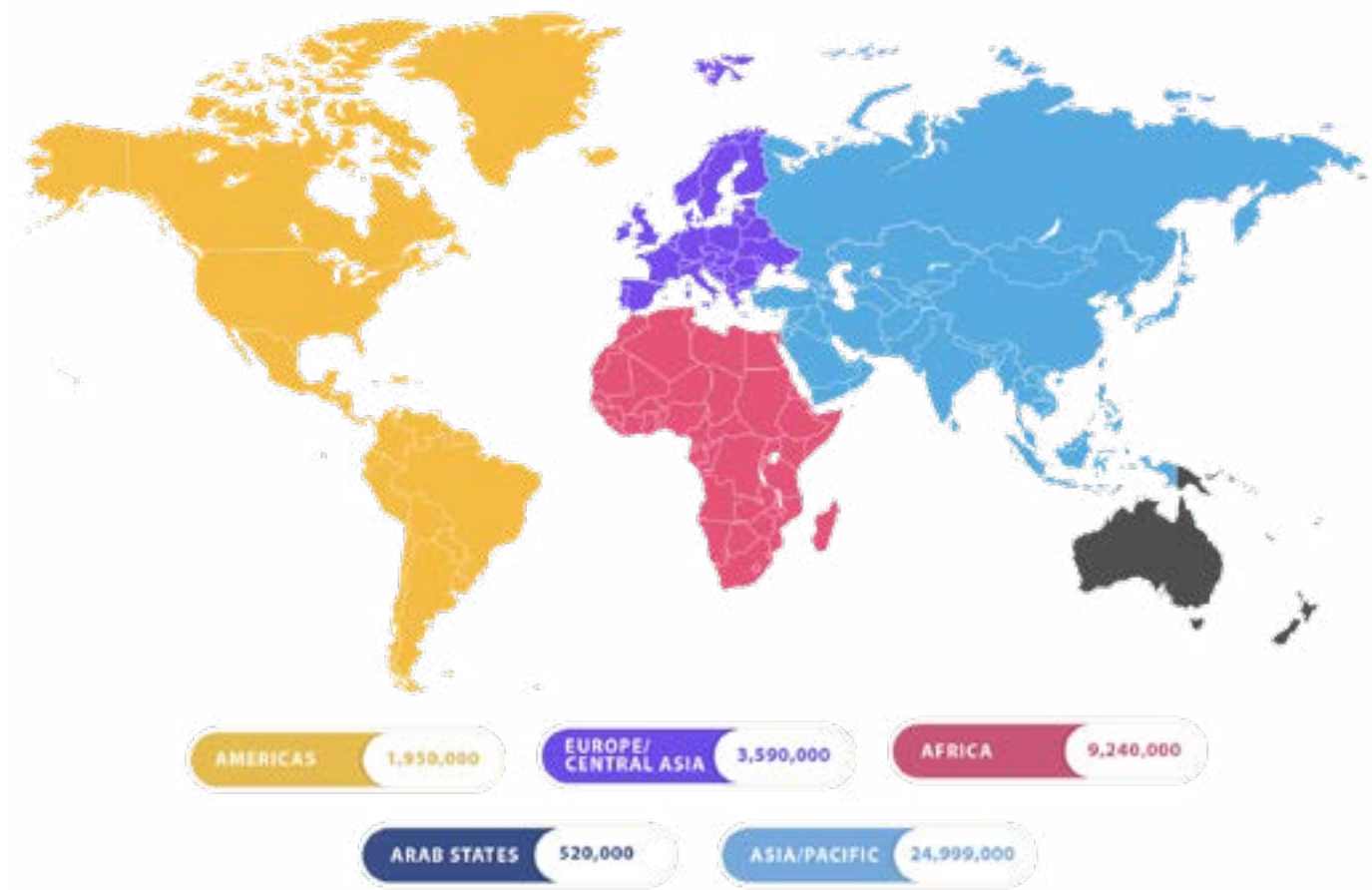


आधुनिक दासता के हर चार में से एक पीड़ित बच्चा होता है।



<sup>29</sup> ILO के अनुसार बलात् श्रम का अर्थ है ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें व्यक्तियों को हिंसा के प्रयोग या डराने-धमकाने, या अधिक गूढ़ साधनों जैसे ऋण संचयन, पहचान के दस्तावेज़ अपने कब्जे में रखने, या आप्रवासन प्राधिकारियों के सामने भंडाफोड़ कर देने की धमकियों के द्वारा कार्य करने पर विवश किया जाता है।" आप इसे यहाँ पढ़ सकते हैं: <[http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/news/WCMS\\_237569/lang-en/index.htm](http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/news/WCMS_237569/lang-en/index.htm)>.

नीचे वाले चित्र में आधुनिक दासता में फँसे पीड़ितों का क्षेत्रवार वितरण दिखाया गया है:<sup>30</sup>



भारत दुनिया भर में बलात् श्रम के पीड़ितों की एक बहुत बड़ी संख्या (और प्रतिशत) के लिए जिम्मेदार है। विशेष रूप से भारत में मानव व्यापार की समस्या के परिमाण को देखते हुए, नीचे दिए गए आँकड़े दिखाते हैं कि भारत में लागू कानूनों के प्रवर्तन को बढ़ाने के लिए अभी काफी गुंजाइश मौजूद है। नीचे दिए गए आँकड़े (जिन्हें भारत सरकार ने 2013 में संकलित किया है) दिखाते हैं कि भारत में मानव व्यापार के स्तर की तुलना में सार्वजनिक अभियोजन और दोषसिद्धि की दरें कितनी कम हैं।<sup>31</sup>

| वर्ष के दौरान गिरफ्तार लोगों की संख्या | उन लोगों की कुल संख्या जिन पर मुकदमा चल रहा है | उन लोगों की संख्या जिनके मुकदमे पूरे हुए | दोषी सिद्ध हुए लोगों की संख्या | निर्दोष करार दिए गए व्यक्तियों की संख्या |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| 8,869                                  | 53,947                                         | 5,030                                    | 1,688                          | 3,342                                    |

<sup>30</sup> Prevalence across the regions, GSI. यहाँ उपलब्ध: <https://www.globallslaveryindex.org/2018/findings/regional-analysis/regional-findings/>.

<sup>31</sup> 'Catalogue of persons arrested and their disposal by police and court under human trafficking', National Informatics Centre (NIC), Government of India. यहाँ उपलब्ध: <https://data.gov.in/catalog/persons-arrested-and-their-disposal-police-and-court-under-human-trafficking>

# भारत में मानव व्यापार

भारत में दासता के आधुनिक रूपों में बंधुआ श्रम, घरेलू सेवा, बलपूर्वक भीख मँगवाने, वाणिज्यिक यौन शोषण, बलात् विवाह और सशस्त्र सेवाओं में बलात् भर्ती के लिए मानव व्यापार किया जाना शामिल है।<sup>32</sup>

TIP रिपोर्ट 2018 भारत का वर्णन मानव व्यापार के लिए, मुख्य रूप से बलात् श्रम (जो शोषण का सबसे आम रूप है) और वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए, स्रोत, पारगमन और गंतव्य देश के रूप में करती है।

## बलात् श्रम

इसमें ऋण बंधन शामिल है, जिसमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को ईंट भट्ठों, चावल मिलों, कृषि, और कढ़ाई आदि उद्योगों में कार्य करने पर विवश किया जाता है। निर्माण, स्टील, वस्त्र, भूमिगत केबलों के लिए तार निर्माण, बिस्कुट फैक्टरियाँ, अचार उत्पादन, फूलों की खेती, मछली पालन, और नाव निर्माण जैसे उद्योगों में वृद्धि के साथ बलात् श्रम की माँग बढ़ी है। बच्चों को अक्सर कृषि श्रमिकों, फैक्टरी श्रमिकों, भिखारियों, और घरेलू नौकरों के रूप में काम करने के लिए विवश किया जाता है।

## अवैध यौन व्यापार/वाणिज्यिक यौन शोषण

एक अनुमान के अनुसार वाणिज्यिक यौन कार्य के लिए 1.8 करोड़ महिलाओं और बच्चों का शोषण होता है। धार्मिक तीर्थ यात्रा के गंतव्यों, पर्यटन क्षेत्रों, और कई अन्य स्थानों पर बच्चों का यौन शोषण होता है। अधिक श्रम की आवश्यकता वाले उद्योगों की वृद्धि के कारण, भारतीय समाज के वंचित समूहों के लोग इस कार्य में बड़ी संख्या में होते हैं। दलित लोग, जनजातीय समुदायों के लोग, धार्मिक अल्पसंख्यक, और बहिष्कृत समूहों की महिलाएँ और लड़कियाँ शोषण के प्रति सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं।<sup>33</sup> भारत के मानव व्यापार का अधिकांश आंतरिक है, और बस 10% अंश ही अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार होता है। व्यक्तियों का व्यापार अधिकांशतः बंधुआ श्रम और वाणिज्यिक यौन शोषण (कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, CSE) के लिए होता है। तदनुसार, यह अध्याय भारत में बंधुआ श्रम और CSE की समस्या पर केंद्रित है, जिसमें बिहार और उत्तर प्रदेश पर विशेष जोर दिया गया है।

<sup>32</sup> 'Country Brief- India', Global Slavery Index, 2018, Available at: <http://www.globallslaveryindex.org/country/india/>.

<sup>33</sup> 'Country Narrative – India', 2018 TIP Report, p. 221. Available at: <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/01/282798.pdf>.

<sup>34</sup> The incidence of bonded labour has been and remains particularly severe among the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in India See Report on Global Alliance against Forced Labour, Ch. 4, ILO. Available at: [http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed\\_norm/@declaration/documents/publication/wcms\\_081882.pdf](http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_081882.pdf).

(इम्मोरल ट्रेफ़िक (प्रिवेंशन) एक्ट, २००५) पारित किया है जो अवैध यौन व्यापार को अपराध घोषित करता है। भारत सरकार ने हर राज्य को महिलाओं और बच्चों के वाणिज्यिक यौन शोषण पर विशेष फ़ोकस के साथ मानव व्यापार से लड़ने की विधायी शक्ति और नीतियाँ प्रदान की हैं। न्यायमूर्ति वर्मा समिति की रिपोर्ट की अनुशंसा के आधार पर, भारत सरकार ने क़ानूनों को मानव व्यापार की अंतरराष्ट्रीय मान्यता-प्राप्त परिभाषा, जैसी पलर्मो प्रोटोकॉल में वर्णित है, के अनुरूप बनाने के लिए हाल ही में आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013 के माध्यम से भारतीय IPC में मानव-व्यापार-रोधी प्रावधान शामिल किए हैं। यौन शोषण के लिए मानव व्यापार का दबाव बनाने वाले कारक हैं ग़रीबी, टकरावों और प्राकृतिक आपदाओं के कारण महिलाओं और बच्चों की असुरक्षित स्थिति, लैंगिक भेदभाव, और वेश्यावृत्ति की माँग, स्वदेश में भी और बाहरी देशों से भी।

2018 TIP रिपोर्ट के एक अनुमान के अनुसार भारत में करोड़ों बच्चे और महिलाएँ अवैध यौन व्यापार के पीड़ित हैं। यौन शोषण के लिए मानव व्यापार के पीड़ितों में नेपाल, अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश से बड़ी संख्या में महिलाएँ और बच्चे, और एशिया व यूरेशिया से बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएँ भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल महिलाओं और बच्चों के व्यापार का एक प्रमुख स्रोत है। महिलाओं के व्यापार के प्रमुख गंतव्यों में कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, गुजरात, और भारत-नेपाल सीमा शामिल हैं। मानव व्यापारी शादी का रिश्ता लाने वालों का रूप धरते हैं, नकली शादियाँ करवाते हैं, और अन्य दबावपूर्ण और धोखाधड़ीपूर्ण साधनों का उपयोग करके महिलाओं और लड़कियों को मानव व्यापार में धकेलते हैं। क़ानून का पालन करवाने के लिए ज़िम्मेदार भ्रष्ट अधिकारी संदिग्ध मानव व्यापारियों और वेश्यालय स्वामियों की सुरक्षा करके बचाव की कोशिशों में बाधा डालते हैं।<sup>35</sup>

वेश्यालय में आम तौर पर (1) एक ‘मालिक’ (वेश्यालय का स्वामी) होता है जो वेश्यालय के आर्थिक मामलों की देखरेख के लिए ज़िम्मेदार होता है; (2) एक ‘घरवाली’ होती है जो वेश्यालय के रोज़मर्रा के कामकाज संभालती है; (3) किरायेदार यानी स्वैच्छिक वेश्याएँ होती हैं जो क्लाइंट लेने के लिए वेश्यालय में कमरा किराये पर लेती हैं; (4) अधिया

<sup>35</sup> इन्फ़्रा, नोट 51 देखें।  
<sup>36</sup> Trafficking in Women and Children in India; Sen S., Nair, P.M; 2005 New Delhi.

होती हैं, जिनके पास क्लाइंट स्वीकार या अस्वीकार करने का विकल्प होता है और वे अपनी कमाई का आधा हिस्सा मालिक को देती हैं; और (5) हाल ही में लाई गई पीड़िताएँ होती हैं जो सबसे निचले पायदान पर होती हैं और जिन्हें क्लाइंटों की सेवा के लिए विवश किया जाता है।<sup>36</sup>

# मानक प्रचालन कार्यविधियाँ

प्रयोजन और उद्देश्य

मानक प्रचालन कार्यविधियों (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, SOP) को NGO कर्मियों, उनके अधिवक्ताओं, और अन्य पहचाने गए हितधारकों को नियोजित अभियानों के जरिए लोगों को बंधुआ श्रम या अवैध यौन व्यापार से बाहर निकालने में सहायता के लिए बनाया गया है। यह एक तथ्य है कि बहुत से लोग आधुनिक दासता की परिस्थितियों से अन्य प्रकार की पहलों के जरिए बाहर निकलते हैं। एक व्यापक संसाधन मार्गदर्शिका के रूप में, ये SOP बंधुआ श्रम और अवैध यौन व्यापार के विरुद्ध प्रतिक्रियाओं को और मजबूत करने और उपयुक्त व शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने की उपयुक्त कार्यविधियों और कार्यप्रथाओं को स्पष्ट करती हैं और उन्हें सूचीबद्ध करती हैं।

इन SOP के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- हस्तक्षेपों के सभी चरणों के दौरान पीड़ित पर केंद्रित और कटु अनुभव की जानकारी पर आधारित कार्यविधियाँ अपनाना।
- दोषी की जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- बंधुआ श्रम और अवैध यौन व्यापार पर प्रतिक्रिया देने में सहक्रिया विकसित करने में विभिन्न हितधारकों (पुलिस, NGO, और सरकार) की भागीदारी को बढ़ावा देना।
- कानून का तेज़ और प्रभावी पालन सुनिश्चित करना।
- रोकथाम के, दोबारा बसाने के, समाज से फिर से जोड़ने के, और बहाली में सहायता के क़दम उठाना।

संरचना

इन SOP में वे चरण दिए गए हैं जो NGO और अधिवक्ता को भारत में मानव व्यापार के दो सबसे आम रूपों – बंधुआ श्रम और अवैध यौन व्यापार – से लड़ने में उठाने हैं। हर चरण में एक समयसीमा<sup>37</sup> है जिसके साथ एक व्याख्या अनुभाग दिया गया है जो उस चरण विशेष को और विस्तार से समझाता है। साथ ही, व्याख्या के बाद एक “स्मरणीय बिंदु” अनुभाग दिया गया है, जिसमें चरण के कार्यान्वयन के मुख्य विचारणीय बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है। और अंत में, कई चरणों में एक “और जानें तथा क़दम उठाएँ” अनुभाग भी है जो पाठक को अध्याय 4 (कानूनी ढाँचा), अध्याय 5 (कुछ ऐतिहासिक निर्णय), अध्याय 6 (आधुनिक दासता हस्तक्षेप), और परिशिष्टों में संबंधित अनुभागों पर भेजता है जहाँ NGO और अधिवक्ताओं के लिए और व्यावहारिक व कानूनी जानकारी दी गई है।

<sup>37</sup> समयसीमा उक्त हस्तक्षेप के दौरान JVI के अनुभव के आधार पर बताई गई है। यह न तो कोई मानक है और न किसी नीति या कानून में निर्धारित है, तब के सिवाय जब अन्यथा निर्दिष्ट हो।



बंधुआ श्रम हस्तक्षेपों की SOP

नीचे बंधुआ श्रम हस्तक्षेपों की SOP का वर्णन है। इन SOP को तीन भागों में बाँटा गया है:

1. पीड़ितों के बचाव की कार्यविधियाँ
2. दोषियों पर अभियोजन की कार्यविधियाँ
3. पीड़ितों की बहाली की कार्यविधियाँ

इन SOP की विस्तृत व्याख्या और दूसरे संबंधित संसाधनों के लिए कृपया अध्याय 3 देखें।

1.0 बंधुआ श्रम के पीड़ितों के बचाव की कार्यविधियों का सारांश



## चरण 1.1 बंधुआ श्रमिकों की पहचान करना

| समयसीमा: बंधुआ श्रमिकों की पहचान करने की प्रक्रिया में दो से आठ माह लग सकते हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NGO को बंधुआ श्रम की मौजूदगी को साबित करने वाली जानकारी इकट्ठी करके उसकी पुष्टि करनी चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अधिवक्ता को यह पुष्टि करनी चाहिए कि इकट्ठी की गई जानकारी बंधुआ श्रम अधिनियम, 1976 के तहत बंधुआ श्रम और अन्य संबंधित अपराधों के क़ानूनी पहलुओं को साबित करती है या नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                               |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NGO और/या अधिवक्ता को बंधुआ श्रम के घटित होने के बारे में जानकारी इनमें से किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकती है: <ul style="list-style-type: none"><li>पीड़ित या पीड़ित का परिवार, समुदाय या बच निकला कोई व्यक्ति;</li><li>NGO/ समुदाय के नेता;</li><li>ज़िला प्रशासन, ग्राम पंचायत या अन्य विभाग (जैसे, श्रम विभाग);</li><li>मानव व्यापार-रोधी इकाइयाँ (राज्य और ज़िला स्तरीय);</li><li>ऐसा कोई व्यक्ति जिसे अपराध की जानकारी हो;</li><li>मुखबिर।</li></ul> | अधिवक्ता को यह पुष्टि करनी चाहिए कि इकट्ठी की गई जानकारी बंधुआ श्रम अधिनियम की धारा 2(g) के तहत वर्णित प्रकृति के करारों/समझौतों की मौजूदगी दिखाती है या नहीं।<br><br>अधिवक्ता को यह पुष्टि भी करनी चाहिए कि इकट्ठी की गई जानकारी बंधुआ श्रम अधिनियम की धारा 2(g) के अनुसार बलात् परिस्थितियों के पहलुओं को दिखाती है या नहीं।<br><br>अधिवक्ता को NGO प्रतिनिधियों को शीघ्रता से उपयुक्त अधिकारियों को सूचित करने की सलाह देनी चाहिए। |

### सस्मरणीय बिंदु

#### ज़िला प्रशासन की ज़िम्मेदारी

ज़िला प्रशासन की यह ज़िम्मेदारी है कि वह राजस्व मंडल अधिकारी (रेवेन्यू डिवीज़नल ऑफ़िसर, RDO) या अनुमंडल दंडाधिकारी (सब-डिवीज़नल मैजिस्ट्रेट, SDM)<sup>38</sup> के ज़रिए बंधुआ श्रम की मौजूदगी की जाँच करे।<sup>39</sup> अतः NGO और अधिवक्ता की मुख्य भूमिका यह है कि वे बंधुआ श्रम की मौजूदगी को ज़िला प्रशासन के संज्ञान में लाएँ।

#### स्थान की पहचान

उस स्थान की पहचान करना महत्वपूर्ण है जहाँ बच्चे या महिलाएँ फँसे हुए हैं।

<sup>38</sup> कुछ क्षेत्राधिकारों, जैसे कर्नाटक, में SDO (सब-डिवीज़नल ऑफ़िसर/अनुमंडलीय अधिकारी) या AC (असिस्टेंट कमिश्नर/सहायक आयुक्त) भी कहा जाता है।

<sup>39</sup> कृपया BLA की धाराएँ 10 लगायत 12 देखें जिनके ज़रिए राज्य सरकार DM को यह प्राधिकार दे सकती है कि वह अधीनस्थ अधिकारियों, जैसे RDO या SDM, को BLA का कार्यान्वयनकारी प्राधिकारी होने की शक्ति दें।

#### जानकारी के स्रोत

NGO प्रतिनिधि इन साधनों के ज़रिए बंधुआ श्रम घटित होने के बारे में जानकारी ढूँढ सकते हैं:

- स्रोत स्थान: स्रोत स्थानों में पीड़ितों और संभावित पीड़ितों के बारे में गुप्त सूचनाएँ इकट्ठी करें। पीड़ितों में असुरक्षित व्यक्ति, असुरक्षित समुदाय, कठिन परिस्थितियों में फँसे लोग, आदि शामिल हैं। NGO को समुदाय के लोगों को इस बारे में संवेदनशील बनाना और प्रेरित करना चाहिए कि वे समुदाय में संभावित पीड़ितों के अनियमित रूप से आने-जाने पर नज़र रखें। स्रोत स्थानों में बच निकले लोगों के साक्षात्कार से भी गुप्त सूचनाएँ इकट्ठी की जा सकती हैं।
- पारगमन बिंदु: लाए/ले जा रहे या आ-जा रहे पीड़ितों और दोषियों के बारे में गुप्त सूचनाएँ इकट्ठी करने के लिए पारगमन बिंदुओं पर दल तैनात करें। पारगमन बिंदुओं में बस स्टॉप/स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, सीमाओं पर स्थित आप्रावसन/ कस्टम ऑफ़िस और घूमने-फिरने की जगहें शामिल हैं।
- माँग स्थान: ऐसे स्थानों पर/गतिविधियों में गुप्त सूचनाएँ इकट्ठी करें जहाँ बंधुआ श्रम की अधिक माँग होती है (जैसे, ईंट भट्ठे, रत्नों की खदानें, कालीन उद्योग, कृषि भूमियाँ, खानें, बिजलीघर, निर्माण स्थल, चीनी मिलें, चावल मिलें, फैक्टरियाँ, घरेलू दासता)।
- दुश्मनी: किसी इकाई के मालिक और मुखबिर के बीच व्यक्तिगत दुश्मनी या प्रतिद्वंद्विता होने पर बंधुआ श्रमिकों की पहचान हो सकती है।
- मीडिया रिपोर्ट: मीडिया रिपोर्ट से, समाचार-पत्रों में प्लेसमेंट एजेंसियों व पार्लरों आदि के विज्ञापनों से गुप्त सूचनाएँ इकट्ठी करें।

#### प्रलोभन अभियान

प्रलोभन अभियान चलाकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रलोभन अभियान में एक व्यक्ति गुप्त रूप से जाता है (इस व्यक्ति को “प्रलोभक” कहते हैं) और अपने वेष का उपयोग करके बंधुआ श्रम घटित होने और उसके स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। प्रलोभक ऐसी अन्य जानकारी इकट्ठी करने में भी सहायता करता है जो बचाव अभियान चलाने में उपयोगी हो सकती है पर जो अन्यथा प्राप्त नहीं की जा सकती थी।

- कैसे प्रलोभक बनाया जा सकता है: किसी पुलिस अधिकारी को, NGO के किसी प्रतिनिधि को या प्रलोभक के रूप में भेजे जाने को तैयार किसी अन्य व्यक्ति को प्रलोभक बनाया जा सकता है।
- प्रलोभक किसका वेष धर सकता है: प्रलोभक बिचौलिये/दलाल, ठेकेदार, या नियोक्ता आदि का वेष धर सकता है।
- प्रलोभक को जानकारी दें: प्रलोभक को पीड़ितों की हालत के बारे में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए और ऐसे अभियानों के संचालन से जुड़े जोखिमों के बारे में बताया जाना चाहिए। प्रलोभक को मानव व्यापार के पीड़ित की असुरक्षा के बारे में बताया जाना चाहिए और उसे न तो अपनी मौजूदगी से पीड़ित को और परेशान करना चाहिए और न ही उसे हालात का फ़ायदा उठाना चाहिए। प्रलोभक को इस बारे में सावधानी से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि पैदा हो सकने वाली विभिन्न परिस्थितियों में किस तरह प्रतिक्रिया देनी है।

#### पीड़ित का दस्तावेज़ीकरण

पीड़ितों के बयान लेने चाहिए। अपने केस को मज़बूत बनाने के लिए अधिकतम संभव पीड़ितों के बयान लें। यदि संभव हो तो, पीड़ितों से उनकी परिस्थिति के हस्ताक्षरित शपथपत्र (एफ़िडेविट) लें और पीड़ित के बयान की वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग करें।

#### स्वामी के बारे में तथ्यों की खोज

स्वामी की प्रकृति, उसके पिछले कृत्यों, और स्थानीय प्रशासन के साथ उसके संपर्कों को समझने के लिए उसके बारे में तथ्य खोजें।

गोपनीयता बनाए रखें: पीड़ितों, तलाशे जाने वाले बचाव स्थल, और स्वामियों से संबंधित जानकारी गोपनीय रहनी चाहिए। NGO प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ऐसे व्यक्तियों के सामने जानकारी प्रकट नहीं करनी चाहिए जिनका अभियान से कोई संबंध नहीं है।

#### क़ानून-सम्मत ढंग से जानकारी इकट्ठी करना

इस प्रक्रिया में शामिल NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जानकारी क़ानून-सम्मत ढंग से और पीड़ितों की सुरक्षा को ख़तरे में डाले बिना इकट्ठी की जाए। NGO प्रतिनिधियों को यह याद रखना चाहिए कि वे पुलिस या प्रशासन नहीं हैं और इसलिए उनके पास किसी परिसर की तलाशी की, वस्तुएँ या साक्ष्य ज़ब्त करने की, या किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार करने या उसे ग़ैरक़ानूनी ढंग से क़ैद करने की शक्ति नहीं है। अधिवक्ता को इस प्रक्रिया के दौरान क़ानून का अनुपालन सुनिश्चित करने में NGO प्रतिनिधियों का मार्गदर्शन करना चाहिए।

पीड़ितों को बचाव के लिए तैयार करना

जाँच के बचाव-पूर्व चरण के दौरान, पीड़ितों को बचाव के बारे में और किस प्रकार उनके लिए मैजिस्ट्रेट के प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक किया जाएगा इस बारे में जानकारी देनी चाहिए। बचाव के समय और दिनांक की जानकारी नहीं देनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर जानकारी के गलत हार्थों में पड़ने का खतरा होता है। गवाहों की सफल गवाही के लिए और पीड़ितों से अच्छे संबंध बनाने के लिए बचाव से पहले पीड़ितों को तैयार करना महत्वपूर्ण होता है; यदि ऐसा न किया जाए तो अचानक उनसे प्रश्न पूछे जाने पर वे हक्के-बक्के हो सकते हैं।

यदि NGO प्रतिनिधि/अधिवक्ता या मुखबिर को बंधुआ श्रम में फँसे व्यक्तियों के बारे में किसी स्रोत से सूचना मिलती है, तो उसे किसी संबंधित प्राधिकारी/प्राधिकरण (DM, SDM, AHTU, NHRC या पुलिस) को तत्काल सतर्क करना चाहिए।

**किसी बंधुआ श्रमिक को अपने बूते बचाने की कोशिश न करें।**  
बचाव के लिए NGO और उसके प्रतिनिधियों के साथ-साथ DM/SDM/पुलिस की अनुमति व उपस्थिति आवश्यक होती है।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

बंधुआ श्रम की परिभाषा और अवधारणा - किसी श्रमिक को बंधुआ श्रमिक माना जाता है यदि:

- a. वह उसे मिली किसी अग्रिम राशि, किसी परिपाटी/सामाजिक दायित्व, विरासत में मिले किसी पारिवारिक दायित्व या अन्य आर्थिक स्थिति के कारण, या अनुसूचित जाति का होने या किसी सामुदायिक दायित्व के कारण कार्य कर रहा है (करार/समझौते का घटक);<sup>40</sup>
- और
- b. उसे वेतन नहीं मिल रहा है/न्यूनतम से कम वेतन मिल रहा है या उसके पास रोज़गार की स्वतंत्रता, यात्रा की स्वतंत्रता, या बाज़ार मूल्य पर अपनी खुद की वस्तुएँ बेचने की स्वतंत्रता नहीं है (बलात् परिस्थिति का घटक)।<sup>41</sup>

बंधुआ श्रम की पूर्वधारणा:

बंधुआ श्रम की पूर्वधारणा: सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि यदि कोई भी बलात् परिस्थिति मौजूद है तो उसमें बंधुआ श्रम निहित हो सकता है क्योंकि ऐसे में करार/समझौते के घटक की पूर्वधारणा होती है, तब के सिवाय जब किसी साक्ष्य से उसका खंडन किया जाए।<sup>42</sup>

शारीरिक दुर्व्यवहार की मौजूदगी अनिवार्य नहीं है: पीपल्स यूनियन फ़ॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ<sup>43</sup> में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि बलात् श्रम (बंधुआ श्रम) में भौतिक/शारीरिक बल का शामिल होना आवश्यक नहीं है।

बाल श्रम:

यदि बाल श्रमिकों की पहचान हो, तो NGO और अधिवक्ता को DM/SDM/DA को प्रेरित करना चाहिए कि वे बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को लागू करने के लिए बचाव के समय श्रम विभाग के अधिकारियों को उपस्थित रखें।

<sup>40</sup> BLA की धाराएँ 2(g) (i)-(v)।

<sup>41</sup> पूर्वोक्त।

<sup>42</sup> बंधुआ मुक्ति मोर्चा AIR 1984 SC 802 पैरा 34. 74 AIR 1982 SC 1473 , पैरा 20।

<sup>43</sup> AIR 1982 SC 1473 , पैरा 20।

NGO की भूमिका:

नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जब किसी NGO द्वारा DM को किसी बंधुआ श्रम प्रणाली की मौजूदगी के बारे में शिकायत प्रदान की जाती है तो तब DM का यह दायित्व है कि वह जाँच करते समय उस NGO के प्रतिनिधि को शामिल करे और उक्त जाँच की रिपोर्ट उस प्रतिनिधि को दी जानी चाहिए।<sup>44</sup>

भारत में बंधुआ श्रम के बारे में और जानने के लिए:

अध्याय 2 D देखें। भारत में बंधुआ श्रम से जुड़े क़ानूनों के बारे में और जानने के लिए, अध्याय 4 C देखें।

पीड़ित को तैयार करना:

बचाव के समय पीड़ित को किन-किन प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार रहना चाहिए इस बारे में जानने के लिए UNODC Standard Operating Procedures (SOP) on Investigation of Crimes of Trafficking for Forced Labour<sup>45</sup> (बलात् श्रम के लिए मानव व्यापार के अपराधों की जाँच के लिए UNODC की मानक प्रचालन कार्यविधियाँ) का संलग्नक 3 देखें। यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीड़ितों के बयानों के आधार पर ही रिहाई प्रमाणपत्र स्वीकृत किया जाता है। पीड़ितों को इस बारे में बताया जाना चाहिए कि बंधुआ श्रम क्या है, ताकि जब उनका बयान दर्ज किया जाए तो उससे बंधुआ श्रम का स्पष्ट साक्ष्य मिले। पीड़ित को तैयार करना, बचाव-पूर्व तैयारी का एक बेहद अहम हिस्सा है।

दस्तावेज़ों के नमूने और अभ्यास सहायक:

NGO प्रतिनिधियों को पीड़ितों, पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों और दोषियों के नाम और अन्य विवरण सावधानी से दस्तावेज़ में नोट करने चाहिए। यह दस्तावेज़ औचक जाँच के दौरान बंधुआ श्रमिक की पहचान में एक उपयोगी साधन सिद्ध होगा। बचाव-पूर्व दस्तावेज़ीकरण फ़ॉर्म की एक प्रति परिशिष्ट 1 में है।

बाल श्रम:

यदि बाल श्रमिकों की पहचान हो, तो NGO और अधिवक्ता को DM/SDM/DA को प्रेरित करना चाहिए कि वे बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों को लागू करने के लिए बचाव के समय श्रम विभाग के अधिकारियों को उपस्थित रखें।

चरण 1.2 बंधुआ श्रम की शिकायत दर्ज कराना

| समयसीमा: जानकारी इकट्ठी करने की प्रक्रिया में दो से आठ माह लग सकते हैं, जबकि शिकायत तैयार करके जमा करने में दो से आठ दिन लग सकते हैं।           |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                             | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NGO को इकट्ठी की गई जानकारी का उपयोग करके संबंधित DM और उनके अधीनस्थों के सामने पेश करने के लिए बंधुआ श्रम की शिकायत का मसौदा तैयार करना चाहिए। | अधिवक्ता को बंधुआ श्रम की शिकायत की समीक्षा करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह शिकायत बंधुआ श्रमिकों का बचाव शुरू करने के पक्ष में एक ठोस क़ानूनी दलील पेश करती हो, और उसे ज़िलाधि-कारी और उनके अधीनस्थों के सामने शिकायत पेश करने में NGO की सहायता करनी चाहिए। |

<sup>44</sup> AIR 1984 SC 1099, उक्त निर्णय के पैरा 4 और 6।

<sup>45</sup> UNODC Standard Operating Procedures on Investigation of Crimes of Forced Labour, 2008, Government of India and BBA के परिशिष्ट 3 के तहत 'Screening Tool to Help Identify A Potential Victim Of Human Trafficking' , p. 43 देखें। यहाँ उपलब्ध: <[https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/India\\_Training\\_material/SOP\\_-\\_Investigation\\_-\\_Forced\\_Labour.pdf](https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/India_Training_material/SOP_-_Investigation_-_Forced_Labour.pdf)>.

| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>जब NGO प्रतिनिधि बंधुआ श्रम प्रणालियों की मौजूदगी वाली इकाई से जानकारी इकट्ठी कर लें, तो उन्हें अधिवक्ता की सहायता के साथ, एक शिकायत या एक विस्तृत कानूनी हस्तक्षेप रिपोर्ट तैयार करके DM या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के सामने पेश करनी चाहिए।</p>                                                                            | <p>अधिवक्ता को NGO की सहायता के लिए लिखित शिकायत या विस्तृत कानूनी हस्तक्षेप रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। लिखित शिकायत में बंधुआ श्रम और संबंधित आपराधिक कानूनों के उल्लंघनों (जो हुए हों) का उल्लेख होना चाहिए।</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>यदि DM या अधीनस्थ अधिकारी उपलब्ध न हों तो स्थानीय पुलिस या मानव व्यापार-रोधी इकाई (यदि गठित हो) के पास भी शिकायत की जा सकती है।</p>                                                                                                                                                                                          | <p>अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बंधुआ श्रम की शिकायत को सबसे पहले जिला प्रशासन के सामने पेश करने की कोशिश की जाए। यदि किसी कारण से जिला प्रशासन से शिकायत न की जा सकती हो, तो अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस से शिकायत की जाए, और पुलिस को तुरंत जिला प्रशासन से संपर्क करने को प्रेरित किया जाए। साथ-ही-साथ, अधिवक्ता राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से शिकायत करने में भी NGO की सहायता कर सकता है।</p>                                                                                                                               |
| <p>हालाँकि, पुलिस या AHTU के पास बंधुआ श्रम घटित होने की जाँच करने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए, यदि शिकायत या LIR पुलिस/AHTU के सामने पेश की जानी हो, तो अधिवक्ता और NGO को उन्हें यह मार्गदर्शन देना चाहिए कि जाँच करने के लिए वे DM या उनके द्वारा नामित किसी अधिकारी के साथ समन्वय करें और बचाव के समय उपस्थित रहें।</p> | <p>यदि जिला प्रशासन शिकायत प्राप्त करने में असमर्थ है, तो अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिकायत पुलिस/AHTU के सामने पेश की जाए। हालाँकि, चूँकि उनके पास घटना की जाँच का क्षेत्राधिकार नहीं होता है, अतः अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस तत्काल जिला प्रशासन को सूचित करे। शिकायत NHRC को भी भेजी जा सकती है, जिसके पास बंधुआ श्रम कानूनों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की व्यापक शक्तियाँ होती हैं, और वह राज्य या जिले के स्तर पर अफसरशाही या भ्रष्टाचार से बाधाएँ उत्पन्न होने पर एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदार साबित हो सकता है।</p> |
| <p>यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बंधुआ श्रम से संबंधित शिकायत सीधे NHRC को भी भेजी जा सकती है।</p>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

सस्मरणीय बिंदु

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>कानूनी हस्तक्षेप रिपोर्ट</b></p> <p>कुछ संगठन DM के पास शिकायत के रूप में कानूनी हस्तक्षेप रिपोर्ट (लीगल इंटरवेंशन रिपोर्ट, LIR) जमा करने को प्राथमिकता देते हैं। LIR के साथ-साथ एक सूची भी जमा करनी चाहिए जिसमें पीड़ितों के नाम और अन्य विवरण हों, जैसे पता, परिजनों के नाम, श्रमिक की आयु और जाति। LIR जमा करते समय NGO प्रतिनिधियों को सरकारी अधिकारी को यह सलाह देनी चाहिए कि वह सूची को गोपनीय रखे, और सरकार को LIR प्राप्त हो गई है यह सिद्ध करने के लिए उन्हें एक अभिस्वीकृति प्रति लेनी चाहिए। बचाव हस्तक्षेप से पहले श्रम स्थल के स्वामियों को खबर न लगने पाए यह सुनिश्चित करने के लिए LIR को गोपनीय रखना आवश्यक है। इससे बचाव हस्तक्षेप के दौरान बंधुआ श्रमिकों को स्वतंत्र कराया जाना और दोषियों का स्थल पर ही पकड़ा जाना सुनिश्चित होगा। शिकायत/LIR पीड़ित के/पीड़ित के परिवार के नाम से जमा की जा सकती है।</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**बंधुआ श्रम की शिकायत किससे की जा सकती है?** DM/SDM, पुलिस, AHTU, राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) या NHRC से शिकायत की जा सकती है। हालाँकि, यदि DM/SDM की उपस्थिति के बिना बचाव कार्य किया जाता है तो वह बेकार साबित होगा क्योंकि केवल DM/SDM के पास ही BLA के तहत जाँच करने या कार्यान्वयन की निगरानी करने की शक्ति होती है। इसलिए यह स्पष्ट रूप से अनिवार्य है कि विधि प्रवर्तन एजेंसियाँ, जैसे पुलिस, बचाव कार्य करते समय DM/SDM के साथ समन्वय करें।

**मानव व्यापार-रोधी इकाई** AHTU (मानव व्यापार-रोधी इकाई) पर मानव व्यापार के मामलों में बचाव कार्य संचालित करने की ज़िम्मेदारी होती है। AHTU स्थानीय पुलिस की सहायता के साथ अभियान की अगुवाई कर सकती है। AHTU से संपर्क केवल तब किया जा सकता है यदि राज्य या जिला स्तर पर उसका गठन किया गया हो।.

**स्थानीय पुलिस** बंधुआ श्रम के बारे में शिकायत मिलने पर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी पर लागू आवश्यकताएँ वही हैं जो किसी भी अन्य संज्ञेय अपराध के मामले में होती हैं। बंधुआ श्रम की जानकारी मिलने पर, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पास मामले की जाँच करने की शक्ति होती है। पुलिस अधिकारी को वह शिकायत बिना किसी विलंब के ज़िला प्रशासन के संबंधित अधिकारी को भी भेजनी चाहिए।

**राज्य/जिला बाल श्रम कार्य बल** बंधुआ बाल श्रम के मामले में, NGO प्रतिनिधियों को राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय बाल श्रम कार्य बल को सूचित करना चाहिए। यदि कार्य बल गठित न हुआ हो, तो NGO जिलाधिकारी या स्थानीय पुलिस से संपर्क कर सकता है।

**SHRC/NHRC** सर्वोच्च न्यायालय ने BLA के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को और राज्य स्तर पर राज्य मानवाधिकार आयोग (SHRC) को नियुक्त किया है। कोई भी NGO किसी भी समय और, यदि ऊपर लिखे अन्य अधिकारी कार्रवाई करने के इच्छुक न हों तो भी, SHRC या NHRC से संपर्क कर सकता है। NHRC के पास बंधुआ श्रम कानूनों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की व्यापक शक्तियाँ हैं, और वह एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदार साबित हो सकता है, विशेष रूप से अफसरशाही या भ्रष्टाचार से बाधाएँ उत्पन्न होने पर।

**उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय** यदि ऊपर लिखे सभी अधिकारी कार्रवाई करने में विफल रहें, तो NGO को किसी अधिवक्ता से संपर्क करके यह अनुरोध करना चाहिए कि वह पीड़ित के नाम से उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करे।

- अधिकारियों से संपर्क करने से पहले की जाँचसूची:**
- अधिकारियों से संपर्क करने से पहले NGO प्रतिनिधियों को:
- यह तय करना चाहिए कि किन अधिकारियों से संपर्क करना है (मामले की अविलंबता, अधिकारियों के अपेक्षित उत्तरों, मामले की गंभीरता आदि के आधार पर)
  - अपॉइंटमेंट लेने के लिए अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। अधिकारियों से मिलने जा रहे NGO प्रतिनिधियों को बंधुआ श्रम से जुड़े कानूनों और कार्यविधियों से परिचित होना चाहिए। बंधुआ श्रम की कानूनी नियमावली और उक्त के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय साथ ले जाना उपयोगी है, क्योंकि यदि अधिकारी इन चीज़ों से अवगत न हुए तो काम आएँगे।

**अभिस्वीकृति:** NGO प्रतिनिधियों को, जहाँ तक संभव हो, सूचना/शिकायत लिखित रूप में जमा करनी चाहिए और उसकी लिखित अभिस्वीकृति लेनी चाहिए। यदि सूचना लिखित में न दी जा सकती हो, तो उसे पुलिस अधिकारी को मौखिक रूप से भी बताया जा सकता है। यदि सूचना मौखिक रूप से दी गई हो, तो पुलिस अधिकारी को उसे लिखित रूप देना चाहिए और उस पर मुखबिर के हस्ताक्षर लेने चाहिए। अधिवक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिकारी NGO प्रतिनिधियों की शिकायत पर उचित ध्यान दें और यह कि बचाव के सारे चरणों में NGO प्रतिनिधि को शामिल रखा जाए।

**बंधुआ श्रमिकों की पहचान में NGO की भूमिका**  
अधिवक्ता को सर्वोच्च न्यायालय के उन निर्णयों की ओर ध्यान खींचना चाहिए जो बंधुआ श्रमिकों की पहचान, रिहाई और पुनर्वास में NGO की भूमिका पर बल देते हैं।

**पीड़ित को अधिकारियों के सामने पेश करना**  
जब भी संभव हो, अधिवक्ता को पीड़ित को संबंधित अधिकारियों के सामने पेश करना चाहिए। पीड़ित की सुरक्षा को सर्वोपरि महत्व देना चाहिए।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

**शिकायत कौन कर सकता है?** NGO, बंधुआ श्रमिक, सरकारी अधिकारी या कोई तृतीय पक्ष बंधुआ श्रम की शिकायत कर सकता है क्योंकि इनमें से कोई भी व्यक्ति जानकारी का स्रोत हो सकता है।<sup>46</sup> पीड़ित या पीड़ित का परिवार भी मुख्य शिकायतकर्ता हो सकते हैं (ध्यान दें कि इस शिकायत का अर्थ बंधुआ श्रम की मौजूदगी के संबंध में दी गई सूचना से है और यह CrPC की धारा 2(d) के तहत की गई औपचारिक शिकायत से अलग है)। प्राथमिकी की शुरुआत के लिए ज़िला प्राधिकरण या पुलिस अधिकारी औपचारिक शिकायत कर सकते हैं। पीड़ित भी शिकायतकर्ता हो सकते हैं। यदि शिकायत, शिकायतकर्ता को छोड़कर किसी अन्य के द्वारा लिखी जा रही है तो शिकायतकर्ता को शिकायत स्पष्ट रूप से समझाई जानी चाहिए।

**बंधुआ श्रम के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कार्यान्वयनकारी प्राधिकारी:** BLA के अनुसार, DM या DM द्वारा नामित कोई अधीनस्थ अधिकारी कार्यान्वयनकारी प्राधिकारी होता है।<sup>47</sup>

**मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:** याद रखें, बंधुआ श्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और 23 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।<sup>48</sup>

**बंधुआ श्रम से संबंधित क़ानून:** बंधुआ श्रम से सर्वाधिक संबंधित अधिनियमों में BLA, IPC, CrPC, साक्ष्य अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, JJA और SC/ST अत्याचार निरोध अधिनियम (यदि पीड़ित SC/ST है और दोषी SC/ST नहीं है) शामिल हैं। अन्य संबंधित क़ानून जैसे अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम, अनुबंध श्रम अधिनियम, राष्ट्रीय अवकाश अधिनियम, समान पारितोषिक अधिनियम, भवन निर्माण अधिनियम और भविष्य निधि अधिनियम भी मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए लागू हो सकते हैं।<sup>49</sup> हमले, गैरक़ानूनी कैद, अपहरण और बलात्कार को कवर करने वाले संबंधित क़ानूनी प्रावधान और अन्य प्रावधान जोड़े जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के बंधुआ श्रम हस्तक्षेपों से संबंधित निर्णय **अध्याय 5** में हैं।

**दस्तावेज़ों के नमूने और अभ्यास सहायक: विभिन्न संबंधित दस्तावेज़ों में शामिल हैं:**

- **क़ानूनी हस्तक्षेप रिपोर्ट:** LIR का प्रारूप परिशिष्ट 6 में है। DM, पुलिस और किसी भी अन्य अधिकारी से बंधुआ श्रम की शिकायत करने के लिए इस प्रारूप का उपयोग किया जा सकता है।
- **बंधुआ श्रम पहचान फ़ॉर्म:** बंधुआ श्रम पहचान फ़ॉर्म का प्रारूप परिशिष्ट 7 में है।

<sup>46</sup> UNODC Standard Operating Procedures on Investigation of Crimes of Forced Labour, 2008, Government of India and BBA के अनुभाग 3.1 के तहत गुप्त सूचना एकत्रण के दिशानिर्देश p. 13 पर देखें।

<sup>47</sup> BLA की धाराएँ 10,11 और 12।

<sup>48</sup> नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, AIR 1984 SC 1099।

<sup>49</sup> यह संपूर्ण सूची नहीं है और अधिवक्ताओं को अन्य लागू क़ानूनों को लागू करने में सतर्कता बरतनी चाहिए। भारतीय दंड संहिता में या अन्य क़ानूनों में हमले, गैरक़ानूनी कैद, अपहरण और बलात्कार से संबंधित अन्य अपराधों के पहलू प्रासंगिक हो सकते हैं।

- **NHRC से शिकायत:** NHRC के पास शिकायत दर्ज कराने का प्रारूप उनकी वेबसाइट पर भी है।<sup>50</sup> NHRC से शिकायत कैसे करें इसके दिशानिर्देश परिशिष्ट 2 में हैं। NHRC के पास शिकायत उनकी वेबासाइट पर ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकती है। शिकायतें लिखित रूप में डाक से या फ़ैक्स द्वारा भी भेजी जा सकती हैं।
- **HRC से शिकायत:** SHRC को भी शिकायतें लिखित रूप में डाक से या फ़ैक्स द्वारा भेजी जा सकती हैं। SHRC के पास शिकायत दर्ज कराने का प्रारूप और दिशानिर्देश परिशिष्ट 3 में हैं।

चरण 1.3 बंधुआ श्रमिकों के बचाव की योजना तैयार करना

| समयसीमा: बचाव योजना बनाने की प्रक्रिया में 2 दिन लग सकते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| NGO को बंधुआ श्रमिकों के बचाव की योजना तैयार करनी चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अधिवक्ता को बंधुआ श्रम से जुड़े क़ानूनी प्रावधानों और अवधारणाओं के बारे में NGO को सलाह देकर बंधुआ श्रमिक बचाव योजना तैयार करने में सहायता देनी चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                               |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NGO को दो अलग-अलग प्रकार की बैठकों की योजना बनानी चाहिए: (i) आंतरिक रणनीति बैठक; और (ii) सरकारी अधिकारियों के साथ बचाव-पूर्व बैठक।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अधिवक्ता को NGO प्रतिनिधि के साथ कार्य करके बंधुआ श्रम की जाँच की योजना सावधानीपूर्वक बनानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाव अभियान की योजना, क़ानून द्वारा निर्धारित कार्यविधियों के अनुरूप हो।                                                                                                                                                                                                             |
| आंतरिक रणनीति बैठक: NGO को बचाव अभियान के लिए एक आंतरिक रणनीतिक योजना तैयार करनी चाहिए और योजना के संचालन पर चर्चा के लिए एक केस ओपनिंग बैठक आयोजित करनी चाहिए। इस बैठक में NGO प्रतिनिधियों को यह तय करना चाहिए कि कौनसे सरकारी अधिकारियों और NGO को बचाव में भाग लेना चाहिए। योजना में बचाव इकाई के स्थान का विवरण, बचाव स्थल का भौतिक नक्शा, प्रवेश और निकास बिंदु, छिपने के ठिकाने, और बचाव स्थल का स्केच नक्शा भी होने चाहिए। ऊपर लिखे विवरण, तलाशे जाने वाले स्थान के विस्तृत सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त और संकलित किए जाने चाहिए। | अधिवक्ता को निम्नलिखित से संबंधित कार्यविधियों के बारे में अधिकारियों को जानकारी देनी चाहिए:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सरकारी अधिकारियों के साथ बचाव-पूर्व बैठकें: NGO को केस ओपनिंग बैठक के दिनांक से दो या तीन दिनों के भीतर कम-से-कम दो बचाव-पूर्व बैठकें आयोजित करनी चाहिए। सबसे अच्छा यह है कि कम-से-कम एक बचाव-पूर्व बैठक में राजस्व विभाग और पुलिस के प्रतिनिधि और बचाव दल एक साथ मौजूद हों।                                                                                                                                                                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. शिकायत/क़ानूनी हस्तक्षेप रिपोर्ट की प्राप्ति</li><li>2. शिकायत/LIR की गोपनीयता</li><li>3. विस्तृत जाँच की कार्यविधि</li></ol> <p>अधिवक्ता को संबंधित मुद्दों और बंधुआ श्रम से जुड़े क़ानूनी प्रावधानों, जैसे बंधुआ श्रमिकों की पहचान करने की प्रक्रिया और बंधुआ श्रम से जुड़े मिथक और वास्तविकताओं, के बारे में NGO और सरकारी प्रतिनिधियों को संवेदनशील भी बनाना चाहिए।</p> |

<sup>50</sup> राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वेबसाइट: <http://nhrc.nic.in/>.

NGO प्रतिनिधि को बचाव की अगुवाई करने वाले सरकारी अधिकारी से एक बचाव-पूर्व बैठक बुलाने का और अन्य सरकारी अधिकारियों को बचाव-पूर्व बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश देने का अनुरोध करना चाहिए। यदि सरकारी प्रतिनिधि बंधुआ श्रम के मुद्दे के प्रति संवेदनशील न हों तो NGO प्रतिनिधियों को इस बैठक में अधिकारियों को बंधुआ श्रम से जुड़े कानूनों और कार्यविधियों के बारे में शिक्षित करना चाहिए।

जब सरकारी अधिकारी बचाव दिनांक तय कर दें तो NGO प्रतिनिधियों को एक और आंतरिक बचाव-पूर्व बैठक बुलानी चाहिए।

सरकारी अधिकारियों के साथ कम-से-कम दो या तीन रणनीति बैठकें की जानी चाहिए।



## सस्मरणीय बिंदु

### शिकायत

बचाव-पूर्व बैठक में ज़िलाधिकारी या उनके किसी विधिवत रूप से अधिकृत अधीनस्थ के सामने LIR या लिखित शिकायत पेश करके बंधुआ श्रम के घटित होने की शिकायत की जा सकती है। अधिवक्ता को शिकायत करने में NGO की सहायता करनी चाहिए। जैसा चरण 1.2 में बताया गया है, पीड़ित, पीड़ित का परिवार, ज़िला प्रशासन या पुलिस मुख्य शिकायतकर्ता हो सकते हैं। यदि शिकायत में बाल श्रम शामिल है, तो श्रम विभाग को मुख्य शिकायतकर्ता बनाया जा सकता है।

### बचाव दिनांक

DM और राजस्व विभाग NGO प्रतिनिधियों के साथ मिलकर बचाव दिनांक तय करते हैं। बचाव दिनांक की जानकारी गोपनीय रखनी होती है। बचाव के समय श्रम विभाग को संलग्न करने की जिम्मेदारी DM पर होती है। सबसे अच्छा तरीका यह है कि शिकायत दर्ज होने से 24 घंटों के भीतर बचाव दिनांक तय कर ली जाए।

### जोखिम आकलन

NGO को बचाव में शामिल जोखिमों को न्यूनतम करने के लिए व्यवस्थित जोखिम आकलन और नियोजन का संचालन करना चाहिए। जोखिमों के आकलन के लिए विभिन्न संकेतकों की पड़ताल करनी चाहिए, जैसे तलाशा जाने वाला स्थान कहाँ पर है, मानव व्यापारियों का ब्यौरा, और समाज में आरोपित की स्थिति। जोखिमों को न्यूनतम करने की संभावित प्रतिक्रियाएँ और, अप्रत्याशित परिस्थितियों में काम आने वाली आकस्मिकता योजना बड़ी ही सावधानी से तैयार की जानी चाहिए। NGO प्रतिनिधियों को आरोपित की चल व अचल संपत्ति के बारे में अधिकतम जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। इससे, ज़बती की प्रक्रिया में अधिकारियों को उपयोगी जानकारी मिल सकती है।

### एक दल नायक नियुक्त करें

NGO को एक दल नायक नियुक्त करना चाहिए जो बचाव की रणनीति और बचाव के दौरान उठाए जाने वाले क़दमों के बारे में समझाएगा। दल नायक को बचाव अभियान के सहभागियों को भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ सौंपनी चाहिए और उसे संबंधित सरकारी अधिकारियों के लिए एक संपर्क बिंदु का कार्य करना चाहिए। बचाव स्थलों की संख्या कितनी है और पीड़ितों की अपेक्षित संख्या कितनी है इस आधार पर सहभागियों को समूहों में बाँट दें और हर समूह के लिए एक दल नायक नियुक्त करें। हर सहभागी और दल नायक के नाम व संपर्क जानकारी, और हर समूह की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ साझा करें।

### बंधुआ श्रम से जुड़े कानूनों से परिचित हों

बचाव में भाग लेने से पहले, बचाव दल के सदस्यों को बंधुआ/बलात् श्रम से जुड़े कानूनों और अन्य प्रासंगिक कानूनों से खुद को परिचित बनाना चाहिए।

### दल की असंलग्नता

किसी भी परिस्थिति में दल को बचाव में शामिल पहचान/सत्यापन/गुप्त सूचना एकत्रण में संलग्न नहीं होना चाहिए।

### बचाव-पूर्व जाँचसूची

● बचाव किट तैयार करें: किट में लेखन-सामग्री, कैमरा, टॉर्च, बैटरी, वीडियो कैमरा, जलपान (पेयजल, अल्पाहार), प्राथमिक उपचार किट, वाहन, प्रिंटर और कार्ट्रिज, लैपटॉप और चार्जर, संदर्भ सामग्री (जैसे केस से संबंधित कानून और अधिनियमों की शब्दशः प्रति), पीड़ितों के ज़िलों, गाँवों और पुलिस स्टेशनों के नाम, कपड़े, शौचालय सामग्री, और क्रियाकलाप पुस्तिकाएँ, मोम के रंग, और रंगीन पेंसिलें (यदि बचाए जाने वाले पीड़ितों में बच्चे भी हों)। बचाव से काफ़ी पहले ही सामान पहुँचाने की व्यवस्था के लिए एक व्यक्ति नियुक्त कर लें।

● आश्रय गृहों को सूचित करें:<sup>51</sup> बचाव स्थल के विश्वसनीय सरकारी/NGO आश्रय गृहों को बचाए जाने वाले लोगों की लगभग अपेक्षित संख्या और उन्हें आश्रय गृह लाए जाने के संभावित दिनांक के बारे में सूचित करें। सुनिश्चित करें कि NGO द्वारा संचालित आश्रय गृह सरकार से लाइसेंस-प्राप्त हों। यह कार्य गोपनीय ढंग से करना चाहिए ताकि बचाव अभियान की जानकारी गलत हाथों में न पड़ने पाए। NGO प्रतिनिधियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे विश्वसनीय आश्रय गृहों की पहचान करके उनका एक डेटाबेस बनाकर रखें। NGO प्रतिनिधियों को यह सूची ज़िलाधिकारी/ CWC और अधिवक्ता को देनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि बचाव के बाद पीड़ितों को किसी विश्वसनीय आश्रय गृह भेजा जाए। जब भी कभी संभव हो तब NGO को MOU करके विश्वसनीय आश्रय गृहों से अपनी भागीदारी को मज़बूती देनी चाहिए। साथ ही, जहाँ आश्रय गृह उपलब्ध नहीं हैं वहाँ ठहराव की व्यवस्थाएँ करने के लिए NGO प्रतिनिधियों को ज़िलाधिकारी से संपर्क करना चाहिए। यदि बचाए गए लोगों के लिए आश्रय गृह तुरंत न ढूँढे जा पाएँ, तो यह सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि ज़िलाधिकारी उनके ठहराव और उनकी सुरक्षा के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएँ करें।

● बचाव दल की सुरक्षा: सुनिश्चित करें कि ज़िलाधिकारी बचाव अभियान के आकार के आधार पर पर्याप्त संख्या में पुलिस कार्मिक शामिल करें। संवेदनशील या अधिक जोखिम वाले स्थानों के मामले में, अधिवक्ता को ज़िलाधिकारी के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाव दल के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस कार्मिक हों। किसी भी परिस्थिति में बचाव अभियान पुलिस सुरक्षा के बिना संचालित नहीं किए जाने चाहिए।

● स्वैच्छिक निकास: NGO प्रतिनिधियों के लिए यह पता करना अत्यावश्यक है कि पहचाने गए बंधुआ श्रमिक अपनी इच्छा से कार्यस्थल को छोड़ना चाहते हैं या नहीं। यदि श्रमिक रिहा होने की इच्छा जाहिर नहीं करते हैं, तो NGO प्रतिनिधियों को श्रमिकों को कानून के तहत उनके अधिकारों और पात्रताओं के बारे में बताना चाहिए और इस बात पर प्रकाश डालना चाहिए कि उनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि श्रमिकों को वहाँ से जाने पर विवश न किया जाए या उन्हें झूठी जानकारी न दी जाए। जानकारी नमी से, संवेदनशील ढंग से, और सही प्रकार से माँगी/पूछी जानी चाहिए।

● शिकायतकर्ताओं की सुरक्षा: बंधुआ श्रम शिकायतकर्ताओं की सलामती और सुरक्षा सुनिश्चित करें।

### उपयोगी प्रश्नों से परिचित हों

बचाव में भाग ले रहे NGO प्रतिनिधियों को बचाव के लिए जाने से पहले खुद को उपयोगी प्रश्नों से परिचित करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि नाम सही-सही लिखे गए हों और आप पीड़ित की मातृभाषा से परिचित हों। उदाहरण के लिए, यदि पीड़ित अपना नाम “गुड्डू” बताता है, तो पीड़ित से पूछकर स्पष्ट करें कि क्या यह उसका असली नाम है जो किसी पहचान पत्र पर लिखा हुआ है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन से किया जाता है कि रिहाई प्रमाणपत्र पर लिखे पीड़ितों के नाम, उनके पहचान पत्रों पर लिखे नामों के समान हों।

<sup>51</sup>यह बंधुआ बाल श्रम से संबंधित हस्तक्षेपों पर, या उन मामलों पर लागू है जहाँ बच्चों को उनके माता-पिता के बिना बंधुआ श्रम इकाइयों में नियुक्त किया गया है।

मानव व्यापार-रोधी इकाई

अधिवक्ता को बंधुआ श्रमिकों की पहचान के समय ध्यान रखने योग्य बिंदुओं52 के बारे में प्राधिकारियों को याद दिलाना चाहिए, जैसे:

- बलात् श्रम के अर्थ में भौतिक/शारीरिक बल का उपयोग शामिल होना आवश्यक नहीं है।
- बंधुआ श्रमिक किसी भी आयु के हो सकते हैं।
- बंधुआ श्रम किसी भी अवधि का हो सकता है।
- BLA में किसी दस्तावेज़ी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है।
- बंधुआ ऋण का जो भी दावा हो उसे असत्य प्रमाणित करने के लिए प्रमाण का भार (बर्डन ऑफ़ प्रूफ़) स्वामी पर होता है।<sup>53</sup>
- श्रम विभाग नियोक्ता/स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर सकता है, विशेष रूप से बाल श्रम के मामले में।

NGO की सहायता कर रहे अधिवक्ता को गवाह नहीं बनाना है

NGO को यह सुनिश्चित करने की सावधानी बरतनी चाहिए कि मुकदमे में सरकारी अभियोजक की सहायता करने वाला अधिवक्ता, बचाव के समय गवाह न हो। इस प्रयोजन से, हमारी यह सलाह है कि बचाव के समय कोई अन्य अधिवक्ता उपस्थित हो।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

क्या SDM/DM के आदेश या की उपस्थिति के बिना पुलिस, मानव व्यापार-रोधी इकाई, या CBI बचाव अभियान चला सकते हैं?

हाँ, पुलिस या AHTU उक्त आदेश की अनुपस्थिति में और SDM/DM के बिना बचाव अभियान चला सकते हैं। हालाँकि, यदि SDM/DM की उपस्थिति के बिना बचाव कार्य किया जाता है तो वह बेकार साबित होगा क्योंकि केवल DM/SDM (या नामित श्रम अधिकारियों) के पास ही BLA के तहत जाँच करने या कार्यान्वयन की निगरानी करने की शक्ति होती है।<sup>54</sup>

दस्तावेज़ों के नमूने और अभ्यास सहायक:

1. हर सदस्य की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ बताने वाला बचाव-पूर्व नियोजन बैठक फ़ॉर्म परिशिष्ट 4 में है।

2. बंधुआ श्रम के मिथक और वास्तविकताएँ, जो सरकारी अधिकारियों को बताई जा सकती हैं, जानने के लिए परिशिष्ट 5 देखें।

3. परिशिष्ट 7 में बंधुआ श्रमिक पहचान फ़ॉर्म का प्रारूप है, जिसमें बंधुआ श्रम की परिस्थितियों की पहचान करने के लिए पूछे जाने वाले कई उपयोगी प्रश्न हैं।

<sup>52</sup> UNODC Standard Operating Procedures on Investigation of Crimes of Forced Labour, 2008, Government of India and BBA के अनुभाग 2.3 के तहत, बंधुआ श्रम का पीड़ित कौन है इस बारे में दी गई जानकारी p. 11 पर देखें।

<sup>53</sup> धारा 15, BLA।

<sup>54</sup> अनुभाग 4.1 (उठाए जाने वाले क़दम) के तहत चरण 5, पूर्वोक्त, पृष्ठ 15 पर

चरण 1.4 बंधुआ श्रमिकों का बचाव शुरू करना

| समयसीमा: स्थल पर मिलने से लेकर बचाव कार्य पूरा करने तक, बचाव में एक दिन तक लग सकता है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अधिवक्ता                                                                                                                                                                      |
| NGO को बचाव योजना के अनुसार दूसरे हितधारकों के साथ मिलकर बंधुआ श्रम के पीड़ितों के बचाव की शुरुआत करनी चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अधिवक्ता को बंधुआ श्रम के पीड़ितों के बचाव में भाग लेकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह काम कानून के अनुसार किया जाए।                                                           |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                               |
| बचाव से पहले मिलें: NGO प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को मिलाकर बने बचाव दल के सदस्यों को बचाव से कम-से-कम दो घंटे पहले किसी आम स्थान पर मिलना चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                     | जैसा नीचे दिए गए चरणों में वर्णित है, अधिवक्ता यह सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि बचाव कार्य लागू कानूनों के अनुपालन में संचालित हो और अन्यथा सफल हो। |
| दल नायक रणनीति, बचाव योजना और भूमिकाएँ दोहराएगा: नायक को इस समय बचाव कार्य की रणनीति और उसके विभिन्न चरण समझाने चाहिए। दल नायक को दल के हर सदस्य की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ भी समझानी चाहिए और जो भी शंकाएँ हों उन्हें दूर करना चाहिए। NGO प्रतिनिधियों से बने एक निगरानी दल को बचाव के स्थान के पास तैनात कर देना चाहिए ताकि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि या बचाव की सूचना दोषियों को मिल जाने के बारे में जानकारी दे सकें। |                                                                                                                                                                               |

सस्मरणीय बिंदु

जाँच की शुरुआत

बचाव स्थल पर DM/SDM बंधुआ श्रम की मौजूदगी की जाँच शुरू करते हैं।

DM/SDM यह पहचान करते हैं कि कौन बंधुआ श्रमिक हैं

DM/SDM ही यह पहचान करेंगे कि कौन बंधुआ श्रमिक हैं और केवल उन्हीं के पास उन्हें मिली किसी शिकायत/कानूनी हस्तक्षेप रिपोर्ट के आधार पर जाँच करने का अधिकार है।

बचाव के लिए कौन-कौन जाता है?

वयस्क बंधुआ श्रमिकों के बचाव दल में आदर्श रूप से ये होने चाहिए:

- ज़िला प्रशासन का कम-से-कम एक अधिकारी (SDM/SDO, तहसीलदार या ऐसे कोई अन्य राजस्व अधिकारी जिन्हें एकजीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की शक्तियाँ सौंपी गई हों)।

● पुलिस विभाग के अधिकारी और NGO के प्रतिनिधि (बचाव के आकार पर निर्भर करते हुए)।

● बाल बंधुआ श्रमिकों के बचाव के मामले में बचाव दल में बाल श्रम कार्य बल के सदस्य होंगे जिनमें श्रम विभाग और ज़िला प्रशासन का कम-से-कम एक अधिकारी (SDM/SDO, तहसीलदार या ऐसे कोई अन्य राजस्व अधिकारी जिन्हें एकजीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की शक्तियाँ सौंपी गई हों), पुलिस विभाग के अधिकारी और NGO के प्रतिनिधि होंगे (बचाव के आकार पर निर्भर करते हुए)।

● बचाव दल में महिला सदस्य भी होने चाहिए (महिला पीड़ितों के मामले में)।

### पुलिस के लिए जाँचसूची

NGO प्रतिनिधियों को बचाव कार्य में साथ मौजूद ज़िला प्रशासन के अधिकारियों को और पुलिस अधिकारियों को जाँचसूची देनी चाहिए। जाँचसूची में हर अधिकारी की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ होनी चाहिए।

### मीडिया को साथ लेना

बचाव कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद ही मीडिया को साथ लेना चाहिए, क्योंकि पहले सूचना देने से जानकारी लीक हो सकती है। बंधुआ श्रमिकों की रिहाई के संबंध में मीडिया को साथ लेते समय इन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए:

- सही-सही तथ्य बताएँ। आँकड़े बताते समय स्रोत बताना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे, दी जा रही जानकारी को विश्वसनीयता मिलती है।
- अपने संगठन की एक मीडिया नीति तैयार करें, जिनमें उन प्रतिनिधियों के नाम लिखें जिन्हें मीडिया से बात करनी चाहिए। मीडिया से बात करने का अनुभव रखने वाले किसी व्यक्ति विशेष को नियुक्त करना महत्वपूर्ण है।
- यदि आपकी बातों को ग़लत कोट किया जाए, तो NGO प्रतिनिधि को लिखित में सुधार की माँग करनी चाहिए।
- मीडिया को प्रेस विज्ञप्ति प्रदान करना हमेशा बेहतर रहता है।
- बंधुआ श्रम की कहानियाँ साझा करने का उद्देश्य जागरूकता फैलाना, बंधुआ श्रमिकों को सशक्त करना, जनमत को आकार देना और बंधुआ श्रम की मौजूदगी सिद्ध करना है। कहानियाँ देते समय, सुनिश्चित करें कि कहानी को राजनीतिक रंग न मिलने पाए।
- NGO प्रतिनिधियों को विश्वसनीय मीडिया कंपनियों से संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। अपने-अपने जिलों में मीडिया संपर्कों का एक अंदरूनी डेटाबेस बना लेने से मदद मिलती है।
- यदि बचाया गया व्यक्ति/पीड़ित असहज है और अपनी कहानी किसी को बताना नहीं चाहता है तो मीडिया को कहानी की पेशकश न करें। शक्ति के अंतर और सहमति के विचार के अनुभव की कमी के प्रति संवेदनशील रहें, क्योंकि इनके कारण पीड़ित, सचमुच में सहज न होने के बावजूद या उलझावों को समझने बिना ही अपनी स्वीकृति ज़ाहिर कर सकता है। पीड़ित और उसके परिवार की सुरक्षा को सर्वोपरि महत्व देना चाहिए। ऐसी जानकारी प्रकट न करें जो पीड़ितों को खतरे में डाल सकती हो (जैसे नाम, फोटो या पैतृक गाँव)।
- NGO को बच्चों से संबंधित रिपोर्टिंग के मानक अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों से खुद को परिचित करना चाहिए और इन दिशानिर्देशों के अनुरूप एक आंतरिक बाल संरक्षण नीति तैयार करनी चाहिए।
- पीड़ित/बचाए गए व्यक्ति से सहमति लिए बिना उसकी कहानी कभी-भी साझा न करें। पीड़ित/बचाए गए व्यक्ति का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेने से पहले उसे पढ़कर सुनाने और समझाने के लिए एक सहमति फ़ॉर्म तैयार करें।

यह ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि:

- मीडिया को साथ लेने से बचाव कार्य कभी-भी खतरे में नहीं पड़ना चाहिए।
- NGO प्रतिनिधियों को किसी भी पीड़ित/बचाए गए व्यक्ति पर उसकी कहानियाँ साझा करने के लिए कभी-भी दबाव नहीं डालना चाहिए या उसे विवश नहीं करना चाहिए।
- पीड़ितों/बचाए गए व्यक्तियों से संबंधित कहानी प्रकाशित किए जाने से पहले उनसे अग्रिम सूचित सहमति लेनी चाहिए।

### और जानें तथा क़दम उठाएँ

#### बचाव के दौरान मुख्य रणनीतियाँ<sup>55</sup>

सुनिश्चित करें कि बचाव दल महत्वपूर्ण स्थानों की घेराबंदी करे, प्रवेश और निकास बिंदुओं को सुरक्षित करे, छिपने के स्थानों को ढूँढे, और एक ऐसे सुरक्षित स्थान की पहचान करे जहाँ बचाव कार्य चल रहा होने के दौरान, बचाए गए व्यक्तियों को रखा जा सकता हो।

#### दस्तावेज़ों के नमूने और अभ्यास सहायक

बंधुआ श्रम हस्तक्षेपों के लिए अधिवक्ता की केस ओपनिंग जाँचसूची परिशिष्ट 1 में दी गई है। बचाव कार्य से पहले, उसके दौरान और उसके बाद सरकारी अधिकारियों की सहायता करने के लिए अधिवक्ता और NGO इस दस्तावेज़ की मदद ले सकते हैं।

#### विभिन्न एजेंसियों की भूमिकाएँ

##### प्रशासन (DM/SDM/तहसीलदार)

शिकायत मिलने के बाद, DM/SDM/तहसीलदार को बंधुआ श्रमिकों की पहचान करने, उन्हें रिहा कराने और उनका पुनर्वास कराने के उद्देश्य से तुरंत जाँच के लिए एक दल बनाना है। वे बंधुआ श्रम के स्थान पर क्षेत्राधिकार वाली स्थानीय पुलिस को प्राथमिकी रजिस्टर करने और अपराध की पड़ताल करने का निर्देश भी देंगे। DM/SDM, BLA के प्रावधानों के तहत संक्षिप्त विचारण (मुकदमा) भी संचालित करते हैं।

#### श्रम अधिकारी

श्रम अधिकारियों को जाँच के दौरान DM/SDM/तहसीलदार की सहायता करनी है और श्रमिकों के बयान रिकॉर्ड करने हैं ताकि विभिन्न संबंधित कानूनों जैसे न्यूनतम वेतन अधिनियम, अनुबंध श्रम अधिनियम, अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम, EPF अधिनियम, समान पारितोषिक अधिनियम, और राष्ट्रीय अवकाश अधिनियम, के उल्लंघनों के लिए अभियोजन शुरू किया जा सके।

#### पुलिस अधिकारी

संबंधित पुलिस अधिकारी को जाँच अधिकारी की सहायता करनी है, उसके साथ रहना है, और जाँच के दौरान व्यवस्था बनाए रखनी है। उन्हें घटना स्थल पर तलाशी और ज़ब्त की कार्य करना है और साक्ष्य इकट्ठा करने हैं। वे आरोपितों को गिरफ़्तार करेंगे और पड़ताल शुरू करेंगे।

#### सतर्कता समिति

सतर्कता समिति के सदस्यों को जाँच अधिकारी की सहायता करनी चाहिए और उसके साथ रहना चाहिए।

#### NHRC

बंधुआ श्रमिकों की तत्काल जाँच, रिहाई और पुनर्वास के लिए सीधे NHRC से शिकायत की जा सकती है। NHRC सुनिश्चित करता है कि स्थानीय प्रशासन विभिन्न क़ानूनों के अनुसार कार्य करे।

<sup>55</sup> UNODC Standard Operating Procedures on Investigation of Crimes of Forced Labour, 2008, Government of India and BBA, ग 4.1, 'Steps to be taken' के तहत चरण 2, पृ. 15.

चरण 1.5 बंधुआ श्रमिकों के बचाव स्थल को सुरक्षित करना

| समयसीमा: बचाव स्थल को सुरक्षित करने की प्रक्रिया में एक दिन लग सकता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                          |
| NGO को बचाव स्थल को सुरक्षित करने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि आरोपितों का दोष दर्शाने वाला कोई भी साक्ष्य खोने न पाए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अधिवक्ता को बचाव स्थल को सुरक्षित करने से जुड़ी क़ानूनी कार्यविधियों के बारे में NGO को और (यदि ज़रूरी हो तो) पुलिस को जानकारी देनी चाहिए।                                                                        |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                   |
| NGO प्रतिनिधि पुलिस कार्मिकों की सहायता के साथ आरोपितों को उनका दोष दर्शाने वाला साक्ष्य हटाने, छिपाने या नष्ट करने से, पीड़ितों को बचाव स्थल से हटाने से, या भीड़ बनाने से रोक सकते हैं। NGO प्रतिनिधियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस कार्मिक बचाव स्थल को चारों ओर से तुरंत सुरक्षित करें56 ताकि अन्य व्यक्ति प्रवेश न करने पाएँ। जानकारी लीक होने से रोकने के लिए, NGO प्रतिनिधियों को पुलिस को यह सलाह देनी चाहिए कि वह आरोपितों, ठेकेदारों, पीड़ितों आदि के मोबाइल फोन अपनी अभिरक्षा में ले ले। | अधिवक्ता को जाँच स्थल को सुरक्षित करने में NGO और पुलिस की सहायता करनी चाहिए। यदि अधिवक्ता बचाव कार्य में भाग नहीं ले रहा है, तो उसे NGO को बचाव के संचालन के दौरान क़ानूनी कार्यविधियों के बारे में बताना चाहिए। |

चरण 1.6 बंधुआ श्रमिकों को आरोपितों से अलग करना

| समयसीमा: बंधुआ श्रमिकों को आरोपितों से अलग करने की प्रक्रिया बचाव वाले दिन की जानी चाहिए                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                                                                                                                                     | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NGO को बंधुआ श्रम को दोषियों से अलग करने में और बचाव स्थल पर किसी खुले स्थान पर ले जाने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए।                                                                                                                                                 | पीड़ितों को दोषियों से अलग किया जाए यह सुनिश्चित करके और यदि ज़रूरी हो तो इस प्रक्रिया में पुलिस को सलाह देकर अधिवक्ता को उचित जाँच और पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।                                                                                                           |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस तुरंत ही पीड़ितों को आरोपितों से अलग कर दे ताकि पीड़ितों का उत्पीड़न न हो या उन्हें डराया-धमकाया न जाए। उन्हें पीड़ितों को किसी खुले स्थान पर इकट्ठा करना चाहिए और एक ही परिवार के श्रमिकों को साथ-साथ रखना चाहिए। | अधिवक्ता को NGO प्रतिनिधियों को यह सलाह देनी चाहिए कि वे इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति पर शारीरिक/भौतिक बल और हिंसा का उपयोग न करें। अधिवक्ता को पीड़ितों और सरकारी दल को सुरक्षित रूप से निकालकर इकाई में ही किसी सुरक्षित खुले स्थान तक पहुँचाने के कार्य में सहायता करनी चाहिए। |

56 UNODC Standard Operating Procedures on Investigation of Crimes of Forced Labour, 2008, Government of India and BBA, के अनुभाग 4.1, 'Steps to be taken' के तहत चरण 2, पृ. 15.

सस्मरणीय बिंदु

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>पीड़ितों के प्रति पहली प्रतिक्रिया</b></p> <p>पीड़ितों को अलग करके उन्हें घटना स्थल पर ही किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचाते समय सुनिश्चित करें कि उन्हें तुरंत इस बारे में सूचना दी जाए कि क्या हो रहा है, पुलिस और अन्य लोग उस इकाई में क्यों आए हैं, और उन्हें क्यों बचाया जा रहा है।<sup>57</sup></p> <p><b>पीड़ितों को खुले स्थान पर ले जाना</b></p> <p>NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब पीड़ितों को किसी सुरक्षित स्थान पर खुले में ले जाया जा रहा हो तो वहाँ आरोपित व्यक्ति मौजूद न हों।</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

चरण 1.7 बंधुआ श्रम के साक्ष्य इकट्ठा करना

| समयसीमा: बंधुआ श्रम के साक्ष्य इकट्ठा करने की प्रक्रिया आदर्श रूप से बचाव वाले दिन ही पूरी कर लेनी चाहिए, और बचाए गए श्रमिकों की संख्या के आधार पर, यह समय कम-अधिक हो सकता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस बंधुआ श्रम की मौजूदगी से जुड़े सभी मौजूद साक्ष्य इकट्ठे कर ले।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अधिवक्ता को बंधुआ श्रम से जुड़े साक्ष्यों के क़ानूनी एकत्रण के बारे में NGO को बताना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस सभी मौजूद साक्ष्यों को पंचनामा/ज़बती ज़ापन में शामिल करे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस गवाहों/स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में सारे संभावित साक्ष्य इकट्ठे कर ले; इसमें स्वामित्व या किरायेदारी से संबंधित दस्तावेज़, खाते, लेखा बहियाँ, बिजली के बिल, टेलीफोन के, पानी के, और अन्य बिल, राशन कार्ड, नगरपालिका की कर रसीदें, यात्रा दस्तावेज़, भौतिक साक्ष्य, उपयुक्त प्राधिकरणों से जारी लाइसेंस या अनापत्ति प्रमाणपत्र, पीड़ितों द्वारा प्रयुक्त ख़तरनाक वस्तुएँ, औज़ार और उपकरण (यदि कोई हों)। | अधिवक्ता को महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठा करने से संबंधित क़ानूनी कार्यविधि के बारे में NGO प्रतिनिधियों को सलाह देनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में NGO प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण साक्ष्य खुद इकट्ठे नहीं करने चाहिए। अधिवक्ता को NGO प्रतिनिधियों को यह सलाह भी देनी चाहिए कि वे बचाव कार्य का संचालन करने के दौरान किसी भी व्यक्ति पर शारीरिक/भौतिक बल और हिंसा का उपयोग न करें। अधिवक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए (यदि बचाव स्थल पर मौजूद हो) या NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह देनी चाहिए कि पुलिस घटना स्थल पर ही गवाहों की मौजूदगी में पंचनामा/ज़बती ज़ापन तैयार करे और उस पर विधिवत रूप से गवाहों के हस्ताक्षर ले ले। गवाह के रूप में भाग ले रहा अधिवक्ता पीड़ितों के क़ानूनी परामर्शदाता के रूप में उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। |

57 UNODC Standard Operating Procedures on Investigation of Crimes of Forced Labour, 2008, Government of India and BBA, का अनुभाग 4.2, पृ. 16.

## सस्मरणीय बिंदु

### गवाह

बचाव दल के साथ मौजूद किसी NGO प्रतिनिधि या समाजसेवी को तलाशी व ज़ब्ती के प्रयोजन से स्वतंत्र गवाह बनाया जा सकता है।

### पूरे बचाव स्थल की तलाशी लें

NGO प्रतिनिधियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाव स्थल की पूरी तरह तलाशी ली जाए। पीड़ितों को बक्सों, अटारियों, शौचालयों, क्यूबिकल, तालाबंद कमरों आदि में छिपाकर रखा जा सकता है। NGO अन्य छिपाए गए पीड़ितों, बच्चों, अपराधियों और उनका दोष दर्शाने वाली अन्य सामग्री को ढूँढने में बचाए गए व्यक्तियों की सहायता ले सकता है।

### सुनिश्चित करें कि पुलिस और सरकारी अधिकारी गवाह बनाए जाएँ

NGO प्रतिनिधियों को इस बात पर ज़ोर देना चाहिए कि बचाव स्थल पर मौजूद पुलिस अधिकारियों और प्राधिकारियों को गवाह बनाया जाए।

### इकट्ठा किए जाने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्यों की सूची

बचाव कार्य से पहले खुद को महत्वपूर्ण साक्ष्यों की सूची से परिचित करें ताकि आपको जानकारी रहे कि क्या-क्या साक्ष्य इकट्ठे करने हैं। आप बचाव के समय मौजूद पुलिस अधिकारियों को यह सूची दिखा सकते हैं।

### पुलिस अधिकारियों की सहायता

NGO प्रतिनिधि/अधिवक्ता साक्ष्य इकट्ठे किए जाने के दौरान पुलिस अधिकारियों की केवल सहायता कर सकते हैं, वे खुद साक्ष्य इकट्ठे नहीं कर सकते हैं।

## और जानें तथा कदम उठाएँ

### महत्वपूर्ण साक्ष्यों की सुरक्षा करना

NGO अवलोकन अधीन महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को नोट करके और उनके फोटो खींचकर, महत्वपूर्ण साक्ष्यों जैसे लेखा बहियों, व्यावसायिक रिकॉर्ड, और अन्य संबंधित दस्तावेज़ों को सुरक्षित करने में पुलिस की सहायता कर सकता है। इससे, यदि पुलिस को औपचारिक पड़ताल के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य वापस आकर ज़ब्त करने हों तो दोषी ऐसी सामग्री को छिपा नहीं पाएँगे या नष्ट नहीं कर पाएँगे।

### कौन-कौनसे महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठे करने हैं?

कौन-कौनसे महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठे करने हैं और पड़ताल के लिए उनका महत्व क्या है इस बारे में जानने के लिए परिशिष्ट 8 देखें। उक्त परिशिष्ट का अध्ययन कर लेने के बाद उन सामग्री की एक सूची बनाएँ जो बंधुआ श्रम की पड़ताल और मुकदमे के लिए उपयोगी होगी।



## चरण 1.8 बंधुआ श्रमिकों के बयान दर्ज करना

समयसीमा: बयान बचाव वाले दिन ही दर्ज कर लेने चाहिए

### NGO

NGO को बंधुआ श्रम के पीड़ितों के बयान दर्ज करने के दौरान सरकारी अधिकारियों को सलाह देनी चाहिए।

### अधिवक्ता

अधिवक्ता को बंधुआ श्रम की मौजूदगी का निर्धारण करने के लिए पीड़ितों से पूछे जाने वाले शुरुआती प्रश्नों के बारे में सरकारी अधिकारियों को सलाह देनी चाहिए और पीड़ितों का बयान दर्ज किए जाने की प्रक्रिया शुरू होने से पहले पीड़ितों को उनके अधिकारों के बारे में बताना चाहिए।

### व्याख्या

NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शुरुआती जाँच तुरंत और किसी सुरक्षित परिवेश में की जाए। NGO प्रतिनिधियों को पीड़ितों को प्रेरित करना चाहिए कि वे बिना किसी डर के अधिकारियों के सामने अपनी बात रखें। NGO प्रतिनिधियों को अधिकारियों को भी यह मार्गदर्शन देना चाहिए कि वे जाँच के दौरान पीड़ित-हितैषी नज़रिया रखें। NGO प्रतिनिधियों को पीड़ितों के बयान दर्ज किए जाने के दौरान SDM/श्रम अधिकारियों की सहायता करनी चाहिए।

सुनिश्चित करें कि बयानों में इन आदि प्रश्नों के उत्तर हों:

- आपका वेतन कितना है/आपकी दिहाड़ी/मजदूरी कितनी है?
- अग्रिम/ऋण के रूप में कितनी राशि मिल चुकी है?
- ऋण किस ज़रिए चुकाया जाना था?
- इस नियोक्ता (स्वामी/ठेकेदार) विशेष के यहाँ आप कितने समय से काम कर रहे हैं?
- क्या आपसे बुरा बरताव हुआ है और/या आप पर हमला हुआ है?
- क्या आप कहीं और काम करने को आज़ाद हैं?
- क्या आप अपनी अग्रिम राशि चुकाए बिना यहाँ से जाने को आज़ाद हैं?

पीड़ितों को निडर होकर सच बोलने को प्रेरित करें। बुरे बरताव से संबंधित जानकारी पर सरकारी अधिकारियों का ध्यान खींचें और दंडनीय अपराधों जैसे यौन दुर्व्यवहार, शारीरिक दुर्व्यवहार, मौखिक दुर्व्यवहार, और अपहरण, जो बंधुआ श्रम की परिस्थितियों से संबंधित हैं, की पहचान करने में उनकी सहायता करें।

अधिवक्ता को बंधुआ श्रम की परिस्थितियों की मौजूदगी का निर्धारण करने के लिए पीड़ितों से पूछे जाने वाले शुरुआती प्रश्नों के बारे में अधिकारियों को सलाह देनी चाहिए। इनमें शामिल हैं:

- क्या आपने कोई अग्रिम राशि ली थी (कर्ज/लोन/ऋण/एडवांस)?
- क्या आप कहीं और काम करने को आज़ाद हैं? क्या आप अपनी अग्रिम राशि चुकाए बिना यहाँ से जाने को आज़ाद हैं?
- आपका वेतन कितना है/आपकी दिहाड़ी/मजदूरी कितनी है?
- क्या आपसे बुरा बरताव हुआ है और/या आप पर हमला हुआ है?

अधिवक्ता को पीड़ितों के बयानों को रिकॉर्ड करने का काम शुरू होने से पहले उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताना चाहिए।

अधिवक्ता को श्रमिकों को तुरंत यह बताना चाहिए कि बंधुआ श्रम गैरकानूनी है और उनके पास बंधन की परिस्थितियों से आज़ाद किए जाने का क़ानूनी अधिकार है।

अधिवक्ता को श्रमिकों को यह भरोसा भी दिलाना चाहिए कि क़ानून के तहत उन्हें स्वामी से सुरक्षा मिल सकती है।

अधिवक्ता को अन्य अपराधों जैसे अपहरण, हमलों और यौन दुर्व्यवहार से संबंधित विशिष्ट जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि क़ानून के जिन-जिन प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है उनके तहत आरोप तय किए जा सकें।

अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जाँच इस बात पर केंद्रित रहे कि निम्नलिखित के आधार पर बलात् श्रम की परिस्थितियाँ मौजूद हैं या नहीं:

- कोई वेतन न मिलना या न्यूनतम वेतन से कम मिलना
- रोज़गार और आने-जाने के लिए स्वतंत्र न होना
- संपत्ति या उत्पाद को बाज़ार मूल्य पर बेचने से रोका जाना

## सस्मरणीय बिंदु

### जाँच के चरण

बचाव की परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए, जाँच इनमें से एक प्रकार से होगी:

1. पूरी तरह से बचाव स्थल पर: इस मामले में, जाँच (पूछताछ) और बयान दर्ज करने के चरण (चरण 1.8 और 1.10) बचाव स्थल पर होंगे, जिसके बाद, बचाए गए व्यक्तियों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाएगा (चरण 1.9)।
2. बचाव स्थल पर और वहाँ से इतर: इस मामले में बचाव स्थल पर शुरुआती जाँच (शुरुआती पूछताछ) की जाती है जिसमें राजस्व विभाग के अधिकारी/तहसीलदार बंधुआ श्रमिकों की परिस्थितियों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। इसके बाद, जाँच स्थल से महत्वपूर्ण दस्तावेज़ इकट्ठे किए जाते हैं, और फिर बचाए गए श्रमिकों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा सकता है (चरण, 1.9), जहाँ उनके बयान दर्ज किए जाते हैं (चरण 1.8) और रिहाई प्रमाणपत्र स्वीकृत किए जाते हैं (चरण 1.10)।

### यदि बचाए गए व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम हो:

किसी बंधुआ श्रम इकाई से बचाए गए बच्चों की अनिवार्य रूप से आयु निर्धारित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। हालाँकि, ऐसी इकाइयों से बचाए गए बच्चे मोटे तौर पर इन दो श्रेणियों में आते हैं:

1. माता-पिता/संरक्षक के साथ बचाए गए बच्चे: यदि कोई बच्चा उसके परिजनों के साथ बचाया गया है, तो वह बच्चा अपने परिजनों के साथ रहेगा और उन्हीं के साथ रिहा किया जाएगा।
2. माता-पिता/संरक्षक के बिना बचाए गए बच्चे: यदि बचाया गया बच्चा अपने मात-पिता या संरक्षक के बिना, और श्रम कानूनों की अवहेलना में कार्य कर रहा था तो उचित सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे में, उस बच्चे को किशोर न्याय अधिनियम (JJ एक्ट) की धारा 2(14)(ii) के तहत “देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा” माना जाएगा और उसे उसकी आयु के निर्धारण के लिए और, जब तक उसकी देखभाल हेतु आगे के कदम उठाए जाएँ तब तक किसी संरक्षात्मक गृह में रखने के लिए, ज़िले की बाल कल्याण समिति के पास भेजा जाएगा। बच्चे को CWC भेजने से पहले उसकी चिकित्सीय ज़रूरतें पूरी की जानी चाहिए।

बच्चे की आयु के निर्धारण के लिए और उसे शुरुआती तौर पर किसी संरक्षात्मक गृह में रखने के लिए ज़िले की बाल कल्याण समिति के पास भेजा जाएगा और फिर उसकी उचित देखभाल के लिए आगे के ज़रूरी कदम उठाए जाएँगे। बच्चे को CWC भेजने से पहले उसकी चिकित्सीय ज़रूरतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

### बाल कल्याण समिति

बाल कल्याण समिति (चाइल्ड वेलफ़ेयर कमेटी, CWC) एक सांविधिक निकाय है जिसे किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 27 के तहत हर ज़िले में गठित किया गया है। CWC में एक अध्यक्ष होना चाहिए जो बाल कल्याण के विषय में अनुभवी हो, और चार सदस्य होने चाहिए, जिनमें से कम-से-कम एक महिला हो। CWC वह अनन्य निकाय है जो देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे के कल्याण का निर्धारण करता है और जिसके पास महानगरीय मैजिस्ट्रेट या प्रथम वर्गीय न्यायिक मैजिस्ट्रेट के समतुल्य शक्तियाँ होती हैं। “देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले” बच्चे को कोई भी CWC के सामने पेश कर सकता है। किशोर न्याय अधिनियम (JJA), 2015 पारित हो जाने के बाद, अब CWC देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामले में अंतिम प्राधिकरण नहीं रह गया है। JJA की धारा 27(10) कहती है कि CWC के लिए शिकायतों के निवारण का प्राधिकार ज़िलाधिकारी को दिया जाएगा और बच्चे से संबंधित कोई भी व्यक्ति ज़िलाधिकारी के सामने याचिका पेश कर सकता है जो उस पर विचार करके उपयुक्त आदेश जारी करेंगे।

### रिहाई प्रमाणपत्र स्वीकृत करना:

यदि DM/SDM यह निर्धारित करते हैं कि अमुक मामला बंधुआ श्रम का मामला है, तो वे यह कहेंगे कि जाँच की गई है और एक निश्चित संख्या में बंधुआ श्रमिकों की पहचान की गई है जिनके रिहाई प्रमाणपत्र स्वीकृत किए जाएँगे। व्यक्तियों को उनके बयानों के आधार पर रिहाई प्रमाणपत्र दिए जाएँगे।

जाँच के संचालन के दौरान ध्यान रखने योग्य कुछ बिंदु:

**जाँच के दौरान पीड़ितों को खाने-पीने की चीज़ें दें:** NGO और अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रिहा किए गए लोगों को तुरंत खाने-पीने की चीज़ें मिलें, क्योंकि उनके भूखे होने की संभावना है और इससे उनकी गवाही बाधित हो सकती है। बयान लेने में कई घंटे लग सकते हैं, इसलिए यदि संभव हो तो उन्हें खाने-पीने की और चीज़ें और विश्राम के लिए कोई जगह प्रदान की जानी चाहिए।

### पीड़ितों से गरिमापूर्वक व्यवहार करें:<sup>58</sup>

पीड़ितों को न्याय तंत्र के उपयोग का अधिकार है। NGO प्रतिनिधियों और अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून का पालन करवाने वाली एजेंसियाँ जो भी कार्रवाई शुरू करें उनमें वे पीड़ित-हितैषी कार्यविधियों का उपयोग करें। पीड़ित को हमेशा यह जानकारी दी जानी चाहिए कि वह एक पीड़ित है और उसका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। हस्तक्षेप के सभी चरणों के दौरान पीड़ितों को जानकारी के विभिन्न चरणों के बारे में सूचित रखना चाहिए और सहायता देनी चाहिए।

**यदि पीड़ित अभद्र भाषा का उपयोग करें तो खुद को अपमानित महसूस न करें क्योंकि वे सदमे से गुज़र रहे हैं।**

### पीड़ित का हित ही सर्वोपरि है

यदि पीड़ित अपराधों के विवरण बताना न चाह रहे हों तो उन्हें विवश न करें। पीड़ित को किसी प्रशिक्षित परामर्शदाता द्वारा परामर्श मिलना चाहिए। अनुवादकों का उपयोग करें, ताकि पीड़ित अपनी खुद की भाषा में बयान दे पाए।

### ग़लत जानकारी रिकॉर्ड करने के बारे में सावधान रहें

ऐसा संभव है कि डराए-धमकाए गए पीड़ित इस चरण में ग़लत जानकारी दें। NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाए गए बंधुआ श्रमिकों के बयान केवल तब दर्ज किए जाएँ जब वे बयान देना चाहते हों और बयान देने में सक्षम हों। NGO प्रतिनिधियों को पीड़ित को तुरंत बताना चाहिए कि क्या हो रहा है, और उसकी जो भी आशंकाएँ/ संदेह हों उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।

### बयान दर्ज करने के दौरान NGO प्रतिनिधियों का पर्याप्त प्रशिक्षण

सरकारी अधिकारी बयान दर्ज करने की प्रक्रिया में भागीदारी के लिए अक्सर NGO प्रतिनिधियों से संपर्क करते हैं। NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाव में भाग ले रहे प्रतिनिधि जाँच के संचालन में प्रशिक्षित हों। जब भी कभी संभव हो तब, बचाव के लिए ऐसे NGO प्रतिनिधि भेजें जो पीड़ित की भाषा में अच्छे से बातचीत कर सकते हों।

### पूछे जा रहे प्रश्नों पर नज़र रखें

अधिवक्ता को सरकारी अधिकारियों की पूछताछ पर नज़र रखकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रश्न उचित हों और संवेदन-शीलता के साथ पूछे जाएँ, उत्तरों को ठीक से दर्ज किया जाए, और जाँच शीघ्रता से पूरी कर ली जाए। सुनिश्चित करें कि यौन दुर्व्यवहार, हमलों या बच्चों के संबंध में पूछे गए प्रश्नों के लिए विशेष कार्यविधियों और संवेदनशीलता का उपयोग किया जाए।

### जाँच (पूछताछ) स्वामियों से दूर पूरी की जानी चाहिए:

अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संपूर्ण जाँच (पूछताछ) स्वामियों से दूर किसी सुरक्षित स्थान पर पूरी की जाए।

<sup>58</sup> UNODC Standard Operating Procedures on Investigation of Crimes of Forced Labour (2008, भारत सरकार और BBA के साथ संयुक्त प्रकाशन) में पृष्ठ 16 पर पीड़ितों के साथ कार्य करने के चरण देखें।

## और जानें तथा क़दम उठाएँ

**बचाव या छापे के दौरान स्थल-पर जाँच/पूछताछ का प्रयोजन:** बंधुआ मुक्ति मोर्चा<sup>59</sup> में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि इस जाँच का प्रयोजन बंधुआ श्रमिकों की पहचान करना, उन्हें उनके ऋणों से मुक्त करना, और उन्हें पुनर्वास के पथ पर अग्रसर करना है। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जाँच/पूछताछ किसी औपचारिक मुक़दमे के रूप में न संचालित की जाए और यह कि बंधुआ श्रमिकों की प्रभावी ढंग से पहचान की जाए।

**जाँच/पूछताछ की वे मुख्य रणनीतियाँ जो अधिवक्ता को पता होनी चाहिए:** सबसे पहले, याद रखें कि हर श्रमिक से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने चाहिए उनमें शामिल हैं 1) क्या आपको कोई अग्रिम (कर्ज़/लोन/ऋण/एडवांस) मिला था? 2) क्या आप इकाई से जाने को आज़ाद थे? 3) क्या आप दूसरा काम ढूँढने को आज़ाद थे? 4) आपको कितना वेतन मिलता था/कितनी दिहाड़ी/मज़दूरी मिलती थी? दूसरे, खुले छोर वाले प्रश्न पूछें (जैसे, आप इस इकाई में काम करने कैसे आए?)। तीसरे, बंद छोर वाले प्रश्न (जिनके उत्तर हाँ या नहीं में होते हैं) पूछने से बचें, तब के सिवाय जब कोई बिंदु विशेष स्पष्ट कर रहे हों।

**जाँच/पूछताछ हमेशा कथित दोषियों या इकाई के प्रबंधकों की मौजूदगी के बिना की जानी चाहिए:** एक बार फिर बता दें कि उपर्युक्त मामले<sup>60</sup> में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि जब जाँच/पूछताछ में बंधुआ श्रमिकों से प्रश्न पूछे जा रहे हों तो इकाई के स्वामियों को मौजूद नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि उक्त श्रमिकों को उनके अधिकारों के बारे में पूरी तरह से बताया जाना चाहिए।

जाँच/पूछताछ के प्रश्नों की सूची के लिए दस्तावेज़ों के नमूने और अभ्यास सहायक: बंधुआ श्रमिकों की पहचान के लिए प्रश्नों की एक अनुशंसित सूची परिशिष्ट 7 में प्रारूप में है।

**अपराध और शक्ति के दुरुपयोग के पीड़ितों हेतु न्याय के मूलभूत सिद्धांतों की घोषणा** सुझाती है कि पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ये उपाय किए जाने चाहिए:

- पीड़ितों से सहानुभूति से व्यवहार किया जाना चाहिए और वे न्याय तंत्र के उपयोग के अधिकारी हैं (सिद्धांत 4)
- संपूर्ण क़ानूनी प्रक्रिया के दौरान पीड़ितों को उचित सहायता दी जानी चाहिए (सिद्धांत 6 (c))
- पीड़ितों की असुविधा को न्यूनतम करने, उनकी निजता की सुरक्षा करने, उन्हें सुरक्षित रखने, और उन्हें, उनके परिजनों और गवाहों को डराए-धमकाए जाने और प्रतिशोध से सुरक्षित रखने के उपाय किए जाने चाहिए (सिद्धांत 6 (d));
- पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्थाएँ की जानी चाहिए (सिद्धांत 12 (a)); और
- मामलों के निपटारों और पीड़ितों को अधिनिर्णय प्रदान करने वाले आदेश कार्यान्वित करने में अनावश्यक देरी से बचना चाहिए (सिद्धांत 6 (e))।

**जाँच/पूछताछ के प्रश्नों की सूची के लिए दस्तावेज़ों के नमूने और अभ्यास सहायक:** बंधुआ श्रमिकों की पहचान के लिए प्रश्नों की एक अनुशंसित सूची परिशिष्ट 7 में प्रारूप में है।

## चरण 1.9 बंधुआ श्रमिकों को सुरक्षति स्थान पर ले जाना

समयसीमा: बंधुआ श्रमिकों को बचाव वाले दिन ही/बचाव से 24 घंटों के भीतर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहिए।

| NGO                                                                                                                              | अधिवक्ता                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बंधुआ श्रमिक अपना सारा सामान अपने साथ ले लें और उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया जाए। | अधिवक्ता को दोषियों की धमकियों और उत्पीड़न से बंधुआ श्रमिकों को बचाने के संरक्षण आदेश हेतु आवेदन दायर करना चाहिए। |

### व्याख्या

प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बंधुआ श्रमिकों को, अपना सामान इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त समय देते हुए, बचाव स्थल से जल्द-से-जल्द निकाल लिया जाए।

पीड़ितों को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना चाहिए, जैसे:

- एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का कार्यालय,
- सरकारी स्कूल,
- सामुदायिक हॉल

यदि बचाए गए पीड़ितों को किसी अन्य स्थान पर पहुँचाया न जा सकता हो, जैसे तब जब श्रमिक कार्यस्थल से जाना न चाहते हों और उसी नियोक्ता के लिए काम करते रहना चाहते हों, या तब जब श्रमिक खुद गाँव में ही रह रहे हों (कृषि बंधकों के मामले में), तो सुनिश्चित करें कि बचाए गए पीड़ितों की सुरक्षा के लिए बचाव स्थल पर पर्याप्त संख्या में पुलिस कार्मिक उपलब्ध हों।

यदि बचाए गए पीड़ितों को किसी अन्य स्थान पर पहुँचाया न जा सकता हो तो अधिवक्ता को संरक्षण आदेश प्राप्त करना चाहिए।

उदाहरण के लिए, कृषि बंधुआ श्रमिकों के बचाव के मामले में, श्रमिक झोपड़ियों में या उनके नियोक्ता द्वारा खेत पर या उसके अगल-बगल बनवाए गए अस्थायी कमरों में रहते हैं। ऐसे मामलों में, अधिवक्ता को पुलिस से संपर्क करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों को पर्याप्त सुरक्षा मिले ताकि उनके स्वामी (जो आस-पास ही रहते हैं) उन्हें डरा या धमका न पाएँ।

यदि बचाए गए पीड़ित अपने परिजनों की सुरक्षा के बारे में डर ज़ाहिर करें तो अधिवक्ता को उत्पीड़न संरक्षण पत्र दायर करना चाहिए। पीड़ितों के सभी डरों पर ध्यान देना चाहिए, और तुरंत आवश्यक क़दम उठाने चाहिए।

### सस्मरणीय बिंदु

**बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना:** यदि बंधुआ श्रमिक का कोई बच्चा हो, तो सुनिश्चित करें कि उसे माता-पिता से अलग न किया जाए।

**सलामती और सुरक्षा सुनिश्चित करना:** बचाव स्थल पर, सभी पीड़ितों की सलामती और सुरक्षा सुनिश्चित करें। यदि शिकायतकर्ता आरोपित द्वारा हिंसक दुर्व्यवहार का इतिहास बताए तो विशेष सावधानी बरतें।

### और जानें तथा क़दम उठाएँ

**निष्कासन के विरुद्ध संरक्षण:** बंधुआ श्रम अधिनियम की धारा 19, मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों को निष्कासन के विरुद्ध रक्षा के उपाय प्रदान करती है।

**उत्पीड़न संरक्षण पत्र:** रिहाई वाले दिन पीड़ित या समाजसेवी पीड़ित के क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन में संरक्षण पत्र या ज़ापन दायर कर सकता है, ताकि दोषियों से निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित हो। इस पत्र का एक नमूना **परिशिष्ट 9** में है।

<sup>59</sup> AIR 1984 SC 802 , पैरा 34।

<sup>60</sup> AIR 1984 SC 802 पैरा 37 ।

## चरण 1.10 बंधुआ श्रमिकों का रिहाई आदेश प्राप्त करना

समयसीमा: श्रमिकों के रिहाई आदेश और रिहाई प्रमाणपत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया में एक से तीन दिन तक लग सकते हैं।

| NGO                                                                                                                                   | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO को SDM या उनके अधीनस्थ अभिहित अधिकारी के समक्ष रिहाई आदेश और रिहाई प्रमाणपत्र शीघ्रता से जारी करने के अनुरोध का आवेदन करना चाहिए। | सभी बंधुआ श्रमिकों के लिए कानून द्वारा आवश्यक किए गए के अनुसार रिहाई आदेश और रिहाई प्रमाणपत्र शीघ्रता से जारी कर दिए जाएँ यह सुनिश्चित करने के लिए अधिवक्ता को NGO के साथ SDM के कार्यालय जाना चाहिए। |

### व्याख्या

NGO प्रतिनिधि को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि:

- SDM से रिहाई आदेश और रिहाई प्रमाणपत्र जारी करने का लिखित अनुरोध किया जाए।
- SDM या उनके द्वारा अभिहित अधिकारी बचाए गए हर बंधुआ श्रमिक के लिए बचाव के तुरंत बाद रिहाई आदेश जारी करें और रिहाई प्रमाणपत्र प्रदान करें।
- रिहाई आदेश में हर श्रमिक का नाम लिखा हो और यह घोषणा लिखी हो कि उन्हें बंधुआ श्रम से आधिकारिक रूप से रिहा कर दिया गया है।

यदि SDM अनिच्छा दिखाएँ, तो प्रतिनिधि को DM से संपर्क करना चाहिए। यदि तब भी बात न बने, तो NGO प्रतिनिधि RTI आवेदन दायर करके कारण पूछ सकते हैं।

NGO प्रतिनिधि राज्य मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी संपर्क कर सकते हैं।

और आखिर में, NGO प्रतिनिधि किसी अधिवक्ता से संपर्क करके उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर सकते हैं।

रिहाई आदेश और रिहाई प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए अधिवक्ता को NGO के साथ जाना चाहिए।

यदि DM आदेश स्वीकृत करने और प्रमाणपत्र जारी करने के अनुरोध को स्वीकार न करें, तो अधिवक्ता को उपयुक्त मंचों से लिखित शिकायतें करनी चाहिए और उनके समक्ष रिट याचिकाएँ दायर करनी चाहिए। अधिवक्ता को RTI आवेदन दायर करके उक्त अस्वीकृति के कारण भी पूछने चाहिए। अधिवक्ता को रिहाई आदेश और रिहाई प्रमाणपत्र प्राप्त करने में NGO प्रतिनिधियों को सलाह व सहायता देनी चाहिए।

अधिवक्ताओं को रिहाई आदेश स्वीकृत किए जाने के आवेदन के लिए मसौदों के साथ तैयार रहना चाहिए। रिहाई प्रमाणपत्र के प्रारूप की सहायता लें ताकि सभी आवश्यक विवरण शामिल कर लिए जाएँ।



## संस्मरणीय बिंदु

### रिहाई आदेश कब और कहाँ जारी होना चाहिए?

रिहाई आदेश जाँच/पूछताछ पूरी होते ही जल्द-से-जल्द जारी कर दिया जाना चाहिए। यदि जाँच/पूछताछ स्थल पर पूरी हुई है तो आदेश स्थल पर ही स्वीकृत कर दिया जाता है, पर यदि जाँच/पूछताछ स्थल से इतर अन्य स्थान पर पूरी हुई है, तो रिहाई आदेश स्थल से इतर अन्य स्थान पर स्वीकृत किया जाता है (और जानकारी के लिए चरण 1.8 में दी गई टिप्पणी देखें)।

### रिहाई प्रमाण पत्र कब जारी होने चाहिए?

CSS योजना में 23.06.2017 को हुए संशोधन के अनुसार, बचाव के तुरंत बाद रिहाई प्रमाणपत्र जारी कर दिए जाने चाहिए। पहले, रिहाई प्रमाणपत्र जारी कब किया जाए इस बारे में कुछ भ्रम था, क्योंकि 2016 की योजना के तहत रिहाई प्रमाणपत्र का जो आदर्श फॉर्म था उसमें दोषसिद्धि के दिनांक की प्रविष्टि थी, जिससे यह संकेत मिल रहा था कि रिहाई प्रमाणपत्र दोषियों की दोषसिद्धि के बाद ही स्वीकृत किए जाते हैं। हालाँकि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (MoLE), भारत सरकार ने बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2016 की यह त्रुटि ठीक कर दी और 23.06.2017 को किए गए संशोधन/आशोधन (जिसे एतदपश्चात "CSS BL 2016 (23.6.2017 तक यथा संशोधित)" कहा गया है) द्वारा रिहाई आदेश से दोषसिद्धि का दिनांक हटा दिया, ताकि रिहाई प्रमाणपत्र अभियोजन पूर्ण होने से पहले जारी किए जा सकें। इसके अतिरिक्त, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञाप दिनांकित 17-08-2017 के ज़रिए "बंधुआ श्रमिक की पहचान और बचाव तथा अपराधी के अभियोजन की मानक प्रचालन कार्यविधि" जारी की जो यह प्रावधान करती है कि DM या SDM बचाए गए बंधुआ श्रमिकों को बचाव से 24 घंटों के भीतर रिहाई प्रमाणपत्र तत्काल जारी करेंगे। उपर्युक्त के अतिरिक्त, संतल परगना अंत्योदय आश्रम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य<sup>62</sup> में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और NHRC दिशानिर्देशों<sup>63</sup> के आलोक में, यह अर्थ निकाला जा सकता है कि प्रशासन जाँच/पूछताछ पूर्ण होते ही जल्द-से-जल्द रिहाई प्रमाणपत्र जारी करने को बाध्य है।

<sup>61</sup> संतल परगना अंत्योदय आश्रम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य 1987 (1) SCALE 679, 1987 संलग्नक(1) SCC 141, 1987 (संलग्नक) SCC 141.

<sup>62</sup> Know your rights, Bonded Labour, 2010, National Human Rights Commission, यहाँ उपलब्ध: <http://nlrd.org/wp-content/uploads/2012/02/NHRC-KNOW-YOUR-RIGHTS-Bonded-Labour-English.pdf>

**अंतरराज्यीय रिहाई आदेश:** अंतरराज्यीय बचाव के मामले में रिहाई आदेश जारी करने की ज़िम्मेदारी स्पष्ट होनी चाहिए। BLA की धारा 12 के अनुसार, ज़िलाधिकारी का यह दायित्व है कि वह अपने क्षेत्राधिकार के भीतर बंधुआ श्रम की मौजूदगी की जाँच करे और कार्रवाई करे। अतैव, धारा 12 के तहत, ज़िलाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के भीतर बंधुआ श्रमिकों को रिहाई आदेश स्वीकृत कर सकता है।

**आज़ादी का भाषण:** NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी अधिकारी आज़ादी का एक भाषण दें जिसमें वे बचाए गए बंधुआ श्रमिकों को बताएँ कि उन्हें बंधन से मुक्त कर दिया गया है, उन्हें उनके अधिकार समझाएँ, और स्वतंत्र बने रहने की अटलता की ज़रूरत के बारे में समझाएँ।

**अंतरिम क्षतिपूर्ति:** अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाल ही में नवीनीकृत CSS 23.06.2017 तक यथा संशोधित<sup>63</sup>, के तहत DM बचाए गए प्रत्येक व्यक्ति के लिए ज़िला बंधुआ श्रमिक पुनर्वास निधि से ₹20,000.00 की तत्काल सहायता उपलब्ध कराएँ। ध्यान दें कि 17.05.2016 को अधिसूचित CS योजना में रिहा कराए गए प्रत्येक बंधुआ श्रमिक को ₹5,000.00 की तत्काल क्षतिपूर्ति का प्रावधान है जिसे बाद में पत्र फ़ो. क्रमांक S-11012/01/2015-BL के माध्यम से बढ़ाकर ₹20,000.00 कर दिया गया है।

**प्रशासन की अन्य ज़िम्मेदारियाँ:** NGO/अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रशासन सभी श्रमिकों को उनके शोषण के स्थान से निकाले और उनके लिए परिवहन, भोजन, पेयजल, ट्रेन/बस के किराये, चिकित्सीय देखभाल, मार्गरक्षण, तथा उनके मूल स्थान भेजे जाने की व्यवस्था करे।



### और जानें तथा क़दम उठाएँ

**रिहाई प्रमाणपत्र और अंतरिम क्षतिपूर्ति प्रदान किए जाने को सुनिश्चित करना:** संतल परगना अंत्योदय आश्रम बनाम बिहार राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि रिहा किए गए बंधुआ श्रमिकों को 'उनकी रिहाई के साथ ही' रिहाई प्रमाणपत्र दे दिए जाने चाहिए।<sup>64</sup> मामले में आगे यह प्रावधान भी किया गया कि रिहाई आदेशों में उपयुक्त प्राधिकारियों के लिए बंधुआ श्रम के प्रत्येक पीड़ित को ₹1,000.00 की अंतरिम राहत जारी करने का निर्देश होना चाहिए।

**रिहाई प्रमाणपत्रों से संबंधित दस्तावेज़ों के नमूने और अभ्यास सहायक:** रिहाई प्रमाणपत्र स्वीकृत किए जाने के लिखित अभिवेदन का एक नमूना परिशिष्ट 15 में है। रिहाई प्रमाणपत्र के प्रारूप का एक नमूना परिशिष्ट 16 में है।

<sup>63</sup> श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप दिनांकित 17 जनवरी, 2017 के अनुसार, ज़िला बंधुआ श्रम पुनर्वास निधि के तहत DM द्वारा क्षतिपूर्ति दी जाएगी।

<sup>64</sup> पुनर्वास निधि को ₹5,000.00 से बढ़ाकर ₹20,000.00 कर दिया गया है। बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2016 दिनांकित 23.06.2017 में संशोधन भी देखें। [1987 (1) SCALE 679].

## 2.0 बंधुआ श्रम के दोषियों पर अभियोजन की कार्यविधियों का सारांश



**बंधुआ श्रम की प्राथमिकी दर्ज कराना**  
पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी बंधुआ श्रम के अपराधों की जानकारी को प्राथमिकी (FIR) के रूप में दर्ज करता है और जाँच व गिरफ्तारी की कार्रवाई के साथ आगे बढ़ता है; वह यह सुनिश्चित करता है कि प्राथमिकी में सभी धाराएँ शामिल की जाएँ और प्राथमिकी की प्रति शिकायतकर्ता को देता है।



**आरोपित दोषियों को गिरफ्तार करना**  
पुलिस DA के निर्देशानुसार आरोपितों को गिरफ्तार करती है और जाँच के साथ तेज़ी से आगे बढ़ती है।



**अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए वकालतनामा और आवेदन दायर करना**  
पीड़ित का अधिवक्ता पीड़ित के प्रतिनिधित्व के लिए और अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए न्यायालय में आवेदन दायर करता है।



**दोषी के ज़मानत आवेदन का विरोध करना**  
आरोपित द्वारा जो भी ज़मानत याचिकाएँ दायर की जाएँ उनका विरोध करने के लिए अधिवक्ता पुलिस और सरकारी अभियोजक के साथ कार्य करता है।



**जाँच के दौरान बयान दर्ज करना**  
पुलिस पीड़ितों का साक्षात्कार लेकर उनके बयान दर्ज करती है; बयान पुलिस स्टेशन में नहीं बल्कि पीड़ित के लिए किसी सुविधाजनक स्थान पर दर्ज किए जाने चाहिए। ज़रूरी हो तो पिछले बयानों का पूर्ण करें।



**बंधुआ श्रम इकाई बंद/सील करना**  
DA और श्रम विभाग बंधुआ श्रमिकों से काम लेने के कारण इकाई को बंद करने और उसका पंजीकरण रद्द करने का आदेश देते हैं।



**न्यूनतम वेतन वसूलना**  
श्रम विभाग (ज़िला श्रम अधिकारी) DA द्वारा जारी रिहाई आदेश के अनुसरण में न्यूनतम वेतन के भुगतान का आदेश देता है।



**बंधुआ श्रम आरोप-पत्र दायर करना**  
जाँच अधिकारी (पुलिस) देरी किए बिना 90 दिनों के भीतर आरोप-पत्र दायर करता है।



**मुकदमे का उपयुक्त मंच सुनिश्चित करना**  
आरोप-पत्र दायर होने के बाद न्यायाधीश मामले का संज्ञान लेते हैं और उसे उचित न्यायालय को सौंप देते हैं।



**बंधुआ श्रम के आरोप लगाना**  
न्यायालय आरोपितों पर समयबद्ध ढंग से आरोप (जिनमें तथ्यों द्वारा समर्थित सारे लागू अपराध शामिल हैं) लगाता है और उनसे सफ़ाई माँगता है (दोष स्वीकार लेने पर मुकदमा समाप्त हो जाता है)।



**बंधुआ श्रम की सुनवाईयों में अभियोजन पक्ष की सहायता करना**  
अधिवक्ता को सभी सुनवाईयों में सरकारी अभियोजक की सहायता करनी चाहिए और आवश्यक होने पर न्यायालय में पीड़ित की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए।



**बंधुआ श्रम के गवाहों को गवाही के लिए तैयार करना**  
अधिवक्ता को सरकारी अभियोजक को बंधुआ श्रम के और अभियोजन के सारे गवाहों को गवाही हेतु तैयार करने में सहायता देनी चाहिए। न्यायालय को पीड़ित के प्रति संवेदना रखने वाले उपाय करने चाहिए, विशेष रूप से बाल पीड़ितों के मामले में; यदि आवश्यक हो तो एकांत में कार्यवाही संचालित करनी चाहिए।



**बंधुआ श्रम के अंतिम तर्क प्रस्तुत करना**  
सरकारी अभियोजक न्यायालय को बंधुआ श्रम की मौजूदगी का विश्वास दिलाने के लिए अंतिम तर्क प्रस्तुत करता है।



**बंधुआ श्रम पर अंतिम निर्णय प्राप्त करना**  
न्यायालय सभी पक्षों को निर्णय की प्रमाणित प्रतियाँ प्रदान करता है।



**बंधुआ श्रम की अपील**  
न्यायालय सभी पक्षों की अपीलों, यदि दायर की गई हों, पर उचित रूप से विचार करता है।

## चरण 2.1 बंधुआ श्रम की प्राथमिकी दर्ज कराना

समयसीमा: प्राथमिकी दर्ज कराने में एक से तीन दिन तक लग सकते हैं।

| NGO                                                                                                                                                     | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जिस पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में बंधुआ श्रम की घटना हुई है उस पुलिस स्टेशन में NGO को बंधुआ श्रम के अपराध की सूचना दर्ज करानी चाहिए।               | अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दर्ज कराई जाने वाली जानकारी को पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी प्राथमिकी (FIR) के रूप में रिकॉर्ड करे और उसमें BLA, IPC, ST/ST POA एक्ट (यदि लागू हों) और कानून की जो भी अन्य लागू धाराएँ हों उनके तहत सभी संबंधित अपराध सूचीबद्ध किए गए हों।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| व्याख्या                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हो और उसमें बंधुआ श्रम के बारे में सारी जानकारी विस्तार से दी गई हो।</p> | <p>अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिकायत-तकर्ता पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पास CrPC की धारा 154(1) के तहत एक या अधिक संज्ञेय अपराधों के किए जाने की सूचना दर्ज कराए। प्राथमिकी दर्ज कराए जाते समय अधिवक्ता को NGO प्रतिनिधियों के साथ पुलिस स्टेशन में उपस्थित रहना चाहिए और पुलिस की सहायता करनी चाहिए।</p> <p><b>प्राथमिकी में निम्नलिखित विवरण हो सकते हैं:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● बचाव का दिनांक और स्थान</li> <li>● बचाए गए पीड़ितों के नाम और उनकी आयु</li> <li>● अपराध घटित होने का स्थान</li> <li>● मानव व्यापारियों के नाम व पते (यदि ज्ञात हों)</li> <li>● घटित अपराधों के विवरण</li> <li>● बचाव स्थल का और ज़ब्त सामग्री का संक्षिप्त वर्णन</li> <li>● अभियान संचालित करने वाले बचाव दल का विवरण।</li> </ul> <p>अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी सूचना को CrPC की धारा 154 के तहत प्राथमिकी के रूप में दर्ज करे।</p> <p><b>यदि प्राथमिकी पंजीकृत नहीं की जा रही है तो ये कदम उठाएँ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. यदि सूचना दर्ज नहीं की जा रही है या प्राथमिकी पंजीकृत नहीं की जा रही है, तो अधिवक्ता को CrPC की धारा 154(3) के अनुसरण में वह सूचना लिखित में और पंजीकृत डाक द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेजनी चाहिए।</li> <li>2. यदि तब भी सूचना को प्राथमिकी के रूप में पंजीकृत न किया जाए, तो अधिवक्ता को CrPC की धारा 156(3) के तहत मैजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करानी चाहिए ताकि वे सूचना दर्ज किए जाने और जाँच शुरू किए जाने का आदेश दें।</li> </ol> |



3. यदि तब भी सूचना को प्राथमिकी के रूप में पंजीकृत न किया जाए, तो अधिवक्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करनी चाहिए।

यदि तथ्यों द्वारा समर्थित हो तो, अधिवक्ता को अतिरिक्त अपराधों को शामिल करवाने के लिए एक पत्र और साथ में एक शपथपत्र (एफिडेविट/हलफना-मा) या अन्य समर्थक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने चाहिए।

## सस्मरणीय बिंदु

**प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए शिकायत कोई भी कर सकता है:** कोई भी व्यक्ति बंधुआ श्रम के अपराध की प्राथमिकी पंजीकृत कराने के लिए सूचना (या शिकायत) दर्ज करा सकता है। प्राथमिकी पंजीकृत कराने के लिए शिकायत दर्ज कराने के प्रयोजन से पीड़ित, उसका कोई परिजन, ज़िला प्रशासन, पुलिस अधिकारी, श्रम विभाग, या सतर्कता समिति के सदस्य में से कोई भी शिकायतकर्ता हो सकता है।

**यदि बचाया गया व्यक्ति उसके व्यापार के समय बच्चा था:** यदि बचाया गया व्यक्ति वयस्क है पर उसके व्यापार के समय वह बच्चा था, तो बाल व्यापार पर लागू होने वाले कानून की धाराएँ लगावाएँ। IPC की धाराएँ 372 और 373 तथा JJA की धाराएँ 23, 24, 25, और 26, जो लागू हों, देखें।

**प्राथमिकी में जाँच अधिकारी (IO) का नाम होना ज़रूरी है:** प्राथमिकी पंजीकृत कर रहे IO का नाम और उसका पदनाम प्राथमिकी में साफ़-साफ़ लिखा जाना चाहिए। मुकदमे में IO की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसलिए प्राथमिकी में IO का विवरण साफ़-साफ़ लिखा होना चाहिए।

**CrPC की धारा 157 के तहत जाँच पर ज़ोर दें:** अधिवक्ता को पुलिस को CrPC की धारा 157 के तहत जाँच के साथ आगे बढ़ने को और संज्ञेय अपराध करने के संदिग्धों को गिरफ़्तार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि पुलिस जाँच के साथ आगे न बढ़े, तो अधिवक्ता को जाँच शुरू करने के आदेश के लिए CrPC की धारा 156(3) के तहत मैजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दर्ज करना चाहिए।

**ऐसे मामलों में जिनमें SC व ST अधिनियम के तहत अपराध शामिल हों:** यदि मामले में SC व ST अधिनियम के तहत अपराध शामिल हों, तो अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मामले की जाँच DSP या उनसे उच्चतर रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा की जाए और 30 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाए।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

**प्राथमिकी पंजीकृत करने का अनिवार्य दायित्व:** पुलिस स्टेशन का प्रभारी पुलिस अधिकारी CrPC की धारा 154 के तहत संज्ञेय अपराधों के लिए प्राथमिकी पंजीकृत करने को बाध्य होता है। प्राथमिकी पर सूचना देने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर भी ज़रूरी होता है।<sup>65</sup>

प्राथमिकी से संबंधित निर्णयों के बारे में और जानने के लिए अध्याय 5 देखें।

**शून्य प्राथमिकी (ज़ीरो FIR):** शून्य प्राथमिकी किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जा सकती है। व्यक्ति ऐसे पुलिस स्टेशन जा सकता है जिसके पास मामले के ऊपर क्षेत्राधिकार नहीं है, और वहाँ के प्रभारी अधिकारी को शिकायत नोट करनी होगी, उसे “0” संख्या देनी होगी, और उसे संबंधित पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित करना होगा।<sup>66</sup> इसके लिए प्राथमिकी पंजीकृत करने की सामान्य कार्यविधि का ही पालन किया जाता है, और पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि वह उसे उपयुक्त पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित करे। शून्य प्राथमिकी से प्राथमिकी दर्ज होने में विलंब से बचा जा सकता है; यह विलंब पीड़ित पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है और अपराधियों को भागने का मौक़ा दे सकता है। शून्य प्राथमिकी तब भी उपयोगी होती है जब पीड़ित/शिकायतकर्ता संबंधित पुलिस स्टेशन तक जाने की मानसिक या शारीरिक स्थिति में नहीं होते हैं।

**दस्तावेज़ों के नमूने और अभ्यास सहायक:**

- **बलात् श्रम की शिकायत:** RDO के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली बलात् श्रम की शिकायत के प्रारूप के नमूने के लिए परिशिष्ट 7A देखें।
- **प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए शिकायत पत्र:** प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्राथमिकी) दर्ज कराने हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले शिकायत पत्र के नमूना प्रारूप के लिए परिशिष्ट 7B देखें।
- **यदि पुलिस प्राथमिकी दर्ज न करे तब प्रयोग होने वाले प्रारूप:**
  - **प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए CrPC की धाराओं 200 और 156(3) के तहत मैजिस्ट्रेट को आवेदन:** शिकायत का संज्ञान लेने के लिए CrPC की धारा 200 के तहत मैजिस्ट्रेट को किए जाने वाले आवेदन के मसौदे और, संबंधित SHO को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिलवाने के लिए CrPC की धारा 156(3) के तहत किए जाने वाले आवेदन के मसौदे के लिए परिशिष्ट 22A देखें।
  - **केस डायरी मँगवाने के लिए मैजिस्ट्रेट को CrPC की धारा 172 (2) के तहत आवेदन:** शुरुआती जाँच में सहायता के लिए पुलिस द्वारा बनाकर रखी जाने वाली केस डायरी मँगवाने का आग्रह मैजिस्ट्रेट से करने हेतु CrPC की धारा 172(2) के तहत किए जाने वाले आवेदन के लिए परिशिष्ट 12 देखें। हालाँकि, यह आवेदन कर दिए जाने पर IO पर संदेह उत्पन्न होता है और इसलिए केवल उचित कारण उपस्थित होने पर ही यह आवेदन करना चाहिए।

**प्राथमिकी:** प्राथमिकी (FIR) देखने में कैसी होती है यह जानने के लिए अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन या JVI से संपर्क करें।

**उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका:** प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली याचिका का मसौदा पाने के लिए JVI से संपर्क करें।

<sup>65</sup> धारा 154 (1), CrPC.

<sup>66</sup> रिट याचिका (फौजदारी अपील) सं. 1266, वर्ष 2007, सोनू व अन्य बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार एवं अन्य में: “यदि सूचित अपराध किसी पुलिस स्टेशन विशेष के क्षेत्राधिकार के भीतर नहीं हुआ है तो भी प्राथमिकी पंजीकृत करके संबंधित क्षेत्राधिकारी पुलिस स्टेशन को स्थानांतरित की जानी चाहिए।”

चरण 2.2 बंधुआ श्रम के आरोपितों को गिरफ़्तार करना

| समयसीमा: आरोपितों की गिरफ़्तारी या तो बचाव वाले दिन या बचाव से एक सप्ताह के भीतर हो सकती है।               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                        | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NGO को बंधुआ श्रम अपराधों के सभी आरोपित व्यक्तियों को तुरंत गिरफ़्तार करने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए। | अधिवक्ता को CrPC के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोपितों की तुरंत गिरफ़्तारी में पुलिस की सहायता करनी चाहिए और पुलिस को तेज़ी से जाँच आगे बढ़ाने को प्रेरित करना चाहिए।                                                                                                                                                                               |
| व्याख्या                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NGO को DM/SDM के निर्देशानुसार गिरफ़्तारी की जाने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए।                          | अधिवक्ता को आरोपितों की अविलंब गिरफ़्तारी की जाने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए।<br><br>यदि अपराध संज्ञेय हो, तो पुलिस अधिकारी वॉरंट के बिना गिरफ़्तारी कर सकता है; असंज्ञेय अपराधों के मामले में वॉरंट आवश्यक होता है।<br><br>BLA <sup>67</sup> के तहत सभी अपराध और SC व ST POA <sup>68</sup> के तहत बंधुआ श्रम से संबंधित सभी अपराध संज्ञेय हैं। |

और जानें तथा क़दम उठाएँ

**जाँच के दौरान गिरफ़्तारी:** CrPC की धारा 157(1) यह प्रावधान करती है कि जाँच करते समय पुलिस अधिकारी आवश्यक होने पर अपराधियों की खोज और गिरफ़्तारी के क़दम उठा सकता है।

**पीड़ित संरक्षण:** NGO को यह पता लगाना चाहिए कि आरोपित ने पूर्व में पीड़ितों को धमकियाँ दी हैं या नहीं। यदि दी हों, तो अधिवक्ता संबंधित पुलिस स्टेशन में पीड़ितों के संरक्षण हेतु आवेदन दर्ज करा सकता है।

**IPC अपराधों की संज्ञेयता:** IPC के तहत बंधुआ श्रम से संबंधित अपराध संज्ञेय हैं क्योंकि IPC के तहत 3 वर्ष से अधिक के कारावास की सज़ा वाले सभी अपराध संज्ञेय होते हैं।

चरण 2.3 सरकारी अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए वकालतनामा और आवेदन दायर करना

| समयसीमा: अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए वकालतनाम और आवेदन दायर करने की प्रक्रिया में प्राथमिकी दायर किए जाने के बाद एक से सात दिन लग सकते हैं। |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                           | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                |
| NGO को बंधुआ श्रम के पीड़ितों का औपचारिक परिचय अधिवक्ता से कराना चाहिए ताकि वकील-मुव-क्विकल संबंध आसानी से स्थापित हो सके।                    | अधिवक्ता को उनके क़ानूनी परामर्शदाता के रूप में वकालतनामा दायर करने के लिए बंधुआ श्रम के पीड़ितों की सहमति लेनी चाहिए और सरकारी अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए एक आवेदन दायर करना चाहिए। |

<sup>67</sup> BLA, धारा 22।

<sup>68</sup> SC एवं SC POA अधिनियम, धारा 3 सहपठित अनुसूची प्रथम, धारा 2, CrPC 101।

| व्याख्या                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>NGO प्रतिनिधियों को बचाए गए व्यक्तियों और अधिवक्ता के बीच तालमेल बैठकर वकालतनामा प्राप्त करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।</p> | <p>अधिवक्ता को पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकालतनामे की एक प्रति प्राप्त करनी चाहिए। वकालतनामा एक दस्तावेज़ होता है जो वकील को उसके मुवक्किल के लिए और उसकी ओर से कार्य करने की शक्ति देता है।</p> <p>अधिवक्ता को CrPC की धारा 301(2) के तहत अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए एक आवेदन दायर करना चाहिए।</p> |



### सस्मरणीय बिंदु

वकालतनामा प्राप्त करना: अधिवक्ता को पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकालतनामे की एक प्रति, बचाव के बाद जल्द-से-जल्द, जब अधिवक्ता पीड़ितों के संपर्क में हो उसी दौरान, प्राप्त कर लेनी चाहिए। बाल पीड़ित के मामले में, आश्रय गृह के देखभालकर्ता, माता/पिता या अभिभावक को वकालतनामे पर हस्ताक्षर करना होगा; यदि किसी बच्चे को किसी आश्रय गृह भेजा गया है, तो जब बच्चे का परिवार उससे मिलने या उसे वापस घर ले जाने के लिए आए तब हस्ताक्षर लिए जा सकते हैं। साथ ही, हर वयस्क और बाल पीड़ित के लिए वकालतनामों की कम-से-कम पाँच-पाँच प्रतियाँ ले लेना उपयोगी रहता है, क्योंकि न्यूनतम वेतन के दावे करने के लिए भी उनकी आवश्यकता होती है। अधिवक्ता को मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय में वकालतनामा दायर करना चाहिए।

### और जानें तथा कदम उठाएँ

**सरकारी अभियोजक की सहायता कैसे करें:** सरकारी अभियोजक की सहायता करने के बारे में जानने के लिए CrPC की धारा 301(2) पढ़ें।

**प्रारूप और अभ्यास सहायक:** सरकारी अभियोजक की सहायता के आवेदन के प्रारूप के लिए परिशिष्ट 11 देखें, जिसमें वकालतनामे का प्रारूप भी है।

## चरण 2.4 आरोपित दोषियों के ज़मानत आवेदन का विरोध करना

समयसीमा: आरोपितों के ज़मानत आवेदन का विरोध करने की प्रक्रिया में गिरफ्तारी के समय से और ज़मानत आवेदन दायर किए जाने के समय से एक से सात दिन लग सकते हैं।

| NGO                                                                                                                                   | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>NGO को दोषियों और बंधुआ श्रम के मामले के बारे में जानकारी देकर ज़मानत का विरोध करने में अधिवक्ता को सलाह और सहायता देनी चाहिए।</p> | <p>अधिवक्ता को मौखिक और लिखित रूप में ज़मानत का विरोध करने के लिए और, यदि ज़मानत स्वीकृत होती है तो ज़मानत की कठोर शर्तों के पक्ष में तर्क रखने के लिए, सभी ज़मानत सुनवाईयों में भाग लेना चाहिए।</p> |

| व्याख्या                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>NGO प्रतिनिधियों को आरोपितों की ज़मानत के बारे में जो भी सूचना मिले उसके बारे में उन्हें अधिवक्ता को तुरंत सूचित करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ज़मानत विरोध आवेदन दायर किया जाए।</p> | <p>यदि आरोपित को केवल ज़मानती अपराधों के लिए ही गिरफ्तार किया गया हो, तो अधिवक्ता को यह पुष्टि करनी चाहिए कि आरोपित ने गारंटी पत्र के साथ ज़मानत के रूप में दो व्यक्तियों को लेकर ज़मानत याचिका जमा की है या नहीं। हालाँकि ज़मानत और गारंटी की माँग करना न्यायालय के विवेकाधीन होता है, पर अधिवक्ता न्यायालय से यह निवेदन कर सकता है कि एक निश्चित राशि/ज़मानत आवश्यक की जाए।</p> <p>यदि आरोपित को एक या अधिक गैरज़मानती अपराध (यानी IPC की धारा 370, SC व ST अत्याचार निरोध (POA) अधिनियम की धारा 3, या अन्य गैरज़मानती अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया है, तो अधिवक्ता को ज़मानत के विरोध के लिए लिखित आवेदन दायर करना चाहिए।</p> |



## सस्मरणीय बिंदु

**रिमांड सुनवाइयों में भाग लें:** रिमांड का अर्थ आरोपित को मुकदमे से पहले हवालात में कैद रखने से है। इन रिमांड सुनवाइयों में आरोपित की अभिरक्षा (हिरासत) तय की जाती है और सामान्यतः ज़मानत के लिए आवेदन किया जाता है। अधिवक्ता को हर रिमांड सुनवाई में भाग लेना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि ज़मानत अस्वीकृत हो।

**ज़मानत कब रद्द की जा सकती है?** यदि आरोपित न्यायालय में उपस्थित न हो, न्याया के क्रम से भाग निकले या भाग निकलने की कोशिश करे, या न्याय लागू किए जाने में अड़चन डाले (जैसे, आरोपित द्वारा गवाहों को डराया-धमकाया जाना या उन्हें रिश्तत दी जाना, साक्ष्य गायब करना/करवाना, या जाँच में बाधा डालना), तो अधिवक्ता को गिरफ्तारी का गैरज़मानती वॉरंट जारी किए जाने और ज़मानत रद्द की जाने का आवेदन दायर करना चाहिए। जब ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हों तो उन्हें पहचानने में और उक्त आवेदन दायर करने में अधिवक्ता को सतर्क होना चाहिए।

**पुलिस और सरकारी अभियोजक के साथ संबंध बनाना:** अधिवक्ता को आरोपित द्वारा दायर ज़मानत याचिकाओं के बारे में नवीनतम जानकारी पाने के लिए ऊँची रैंक वाले पुलिस अधिकारियों और सरकारी अभियोजक से निकट संबंध बनाने चाहिए। पुलिस और सरकारी अभियोजक से संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि NGO के अधिवक्ता की जानकारी के बिना होने वाली ज़मानत सुनवाई में आरोपित को ज़मानत मिल सकती है, जिससे उसे फ़रार होने और मुकदमे को बीच में रोक देने का मौक़ा मिल सकता है। यदि किसी कारण अधिवक्ता ज़मानत याचिका की जानकारी न होने के चलते किसी ज़मानत सुनवाई में नहीं जा पाता है, तो अक्सर पूरा मुकदमा हाथ से निकल जाता है। इसलिए, PP की सहायता करने के लिए आवेदन दायर करना और मुकदमे में शामिल हितधारकों के साथ संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

**उच्च न्यायालय में ज़मानत की सुनवाइयों की स्थिति जाँचना:** अधिवक्ता को उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध ज़मानत आवेदनों पर रोज़ाना नज़र रखनी चाहिए। अधिवक्ता को नियमित रूप से ज़मानत न्यायालय जाकर यह जाँचना चाहिए कि कहीं कोई ज़मानत के मामले तो नहीं आए हैं।

### और जानें तथा क़दम उठाएँ

**ज़मानत के रद्दीकरण के बारे में निर्णय विधि (केस क़ानून):** रघुवीर सिंह बनाम बिहार राज्य103 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ज़मानत के रद्दीकरण के विभिन्न आधार बताए थे।

**ज़मानत से संबंधित प्रावधान:** CrPC की धाराएँ 436 लगायत 439 ज़मानत के मामले में सर्वाधिक प्रासंगिक हैं और अधिवक्ता को ज़मानत के रद्दीकरण के लिए सही मंच (न्यायालय) से संपर्क किया जाना सुनिश्चित करते हुए इन धाराओं को सावधानीपूर्वक लगाना चाहिए।

**प्रारूप और अभ्यास सहायक:**

- **ज़मानत विरोध का आवेदन:** परिशिष्ट 13 में ज़मानत विरोध के आवेदन का एक प्रारूप है, जिसमें ज़मानत विरोध के आधार दिए गए हैं।
- **ज़मानत के बारे में त्वरित संदर्भ पत्रक:** ज़मानत विरोध के बारे में और जानने के लिए **परिशिष्ट 13A** देखें, जिसमें ज़मानत के बारे में एक त्वरित संदर्भ पत्रक है।

## चरण 2.5 जाँच के दौरान बयान दर्ज करना

| चरण 2.5 जाँच के दौरान बयान दर्ज करना                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NGO को पीड़ित को CrPC की धाराओं 161 और 164 के तहत अपने बयान देते समय सच बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उसकी सहायता करनी चाहिए। | अधिवक्ता को सच बोलने में पीड़ित को प्रेरित करने और उसकी सहायता करने के लिए CrPC की धाराओं 161 और 164 के तहत बंधुआ श्रम पीड़ितों के बयानों की रिकॉर्डिंग की निगरानी करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बयानों को लागू क़ानूनों के अनुपालन में रिकॉर्ड किया जाए।                                                                                                                                         |
| व्याख्या                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित को पेशेवर परामर्श मिले और वह अपना बयान देने के लिए उचित मनोदशा में हो।       | अधिवक्ता को पुलिस को प्रेरित करना चाहिए कि वह बंधुआ श्रमिकों से और, बंधुआ श्रम के मामले के बारे में जो भी अन्य लोग जानकारी रखते हों उन अन्य लोगों से मौखिक रूप से प्रश्न करे और उनके बयान CrPC की धारा 161 के तहत दर्ज करे। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वयस्क या बाल पीड़ित (जो हो सकता है कि सदमे की हालत में हो) का बयान, किसी सुप्रशिक्षित परामर्शदाता द्वारा परामर्श के बाद ही दर्ज किया जाए। |

### सस्मरणीय बिंदु

**बयान:** ऐसे तीन बयान हैं जो कानूनी केस-कार्य से संबंधित हैं: CrPC 161 बयान, पूरक बयान और 164 बयान। यहाँ लक्ष्य यह है कि इस बारे में सच्चे बयान लिए जाएँ कि बचाए गए व्यक्ति को किस प्रकार अवैध रूप से मानव व्यापार के स्थान पर लाया गया था और उस स्थान की परिस्थिति क्या है। ये बयान ही दोषी की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मुकदमे के दौरान प्रयोग होने वाली पीड़ितों की गवाहियों का आधार होते हैं। तीनों बयानों के संबंध में NGO और अधिवक्ता की भूमिका एक ही है - बचाए गए व्यक्ति को सच बोलने के लिए प्रेरित करना और उसकी सहायता करना, और बयान लेने में पुलिस की सहायता करना।

**धारा 161 बयान:** पुलिस बचाव वाली रात 161 बयान ले सकती है। यदि 161 बयान झूठा है या पीड़ित नए तथ्यों का खुलासा करता है, तो पुलिस परिवीक्षा अधिकारी के साथ मिलकर अतिरिक्त बयान ले सकती है जिसे पूरक बयान कहते हैं। एक और विकल्प यह है कि 164 बयान के लिए आवेदन किया जाए। 164 बयान का लाभ यह है कि बचाया गया व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के सामने सशपथ बयान देता है और इसलिए इसकी विश्वसनीयता, 161 बयान से अधिक होती है। 161 बयानों को दर्ज किए जाने के दौरान, यानी बचाव के समय, उपस्थित रहना अच्छा रहता है। यह उपस्थिति पुलिस की सहायता करने और बचाए गए व्यक्ति की पक्षधरता करने के लिए उपयोगी होती है।

**164 बयान:** अधिवक्ता को पीड़ित को 164 बयान के महत्व के बारे में बताना चाहिए। अधिवक्ता को पीड़ित को 164 बयान लेने की प्रक्रिया के बारे में भी बताना चाहिए। साथ ही, पीड़ित को मैजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान देने के लिए ठीक से तैयार भी किया जाना चाहिए। इसके आधार पर, अधिवक्ता और NGO को पीड़ित की 164 बयान देने और उसमें सहयोग करने की इच्छा का आकलन करना चाहिए। यदि पीड़ित 164 बयान देने का इच्छुक और तैयार है, तो अधिवक्ता को पुलिस को सूचित करना चाहिए, जो न्यायालय में आवेदन करेगी। 164 बयानों को एकांत में दर्ज किया जा सकता है।

**यदि पुलिस धारा 164 बयान दर्ज करने के लिए न्यायालय में आवेदन नहीं करती है:** यदि पुलिस आवेदन दायर करने की इच्छुक नहीं है, तो बचाया गया व्यक्ति अधिवक्ता के साथ मिलकर यह कार्य कर सकता है। आवेदन के साथ, बचाए गए व्यक्ति की ओर से कम-से-कम एक हस्ताक्षरित वकालतनामा होना ज़रूरी है।

**पहले से बयान तैयार करें:** 164 बयान दिए जाने से पहले पीड़ित को अधिवक्ता द्वारा तैयार किया जाना अच्छा रहता है। सुनिश्चित करें कि पीड़ित मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के मामले में निडर हो और सच्चा बयान देने को तैयार हो।

**प्रशिक्षित परामर्शदाता:** केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित परामर्शदाताओं को ही पीड़ितों के साथ बातचीत करनी चाहिए।

**बयान पीड़ित को ज्ञात भाषा में दर्ज किए जाएँ:** NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बयान पीड़ित की भाषा में दर्ज किए जाएँ।

**बलात्/ज़बरन बयान:** यह सुनिश्चित करने के पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए कि पीड़ितों को बयान देने के लिए मजबूर न किया जाए और यह कि इस प्रक्रिया के दौरान आरोपित उपस्थित न हों।

**बयान पीड़ित के लिए सुविधाजनक स्थान पर दर्ज किए जाएँ:** अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बयान दर्ज करने के लिए पीड़ित को पुलिस स्टेशन न ले जाया जाए। बयान CrPC की धारा 160(1) के तहत प्रावधानित के अनुसार पीड़ित के लिए सुविधाजनक स्थान पर दर्ज किए जाने चाहिए।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

**बचाए गए व्यक्तियों के बयान दर्ज करना:** बचाए गए व्यक्तियों के बयान तब दर्ज करें जब वे बयान देने को तैयार और बयान देने में समर्थ हों। बचाए गए व्यक्ति सदमे से निकलने पर अतिरिक्त बयान दे सकते हैं और उनके भावी बयानों में जो भी विरोधाभास हों उनके लिए सदमे के कारण भ्रम का स्पष्टीकरण दिया जा सकता है।<sup>69</sup>

बचाए गए व्यक्तियों को दिए जाने वाले परामर्श और मनोसामाजिक सहयोग के लिए कृपया **Journey to Justice**, a manual on Psychosocial Intervention, UNODC, 2008<sup>70</sup> देखें।

चरण 2.6 बंधुआ श्रम इकाई बंद/सील करना

| समयसीमा: बंधुआ श्रम इकाई को आदर्श रूप से बचाव वाले दिन ही बंद/सील कर देना चाहिए पर इसमें एक से तीन दिन तक लग सकते हैं। |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                    | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                |
| NGO को इकाई बंद या सील करने की याचिका दायर करने के लिए अधिवक्ता को पर्याप्त जानकारी देनी चाहिए।                        | जिस इकाई में बंधुआ श्रम चल रहा था उस इकाई को बंद या सील करने की याचिका अधिवक्ता को DM और श्रम विभाग के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए।                                                                                       |
| व्याख्या                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |
| NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिवक्ता इकाई को सील करने का आवेदन दायर करे।                            | अधिवक्ता को बंधुआ श्रम का उपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों को बंद करने और उनका पंजीकरण रद्द करने के आदेश के लिए ज़िलाधिकारी और श्रम विभाग के समक्ष याचिका प्रस्तुत करनी चाहिए। याचिका बचाव के तुरंत बाद दायर की जा सकती है। |

<sup>69</sup> अनुभाग 7.1, Recording Statements U/S 161 and 164 CrPC, UNODC Standard Operating Procedures on Investigation of Crimes of Forced Labour, 2008, भारत सरकार और BBA, पृ. 24।

<sup>70</sup> Journey to Justice: Manual on Psycho – Social Intervention, 2008, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय का एक प्रकाशन। यहाँ उपलब्ध:< [https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/India\\_Training\\_material/Journey\\_to\\_Justice\\_-\\_Manual\\_on\\_Psychosocial\\_Intervention.pdf](https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/India_Training_material/Journey_to_Justice_-_Manual_on_Psychosocial_Intervention.pdf)>.

**और जानें तथा क़दम उठाएँ**

**CrPC के वे प्रावधान जो फैक्टरियों को बंद या सील करने में सहायता करते हैं:** CrPC की धारा 105, A-L ऐसे विभिन्न प्रावधानों का वर्णन करती है जिनका उपयोग बंधुआ श्रम का उपयोग करने वाली फैक्टरियों को ज़ब्त और परिसर की कुर्की जैसे साधनों के माध्यम से सील या बंद करने के लिए किया जा सकता है।

**अन्य प्रासंगिक क़ानून:** श्रम विभाग अवैध ढंग से चल रहीं फैक्टरियों को बंद करने के आदेश के लिए मैजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है और वह बंधुआ श्रम द्वारा लोगों का शोषण करने वाली फैक्टरियों के पंजीकरण को अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार (रोज़गार एवं सेवा की शर्तों का नियमन) अधिनियम, 1979, फैक्टरी अधिनियम, 1948, दुकानें एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, और अन्य प्रासंगिक क़ानूनों<sup>71</sup> के तहत रद्द भी कर सकता है।

चरण 2.7 न्यूनतम वेतन वसूलना

| समयसीमा: न्यूनतम वेतन वसूलने की प्रक्रिया में 1 से 90 दिन लग सकते हैं।                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                               | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NGO को श्रम विभाग के समक्ष न्यूनतम वेतन की वसूली का आवेदन प्रस्तुत करने में बंधुआ श्रम पीड़ितों और अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए। | अधिवक्ता को श्रम विभाग के समक्ष बंधुआ श्रम के पीड़ितों की ओर से न्यूनतम वेतन की वसूली का आवेदन दायर करना चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| व्याख्या                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अधिवक्ता न्यूनतम वेतन की वसूली का आवेदन दायर करे।                                  | अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रिहाई आदेश में न्यूनतम वेतन की वसूली का दावा हो। न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा 20(2) के तहत, दावाकर्ता प्राधिकरण, यानी ज़िले के श्रम अधिकारी के समक्ष दावा याचिका दायर करना ज़रूरी होता है। अधिवक्ता बंधुआ श्रमिक की ओर से रिहाई आदेश के साथ-साथ यह याचिका दायर कर सकता है। अधिवक्ता को याचिका में दावे के साथ-साथ अधिकतम दंड लगाने का अनुरोध भी करना चाहिए। |

सस्मरणीय बिंदु

रिहाई आदेश में पिछले वेतनों के भुगतान के निर्देश हों: DM/SDM को रिहा किए गए श्रमिकों को रिहाई प्रमाणपत्र स्वीकृत करते समय (बचाव और जाँच/पूछताछ पूरी होते ही तुरंत) एक रिहाई आदेश जारी करना चाहिए जिसके ज़रिए श्रम विभाग पिछले वेतनों का भुगतान सुनिश्चित करेगा।

<sup>71</sup> फैक्टरियों को बंद या सील करने के बारे में अनुभाग 6.5, UNODC Standard Operating Procedures on Investigation of Crimes of Forced Labour, 2008, भारत सरकार और BBA, पृ. 22।

## और जानें तथा क़दम उठाएँ

बंधुआ श्रम हस्तक्षेपों, जिनमें अदत वेतनों की वसूली शामिल है, से संबंधित ऐतिहासिक निर्णयों के बारे में पढ़ने के लिए अध्याय 5 पढ़ें।

**कितनी अवधि के पिछले वेतन चुकाए जाएँगे:** बचाया गया व्यक्ति बचाव से पहले के छः माह के पिछले वेतन का अधिकारी होता है।

**न्यूनतम वेतन की दर:** व्यक्ति के न्यूनतम वेतन की दर इस बात पर निर्भर करती है कि वह कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रमिक में से किस श्रेणी में आता है। हर राज्य में न्यूनतम वेतन दर अलग-अलग है। न्यूनतम वेतन दर देखने के लिए यहाँ देखें।

न्यूनतम वेतन अधिनियम के बारे में और पढ़ने के लिए अध्याय 4 देखें।

## चरण 2.8 बंधुआ श्रम का आरोपपत्र दायर करना

समयसीमा: बंधुआ श्रम का आरोपपत्र दायर करने की प्रक्रिया में 1 से 90 दिन तक लग सकते हैं।

| NGO                                                                                                                                      | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO को आरोपपत्र दायर किए जाने के संबंध में अधिवक्ता से नियमित रूप से संपर्क करके पूछते रहना चाहिए।                                       | अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोपपत्र बिना विलंब के निर्धारित अवधि के भीतर पुलिस के पास दायर कर दिया जाए और उसमें सारे लागू अपराध शामिल किए गए हों।                                                                                                                                                                                                                           |
| व्याख्या                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NGO प्रतिनिधियों को अधिवक्ता से नियमित रूप से संपर्क करके पूछते रहकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोपपत्र बिना विलंब के दायर कर दिया जाए। | <p>अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 10 निर्धारित समयावधि के अंदर आरोपपत्र दायर कर दे।</p> <p>यदि 10 निर्धारित समयावधि के अंदर आरोपत्र दायर नहीं करता है, तो अधिवक्ता को अपर पुलिस आयुक्त (ACP) से संपर्क करके आरोपपत्र तुरंत दायर करने के निर्देश माँगने चाहिए।</p> <p>यदि तब भी आरोपपत्र दायर न हो, तो अधिवक्ता को CrPC की धारा 172(2) के तहत न्यायालय से संपर्क करना चाहिए।</p> |

## सस्मरणीय बिंदु

**आरोपपत्र की प्रति:** अधिवक्ता को आरोपपत्र की एक प्रति प्राप्त करनी चाहिए। यदि आरोपपत्र में तथ्यों द्वारा समर्थित सारे आरोप न हों, तो अधिवक्ता को उपयुक्त आरोपों से युक्त पूरक आरोपपत्र दायर करने के लिए पुलिस के पास आवेदन करना चाहिए।

**आरोपपत्र दायर करते समय अधिवक्ता की उपस्थिति:** आरोपपत्र दायर करते समय अधिवक्ता को उपस्थित होना चाहिए।

**विरोध याचिका (नाराज़ी याचिका):** अधिवक्ता क़ानून की उपयुक्त धाराओं को शामिल नहीं किए जाने का विरोध करने के लिए न्यायालय में विरोध याचिका (नाराज़ी याचिका) दायर कर सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि इसके बाद मैजिस्ट्रेट केस डायरी की समीक्षा कर सकते हैं, और यदि आरोपित के विरुद्ध यह निष्कर्ष देने वाला पर्याप्त साक्ष्य हो कि 10 ने त्रुटिपूर्ण अंतिम रिपोर्ट जमा की है, तो मैजिस्ट्रेट केस डायरी में मौजूद साक्ष्य के आधार पर आरोपित को उपस्थित होने का आदेश दे सकते हैं और फिर मामले को आरोपित के विरुद्ध राज्य वाद (स्टेट केस) के रूप में आगे बढ़ाया

जा सकता है। यदि केस डायरी में आरोपित व्यक्तियों को उपस्थित होने का आदेश देने लायक पर्याप्त साक्ष्य नहीं है तो भी मैजिस्ट्रेट अपने विवेकाधीन विरोध याचिका (नाराज़ी याचिका) को शिकायत के रूप में दर्ज किए जाने का आदेश दे सकते हैं। पर यदि वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आरोपित के विरुद्ध साक्ष्य अपर्याप्त है और उनका यह विचार हो कि पुलिस द्वारा आगे और जाँच आवश्यक है, तो वे पुलिस को मामले की आगे और जाँच करने का निर्देश दे सकते हैं; या फिर यदि मैजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुँचें कि केस डायरी में मौजूद साक्ष्य आरोपित व्यक्तियों को उपस्थित होने का आदेश देने के लिए अपर्याप्त है और शिकायतकर्ता अपने आरोप का आधार पुष्ट करने के लिए कुछ और गवाहों से प्रश्न करने की इच्छा रखता है, तो मैजिस्ट्रेट विरोध याचिका (नाराज़ी याचिका) को शिकायत मान सकते हैं और ऐसे में शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज किए जाने के बाद ही उपस्थिति आदेश पारित किया जा सकता है।<sup>72</sup>

## और जानें तथा क़दम उठाएँ

**परिशिष्ट 20** में दिए गए नमूना फ़ॉर्म और प्रारूप देखें, जिनमें बंधुआ श्रम के मुकदमों में प्रस्तुत किए जाने वाले लिखित तर्कों का नमूना प्रारूप भी है।

## चरण 2.9 मुक़दमे का उपयुक्त मंच सुनिश्चित करना

समयसीमा: मुक़दमे के लिए उपयुक्त मंच खोजने का कार्य आरोप तय होने के समय से 6 माह के भीतर किया जा सकता है।

| अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मामले को उपयुक्त न्यायालय के सुपुर्द किया जाए और उसे बंधुआ श्रमिक पुनर्वास केंद्रीय क्षेत्र योजना (17 मई, 2022 से प्रभावी) के दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। <sup>73</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| आरोपपत्र दायर हो जाने पर, न्यायाधीश (जो मुख्य महानगर दंडाधिकारी (चीफ़ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट), महानगर दंडाधिकारी (मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट), मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (चीफ़ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट), अपर न्यायिक दंडाधिकारी (अडीशनल ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट), या उप-अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी (सब-डिवीज़नल ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट) हो सकते हैं) मामले का संज्ञान लेंगे और मामले को उपयुक्त न्यायालय के सुपुर्द किया जाएगा। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मामले को सत्र न्यायालय के सुपुर्द करने की प्रक्रिया में क़ानून द्वारा स्थापित कार्यविधियों का पालन हो। BLA और IPC (विशेष रूप से धारा 370) के तहत हुए अपराध वे आरोप हैं जिन्हें शामिल किया जाना चाहिए। |

## सस्मरणीय बिंदु

**यदि आरोपपत्र में धारा 370 या कोई लागू अपराध न हो:** CrPC की धारा 216 न्यायाधीश को आरोप जोड़ने की शक्ति देती है। आरोप जोड़ने के लिए न्यायालय से धारा 216 के तहत आवेदन किया जा सकता है।

**संक्षिप्त विचारण (संक्षिप्त मुक़दमा/समरी ट्रायल):** BLA से संबंधित आरोपों पर बंधुआ श्रमिक पुनर्वास केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2016 के तहत DM/SDM के समक्ष संक्षिप्त विचारण (संक्षिप्त मुकदमा/समरी ट्रायल) चलाया जा सकता है। हाल ही में बंधुआ श्रम के मामलों में संक्षिप्त विचारण (संक्षिप्त मुकदमा/समरी ट्रायल) की संवैधानिकता के संबंध में थोड़ी अनिश्चितता रही है और बॉम्बे, मध्य प्रदेश, और मद्रास उच्च न्यायालयों ने संक्षिप्त विचारण को असंवैधानिक घोषित किया है। हालाँकि, जब तक कोई राज्य संक्षिप्त विचारण (संक्षिप्त मुकदमों/समरी ट्रायल) को असंवैधानिक घोषित न कर दे तब तक, उनका उपयोग उन मामलों में किया जा सकता है जिनमें केवल BLA अपराधों पर मुकदमा चल रहा है।

**सत्र न्यायालय को मामले की सुपुर्दगी:** CrPC की धारा 209 के अनुसार, यदि किसी मामले को केवल और केवल सत्र न्यायालय में चलाया जा सकता है तो उक्त मामले को सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया जा सकता है। यदि आरोपपत्र में धारा 370 का उल्लेख हो तो मामले को केवल और केवल सत्र न्यायालय में चलाया जा सकता है।

<sup>72</sup> औन मोहम्मद नकवी उर्फ़ सिद्दन एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य; फ़ौजदारी विविध आवेदन सं. 7259, वर्ष 2005।

<sup>73</sup> बंधुआ श्रमिक पुनर्वास केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2021, पन्नावली सं. S-11012/01/–BL, भारत सरकार, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, दिनांकित 7 फ़रवरी, 2022।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

बंधुआ श्रम से संबंधित क़ानूनों और अपराधों के बारे में और जानने के लिए **अध्याय 4** देखें।

कौनसे मुक़दमे केवल और केवल सत्र न्यायालय में ही चलाए जा सकते हैं इस बारे में और जानने के लिए, **दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची** देखें।

### चरण 2.10 बंधुआ श्रम के आरोप तय करना

| समयसीमा: बंधुआ श्रम के आरोप लगाने (तय करने) की प्रक्रिया न्यायालय के विवेकाधीन की जाती है और इसलिए इसकी कोई समयसीमा सुझाई नहीं जा सकती है। |                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                        | अधिवक्ता                                                                                                                                                              |
| NGO अधिवक्ता से नियमित रूप से संपर्क करके पूछते रहकर यह सुनिश्चित कर सकता है कि न्यायालय ने आरोप तय कर दिए हों।                            | अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायालय समयबद्ध ढंग से आरोप तय कर दे और उसमें तथ्यों द्वारा समर्थित सारे लागू अपराध शामिल हों।                                |
| व्याख्या                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |
| NGO प्रतिनिधि को आरोप तय किए जाने के दिनांक को उपस्थित रहना चाहिए।                                                                         | अधिवक्ता को आरोप तय किए जाने के दिनांक को न्यायालय में उपस्थित रहना चाहिए। अधिवक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मुक़दमे के भाग के रूप में सारे आरोप तय किए जाएँ। |

### सस्मरणीय बिंदु

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>निकट न्यायालय दिनांक और अनुचित विलंब की रोकथाम:</b> सुनिश्चित करें कि न्यायालय मामले को बार-बार स्थगित न करता रहे, और यदि वह ऐसा करे, तो निकट न्यायालय दिनांकों पर ज़ोर दें ताकि आरोप तय किए जा सकें। CrPC की धारा 309(1) के तहत, “प्रत्येक जाँच या मुक़दमे में... कार्यवाही अधिकतम संभव शीघ्रता से की जाएगी।” CrPC कुछ परिस्थिति-यों में स्थगन स्वीकृति पर रोक भी लगाती है। |
| <b>दोष स्वीकारोक्ति:</b> आरोप तय करने के बाद, सत्र न्यायालय आरोपित से पूछेगा कि क्या उसे उस पर लगाए गए आरोप स्वीकार हैं। यदि आरोपित दोष स्वीकार करता है, तो मुक़दमा वहीं पर समाप्त हो जाएगा, अन्यथा मुक़दमा आगे बढ़ेगा।                                                                                                                                                         |

और जानें तथा क़दम उठाएँ

बंधुआ श्रम अपराधों के बारे में पढ़ने के लिए, अध्याय 4 और 5 देखें। दोष स्वीकारोक्ति के बारे में पढ़ने के लिए CrPC की धारा 229 देखें।

### चरण 2.11 बंधुआ श्रम की सभी सुनवाइयों में सरकारी अभियोजन पक्ष की सहायता करना

| समयसीमा: सभी सुनवाइयों में अभियोजन पक्ष की सहायता करने की प्रक्रिया मुक़दमे में लगने वाले समय पर निर्भर करेगी, जिसमें एक से दस वर्ष तक लग सकते हैं।                                                                                |                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                                                                                                | अधिवक्ता                                                                                                                                                                       |
| NGO को हर सुनवाई में उपस्थित रहने के लिए किसी ऐसे प्रतिनिधि को भेजना चाहिए जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से पूरी तरह परिचित हो। ऐसा करने से NGO पीड़ितों और उनके परिवारों को मामले की स्थिति के बारे में सूचना देता रह सकेगा। | अधिवक्ता को मुक़दमा शुरू होने से पहले सरकारी अभियोजक से मिलकर मामले की रणनीति तैयार करनी चाहिए और अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए हर सुनवाई में न्यायालय में उपस्थित रहना चाहिए। |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                    | अधिवक्ता को मुक़दमे के हर चरण में उपस्थित होना चाहिए।                                                                                                                          |

### चरण 2.12 बंधुआ श्रम के गवाहों को गवाही के लिए तैयार करना

| समयसीमा: बंधुआ श्रम के गवाहों को गवाही के लिए तैयार करने में एक माह लग सकता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NGO को बंधुआ श्रम के गवाहों को सच्चाई और निडरता से गवाही देने के लिए तैयार करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अधिवक्ता को अभियोजन पक्ष की ओर से मुख्य परीक्षा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से प्रतिपरीक्षा (जिरह) के लिए गवाहों को तैयार करके सरकारी अभियोजक की सहायता करनी चाहिए।                                                                                                                                                                                |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| इस चरण के दौरान, सरकारी अभियोजक के पास बंधुआ श्रम घटित होने के बारे में गवाहों से प्रश्न पूछने का मौक़ा होता है। इसके बाद बचाव पक्ष के वकील को गवाहों के बयानों पर प्रतिपरीक्षा (जिरह) करने का मौक़ा दिया जाता है। NGO प्रतिनिधि को बंधुआ श्रम से बचाए गए व्यक्तियों को यह परामर्श देना चाहिए कि वे सरकारी अभियोजक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अधिक-से-अधिक वर्णन और विस्तार के साथ दें और प्रतिपरीक्षा (जिरह) से परेशान न हों। | अधिवक्ता को बचाए गए व्यक्तियों को मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा (जिरह) की प्रक्रिया के लिए तैयार करना चाहिए। अधिवक्ता को गवाही देने वाले व्यक्तियों को साक्ष्य की रचना में उनके बयानों के महत्व के बारे में साफ़-साफ़ समझाना चाहिए। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सारे दस्तावेज़ी और भौतिक साक्ष्य न्यायालय के रिकॉर्ड में दर्ज कर लिए जाएँ। |

## सस्मरणीय बिंदु

**बनावटी मुक़दमा:** साक्ष्य वाला चरण शुरू होने से पहले, NGO और अधिवक्ता के लिए यह बेहतर है कि वे बचाए गए व्यक्तियों को किसी न्यायालय कक्ष में ले जाकर उन्हें दिखाएँ कि वह कैसा दिखता है। साथ ही, सुनिश्चित करें कि एक बनावटी मुक़दमा आयोजित किया जाए, ताकि बचाया गया व्यक्ति गवाह से पूछताछ की प्रक्रिया को समझ जाए और उसका डर ख़त्म हो जाए।

**पीड़ित के प्रति संवेदना रखने वाले उपाय:** बचाए गए व्यक्ति को न्यायालय के प्रति सहज बनाने के साथ-साथ, NGO और अधिवक्ता मैजिस्ट्रेट और न्यायालय अधिकारियों को बचाए गए व्यक्ति के इतिहास के प्रति संवेदना बरतने के लिए प्रेरित कर सकते हैं।

**यदि मामले में बच्चे शामिल हों तो अपनाए जाने वाले संवेदनशील उपाय:**<sup>74</sup>

- बाल पीड़ितों/गवाहों को न्यायालय की कार्यवाही के संबंध में उनकी भूमिका के बारे में सूचित करें;
- सुनिश्चित करें कि उनके विचारों को सुना जाए और उनका सम्मान किया जाए;
- उनकी असुविधा को न्यूनतम करें और उनकी निजता का सम्मान करें;
- कार्यवाहियों में होने वाले विलंब घटाएँ;
- बाल पीड़ितों से आक्रामक पूछताछ या प्रतिपरीक्षा (जिरह) से बचें (यदि आवश्यक हो तो न्यायाधीश को शामिल करें);
- एकांत में मुक़दमे की व्यवस्था करें;
- बाल पीड़ित की पहचान की सुरक्षा करें;
- बाल पीड़ितों को न्यायिक प्रक्रिया के लिए तैयार करें और यदि कोई बच्चा न्यायालय जाने को तैयार न हो तो अभियोजन में जल्दबाज़ी की कोशिश न करें।
- जाँचकर्ता को बाल पीड़ित की चिकित्सीय जाँच की आवश्यकता का पता लगाना चाहिए, और जब जाँच की जाए तो उसे सुनिश्चित करना चाहिए कि बार-बार जाँच न की जाए;
- जहाँ तक संभव हो, चिकित्सीय जाँच माता-पिता/अभिभावक और समाजसेवी/परामर्शदाता की उपस्थिति में संचालित करें;
- दुर्व्यवहार की घटना के बाद जल्द-से-जल्द, अन्य गवाहों को साथ रखते हुए, बच्चे की गवाही किसी समाजसेवी/परामर्शदाता की उपस्थिति में दर्ज करें;
- ऐसे पर्याप्त अनुवाद/व्याख्याएँ और अनुवादक/दुभाषिये प्रदान करें जो बच्चे की ज़रूरतों के प्रति संवेदना रखते हों;
- मानसिक रूप से अशक्त बच्चों के मामले में, बच्चे की ओर से किसी सक्षम सेवा प्रदाता को गवाही देनी चाहिए;
- बाल पीड़ितों/गवाहों की विशेष आवश्यकताओं को समायोजित किया जाना चाहिए, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - बच्चों को न्यायालय के माहौल से परिचित कराएँ; बच्चों को न्यायालय में उपस्थित मुख्य व्यक्तियों, जैसे न्यायाधीश, बचाव पक्ष के वकील, और अभियोजक, की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में बताएँ;
  - न्यायालय को बच्चों की विशेष आवश्यकताओं के बारे में सामान्य रूप से और विशिष्ट मामलों में बालक/बालिका विशेष की विशेष आवश्यकताओं के बारे में बताएँ;
  - बच्चों को कार्यवाहियों में सहज होने में सहायता दें;
  - पूछताछ संक्षिप्त और स्पष्ट रखी जाने को प्रेरित करें ताकि बाल गवाह भ्रमित न हों; और
  - आठ वर्ष से छोटे बच्चों को किसी समाजसेवी द्वारा पूछे गए मार्गदर्शक प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति दें

**मुख्य परीक्षा:** मुख्य परीक्षा के दौरान अधिवक्ता गवाहों से पूछे जाने वाले प्रश्न लिखित रूप में प्रस्तुत करके PP की सहायता कर सकता है।

**प्रतिपरीक्षा (जिरह):** प्रतिपरीक्षा का प्रयोजन अभियोजन पक्ष की कहानी में मौजूद दोषों/त्रुटियों को सामने लाना होता है। बनावटी प्रतिपरीक्षा (जिरह) करना अच्छा रहता है, ताकि गवाह प्रक्रिया से घबराएँ नहीं और वे बचाव पक्ष के वकीलों के प्रश्नों को संभालने के लिए तैयार हों।

**एकांत में कार्यवाहियाँ:** धारा 164 के तहत गवाह का बयान एकांत में (बंद दरवाज़ों के पीछे) किसी ऐसे माहौल में दर्ज किया जा सकता है जो गवाह को डराता न हो। IO ऐसी याचना CrPC की धारा 327(2) के तहत और साक्षी बनाम भारत संघ<sup>75</sup> का संदर्भ देते हुए कर सकता है।

**गवाह:** गवाहों में बंधुआ श्रम के पीड़ित, IO, और बचाव के समय उपस्थित व्यक्ति (NGO के प्रतिनिधियों सहित) शामिल होते हैं।

**यदि गवाह विरोधी हो जाए(एँ):** मुक़दमे के क्रम के दौरान, यदि अभियोजन पक्ष का कोई गवाह विरोधी हो जाए, तो अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी अभियोजक अभियोजन पक्ष के उस गवाह को विरोधी घोषित करे और उसकी प्रतिपरीक्षा (जिरह) करे।

<sup>74</sup> ये उपाय गोआ बाल अधिनियम, 2003 के तहत बाल न्यायालय द्वारा पालन के लिए दिए गए दिशानिर्देशों पर आधारित हैं। ये इस बात के मार्गदर्शक उपाय हैं कि बच्चों के साथ संवेदनशील व्यवहार कैसे किया जाए।

<sup>75</sup> (2001) 10 SCC 732.

## और जानें तथा क़दम उठाएँ

विशिष्ट रूप से गवाहों की मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा (जिरह) पर लागू होने वाले प्रावधानों के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की **धाराएँ 137 से 146** (और अन्य प्रासंगिक प्रावधान) पढ़ना न भूलें।

**तीव्र मुक़दमा सुनिश्चित करने के लिए गवाहों की प्रतिदिन परीक्षा:** CrPC की धारा 309(1) के तहत, “जब गवाहों की परीक्षा शुरू हो जाए, तो उसे तब तक प्रतिदिन किया जाना है जब तक सभी उपस्थित गवाहों की परीक्षा पूरी न हो जाए”, और स्थगन केवल दर्ज कारणों के लिए ही किए जाएँ।

**अधिवक्ता को CrPC के तहत मुक़दमे के विभिन्न चरणों से और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से परिचित होना चाहिए।**

मुक़दमे के दौरान साक्ष्य वाले चरण के लिए गवाहों को कैसे तैयार करें इस बारे में जानकारी के लिए JVI से संपर्क करें।

## चरण 2.13 बंधुआ श्रम के अंतिम तर्क प्रस्तुत करना

| समयसीमा: बंधुआ श्रम के अंतिम तर्क मुक़दमे के समापन के समय पर अंतिम अवधि से पहले प्रस्तुत किए जाने चाहिए। |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                      | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NGO को मुक़दमे के अंत में अंतिम तर्क तैयार करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।                       | अधिवक्ता को बंधुआ श्रम के दोषी की दोषसिद्धि के समर्थन में अंतिम मौखिक तर्क पेश करने चाहिए (यदि न्यायालय अनुमति दे) और लिखित तर्क पेश करने चाहिए।                                                                                                                                                                                           |
| व्याख्या                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NGO को लिखित निवेदनों के लिए अधिवक्ता को अधिकतम संभव जानकारी देनी चाहिए।                                 | अधिवक्ता को प्रदान किए गए प्रारूप के आधार पर लिखित निवेदन तैयार करके उन्हें दायर करना चाहिए। न्यायालय को बंधुआ श्रम की मौजूदगी का विश्वास दिलाने के तर्क प्रस्तुत करने में सरकारी अभियोजक की सहायता के लिए अधिवक्ता को न्यायालय में उपस्थित रहना चाहिए। न्यायालय द्वारा अनुमति मिल जाने पर अधिवक्ता को अंतिम मौखिक तर्क भी पेश करने चाहिए। |

## सस्मरणीय बिंदु

हालाँकि क़ानून द्वारा आवश्यक नहीं किया गया है, पर इस बात की पुरज़ोर सलाह दी जाती है कि अधिवक्ता लिखित अंतिम तर्क तैयार करके प्रस्तुत करे ताकि सुनिश्चित हो कि न्यायालय को उसके समक्ष रखे गए तर्कों की भली-भाँति जानकारी हो। इससे, न्यायालय को बचाए गए व्यक्ति के पक्ष में उचित निर्णय देने को राज़ी करने में काफ़ी मदद मिल सकती है। CrPC की धारा 301(2) के तहत पीड़ित/शिकायतकर्ता साक्ष्य वाला चरण पूरा हो जाने के बाद भी लिखित तर्क प्रस्तुत कर सकता है।

लिखित निवेदनों के साथ गवाहों की गवाहियों से प्राप्त प्रमाण होने चाहिए।

## और जानें तथा क़दम उठाएँ

लिखित निवेदनों और अन्य संबंधित दस्तावेज़ों के प्रारूप के लिए परिशिष्ट 20 देखें।

चरण 2.14 निर्णय प्राप्त करना और रिहाई प्रमाणपत्र प्राप्त करना

| समयसीमा: निर्णय प्राप्त करने में 1 से 15 दिन लगते हैं।                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                                                                                                                                    | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NGO को न्यायालय से अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने में और संक्षिप्त विचारण (संक्षिप्त मुकदमा/समरी ट्रायल) संचालित करने वाले न्यायालय अधिकारी (लगभग हर मामले में वह SDM या DM होंगे) से रिहाई प्रमाणपत्र प्राप्त करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए। | अधिवक्ता को अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन करने चाहिए। यदि अब तक रिहाई प्रमाणपत्र जारी न किए गए हों, तो अधिवक्ता को संक्षिप्त विचारण (संक्षिप्त मुकदमा/समरी ट्रायल) संचालित करने वाले न्यायालय अधिकारी (लगभग हर मामले में वह SDM या DM होंगे) से रिहाई प्रमाणपत्र प्राप्त करने में बंधुआ श्रमिकों की सहायता करनी चाहिए। |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| निर्णय की घोषणा हो जाने के बाद, NGO को अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।                                                                                                                                               | अधिवक्ता को न्यायालय के अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन करने चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                      |



और जानें तथा कदम उठाएँ

अधिवक्ता को क्षेत्राधिकारी न्यायालय की पूर्वावश्यक शर्तों के अनुसार अपील के प्रारूपों की जानकारी होनी चाहिए। निर्णय दिए जाने के बाद उठाए जाने वाले कदमों के बारे में और जानकारी के लिए JVI से संपर्क करें।

चरण 2.15 अपील दायर करना

| समयसीमा: अपील, निर्णय की घोषणा के दिनांक से 60 दिनों के भीतर दायर कर देनी चाहिए।                                                   |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                | अधिवक्ता                                                                                                           |
| NGO को, यदि आवश्यक हो तो, अपील तैयार करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।                                                       | अधिवक्ता को, यदि आवश्यक हो तो, प्रतिकूल निर्णय के विरुद्ध अपील या संशोधन आवेदन दायर करना चाहिए।                    |
| व्याख्या                                                                                                                           |                                                                                                                    |
| यदि पीड़ितों के साथ-साथ NGO प्रतिनिधि न्यायालय के निर्णय पर अपील करना चाहते हों, तो उन्हें इसके लिए अधिवक्ता से संपर्क करना चाहिए। | अधिवक्ता को निर्धारित समय के भीतर और जल्द-से-जल्द, तथा निर्धारित प्रारूप में अपील या संशोधन आवेदन दायर करना चाहिए। |

सस्मरणीय बिंदु

मुकदमा खत्म हो जाने पर, अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करने में सतर्क रहना चाहिए कि आरोपित द्वारा दायर अपील उसकी नज़रों से बचने न पाए या यदि बचाए गए व्यक्तियों की ओर से अपील दायर की जानी है तो उसे सीमाबंधन की अवधि के भीतर दायर कर दिया जाए।<sup>76</sup>

यदि आरोपित द्वारा अपील दायर की जाए, तो अधिवक्ता को उसके विरोध के लिए तैयार होना चाहिए। हालाँकि, यदि आरोपित को निर्दोष घोषित किया जाए तो अधिवक्ता दोषमुक्ति के विरोध में उच्च न्यायालय में अपील या संशोधन आवेदन दायर कर सकता है।

और जानें तथा कदम उठाएँ

अधिवक्ता को क्षेत्राधिकारी न्यायालय की पूर्वावश्यक शर्तों के अनुसार अपील या संशोधन के प्रारूपों की जानकारी होनी चाहिए। संशोधन आवेदन, अपील जैसा ही हो ता है और उसे CrPC की धाराओं 397 से 401 के तहत दिए गए आधारों पर दायर किया जा सकता है। अपील या संशोधन दायर करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों या अपील/संशोधन के प्रारूपों के बारे में और जानकारी के लिए JVI से संपर्क करें।

<sup>76</sup> निचले न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद अपील दायर करने के लिए अनुमन्य समय।

# 3.0 बंधुआ श्रम के पीड़ितों की बहाली की कार्यविधियों का सारांश



## चिकित्सीय देखभाल तक तुरंत पहुँच सुनिश्चित करना

बचाव दल पीड़ितों की पहचान गोपनीय रखते हुए तत्काल चिकित्सीय देखभाल की व्यवस्था करता है; यदि बच्चों को बचाया गया है, तो उन्हें CWC भेजने से पहले चिकित्सीय देखभाल दी जानी चाहिए।



## अल्पकालिक प्रावधान प्रदान करना

बचाव दल रिहाई होने पर बुनियादी अल्पकालिक प्रावधान जैसे भोजन, कपड़े, अस्थायी आश्रय, और परिवहन, प्रदान करने में सहायता करता है।



## बचाए गए बंधुआ श्रमिकों के लिए निर्वाह भत्ता प्राप्त करना।

अनुमंडल दंडाधिकारी रिहाई आदेश के आधार पर निर्वाह भत्ते का आदेश देते हैं।



## BLA फंड और पुनर्वास फंड प्राप्त करना

DA, NGO के BLA और पुनर्वास फंड के अनुरोध में सहायता के लिए हस्तक्षेप करता है और उक्त फंड का श्रमिकों तक शीघ्रता से पहुँचना सुनिश्चित करता है; श्रम विभाग बच्चों को नियुक्त करने वाले व्यक्ति/इकाई से ₹20,000.00 का अर्थदंड वसूलता है और उसे बाल श्रमिक पुनर्वास कल्याण निधि में जमा करा देता है।



## बुनियादी सरकारी पात्रताएँ और पहचान दस्तावेज़ प्राप्त करना

DA यह सुनिश्चित करता है कि श्रमिकों को ID, आवास, रोजगार आदि की पहुँच प्रदान की जाए।



## बंधुआ श्रम पीड़ितों को वापस घर भेजना

घर वापसी हेतु आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त करने में सहायता करें; बाल श्रमिकों के मामले में, CWC गृह सत्यापन रिपोर्ट पूरी करेगा।



## निजी क्षेत्र के संसाधनों की पहुँच सुगम बनाना

भोजन, कपड़े, आश्रय, भू-अधिकार, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श और अन्य पात्रताओं से संबंधित निजी क्षेत्र के संसाधनों की पहुँच प्रदान करने में सहायता करें।



## स्थानीय BLA सतर्कता समितियों को संलग्न करना

राज्य सरकारें पीड़ितों के संपूर्ण पुनर्वास के प्रयोजन से सतर्कता समितियाँ बनाती हैं जिसकी अध्यक्षता DM/SDM द्वारा की जाती है।



## पीड़ितों की स्थायी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना

DA पीड़ितों को उनके अधिकारों और स्वतंत्र बने रहने की अटलता की ज़रूरत के बारे में बताता है; सतर्कता समिति निरंतर पुनर्वास और संरक्षण को सुगम बनाने का कार्य करती है।

# चरण 3.1 चिकित्सीय देखभाल तक तुरंत पहुँच सुनिश्चित करना

समयसीमा: बचाव से 48 घंटों के भीतर चिकित्सीय देखभाल तक पहुँच प्रदान की जानी चाहिए।

| NGO                                                                                                                                           | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बंधुआ श्रम पीड़ितों की चिकित्सीय जाँच हो और उन्हें जो भी चिकित्सीय देखभाल चाहिए हो वह उन्हें मिले।          | अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बंधुआ श्रम पीड़ितों के निजता के अधिकार और अन्य अधिकारों का सम्मान करते हुए चिकित्सीय जाँच की जाए और अविलंब देखभाल प्रदान की जाए।                                                                                                                              |
| व्याख्या                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाए गए व्यक्तियों को बिना विलंब तुरंत चिकित्सीय देखभाल प्रदान की जाए और उनसे गरिमापूर्वक व्यवहार किया जाए। | अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि NGO प्रतिनिधि को इस प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति हो। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाए गए व्यक्तियों को चिकित्सीय जाँच के लिए भेजा जाए। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाए गए व्यक्तियों के साथ गरिमापूर्वक व्यवहार किया जाए। |

## सस्मरणीय बिंदु

**बच्चे की चिकित्सीय ज़रूरतें:** जिन मामलों में बच्चे को उसके किसी भी परिजन या संरक्षक के बिना बचाया गया है ऐसे मामलों में, बच्चे को CWC भेजने से पहले उसकी चिकित्सीय ज़रूरतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

**पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण:** पीड़ितों से गरिमापूर्वक व्यवहार करें। पीड़ितों को बताएँ कि क्या हो रहा है क्योंकि नियोक्ता अक्सर उन्हें धमकाते हैं। बचाव दल को सभी चुनौतियों, जैसे भाषायी बाधा और सामाजिक व सांस्कृतिक अंतर, का सामना करने में प्रशिक्षित होना चाहिए और पीड़ित का विश्वास जीतने के तत्काल प्रयास करने चाहिए।

**गोपनीयता:** बंधुआ श्रमिक की पहचान गोपनीय रखी जानी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में नाम, फोटोग्राफ और जानकारी न तो प्रकट की जानी चाहिए और न किसी भी प्रिंट और विज़ुअल मीडिया में प्रकाशित की जानी चाहिए। किशोरों और बच्चों को प्रदत्त सुरक्षा उपायों के लिए किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा 21 देखें।

**महिला पीड़ित की चिकित्सीय जाँच:** अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिला पीड़ित के मामले में चिकित्सीय जाँच, CrPC की धारा 53(2) में आवश्यक किए गए अनुसार किसी महिला चिकित्सक द्वारा या उसके पर्यवेक्षण में ही की जाए। महिला चिकित्सक की अनुपस्थिति में, अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चिकित्सीय जाँच की प्रक्रिया के दौरान कोई महिला पुलिस अधिकारी या NGO की कोई महिला प्रतिनिधि उपस्थित रहे। चिकित्सीय जाँच करने से पहले पीड़ित से सूचित सहमति ली जानी चाहिए। NGO के प्रतिनिधि इस चरण के महत्व के बारे में बचाए गए व्यक्ति को परामर्श दे सकते हैं।

## चरण 32. अल्पकालिक प्रावधान प्रदान करना

| समयसीमा: बचाव से 48 घंटों के भीतर अल्पकालिक प्रावधान प्रदान किए जा सकते हैं।                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                                                                    |
| NGO को उनकी रिहाई होने पर बुनियादी अल्पकालिक प्रावधान जैसे भोजन, कपड़े, अस्थायी आश्रय, और परिवहन, प्रदान करने में सहायता करनी चाहिए।                                                                   |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                               |
| NGO के प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करके बचाए गए श्रमिकों की सहायता करनी चाहिए कि वे भोजन, कपड़े और अस्थायी आश्रय प्राप्त कर सकते हों, और उनकी रिहाई के बाद उन्हें परिवहन की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। |

## चरण 3.3 बचाए गए बंधुआ श्रमिकों के लिए निर्वाह भत्ता प्राप्त करना

| समयसीमा: बचाए गए बंधुआ श्रमिकों के लिए निर्वाह भत्ता और तात्कालिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया में 2 से 7 दिन लग सकते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बंधुआ श्रम पीड़ितों के रिहाई आदेश प्राप्त होते समय और उनके बचाव से सात दिन के भीतर उन्हें निर्वाह वित्तीय राहत (भत्ता) प्राप्त हो।                                                                                                                                                                                                                                                                               | अधिवक्ता को बंधुआ श्रमिक रिहाई प्रमाणपत्र जारी किए जाते समय निर्वाह वित्तीय राहत के प्रावधान को अनिवार्य करने वाले क़ानूनी उपबंधों के बारे में SDM को बताना चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                          |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाए गए बंधुआ श्रमिकों को रिहाई आदेश मिलते समय उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्वाह भत्ते के रूप में ₹1,000.00 मिलें और हाल ही में नवीनीकृत CSS 23.07.2017 तक यथा संशोधित के तहत DM द्वारा जिला बंधुआ श्रमिक पुनर्वास निधि से प्रत्येक बचाए गए व्यक्ति को ₹20,000.00 की तत्काल सहायता प्रदान की जाए; उक्त सहायता राशियाँ उनके बचाव से 7 दिन के भीतर उन्हें दे दी जानी चाहिए। | अधिवक्ता को SDM का ध्यान सर्वोच्च न्यायालय के उन निर्णयों की ओर खींचना चाहिए जिनमें राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि वह बचाए गए सभी बंधुआ श्रमिकों को उनकी रिहाई के तुरंत बाद ₹1,000.00 का निर्वाह भत्ता प्रदान करे। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने नवीनीकृत बंधुआ श्रमिक पुनर्वास केंद्रीय क्षेत्र योजना-2021 <sup>77</sup> के तहत इस तत्कालिक सहायता राशि को बढ़ाकर ₹30,000.00 कर दिया है। <sup>78</sup> |

<sup>77</sup> बंधुआ श्रमिक पुनर्वास केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2021, फ़ाइल सं. S-11012/01/2019 –BL, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, दिनांकित 07 फ़रवरी, 2022 और बंधुआ श्रमिक पुनर्वास केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2016 में दिनांक 23.06.2017 को किए गए संशोधन।

<sup>78</sup> बंधुआ श्रमिक पुनर्वास केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2021 के तहत, ₹5,000.00 की मूल क्षतिपूर्ति राशि को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप दिनांकित 07 फ़रवरी, 2022 द्वारा बढ़ाकर ₹30,000.000 कर दिया गया है।

## सस्मरणीय बिंदु

**निर्वाह राहत, कुल क्षतिपूर्ति से अलग है।** निर्वाह राहत का अर्थ उस राशि से है जो राज्य सरकार, बचाए गए व्यक्तियों को उनकी रिहाई के तुरंत बाद निर्वाह भत्ते के रूप में देती है। यह अंतरिम क्षतिपूर्ति के उन अन्य रूपों से अलग है जो निर्वाह के अतिरिक्त दिए जाते हैं और जिनका उपयोग पुनर्वास के लिए भी किया जा सकता है।

### और जानें तथा क़दम उठाएँ

**निर्णय विधि (केस क़ानून):** पीपल्स यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य<sup>79</sup> में सर्वोच्च न्याया-लय ने कहा है कि “बंधुआ श्रमिकों की पहचान और रिहाई होते ही, उनका अविलंब पुनर्वास किया जाना चाहिए” और निर्देश दिया है कि “राज्य सरकारें बंधुआ श्रमिक की पहचान होने पर उसे तुरंत ₹1,000.00 का निर्वाह भत्ता प्रदान करेंगी।”

**रिहाई प्रमाणपत्र देते समय अंतरिम क्षतिपूर्ति:** जब DM/SDM/RDO रिहाई आदेश और रिहाई प्रमाणपत्र जारी करें, तो अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रिहाई आदेश में तहसीलदार को श्रमिकों को ₹1,000.00 की अंतरिम क्षतिप्-र्ति देने का निर्देश भी हो।

## चरण 3.4 BLA फ़ंड और पुनर्वास फ़ंड प्राप्त करना

| समयसीमा: BLA फ़ंड और पुनर्वास फ़ंड प्राप्त करने की प्रक्रिया में 3 से 12 माह लग सकते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NGO को नक़दी और गैरनक़दी, दोनों प्रकार के घटकों के लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध BLA फ़ंडों और अन्य पुनर्वास फ़ंडों हेतु बंधुआ श्रम पीड़ितों की ओर से अनुरोध पेश करना चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अधिवक्ता को बंधुआ श्रम पीड़ितों की ओर से नक़दी और गैरनक़दी, दोनों घटकों के लिए BLA फ़ंड प्राप्त करने में NGO को सलाह और सहायता देनी चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                  |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| NGO प्रतिनिधियों को क्षतिपूर्ति के विभिन्न स्तरों की जानकारी होनी चाहिए। NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य और केंद्र सरकारों से मिलने वाले पुनर्वास फ़ंड बचाए गए बंधुआ श्रमिकों तक शीघ्रता से पहुँच जाएँ। NGO प्रतिनिधियों को पुनर्वास अनुदान जारी करने हेतु ज़िम्मेदार संबंधित प्राधिकारी से संपर्क करके उनसे उक्त अनुदान जारी करने का अनुरोध करना चाहिए। यदि इससे बात न बने तो NGO प्रतिनिधि DM से संपर्क करके उनके हस्तक्षेप की माँग कर सकते हैं। NGO प्रतिनिधि RTI आवेदन दायर करके भी पुनर्वास फ़ंड जारी नहीं किए जाने का कारण पूछ सकते हैं। यदि इससे भी बात न बने, तो NGO प्रतिनिधि SHRC या NHRC के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। यदि सारे उपाय विफल हो जाएँ, तो NGO प्रतिनिधियों को किसी अधिवक्ता संपर्क करके उससे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने को कहना चाहिए। | अधिवक्ता को RTI आवेदन, लिखित शिकायतें और रिट याचिकाएँ तैयार करनी चाहिए और उपयुक्त मंचों के पास ये दस्तावेज़ दायर करने चाहिए। अधिवक्ता को पुनर्वास अनुदान प्राप्त करने में NGO प्रतिनिधियों को सलाह व सहायता देनी चाहिए।<br><br>अधिवक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी अधिकारी प्रभावी पुनर्वास में NGO की भूमिका को स्वीकारें और उसे इस प्रक्रिया में शामिल करें। |

<sup>79</sup> (2004) 12 SCC 381; [2004] संलग्नक (2) SCR 64; निर्णय पाठ्य यहाँ पढ़ें।

## सस्मरणीय बिंदु

- **क्षतिपूर्ति के प्रकार:** आपको क्षतिपूर्ति के इन तीन स्तरों की जानकारी होनी चाहिए:

- **बंधुआ श्रमिक पुनर्वास निधियाँ:** पूर्व में, सभी बचाए गए बंधुआ श्रमिक केंद्र प्रायोजित क्षतिपूर्ति योजना 2000 के तहत क्षतिपूर्ति के अधिकारी थे [₹20,000.00: राज्य सरकार से ₹10,000.00 और केंद्र सरकार से ₹10,000.00], पर 2021 में उक्त योजना का नवीनीकरण कर दिया गया और उसे अब बंधुआ श्रमिक पुनर्वास केंद्रीय क्षेत्र योजना कहते हैं।<sup>80</sup> 2021 वाली योजना के तहत पुनर्वास सहायता राशि ₹1,00,000.00 प्रति वयस्क पुरुष लाभार्थी है। विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों, जैसे महिलाएँ और बच्चे जिनमें अनाथ बच्चे और वे बच्चे शामिल हैं जिन्हें संगठित और बलात् भिखारी गिरोहों या बलात् बाल श्रम के अन्य रूपों से बचाया गया है, के लिए पुनर्वास पैकेज ₹2,00,000.00 का है जिसमें से ₹1,25,000.00 किसी वार्षिकी योजना में जमा किए जाएँगे और शेष राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बनेफिट ट्रांसफर, DBT) के माध्यम से BL खाते को अंतरित की जाएगी। BL/चरम अभाव वाले बलात् श्रम/CSE, प्लेसमेंट एजेंसियों, अवैध व्यापार से बचाए गए हाशिये पर मौजूद व्यक्तियों जैसे ट्रांसजेंडर, महिलाओं, बच्चों या दिव्यांगजनों के मामले में या जिनमें DM उचित समझें उन परिस्थितियों में पुनर्वास पैकेज ₹3,00,000.00 का होता है जिसमें से ₹2,00,000.00 किसी वार्षिकी योजना में जमा किए जाएँगे और शेष राशि DBT के माध्यम से BL खाते को अंतरित की जाएगी।

- **SC/ST समुदाय के लिए विशेष फंड:** जो बंधुआ श्रमिक SC/ST समुदाय का है वह राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित पृथक क्षतिपूर्ति का अधिकारी है। यह क्षतिपूर्ति तीन चरणों में प्राप्त होती है:
  1. **प्राथमिकी पंजीकृत हो जाने पर:** प्राथमिकी पंजीकृत हो जाने पर SHO/IO बंधुआ श्रम के पीड़ित को अंतरिम राहत, जो कुल क्षतिपूर्ति की 25% होती है, जारी किए जाने के लिए संबंधित विभाग (समाज कल्याण विभाग) को लिखित अनुशंसा भेजने को बाध्य है।
  2. **आरोपपत्र दायर होने पर:** अगला 25% अंश आरोपपत्र दायर होने पर बचाए गए श्रमिक को दिया जाना होता है।
  3. **मुकदमे के समापन पर:** आरोपित का दोष सिद्ध हो जाने पर, बचाए गए श्रमिकों को शेष 50% क्षतिपूर्ति मिलती है। हालाँकि, यदि आरोपित को निर्दोष घोषित किया जाता है तो यह शेष 50% ज़ब्त हो जाता है।

- **न्यायपालिका द्वारा अनुदत्त क्षतिपूर्ति**

- **CrPC की धारा 357 के तहत:** यदि आरोपित का दोष सिद्ध हो जाता है, तो न्यायाधीश आरोपित से बंधुआ श्रम के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने की कहकर दंड की मात्रा घटा सकते हैं। यह आवेदन अधिवक्ता द्वारा पीड़ित के नाम में किया जाना होता है।
- **CrPC की धारा 357A के तहत:** इस धारा के तहत, न्यायाधीश के पास ज़िला या राज्य LSA (लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटीज़/विधिक सेवाएँ प्राधिकरण) की अनुशंसाओं के आधार पर केंद्र प्रायोजित पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना की अनुरूपता में अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की अनुशंसा करने की शक्ति है।

- **बाल श्रमिकों को क्षतिपूर्ति:** अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रम विभाग स्वामी से ₹20,000.00 का जुर्माना वसूलकर उसे बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण निधि नामक फंड में जमा कर दे। अधिवक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन मामलों में किसी बच्चे को किसी फैक्टरी या खान या अन्य खतरनाक कार्य में लगाया गया हो उन मामलों में बच्चे के स्थान पर बच्चे के परिवार के किसी वयस्क को कोई नौकरी प्रदान की जाए। जिन मामलों में वयस्क सदस्य को रोजगार देना संभव न हो उन मामलों में उपयुक्त सरकार को प्रत्येक नियुक्त बच्चे के लिए प्रति माह ₹25,000.00 की राशि बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण निधि में जमा करनी चाहिए।<sup>81</sup> 12 जून, 2016 को बिहार के मुख्यमंत्री ने एक नई योजना शुरू की थी जिसमें बचाए गए प्रत्येक बाल श्रमिक (आयु 14 वर्ष से कम) को ₹25,000.00 दिए जाएँगे। इस योजना के तहत बच्चे को संबंधित CWC में पंजीकृत होना चाहिए और बाल श्रम ट्रेकिंग तंत्र के तहत नामांकित होना चाहिए।<sup>82</sup>

<sup>80</sup> <<https://labour.gov.in/whatsnew/central-sector-scheme-rehabilitation-bonded-labourer-2021>>  
<sup>81</sup> देखें एम सी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 6 (SCC) 756.  
<sup>82</sup> अधिक जानकारी के लिए पढ़ें: <<http://indiatoday.intoday.in/story/nitish-announces-rs-25000-for-every-rescued-child-labour/1/690171.html>>

## और जानें तथा क़दम उठाएँ

**पुनर्वास के लिए NGO की उपस्थिति के बारे में निर्णय विधि (केस क़ानून):** अधिवक्ता को अधिकारियों का ध्यान पी. शिव-स्वामी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य<sup>83</sup> में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की ओर खींचना चाहिए, जिसमें न्यायालय ने निम्नवत कहा है:

“मुक्त किए गए बंधुआ श्रमिकों को जो भी पुनर्वास प्रदान किया जाए, वह किसी समाजसेवा समूह या स्वयंसेवी एजेंसी...के प्रतिनिधि की उपस्थिति में प्रदान किया जाना चाहिए ताकि पुनर्वास के प्रावधानों का उक्त श्रमिकों तक वास्तव में पहुँचना सुनिश्चित किया जा सके।”

**CrPC में क्षतिपूर्ति के बारे में क़ानून:** पीड़ित क्षतिपूर्ति के बारे में और जानने के लिए CrPC की धाराएँ 357 और 357A पढ़ें।

**पीड़ित क्षतिपूर्ति के बारे में निर्णय विधि (केस क़ानून):** JVI के पीड़ित क्षतिपूर्ति निर्णय विधि रेडी रेकनर की कॉपी के लिए JVI से संपर्क करें; इस पुस्तिका में भारत में पीड़ित क्षतिपूर्ति से संबंधित मुख्य न्यायालयी निर्णयों का सारांश है।

**पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिए प्रारूप: परिशिष्ट 19** में दंड सुनाए जाने के दौरान मैजिस्ट्रेट/न्यायालय की ओर से पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिए CrPC की धारा 357A(6) के तहत आवेदन दिया गया है।

## चरण 3.5 बुनियादी सरकारी पात्रताएँ और पहचान दस्तावेज़ प्राप्त करना

समयसीमा: सरकारी पात्रताएँ और पहचान दस्तावेज़ प्राप्त करने की प्रक्रिया में 1 से 2 माह लग सकते हैं।

| NGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO को बुनियादी सरकारी पहचान दस्तावेज़ जैसे राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज़ प्राप्त करने में बंधुआ श्रम पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए।<br><br>NGO को भोजन, कपड़े, आश्रय, भू-अधिकार, शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श और अन्य पात्रताओं से संबंधित सरकारी पात्रताओं तक पहुँचने में बंधुआ श्रम पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए। | अधिवक्ता को सरकारी प्राधिकरणों से बुनियादी सरकारी पहचान दस्तावेज़ जैसे राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज़ जारी करने की प्रार्थना करने के लिए NGO को सलाह देनी चाहिए और (यदि आवश्यक हो तो) बंधुआ श्रम पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए।<br><br>यदि उक्त सरकारी पात्रताओं से अनुचित ढंग से मना कर दिया जाए तो अधिवक्ता को सरकारी एजेंसियों से उक्त पात्रताएँ प्रदान करने की प्रार्थना करने में NGO और बंधुआ श्रम पीड़ितों को क़ानूनी सहायता देनी चाहिए। |

## व्याख्या

बंधुआ श्रम के पीड़ितों को प्रदान किए जा रहे इन पुनर्वास फंडों के साथ-साथ, उन्हें निम्नलिखित भी प्रदान किए जाने चाहिए:

- गृह-स्थल का आवंटन
- सस्ते आवास की व्यवस्थाएँ
- पशु पालन, दुधारू पशु पालन, मुर्गी पालन, शूकर पालन, आदि
- वेतन रोज़गार, न्यूनतम वेतन लागू करना, आदि
- गौण वन उत्पादों का एकत्रण और प्रसंस्करण

अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि NGO और सरकारी प्राधिकारी पीड़ितों से पुनर्वास संबंधी विवरण एकत्र करें जिसमें नाम, आयु, और उस गाँव का पता शामिल है जहाँ श्रमिक बसना चाहता है। अधिवक्ता को पीड़ित से पूछ लेना चाहिए कि उसके पास राशन कार्ड, भू-पट्टा, मतदाता पहचान पत्र या समुदाय प्रमाणपत्र है या नहीं।

अधिवक्ता को पीड़ित के लिए सरकारी पुनर्वास योजनाएँ प्राप्त करने में NGO प्रतिनिधि की सहायता करनी चाहिए।

<sup>83</sup> 1988 AIR 1863

| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>● PDS के तहत आवश्यक ज़िंसों की आपूर्ति, और</li><li>● आधार कार्ड</li><li>● राशन कार्ड</li><li>● भू-पट्टे</li><li>● समुदाय प्रमाणपत्र</li><li>● रोज़गार योजनाओं (मनरेगा) के तहत जॉब कार्ड</li><li>● संबंधित राज्य में लागू अन्य मुख्यमंत्री कल्याण योजनाएँ</li><li>● रोज़गार योजनाएँ</li><li>● चिकित्सा सुविधाएँ</li><li>● सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत अन्य लाभ</li><li>● बैंक खाते</li></ul> <p>NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपर्युक्त पुनर्वास योजनाएँ संबंधित स्थानीय प्रशासन द्वारा बंधुआ श्रम पीड़ितों को प्रदान की जाएँ, और जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ किसी अधिवक्ता की सहायता लेनी चाहिए। NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आर्थिक पुनर्वास के साथ-साथ मनोसामाजिक पुनर्वास भी किया जाए। इस सब में, फ़ोकस केवल बंधुआ श्रमिक पर नहीं बल्कि पुनर्वास की ज़रूरत वाले उसके पूरे परिवार पर भी होना चाहिए।</p> <p>NGO प्रतिनिधि बंधुआ श्रमिकों की रिहाई होने पर बुनियादी प्रावधानों जैसे भोजन, कपड़े, अस्थायी आश्रय, और परिवहन, की प्रदायगी सुनिश्चित करेगा।</p> <p>NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रिहा हुए बंधुआ श्रमिकों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान की जाए। NGO को अधिवक्ता से सरकारी पात्रताएँ पाने के बारे में पीड़ितों को प्रशिक्षण प्रदान करने का अनुरोध करना चाहिए।</p> | <p>अधिवक्ता को बचाए गए व्यक्तियों को उनके अधिकारों और उन अधिकारों तक पहुँचने के रास्तों के बारे में सुझाही बनाकर उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। यदि रिहा हुआ बंधुआ श्रमिक अपने पैतृक गाँव लौटना चाहे तो अधिवक्ता को सरकार से उसे उसके पैतृक स्थान सुरक्षित वापस पहुँचाने का अनुरोध करना चाहिए।</p> |

## सस्मरणीय बिंदु

**पर्याप्त आर्थिक पुनर्वास:** NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रिहा हुए बंधुआ श्रमिकों का आर्थिक पुनर्वास केंद्र प्रायोजित योजना के तहत मिलने वाले अनुदानों तक ही सीमित न रहे बल्कि उसके साथ-साथ सरकार के विभिन्न विभागों और अन्य एजेंसियों की ओर से उपलब्ध आर्थिक लाभों को एक साथ लाकर पीड़ित को प्रदान करने की पद्धति भी अपनाई जाए।

बचाए गए व्यक्तियों की बैंक खाता खोलने में सहायता करना: पुनर्वास अनुदान का भुगतान आम तौर पर चेक से होता है। NGO प्रतिनिधियों को बचाए गए बंधुआ श्रमिकों को किसी भी सरकारी बैंक में बैंक खाता खोलने में सहायता देनी चाहिए। NGO प्रतिनिधियों को बचाए गए बंधुआ श्रमिकों को प्रेरित करना चाहिए कि वे बचत करने की आदत को अपनाएँ। NGO प्रतिनिधियों को बचाए गए बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वास अनुदान का उपयोग करके उसके कौशल से संबंधित संपत्ति (जैसे सिलाई मशीन, पशुधन, गाड़ी आदि) खरीदने में भी सहायता देनी चाहिए। हालाँकि, यह कार्य केवल बंधुआ श्रमिक के परामर्श से ही किया जाना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका यह है कि पुनर्वास योजनाएँ बंधुआ श्रमिकों के परामर्श से बनाई जाएँ।

**पुनर्वास योजनाएँ:** मोटे तौर पर, NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाए गए व्यक्ति को निम्नलिखित प्रदान किया जाए:

| योजना                                                           | ज़िम्मेदारी सरकारी प्राधिकरण                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ₹1,00,000.00 से ₹3,00,000.00 पुनर्वास फ़ंड <sup>84</sup>        | ज़िला राजकोष, समाहर्ता, RDO, तहसीलदार, और/या उक्त फ़ंड के संवितरण हेतु स्थापित अन्य कोई निकाय।                             |
| राशन कार्ड                                                      | स्थानीय तालुक आपूर्ति कार्यालय                                                                                             |
| समुदाय (जाति) प्रमाणपत्र                                        | तहसीलदार या उप-तहसीलदार                                                                                                    |
| भू-पट्टा                                                        | राजस्व निरीक्षक, सर्वेक्षण विभाग और समाहर्ता/RDO/तहसीलदार                                                                  |
| मनरेगा के ज़रिए रोज़गार                                         | ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिससे स्थानीय ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी या नामित प्राधिकरण के ज़रिए संपर्क किया जा सकता है |
| शिक्षा                                                          | स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग; श्रम निरीक्षक (तब ज़िम्मेदार जब बाल श्रम शामिल हों) <sup>85</sup>                        |
| बंधुआ श्रमिक पुनर्वास केंद्रीय क्षेत्र योजना 2021 <sup>86</sup> | ज़िला प्रशासन                                                                                                              |

## और जानें तथा क़दम उठाएँ

**मुक्त बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना के तहत फ़ंड जारी करने हेतु NHRC के दिशानिर्देशों के बारे में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।**

**सरकारी पात्रताएँ नियमावली:** सरकारी पात्रताओं तक पहुँचने की विस्तृत, चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका के लिए, इमैनुअल हॉस्पिटल एसोसिएशन की वेबसाइट <https://www.eha-health.org/downloads/category/9-advocacy-manuals><sup>87</sup> पर पक्षधरता नियमावलियाँ (Advocacy Manuals) देखें।

**विधिक सेवाएँ प्राधिकरण (लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, LSA):** यदि NGO कुछ सरकारी पात्रताओं तक पहुँचने में बचाए गए व्यक्ति की सहायता करने में विफल रहता है, तो NGO और बचाया गया व्यक्ति स्थानीय विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के कार्यालय से मुफ्त कानूनी सहायता ले सकते हैं। विधिक सेवाएँ प्राधिकरण की भूमिका के बारे में और जानने के लिए, विधिक सेवाएँ प्राधिकरण अधिनियम, 1987 पढ़ें।

**भू-पट्टा:** पट्टा एक कानूनी सरकारी दस्तावेज़ होता है जो भूस्वामी के नाम में जारी किया जाता है। सरकार ने कम आय वाले परिवारों द्वारा उपयोग के लिए भूमि अलग रख छोड़ी है। रिहाई प्रमाणपत्र पाने वाले बंधुआ श्रमिक भू-पट्टा हेतु आवेदन करने के पात्र हैं। भू-पट्टा पाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी के लिए JVI से संपर्क करें।

<sup>84</sup> बंधुआ श्रमिक पुनर्वास केंद्रीय क्षेत्र योजना 2016 के अनुसार, नरकदी घटक श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 100% समर्थित है और ग़ैरनरकदी घटक संबंधित राज्य सरकार द्वारा।

<sup>85</sup> सेव द चाइल्डहुड फ़ाउंडेशन बनाम भारत संघ एवं अन्य। रटि याचिका (दीवानी) 1509, वर्ष 2006, यहाँ उपलब्ध: <<http://stophumantrafficking-mha.nic.in/writereaddata/WPC-9767-2009-govt-of-delhi-vs-save-the-childhood-foundation.pdf>>. CL/BL से बचाए गए बच्चों के नामांकन में उनकी भूमिका अत्यावश्यक है।

<sup>86</sup> बंधुआ श्रमिक पुनर्वास केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2021, फाइल सं. S-1101V2/01/2019 –BL, भारत सरकार, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, दलितकति 07 फ़रवरी, 2022 और बंधुआ श्रमिक पुनर्वास केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2016 में दलितक 23.06.2017 को कए गए संशोधन।

<sup>87</sup> इमैनुअल हॉस्पिटल एसोसिएशन द्वारा वकिसति और हाल ही में JVI द्वारा अपडेट की गई।

### चरण 3.6 बंधुआ श्रम पीड़ितों को वापस घर भेजना

| समयसीमा: बंधुआ श्रमिकों को वापस घर भेजने की प्रक्रिया में 2 दिन से 1 सप्ताह तक लग सकता है।                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                                                                                                                | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NGO को बंधुआ श्रम पीड़ितों को उनके परिवार/पैतृक स्थान या किसी वैकल्पिक सुरक्षित स्थान तक सुरक्षित ढंग से पहुँचाने में उनकी सहायता करनी चाहिए, इसमें अवयस्क पीड़ितों के लिए CWC द्वारा यथा निर्धारित अनुसार गृह सत्यापन रिपोर्ट पूरी करना शामिल है। | अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करने के लिए NGO प्रतिनिधियों को सलाह देनी चाहिए कि बहाली की प्रक्रिया कानून द्वारा स्थापित कार्यविधियों के अनुसार संचालित हो।                                                                                                                                                                                                  |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| बंधुआ बाल श्रमिकों और किशोरों के मामले में NGO गृह सत्यापन अध्ययन संचालित कर सकता है और संबंधित प्राधिकारियों के पास रिपोर्ट जमा कर सकता है।                                                                                                       | अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाल बंधुआ श्रमिकों को CWC के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और उपयुक्त देखभाल गृह में रखा जाए। उक्त गृह से बाल बंधुआ श्रमिक की रहाई तब तक नहीं होने देनी चाहिए जब तक CWC के समक्ष गृह जाँच रिपोर्ट न प्रस्तुत कर दी जाए। अधिवक्ता को गृह जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत होने से पहले बचाए गए बच्चों की रहाई का विरोध करना चाहिए। |

### सस्मरणीय बिंदु

- बाल श्रमिकों की घर वापसी में CWC की भूमिका:** यदि बाल श्रमिक उनके माता-पिता के बिना बचाए गए हैं, तो ऐसे में यह भूमिका CWC की है कि वह बच्चों को उसके मूल स्थान वापस भेजने हेतु उठाए जाने वाले क़दम तय करने के लिए गृह जाँच रिपोर्टों के ज़रिए उनकी पृष्ठभूमियों की पर्याप्त जाँच करे। जिस CWC के क्षेत्राधिकार के भीतर बचाव कार्य हुआ है वह बच्चों को बच्चों के मूल स्थान पर क्षेत्राधिकार वाली CWC वापस भेजने के लिए किशोर न्याय अधिनियम के उपबंधों के तहत उपयुक्त आदेश पारित करेगी। यह कार्य जल्द-से-जल्द किया जाना चाहिए ताकि बच्चों की तुरंत वापसी सुनिश्चित की जा सके। जल्द-से-जल्द वापसी सुनिश्चित करने में NGO CWC की सहायता कर सकता है।
- बच्चों की अभिरक्षा माता-पिता को देने के लिए CWC का आदेश:** बच्चों के कल्याण और पीड़ित की बहाली की ज़िम्मेदारी CWC पर है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 37 के तहत, CWC गृह जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाने के बाद बच्चों को बच्चों के माता-पिता या अभिभावक की अभिरक्षा में सौंपने का आदेश दे सकती है।
- सीमापार/अंतरराज्यीय अवैध व्यापार:** सीमापार या अंतरराज्यीय अवैध व्यापार के मामले में, दोनों देशों के हितधारकों और NGO को बचाई गई महिलाओं, बच्चों या पुरुषों को तुरंत उनके मूल देश वापस भेजने के प्रभावी उपाय करने चाहिए। नेपाल या बांग्लादेश को वापसी: नेपाल या बांग्लादेश को सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना चाहिए:
- पहला चरण है नेपाल और बांग्लादेश के वाणिज्य महादूत (कौंसल जनरल) से मुलाकात। NGO प्रतिनिधियों को कौंसल के प्रतिनिधियों को अपना परिचय और मामले की जानकारी देनी चाहिए। वाणिज्य दूतावास (कौंसुलेट) से संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। हर कौंसुलेट के अपने कुछ नियम और विनियम होते हैं जिनके तहत वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाती है। NGO प्रतिनिधियों का उक्त प्रक्रिया और ज़रूरी दस्तावेज़ों से परिचित होना ज़रूरी है। NGO प्रतिनिधियों को वापसी की प्रक्रिया को आरंभ से अंत तक पूरा करने के लिए भारत सरकार की लागू एजेंसी और कौंसुलेटों के बीच एक संपर्क का कार्य करना चाहिए।
  - यदि बाल श्रमिक उनके माता-पिता के बिना बचाए गए हों तो NGO प्रतिनिधियों को CWC से यह अनुरोध करना चाहिए कि वह गृह अध्ययन रिपोर्ट का आदेश दे, और रिपोर्ट पूरी हो जाने पर, रिपोर्ट पर निर्भर करते हुए वापसी का आदेश दे।

- NGO प्रतिनिधियों को गृह अध्ययन के संचालक NGO से भी संबंध बनाने चाहिए। NGO प्रतिनिधियों को विश्वसनीय संगठनों का एक डेटाबेस बनाकर रखना चाहिए और CWC को यह संस्तुति करनी चाहिए कि गृह अध्ययन के संचालन और वापसी में सहायता के लिए वह इन संगठनों से संपर्क करे।

**अंतरराष्ट्रीय वापसी के लिए ज़रूरी महत्वपूर्ण दस्तावेज़:** निम्नलिखित एजेंसियों से निम्नलिखित दस्तावेज़ चाहिए होते हैं:

- राष्ट्रियता का सत्यापन – मूल देश
- वापसी का आदेश और सहमति पत्र – गृह मंत्रालय, भारत
- अनापति प्रमाणपत्र – महिला एवं बाल विकास विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, DWCD) के ज़िला कार्यालय और राज्य कार्यालय
- यात्रा दस्तावेज़ – मूल देश
- रिहाई आदेश – देखभाल गृह
- यात्रा हेतु स्वीकृति की अधिसूचना – विदेशी पंजी कार्यालय (फ़ॉरेन रजिस्ट्री ऑफ़िस), राज्य सरकार
- भारत छोड़ने की अनुमति – भारत सरकार
- मूल देश से मूल देश में पुनः प्रवेश की अनुमति लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। यदि बचाए गए व्यक्ति का देश उसे अपना नागरिक मानने को तैयार नहीं है तो भारत सरकार उस व्यक्ति की वापसी के लिए अधिक कुछ नहीं कर सकती है। NGO यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि मूल देश बचाए गए व्यक्ति की राष्ट्रियता को मान्यता दे सके और उसकी वापसी की अनुमति देने पर सहमत हो जाए।

NGO को सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों की प्रतियाँ माँगनी चाहिए। NGO को सभी संबंधित पक्षों को बचाए गए व्यक्ति के बारे में ज़रूरी जानकारी देनी चाहिए।

### और जानें तथा क़दम उठाएँ

**पुनर्वास परिवार प्रारूप:** पुनर्वास परिवार प्रारूप एक नमूना परिशिष्ट 18 में है। CWC को गृह जाँच के संचालक NGO के नाम का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए।

### चरण 3.7 निजी क्षेत्र के संसाधनों की पहुँच सुगम बनाना

| समयसीमा: निजी क्षेत्र के संसाधनों की पहुँच सुगम बनाने की प्रक्रिया में 1 से 2 माह लग सकते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NGO को नक़दी (बंधुआ श्रम और वेश्यालय आदि से बचाए गए पीड़ितों के पुनर्वास के लिए हाल ही में नवीनीकृत CSS-2021 के तहत ₹3,00,000.00) और गैरनक़दी घटकों जैसे शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श और अन्य पात्रताओं से संबंधित निजी क्षेत्र (NGO और व्यवसाय) के उपलब्ध संसाधनों तक पहुँचाने में बंधुआ श्रम के पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए। |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NGO प्रतिनिधि ऐसे भागीदार संगठनों और संबंधित हितधारकों जो वैकल्पिक आजीविका, अंतरिम आश्रय, दस्तावेज़, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श और अन्य पात्रताएँ पाने में सहायता प्रदान कर सकते हैं, के साथ संबंध स्थापित करके बंधुआ श्रमिकों का निजी सुविधाओं तक पहुँचना सुगम बना सकते हैं। फ़ॉलो-अप मुलाकातों के संबंध में नीचे देखें।               |

चरण 3.8 स्थानीय BLA सतर्कता समितियों को संलग्न करना

| समयसीमा: स्थानीय BLA सतर्कता समितियों को संलग्न करने में एक से दो माह लग सकते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | अधिवक्ता                                                                                                                                             |
| NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस ज़िले में बंधुआ श्रम पीड़ित निवास करता है वहाँ के ज़िला प्रशासन ने एक सतर्कता समिति स्थापित की हुई हो, और उसे पीड़ितों के निरंतर पुनर्वास और संरक्षण को सुगम बनाने के लिए उक्त सतर्कता समिति के साथ कार्य करना चाहिए।                                                                                                  | यदि बंधुआ श्रम सतर्कता समिति पहले से मौजूद नहीं है तो अधिवक्ता को ज़िला प्रशासन से उक्त समिति के गठन की प्रार्थना करने में NGO की सहायता करनी चाहिए। |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |
| BLA की धारा 13 के अनुसरण में, हर राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने को ज़िम्मेदार है कि राज्य के हर ज़िले में सतर्कता समितियों का गठन हुआ हो और वे प्रभावी ढंग से संचालन कर रही हों। सतर्कता समितियों का गठन बंधुआ श्रम पीड़ितों के समग्र पुनर्वास के लिए किया जाता है और ज़िलाधिकारी उनके अध्यक्ष होते हैं।                                                      | अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर ज़िले में BLA के अनुसार एक सतर्कता समिति का गठन हुआ हो।                                                    |
| जिन ज़िलों और अनुमंडलों में सतर्कता समितियों का गठन नहीं हुआ है वहाँ NGO को ज़िला प्रशासन के समक्ष उक्त समितियों के गठन की तरफ़दारी करनी चाहिए और उन्हें बंधुआ श्रम की व्यापकता पर सर्वेक्षण करने को प्रेरित करना चाहिए। NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों से गरिमापूर्वक और सहानुभूति के साथ व्यवहार किया जाए, अपराधियों की तरह नहीं। |                                                                                                                                                      |

सस्मरणीय बिंदु

NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देखभाल सेवाएँ निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रदान की जाएँ। सबसे अच्छा तरीका यह है कि दो वर्षों तक देखभाल सेवाएँ प्रदान की जाएँ, और आवश्यकतानुसार इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि यह अपेक्षित है कि सतर्कता समिति BLA की धारा 14 के तहत मुक्त बंधुआ श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास का प्रावधान करेगी, पर NGO क्षतिपूर्ति के बारे में सतर्कता समिति और ज़िला प्रशासन से नियमित रूप से मुलाकात करके पूछते रह सकते हैं। NGO पर्याप्त पुनर्वास सहायता सुनिश्चित करने में ज़िला प्रशासन और सतर्कता समितियों की सहायता कर सकता है।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास में ज़िलाधिकारी की भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों के बारे में जानने के लिए अध्याय 4 देखें। बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के लिए अध्याय 6 देखें।

चरण 3.9 पीड़ितों की स्थायी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना

| समयसीमा: पीड़ितों की स्थायी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में दो वर्ष तक लग सकते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अधिवक्ता                                                                                                                                                               |
| NGO को बचाव से लेकर कम-से-कम 24 माह तक बंधुआ श्रम पीड़ित के साथ निरंतर संबंध बनाए रखना चाहिए ताकि स्थायी पुनर्वास और स्थायी स्वतंत्रता सुनिश्चित हों।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                        |
| NGO प्रतिनिधि को रिहाई के बाद श्रमिक को उसके परिवार/पैतृक स्थान में बहाल करने के प्रयास करने चाहिए। बाल श्रमिक के मामले में, बहाली से पहले बाल कल्याण समिति से आदेश प्राप्त करना चाहिए। NGO को समय-समय पर आवश्यक फ़ॉलो अप करना चाहिए। बचाए गए पीड़ितों को उनके कल्याण लाभ और क्षतिपूर्ति मिले यह सुनिश्चित करने के लिए NGO को परिवार के आकलन करने चाहिए, हर पीड़ित की परिस्थिति के अनुसार अलग उपचार योजना तैयार करनी चाहिए, और ज़िला प्रशासन के साथ समीपता से कार्य करना चाहिए। पीड़ितों को उनके अपने-अपने बैंक खाते खोलने में भी सहायता दी जाएगी ताकि सरकारी क्षतिपूर्ति के चेक जमा किए जा सकें। | अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करने के लिए NGO प्रतिनिधियों को सलाह देनी चाहिए कि बहाली की प्रक्रिया क़ानून द्वारा स्थापित कार्यविधियों के अनुसार संचालित हो, न कि बलपूर्वक। |

सस्मरणीय बिंदु

**पर्याप्त परामर्श:** यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि रिहा श्रमिकों से परामर्श किया जाए और यदि वे अपने पैतृक गाँव जाना नहीं चाहते हों तो उन्हें वहाँ जाने पर विवश न किया जाए। अवयस्क के मामले में, उसकी वैयक्तिक देखभाल योजना तैयार की जानी चाहिए और CWC को सौंपी जानी चाहिए। NGO पीड़ितों के लिए एक देखभाल योजना भी बनाकर रख सकता है और यदि कहा जाए तो उसे मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। NGO प्रतिनिधि को श्रमिक को उसके परिवार और समुदाय में वापस मिलाने के प्रयास भी करने चाहिए।

**बहाली का लक्ष्य:** बहाली का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि रिहा श्रमिक किसी ऐसे स्थान पहुँच जाए जहाँ वह स्थायित्व के साथ अपने भरण-पोषण की व्यवस्था कर सके।

**गृह अध्ययन पूरा करना:** NGO प्रतिनिधियों को बाल श्रमिकों के लिए गृह अध्ययन करने से पहले CWC से अनुमति लेनी चाहिए। गृह अध्ययन के दौरान, बच्चे के पैतृक स्थान जाने वाले प्रतिनिधियों को यह सावधानी बरतनी चाहिए कि उनसे समुदाय को ऐसी कोई भी जानकारी न मिलने पाए जिससे बच्चे पर कलंक लगे, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे का परिवार और समुदाय घर लौटने पर उसे अपनाने से पीछे हट जाएँ। NGO प्रतिनिधि को दोबारा अवैध व्यापार के जोखिम का आकलन करना चाहिए और रिपोर्ट व अनुशंसा CWC के सामने पेश करनी चाहिए।

**नियोजन:** अवैध व्यापार के पीड़ितों की घर वापसी और उन्हें वापस घर-समुदाय में मिलाना एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसकी योजना बनाना ज़रूरी होता है, और इसमें पीड़ित की अपनी विशिष्ट अल्पकालिक व दीर्घकालिक ज़रूरतों का और उसने जो प्राथमिकताएँ ज़ाहिर की हों उनका ध्यान रखा जाता है। प्रयास ऐसे हों जो दंडात्मक न हों और पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा पर लक्षित हों।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

बंधुआ श्रम हस्तक्षेपों में दी जाने वाली देखभाल सेवाओं की एक जाँचसूची परिशिष्ट 17 में है।

# अवैध यौन व्यापार हस्तक्षेपों की SOP

(व्याख्या के बिना)

नीचे अवैध यौन व्यापार हस्तक्षेपों की SOP का वर्णन है। इन SOP को तीन भागों में बाँटा गया है:

- 1. पीड़ितों के बचाव की कार्यविधियाँ
- 2. दोषियों पर अभियोजन की कार्यविधियाँ
- 3. पीड़ितों की बहाली की कार्यविधियाँ

## 1.0 अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बचाव की कार्यविधियों का सारांश



**अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों की पहचान करना**  
NGO द्वारा दिए गए साक्ष्यों के आधार पर जिला प्रशासन (DA) अवैध यौन व्यापार की मौजूदगी की जाँच करता है।



**अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बचाव की योजना तैयार करना**  
पुलिस बचाव स्थल के स्थान, भौतिक नक्शे, प्रवेश और निकास बिंदुओं, छिपने के अड्डों, बचाव स्थल के स्केच नक्शे, आदि के विवरण के साथ एक गोपनीय बचाव योजना तैयार करती है; SPO केस डायरी में नोट करता है।



**अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों का बचाव शुरू करना**  
बचाव दल (जिसमें महिला पुलिस हवलदार शामिल हैं) स्थल पर प्रवेश करके पीड़ितों तक पहुँचता है। पुलिस निगरानी दल के साथ समन्वय करती है और अपराध स्थल के फोटो लेती है/वीडियो बनाती है।



**अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों को आरोपितों से अलग करना**  
पुलिस पीड़ितों को आरोपितों से अलग करती है और पीड़ितों को किसी सुरक्षित खुले स्थान पर ले जाती है; महिला हवलदार बचाव पीड़ितों से बातचीत करती हैं; समाजसेवी पीड़ितों से बातचीत करती/ता है।



**अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों का बयान रिकॉर्ड करना**  
पुलिस और/या परिवीक्षा अधिकारी बयान रिकॉर्ड करते हैं, आवश्यक हो तो परामर्श और अनुवाद प्रदान करते हैं, और बच्चों को CWC भेजते हैं।



**अवैध यौन व्यापार की शिकायत दर्ज कराना**  
स्थानीय विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) शिकायत प्राप्त करता है; जिला/राज्य AHTU या CBI भी शिकायत प्राप्त कर सकते हैं पर उन्हें जाँच में पुलिस के साथ समन्वय करना होगा।



**पुलिस के साथ बचाव-पूर्व बैठक करना**  
SPO (महिला अधिकारी हो तो बेहतर) NGO के साथ बचाव-पूर्व बैठक में भाग लेकर बचाव दिनांक तय करता है और जिम्मेदारियों की जाँचसूची की समीक्षा करता है; बचाव दल में 2 पंच या मोहल्ले के प्रतिष्ठित गवाह भी होने चाहिए, जिनमें से एक महिला हो, और समाजसेवी हो।



**अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बचाव की जगह को सुरक्षित करना**  
सभी पीड़ितों को बचा लिया जाए और कोई भी महत्वपूर्ण साक्ष्य खोए नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बचाव स्थल को सुरक्षित करती है।



**अवैध यौन व्यापार के साक्ष्य इकट्ठे करना**  
दो या अधिक स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में पुलिस साक्ष्य इकट्ठे करती है (डायरियों और रजिस्टर, खाते, लेखा बहियाँ जो अन्य अवैध व्यापारियों के साथ नेटवर्किंग दिखाती हों, नकदी, बिजली, टेलीफोन और पानी के बिल, राशन कार्ड, नगर पालिका/नगर निगम की कर रसीदें, यात्रा दस्तावेज, फोटोग्राफ, एल्बम, कॉन्डोम)।



**पीड़ितों की सुरक्षा करने वाली अभिरक्षा सुनिश्चित करना**  
पुलिस बचाए गए पीड़ितों को, यदि उपलब्ध हो तो, मैजिस्ट्रेट या CWC के पास पहुँचाती है; यदि वे उपलब्ध नहीं हैं तो पुलिस पीड़ितों को आश्रय गृह या बाल गृह पहुँचाती है।

## चरण 3.9 पीड़ितों की स्थायी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना

समयसीमा: अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों की पहचान की प्रक्रिया में एक से सात दिन लग सकते हैं।

| NGO                                                                                               | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO को अवैध यौन व्यापार की मौजूदगी को साबित करने वाली जानकारी इकट्ठी करके उसकी पुष्टि करनी चाहिए। | अधिवक्ता को यह पुष्टि करनी चाहिए कि इकट्ठी की गई जानकारी अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, IPC की धारा 370, और दूसरे लागू कानूनी उपबंधों के तहत अवैध यौन व्यापार के कानूनी पहलुओं को साबित करती है या नहीं। |

### व्याख्या

NGO को इनमें से किसी भी स्रोत से जानकारी मिल सकती है:

- पीड़ित या पीड़ितों के परिवार/समुदाय/बच निकला कोई व्यक्ति
- NGO/समुदाय के नेता
- मानव व्यापार-रोधी इकाइयाँ (राज्य और जिला स्तरीय)
- CWC
- ऐसा कोई व्यक्ति जिसे अपराध की जानकारी हो
- पीड़ित
- मुखबिर

NGO स्रोत और पारगमन बिंदुओं पर और माँग वाले क्षेत्रों में गुप्त सूचनाएँ इकट्ठी करके और मीडिया रिपोर्टों से भी जानकारी हासिल कर सकता है।

अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करने के लिए NGO प्रतिनिधियों को सलाह देनी चाहिए कि बहाली की प्रक्रिया कानून द्वारा स्थापित कार्यविधियों के अनुसार संचालित हो, न कि बलपूर्वक।

- पीड़ित या पीड़ितों के परिवार/समुदाय/बच निकला कोई व्यक्ति
- NGO/समुदाय के नेता
- मानव व्यापार-रोधी इकाइयाँ (राज्य और जिला स्तरीय)
- CWC
- ऐसा कोई व्यक्ति जिसे अपराध की जानकारी हो
- पीड़ित
- मुखबिर

अधिवक्ता को प्रलोभन अभियानों से संबंधित मामलों और जानकारी इकट्ठी करते समय गोपनीयता के बारे में भी NGO को सलाह देनी चाहिए।

### संस्मरणीय बिंदु

अवैध यौन व्यापार का पीड़ित कौन है: वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए अवैध व्यापार की जाँच के प्रयोजन से, "पीड़ित" वह व्यक्ति है जिसे, यौन शोषण के प्रयोजन से, बल या दबाव के अन्य रूपों, अपहरण, धोखाधड़ी, छल-कपट, शक्ति के दुरुपयोग की धमकियों या के उपयोग द्वारा, भर्ती किया गया है, उसका परिवहन या स्थानांतरण किया गया है, उसे आश्रय दिया गया है या उसे प्राप्त किया गया है।<sup>88</sup>

ITPA के अनुसार, अवैध व्यापार का पीड़ित हो सकता है:

- कोई बच्चा: 16 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति
- कोई अवयस्क: 16 वर्ष या अधिक परंतु 18 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति
- कोई वयस्क: 18 वर्ष या अधिक की आयु वाला व्यक्ति

<sup>88</sup> देखें Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children, 2000.

**जानकारी और गुप्त सूचनाएँ एकत्र करने के साधन:** निम्नलिखित साधनों और स्थानों से वाणिज्यिक यौन शोषण के होने से संबंधित जानकारी की पहचान की जा सकती है:

- **स्रोत स्थान:** स्रोत स्थानों में पीड़ितों और संभावित पीड़ितों के बारे में गुप्त सूचनाएँ इकट्ठी करें। पीड़ितों में वे महिलाएँ और बच्चे शामिल होते हैं जिन्हें यौन प्रकृति के कृत्य करने पर विवश किया गया है। अधिक जोखिम वाले स्थानों और समुदायों पर करीबी नज़र रखने से असुरक्षित पीड़ितों के व्यापार को रोकने में सहायता मिलेगी। NGO को समुदाय के लोगों को इस बारे में संवेदनशील बनाना चाहिए कि वे पीड़ितों के अनियमित रूप से आने-जाने पर नज़र रखें। स्रोत स्थानों से बच निकले लोगों के साक्षात्कार से भी गुप्त सूचनाएँ इकट्ठी की जा सकती हैं।
- **पारगमन बिंदु:** लाए/ले जा रहे या आ-जा रहे पीड़ितों और दोषियों के बारे में गुप्त सूचनाएँ इकट्ठी करने के लिए पारगमन बिंदुओं पर दल तैनात करें। पारगमन बिंदुओं में बस स्टॉप/स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, सीमाओं पर स्थित आप्रवासन या कस्टम ऑफिस और घूमने-फिरने की जगहें शामिल हैं।
- **गंतव्य स्थान:** उन स्थानों पर या गतिविधियों से गुप्त सूचनाएँ इकट्ठी करें जहाँ वाणिज्यिक यौन शोषण होता है, जैसे मसाज पार्लर, वेश्यालय, सेक्स ट्रैज्म के संचालक, डॉस बार और होटल।
- **प्रलोभन अभियान:** प्रलोभन अभियान चलाकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

सावधानियाँ: जानकारी प्राप्त करते समय ये सावधानियाँ बरतनी चाहिए:

- **गोपनीयता बनाए रखें:** पीड़ितों, तलाशे जाने वाले बचाव स्थल, और वेश्यालय स्वामियों या दलालों से संबंधित जानकारी गोपनीय रहनी चाहिए। NGO प्रतिनिधियों या अधिवक्ताओं को ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति के समक्ष जानकारी प्रकट नहीं करनी चाहिए जिनका अभियान से कोई संबंध नहीं है।
- **स्थानीय पुलिस से संपर्क करें:** यदि आपका यह मानना है कि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अवैध यौन व्यापार के किसी पीड़ित के बारे में जानकारी मिली है, तो तुरंत स्थानीय पुलिस स्टेशन को सतर्क करें। अपने बूते पीड़ित की सहायता करने या उसे बचाने की कोशिश न करें। कोई भी NGO या व्यक्ति अपने बूते बचाव कार्य नहीं कर सकता है और उसे पुलिस अधिकारियों से सहायता चाहिए होती है।
- **स्थानीय पुलिस स्टेशन/AHTU/CBI के पास जमा करने के लिए शिकायत तैयार करना:** NGO प्रतिनिधि लिखित शिकायत या विधिक हस्तक्षेप रिपोर्ट (लीगल इंटरवेंशन रिपोर्ट, LIR) तैयार करने में किसी अधिवक्ता से सहायता ले सकते हैं। लिखित शिकायत या विधिक हस्तक्षेप रिपोर्ट में सभी उल्लंघन लिखे होने चाहिए और क़ानून की सभी लागू धाराएँ लगावाने की माँग की जानी चाहिए।

**प्रलोभन अभियान:** प्रलोभन अभियान चलाकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रलोभन अभियान में एक व्यक्ति गुप्त रूप से जाता है (इस व्यक्ति को ‘प्रलोभक’ कहते हैं) वह अपने वेष का उपयोग करके वाणिज्यिक यौन शोषण की मौजूदगी के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। प्रलोभक ऐसी अन्य जानकारी इकट्ठी करने में भी सहायता करता है जो बचाव अभियान चलाने में उपयोगी हो सकती है पर जो ऐसे अभियान के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती थी। प्रलोभन अभियान ख़तरनाक होते हैं और केवल किसी प्रशिक्षित व्यक्ति को ही प्रलोभक बनाना चाहिए।

- किसे प्रलोभक बनाया जा सकता है:** किसी पुलिस अधिकारी को, NGO के किसी प्रतिनिधि को या प्रलोभक के रूप में भेजे जाने को तैयार किसी अन्य व्यक्ति को प्रलोभक बनाया जा सकता है।
- प्रलोभक किसका वेष धर सकता है: प्रलोभक नक़ली ग्राहक का वेष धर सकता है।
  - प्रलोभक को जानकारी दें: प्रलोभक को पीड़ितों की हालत के बारे में संवेदनशील बनाया जाना चाहिए और ऐसे अभियानों के संचालन से जुड़े जोखिमों के बारे में बताया जाना चाहिए। प्रलोभक को मानव व्यापार के पीड़ित की असुरक्षा के बारे में बताया जाना चाहिए और उसे न तो अपनी मौजूदगी से पीड़ित को और परेशान करना चाहिए और न ही उसे हालात का फ़ायदा उठाना चाहिए।

**अवैध यौन व्यापार के हस्तक्षेपों में प्रलोभक ग्राहक की भूमिका और महत्व:** प्रलोभक ग्राहक को नक़ली ग्राहक भी कहते हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि बचाव अभियान के दौरान लक्षित पीड़ित वेश्यालय में मौजूद हो। प्रलोभन अभियानों के



दौरान, किसी लड़की के यौन शोषण के बारे में ठोस साक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं। स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में वेश्यालय के रखवाले/प्रबंधक/स्वामी से सौदे के चिह्नित धन की बरामदगी से उसके अपराध में लिस होने का साक्ष्य मिल जाता है। यदि मुकदमे के दौरान पीड़ित का पता न चले तो भी, प्रलोभक और स्वतंत्र गवाह की गवाही के आधार पर वेश्यालय के संचालन का दोष सिद्ध हो सकता है; उन दोनों की गवाही के बिना मुकदमा आगे नहीं बढ़ेगा।

**प्रलोभक ग्राहक के लिए महत्वपूर्ण बिंदु:** प्रलोभक ग्राहक को निम्नलिखित बिंदु ध्यान में रखने चाहिए।

- प्रलोभक ग्राहक की अच्छी प्रतिष्ठा होनी चाहिए और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए।
- वह बहुत युवा पुरुष नहीं होना चाहिए।
- उसका किसी NGO से होना बेहतर है।
- उसे अवैध यौन व्यापार या बदनाम गलियों के कामकाज की जानकारी होनी चाहिए।
- उसे वेश्यालय भेजे जाने से पहले विशेष पुलिस अधिकारी से उसका परिचय करवाना चाहिए।
- बचाव-पूर्व रिपोर्ट (पंचनामे) के दौरान, प्रलोभक ग्राहक का विवरण लिखना चाहिए। उसकी तलाशी ली जानी चाहिए और उसके पास जो-जो चीज़ें हों उनकी एक सूची बनानी चाहिए।
- प्रलोभक ग्राहक को अभियान का महत्व समझाया जाना चाहिए। SPO को उसे बताना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
- सौदे का चिह्नित धन स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में पुलिस द्वारा प्रलोभक ग्राहक को दिया जाएगा। प्रलोभक ग्राहक को चिह्नित/नोट किया हुआ धन वेश्यालय के रखवाले/प्रबंधक/स्वामी को चुकाना चाहिए।
- उसे पीड़ित के साथ यौन गतिविधियों में संलग्न नहीं होना चाहिए।
- सौदा होते ही उसे पुलिस को पहले से तय कोड की मदद से सूचित करना चाहिए।
- जब पुलिस वेश्यालय पहुँच रही हो तो उसे लड़की को अपने साथ रखने की कोशिश करनी चाहिए और उसे कमरे से जाने देना नहीं चाहिए।
- यदि उसे लड़की को छोड़कर जाने के लिए विवश किया जाए (छापे के संदेह/जानकारी लीक हो जाने के कारण), तो उसे लड़की के साथ जाना चाहिए ताकि वह देख सके कि उसे कहाँ छिपाया जा रहा है।
- पुलिस अधिकारी को प्रलोभक ग्राहक का बयान लिखित में नोट करना चाहिए।
- मुकदमे के दौरान प्रलोभक ग्राहक को न्यायालय में गवाह के रूप में पेश किया जाना चाहिए।

### और जानें तथा क़दम उठाएँ

**अवैध यौन व्यापार का पीड़ित कौन है (वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए मानव व्यापार):** ITPA की धारा 5 इस बारे में जानकारी देती है कि वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए मानव व्यापार का पीड़ित कौन है। अध्याय 4 में बताए गए मानव व्यापार के पहलुओं के बारे में और जानें।

**अवैध यौन व्यापार की मौजूदगी को दस्तावेज़ी रूप दें:** NGO प्रतिनिधियों को अवैध यौन व्यापार की मौजूदगी को सावधानी से दस्तावेज़ी रूप देना चाहिए।

**दस्तावेज़ों के नमूने और अभ्यास सहायक:** मानव व्यापार से जुड़े मिथकों के बारे में **परिशिष्ट 21** में जानें।



## चरण 1.2 अवैध यौन व्यापार की शिकायत दर्ज कराना

| समयसीमा: अवैध यौन व्यापार की शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया में 1 से 2 दिन लग सकते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NGO को इकट्ठी की गई जानकारी का उपयोग करके पुलिस और दूसरे सरकारी अधिकारियों के सामने पेश करने के लिए अवैध यौन व्यापार की शिकायत का मसौदा तैयार करना चाहिए।                                                                                                                                                                                                  | अधिवक्ता को अवैध यौन व्यापार की शिकायत की समीक्षा करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह शिकायत अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों का बचाव शुरू करने पक्ष में एक ठोस दलील पेश करती हो, और उसे पुलिस और दूसरे सरकारी अधिकारियों के सामने वह शिकायत पेश करने में NGO की सहायता करनी चाहिए।                                                                                                                                                                     |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NGO को मुखबिर के साथ जानकारी पर विस्तार से चर्चा करके जानकारी की शुद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए।<br><br>हालाँकि, NGO जानकारी की सूचना तुरंत उपयुक्त अधिकारियों को देने के कर्तव्य से बाध्य है क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है।<br><br>मुखबिरों से प्राप्त उपलब्ध जानकारी के प्रमाणन के लिए प्रलोभन अभियान या विस्तृत सर्वेक्षण दौरें संचालित किए जा सकते हैं। | अधिवक्ता को निश्चित करना चाहिए कि मानव व्यापार के पहलू, जैसे IPC और ITPA में परिभाषित हैं, संतुष्ट हो रहे हैं या नहीं, और फिर इस निष्कर्ष पर पहुँचना चाहिए कि व्यक्ति का व्यापार हुआ है या नहीं और पीड़ित के विरुद्ध अन्य अपराध किए गए हैं या नहीं। अधिवक्ता को पुलिस स्टेशन में, या जहाँ भी शिकायत दर्ज की जा रही हो वहाँ, उपस्थित रहकर सुनिश्चित करना चाहिए कि क़ानून की उपयुक्त धाराएँ शामिल की जाएँ और, यदि आवश्यक हो तो, स्पष्टीकरण दिया जाए। |

## सस्मरणीय बिंदु

**शिकायतकर्ता कौन है:** बचाव से पहले, NGO पीड़ित के नाम में या पीड़ित के परिवार/संरक्षक के नाम में शिकायत दर्ज करा सकता है। यदि परिजन का पता न चल पा रहा हो, तो NGO प्रतिनिधि को शिकायतकर्ता बनाया जा सकता है।

**अवैध यौन व्यापार की शिकायत कहाँ की जानी चाहिए:** ITPA के तहत अवैध यौन व्यापार की शिकायत (या जानकारी), जिस क्षेत्राधिकार या क्षेत्र में अपराध हुए हैं वहाँ के संबंधित स्थानीय विशेष पुलिस अधिकारी (स्पेशल पुलिस ऑफ़िसर, SPO) से या ज़िले/राज्य की AHTU से या CBI से की जानी चाहिए।<sup>89</sup> शिकायत किसी ऐसे SPO के पास दर्ज कराना बेहतर है जो विश्वसनीय हो और जिसे जानकारी लीक होने के खतरे के बिना बचाव पर ले जाया जा सकता हो।

**सीमापार पूछताछ/जाँच करना:** सीमापार पूछताछ/जाँच के मामले में विदेशों से जानकारी इकट्ठी करने/की पुष्टि करने हेतु ज़िला पुलिस के लिए पाँच विशिष्ट माध्यम उपलब्ध हैं:

- संबंधित देश में भारतीय मिशनों (दूतावासों या उच्चायोगों) से किसी भी प्रकार की साधारण जानकारी के लिए उचित साधनों से संपर्क किया जा सकता है।
- विदेशी भारतीय कार्य मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ़ ओवरसीज़ इंडियन अफेयर्स, MOIA), भारत सरकार से भी भारतीय उत्प्रवासियों से संबंधित जानकारी के लिए उचित साधनों से संपर्क किया जा सकता है।
- राज्य के इंटरपोल संपर्क अधिकारियों (इंटरपोल लिएज़न ऑफ़िसर, ILO) के कार्यालय के माध्यम से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के इंटरपोल विंग के ज़रिए संबंधित देश की इंटरपोल शाखा से संपर्क किया जा सकता है।
- गृह मंत्रालय (भारत सरकार)
- विदेश मंत्रालय (भारत सरकार) मानक प्रचालन कार्यविधियाँ

<sup>89</sup> धारा 15 (1) ITPA (ध्यान दें: MHA ने HT से संबंधित अपराधों का पता लगाने के लिए भारत के सभी राज्यों और जिलों में AHTU का गठन अनिवार्य किया है। CBI को भी HT से संबंधित अपराधों का पता लगाने और उनकी जाँच करने का आदेश मिला हुआ है)। अधिक जानकारी यहाँ उपलब्ध है: <<http://timesofindia.indiatimes.com/india/CBI-sets-up-centralized-anti-human-trafficking-unit/articleshow/11369341.cms?referral=PM>

## और जानें तथा क़दम उठाएँ

**अपराधों का सारांश:** लागू हो सकने वाले दंड उपबंधों के बारे में जानकारी के लिए, अध्याय 4 में दिया गया अपराधों का सारांश देखें।

**दस्तावेज़ों के नमूने और अभ्यास सहायक:** यदि पुलिस कोई क़दम न उठाए, तो अधिवक्ता को तुरंत उच्च अधिकारियों से या किसी उपयुक्त मंच से संपर्क करके क़ानून द्वारा आवश्यक किए गए के अनुसार प्रतिक्रिया देने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश पारित करने के निर्देशों की माँग करनी चाहिए।

आरोपित को उपस्थित होने का आदेश देने और SHO से प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करने के लिए मैजिस्ट्रेट को किया जाने वाला आवेदन कैसे लिखें इस बारे में जानकारी के लिए **परिशिष्ट 22A** देखें।

## चरण 1.3 अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बचाव की योजना तैयार करना

| समयसीमा: बचाव हस्तक्षेप योजना तैयार करने में एक दिन लग सकता है।                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                       |
| NGO को पुलिस और संबंधित अधिकारियों के परामर्श के साथ अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बचाव की एक चौतरफ़ा योजना तैयार करनी चाहिए, जिसमें संबंधित जगह का पूरा नक्शा होना चाहिए।                                                                                                                             | अधिवक्ता को बचाव योजना तैयार करने में NGO को सलाह और सहायता देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसमें ITPA के तहत जितने ज़रूरी हैं उतने नक़ली ग्राहक और पंच गवाह/स्वतंत्र गवाह शामिल हों। |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |
| NGO को बचाव अभियान के लिए एक रणनीतिक योजना तैयार करनी चाहिए। योजना में स्थान की जानकारी, बचाव स्थल का भौतिक नक्शा, प्रवेश और निकास बिंदु, छिपने के ठिकाने, और बचाव स्थल का स्केच नक्शा होने चाहिए। ऊपर लिखे विवरण, तलाशे जाने वाले स्थान के विस्तृत सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त और संकलित किए जाने चाहिए। | अधिवक्ता बचाव योजना की तैयारी में NGO प्रतिनिधियों की सहायता कर सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि बचाव अभियान की योजना क़ानून द्वारा निर्धारित कार्यविधियों के अनुरूप बनाई जाए।            |

## सस्मरणीय बिंदु

**जोखिम आकलन:** NGO को बचाव में शामिल जोखिमों के लिए व्यवस्थित जोखिम आकलन करना चाहिए और उसके पास उन्हें न्यूनतम करने की एक योजना होनी चाहिए। जोखिमों के आकलन के लिए अन्य कई कारकों की पड़ताल करनी चाहिए, जैसे तलाशा जाने वाला स्थान कहाँ पर है, मानव व्यापारियों का ब्यौरा, और समाज में आरोपित की स्थिति। जोखिमों को न्यूनतम करने की संभावित प्रतिक्रियाएँ और, अप्रत्याशित परिस्थितियों में काम आने वाली आकस्मिकता योजना बड़ी ही सावधानी से तैयार की जानी चाहिए।

**बचाव स्थल की जानकारी किसी को न बताएँ:** बचाव स्थल का भौतिक नक्शा गोपनीय रखना चाहिए। पहले ऐसा हो चुका है कि विभिन्न स्रोतों से जानकारी लीक होने पर पीड़ित लापता हो गए थे। बहुत अधिक हितधारकों को जानकारी देने से बचना ही बेहतर है।

## और जानें तथा क़दम उठाएँ

**बचाव से पहले की योजना:** बचाव से पहले की योजना के नमूने के लिए JVI से संपर्क करें; इस नमूने में दल सदस्यों की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ लिखी हैं।

**अवैध यौन व्यापार हस्तक्षेप जाँचसूची:** परिशिष्ट 28 में अवैध यौन व्यापार/CSE हस्तक्षेप बचाव अभियान के लिए एक जाँचसूची है।

## चरण 1.4 पुलिस के साथ बचाव-पूर्व बैठक करना

समयसीमा: पुलिस के साथ बचाव-पूर्व बैठक एक दिन में पूरी की जा सकती है।

| NGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO को बचाव योजना के अनुसार एक बचाव-पूर्व बैठक करनी चाहिए जिसमें दल के सदस्यों को उनकी भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ सौंपी जाती हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अधिवक्ता को बचाव-पूर्व बैठक में NGO और सरकारी प्रतिनिधियों को किए जाने वाले बचाव कार्य से जुड़े कानूनी प्रावधानों और ज़रूरी जानकारी के बारे में बताकर NGO को सलाह व सहायता देनी चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p>दल नायक नियुक्त करें जो बचाव की रणनीति और बचाव के दौरान उठाए जाने वाले क़दमों के बारे में समझाएगा। दल नायक बचाव अभियान के सहभागियों को उनकी ज़िम्मेदारियाँ सौंपेगा और उन्हें उनकी भूमिका समझाएगा। बचाव स्थलों की संख्या कितनी है और पीड़ितों की अपेक्षित संख्या कितनी है इस आधार पर सहभागियों को समूहों में बाँट दें।</p> <p>हर समूह में एक दल नायक नियुक्त करें। हर सहभागी और दल नायक के नाम व संपर्क जानकारी और हर समूह की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ साझा करें।</p> <p>बचाव में भाग लेने से पहले, दल सदस्यों के पास मानव व्यापार और व्यक्तियों के वाणिज्यिक यौन शोषण से संबंधित कानूनों की जानकारी होनी चाहिए।</p> <p>ध्यान दें: जो दल पहचान/सत्यापन/गुप्त सूचना के एकत्रण में शामिल था उसे किसी भी परिस्थिति में बचाव में शामिल नहीं करना चाहिए ताकि उसकी पहचान सुरक्षित रहे और प्रभावी बचाव अभियान सुनिश्चित हो।</p> <p>बचाव के दौरान पर्याप्त साक्ष्य रिकॉर्ड हो इसके लिए दो पंच गवाहों के होने की सलाह दी जाती है।</p> | <p>पुलिस और NGO प्रतिनिधियों की बचाव-पूर्व बैठक में अधिवक्ता को पुलिस को तुरंत क़दम उठाने पर सहमत करने के लिए उपस्थित होना चाहिए। इस बैठक में अधिवक्ता को NGO और सरकार के प्रतिनिधियों को मानव व्यापार से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर, मानव व्यापार से जुड़े कानूनी उपबंधों पर, और मानव व्यापार से संबंधित मिथकों और वास्तविकताओं पर संवेदनशील बनाना चाहिए।</p> <p>अधिवक्ता को ITPA के तहत आवश्यक पंच गवाहों या स्वतंत्र गवाहों को जुटाने की प्रक्रिया भी समझानी चाहिए। अधिवक्ता को पुलिस अधिकारियों को पंच गवाहों के चयन में सावधानी बरतने की सलाह देनी चाहिए। (मुक़दमे के दौरान गवाहों के विरोधी हो जाने से बचने हेतु विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी या अर्द्ध-सरकारी अधिकारियों को पंच गवाह बनाया जा सकता है)।</p> <p>और अंत में, अधिवक्ता को यह अनुरोध करना चाहिए कि पुलिस बचाव अभियान के लिए प्रलोभक ग्राहक (नकली ग्राहक) प्रदान करे। यदि पुलिस ऐसा न कर पाए, तो अधिवक्ता NGO के परामर्श के साथ कोई प्रलोभक ग्राहक प्रदान कर सकता है। स्वतंत्र गवाहों/पंचों से प्रलोभक ग्राहकों का परिचय कराना चाहिए। पुलिस को सौदे का धन देना चाहिए जिसे बचाव के दौरान पंच की उपस्थिति में दलाल/वेश्यालय स्वामी को दिया जाएगा।</p> |

## सस्मरणीय बिंदु

**बचाव दल का संघटन:** बचाव दल में पदनामित विशेष पुलिस अधिकारी या मानव व्यापार पुलिस अधिकारी, NGO के प्रतिनिधि और समाजसेवी (जिनमें से एक महिला हो) होने चाहिए। बचाव दल का गठन इन्हें मिलाकर होना चाहिए:

- किसी भी रैंक की दो महिला स्टाफ़। यदि महिला पुलिस अधिकारी उपलब्ध न हो तो कोई भी महिला अधिकारी और NGO की एक महिला समाजसेवी साथ में उपस्थित रह सकती हैं। यदि कोई भी महिला स्टाफ़ उपलब्ध न हो, तो चाइल्डलाइन से संपर्क करके उनकी किसी स्टाफ़ से आने को कहें।
- ऐसा कम-से-कम एक पुलिस अधिकारी जिसके पास बचाव अभियान चलाने की क़ानूनी शक्ति हो या SI से ऊपर की रैंक का कोई पुलिस अधिकारी जिसे मैजिस्ट्रेट<sup>90</sup> ने बचाव अभियान चलाने के लिए विधिवत अधिकृत किया हो। ITPA, 1956 के तहत निम्नलिखित पुलिस अधिकारी अपराधों की जाँच के लिए अधिकृत हैं:<sup>91</sup>
  - धारा 13 (1), (2) के तहत अधिसूचित पुलिस अधिकारी;
  - धारा 13(3)(a) के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधीनस्थ पुलिस अधिकारी; या
  - धारा 13(4) के तहत केंद्रीय मानव व्यापार (रोधी) अधिकारी।

**एक दल नायक नियुक्त करें:** एक दल नायक नियुक्त करें जो बचाव की रणनीति और बचाव के दौरान उठाए जाने वाले क़दमों के बारे में समझाएगा। दल नायक को बचाव अभियान के सहभागियों को उनकी ज़िम्मेदारियाँ सौंपनी चाहिए और उन्हें उनकी भूमिका समझानी चाहिए। बचाव स्थलों की संख्या कितनी है और पीड़ितों की अपेक्षित संख्या कितनी है इस आधार पर सहभागियों को समूहों में बाँट दें। हर समूह में दल नायक नियुक्त करें। हर सहभागी के नाम व संपर्क जानकारी, दल नायक के नाम व संपर्क जानकारी और हर समूह की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ साझा करें।

**अवैध यौन व्यापार संबंधी क़ानूनों से परिचित हों:** बचाव में भाग लेने से पहले, दल के सदस्यों को अवैध यौन व्यापार से संबंधित सभी क़ानूनों से स्वयं को परिचित बनाना चाहिए।

**बचाव-पूर्व जाँचसूची:**

- **बचाव किट तैयार करें:** किट में लेखन-सामग्री, कैमरा, टॉर्च, बैटरी, वीडियो कैमरा, जलपान (पेयजल, अल्पाहार), प्राथमिक उपचार किट, वाहन, प्रिंटर और कार्ट्रिज, लैपटॉप और चार्जर, संदर्भ सामग्री जैसे केस से संबंधित क़ानून और अधिनियमों की शब्दशः प्रति), पीड़ित जिस क्षेत्राधिकार के हैं उनमें आने ज़िलों, गाँवों और पुलिस स्टेशनों की सूची, कपड़े, शौचालय सामग्री, और क्रियाकलाप पुस्तिकाएँ, मोम के रंग, और रंगीन पेंसिलें (यदि बचाए जाने वाले पीड़ितों में बच्चे भी हों)। बचाव से काफ़ी पहले ही सामान पहुँचाने की व्यवस्था के लिए एक संपर्क व्यक्ति नियुक्त कर लें।
- **आश्रय गृहों को सतर्क करें:** बचाव स्थल के विश्वसनीय सरकारी/NGO आश्रय गृहों को बचाए जाने वाले लोगों की लगभग अपेक्षित संख्या और उन्हें आश्रय गृह लाए जाने के संभावित दिनांक के बारे में सूचित करें। सुनिश्चित करें कि NGO द्वारा संचालित आश्रय गृह सरकार से लाइसेंस-प्राप्त हों। यह कार्य गोपनीय ढंग से करना चाहिए ताकि बचाव अभियान की जानकारी ग़लत हाथों में न पड़ने पाए। NGO प्रतिनिधियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे विश्वसनीय आश्रय गृहों का एक डेटाबेस बनाकर रखें। NGO प्रतिनिधियों को वह सूची ज़िलाधिकारी या CWC और अधिवक्ता को देनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो कि पीड़ितों को किसी विश्वसनीय आश्रय गृह भेजा जाए। जब भी कभी संभव हो तब NGO को MOU करके विश्वसनीय आश्रय गृहों से अपने कामकाजी संबंध को मज़बूती देनी चाहिए। साथ ही, जहाँ आश्रय गृह उपलब्ध नहीं हैं वहाँ वैकल्पिक व्यवस्थाएँ करने के लिए NGO प्रतिनिधियों को ज़िलाधिकारी से संपर्क करना चाहिए।
- **बचाव दल का आकार:** सुनिश्चित करें कि SPO बचाव अभियान के आकार के आधार पर पर्याप्त संख्या में पुलिस कार्मिक शामिल करें, विशेष रूप से अधिक जोखिम वाले स्थानों में। किसी भी परिस्थिति में बचाव अभियान पुलिस सुरक्षा के बिना संचालित नहीं किए जाने चाहिए।

**उपयोगी प्रश्नों से परिचित हों:** बचाव में भाग ले रहे NGO प्रतिनिधियों को बचाव के लिए जाने से पहले खुद को मानक बचाव प्रोटोकॉल से परिचित करना चाहिए।

<sup>90</sup> देखें धारा 16 (1), ITPA.

<sup>91</sup> UNODC SOP on Investigating Crimes of Trafficking for Commercial Sexual Exploitation, 2007. यहाँ उपलब्ध: <[https://www.unodc.org/pdf/india/sop\\_investigation\\_131207.pdf](https://www.unodc.org/pdf/india/sop_investigation_131207.pdf)>.

## चरण 1.5 अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों का बचाव शुरू करना

| समयसीमा: वास्तविक बचाव कार्य एक दिन में पूरा किया जा सकता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NGO को बचाव योजना के अनुसार पुलिस और दूसरे हितधारकों के साथ मिलकर अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बचाव की शुरुआत करनी चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अधिवक्ता को अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बचाव में भाग लेकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह काम कानून के अनुसार किया जाए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>बचाव वाले दिन NGO प्रतिनिधियों को ये करना चाहिए:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>बचाव से पहले किसी एक स्थान पर मिलें और संकेत की प्रतीक्षा करें:</b> बचाव दल के सदस्यों को बचाव से काफी पहले किसी एक स्थान पर मिलना चाहिए और प्रलोभक या पंच गवाहों से संकेत मिलने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय बचाव की रणनीति और उसके विभिन्न चरण समझाने चाहिए। बचाव अभियान में हर दल सदस्य की भूमिका समझाएँ और उसके जो भी संशय हों उन्हें दूर करें।</li><li>● <b>निगरानी दल की तैनाती:</b> एक निगरानी दल को बचाव के स्थान के पास किसी उचित स्थान पर तैनात कर देना चाहिए ताकि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि/बचाव की सूचना दोषियों को मिल जाने के बारे में जानकारी दे सकें।</li><li>● <b>संकेत मिलने पर बचाव स्थल में प्रवेश करें:</b> NGO सहभागी को उचित स्थान पर पहुँचने पर तुरंत ही बचाव स्थल, जहाँ पीड़ित को कैद किया या रखा गया है, में प्रवेश करके सुनिश्चित करना चाहिए कि पूरे स्थल की तलाशी हो। पीड़ितों को बक्सों, अटारियों, शौचालयों, क्यूबिकल, अलमारियों, फ्रॉल्स सीलिंग, दीवार पैनलों, स्नानघर आदि में छिपाकर रखा जा सकता है। NGO अन्य छिपाए गए पीड़ितों, बच्चों, अपराधियों और उनका दोष दर्शाने वाली अन्य सामग्री को ढूँढने में बचाए गए व्यक्तियों की सहायता ले सकता है।</li><li>● <b>पुलिस अपराध स्थल के वीडियो/फोटो खींचेंगी:</b> NGO प्रतिनिधियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस अपराध स्थल और अपराधियों के वीडियो या फोटोग्राफिक साक्ष्य रिकॉर्ड करे। सुनिश्चित करें कि NGO का कोई भी सदस्य उपयुक्त अनुमति के बिना पीड़ितों या वेश्यालय स्थल के फोटो या वीडियो न खींचे।</li></ul> | <p>बचाव वाले दिन लिए, अधिवक्ता इनके लिए ज़िम्मेदार होता है:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● <b>महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठे करने के बारे में सलाह देना:</b> अधिवक्ता को महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठे करने से संबंधित कानूनी कार्यविधियों के बारे में NGO प्रतिनिधियों को सलाह देनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में NGO प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण साक्ष्य खुद इकट्ठे नहीं करने चाहिए।</li><li>● <b>भौतिक बल के उपयोग से बचना:</b> अधिवक्ता को NGO प्रतिनिधियों को यह सलाह भी देनी चाहिए कि वे बचाव कार्य का संचालन करने के दौरान किसी भी व्यक्ति पर शारीरिक/भौतिक बल और हिंसा का उपयोग न करें।</li><li>● <b>पुलिस संबंधी औपचारिकताएँ:</b> अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पुलिस संबंधी औपचारिकताएँ पूरी की जाएँ।</li><li>● <b>जाल-पूर्व (प्री-ट्रैप) पंचनामा:</b> अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियान में प्रयोग होने वाले नोटों की मुद्रा और मूल्य-वर्ग से संबंधित जानकारी जाल-पूर्व (प्री-ट्रैप) पंचनामे में नोट की जाए। अधिवक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि दोनों गवाह जाल-पूर्व पंचनामे पर हस्ताक्षर करें। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस प्रलोभक ग्राहकों और पंच गवाहों, दोनों को उनकी भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ समझाए।</li><li>● <b>जो अधिवक्ता गवाह है वह मुकदमे में पीड़ितों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है:</b> अधिवक्ता बचाव अभियान का भाग बन सकता है पर यदि उसे गवाह बनाया गया है तो वह मुकदमे से पहले की प्रक्रियाओं और मुकदमे में पीड़ितों का प्रतिनिधि नहीं बन सकता है।</li></ul> |

## सस्मरणीय बिंदु

**फोनो की अभिरक्षा:** जानकारी गलत हाथों में न पड़े इसके लिए बचाव अभियान दल, जिसमें सरकारी अधिकारी शामिल हैं, के मोबाइल फोन और कोई भी अन्य संचार उपकरण, बचाव से पहले पुलिस अधिकारी द्वारा अभिरक्षा में लिए जा सकते हैं।

**बचाव दल का कानूनी संघटन सुनिश्चित करें:** सुनिश्चित करें कि आपके बचाव दल का संघटन कानून के अनुसार हो। **सुनिश्चित करें कि बचाव दल में ऐसा कम-से-कम एक पुलिस अधिकारी हो जिसके पास बचाव अभियान चलाने की कानूनी शक्ति हो (विशेष पुलिस अधिकारी या “SPO”)** या SI की रैंक से ऊपर का कोई ऐसा पुलिस अधिकारी हो जिसे मैजिस्ट्रेट द्वारा बचाव अभियान चलाने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया हो (और जानकारी के लिए 1.4 के तहत स्मरणीय बिंदु देखें)। स्थानीय क्षेत्र में प्रतिष्ठा रखने वाले दो पंच या स्वतंत्र गवाह होने चाहिए, जिनमें से एक महिला होनी चाहिए।

**बचाव किट दोबारा जाँचें:** सुनिश्चित करें कि आपकी पूरी बचाव टूल किट तैयार हो (विवरण 1.4 के तहत स्मरणीय बिंदु में है)।

**सुनिश्चित करें कि आश्रय गृहों को सतर्क कर दिया गया हो:** सुनिश्चित करें कि विश्वासनीय और लाइसेंस-प्राप्त सरकारी/NGO आश्रय गृह उतनी संख्या में पीड़ितों को लेने को तैयार हों जितनी का अनुमान है (विवरण स्मरणीय बिंदु 1.4 में है)।

**बचाव दल की सुरक्षा सुनिश्चित करें:** सुनिश्चित करें कि दल के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस कार्मिक हों, विशेष रूप से महिला पुलिस हवलदार (WPC)। किसी भी परिस्थिति में बचाव अभियान पुलिस सुरक्षा के बिना संचालित नहीं किए जाने चाहिए।

**बचाव से पहले FIR करें:** वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए मानव व्यापार के अपराधों की जाँच हेतु UNODC SOP<sup>92</sup> के अनुसार, बचाव FIR दर्ज किए जाने से पहले या के बाद किया जाना संभव है। FIR दर्ज किए जाने से पहले भी बचाव अभियान चलाया जा सकता है क्योंकि ITPA की धाराओं 15 व 16 के तहत अधिकृत बचाव अभियान चलाया जा सकता है:

- **ITPA की धारा 15 के तहत:** जब किसी SPO या, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित केंद्रीय मानव-व्यापार-रोधी पुलिस अधिकारी के पास यह मानने का समुचित आधार हो कि ITPA के तहत आने वाला कोई अपराध किया जा रहा है और अविलंब तलाशी आवश्यक है, तो वह अधिकारी वॉरंट के बिना परिसर में घुसकर तलाशी ले सकता है और वहाँ मिले व्यक्तियों को बाहर ला सकता है।
- **ITPA की धारा 16 के तहत:** जब किसी मैजिस्ट्रेट (यानी किसी MM, JMFC, DM या SDM) को किसी व्यक्ति के वाणिज्यिक यौन शोषण के बारे में जानकारी मिले, तो वह SI रैंक के किसी पुलिस अधिकारी या किसी SPO को, या किसी केंद्रीय मानव-व्यापार-रोधी पुलिस अधिकारी (सरकार द्वारा अधिसूचित) को शोषणाधीन व्यक्ति(तियों) को बचाने का निर्देश दे सकता है। उक्त पुलिस अधिकारी सभी पीड़ितों का बचाव कर सकता है, सभी संदिग्धों को अभिरक्षा में ले सकता है, और उन्हें आदेश जारी करने वाले मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकता है।

**अधिकतर मामलों में, बचाव के बाद, बचाए जा रहे व्यक्तियों के बयान के आधार पर FIR दर्ज की जाती है।**

**बचाए गए व्यक्तियों को हटाए जाते समय आरोपित उपस्थित न हों:** NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब पीड़ितों को किसी सुरक्षित स्थान ले जाया जा रहा हो तो वहाँ आरोपित व्यक्ति मौजूद न हों।

**मीडिया को साथ लेना:** मीडिया को केवल बचाव के बाद ही साथ लेना चाहिए। मीडिया को साथ लेते समय इन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए:

- सही-सही तथ्य बताएँ। आँकड़े बताते समय स्रोत बताना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे, दी जा रही जानकारी को विश्वसनीयता मिलती है।
- अपने संगठन की एक मीडिया नीति तैयार करें, जिनमें उन प्रतिनिधियों के नाम लिखें जिन्हें मीडिया से बात करनी चाहिए। मीडिया से बात करने का अनुभव रखने वाले किसी व्यक्ति विशेष को नियुक्त करना महत्वपूर्ण है।
- यदि आपकी बातों को गलत कोट किया जाए, तो NGO प्रतिनिधि को लिखित में सुधार की माँग करनी चाहिए।
- बचाव अभियान सफल हो जाने के बाद मीडिया को प्रेस विज्ञप्ति प्रदान करना हमेशा बेहतर होता है।
- कहानियाँ साझा करने का उद्देश्य हमेशा मानव व्यापार के बारे में जागरूकता फैलाना, आम जनता को संवेदनशील बनाना, और अवैध यौन व्यापार के विरुद्ध कार्रवाई करना ही होना चाहिए। कहानियाँ देते समय, सुनिश्चित करें कि कहानी को राजनीतिक रंग न मिलने पाए या वह पीड़ित की पहचान की ओर ध्यान न खींचती हो।
- NGO प्रतिनिधियों को विश्वसनीय मीडिया कंपनियों से संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। अपने-अपने जिलों में मीडिया संपर्कों का एक अंदरूनी डेटाबेस बना लेने से मदद मिलती है।

.....

<sup>92</sup> Standard Operating Procedures on Investigating Crimes of Trafficking for Commercial Sexual Exploitation, 2007, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय का एक प्रकाशन, यहाँ उपलब्ध: <[https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/India\\_Training\\_material/SOP\\_on\\_Investigation\\_of\\_Crimes\\_of\\_Trafficking\\_for\\_Commercial.pdf](https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/India_Training_material/SOP_on_Investigation_of_Crimes_of_Trafficking_for_Commercial.pdf)>.

- यदि बचाया गया व्यक्ति असहज है और अपनी कहानी किसी को बताना नहीं चाहता है तो मीडिया को कहानी की पेशकश न करें। शक्ति के अंतर और सहमति के विचार के अनुभव की कमी के प्रति संवेदनशील रहें, क्योंकि इनके कारण पीड़ित, सचमुच में सहज न होने के बावजूद या उलझावों को समझने बिना ही अपनी स्वीकृति ज़ाहिर कर सकता है। पीड़ित और उसके परिवार की सुरक्षा को सर्वोपरि महत्व देना चाहिए। व्यक्तिगत जानकारी (जैसे नाम, फोटो या पैतृक गाँव) प्रकट न करें।
- NGO को बच्चों से संबंधित रिपोर्टिंग के मानक अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देशों से खुद को परिचित करना चाहिए और इन दिशानिर्देशों के अनुरूप एक आंतरिक बाल संरक्षण नीति तैयार करनी चाहिए।

**पीड़ित या बचाए गए व्यक्ति से सहमति लिए बिना उसकी कहानी कभी-भी साझा न करें।** बचाए गए व्यक्ति का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान लेने से पहले उसे पढ़कर सुनाने और समझाने के लिए एक सहमति फ़ॉर्म तैयार करें। **पीड़ितों के असली नाम कभी नहीं बताने चाहिए।** यह ध्यान रखना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि:

- मीडिया को साथ लेने से बचाव कार्य कभी-भी ख़तरे में नहीं पड़ना चाहिए।
- NGO प्रतिनिधियों को किसी भी पीड़ित/बचाए गए व्यक्ति पर उसकी कहानियाँ साझा करने के लिए कभी-भी दबाव नहीं डालना चाहिए या उसे विवश नहीं करना चाहिए।
- रिपोर्टिंग के प्रयोजनों से किसी दूसरे नाम का उपयोग किया जा सकता है।

**पीड़ितों को विवश नहीं किया जाना चाहिए:** NGO प्रतिनिधियों और/या अधिवक्ताओं को किसी पीड़ित/बचाए गए व्यक्ति पर अपनी कहानियाँ साझा करने का दबाव नहीं डालना चाहिए या उसे विवश नहीं करना चाहिए।

| समयसीमा: बचाव स्थल को बचाव वाले दिन सुरक्षित किया जा सकता है।                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                            | अधिवक्ता                                                                                                                                                        |
| बचाव की जगह को सुरक्षित करने में NGO को पुलिस की सहायता करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी पीड़ितों को बचा लिया जाए और बचाव के दौरान वे सुरक्षित रहें। | अधिवक्ता को बचाव स्थल को सुरक्षित करने से जुड़ी क़ानूनी कार्यविधियों के बारे में NGO को और (यदि ज़रूरी हो तो) पुलिस को जानकारी देनी चाहिए।                      |
| व्याख्या                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
| NGO प्रतिनिधियों को बचाव स्थल को सावधानी से सुरक्षित करना चाहिए ताकि महत्वपूर्ण साक्ष्य खोने न पाएँ।                                                           | अधिवक्ता को बचाव स्थल को सुरक्षित करने में बचाव दल की सहायता करनी चाहिए और बचाव अभियान की क़ानूनी कार्यविधियों के बारे में NGO प्रतिनिधियों को सलाह देनी चाहिए। |



## चरण 1.7 अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों को आरोपितों से अलग करना

| समयसीमा: बचाव के तुरंत बाद पीड़ितों को आरोपितों से अलग कर देना चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NGO को अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों को दोषियों से अलग करने में और बचाए गए पीड़ितों को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अधिवक्ता को पुलिस को यह बताना चाहिए कि अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों को दोषियों से अलग किया जाना चाहिए ताकि एक सुरक्षित और क़ानून-सम्मत जाँच सुनिश्चित हो सके।                                                                                                                       |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NGO प्रतिनिधियों को पुलिस को तुरंत ही पीड़ितों को आरोपितों से अलग करने में सहायता देनी चाहिए ताकि पीड़ितों का उत्पीड़न न हो या उन्हें डराया-धमकाया न जाए।<br><br>NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों से गरिमापूर्वक और सहानुभूति के साथ व्यवहार किया जाए, अपराधियों की तरह नहीं।<br><br>NGO प्रतिनिधियों को महिला पुलिस हवलदारों को प्रेरित करना चाहिए कि वे बचाव स्थल पर संभावित पीड़ितों से बातचीत करें।<br><br>NGO प्रतिनिधियों को पीड़ितों के शारीरिक हाव-भावों के प्रति भी सजग रहना चाहिए और वेश्यालय में किसी भी पीड़ित को अनावश्यक रूप से छूना नहीं चाहिए या उस पर भौतिक बल का उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस कर्मिक वेश्यालय में अश्लील या अभद्र भाषा का उपयोग न करें या वहाँ के सहवासियों को शारीरिक नुकसान न पहुँचाएँ। NGO प्रतिनिधियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाव दल के पुरुष सदस्य महिला पीड़ितों को न छुएँ। | अधिवक्ता को NGO प्रतिनिधियों को यह सलाह देनी चाहिए कि वे बचाव के दौरान किसी भी व्यक्ति पर शारीरिक/भौतिक बल और हिंसा का उपयोग न करें।<br>अधिवक्ता को पीड़ितों को महिला समाजसेवियों/परामर्शदा-ताओं की अभिरक्षा में और फिर संरक्षक सरकारी अभिरक्षा में पहुँचाने में सहायता करनी चाहिए। |

### सस्मरणीय बिंदु

**पीड़ितों से गरिमापूर्वक व्यवहार करें:** पीड़ितों के पास उनसे गरिमापूर्वक व्यवहार किए जाने का अधिकार है। NGO प्रतिनिधियों और अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस अधिकारी जो भी कार्रवाई शुरू करें वह पीड़ित-हितैषी कार्यविधियों पर आधारित हो और बचाव प्रक्रिया के दौरान उसे किसी महिला पुलिस हवलदार (WPC) द्वारा संचालित किया जाए। पीड़ित को हमेशा यह जानकारी दी जानी चाहिए उसके पास कौन-कौनसे अधिकार हैं और यह कि उसका उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। हस्तक्षेप के सभी चरणों के दौरान पीड़ितों को जानकारी के विभिन्न चरणों के बारे में सूचित रखना चाहिए और उसे सहायता देनी चाहिए।

**बचाव प्रक्रिया के दौरान यदि पीड़ित अभद्र भाषा का उपयोग करें या सहयोग न करें तो खुद को अपमानित महसूस न करें क्योंकि वे सदमे से गुज़र रहे हैं।**

**सुनिश्चित करें कि पूरी प्रक्रिया के दौरान और जब तक पीड़ित किसी सरकारी या निजी लाइसेंस-प्राप्त आश्रय गृह की अभिरक्षा में न पहुँच जाएँ तब तक उनके साथ WPC और NGO के समाजसेवी उनकी रखवाली के लिए रहें।** बचाव दल में एक ऐसा पेशेवर परामर्शदाता या समाजसेवी होना चाहिए जो सदमे के लक्षणों को संभालने में प्रशिक्षित हो। इससे पीड़ितों का डर घटेगा और उन्हें यह समझने में आसानी होगी कि उन्हें उन्हीं की सुरक्षा, स्वतंत्रता और संरक्षण के लिए वेश्यालय से निकाला जा रहा है।

**पीड़ित का हित ही सर्वोपरि है:** यदि पीड़ित अपराधों या दुर्य्यवहार के विवरण बताना न चाह रहे हों तो उन्हें विवश न करें। पीड़ित को किसी प्रशिक्षित परामर्शदाता द्वारा परामर्श मिलना चाहिए। अनुवादकों का उपयोग करें, ताकि पीड़ित अपनी खुद की भाषा में बयान दे पाएँ।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

अपराध और शक्ति के दुरुपयोग के पीड़ितों हेतु न्याय के मूलभूत सिद्धांतों की संयुक्त राष्ट्र की घोषणा<sup>93</sup> सुझाती है कि पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ये उपाय किए जाने चाहिए:

पीड़ितों से सहानुभूति से व्यवहार किया जाना चाहिए और वे न्याय तंत्र के उपयोग के अधिकारी हैं (सिद्धांत 4)।

जहाँ आवश्यक हो वहाँ, पीड़ितों को औपचारिक या अनौपचारिक कार्यविधियों के माध्यम से निवारण पाने में सक्षम बनाने के लिए न्यायिक और प्रशासनिक तंत्र स्थापित किए जाने चाहिए और उन्हें मज़बूत किया जाना चाहिए (सिद्धांत 5)।

संपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के दौरान पीड़ितों को उचित सहायता दी जानी चाहिए (सिद्धांत 6 (c))।

पीड़ितों की असुविधा को न्यूनतम करने के उपाय किए जाने चाहिए और जहाँ आवश्यक हो वहाँ उनकी निजता की सुरक्षा की जानी चाहिए। साथ ही, पीड़ितों को, उनके परिवारों को, और उनके गवाहों को डराए-धमकाए जाने और प्रतिशोध से सुरक्षा दी जानी चाहिए (सिद्धांत 6 (d))।

पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्थाएँ की जानी चाहिए (सिद्धांत 12 (a))। मामलों के निपटारों और पीड़ितों को अधिनिर्णय प्रदान करने वाले आदेश कार्यान्वित करने में अनावश्यक देरी से बचना चाहिए (सिद्धांत 6 (e))।

चरण 1.8 अवैध यौन व्यापार के साक्ष्य इकट्ठा करना

समयसीमा: बचाव स्थल से उसी दिन साक्ष्य इकट्ठे कर लेने चाहिए।

| NGO                                                                                                                | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस अवैध यौन व्यापार की पहचान और उसे साबित करने वाले सभी साक्ष्य इकट्ठे कर ले। | अधिवक्ता को अवैध यौन व्यापार से जुड़े साक्ष्यों को इकट्ठा करने से जुड़े कानूनों के बारे में NGO को बताना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस सभी मौजूद साक्ष्यों को अपने क़ब्ज़े में ले ले। |

| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दो या अधिक स्वतंत्र गवाहों <sup>94</sup> की उपस्थिति में पुलिस सभी संभावित महत्वपूर्ण साक्ष्य (जैसे वेश्यालय में मौजूद डायरियाँ और रजिस्टर, खाते, लेखा बहियाँ जो अन्य मानव व्यापारियों के साथ नेटवर्किंग दिखाती हों, नक़दी, बिजली के बिल, टेलीफोन व पानी के बिल और अन्य बिल, राशन कार्ड, नगर पालिका/नगर निगम की कर रसीदें, यात्रा दस्तावेज़, फोटोग्राफ, एल्बम, प्रयुक्त और अप्रयुक्त कॉन्डम) इकट्ठे कर ले; ये सुबूत अभियोजन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। | अधिवक्ता को महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठे करने से संबंधित कानूनी कार्यविधियों के बारे में NGO प्रतिनिधियों को सलाह देनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में NGO प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण साक्ष्य ख़ुद इकट्ठे नहीं करने चाहिए।                                                                  |
| NGO पुलिस से फ़ोरेंसिक जाँच हेतु सामग्री इकट्ठी करने को कह सकता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अधिवक्ता को महत्वपूर्ण साक्ष्य इकट्ठे करने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी संबंधित साक्ष्यों को पंचनामे/ज़बती ज़ापन में शामिल कर लिया जाए।                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस घटना स्थल पर ही गवाहों/स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में पंचनामा/ज़बती ज़ापन और एक स्थल नक्शा तैयार करे। उस पर दो या अधिक गवाहों के विधिवत हस्ताक्षर होने चाहिए, जिनमें से एक को उसी क्षेत्र/मोहल्ले से होना चाहिए जहाँ तलाशी की जा रही है। |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अधिवक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कम-से-कम एक गवाह महिला हो। महिला गवाह का उस क्षेत्र/मोहल्ले से होना ज़रूरी नहीं है जहाँ बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अधिवक्ता को पुलिस को किसी NGO की महिला गवाह को साथ लेने की सलाह देनी चाहिए।                                            |

<sup>93</sup> <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/victims.pdf>.

<sup>94</sup> See Sec. 15(2), ITPA.

चरण 1.9 अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बयान रिकॉर्ड करना

समयसीमा: आदर्श रूप से, जैसे ही पीड़ित से परामर्श हो जाए और यह दिखने लगे कि वह सदमे से उबर गया है, वैसे ही उसका बयान रिकॉर्ड कर लेना चाहिए।

| NGO                                                                                      | अधिवक्ता                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO को अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के बयान रिकॉर्ड करने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए। | अधिवक्ता को पीड़ितों के बयानों को रिकॉर्ड करने का काम शुरू होने से पहले उन्हें उनके अधिकारों के बारे में बताना चाहिए। |

| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित को बोलने पर विवश न किया जाए और यह कि कोई प्रशिक्षित परामर्शदाता पीड़ित से परामर्श करे। जो पीड़ित कोई अन्य भाषा बोलते हों उनके लिए NGO प्रतिनिधि को अनुवादकों की व्यवस्था भी करनी चाहिए। | अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्तिगत विवरण, आयु, पता, पारिवारिक इतिहास आदि जानकारी प्राप्त करने के लिए पीड़ित का विस्तृत साक्षात्कार लिया जाए। अधिवक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि साक्षात्कार किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिया जाए या किसी NGO की महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति में लिया जाए। |
| NGO प्रतिनिधि को पीड़ितों से अच्छे से मेलजोल करना चाहिए और इस बारे में विस्तृत जानकारी लेनी चाहिए कि उनका व्यापार कैसे हुआ, कहाँ हुआ और उनसे कितने समय से दुर्य्यवहार हो रहा है।                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

सस्मरणीय बिंदु

बयान रिकॉर्ड करने के लिए सामान्य दिशानिर्देश:

- पीड़ित से मेलजोल बढ़ाना: पीड़ित से मेलजोल बढ़ाना सच्चे बयान प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पीड़ित के साथ समय बिताना, मेलजोल बढ़ाने के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। हालाँकि, ऐसा हमेशा संभव नहीं हो पाता है, विशेष रूप से तब जब बचाव वाली रात धारा 161 बयान लिया जा रहा हो। फिर भी, मेलजोल बढ़ाने के कुछ आम तरीक़े हैं: यह सुनिश्चित करना कि पीड़ित अपनी कहानी बताने में सहज हो, बयान लेने की पूरी प्रक्रिया समझाना और यह समझाना कि पीड़ित का सच बोलना क्यों महत्वपूर्ण है।
- पुलिस और परिवीक्षा अधिकारी के साथ काम करना: सच्चा बयान प्राप्त करने के लिए NGO के कानूनी स्टाफ़ को पुलिस और/या परिवीक्षा अधिकारी के साथ भी समीपता से काम करना होता है।
- गोपनीयता: बचाए गए व्यक्ति का विश्वास जीतने के लिए गोपनीयता बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालाँकि, अच्छा और सच्चा बयान प्राप्त करने के लिए बचाए गए पीड़ित को बोलने और अपनी कहानी बताने को प्रेरित करना भी इतना ही महत्वपूर्ण होता है। बहरहाल, बचाए गए पीड़ित पर उसकी कहानी बताने के लिए अनैतिक ढंग से दबाव कभी नहीं डालना चाहिए।

धारा 161 और 164 बयान रिकॉर्ड करने के बारे में जानकारी के लिए चरण 2.6 देखें।

**पीड़ितों की सुरक्षा:** बचाव स्थल पर, सभी पीड़ितों की सलामती और सुरक्षा सुनिश्चित करें।

**यदि आरोपित द्वारा हिंसक दुर्य्यवहार का इतिहास हो तो सावधानी बरतें:** यदि शिकायतकर्ता आरोपित द्वारा हिंसा का इतिहास बताए तो विशेष सावधानी बरतें।

**अवयस्कों और बच्चों का बचाव:** यदि बचाया गया पीड़ित अवयस्क या बच्चा है, तो उसे बाल कल्याण समिति के पास भेजा जाना चाहिए।

**बाल कल्याण समिति:** बाल कल्याण समिति (चाइल्ड वेलफ़ेयर कमेटी, CWC) एक सांविधिक निकाय है जिसे किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 27 के तहत गठित किया गया है। हर ज़िले के लिए कम-से-कम एक CWC गठित करना आवश्यक है। CWC का गठन एक अध्यक्ष और चार सदस्यों को मिलाकर होता है, जिनमें से कम-से-कम एक महिला होनी चाहिए। अध्यक्ष को बाल कल्याण के विषय में अनुभवी होना चाहिए। CWC की शक्तियाँ महानगरीय मैजिस्ट्रेट या प्रथम वर्गीय न्यायिक मैजिस्ट्रेट के समतुल्य होती हैं। CWC वह एकमात्र निकाय है जो देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे के कल्याण का निर्धारण करने हेतु ज़िम्मेदार होता है। “देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा” माने गए बच्चे को कोई भी CWC के सामने पेश कर सकता है।

CWC और नवीन किशोर न्याय अधिनियम (JJA), 2015: नवीन JJA 2015 ने CWC की कार्यक्षमता में कुछ बदलाव किए हैं:

- CWC अब अंतिम प्राधिकरण नहीं है: किशोर न्याय अधिनियम (JJA), 2015 पारित हो जाने के बाद, अब CWC देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामले में अंतिम प्राधिकरण नहीं रह गया है। JJA की धारा 27(10) कहती है कि बाल कल्याण समिति के लिए शिकायतों के निवारण का प्राधिकार ज़िलाधिकारी को होगा और बच्चे से संबंधित कोई भी व्यक्ति ज़िलाधिकारी के सामने याचिका पेश कर सकता है, जो उस पर विचार करके उपयुक्त आदेश जारी करेंगे।
- सभी बच्चों की सामाजिक जाँच 15 दिनों के भीतर पूरी करके प्रस्तुत की जाएगी: JJA 2015 की धारा 36 के तहत, CWC उसके सामने प्रस्तुत किए गए सभी बच्चों की जाँच करेगी। इस धारा के तहत, किसी समाजसेवी या बाल कल्याण अधिकारी या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी द्वारा तेज़ी से सामाजिक जाँच की जाएगी और 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी।
- 4 माह के भीतर अंतिम आदेश: सामाजिक जाँच रिपोर्ट CWC के सामने 15 दिनों के भीतर पेश कर दी जाएगी ताकि CWC के सामने बच्चे को पहली बार पेश किए जाने के समय से 4 माह के भीतर CWC अंतिम आदेश जारी कर सके।

बचाव के बाद, NGO प्रतिनिधियों को सावधानी बरतकर यह सुनिश्चित करना होगा कि अवयस्कों और बच्चों को CWC के सामने पेश किया जाए ताकि उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएँ और उनकी सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के आदेश पारित किए जाएँ।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

संवेदनशीलता और शुद्धता के साथ पीड़ित का बयान रिकॉर्ड करने के तरीके के बारे में और जानकारी के लिए JVI से संपर्क करें।

चरण 1.10 पीड़ितों की सुरक्षा करने वाली अभिरक्षा सुनिश्चित करना

| समयसीमा: जहाँ तक हो सके, पीड़ितों की सुरक्षा करने वाली अभिरक्षा बचाव वाले दिन ही सुनिश्चित कर देनी चाहिए। |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                       | अधिवक्ता                                                                                                        |
| जब बचाए गए व्यक्तियों को मैजिस्ट्रेट या CWC के सामने पेश किया जाए तो NGO को उनके साथ होना चाहिए।          | जब बचाए गए पीड़ितों को मैजिस्ट्रेट या CWC के सामने पेश किया जाए तो अधिवक्ता को NGO को सलाह व सहायता देनी चाहिए। |

व्याख्या

नीचे दिए गए चरण 2.2 के बाद, मैजिस्ट्रेट या CWC तय करेंगे कि बचाए गए व्यक्तियों को एक निश्चित समयावधि के लिए किस गृह में रखना है। बचाए गए पीड़ित(तों) को किसी ऐसे संरक्षण/बाल गृह को सौंपना चाहिए जो या तो किसी NGO द्वारा या सरकार द्वारा संचालित हो। देखभाल स्टाफ़ को पीड़ितों से संरक्षात्मक अभिरक्षा में उनके रहने के बारे में और इस बारे में परामर्श करना चाहिए कि उन्हें उन्हीं की सुरक्षा और कुशलक्षेम के लिए यहाँ अस्थायी आधार पर रखा गया है।

बचाया गया पीड़ित जब-जब अपने सुरक्षित स्थल को जाए या वहाँ से आए, तब-तब NGO देखभाल स्टाफ़ को उसके साथ रहना चाहिए।

अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वेश्यालय को तालाबंद कर दिया जाए और चाभियाँ पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएँ।

अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस बचाए गए व्यक्तियों को अपनी सुरक्षा में ले जाए। यदि मैजिस्ट्रेट/CWC कार्यालय में हों और ज़रूरी दस्तावेज़ (जैसे चोट रिपोर्ट, अग्रेषण रिपोर्ट) तैयार किए जाने हों, तो बचाए गए व्यक्ति को पुलिस सुरक्षा में मैजिस्ट्रेट/CWC के पास ले जाया जा सकता है।

यदि बचाव कार्य सूर्यास्त के बाद किया गया हो और मैजिस्ट्रेट या CWC अनुपलब्ध हों, तो बचाए गए व्यक्ति को किसी आश्रय गृह या बाल गृह में ले जाकर रखना चाहिए।

बचाए गए व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में रात भर पुलिस स्टेशन में नहीं रखना चाहिए।

अधिवक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि FIR शीघ्रता से पंजीकृत की जाए और यह कि बचाए गए व्यक्तियों को FIR की प्रति मिले।

2.0 अवैध यौन व्यापार के दोषियों पर अभियोजन की कार्यविधियों का सारांश

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>2.1</b></p> <p><b>अवैध यौन व्यापार की प्राथमिकी दर्ज कराना</b></p> <p>पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी अवैध यौन व्यापार की सूचना को प्राथमिकी (FIR) के रूप में दर्ज करता है और जाँच व गिरफ्तारी की कार्यवाई के साथ आगे बढ़ता है; वह यह सुनिश्चित करता है कि प्राथमिकी में सभी धाराएँ शामिल की जाएँ और प्राथमिकी की प्रति शिकायतकर्ता को देता है।</p>          | <p><b>2.2</b></p> <p><b>मैजिस्ट्रेट या CWC के सामने पीड़ितों को पेश करना</b></p> <p>मैजिस्ट्रेट चिकित्सीय जाँच और आश्रय गृह में अस्थायी निवास का आदेश देते हैं; CWC अवयस्कों के बयान लेती है और गृह जाँच रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षित अभिरक्षा पर निर्णय लेती है; महिला पुलिस हवलदार उन्हें चिकित्सीय जाँच और आश्रय स्थल तक ले जाती है।</p> | <p><b>2.3</b></p> <p><b>अवैध यौन व्यापार के आरोपितों को गिरफ्तार करना</b></p> <p>पुलिस आरोपितों को गिरफ्तार करती है और जाँच के साथ तेज़ी से आगे बढ़ती है।</p>                                                                                                                                                                             | <p><b>2.4</b></p> <p><b>अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए वकालतनामा और आवेदन दायर करना</b></p> <p>पीड़ित का अधिवक्ता पीड़ित के प्रतिनिधित्व के लिए और अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए न्यायालय में आवेदन दायर करता है; कोई कानूनी सेवाएँ प्राधिकार अधिवक्ता कानूनी प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकता है।</p> |
| <p><b>2.5</b></p> <p><b>आरोपित दोषियों के ज़मानत आवेदन का विरोध करना</b></p> <p>आरोपित द्वारा जो भी ज़मानत याचिकाएँ दायर की जाएँ उनका विरोध करने के लिए अधिवक्ता पुलिस और सरकारी अभियोजक के साथ कार्य करता है।</p>                                                                                                                                                 | <p><b>2.6</b></p> <p><b>जाँच के दौरान बयान दर्ज करना</b></p> <p>पुलिस पीड़ितों का साक्षात्कार लेकर उनके बयान दर्ज करती है; बयान पुलिस स्टेशन में नहीं बल्कि पीड़ित के लिए किसी सुविधाजनक स्थान पर दर्ज किए जाने चाहिए। ज़रूरी हो तो पिछले बयानों का पूरण करें।</p>                                                                         | <p><b>2.7</b></p> <p><b>अपराधियों को निकालना और वेश्यालय बंद कराना</b></p> <p>मैजिस्ट्रेट अपराधियों को निकालने का और जहाँ अवैध यौन व्यापार हुआ है उन व्यवसायों के लाइसेंस निलंबित करने का आदेश देते हैं; मैजिस्ट्रेट पीड़ितों को किसी संरक्षण गृह या देखभाल इकाई में रखने का आदेश देते हैं; पुलिस वेश्यालयों को बंद करके सील करती है।</p> | <p><b>2.8</b></p> <p><b>अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन दायर करना</b></p> <p>न्यायालय अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने का आदेश देता है।</p>                                                                                                             |
| <p><b>2.9</b></p> <p><b>अवैध यौन व्यापार आरोप-पत्र दायर करना</b></p> <p>जाँच अधिकारी (पुलिस) देरी किए बिना और, यदि संभव हो तो, प्राथमिकी से 90 दिनों के भीतर आरोप-पत्र दायर करता है।</p>                                                                                                                                                                           | <p><b>2.10</b></p> <p><b>मुक़दमे का उपयुक्त मंच सुनिश्चित करना</b></p> <p>आरोप-पत्र दायर होने के बाद न्यायाधीश मामले का संज्ञान लेते हैं और उसे उचित न्यायालय को सौंप देते हैं।</p>                                                                                                                                                        | <p><b>2.11</b></p> <p><b>अवैध यौन व्यापार के आरोप लगाना</b></p> <p>न्यायालय आरोपितों पर समयबद्ध ढंग से आरोप (जिनमें तथ्यों द्वारा समर्थित सारे लागू अपराध शामिल हैं) लगाता है और उनसे सफ़ाई माँगता है (दोष स्वीकार लेने पर मुक़दमा समाप्त हो जाता है)।</p>                                                                                | <p><b>2.12</b></p> <p><b>अवैध यौन व्यापार की सुनवाईयों में अभियोजन पक्ष की सहायता करना</b></p> <p>अधिवक्ता को सभी सुनवाईयों में सरकारी अभियोजक की सहायता करनी चाहिए और आवश्यक होने पर न्यायालय में पीड़ित की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए।</p>                                                  |
| <p><b>2.13</b></p> <p><b>अवैध यौन व्यापार के गवाहों को गवाही के लिए तैयार करना</b></p> <p>न्यायालय को पीड़ित के प्रति संवेदनशीलता रखते हुए उपाय करने चाहिए, विशेष रूप से उन मामलों में जिनमें बाल पीड़ित शामिल हैं; अधिवक्ताओं को पीड़ितों को मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा (जिरह) के लिए तैयार करना चाहिए; यदि आवश्यक हो तो एकांत में कार्यवाही की माँग करें।</p> | <p><b>2.14</b></p> <p><b>अवैध यौन व्यापार सिद्ध करने के लिए अंतिम तर्क प्रस्तुत करना</b></p> <p>अधिवक्ता, सरकारी अभियोजक के माध्यम से न्यायालय के समक्ष अंतिम तर्कों की प्रस्तुति के लिए लिखित निवेदन तैयार करके उन्हें दायर करता है; अधिवक्ता अंतिम मौखिक तर्क प्रस्तुत करता है।</p>                                                      | <p><b>2.15</b></p> <p><b>निर्णय प्राप्त करना</b></p> <p>न्यायालय सभी पक्षों को निर्णय की प्रमाणित प्रतियाँ प्रदान करता है।</p>                                                                                                                                                                                                            | <p><b>2.16</b></p> <p><b>अपील दायर करना</b></p> <p>न्यायालय सभी पक्षों की अपीलों, यदि दायर की गई हों, पर उचित रूप से विचार करता है।</p>                                                                                                                                                          |

## चरण 2.1 अवैध यौन व्यापार की प्राथमिकी दर्ज कराना

| समयसीमा: प्राथमिकी यदि बचाव के बाद दर्ज कराई जा रही हो तो आदर्श रूप से उसे बचाव से 48 घंटों के भीतर दर्ज करा देना चाहिए।                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NGO                                                                                                                                                                                                                  | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| जिस पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में अवैध यौन व्यापार हुआ है उस पुलिस स्टेशन में NGO को प्राथमिकी (FIR) दर्ज करानी चाहिए।                                                                                           | अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राथमिकी में सारे लागू अवैध यौन व्यापार अपराध और अन्य अपराध शामिल करके प्राथमिकी पंजीकृत की जाए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज हो और उसमें सारे संबंधित अपराध शामिल किए जाएँ। याद रखें, यदि इस बारे में संशय हो कि पीड़ित अवयस्क है या नहीं, तो उसे अवयस्क मानना चाहिए। | अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिकायतकर्ता पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पास CrPC की धारा 154(1) के तहत एक या अधिक संज्ञेय अपराधों के किए जाने की सूचना दर्ज कराए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| यदि पुलिस प्राथमिकी पंजीकृत न करे या पंजीकृत करने से मना करे तो NGO को किसी अधिवक्ता की सहायता लेनी चाहिए।                                                                                                           | प्राथमिकी पंजीकृत कराने के लिए अवैध यौन व्यापार के अपराधों की शिकायत या सूचना कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता है। अधिवक्ता प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए सरकारी अधिकारियों को, पीड़ित को, पीड़ित के परिवार को, या किसी भी व्यक्ति को प्रेरित कर सकता है।                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                      | <b>वह महत्वपूर्ण जानकारी जो प्राथमिकी में शामिल की जानी चाहिए:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• बचाव का दिनांक और स्थान,</li><li>• बचाव का समय,</li><li>• बचाव स्थल की पुलिस स्टेशन से दूरी,</li><li>• बचाए गए पीड़ितों के नाम और उनकी आयु,</li><li>• अपराध घटित होने का स्थान,</li><li>• वेश्यालय स्वामी/मानव व्यापारी का नाम व पता (यदि ज्ञात हों),</li><li>• घटित अपराधों के विवरण,</li><li>• बचाव स्थल का और ज़ब्त सामग्री का संक्षिप्त वर्णन,</li><li>• अभियान संचालित करने वाले बचाव दल का विवरण।</li></ul> |
|                                                                                                                                                                                                                      | अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी सूचना को CrPC की धारा 154 के तहत प्राथमिकी के रूप में दर्ज करे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                      | <b>यदि पुलिस प्राथमिकी पंजीकृत नहीं कर रही है तो ये क़दम उठाएँ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                      | यदि सूचना दर्ज नहीं की जा रही है या प्राथमिकी पंजीकृत नहीं की जा रही है, तो अधिवक्ता को CrPC की धारा 154(3) के अनुसरण में वह सूचना लिखित में और डाक द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेजनी चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                      | यदि तब भी सूचना को प्राथमिकी के रूप में पंजीकृत न किया जाए, तो अधिवक्ता को मैजिस्ट्रेट से एक आवेदन करना चाहिए जिसमें सूचना दर्ज किए जाने और जाँच शुरू किए जाने का आदेश देने का अनुरोध हो।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## COMMENTARY

यदि तब भी सूचना को प्राथमिकी के रूप में पंजीकृत न किया जाए, तो अधिवक्ता को CrPC की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करनी चाहिए।

## सस्मरणीय बिंदु

**प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कोई भी शिकायत दर्ज करा सकता है:** कोई भी व्यक्ति अवैध यौन व्यापार के अपराध की प्राथमिकी पंजीकृत कराने के लिए शिकायत दर्ज करा सकता है। कोई भी पुलिस अधिकारी, NGO, CWC, पीड़ित के माता-पिता/ रिश्तेदार, उक्त अपराध की जानकारी रखने वाला कोई भी अन्य व्यक्ति, या स्वयं पीड़ित भी शिकायतकर्ता हो सकता है।

**यदि बचाया गया व्यक्ति उसके व्यापार के समय बच्चा था:** यदि बचाया गया व्यक्ति वयस्क है पर उसके व्यापार के समय वह बच्चा था, तो बाल व्यापार पर लागू होने वाले क़ानून की धाराएँ लगवाएँ। IPC की धाराएँ 372 और 373 देखें।

**प्राथमिकी में जाँच अधिकारी का नाम होना ज़रूरी है:** प्राथमिकी पंजीकृत कर रहे IO का नाम और उसका पदनाम प्राथमिकी में साफ़-साफ़ लिखा जाना चाहिए। मुक़दमे में IO की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और इसलिए प्राथमिकी में IO का विवरण साफ़-साफ़ लिखा होना चाहिए।

**CrPC की धारा 157 के तहत जाँच पर ज़ोर दें:** अधिवक्ता को पुलिस को CrPC की धारा 157 के तहत जाँच के साथ आगे बढ़ने को और संज्ञेय अपराध करने के संदिग्धों को गिरफ़्तार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि पुलिस जाँच के साथ आगे न बढ़े, तो अधिवक्ता को जाँच शुरू करने के आदेश के लिए CrPC की धारा 156(3) के तहत मैजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दर्ज करना चाहिए।

**ऐसे मामलों में जिनमें SC व ST अधिनियम के तहत अपराध शामिल हों:** यदि मामले में SC व ST अधिनियम के तहत अपराध शामिल हों, तो अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मामले की जाँच DSP या उनसे उच्चतर रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा की जाए और 30 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाए।

## और जानें तथा क़दम उठाएँ

प्राथमिकी पंजीकृत करने का अनिवार्य दायित्व: पुलिस स्टेशन का प्रभारी पुलिस अधिकारी CrPC की धारा 154 के तहत संज्ञेय अपराधों के लिए प्राथमिकी पंजीकृत करने को बाध्य होता है। प्राथमिकी पर सूचना देने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर भी ज़रूरी होता है।<sup>131</sup>

प्राथमिकी से संबंधित निर्णयों के बारे में और जानने के लिए अध्याय 5 देखें।

जब पुलिस प्राथमिकी दर्ज करने से मना करे तब इन प्रारूपों का उपयोग करें:

- प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए CrPC की धाराओं 200 और 156(3) के तहत मैजिस्ट्रेट को आवेदन: शिकायत का संज्ञान लेने के लिए CrPC की धारा 200 के तहत मैजिस्ट्रेट को किए जाने वाले आवेदन के मसौदे और, संबंधित SHO को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिलवाने के लिए CrPC की धारा 156(3) के तहत किए जाने वाले आवेदन के मसौदे के लिए परिशिष्ट 22A देखें।
- केस डायरी मँगवाने के लिए मैजिस्ट्रेट को CrPC की धारा 172 (2) के तहत आवेदन: शुरुआती जाँच में सहायता के लिए पुलिस द्वारा बनाकर रखी जाने वाली केस डायरी मँगवाने का आग्रह मैजिस्ट्रेट से करने हेतु CrPC की धारा 172(2) के तहत किए जाने वाले आवेदन के मसौदे के लिए परिशिष्ट 25 देखें।

**प्राथमिकी:** प्राथमिकी (FIR) देखने में कैसी होती है यह जानने के लिए अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन या JVI से संपर्क करें।

प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली याचिका का मसौदा पाने के लिए JVI से संपर्क करें।

## चरण 2.2 मैजिस्ट्रेट या CWC के सामने पीड़ितों को पेश करना

| समयसीमा: जब संभव हो तब, बचाव पूरा होने के बाद जल्द-से-जल्द, बचाव से 24 घंटों के भीतर पीड़ितों को मैजिस्ट्रेट/CWC (यदि अवयस्क हों) के सामने पेश कर देना चाहिए।                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाए गए वयस्कों को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए और बचाए गए अवयस्कों को CWC के सामने पेश किया जाए।                                                                                                                                                                                                                                           | अधिवक्ता को अधिकारियों को यह बताना चाहिए कि यदि वे संशय में हों तो पीड़ितों को अवयस्क मानें।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| NGO प्रतिनिधियों को मैजिस्ट्रेट के सामने पीड़ितों के साथ रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों से पूरी संवेदनशीलता और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाए।<br><br>NGO देखभाल कर्मियों को बचाए गए पीड़ितों की चिकित्सा जाँच के लिए एक महिला पुलिस हवलदार को साथ लेकर पीड़ितों के साथ जाना चाहिए और फिर उन्हें उस आश्रय गृह तक सुरक्षित पहुँचाना चाहिए जहाँ उन्हें रखा गया है। | अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे को CWC के सामने पेश किया जाए। यदि पीड़ित की आयु तय न हो पा रही हो तो अधिवक्ता को यह तय करने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए कि पीड़ित को CWC के सामने पेश किया जाए या नहीं। यदि संशय हो तो पीड़ित को अवयस्क मानना चाहिए।<br><br>अधिवक्ता को पुलिस को CWC के सामने पीड़ित का बयान केस डायरी में लिखने की सलाह देनी चाहिए।<br><br>अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वयस्क पीड़ितों को ITPA विशेष न्यायालय के सामने पेश किया जाए और यह कि किसी महिला चिकित्सक द्वारा तुरंत चिकित्सा जाँच की जाए।<br><br>विशेष न्यायालय दंडाधिकारी (स्पेशल कोर्ट मैजिस्ट्रेट) के सामने पीड़ितों को यह सुनिश्चित करने के लिए पेश किया जाता है कि चिकित्सा जाँच के आदेश और पीड़ित के सरकारी या निजी लाइसेंस-प्राप्त आश्रय गृह में अस्थायी ठहराव के आदेश पारित कर दिए जाएँ। |



## सस्मरणीय बिंदु

यदि बचाव रात में किया जा रहा हो: यदि बचाव रात में किया जा रहा हो तो नाइट ड्यूटी मैजिस्ट्रेट के पास जाया जा सकता है/उनसे संपर्क किया जा सकता है। पहले से पता करके रखें कि नाइट ड्यूटी मैजिस्ट्रेट कौन हैं और उनके पास जाने/उनसे संपर्क करने का क्या तरीका है।

अभिरक्षा आवेदनों का विरोध करें: जब भी कभी घर पर हिंसा की आशंका हो या यदि गृह सत्यापन रिपोर्ट लंबित हो तो अधिवक्ता को अवयस्कों के माता-पिता या रिश्तेदारों द्वारा दर्ज अभिरक्षा आवेदनों का भी विरोध करना चाहिए।

बचाव दल के संबंध में रक्षा के उपाय: किसी भी परिस्थिति में बचाव दल को पुलिस स्टेशन में रोककर रखना या उसकी उपेक्षा करना नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा करने से वह और अधिक जोखिम में पड़ जाएगा।

यदि बचाया गया पीड़ित देखने में अवयस्क लगे: यदि बचाए गए पीड़ित की आयु के बारे में अनिश्चितता हो तो बचाए गए व्यक्ति को CWC भेजना चाहिए। JJA की धारा 94 के अनुसार, जब इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के तहत (साक्ष्य देने के प्रयोजन को छोड़कर) CWC के सामने पेश किए गए व्यक्ति की दिखावट के आधार पर CWC को इस बारे में कोई संशय न हो कि उक्त व्यक्ति एक बच्चा है, तो CWC उक्त अवलोकन रिकॉर्ड करेगी, उसमें, जितनी शुद्धता से निर्धारित हो पाए उतनी शुद्धता से, बच्चे की आयु का उल्लेख करेगी, और आयु की किसी भी अन्य पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना धारा 36 के तहत जाँच (देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे पर जाँच) के साथ आगे बढ़ेगी। यदि CWC को उसके सामने पेश किए गए व्यक्ति की आयु को लेकर संशय हो, तो वह निम्नलिखित साक्ष्यों के माध्यम से व्यक्ति की आयु निर्धारित करने का प्रयास करेगी:

- **स्कूल से मिला जन्म दिनांक प्रमाणपत्र**, या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मिला मेट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो; और यदि उपलब्ध न हो तो;
- नगरपालिका/नगर निगम/नगरपालिका परिषद या पंचायत से मिला **जन्म प्रमाणपत्र**; या
- **उपयुक्त की अनुपस्थिति में**, CWC के आदेश पर **अस्थीभवन परीक्षण (ऑसिफिकेशन टेस्ट)** या कोई भी अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु निर्धारण परीक्षण किया जा सकता है, बशर्ते उसे उक्त आदेश पारित होने से 15 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाए।

**मैजिस्ट्रेट या CWC के सामने पेश करना और दोषी की गिरफ्तारी:** चरण 2.2 और चरण 2.3, दोनों साथ-साथ हो सकते हैं, और कुछ मामलों में (जैसे, तब जब बचाव अभियान रात में संचालित किया जाए) चरण 2.3 पहले होगा और चरण 2.2 उसके बाद। NGO प्रतिनिधियों के लिए दल को इस प्रकार बाँट लेना सबसे अच्छा रहेगा कि एक दल गिरफ्तारी वाली जगह पर उपस्थित हो और दूसरा दल मैजिस्ट्रेट या CWC के सामने।

### और जानें तथा क़दम उठाएँ

**देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा:** बचाए गए बच्चे को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा माना जाएगा और वह उक्त ज़िले की CWC के क्षेत्राधिकार के दायरे में आएगा। CWC के पास अवयस्क की आयु निर्धारित करने का प्राधिकार है। अधिक जानकारी के लिए किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धाराएँ 2(14), 31, 36 और 94 पढ़ें। CWC उसके सामने पेश किए गए बच्चे की आयु का निर्धारण धारा 94 के तहत करेगी।

**गृह जाँच रिपोर्ट:** CWC को गृह जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने का निर्देश देना है, उसका पर्यवेक्षण करना है और तदनुसार बच्चे की सुरक्षित अभिरक्षा के संबंध में निर्णय लेना है। गृह जाँच रिपोर्ट का एक प्रारूप परिशिष्ट 29 में है। किशोर न्याय अधिनि-यम, 2015 की धारा 33 के अनुसार, CWC को अपने आदेश में उस NGO का नाम साफ़-साफ़ बताना है जिसे गृह जाँच करनी है।

**बच्चे की अभिरक्षा माता-पिता को देने के लिए CWC का आदेश:** बच्चे के कल्याण और पीड़ित की बहाली की ज़िम्मेदारी CWC पर है। किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 37 के तहत, CWC बाल कल्याण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सामाजिक पड़ताल रिपोर्ट (सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट) पर विचार करके और, यदि बच्चा अपनी राय रखने में सक्षम है तो, बच्चे की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, बच्चे की अभिरक्षा वापस उसके माता-पिता या संरक्षक को सौंपने का आदेश दे सकती है।

NGO प्रतिनिधियों और अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे को उसकी माता/उसके पिता/उसके माता-पिता/ उसके संरक्षक को ही सौंपा जा रहा हो और यदि उन्हें यह आशंका या विश्वास हो कि अभिरक्षा पाने वाला व्यक्ति बच्चे का दोबारा व्यापार करेगा तो उन्हें बच्चे की रिहाई का विरोध करना चाहिए।

JVI इस बारे में और जानकारी दे सकता है कि बच्चे या अवयस्क को संदिग्ध मानव व्यापारी को सौंपे जाने का विरोध कैसे करना है।

प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली याचिका का मसौदा पाने के लिए JVI से संपर्क करें।

चरण 2.3 अवैध यौन व्यापार के आरोपितों को गिरफ़्तार करना

| समयसीमा: आरोपितों की गिरफ़्तारी तुरंत की जानी चाहिए, या कम-से-कम बचाव वाले दिन से सात दिनों के भीतर तो की ही जानी चाहिए।                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                      | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NGO को अवैध यौन व्यापार अपराधों में संलिप्त सभी आरोपितों को तुरंत गिरफ़्तार करने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए।                         | अधिवक्ता को CrPC के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोपितों की तुरंत गिरफ़्तारी में पुलिस की सहायता करनी चाहिए और पुलिस को तेज़ी से जाँच आगे बढ़ाने को प्रेरित करना चाहिए।                                                                                                                                                                                     |
| व्याख्या                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| यदि NGO को आरोपित की पहचान के बारे में बचाए गए व्यक्तियों से कोई जानकारी मिली हो तो वह जानकारी तुरंत पुलिस और अधिवक्ता को दी जानी चाहिए। | <p>अधिवक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी गिरफ़्तारियाँ और आगे की जाँच क़ानून के अनुसार की जाए।</p> <p>अधिवक्ता को पुलिस को CrPC की धारा 157 के तहत जाँच के साथ आगे बढ़ने को और संज्ञेय अपराध करने के संदिग्धों को गिरफ़्तार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अधिवक्ता को IO को बिना किसी विलंब के अपराधी को गिरफ़्तार करने की सलाह देनी चाहिए।</p> |

सस्मरणीय बिंदु

**महिला अपराधी की गिरफ़्तारी के मामले में:** अधिवक्ता को पुलिस को CrPC की धारा 46(6) में वर्णित कार्यविधियों के पालन की सलाह देनी चाहिए, जिनमें लिखा है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी महिला की गिरफ़्तारी नहीं की जानी चाहिए, तब के सिवाय जब अपवादस्वरूप परिस्थितियाँ हों और जब गिरफ़्तार करने वाली महिला पुलिस अधिकारी ने क्षेत्राधिकारी प्रथम वर्गीय मैजिस्ट्रेट से अग्रिम अनुमति प्राप्त कर ली हो। महिला अपराधी की तलाशी केवल किसी WPC को ही लेनी चाहिए।

**संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध:** यदि अपराध संज्ञेय हो, तो पुलिस अधिकारी वॉरंट के बिना गिरफ़्तारी कर सकता है पर असंज्ञेय अपराधों के मामले में वॉरंट आवश्यक होता है। CrPC की प्रथम अनुसूची अपराधों को उनकी संज्ञेयता के आधार पर वर्गीकृत करती है।



और जानें तथा क़दम उठाएँ

**गिरफ़्तारी के आधार:** CrPC की धारा 41 के तहत पुलिस अधिकारी निम्नलिखित में से किसी भी निष्पक्ष आधार के मौजूद होने पर व्यक्ति को गिरफ़्तार कर सकता है:<sup>95</sup>

- गिरफ़्तार व्यक्ति को और कोई अपराध करने से रोकने के लिए;
- अपराध की उचित पड़ताल के प्रयोजन से;
- गिरफ़्तार व्यक्ति को साक्ष्य गायब करने या साक्ष्य से छेड़-छाड़ करने से रोकने के लिए;
- गिरफ़्तार व्यक्ति को किसी गवाह को ललचाने या गवाह को पुलिस अधिकारी के सामने अपना बयान नहीं देने या न्यायालय में गवाही नहीं देने पर राज़ी करने के प्रयोजन से गवाह को कोई प्रलोभन, धमकी, या वचन देने से रोकने के लिए; या
- न्यायालय की कार्यवाहियों के लिए जब व जैसे आवश्यक हो तब और वैसे गिरफ़्तार व्यक्ति की उपस्थिति न्यायालय में सुनिश्चित करने के लिए।

**“अभिरक्षा” (कस्टडी) और “गिरफ़्तारी” (अरेस्ट), इन दोनों शब्दों के अर्थ अलग-अलग हैं।** क़ानून की भाषा में, किसी दंडनीय अपराध के संबंध में गिरफ़्तारी का अर्थ किसी आपराधिक आरोप का उत्तर देने या किसी दंडनीय अपराध को घटित होने से रोकने के लिए व्यक्ति को नज़रबंद करने या निरुद्ध करके रखने के प्रयोजन से व्यक्ति को अभिरक्षा में लेने यानी हिरासत में लेने से है।

चरण 2.4 सरकारी अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए वकालतनामा और आवेदन दायर करना

| समयसीमा: सरकारी अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए वकालतनामा और आवेदन दायर करने की प्रक्रिया में प्राथमिकी दायर करने के दिनांक से एक से सात दिन लग सकते हैं।                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                                                              | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अवैध यौन व्यापार के पीड़ित अधिवक्ता को आवश्यक जानकारी दें और यह कि जब पीड़ित अधिवक्ता से मिलें तब अर्ह महिला परामर्शदाता या महिला क़ानूनी संरक्षक उपस्थित हों। | अधिवक्ता को उनके क़ानूनी परामर्शदाता के रूप में वकालतनामा दायर करने के लिए अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों की सहमति लेनी चाहिए और अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए CrPC की धारा 301(2) के तहत एक आवेदन दायर करना चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| बाल पीड़ित के मामले में, आश्रय गृह के देखभालकर्ता को वकालतनामे पर हस्ताक्षर करना होगा और NGO को इस प्रक्रिया में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।                                                  | <p>पीड़ित जैसे ही संरक्षात्मक अभिरक्षा में पहुँचे, वैसे ही अधिवक्ता को जल्द-से-जल्द उसका प्रतिनिधित्व करने के वकालतनामे की एक प्रति प्राप्त कर लेनी चाहिए। बाल पीड़ित के मामले में, आश्रय गृह के देखभालकर्ता को वकालतनामे पर हस्ताक्षर करना होगा।</p> <p>वकालतनामा एक दस्तावेज़ होता है जो अधिवक्ता को अपने मुवक्किल के लिए और उसकी ओर से कार्य करने की शक्ति देता है।</p> <p>अधिवक्ता को सरकारी अभियोजन पक्ष की सहायता के लिए CrPC की धारा 301(2) के तहत न्यायालय में वकालतनामा और शपथपत्र दायर करने चाहिए।</p> |

<sup>95</sup> देखें रतनलाल एवं धीरजलाल, दंड प्रक्रिया संहिता, 19वाँ संस्करण; मनोहर, वी.आर.: पृ. 103

## सस्मरणीय बिंदु

अधिवक्ता मैजिस्ट्रेट के सामने पीड़ितों की ओर से निम्नलिखित आवेदन कर सकता है:

- **बचाए गए पीड़ित की चिकित्सीय जाँच के लिए:** अधिवक्ता को बचाए गए पीड़ित की आयु निर्धारित करने और यौन दुर्व्यवहार हुआ था या नहीं यह निर्धारित करने के लिए पीड़ित की चिकित्सीय जाँच के आदेश की माँग करते हुए ITPA की धाराओं 15(5-A) के तहत उपयुक्त आवेदन दायर करने चाहिए।
- **यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़ित को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए और गृह जाँच रिपोर्ट (HAR) जमा की जाए:** अधिवक्ता को बचाए गए पीड़ित को सुरक्षित स्थान पर रखने और HAR दायर किया जाना तथा संबंधित कार्यविधियाँ पूरी की जाना सुनिश्चित करने के आदेश माँगते हुए ITPA की धारा 17 के तहत उपयुक्त आवेदन दायर करने चाहिए।
- **यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीड़ित को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए:** अधिवक्ता को पीड़ित को अस्थायी तौर पर संरक्षण गृह में रखे जाने या उसे देखभाल व संरक्षण प्रदान किए जाने के आदेश की माँग करते हुए ITPA की धारा 19 के तहत उपयुक्त आवेदन दायर करने चाहिए।

### और जानें तथा क़दम उठाएँ

दस्तावेज़ों के नमूने और अभ्यास सहायक: सरकारी अभियोजन पक्ष की सहायता हेतु आवेदन के प्रारूप के लिए परिशिष्ट 24 देखें। परिशिष्ट में वकालतनामे का प्रारूप भी है।

**दस्तावेज़ों के नमूने और अभ्यास सहायक**  
इन दस्तावेज़ों में संबंधित प्रारूप हैं:

- न्यायालय से अभिरक्षा आवेदन CWC को संप्रेषित करने के अनुरोध का नमूना प्रारूप परिशिष्ट 27 में है
- HAR का प्रारूप परिशिष्ट 29 में है

ITPA की धाराओं 15 (5-A), 17 और 19 के तहत किए जाने वाले आवेदनों के टेम्प्लेटों के लिए JVI से संपर्क करें।

## चरण 2.5 आरोपित दोषियों के ज़मानत आवेदन का विरोध करना

समयसीमा: आरोपित का ज़मानत आवेदन दायर होते ही उसके विरोध का आवेदन तुरंत दायर कर देना चाहिए।

| NGO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO प्रतिनिधियों को आरोपितों द्वारा दायर ज़मानत आवेदनों के संबंध में जो भी सूचना मिले उसे तुरंत अधिवक्ता तक पहुँचाने में अपनी ओर से सक्रिय रहना चाहिए।                                                                                                                               | अधिवक्ता को मौखिक और लिखित रूप में ज़मानत का विरोध करने के लिए और, यदि ज़मानत स्वीकृत होती है तो ज़मानत की कठोर शर्तों के पक्ष में तर्क रखने के लिए, सभी ज़मानत सुनवाईयों में भाग लेना चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NGO प्रतिनिधियों के पास जब भी कभी आरोपित के ज़मानत आवेदनों के संबंध में कोई जानकारी हो तो उन्हें अधिवक्ता को सूचित करना चाहिए।<br><br>दायर अभियोजन के समर्थन हेतु विधिवत हस्ताक्षरित वकालतनामा और शपथपत्र (आवेदन) प्राप्त करने के लिए NGO को अधिवक्ता को सारी ज़रूरी मदद देनी चाहिए। | यदि आरोपित को एक या अधिक ग़ैरज़मानती अपराध के लिए गिरफ़्तार किया गया है, तो अधिवक्ता को आरोपित को ज़मानत दिए जाने का विरोध करते हुए ज़मानत का लिखित विरोध दायर करना चाहिए।<br><br>अधिवक्ता को हर रिमांड सुनवाई में भाग लेना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि ज़मानत अस्वीकृत हो।<br><br>यदि आरोपित को ज़मानत मिल जाए, तो अधिवक्ता को उपयुक्त मंच के समक्ष ज़मानत रद्द किया जाना संभव बनाने वाली उपयुक्त परिस्थितियों की मौजूदगी के संबंध में सतर्क रहना चाहिए। |

## सस्मरणीय बिंदु

**रिमांड सुनवाईयों में भाग लें:** रिमांड का अर्थ आरोपित को मुकदमे से पहले पुलिस की अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा में कैद रखने से है। अधिवक्ता को हर रिमांड सुनवाई में भाग लेना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि ज़मानत अस्वीकृत हो।

**ज़मानत कब रद्द की जा सकती है?** यदि आरोपित न्यायालय में उपस्थित न हो, न्याय के क्रम से भाग निकले या भाग निकलने की कोशिश करे, या न्याय लागू किए जाने में अड़चन डाले (जैसे, आरोपित द्वारा गवाहों को डराया-धमकाया जाना या उन्हें रिश्तत दी जाना, साक्ष्य गायब करना/करवाना, या जाँच में बाधा डालना), तो अधिवक्ता को गिरफ़्तारी का ग़ैरज़मा-नती वॉरंट जारी किए जाने और ज़मानत रद्द की जाने का आवेदन दायर करना चाहिए। जब ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हों तो उन्हें पहचानने में और उक्त आवेदन दायर करने में अधिवक्ता को सतर्क होना चाहिए।

**पुलिस और सरकारी अभियोजक के साथ संबंध बनाना:** अधिवक्ता को आरोपित द्वारा दायर ज़मानत याचिकाओं के बारे में नवीनतम जानकारी पाने के लिए ऊँची रैंक वाले पुलिस अधिकारियों और सरकारी अभियोजक से निकट संबंध बनाने चाहिए। पुलिस और सरकारी अभियोजक से संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिवक्ता की जानकारी के बिना होने वाली ज़मानत सुनवाई में आरोपित को ज़मानत मिल सकती है, जिससे उसे फ़रार होने और मुकदमे को बीच में रोक देने का मौका मिल सकता है। यदि किसी कारण अधिवक्ता ज़मानत याचिका की जानकारी न होने के चलते किसी ज़मानत सुनवाई में नहीं जा पाता है, तो पूरा मुकदमा हाथ से निकल सकता है। इसलिए, सरकारी अभियोजक की सहायता करने के लिए आवेदन दायर करना और मुकदमे में शामिल हितधारकों के साथ संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है।

**उच्च न्यायालय में ज़मानत की सुनवाईयों की स्थिति जाँचना:** अधिवक्ता को उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध ज़मानत आवेदनों पर रोज़ाना नज़र रखनी चाहिए और नियमित रूप से ज़मानत न्यायालय जाकर यह जाँचना चाहिए कि कहीं कोई ज़मानत के मामले तो नहीं आए हैं।

### और जानें तथा क़दम उठाएँ

ज़मानत विरोध के आवेदन के प्रारूप के लिए **परिशिष्ट 26** देखें।

**ज़मानत स्वीकार किए जाने का विरोध करना:** ज़मानत विरोध संदर्भ शीट के लिए **परिशिष्ट 13A** देखें। इस परिशिष्ट में इस बारे में जानकारी है कि ज़मानत के विरोध के बारे में विभिन्न न्यायालयों ने क्या-क्या कहा है।

**ज़मानत का रद्दीकरण:** ज़मानत के रद्दीकरण के आधार उदाहरण-रूपी हैं, वे कोई संपूर्ण सूची नहीं हैं।<sup>96</sup> आम तौर पर इन आधारों में शामिल हैं:

1. न्याय को प्रभाव में लाने के उचित क्रम में अड़चन डालना या अड़चन डालने की कोशिश करना, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:
  - a. जाँच के क्रम में अड़चन डालना
  - b. साक्ष्यों या गवाहों से छेड़-छाड़ की कोशिश करना
  - c. गवाहों को धमकाना, डराना या उन्हें भ्रष्ट करना, या ऐसी अन्य गतिविधियों में संलिप्त होना जो सुचारू जाँच में बाधा डालें।
2. न्याय के क्रम से भागना या भागने की कोशिश करना, जिसमें निम्नलिखित शामिल है:
  - a. देश छोड़ने या देश से प्रस्थान करने की कोशिश करना
  - b. भूमिगत हो जाना या जाँच एजेंसी के लिए अनुपलब्ध हो जाना
  - c. ज़मानतदारों की पहुँच से बाहर हो जाना।
3. आरोपित को दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग, जिसमें मिलती-जुलती आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होना शामिल है।

इसलिए, जब अप्रत्याशित परिस्थितियाँ, जैसी ऊपर लिखी हैं, मौजूद हों तो परिणामतः ज़मानत रद्द की जा सकती है।

<sup>96</sup> असलम बाबालाल देसाई बनाम महाराष्ट्र राज्य, AIR 1993 SC 1.

## चरण 2.6 जाँच के दौरान बयान दर्ज करना

समयसीमा: जाँच के दौरान बयान दर्ज करने की प्रक्रिया में एक से साठ दिन तक लग सकते हैं।

| NGO                                                                                                                                                                                            | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जब पीड़ितों के गवाही बयान रिकॉर्ड किए जा रहे हों तब NGO प्रतिनिधियों को पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए और इस प्रक्रिया के दौरान पीड़ितों को अच्छी गुणवत्ता की परामर्श सहायता प्रदान करनी चाहिए। | अधिवक्ता को CrPC की धारा 161 के तहत संबंधित गवाहों के गवाही बयान रिकॉर्ड करने में पुलिस को सलाह देनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों के बयान CrPC की धारा 164 के तहत मैजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किए जाएँ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| NGO प्रतिनिधियों को इस प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों को झूठा बयान देने पर मजबूर न किया जाए।                                                              | <p>अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रक्रिया के दौरान पीड़ितों को आरोपितों और अन्य गवाहों से अलग रखकर उनसे पूछताछ की जाए।</p> <p>अधिवक्ता को पुलिस को प्रेरित करना चाहिए कि वह मामले के बारे में जो भी लोग लोग जानकारी रखते हों उन सभी से मौखिक रूप से प्रश्न करे और उनके बयान CrPC की धारा 161 के तहत दर्ज करे।</p> <p>अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मैजिस्ट्रेट के सामने CrPC की धारा 164 के तहत पीड़ित का बयान दर्ज करने का कार्य पीड़ित से पर्याप्त परामर्श के बाद और पीड़ित के बयान देने के लिए तैयार और सक्षम हो जाने पर ही हो। पीड़ित का धारा 164 बयान आदर्श रूप से तब लिया जाना चाहिए जब उससे पर्याप्त परामर्श कर लिया गया हो और अधिवक्ता इस बारे में निश्चित हो कि पीड़ित का बयान मुकदमे के पक्ष में जाएगा।</p> |

### सस्मरणीय बिंदु

**बयान:** ऐसे तीन बयान हैं जो कानूनी केस-कार्य से संबंधित हैं: CrPC 161 बयान, पूरक बयान और 164 बयान। यहाँ लक्ष्य यह है कि इस बारे में जानकारी जुटाने के प्रयोजन से सच्चे बयान लिए जाएँ कि बचाए गए व्यक्ति का किस प्रकार व्यापार किया गया था और मानव व्यापार के स्थान की परिस्थिति क्या है। ये बयान ही दोषी की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए मुकदमे के दौरान प्रयोग होने वाली पीड़ितों की गवाहियों का आधार होते हैं। तीनों बयानों के संबंध में NGO और अधिवक्ता की भूमिका एक ही है - बचाए गए व्यक्ति को सच बोलने के लिए प्रेरित करना और उसकी सहायता करना, और बयान लेने में पुलिस की व अधीक्षक/परिवीक्षा अधिकारी की सहायता करना।

**धारा 161 बयान:** पुलिस बचाव वाली रात धारा 161 बयान ले सकती है। यदि 161 बयान झूठा है या पीड़ित नए तथ्यों का खुलासा करता है, तो पुलिस परिवीक्षा अधिकारी के साथ मिलकर अतिरिक्त बयान ले सकती है जिसे पूरक बयान कहते हैं। एक और विकल्प यह है कि 164 बयान के लिए आवेदन किया जाए। 164 बयान का लाभ यह है कि बचाया गया व्यक्ति मैजिस्ट्रेट के सामने सशपथ बयान देता है और इसलिए इसकी विश्वसनीयता, 161 बयान से अधिक होती है। पीड़ित मैजिस्ट्रेट के सामने अकेला उपस्थित होगा और मैजिस्ट्रेट बयान को सील कर देंगे जो मुकदमा शुरू होने पर ही खुलेगी। 161 बयानों को दर्ज किए जाने के दौरान, यानी बचाव वाली रात उपस्थित रहना अच्छा रहता है। यह उपस्थिति पुलिस की सहायता करने और बचाए गए व्यक्ति की पक्षधरता करने के लिए उपयोगी होती है।

**धारा 164 बयान:** अधिवक्ता को पीड़ित को 164 बयान के महत्व और उसे लेने की प्रक्रिया के बारे में बताना चाहिए। साथ ही, पीड़ित को मैजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान देने के लिए ठीक से तैयार भी किया जाना चाहिए। इसके आधार पर, अधिवक्ता और NGO को पीड़ित की 164 बयान देने और उसमें सहयोग करने की इच्छा का आकलन करना चाहिए। यदि वह 164 बयान देने को इच्छुक और तैयार हो, तो अधिवक्ता को पुलिस को सूचित करना चाहिए, जो न्यायालय में आवेदन

करेगी। 164 बयानों को एकांत में दर्ज किया जा सकता है।

**एकांत में कार्यवाहियाँ:** धारा 164 के तहत गवाह का बयान एकांत में (बंद दरवाज़ों के पीछे) किसी ऐसे माहौल में दर्ज किया जा सकता है जो गवाह को डराता न हो। IO ऐसी याचना CrPC की धारा 327(2) के तहत और साक्षी बनाम भारत संघ<sup>97</sup> का संदर्भ देते हुए कर सकता है। पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह<sup>98</sup> में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा है कि बलात्कार के मामलों में, मुकदमे की कार्यवाही एकांत में की जाए और जहाँ तक हो सके महिला न्यायाधीशों द्वारा की जाए।

**यदि पुलिस धारा 164 बयान दर्ज करने के लिए न्यायालय में आवेदन नहीं करती है:** यदि पुलिस आवेदन दायर करने की इच्छुक नहीं है, तो बचाया गया व्यक्ति अधिवक्ता के साथ मिलकर खुद यह कार्य कर सकता है। आवेदन के साथ, बचाए गए व्यक्ति की ओर से कम-से-कम एक हस्ताक्षरित वकालतनामा होना ज़रूरी है।

**पहले से बयान तैयार करें:** 164 बयान दिए जाने से पहले पीड़ित को अधिवक्ता द्वारा तैयार किया जाना अच्छा रहता है। सुनिश्चित करें कि वह मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देने के मामले में निडर हो और सच्चा बयान देने को तैयार हो। धारा 164 बयान केवल तब दर्ज किया जाना चाहिए जब अधिवक्ता इस बारे में निश्चित हो कि बचाए गए व्यक्ति से पर्याप्त परामर्श कर लिया गया है और वह मुकदमे में सच्चा बयान देने को तैयार है।

**बचाव वाले दिन/वाली रात दिया गया झूठा बयान:** यदि बचाया गया पीड़ित बचाव के समय झूठा बयान दे या अतिरिक्त जानकारी का खुलासा करे, तो कानूनी और NGO स्टाफ़ को बचाए गए पीड़ित को पूरक बयान देने को प्रेरित करना चाहिए।

**पूरक बयान परिवीक्षा अधिकारी के सामने दर्ज किया जाए:** पुलिस को पूरक बयान परिवीक्षा अधिकारी के सामने दर्ज करना चाहिए। यदि पुलिस पूरक बयान लेने से मना करे तो परिवीक्षा अधिकारी उसे दर्ज करके पुलिस को सौंप सकते हैं। इस कार्य में NGO का कानूनी स्टाफ़ परिवीक्षा अधिकारी की सहायता कर सकता है। यह सुनिश्चित करना अच्छा रहता है कि परिवीक्षा अधिकारी बयान दर्ज किए जाने वाले दिनांक को ही बयान पर हस्ताक्षर भी करे।

**प्रशिक्षित परामर्शदाता:** केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित परामर्शदाताओं को ही पीड़ितों के साथ बातचीत करनी चाहिए। प्रशिक्षित परामर्शदाता न हो तो सदमे के लक्षणों को संभालने में अनुभव रखने वाला कोई समाजसेवी भी उपयुक्त विकल्प हो सकता है। हालाँकि, NGO को यह सुनिश्चित करने के प्रयास करने चाहिए कि पीड़ित को अपनी उपचार योजना के भाग के रूप में पेशेवर परामर्श मिले।

**बयान पीड़ित को ज्ञात भाषा में दर्ज किए जाएँ:** NGO प्रतिनिधियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बयान पीड़ित की भाषा में दर्ज किए जाएँ।

**बलात्/ज़बरन बयान:** यह सुनिश्चित करने के पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए कि पीड़ितों को बयान देने के लिए मजबूर न किया जाए और यह कि बयान तब दर्ज किए जाएँ जब पीड़ित बयान देने को तैयार और सक्षम हों। साथ ही, इस प्रक्रिया के दौरान आरोपित उपस्थित न हों।

**बयान पीड़ित के लिए सुविधाजनक स्थान पर दर्ज किए जाएँ:** अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बयान दर्ज करने के लिए पीड़ित को पुलिस स्टेशन न ले जाया जाए। बयान CrPC की धारा 160(1) के तहत प्रावधानित के अनुसार पीड़ित के लिए सुविधाजनक स्थान पर दर्ज किए जाने चाहिए।

### और जानें तथा कदम उठाएँ

**बचाए गए व्यक्तियों के बयान दर्ज करना:** बचाए गए व्यक्तियों के बयान तब दर्ज करें जब वे बयान देने को तैयार और बयान देने में समर्थ हों। बचाए गए व्यक्ति सदमे से निकलने पर अतिरिक्त बयान दे सकते हैं और उनके भावी बयानों में जो भी विरोधाभास हों उनके लिए सदमे के कारण भ्रम का स्पष्टीकरण दिया जा सकता है।<sup>99</sup>

बचाए गए व्यक्तियों को दिए जाने वाले परामर्श और मनोसामाजिक सहयोग के लिए कृपया “Journey to Justice”,<sup>100</sup> a manual on Psychosocial Intervention, UNODC, 2008 देखें।

<sup>97</sup> (2001) 10 SCC 732 136 AIR 1996 SC 1393.

<sup>98</sup> MANU/SC/0366/1996.

<sup>99</sup> अनुभाग 7.1, Recording Statements U/S 161 and 164 CrPC, UNODC Standard Operating Procedures on Investigation of Crimes of Forced Labour, 2008, भारत सरकार और BBA, पृ. 24।

<sup>100</sup> Journey to Justice: Manual on Psycho–Social Intervention, 2008, संयुक्त राष्ट्र मदक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय का एक प्रकाशन। यहाँ उपलब्ध: <[https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/India\\_Training\\_material/Journey\\_to\\_Justice\\_-\\_Manual\\_on\\_Psychosocial\\_Intervention.pdf](https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/India_Training_material/Journey_to_Justice_-_Manual_on_Psychosocial_Intervention.pdf)>

चरण 2.7 अपराधियों को निकालना और वेश्यालय बंद कराना

| समयसीमा: यदि संभव हो तो अपराधियों को निकालने और वेश्यालय बंद कराने का कार्य उसी दिन कर लें, पर वेश्यालय को बंद करवाने में 60 दिन तक लग सकते हैं।                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NGO को अधिवक्ता को इतनी जानकारी प्रदान करनी चाहिए कि वह संबंधित प्राधिकरणों के सामने वेश्यालय या शोषण के स्थान को बंद करने, सील करने और/या खाली करने की याचिकाएँ और अभिवेदन पेश कर सके।                                                                                                                                     | जिस इकाई में अवैध यौन व्यापार चल रहा था उस इकाई को बंद/सील करने की याचिका अधिवक्ता को मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NGO प्रतिनिधियों को वेश्यालय से पीड़ितों का सुरक्षित निकास सुनिश्चित करने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए। <sup>101</sup> NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वेश्यालय से निकाली गई सभी महिलाएँ (वे पूर्व में चाहे पीड़ितों के रूप में पहचानी गई हों या नहीं) देखभाल गृह में रखे जाने के लिए मैजिस्ट्रेट के सामने पेश की जाएँ। | अधिवक्ता को ITPA के तहत मैजिस्ट्रेट से निष्कासन आदेश की माँग करनी चाहिए। ITPA की धारा 18(1) के तहत दोष सिद्ध होने से पहले और प्राथमिकी पंजीकृत कराए बिना भी निष्कासन संभव है। अधिवक्ता को व्यक्तियों के वाणिज्यिक यौन शोषण को रोकने के लिए ITPA की धारा 7(2) के तहत भी आवेदन करना चाहिए।<br><br>साथ ही, किसी बच्चे या अवयस्क के साथ किए जा रहे अपराधों के मामले में, उक्त होटल या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का लाइसेंस रद्द किए जाने का आवेदन किया जा सकता है।<br><br>अधिवक्ता निकाली गई महिलाओं और/या लड़कियों को किसी सुरक्षित स्थान जैसे किसी संरक्षण गृह या किसी देखभाल गृह में रखवाने के लिए ITPA की धारा 19 के तहत मैजिस्ट्रेट के सामने या JJA 2015 की धारा 31 के तहत CWC के सामने (यदि निकाले गए व्यक्ति अवयस्क हों) भी आवेदन करेगा। |

चरण 2.8 अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन दायर करना

| समयसीमा: क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन दायर करने में 1 से 3 माह लग सकते हैं।                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                                                                                    | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NGO को CrPC की धारा 357 के तहत न्यायालय के समक्ष क्षतिपूर्ति के आवेदन प्रस्तुत करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।                                                                                                 | अधिवक्ता को CrPC की धाराओं 357 और 357A के तहत न्यायालय के समक्ष पीड़ितों की ओर से क्षतिपूर्ति का आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                              |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NGO प्रतिनिधियों को पीड़ित क्षतिपूर्ति का आवेदन दायर किए जाने के बारे में अधिवक्ता से नियमित रूप से मिलकर पूछते रहना चाहिए और जब पीड़ितों को उपयुक्त मंचों के समक्ष उपस्थित होने को बुलाया जाए तो उनके साथ जाना चाहिए। | अधिवक्ता को उपयुक्त मंच के समक्ष पीड़ितों की ओर से क्षतिपूर्ति का आवेदन दायर करना चाहिए।<br><br>मुकदमे के भाग के रूप में, पीड़ित क्षतिपूर्ति का अधिकारी है। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुकदमे के क्रम के दौरान, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं से मिलने वाली क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त, न्याया-लय CrPC की धाराओं 357 और 357A के तहत भी क्षतिपूर्ति के आदेश दे। |

<sup>101</sup> ITPA की धारा 15(4) के तहत, पुलिस के लिए वेश्यालय में मिले सभी व्यक्तियों को सुरक्षित ढंग से निकालना अनिवार्य है।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

बचाए गए पीड़ितों के पुनर्वास के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के बारे में जानने के लिए **अध्याय 5** देखें।

**अवैध यौन व्यापार के पीड़ित को न्यायालय की ओर से स्वीकृत हो सकने वाली क्षतिपूर्ति:** CrPC के निम्नलिखित उपबंधों के तहत न्यायाधीश अवैध यौन व्यापार के पीड़ित के लिए क्षतिपूर्ति का आदेश दे सकते हैं। संबंधित उपबंध इस प्रकार हैं:

- **CrPC की धारा 357 के तहत:** यदि आरोपित का दोष सिद्ध हो जाता है, तो न्यायाधीश आरोपित से बंधुआ श्रम के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने की कहकर दंड की मात्रा घटा सकते हैं। यह आवेदन अधिवक्ता द्वारा पीड़ित के नाम में किया जाना होता है।
- **CrPC की धारा 357A के तहत:** इस धारा के तहत, न्यायाधीश के पास ज़िला या राज्य LSA की अनुशंसाओं के आधार पर केंद्र प्रायोजित पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना की अनुरूपता में अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की अनुशंसा करने की शक्ति है।

**धाराओं 357 और 357A के तहत क्षतिपूर्ति के बारे में निर्णय विधि (केस क़ानून):** अंकुश शिवाजी गायकवाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य<sup>102</sup> के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि “CrPC में 2008 में किए गए संशोधन आपराधिक मुकदमे में, विशेष रूप से यौन अपराधों से संबंधित मुकदमों में, पीड़ित के अधिकारों पर अत्यधिक केंद्रित हैं। हालाँकि 2008 में किए गए संशोधनों के तहत धारा 357 में कोई बदलाव नहीं किया गया, पर एक नई धारा 357A पेश की गई जिसके तहत न्यायालय के पास ऐसे मामलों में पीड़ित को क्षतिपूर्ति देने की शक्ति है जहाँ “धारा 357 के तहत प्रदत्त क्षतिपूर्ति उक्त पुनर्वास के लिए पर्याप्त न हो, या जहाँ मुकदमा आरोपित को निर्दोष घोषित या बरी किए जाने के साथ समाप्त हो और पीड़ित का पुनर्वास किया जाना हो।” इस उपबंध के तहत, यदि आरोपित पर मुकदमा नहीं चला है और पीड़ित का पुनर्वास किया जाना है, तो पीड़ित राज्य या ज़िला विधिक सेवाएँ प्राधिकरण से उसे क्षतिपूर्ति देने का अनुरोध कर सकता है।”

**दस्तावेज़ों के नमूने और अभ्यास सहायक:** परिशिष्ट 30 में पीड़ित क्षतिपूर्ति के आवेदन का प्रारूप है।

चरण 2.9 अवैध यौन व्यापार का आरोपपत्र दर्ज कराना

| समयसीमा: प्राथमिकी पंजीकृत होने से नब्बे दिनों के भीतर पुलिस को आरोपपत्र दायर कर देना चाहिए।                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                                                                                                                                       | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NGO को आरोपपत्र दायर किए जाने के संबंध में अधिवक्ता से नियमित रूप से संपर्क करके पूछते रहना चाहिए।                                                                                                                                                                        | अधिवक्ता को पुलिस और सरकारी अभियोजक के साथ निकटता से कार्य करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोपपत्र निर्धारित अवधि के भीतर दायर हो जाए।                                                                                                                                                                                                                |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NGO प्रतिनिधियों को अधिवक्ता से नियमित रूप से संपर्क करके पूछते रहकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोपपत्र बिना विलंब के दायर कर दिया जाए और आरोपपत्र शीघ्रता से दायर किए जाने के लिए पुलिस अधिकारियों से आवेदन करने में जहाँ आवश्यक हो वहाँ अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए। | अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जाँच अधिकारी CrPC में वर्णित निर्धारित समय के भीतर आरोपपत्र दायर कर दे।<br><br>यदि 10 निर्धारित समयावधि के अंदर आरोपत्र दायर नहीं करता है, तो अधिवक्ता को ACP से संपर्क करके तुरंत आरोपपत्र दायर करने में उनकी सहायता माँगनी चाहिए। यदि तब भी आरोपपत्र दायर न हो, तो अधिवक्ता को न्यायालय से संपर्क करना चाहिए। |

<sup>102</sup> (2013) 6 SCC 770.

### सस्मरणीय बिंदु

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>आरोपपत्र की प्रति:</b> अधिवक्ता को आरोपपत्र की एक प्रति प्राप्त करनी चाहिए। यदि आरोपपत्र में तथ्यों द्वारा समर्थित सारे आरोप न हों, तो अधिवक्ता को उपयुक्त आरोपों से युक्त पूरक आरोपपत्र दायर करने के लिए पुलिस के पास आवेदन करना चाहिए। क़ानून की जो धाराएँ छोड़ दी गई हैं उन्हें शामिल करवाने के लिए मैजिस्ट्रेट के पास विरोध याचिका (नाराज़ी याचिका) दायर की जा सकती है। |
| <b>आरोपपत्र दायर करते समय अधिवक्ता की उपस्थिति:</b> आरोपपत्र दायर करते समय अधिवक्ता को उपस्थित होना चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### और जानें तथा क़दम उठाएँ

**दस्तावेज़ों के नमूने और अभ्यास सहायक:** आरोपपत्र दायर किए जाने के लिखित निवेदनों के प्रारूप के लिए परिशिष्ट 23 देखें।

## चरण 2.10 मुक़दमे का उपयुक्त मंच सुनिश्चित करना

| समयसीमा: मुकदमा सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा संचालित होगा। मुकदमे का समय न्यायालय के विवेकाधीन तय होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| आरोपपत्र दायर हो जाने पर, अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोपों के आधार पर मामले को उपयुक्त मंच के सुपुर्द किया जाए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| आरोपपत्र दायर हो जाने पर, न्यायाधीश (जो मुख्य महानगर दंडाधिकारी (चीफ़ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट), महानगर दंडाधिकारी (मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट), मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (चीफ़ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट), अपर न्यायिक दंडाधिकारी (अडीशनल ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट), या उप-अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी (सब-डिवीज़नल ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट) हो सकते हैं) मामले का संचान लेंगे और मामले को उपयुक्त न्यायालय के सुपुर्द किया जाएगा।<br><br>अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मामले को सत्र न्यायालय के सुपुर्द करने की प्रक्रिया में क़ानून द्वारा स्थापित कार्यविधियों का पालन हो। अपराधों में अनैतिक दुर्य्यापार (निवारण) अधिनियम), 1956, भारतीय दंड संहिता (विशेष रूप से धारा 370) और, यदि बचाए गए व्यक्तियों में अवयस्क हों तो, यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनि-यम के तहत अपराध शामिल किए जाने चाहिए।<br><br>यदि आरोपपत्र में धारा 370 का उल्लेख हो तो न्यायाधीश मामले को सत्र न्यायालय के सुपुर्द कर सकते हैं। |

### सस्मरणीय बिंदु

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>यदि आरोपपत्र में धारा 370 या कोई लागू अपराध न हो:</b> CrPC की धारा 216 न्यायाधीश को आरोप जोड़ने की शक्ति देती है। आरोप जोड़ने के लिए न्यायालय से धारा 216 के तहत आवेदन किया जा सकता है।                                                                                                              |
| <b>सत्र न्यायालय को मामले की सुपुर्दगी:</b> CrPC की धारा 209 के अनुसार यदि किसी मामले को केवल और केवल सत्र न्यायालय में चलाया जा सकता है तो उक्त मामले को सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया जा सकता है। यदि आरोपपत्र में धारा 370 का उल्लेख हो तो मामले को केवल और केवल सत्र न्यायालय में चलाया जा सकता है। |

#### और जानें तथा क़दम उठाएँ

**अवैध यौन व्यापार से संबंधित क़ानून और अपराध:** अवैध यौन व्यापार से संबंधित क़ानूनों और अपराधों के बारे में और जानने के लिए अध्याय 4 देखें।  
अपराध विशेष के लिए उपयुक्त मंच: कौनसे मुक़दमे किस न्यायालय में चलाए जा सकते हैं इस बारे में और जानने के लिए, **दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की प्रथम अनुसूची** देखें।

## चरण 2.11 अवैध यौन व्यापार के आरोप तय करना

| समयसीमा: आदर्श रूप से, आरोपपत्र दायर होने से तीन माह के भीतर न्यायालय को आरोप तय कर देने चाहिए।                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                                                                | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                         |
| न्यायालय में आरोपपत्र दायर हो जाने पर, NGO को अधिवक्ता से नियमित रूप से संपर्क करके पूछते रहकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोप शीघ्रता से लगाए/तय किए जाएँ।                                        | आरोपपत्र दायर हो जाने पर, अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायालय के समक्ष उपयुक्त आरोप जल्द-से-जल्द लगा दिए जाएँ।                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                  |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |
| NGO प्रतिनिधि को आरोप तय किए जाने के दिनांक को उपस्थित रहना चाहिए। NGO को अधिवक्ता के साथ निकटता से कार्य करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्यायालय की कार्यविधियाँ अधिकतम संभव तेज़ी से आगे बढ़ें। | जब आरोप तय किए जा रहे हों तब अधिवक्ता को न्यायालय में उपस्थित रहकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी संबंधित आरोप जोड़ दिए गए हों। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करने में सतर्क रहना चाहिए कि न्यायालय की कार्यविधियाँ अविलंब आगे बढ़ें। |

### सस्मरणीय बिंदु

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>निकट न्यायालय दिनांक और अनुचित विलंब की रोकथाम:</b> सुनिश्चित करें कि न्यायालय मामले को बार-बार स्थगित न करता रहे, और यदि वह ऐसा करे, तो निकट न्यायालय दिनांकों पर ज़ोर दें ताकि आरोप तय किए जा सकें। CrPC की धारा 309(1) के तहत, “प्रत्येक जाँच या मुक़दमे में... कार्यवाही अधिकतम संभव शीघ्रता से की जाएगी...”। CrPC कुछ परिस्थि-तियों में स्थगन स्वीकृति पर रोक भी लगाती है। <sup>103</sup><br><br><b>दोष स्वीकारोक्ति:</b> आरोप तय करने के बाद, सत्र न्यायालय आरोपित से पूछेगा कि क्या उसे उस पर लगाए गए आरोप स्वीकार हैं। यदि आरोपित दोष स्वीकार करता है, तो मुकदमा वहीं पर समाप्त हो जाएगा, अन्यथा मुकदमा आगे बढ़ेगा। |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### और जानें तथा क़दम उठाएँ

**अवैध यौन व्यापार के अपराध:** अवैध यौन व्यापार के अपराधों के बारे में पढ़ने के लिए, अध्याय 4 और 5 देखें।  
  
सत्र न्यायालय के मुकदमे में दोष स्वीकारोक्ति के बारे में पढ़ने के लिए, **CrPC की धारा 229** देखें।

## चरण 2.12 अवैध यौन व्यापार के मामले की सभी सुनवाइयों में सरकारी अभियोजन पक्ष की सहायता करना

| समयसीमा: यह सहायता मामले की सभी सुनवाइयों में आवश्यक है।                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                        |
| मुकदमा शुरू हो जाने पर, NGO के एक प्रतिनिधि को सभी आवश्यक सुनवाइयों में न्यायालय में उपस्थित रहना चाहिए।                                                                                                                                                                                    | अधिवक्ता को न्यायालय की हर सुनवाई में उपस्थित रहना चाहिए और मुक़दमे के हर चरण में सरकारी अभियोजक की सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए।                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |
| NGO को किसी ऐसे प्रतिनिधि को भेजना चाहिए जिसके पास मामले के तथ्यों और नवीनतम अपडेट के बारे में जानकारी हो। इससे सरकारी अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं को न्यायालय द्वारा पूछे गए किन्हीं भी प्रश्नों, विशेष रूप से पीड़ितों की गवाही से संबंधित प्रश्नों, के उत्तर देने में सहायता मिल सकती है। | अधिवक्ता को मुक़दमे के हर चरण में उपस्थित होना चाहिए और यदि संभव हो तो हर सुनवाई से पहले सरकारी अभियोजक से मिलना चाहिए।<br><br>अधिवक्ता को CrPC की धारा 301(2) के तहत अभियोजन पक्ष की सहायता करने की अनुमति है। |

<sup>103</sup> CrPC की धाराएँ 309 (1) और 309 (2)।

## चरण 2.13 अवैध यौन व्यापार के गवाहों को गवाही के लिए तैयार करना

| समयसीमा: अवैध यौन व्यापार के गवाहों को तैयार करने में 1 माह लग सकता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| मुक़दमे के दौरान, NGO को पीड़ितों को निडरता से, शुद्धता से, और स्पष्टता से गवाही देने का परामर्श देकर उन्हें उनकी गवाही के लिए तैयार होने में सहायता देनी चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अधिवक्ता को न्यायालय की हर सुनवाई में उपस्थित रहना चाहिए और मुक़दमे के हर चरण में सरकारी अभियोजक की सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>NGO के वे प्रतिनिधि जो प्राथमिकी पंजीकृत किए जाते समय गवाह थे उन्हें अपने बयानों के अनुसार न्यायालय में गवाही देनी होगी। NGO प्रतिनिधियों को पीड़ितों के साथ न्यायालय जाकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ज़िले से बाहर के पीड़ितों को गवाहों के रूप में गवाही देने हेतु न्यायालय तक सुरक्षित पहुँचाया जाए। NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोपित व्यक्ति गवाहों को प्रभावित न करें।</p> <p>NGO के प्रशिक्षित और योग्य परामर्शदाताओं को पीड़ितों को मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा (जिरह) के लिए तैयार करना चाहिए ताकि वे इस प्रक्रिया से मिलने वाले सदमे के बावजूद, विशेष रूप से बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में, निडरता और शुद्धता से गवाही दे सकें।</p> <p>NGO स्टाफ़ को पीड़ित को और उसके गवाही दे चुकने के बाद उसके परिवार (यदि उपस्थित हो) को मामले में क्या हुआ इसकी पूरी जानकारी भी देनी चाहिए।</p> | <p>अधिवक्ता को पीड़ितों को मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा (जिरह) की प्रक्रिया के लिए तैयार करने हेतु NGO के साथ कार्य करना चाहिए। यह तैयारी आदर्श रूप से किसी ऐसे स्थान पर की जानी चाहिए जो पीड़ित के लिए सुविधाजनक हो।</p> <p>अधिवक्ता को गवाही देने वाले व्यक्तियों को साक्ष्य की रचना में उनके बयानों के महत्व के बारे में साफ़-साफ़ समझाना चाहिए और उन्हें मामले के बारे में सूचित रखना चाहिए।</p> <p>अधिवक्ता को सरकारी अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों की गवाहियों की एक-एक प्रति भी प्राप्त करनी चाहिए। जहाँ भी लागू हो वहाँ, अधिवक्ता को मामला द्रुतगामी (फास्ट ट्रैक) न्यायालय में चलाने का आवेदन दायर करना चाहिए।</p> <p>यदि पीड़ित न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो अधिवक्ता को वीडियो कॉन्फ़रेंसिंग के माध्यम से पीड़ित की गवाही रिकॉर्ड करने की संभावना की पड़ताल करनी चाहिए।</p> <p>अधिवक्ता को साक्ष्य/गवाही के संबंध में न्यायालय की सभी कार्यवाहियों (मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा) में उपस्थित रहना चाहिए। जिस अधिवक्ता ने पीड़ित को तैयार किया है उसे ही उसके साथ न्यायालय जाना चाहिए। इससे निरंतरता बनी रहेगी और बचाए गए पीड़ित का विश्वास जीतने में मदद मिलेगी।</p> |

### सस्मरणीय बिंदु

**बनावटी मुक़दमा और सुनवाई-कक्ष का दौरा:** NGO और अधिवक्ता को पीड़ित को सुनवाई-कक्ष में सहज होने में मदद करनी चाहिए; इसके लिए उन्हें पीड़ित को सुनवाई से पहले ही सुनवाई-कक्ष में ले जाना चाहिए, ताकि गवाही देने के लिए सुनवाई-कक्ष में उसका प्रवेश, उस कक्ष में उसका पहला प्रवेश न हो। इससे तनाव घटाने में मदद मिलती है। दूसरे, किसी सुविधाजनक स्थान पर बनावटी मुक़दमा संचालित करने से पीड़ित आरोपित के विरुद्ध गवाही देने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होगा।

**यदि मामले में बच्चे शामिल हों तो अपनाए जाने वाले संवेदनशील उपाय:**<sup>104</sup>

- बाल पीड़ितों/गवाहों को न्यायालय की कार्यवाही के संबंध में उनकी भूमिका के बारे में सूचित किया जाता है;
- उनके विचारों को सुना जाता है और उनका सम्मान किया जाता है;
- उनकी असुविधा को न्यूनतम किया जाता है और उनकी निजता का सम्मान किया जाता है;
- कार्यवाहियों में होने वाले विलंब घटाए जाते हैं;
- बाल पीड़ितों से आक्रामक पूछताछ या प्रतिपरीक्षा (जिरह) से बचा जाता है, और यदि आवश्यक हो तो ऐसी पूछताछ न्यायाधीश के ज़रिए की जाती है;

<sup>104</sup> गोआ बाल अधिनियम, 2003 के तहत बाल न्यायालय हेतु दिशानिर्देशों पर आधारित।

- एकांत में मुक़दमे की व्यवस्था की जाती है;
- बाल पीड़ित की पहचान की सुरक्षा की जाती है;
- बाल पीड़ितों को न्यायिक प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाता है और यदि कोई बच्चा न्यायालय जाने को तैयार न हो तो कथित दुर्व्यवहारियों के अभियोजन में जल्दबाज़ी नहीं की जाती है।
- जाँचकर्ता बाल पीड़ित की चिकित्सीय जाँच की आवश्यकता का पता लगाता है, और जब जाँच की जाए तो यह सुनिश्चित करता है कि बार-बार जाँच न की जाए;
- जहाँ तक संभव हो, चिकित्सीय जाँच माता-पिता/संरक्षक और समाजसेवी/परामर्शदाता की उपस्थिति में की जानी चाहिए;
- दुर्व्यवहार की घटना बाद जल्द-से-जल्द, अन्य गवाहों को साथ रखते हुए, बच्चे की गवाही किसी समाजसेवी/परामर्शदाता की उपस्थिति में दर्ज की जानी चाहिए;
- जब भी कभी आवश्यकता हो तब ऐसे पर्याप्त अनुवाद/व्याख्याएँ और अनुवादक/दुभाषिये प्रदान किए जाने चाहिए जो बच्चे की ज़रूरतों के प्रति संवेदना रखते हों।
- मानसिक रूप से अशक्त बच्चों के मामले में, बच्चे की ओर से किसी सक्षम सेवा प्रदाता को गवाही देनी चाहिए;
- बाल पीड़ितों/गवाहों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
  - बच्चों को न्यायालय के माहौल से परिचित कराएँ;
  - बच्चों को न्यायालय में उपस्थित मुख्य व्यक्तियों, जैसे न्यायाधीश, बचाव पक्ष के वकील, और सरकारी अभियोजक, की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में बताएँ;
  - न्यायालय को बच्चों की विशेष आवश्यकताओं के बारे में सामान्य रूप से और विशिष्ट मामलों में बालक/बालिका विशेष की विशेष आवश्यकताओं के बारे में बताएँ;
  - बच्चों को कार्यवाहियों में सहज होने में सहायता दें;
  - पूछताछ संक्षिप्त और स्पष्ट रखी जाने को प्रेरित करें ताकि बाल गवाह भ्रमित न हों;
  - आठ वर्ष से छोटे बच्चों को किसी समाजसेवी द्वारा पूछे गए मार्गदर्शक प्रश्नों के उत्तर देने की अनुमति दें।

**मुख्य परीक्षा:** मुख्य परीक्षा के दौरान अधिवक्ता गवाहों से पूछे जाने वाले प्रश्न लिखित रूप में प्रस्तुत करके PP की सहायता कर सकता है।

**प्रतिपरीक्षा (जिरह):** प्रतिपरीक्षा का प्रयोजन अभियोजन पक्ष की कहानी में मौजूद दोषों/त्रुटियों को सामने लाना होता है। बनावटी प्रतिपरीक्षा (जिरह) का अभ्यास करना अच्छा रहता है, ताकि गवाह प्रक्रिया से घबराएँ नहीं और वे बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं के प्रश्नों को संभालने के लिए तैयार हों।

**गवाह:** गवाहों में पीड़ित, पंच गवाह, प्रलोभक (नकली) ग्राहक, जाँच अधिकारी, और सरकारी अभियोजन पक्ष के केस को सिद्ध करने के लिए जो भी अन्य गवाह आवश्यक हों वे गवाह शामिल होते हैं।

### और जानें तथा क़दम उठाएँ

**डेल्ली डोमस्टिक वर्किंग विमेन्स फ़ोरम बनाम भारत संघ**<sup>105</sup> में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि:

“पीड़ित के अधिवक्ता की भूमिका पीड़ित को कार्यवाहियों की प्रकृति के बारे में समझाने, उसे मामले के लिए तैयार करने, और पुलिस स्टेशन व न्यायालय में उसकी सहायता करने तक सीमित नहीं है बल्कि उसमें पीड़ित को इस बारे में मार्गदर्शन देना भी शामिल है कि वह अन्य प्रकार की सहायता, जैसे मनोपरामर्श या चिकित्सीय सहायता, किस प्रकार अन्य एजेंसियों से प्राप्त कर सकती है। जिस व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में शिकायतकर्ता की देखभाल की थी वही व्यक्ति मामले के अंत तक उसका प्रतिनिधित्व करे यह सुनिश्चित करके सहायता की निरंतरता को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।”

विशिष्ट रूप से गवाहों की मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा (जिरह) पर लागू होने वाले प्रावधानों के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएँ 137 से 146 (और अन्य प्रासंगिक प्रावधान) पढ़ना न भूलें।  
**तीव्र मुक़दमा सुनिश्चित करने के लिए गवाहों की प्रतिदिन परीक्षा:** CrPC की धारा 309(1) के तहत, “जब गवाहों की परीक्षा शुरू हो जाए, तो उसे तब तक प्रतिदिन किया जाना है जब तक सभी उपस्थित गवाहों की परीक्षा पूरी न हो जाए”, और जो भी स्थगन हों वे दर्ज कारणों के लिए किए जाएंगे।

अधिवक्ता को CrPC के तहत मुक़दमे के विभिन्न चरणों से और भारतीय साक्ष्य अधिनियम से परिचित होना चाहिए।

**मुक़दमे के दौरान अभ्यास प्रश्न:** यौन शोषण के लिए मानव व्यापार से संबंधित मुक़दमे में पूछे जा सकने वाले अभ्यास प्रश्नों के सेट के लिए JVI से संपर्क करें।

<sup>105</sup> गोआ बाल अधिनियम, 2003 के तहत बाल न्यायालय हेतु दिशानिर्देशों पर आधारित।

## चरण 2.14 अवैध यौन व्यापार सिद्ध करने के लिए अंतिम तर्क प्रस्तुत करना

| समयसीमा: अंतिम तर्कों की तैयारी अधिवक्ता पर निर्भर है पर उन्हें मुकदमे के समापन के समय, अंतिम निर्णय की घोषणा से पहले प्रस्तुत करना होता है। |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                          | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मुकदमे में बाद के चरण में, NGO को अधिवक्ता को व्यापक लिखित निवेदन दायर करने में सहायता के लिए अधिकतम संभव जानकारी प्रदान करनी चाहिए।         | अधिवक्ता को, सरकारी अभियोजक के माध्यम से (या यदि अभियोजक सहायता से मना करे तो सीधे) न्यायालय के समक्ष अंतिम तर्कों की प्रस्तुति के लिए लिखित निवेदन तैयार करके उन्हें दायर करना चाहिए। न्यायालय द्वारा अनुमति मिल जाने पर अधिवक्ता को अंतिम मौखिक तर्क भी पेश करने चाहिए।                            |
| व्याख्या                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| NGO को लिखित निवेदनों के लिए अधिवक्ता को अधिकतम संभव जानकारी देनी चाहिए।                                                                     | अधिवक्ता को न्यायालय के समक्ष उपयुक्त प्रारूप में लिखित निवेदन (चाहे अंतिम हों या अनंतिम) तैयार करके दायर करने चाहिए।<br><br>न्यायालय को अभियोजन पक्ष के मामले की शक्ति का विश्वास दिलाने के लिए अंतिम मौखिक तर्क प्रस्तुत करने में PP की सहायता के लिए अधिवक्ता को न्यायालय में उपस्थित रहना चाहिए। |

### सस्मरणीय बिंदु

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| लिखित निवेदनों का पूरण, निर्णय विधि (केस कानून) और उपयुक्त निष्कर्षों से करें: सरकारी अभियोजन पक्ष के मामले को सिद्ध करने के लिए लिखित निवेदनों के साथ-साथ उनके पूरक के रूप में पर्याप्त निर्णय विधि (केस कानून) और गवाह साक्ष्य के प्रासंगिक निष्कर्ष भी देने चाहिए। |
| CrPC की धारा 301(2) के तहत पीडित/शिकायतकर्ता साक्ष्य वाला चरण पूरा हो जाने के बाद भी (न्यायालय की अनुमति से) लिखित तर्क प्रस्तुत कर सकता है।                                                                                                                          |

### और जानें तथा क़दम उठाएँ

**लिखित निवेदनों के प्रारूप:** लिखित निवेदनों के प्रारूप के लिए **परिशिष्ट 31** देखें।

## चरण 2.15 निर्णय प्राप्त करना

| समयसीमा: निर्णय की आधिकारिक प्रति प्राप्त करने में पंद्रह दिन लग सकते हैं।                                               |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                      | अधिवक्ता                                                                           |
| NGO को न्यायालय से अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।                     | अधिवक्ता को अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन करने चाहिए।             |
| व्याख्या                                                                                                                 |                                                                                    |
| निर्णय की घोषणा हो जाने के बाद, NGO को अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए। | अधिवक्ता को न्यायालय के अंतिम निर्णय की प्रमाणित प्रतियों के लिए आवेदन करने चाहिए। |

### और जानें तथा क़दम उठाएँ

अधिवक्ता को क्षेत्राधिकारी न्यायालय की पूर्वावश्यक शर्तों के अनुसार अपील के प्रारूपों की जानकारी होनी चाहिए।

निर्णय दिए जाने के बाद उठाए जाने वाले क़दमों के बारे में यदि और जानकारी चाहिए हो तो JVI से संपर्क करें।

## चरण 2.16 अपील दायर करना

| समयसीमा: अपील, निर्णय की घोषणा के दिनांक से 60 दिनों के भीतर दायर कर देनी चाहिए।                                         |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                      | अधिवक्ता                                                                                                           |
| NGO को, यदि आवश्यक हो तो, अपील तैयार करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए।                                             | अधिवक्ता को, यदि आवश्यक हो तो, प्रतिकूल निर्णय के विरुद्ध अपील या संशोधन आवेदन दायर करना चाहिए।                    |
| व्याख्या                                                                                                                 |                                                                                                                    |
| यदि पीडितों के साथ-साथ NGO प्रतिनिधि न्यायालय के निर्णय पर अपील करना चाहते हों, तो उन्हें अधिवक्ता से संपर्क करना चाहिए। | अधिवक्ता को निर्धारित समय के भीतर और जल्द-से-जल्द, तथा निर्धारित प्रारूप में अपील या संशोधन आवेदन दायर करना चाहिए। |

### सस्मरणीय बिंदु

|                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मुकदमा ख़त्म हो जाने पर, अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करने में सतर्क रहना चाहिए कि आरोपित द्वारा दायर अपील उसकी नज़रों से बचने न पाए या यदि बचाए गए व्यक्तियों की ओर से अपील दायर की जानी है तो उसे सीमाबंधन की अवधि के भीतर दायर कर दिया जाए। <sup>106</sup> |
| यदि आरोपित द्वारा अपील दायर की जाए, तो अधिवक्ता को उसके विरोध के लिए तैयार होना चाहिए। हालाँकि, यदि आरोपित को निर्दोष घोषित किया जाए तो अधिवक्ता दोषमुक्ति के विरोध में उच्च न्यायालय में अपील या संशोधन आवेदन दायर कर सकता है।                           |

### और जानें तथा क़दम उठाएँ

अधिवक्ता को क्षेत्राधिकारी न्यायालय की पूर्वावश्यक शर्तों के अनुसार अपील या संशोधन के प्रारूपों की जानकारी होनी चाहिए।

संशोधन आवेदन, CrPC की धाराओं 397 से 401 के तहत दिए गए आधारों पर दायर किया जा सकता है।

अपील या संशोधन दायर करने के लिए उठाए जाने वाले क़दमों या अपील/संशोधन के प्रारूपों के बारे में और जानकारी के लिए JVI से संपर्क करें।

<sup>106</sup> निचले न्यायालय द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद अपील दायर करने के लिए अनुमन्य समय।

# 3.0 अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों की बहाली की कार्यविधियों का सारांश



## चिकित्सीय देखभाल तक तुरंत पहुँच सुनिश्चित करना

मैजिस्ट्रेट पीड़ित की सहमति के साथ और महिला डॉक्टर की देखरेख में चिकित्सीय जाँच, HIV परीक्षण, और यौन दुर्व्यवहार परीक्षण का आदेश देते हैं; अवयस्क पीड़ितों को CWC भेजा जाता है; पुलिस अपनी सुरक्षा में पीड़ितों की चिकित्सीय जाँच करवाती है और बचाव स्थल से पीड़ितों का सामान लाती है।



## पीड़ितों को सुरक्षित अभिरक्षा में पहुँचाना

मैजिस्ट्रेट पीड़ितों को सुरक्षात्मक आश्रय गृह में रखने के संबंध में आदेश देते हैं; समाजसेवी पीड़ितों को गृह में रखते हैं और यदि वे मैजिस्ट्रेट या CWC से मिलने के लिए गृह से निकलते हैं तो समाजसेवी उनके साथ जाते हैं।



## परामर्श सेवाओं तक पहुँचना सुगम बनाना

आश्रय गृह में रखे जाने से 48 घंटे के भीतर महिला परामर्शदाता पीड़ितों से मिलती हैं (गृह की अनुमति से); मैजिस्ट्रेट परामर्श योजनाओं के स्वीकृति आदेश जारी करते हैं।



## गृह सत्यापन रिपोर्ट जमा करना

मैजिस्ट्रेट/CWC गृह सत्यापन रिपोर्ट का आदेश देते हैं और सुरक्षा की गारंटी देने वाली रिपोर्ट जमा होने से पहले पीड़ितों को किसी की भी अभिरक्षा में सौंपने का विरोध करते हैं।



## अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करना

जिला प्रशासन अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए बनाई गई विभिन्न योजनाओं के तहत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने में पीड़ितों की सहायता करता है।



## अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों को वापस घर पहुँचाना या उनका पुनर्वास करना

घर वापसी के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में सहायता करें; यदि गृह सत्यापन रिपोर्ट में यह पाया जाता है कि पीड़ित का परिवार देखभाल और सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है तो मैजिस्ट्रेट/CWC सुरक्षात्मक गृह में ठहराव को बढ़ा सकते हैं।



## सरकारी पात्रताओं तक पहुँचना सुगम बनाना

भोजन, कपड़े, आश्रय, भू-अधिकार, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श और अन्य पात्रताओं से संबंधित निजी क्षेत्र के संसाधनों की पहुँच प्रदान करने में सहायता करें।



## निजी क्षेत्र के संसाधनों की पहुँच सुगम बनाना

भोजन, कपड़े, आश्रय, भू-अधिकार, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श और अन्य पात्रताओं से संबंधित निजी क्षेत्र के संसाधनों की पहुँच प्रदान करने में सहायता करें।



## पीड़ितों की स्थायी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना

पीड़ितों को दोबारा मानव व्यापार में फँसने से बचाने के लिए और उनका समाज में वापस एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए NGO के साथ कार्य करें; आवश्यकतानुसार फॉलो अप करते रहें।

## चरण 3.1 चिकित्सीय देखभाल तक तुरंत पहुँच सुनिश्चित करना

समयसीमा: हस्तक्षेप किए जाने से 24 घंटों के भीतर बुनियादी चिकित्सीय देखभाल और स्त्रीरोग विशेषज्ञ की सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिए; अस्थीभवन परीक्षण (बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट) बचाव से एक सप्ताह के भीतर करवाया जा सकता है।

| NGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अवैध यौन व्यापार पीड़ितों की चिकित्सीय जाँच हो और उन्हें जो भी चिकित्सीय देखभाल चाहिए हो वह उन्हें मिले।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अवैध यौन व्यापार पीड़ितों के निजता के अधिकार और अन्य अधिकारों का सम्मान करते हुए चिकित्सीय जाँच की जाए और अविलंब देखभाल प्रदान की जाए।                                                                                                                |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| NGO को मैजिस्ट्रेट से यह करने का अनुरोध करना चाहिए: <ul style="list-style-type: none"><li>किसी अस्पताल में आयु-सत्यापन, चिकित्सीय जाँच, HIV परीक्षण (केवल पीड़ित की सूचित सहमति के साथ ही किया जाए, जिसमें परीक्षण से पहले और बाद में परामर्श शामिल है), और STI परीक्षण किए जाने का आदेश करें। मैजिस्ट्रेट से यौन दुर्व्यवहार परीक्षणों का आदेश देने का अनुरोध करें।</li><li>देखभाल कर्मियों को चिकित्सीय जाँच के लिए पीड़ितों के साथ जाने की अनुमति दें।</li><li>पुलिस की मदद से सभी पीड़ितों का सामान लाने का आदेश दें, NGO कर्मि पुलिस के साथ जाएँ।</li><li>NGO को पीड़ितों को सर्वोत्तम संभव देखभाल गृह में रखने का सुझाव भी देना चाहिए।</li></ul> | अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चिकित्सीय जाँच CrPC की धारा 53(2) में आवश्यक किए गए अनुसार किसी महिला चिकित्सक द्वारा या उसके पर्यवेक्षण में ही की जाए।<br><br>अधिवक्ता मैजिस्ट्रेट से बचाए गए पीड़ितों हेतु NGO द्वारा गृह जाँच किए जाने का आदेश पारित करने का अनुरोध भी कर सकता है। |

## सस्मरणीय बिंदु

**चिकित्सीय जाँचें बचाव प्रक्रिया पूरी हो जाने और पीड़ित के बयान दर्ज कर लिए जाने के बाद मैजिस्ट्रेट से आदेश प्राप्त करके की जाती हैं।** NGO देखभालकर्मि बचाए गए पीड़ितों की चिकित्सीय जाँच के लिए एक महिला पुलिस हवलदार को साथ लेकर पीड़ितों को अपनी सुरक्षा में अस्पताल पहुँचाएँगे और फिर सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उन्हें अपनी सुरक्षा में आश्रय गृह पहुँचाएँगे। चिकित्सीय जाँच करने से पहले पीड़ित की सूचित सहमति ली जानी चाहिए।

**महिला चिकित्सक न हो तो क्या करें:** महिला चिकित्सक की अनुपस्थिति में, अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चिकित्सीय जाँच के दौरान कोई महिला अधिकारी या NGO की कोई महिला प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाए गए व्यक्तियों के साथ गरिमापूर्वक व्यवहार किया जाए।

**आयु सत्यापन परीक्षण:** अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयु सत्यापन परीक्षण, स्थापित वैज्ञानिक विधियों के अनुसार किया जाए। बचाया गया व्यक्ति वयस्क है, अवयस्क है, या बच्चा है, यह निर्धारित करने के लिए अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम), 1956 की धारा 15(5A) के तहत आयु सत्यापन परीक्षण अनिवार्य है। यदि पीड़ित की सत्यापित आयु 17-18 वर्ष या कम हो, तो मैजिस्ट्रेट/ सरकारी अभियोजक को याद दिलाएँ कि मैजिस्ट्रेट का पीड़ित पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं है और यह कि पीड़ित को बाल कल्याण समिति के पास पहुँचाया जाना चाहिए। JJA 2015 की धारा 94 के तहत, यदि इस अधिनियम के किसी भी उपबंध के तहत (साक्ष्य देने के प्रयोजन को छोड़कर) CWC के सामने पेश किए गए व्यक्ति की दिखावट के आधार पर CWC को इस बारे में कोई संशय न हो कि उक्त व्यक्ति एक बच्चा है, तो CWC उक्त अवलोकन रिकॉर्ड करेगी, उसमें, जितनी शुद्धता से निर्धारित हो पाए उतनी शुद्धता से, बच्चे की आयु का उल्लेख करेगी, और आयु की किसी भी अन्य पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना धारा 36 के तहत जाँच (देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे पर जाँच) के साथ आगे बढ़ेगी। यदि CWC को उसके सामने पेश किए गए व्यक्ति की आयु को लेकर संशय हो, तो वह निम्नलिखित प्राप्त करने के द्वारा साक्ष्य हासिल करके व्यक्ति की आयु निर्धारित करने का प्रयास करेगी:

- स्कूल से मिला जन्म दिनांक प्रमाणपत्र, या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मिला मेट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र, यदि उपलब्ध हो; और यदि उपलब्ध न हो तो;
- नगरपालिका/नगर निगम/नगरपालिका परिषद या पंचायत से मिला जन्म प्रमाणपत्र; या

● i. और ii. की अनुपस्थिति में, CWC के आदेश पर अस्थीभवन परीक्षण (ऑसिफ़िकेशन टेस्ट) या कोई भी अन्य चिकित्सीय आयु निर्धारण परीक्षण किया जा सकता है, बशर्ते उसे उक्त आदेश पारित होने से 15 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाए।

JJA की धारा 94 यह भी कहती है कि CWC द्वारा दर्ज की गई आयु बच्चे की वास्तविक आयु मानी जाएगी। मैजिस्ट्रेट से यह स्पष्ट करने का अनुरोध करें कि कौनसी CWC मामले को संभालेगी। यदि NGO को पहले से पता हो कि पीड़ित अवयस्क है, तो अधिवक्ता को सूचित करें ताकि वह रिमांड सुनवाई में भाग ले।

### चरण 3.2 पीड़ितों को सुरक्षित अभिरक्षा में पहुँचाना

| समयसीमा: पीड़ितों को जल्द-से-जल्द, पर 24 घंटों के भीतर, सुरक्षित अभिरक्षा में पहुँचा देना चाहिए।        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                     | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ित को सुरक्षित ढंग से किसी सुरक्षात्मक आश्रय गृह पहुँचाया जाए।    | पीड़ित को सुरक्षित ढंग से किसी सुरक्षात्मक आश्रय गृह पहुँचाया जाए यह सुनिश्चित करने के लिए अधिवक्ता को सरकारी प्राधिकरणों के समक्ष पीड़ित और NGO को सलाह और सहायता देनी चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| व्याख्या                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| जब भी पीड़ित मैजिस्ट्रेट या CWC से मिलने के लिए गृह से निकले तो देखभाल कर्मियों को उसके साथ जाना चाहिए। | अधिवक्ता को समाजसेवी से तालमेल करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों को किसी आश्रय गृह में सुरक्षित ढंग से रखा जाए।<br><br>अधिवक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाए गए बच्चे को CWC के सामने पेश किया जाए। यदि पीड़ित की आयु तय न हो पा रही हो तो अधिवक्ता को यह तय करने में पुलिस की सहायता करनी चाहिए कि पीड़ित को CWC के सामने पेश किया जाए या नहीं।<br><br>अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वयस्क पीड़ितों को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। |

### सस्मरणीय बिंदु

**जब संशय हो कि बचाया गया व्यक्ति अवयस्क है या नहीं:** यदि संशय हो तो पीड़ित को अवयस्क मानना चाहिए। पीड़ित की अस्थीभवन परीक्षण (बोन ऑसिफ़िकेशन टेस्ट) नामक चिकित्सा जाँच की जाती है जिसके आधार पर चिकित्सक तय करते हैं कि वह वयस्क है या अवयस्क। आयु तय करने के लिए बच्चे को CWC भेजें। CWC द्वारा आयु तय किए जाने संबंधी दिशानिर्देशों के लिे JJA 2015 की धारा 94 देखें।

**सामान्य दिशानिर्देश:**

- मैजिस्ट्रेट से पेशेवर मेलजोल बढ़ाने और, पीड़ित के साथ मेलजोल बढ़ाने तथा उसे मैजिस्ट्रेट के सामने सच बोलने को सशक्त बनाने के बीच निकट संबंध होता है।
- देखभाल कर्मियों को सभी पीड़ितों के लिए गृह जाँच करने की अनुमति भी माँगनी चाहिए।
- **पीड़ित को सशक्त बनाना:** मैजिस्ट्रेट चाहे जो भी निर्णय लें, वह पीड़ित और उसके भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए, पीड़ित द्वारा मैजिस्ट्रेट के सामने अपनी सूचित इच्छा का प्रकटन सर्वोपरि महत्व रखता है। देखभाल कर्मियों की यह भूमिका है कि वे पीड़ित को रिमांड प्रक्रिया के बारे में बताएँ और मनोसामाजिक परामर्श दें ताकि वह सोच-समझकर निर्णय ले सके और मैजिस्ट्रेट को अपना निर्णय बता सके।
- **आवश्यक समयसीमाओं का पालन करें:** मैजिस्ट्रेट, विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, पीड़ित को तीन सप्ताह से अधिक निरुद्ध नहीं रख सकते हैं। इसलिए, मैजिस्ट्रेट को बचाव से तीन सप्ताह के भीतर अंतिम निर्णय लेना ही होता है।<sup>107</sup>

<sup>107</sup> अर्न्ततः दुरव्यापार (नवियम), 1956, धारा 17(3)।

### चरण 3.3 परामर्श सेवाओं तक पहुँचना सुगम बनाना

| समयसीमा: परामर्श सेवाएँ 48 घंटों के भीतर प्रदान कर देनी चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NGO को, संबंधित अधिकारी से उचित अनुमति लेने के बाद, पीड़ित के उबरने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए उसे प्रशिक्षित और अर्ह महिला परामर्शदाताओं तक की पहुँच प्रदान करनी चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अधिवक्ता को पीड़ित के परामर्श के अधिकार और अन्य देखभाल सेवाओं के अधिकार के बारे में पीड़ित और NGO को बताना चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| बचाए गए पीड़ित को सुरक्षात्मक गृह में प्रवेश दिला दिए जाने पर, देखभाल दल को पीड़ित से मुलाकात करनी चाहिए (प्रवेश से 24-48 घंटों के भीतर मुलाकात कर लेना बेहतर है)। देखभाल सहायता प्रदान करने से पहले परामर्शदाताओं को आश्रय गृह से आधिकारिक अनुमति ले लेनी चाहिए।<br><br>परामर्शदाताओं को किसी आपातकालीन आवश्यकता की स्थिति में तुरंत उपलब्ध भी होना चाहिए। पुरुष परामर्श-दाताओं द्वारा परामर्श सेवाएँ प्रदान किए जाने पर कड़ी रोक होनी चाहिए।<br><br>परामर्शदाताओं को हर पीड़ित के लिए उसकी परिस्थिति के अनुसार अलग परामर्श योजना तैयार करनी चाहिए। परामर्शदाताओं और समाजसेवियों/केस प्रबंधकों को परामर्श और मनोसामाजिक सहयोग प्रदान करने के लिए देखभाल गृहों में नियमित रूप से जाकर पीड़ित से मुलाकात करनी चाहिए।<br><br>केस प्रबंधकों को हर पीड़ित के लिए उपचार और रिकवरी सहयोग योजनाएँ तैयार करके उन्हें आश्रय गृह के कर्मियों को देना चाहिए।<br><br>केस प्रबंधक समाज की मुख्यधारा में पीड़ितों के प्रवेश के लिए या उन्हें उनके गृह राज्यों में वापस पहुँचाने के लिए उन्हें तैयार करने के उद्देश्य से शैक्षिक, व्यावसायिक और परामर्श सेवाओं तक पहुँचने में उनकी मदद के लिए ऐसी सेवाएँ देने वाले संगठनों से अपने संपर्कों का उपयोग करेंगे।<br><br>केस प्रबंधक पीड़ितों के गृह राज्यों में उनके आश्रय गृहों में उनकी देखभाल की निरंतरता के लिए उनके गृह राज्यों में मौजूद NGO से भी संपर्क बनाएँगे। | अधिवक्ता को समाजसेवी से तालमेल करके यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों को किसी आश्रय गृह में सुरक्षित ढंग से रखा जाए।<br><br>अधिवक्ता को हर पीड़ित के लिए अलग उपचार योजना तैयार करने हेतु NGO के केस प्रबंधकों/समाजसेवियों के साथ निकट सहयोग से कार्य करना चाहिए। ये उपचार योजनाएँ मैजिस्ट्रेट के सामने पेश की जानी चाहिए ताकि उक्त योजनाओं की स्वीकृति के आदेश जारी करवाए जा सकें।<br><br>NGO को बचाए गए पीड़ित की प्रगति के बारे में न्याया-लय को नियमित रूप से जानकारी देनी चाहिए। |

### चरण 3.4 गृह सत्यापन रिपोर्ट जमा करना

| समयसीमा: गृह सत्यापन रिपोर्ट 21 दिनों के भीतर जमा कर देनी चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NGO को पीड़ित के परिवार और सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित विवरणों के सत्यापन के बाद एक भली-भाँति दस्तावेज़ीकृत गृह सत्यापन रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अधिवक्ता को यह अनुरोध करना चाहिए कि CWC/मैजिस्ट्रेट गृह सत्यापन रिपोर्ट का आदेश दें और गृह सत्यापन रिपोर्ट जमा होने से पहले पीड़ितों को किसी की भी अभिरक्षा में सौंपने का विरोध करें।                                                                                    |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>बचाए गए व्यक्ति को संरक्षात्मक अभिरक्षा में पहुँचाए जाने से 48 घंटों के भीतर NGO को पीड़ित से मिलने के लिए एक दल भेजना चाहिए और ऐसे तथ्यों का पता लगाना चाहिए जिनसे वे सामाजिक जाँच रिपोर्ट तैयार कर सकें।</p> <p>गृह सत्यापन रिपोर्ट में निम्नलिखित तथ्य होने चाहिए।</p> <p>a. परिवार का विवरण</p> <p>b. पीड़ित कितने समय से लापता है</p> <p>c. पीड़ित से अंतिम बार कब संपर्क हुआ था</p> <p>d. मानव व्यापारी के विवरण, यदि परिवार को पता हों</p> <p>e. परिवार द्वारा पीड़ित का पता लगाने के लिए किए गए उपाय / स्थानीय पुलिस स्टेशन में जो भी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई हो वह</p> <p>f. यह अनुशंसा कि यदि पीड़ित को वापस उसके परिवार को सौंपा जाता है तो परिवार उसकी देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम है या नहीं।</p> <p>g. यह सिद्ध करने वाले दस्तावेज़ कि ढूँढे गया परिवार ही पीड़ित के जैविक माता-पिता हैं।</p> <p>गृह सत्यापन रिपोर्ट बचाव के समय से 72 घंटों के भीतर शुरू कर दी जानी चाहिए और बचाव के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर गृह सत्यापन रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दी जानी चाहिए।</p> <p>अवैध यौन व्यापार से बचाए जा रहे पीड़ित का विवरण, पीड़ित को कलंक/लांछन से बचाने के लिए, परिवार के सामने प्रकट नहीं किया जा सकता है।</p> <p>NGO के देखभाल कर्मियों की भूमिका यह है कि वे गृह जाँच संचालित करें, अनुशंसाएँ लिखें और स्थिति-अनुसार मैजिस्ट्रेट और/या CWC के सामने रिपोर्ट पेश करें। ऐसा करने के लिए, देखभाल कर्मियों को सभी संबंधित पक्षों के साथ कार्य करना होता है, जैसे पीड़ित, पीड़ित का परिवार, और परीवीक्षा अधिकारी। देखभाल कर्मों को गृह सत्यापन प्रक्रिया के संचालन में किसी भागीदार संगठन के साथ तालमेल भी करना पड़ सकता है।</p> | <p>अधिवक्ता को संबंधित अधिकारियों से JJA की धाराओं 31 और 36 के तहत सामाजिक जाँच करवाने का अनुरोध करना चाहिए। अधिवक्ता को, गृह सत्यापन रिपोर्ट जमा होने से पहले, बचाए गए किसी भी व्यक्ति को किसी को भी (माता-पिता और रिश्तेदार शामिल) सौंपे जाने का विरोध करना चाहिए।</p> |

### सस्मरणीय बिंदु

**NGO मैजिस्ट्रेट से गृह अध्ययन के संचालन की अनुमति माँग सकता है:** जब मैजिस्ट्रेट गृह अध्ययन रिपोर्ट का आदेश दें तब NGO मैजिस्ट्रेट से पीड़ित के लिए गृह सत्यापन रिपोर्ट संचालित करने की अनुमति माँग सकता है। NGO को पीड़ित के परिवार और सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित विवरणों के सत्यापन के बाद एक भली-भाँति दस्तावेज़ीकृत गृह सत्यापन रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए।

**गृह सत्यापन रिपोर्ट जमा करने की समयरेखा:** गृह जाँच रिपोर्ट बचाव अभियान से 21 दिनों के भीतर जमा कर देनी चाहिए।<sup>108</sup> यदि पीड़ित वयस्क है और वह आश्रय गृह में रिकवरी सहायता का विकल्प चुनता है, तो मैजिस्ट्रेट रिपोर्ट पूरी करने के लिए NGO को अधिक समय दे सकते हैं। यदि पीड़ित अवयस्क है, तो सामाजिक जाँच रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर पूरी करनी आवश्यक है, और CWC के लिए यह आवश्यक है कि वह उसके सामने बच्चे को पहली बार पेश किए जाने के समय से चार माह के भीतर अंतिम आदेश जारी कर दे। अधिक जानकारी के लिए JJA की धारा 36 देखें।

**गृह सत्यापन रिपोर्ट/सामाजिक जाँच रिपोर्ट का लक्ष्य:** गृह सत्यापन रिपोर्ट/सामाजिक जाँच रिपोर्ट का लक्ष्य पीड़ित के परिवार के बारे में जानकारी इकट्ठी करके यह अनुशंसा करना है कि परिवार अपनी बेटी या अपने बेटे की देखभाल के लिए उपयुक्त है या नहीं। रिपोर्ट में परिवार की इच्छा और पीड़ित की इच्छा प्रस्तुत की जाती है। इसके आधार पर, NGO रिहाई या सुरक्षात्मक अभिरक्षा के लिए अपनी अनुशंसाएँ मैजिस्ट्रेट और/या CWC को देता है। रिपोर्ट की अनुशंसाओं के आधार पर: यह सुनिश्चित करना अच्छा रहता है कि देखभाल की अनुशंसाएँ निम्नलिखित पर आधारित हों: (1) पीड़ित की सूचित इच्छा, (2) परिवार की इच्छा, (3) NGO द्वारा मानव व्यापार में परिवार की संलिप्तता का और घर के माहौल का पेशेवर आकलन, और (4) सर्वोत्तम रिकवरी प्रक्रिया के लिए परीवीक्षा अधिकारी द्वारा सुझाए गए विकल्प।

**सामान्य अनुशंसाएँ:**

- यदि परिवार अपनी बेटी/बहू को या पति अपनी पत्नी को स्वीकारने को तैयार हो और गृह सत्यापन रिपोर्ट में रिहाई की अनुशंसा की गई हो, तो देखभाल गृह में समय बिताने की कोई अनुशंसा न करें।
- सामान्य तौर पर, देखभाल संगठन को यह अनुशंसा करनी चाहिए कि मैजिस्ट्रेट और/या CWC पीड़ितों को उनके बच्चों के साथ फिर से एक कर दें, चाहे उन्हें रिहा किया जा रहा हो या सुरक्षात्मक अभिरक्षा में भेजा जा रहा हो।
- यह तथ्य कि पीड़ित अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए काम करने पर मजबूर है, सुरक्षात्मक अभिरक्षा की अनुशंसा के लिए पर्याप्त नहीं है।
- गृह सत्यापन रिपोर्ट में परिवार की वित्तीय स्थिति, या पारिवारिक तनाव के कारणों (जैसे, पदार्थ दुरुपयोग) के आधार पर सुरक्षात्मक अभिरक्षा की अनुशंसा नहीं की जानी चाहिए। यदि परिवार पीड़ित को स्वीकारने को तैयार है और पीड़ित परिवार में लौटना चाहता है तो इस बात की संभावना बहुत कम है कि मैजिस्ट्रेट पीछे बताए गए आधारों पर विचार करेंगे।

**रिहाई की अनुशंसाएँ निम्नलिखित पर आधारित होनी चाहिए:**

- पीड़ित की अपने परिवार के पास/पति के पास/ लौटने या स्वतंत्र रूप से रहने की इच्छा
- परिवार द्वारा अपनी बेटी/बहू या पति द्वारा अपनी पत्नी को वापस घर में स्वीकारने की इच्छा।
- पीड़ित का अपने बच्चों के साथ फिर से रह पाने में समर्थ होना।
- परिवार/पति का मानव व्यापार में संलिस न होना या पीड़ित की वेश्यावृत्ति में संलिप्तता से लाभ न कमाया होना।
- परिवार/पति का अपनी बेटी/बहू/पत्नी की देखभाल और संरक्षण में समर्थ होना।

#### और जानें तथा क़दम उठाएँ

**गृह सत्यापन अध्ययन कैसे संचालित करें और रिपोर्ट कैसे जमा करें:** गृह जाँच रिपोर्ट के नमूने के लिए **परिशिष्ट 29** देखें।

<sup>108</sup> अनैतिक दुर्यापार (निवारण) अधिनियम), 1956, धारा 17(3)।

### चरण 3.5 पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करना

समयसीमा: पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने में एक से तीन माह लग सकते हैं।

| NGO                                                                                                                                                                         | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO को क्षतिपूर्ति के आवेदन दायर करने में अधिवक्ता की सहायता करनी चाहिए और जब पीड़ितों को उपयुक्त मंचों के समक्ष उपस्थित होने को बुलाया जाए तो उनके साथ जाना चाहिए।         | अधिवक्ता को उपयुक्त मंच के समक्ष पीड़ित की ओर से क्षतिपूर्ति के आवेदन दायर करने चाहिए।                                                                                                                         |
| व्याख्या                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |
| NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्षतिपूर्ति जल्द-से-जल्द दे दी जाए और अधिवक्ता को किसी भी आवेदन के लिए जो भी जानकारी चाहिए वह उन्हें अधिवक्ता को देनी चाहिए। | अधिवक्ता को राज्य और केंद्र सरकार के स्तरों पर पीड़ित क्षतिपूर्ति के कानूनों से परिचित होना चाहिए। अधिवक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे आवेदन जल्द-से-जल्द किए जाएँ और क्षतिपूर्ति जल्द-से-जल्द मिले। |

#### और जानें तथा कदम उठाएँ

बचाए गए पीड़ितों के पुनर्वास के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के बारे में जानने के लिए अध्याय 6 देखें।

**अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों की क्षतिपूर्ति के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय विधि (केस कानून):** बुद्धदेव कर्मस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य<sup>109</sup> बचाए गए यौन कर्मियों के पुनर्वास और उनकी क्षतिपूर्ति से संबंधित एक निर्णय है। निर्णय का पाठ्य यहाँ पढ़ा जा सकता है।

**पीड़ित क्षतिपूर्ति योजनाएँ:** ऐसी कई योजनाएँ हैं जिनके तहत अवैध यौन व्यापार के पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं:

- **उज्ज्वला:** उज्ज्वला अवैध यौन व्यापार रोकने और वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए मानव व्यापार के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण की एक व्यापक योजना है। इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत 2007 में शुरू किया गया था और कई NGO ने इसे कार्यान्वित किया है। यह योजना “बुनियादी सुविधाएँ/ज़रूरतें जैसे आश्रय, भोजन, कपड़े, चिकित्सीय उपचार जिनमें परामर्श शामिल है, कानूनी सहायता व मार्गदर्शन और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के द्वारा पीड़ितों को तात्कालिक और दीर्घकालिक, दोनों प्रकार की पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने” का प्रयास करती है। यह योजना पीड़ितों को अपने परिवारों में बहाल किए जाने के दौरान मार्ग में आने वाली यात्रा लागतों की पूर्ति के लिए वित्तपोषण भी देती है और हर पीड़ित को “प्रारंभिक धन” के रूप में ₹5,000.00 की राशि भी देती है। 2013 में उज्ज्वला योजना के तहत 116 नई परियोजनाएँ विचाराधीन ली गई थीं और उनमें से 63 परियोजनाएँ स्वीकृत हो चुकी हैं। इस अवधि में ₹14.97 करोड़ की राशि जारी हो चुकी है। जिन राज्यों में उज्ज्वला योजना स्वीकृत हो चुकी है उनके बारे में और जानकारी के लिए यह वेबसाइट देखें: <https://wcd.nic.in/schemes/ujjawala-comprehensive-scheme-prevention-trafficking-and-rescue-rehabilitation-and-re>.
- **स्वाधार गृह:** यह योजना कठिन परिस्थितियों में फँसी महिलाओं के लिए है जिसे वर्ष 2001-2002 के दौरान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत आरंभ किया गया है। स्वाधार गृह योजना “परिवार में अनबन, अपराध, हिंसा, मानसिक तनाव, सामाजिक बहिष्कार के कारण बेघर हो चुकीं या वेश्यावृत्ति में जबरन धकेले जाने के कारण नैतिक खतरे में पड़ चुकीं महिलाओं और लड़कियों को अस्थायी आवास, रखरखाव और पुनर्वास सेवाएँ प्रदान करने” के लिए बनाई गई है। स्वाधार गृह योजना की लाभार्थियों में अवैध यौन व्यापार/मानव व्यापार की पीड़ित वे महिलाएँ/लड़कियाँ शामिल हैं जिन्हें वेश्यालयों से या उनके शोषण के अन्य स्थानों से बचाया गया था या वे वहाँ से भाग निकली थीं।
- **NALSA की वाणिज्यिक यौन शोषण पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना:** इस योजना के बारे में जानकारी उनकी वेबसाइट पर है: [https://nalsa.gov.in/sites/default/files/document/VC\\_SCHEME.pdf](https://nalsa.gov.in/sites/default/files/document/VC_SCHEME.pdf).

<sup>109</sup> Supreme Court, Criminal Appeal No. 135 of 2010, [2011] 10 S.C.R. 577.

- **बंधुआ श्रमिक पुनर्वास केंद्रीय क्षेत्र योजना 2016:**<sup>110</sup> इस योजना के खंड 5(iv) के तहत, वंचित रखे या हाशिये पर धकेले जाने की चरम स्थितियों वाले बंधुआ या बलात् श्रम के मामलों में, जैसे वेश्यालय, मसाज पार्लर, प्लेसमेंट एजेंसी आदि तथाकथित यौन शोषण से बचाए गए ट्रांसजेंडर या महिलाएँ या बच्चे, मानव व्यापार के मामलों में, दिव्यांगजनों के मामले में, या जहाँ ज़िलाधिकारी उचित समझें उन अन्य परिस्थितियों में, हर लाभार्थी के लिए पुनर्वास सहायता ₹3 लाख होगी, जिसमें से कम-से-कम ₹2 लाख लाभार्थी के नाम पर किसी वार्षिकी योजना में जमा किए जाएँगे और ₹1 लाख ECS के ज़रिए लाभार्थी के खाते में भेजे जाएँगे।

### चरण 3.6 अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों को वापस घर पहुँचाना या उनका पुनर्वास करना

समयसीमा: अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों को वापस घर पहुँचाने या उनका पुनर्वास करने की प्रक्रिया में छः माह से एक वर्ष तक लग सकता है।

| NGO                                                         | अधिवक्ता                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO को पीड़ितों की सुरक्षित घर वापसी में सहायता करनी चाहिए। | अधिवक्ता को पीड़ित की घर वापसी से जुड़े कानूनी मामलों के बारे में पीड़ित और NGO को सलाह और सहायता देनी चाहिए। |

| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सामाजिक स्वीकार्यता और परिवार का सहयोग सुनिश्चित किए बिना किसी भी बचाए गए पीड़ित को वापस उसके परिवार के पास नहीं भेजना चाहिए ताकि दोबारा मानव व्यापार और शोषण से बचा जा सके।                                                                                                                                                                                                                                                               | अधिवक्ता को किशोर न्याय अधिनियम की धाराओं 31 और 38 के तहत पीड़ित की संपूर्ण घर वापसी/पुनः एकीकरण के लिए सभी ज़रूरी आवेदन तैयार करने चाहिए। |
| यदि कोई परिवार पीड़ित को देखभाल और सुरक्षा देने में अक्षम है तो CWC/न्यायिक दंडाधिकारी (ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट) परामर्श, शिक्षण, और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अतिरिक्त पुनर्वास के लिए सुरक्षात्मक गृह में ठहराव की अवधि बढ़ाने का आदेश दे सकते हैं। NGO संबंधित देखभाल गृह को सभी ज़रूरी दस्तावेज़ इकट्ठे करने में और सरकार पर प्रक्रिया का फॉलो-अप करने का दबाव डालने में मदद देकर इस प्रशासनिक प्रक्रिया में सहायता कर सकता है। |                                                                                                                                            |

संस्मरणीय बिंदु

**सीमापार/अंतरराज्यीय अवैध व्यापार:** सीमापार या अंतरराज्यीय मानव व्यापार के मामले में, देशों के हितधारकों और NGO को बचाए गए पीड़ितों को तुरंत उनके मूल देश वापस भेजने के प्रभावी उपाय करने चाहिए।

**नेपाल या बांग्लादेश को वापसी:** नेपाल या बांग्लादेश को सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना चाहिए:

1. सबसे पहले, नेपाल और बांग्लादेश के वाणिज्य महादूत (कौंसल जनरल) से मुलाकात करें। NGO प्रतिनिधियों को कौंसल के प्रतिनिधियों को अपना परिचय और मामले की जानकारी देनी चाहिए। वाणिज्य दूतावास (कौंसुलेट) से संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। हर कौंसुलेट के अपने कुछ नियम और विनियम होते हैं जिनके तहत वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाती है। NGO प्रतिनिधियों का उक्त प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज़ों से परिचित होना ज़रूरी है। NGO प्रतिनिधियों को वापसी की प्रक्रिया को आरंभ से अंत तक पूरा करने के लिए CWC और कौंसुलेटों के बीच एक संपर्क का कार्य करना चाहिए।
2. NGO प्रतिनिधियों को यह अनुरोध करना चाहिए कि CWC गृह अध्ययनों का आदेश दे और, गृह अध्ययन रिपोर्ट पूरी हो जाने पर, गृह अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर वापसी का आदेश जारी करें।

<sup>110</sup> योजना यहाँ उपलब्ध: <[http://labour.gov.in/sites/default/files/OM\\_CSS\\_Rehab\\_BL\\_2016.pdf](http://labour.gov.in/sites/default/files/OM_CSS_Rehab_BL_2016.pdf)>

3. NGO प्रतिनिधियों को गृह अध्ययन के संचालक NGO से भी संबंध बनाने चाहिए। NGO प्रतिनिधियों को विश्वसनीय संगठनों डेटाबेस बनाकर रखना चाहिए और CWC से यह संस्तुति करनी चाहिए कि गृह अध्ययन के संचालन और वापसी में सहायता के लिए वह इन संगठनों से संपर्क करे।

अंतरराष्ट्रीय वापसी के लिए ज़रूरी महत्वपूर्ण दस्तावेज़: निम्नलिखित एजेंसियों से निम्नलिखित दस्तावेज़ चाहिए होते हैं:

- राष्ट्रीयता का सत्यापन – मूल देश
- वापसी का आदेश और सहमति पत्र – गृह मंत्रालय, भारत
- अनापत्ति प्रमाणपत्र – महाराष्ट्र में महिला एवं बाल विकास विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, DWCD) के ज़िला कार्यालय और राज्य कार्यालय
- यात्रा दस्तावेज़ – मूल देश
- रिहाई आदेश – देखभाल गृह
- यात्रा हेतु स्वीकृति की अधिसूचना – विदेशी पंजी कार्यालय (फ़ॉरेन रजिस्ट्री ऑफ़िस), राज्य सरकार
- भारत छोड़ने की अनुमति – भारत सरकार
- मूल देश से मूल देश में पुनः प्रवेश की अनुमति लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। यदि बचाए गए व्यक्ति का देश उसे अपना नागरिक मानने को तैयार नहीं है तो भारत सरकार उस व्यक्ति की वापसी के लिए अधिक कुछ नहीं कर सकती है। NGO यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि मूल देश बचाए गए व्यक्ति की राष्ट्रीयता को मान्यता दे सके और उसकी वापसी की अनुमति देने पर सहमत हो जाए।

NGO को सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों की प्रतियाँ माँगनी चाहिए। NGO को सभी संबंधित पक्षों को बचाए गए व्यक्ति के बारे में ज़रूरी जानकारी देनी चाहिए।

### चरण 3.7 सरकारी पात्रताओं तक पहुँचना सुगम बनाना

| समयसीमा: सरकारी पात्रताओं तक पहुँचना सुगम बनाने की प्रक्रिया में 12 माह तक लग सकते हैं।                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | अधिवक्ता                                                                                                                                                                                         |
| NGO को नक़दी (बंधुआ श्रम और वेश्यालय आदि से बचाए गए पीड़ितों के पुनर्वास के लिए हाल ही में नवीनीकृत CSS-2021 के तहत ₹3,00,000.00) और गैरनक़दी घटकों जैसे शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श आदि से संबंधित सरकारी पात्रताओं, और अन्य पात्रताओं तक पहुँचने में अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए। | यदि उक्त सरकारी पात्रताओं से अनुचित ढंग से मना कर दिया जाए तो अधिवक्ता को सरकारी एजेंसियों से उक्त पात्रताएँ प्रदान करने की प्रार्थना करने में NGO और CSE पीड़ितों को क़ानूनी सहायता देनी चाहिए। |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |
| NGO पीड़ितों को सरकारी पात्रताओं तक पहुँचने में मदद देने में एक मुख्य भूमिका निभा सकता है। NGO को अधिवक्ता से सरकारी पात्रताएँ पाने के बारे में पीड़ितों को प्रशिक्षण प्रदान करने का अनुरोध करना चाहिए।                                                                                                                  | अधिवक्ता को बचाए गए व्यक्तियों को उनके अधिकारों के बारे में और उपलब्ध संसाधनों तक पहुँचने के रास्तों के बारे में जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाना चाहिए।                                          |

### और जानें तथा क़दम उठाएँ

सरकारी पात्रताएँ नियमावली: सरकारी पात्रताओं तक पहुँचने की विस्तृत, चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका के लिए, इमैनुअल हॉस्पिटल एसोसिएशन की वेबसाइट <https://www.eha-health.org/downloads/category/9-advocacy-manuals><sup>111</sup> पर पक्षधरता नियमावलियाँ (Advocacy Manuals) देखें।

विधिक सेवाएँ प्राधिकरण (लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, LSA): यदि NGO कुछ सरकारी पात्रताओं तक पहुँचने में बचाए गए व्यक्ति की सहायता करने में विफल रहता है, तो NGO और बचाया गया व्यक्ति स्थानीय विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के कार्यालय से मुफ़्त क़ानूनी सहायता ले सकते हैं। विधिक सेवाएँ प्राधिकरण की भूमिका के बारे में और जानने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवाएँ प्राधिकरण की वेबसाइट <http://nalsa.gov.in/actrules.html> पर विधिक सेवाएँ प्राधिकरण अधिनियम, 1987 पढ़ें।

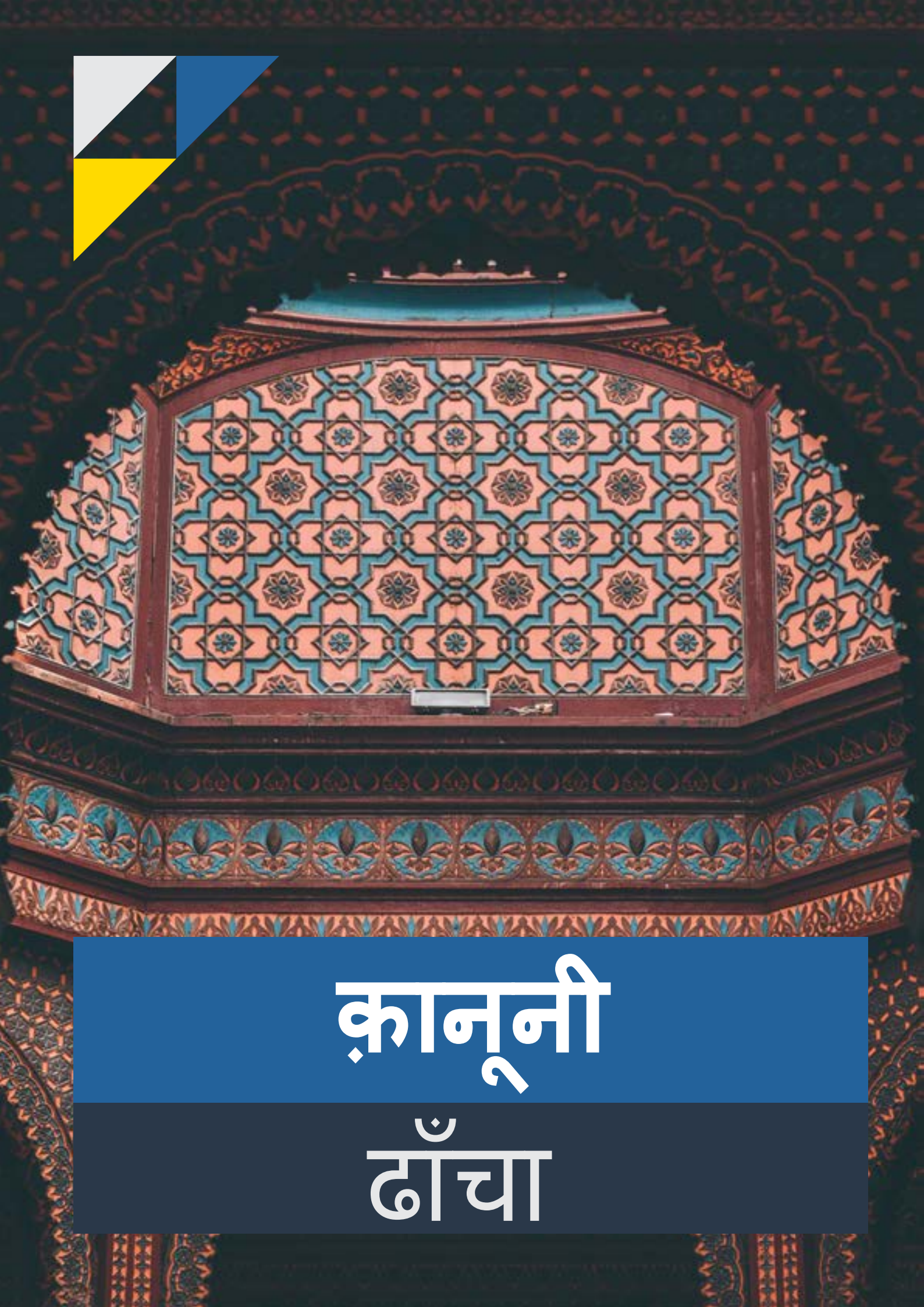
### चरण 3.8 निजी क्षेत्र के संसाधनों की पहुँच सुगम बनाना

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| समयसीमा: सरकारी पात्रताओं तक पहुँचना सुगम बनाने की प्रक्रिया में 12 माह तक लग सकते हैं।                                                                                                                                                                                                      |
| NGO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| निजी क्षेत्र के संसाधनों की पहुँच सुगम बनाने की प्रक्रिया में तीन माह से से एक वर्ष तक का समय लग सकता है।                                                                                                                                                                                    |
| व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| NGO प्रतिनिधि ऐसे भागीदार संगठनों और संबंधित हितधारकों जो वैकल्पिक आजीविका, अंतरिम आश्रय, दस्तावेज़, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श और अन्य सहायताओं की प्राप्ति में मदद के रूप में विशेषज्ञ देखभाल प्रदान कर सकते हैं, से संबंध स्थापित करके निजी सुविधाओं तक पहुँचना सुगम बना सकते हैं। |

### चरण 3.9 पीड़ितों की स्थायी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना

| समयसीमा: पीड़ितों की स्थायी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में दो वर्ष से भी अधिक समय लग सकता है।                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अधिवक्ता                                                                                                                                                    |
| NGO को पीड़ितों का पुनः मानव व्यापार रोकने और उनका पुनः एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित जानकारी और दस्तावेज़ सरकारी अधिकारियों को प्रदान करने में उनके साथ निकटता से कार्य करना चाहिए। NGO को आवश्यकतानुसार समय-समय पर आवश्यक फ़ॉलो अप करना चाहिए।                                                                                                                                | अधिवक्ता को पीड़ितों के लिए प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने में मदद देकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे अपने अधिकार जानें और उनका पुनः मानव व्यापार न होने पाए। |
| बचाए गए पीड़ितों को उनके कल्याण लाभ और क्षतिपूर्ति मिले यह सुनिश्चित करने के लिए NGO को परिवार के आकलन करने चाहिए, हर पीड़ित की परिस्थिति के अनुसार अलग उपचार योजना तैयार करनी चाहिए, और ज़िला प्रशासन के साथ समीपता से कार्य करना चाहिए। NGO को पीड़ितों को उनके अपने-अपने अलग बैंक खाते खोलने में भी मदद देनी चाहिए क्योंकि सरकारी क्षतिपूर्ति के चेक इन्हीं खातों में जमा होते हैं। |                                                                                                                                                             |

<sup>111</sup> इमैनुअल हॉस्पिटल एसोसिएशन द्वारा विकसित और हाल ही में JVI द्वारा अपडेट की गई।



# क़ानूनी ढाँचा

मानव व्यापार की आपराधिकता के संबंध में कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय क़ानून हैं। हालाँकि अधिकतर अंतरराष्ट्रीय क़ानून और प्रसंविदाएँ किसी देश विशेष पर तब तक बाध्यकारी नहीं हैं जब तक उसने उन्हें लागू करने की संधि या समझौते का अनुसमर्थन न कर दिया हो, पर वे राष्ट्रीय नीति और क़ानूनों के निर्धारण में प्रभावकारी भूमिका अवश्य निभाते हैं। नीचे वे अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाएँ और समझौते, क्षेत्रीय प्रसंविदाएँ और समझौते, तथा भारतीय क़ानून दिए जा रहे हैं जो मानव व्यापार को प्रभावित करते हैं।

## A. मानव व्यापार से संबंधित अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदाएँ और समझौते

संयुक्त राष्ट्र (यूनाइटेड नेशन्स, “UN”) 193 देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें भारत भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के समर्थन और मार्गदर्शन के तहत अपनाए गए समझौते और अन्य लिखतें अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों और समझौतों के मुख्य स्रोतों में से एक हैं।

अंतरराष्ट्रीय क़ानून आधुनिक दासता से लड़ने का एक शक्तिशाली साधन है क्योंकि इससे वह ढाँचा मिलता है जिसके भीतर कोई देश इस समस्या के हल की दिशा में प्रभावशाली कदम उठाने के लिए अपने क़ानूनों को परिभाषित करता है। हालाँकि, अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों को लागू किया जाना इस बात पर निर्भर करता है कि देश विशेष (“राज्य पक्ष”) ने अंतरराष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर और उसका अनुसमर्थन किया है या नहीं। ऐसे कई समझौते और लिखतें हैं जो आधुनिक दासता से लड़ने से संबंधित क़ानूनी ढाँचे का हिस्सा बनते हैं।

इनमें से सबसे प्रासंगिक लिखतों का वर्णन बॉक्स 1 में किया गया है (इन लिखतों के शब्दों के बारे में और विस्तार से जानने के लिए, कृपया परिशिष्ट 34 देखें)।



### बॉक्स 1: आधुनिक दासता से संबंधित प्राथमिक अंतरराष्ट्रीय समझौते और अन्य संसाधन

- मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, अनुच्छेद 4
- अंतरराष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्रसंविदा, अनुच्छेद 6
- अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा, अनुच्छेद 6, 7, और 12
- व्यक्तियों के, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के, व्यापार की रोकथाम, का दमन, और को दंडित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का प्रोटोकॉल
- महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति का समझौता
- व्यक्तियों के व्यापार और अन्य व्यक्तियों की वेश्यावृत्ति के शोषण के दमन का समझौता
- बाल अधिकारों पर समझौता
- बाल श्रम के निकृष्टतम रूपों पर समझौता
- बलात् श्रम उन्मूलन समझौता
- कुछ चुनिंदा संबंधित संसाधन बॉक्स 2 में हैं (अतिरिक्त संसाधन परिशिष्ट 34 में हैं)।

बॉक्स 2: आधुनिक दासता से संबंधित अंतरराष्ट्रीय क़ानूनी ढाँचे के लिए अतिरिक्त संसाधन

- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का, रोज़गार में प्रवेश की न्यूनतम आयु से संबंधित समझौता (समझौता सं. 138)
- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का, रोज़गार हेतु प्रवासन से संबंधित समझौता (समझौता सं. 97)
- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का, दुर्य्यवहारी स्थितियों में प्रवासन और प्रवासी कर्मियों के अवसरों और व्यवहार की समानता को प्रोत्साहन से संबंधित समझौता (समझौता सं. 143)
- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का, निजी रोज़गार एजेंसियों से संबंधित समझौता (समझौता सं. 181)
- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का, उद्योग और वाणिज्य में श्रम निरीक्षण से संबंधित समझौता (समझौता सं 81)
- 1923 का दासता समझौता और उस समझौते को संशोधित करने वाला प्रोटोकॉल
- दासता, दास व्यापार, और दासता से मिलती-जुलती संस्थाओं और प्रथाओं के उन्मूलन का पूरक समझौता
- सभी प्रवासी कर्मियों एवं उनके परिजनों के अधिकारों की सुरक्षा का अंतरराष्ट्रीय समझौता, अनुच्छेद 8, 11, 16-17 और 39
- शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित समझौता और शरणार्थियों की स्थिति से संबंधित प्रोटोकॉल
- प्रताड़ना और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या दंड के विरुद्ध समझौता
- घरेलू कर्मियों के लिए शालीन कार्य से संबंधित समझौता

B. क्षेत्रीय प्रसंविदाएँ और समझौते

भारत भी क्षेत्रीय संगठनों का सदस्य है। ऐसी ही एक संस्था है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (साउथ एशियन एसोसिएशन फ़ॉर रीजनल को-ऑपरेशन, सार्क या “SAARC”) जिसके सदस्य हैं अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, और श्री लंका।

मानव व्यापार से संबंधित सार्क समझौते नीचे दिए गए हैं:

| क्षेत्रीय समझौते                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार की रोकथाम करने और उससे लड़ने का सार्क समझौता। <sup>112</sup> | अनुच्छेद 3: समझौते के पक्ष राज्य यह सुनिश्चित करने के प्रभावी उपाय करेंगे कि उनके अपने-अपने आपराधिक क़ानून में किसी भी प्रकार का मानव व्यापार एक अपराध हो और वे उक्त अपराध को ऐसे उपयुक्त दंडों से दंडनीय बनाएँगे जिनमें ऐसे अपराधों की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखा गया हो। |

C. राष्ट्रीय क़ानून

<sup>112</sup> यहाँ उपलब्ध: <https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india>.

भारत का संविधान मानव व्यापार को निषिद्ध करता है। साथ ही, आधुनिक दासता जैसे बाल श्रम, बंधुआ श्रम, किशोर न्याय एवं संरक्षण, बाल विवाह, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे हाशिये पर मौजूद समूहों का अवैध यौन व्यापार और शोषण आदि के पहलुओं से संबंधित कई क़ानून हैं।

भारत का संविधान<sup>113</sup>

भारत का संविधान राज्य, न्यायालयों, और देश के कानूनों की कार्यपद्धति का बुनियादी क़ानूनी ढाँचा प्रदान करता है। संविधान में निहित अधिकार अंतर्भूत हैं और देश के हर व्यक्ति के हैं। भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकार और भाग 4 में दिया गया निदेशक सिद्धांत मानव व्यापार से संबंधित मुद्दों को संबोधित करते हैं।

संविधान में मौजूद मानव व्यापार से संबंधित उपबंध नीचे दिए गए हैं:

| अनुच्छेद       | उपबंध                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अनुच्छेद 23(e) | मानवों के व्यापार और बलात् श्रम को निषिद्ध करता है, और यह प्रावधान करता है कि वह क़ानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।                                                                                  |
| अनुच्छेद 24    | 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की कारखानों, खानों और अन्य ख़तरनाक रोज़गारों में नियुक्ति निषिद्ध करता है।                                                                                                |
| अनुच्छेद 39(e) | यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सामर्थ्य का दुरुपयोग न किया जाए और कोई भी व्यक्ति आर्थिक आवश्यकता के कारण ऐसा कार्य करने पर विवश न हो जो उसकी आयु या सामर्थ्य के लिए अनुपयुक्त है। |
| अनुच्छेद 39(f) | बचपन और युवावस्था को शोषण के विरुद्ध संरक्षण मिलना चाहिए।                                                                                                                                             |
| अनुच्छेद 42    | राज्य कार्य की उचित व मानवीय स्थितियाँ प्रदान करेगा।                                                                                                                                                  |
| अनुच्छेद 51(c) | अंतरराष्ट्रीय क़ानून से उत्पन्न दायित्वों के सम्मान को अनिवार्य करता है। अंतरराष्ट्रीय क़ानून के किसी उल्लंघन के लिए न्यायालय जाने पर यह अनुच्छेद विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है।                 |

भारतीय दंड संहिता, 1860 (इंडियन पीनल कोड, “IPC”)

भारतीय दंड संहिता, भारत की आपराधिक विधि (क़ानूनों) का एक भाग है और मानव व्यापारियों और शोषकों पर अभियोजन चलाने के लिए इसके उपबंधों का उपयोग होना चाहिए। IPC की संबंधित धाराओं को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको किसी भी मानव व्यापार के मामले में अभियोजन शुरू करवाने के लिए प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट या FIR) दायर करते समय संबंधित धाराएँ शामिल करनी चाहिए।

आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 2013 ने महिलाओं पर हिंसा से संबंधित कई नए अपराध घोषित किए। IPC की धारा 370 के स्थान पर नई धाराएँ 370 और 370 A शामिल की गई हैं, जो शोषण के लिए व्यक्ति के व्यापार से संबंधित हैं। मानव व्यापार की परिभाषा काफ़ी हद तक UN की मानव व्यापार की प्रोटोकॉल परिभाषा जैसी ही है, बस इतना अंतर है कि इसमें बलात् श्रम और सेवाएँ मौजूद नहीं हैं।

11 अगस्त, 2018 को, राष्ट्रपति ने आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 2018 को अनुमति दी। इस क़ानून ने दंड संहिता की धारा 376 को संशोधित करके अवयस्क लड़कियों से बलात्कार की न्यूनतम सज़ा बढ़ा दी। IPC में अवयस्क लड़कों से बलात्कार की सज़ा में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिसके कारण लिंगों के बीच असमानता बढ़ी है। उक्त क़ानून ने बारह वर्ष से कम आयु की किसी भी महिला से बलात्कार के लिए न्यूनतम बीस वर्ष के कारावास की सज़ा का प्रावधान किया, जिसे आजीवन कारावास या मृत्यु दंड तक बढ़ाया जा सकता है। सोलह वर्ष से कम आयु की महिला से बलात्कार के लिए भी आजीवन कारावास की सज़ा दी जा सकती है।

बॉक्स 2: आधुनिक दासता से संबंधित अंतरराष्ट्रीय क़ानूनी ढाँचे के लिए अतिरिक्त संसाधन

<sup>113</sup> Available at: <https://www.india.gov.in/my-government/constitution-india>

- (1) जो भी व्यक्ति शोषण के प्रयोजन से धमकियों के उपयोग या बल के उपयोग या दबाव के किसी अन्य रूप के उपयोग द्वारा, या अपहरण द्वारा, या धोखाधड़ी करके, या छल-कपट से, या शक्ति के दुरुपयोग द्वारा, या प्रलोभन द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों: (a) की भर्ती करता है, (b) का परिवहन करता है, (c) को आश्रय देता है, (d) का स्थानांतरण करता है, या (e) को प्राप्त करता है वह मानव व्यापार का अपराध करता है; प्रलोभन में, जिस व्यक्ति की भर्ती की गई है, जिसका परिवहन किया गया है, जिसे आश्रय दिया गया है, जिसे स्थानांतरित किया गया है, या जिसे प्राप्त किया गया है उस व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले किसी व्यक्ति की सहमति पाने के लिए भुगतानों या लाभों का देना या लेना शामिल है।

- **स्पष्टीकरण 1:** “शोषण” शब्द में शारीरिक शोषण के सभी कृत्य या यौन शोषण के सभी रूप, दासता या दासता जैसी प्रथाएँ, दासत्व, या बलपूर्वक अंग निकालना शामिल होगा।

- **स्पष्टीकरण 2:** मानव व्यापार के अपराध के निर्धारण में पीड़ित की सहमति का कोई महत्व नहीं है।

धारा 370 मानव व्यापार के किसी भी चरण में संलिप्त व्यक्ति पर लगाई जा सकती है। “शोषण” का अर्थ व्यापक है और इसे कई मामलों पर लागू किया जा सकता है। स्पष्टीकरण 2 के अनुसार, आपको यह सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है कि पीड़ित की सहमति नहीं थी। धारा 370 के तहत विहित सज़ाएँ, अपराध और पीड़ित की आयु के आधार पर अलग-अलग होती हैं।

निम्नलिखित के लिए अधिक सज़ा का प्रावधान है: (1) बच्चों (वे जो 18 वर्ष से छोटे हैं) का व्यापार; (2) बार-बार अपराध करने वाले व्यक्ति या वे व्यक्ति जो एक साथ एक से अधिक व्यक्ति का व्यापार करते हैं; और (3) मानव व्यापार में संलिप्त सरकारी कर्मचारी, जिनमें पुलिस अधिकारी शामिल हैं। पर हाँ, ध्यान दें कि धारा 370A मानव व्यापार के केवल उन पीड़ितों पर लागू होती है जिनका यौन शोषण हुआ है।<sup>114</sup>

नीचे दी गई तालिका में IPC के वे विविध उपबंध बताए गए हैं जो मानव व्यापार और आधुनिक दासता के अन्य रूपों पर लागू होते हैं:<sup>115</sup>

| धाराएँ  | उपबंध                                              |
|---------|----------------------------------------------------|
| 366A    | अवयस्क लड़कियों की दलाली/आपूर्ति/प्राप्ति          |
| 366B    | यौन शोषण के लिए 21 वर्ष से कम आयु की लड़की का आयात |
| 367     | अपहरण/बहला-फुसलाकर ले जाना                         |
| 371     | दासों की आदतन खरीद-बिक्री                          |
| 372     | वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से अवयस्क को बेचना         |
| 373     | वेश्यावृत्ति के लिए अवयस्क को खरीदना               |
| 374     | किसी व्यक्ति को श्रम पर विवश करना                  |
| 339-341 | अवैधानिक रोक/अवैधानिक कैद                          |
| 376     | यौन हमला                                           |
| 319-338 | चोट                                                |
| 349-356 | आपराधिक बल/हमला                                    |
| 415-218 | धोखाधड़ी                                           |

<sup>114</sup> धारा 370A – अवैध व्यापार से लाए गए व्यक्ति का शोषण (1) यदि कोई व्यक्ति यह जानता है या उसके पास यह मानने का कारण है कि किसी अवयस्क को अवैध व्यापार से लाया गया है और फिर भी वह उसे किसी प्रकार के यौन शोषण में संलिप्त करता है, तो उसे कम-से-कम 5 वर्षों और अधिकतम 7 वर्षों के सश्रम कारावास की सज़ा दी जाएगी; (2) यदि कोई व्यक्ति यह जानता है या उसके पास यह मानने का कारण है; (3) कि किसी व्यक्ति को अवैध व्यापार से लाया गया है और फिर भी वह उसे किसी प्रकार के यौन शोषण में संलिप्त करता है, तो उसे कम-से-कम 3 वर्षों और अधिकतम 5 वर्षों की सश्रम कारावास की सज़ा दी जाएगी।

<sup>115</sup> सुप्रा नोट 79.

## अनैतिक मानव-व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 ("ITPA")

अनैतिक मानव-व्यापार (निवारण) अधिनियम (इम्मोरल ट्रेफ़िक (प्रिवेंशन) एक्ट) विशिष्ट रूप से अवैध यौन व्यापार को अपराध घोषित करता है। यह केवल यौन शोषण के प्रयोजन से हुए मानव व्यापार से संबंधित है, अन्य प्रयोजनों जैसे घरेलू कार्य, बंधुआ श्रम, बाल श्रम और अंग निकासी आदि से हुए मानव व्यापार से नहीं। उक्त अधिनियम धन के बदले यौन कार्य के सभी लेनदेनों को अपराध घोषित नहीं करता है; हालाँकि, अधिनियम में अधिसूचित क्षेत्रों के भीतर और निर्दिष्ट अधिसूचित सार्वजनिक स्थानों के 200 मीटर के दायरे के भीतर वेश्यावृत्ति वेश्या और स्वयं के लिए सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति, दोनों के लिए दंडनीय है। यह अधिनियम संबंधित अपराधों को भी दंडनीय अपराध घोषित करता है, जैसे वेश्यालय बनाकर रखना, दलाली, किसी वेश्या की कमाई पर जीना।

### Box 3: बॉक्स 3: ITPA के तहत परिभाषाएँ

“वेश्यावृत्ति” का अर्थ वाणिज्यिक प्रयोजनों से, या धन अथवा किसी अन्य प्रतिफल के लिए, व्यक्तियों के यौन शोषण या दुरुपयोग से है।<sup>116</sup>

“वेश्यालय” में ऐसा कोई भी घर, कमरा, वाहन, स्थान, या उनका कोई भी भाग शामिल है जिसे किसी अन्य व्यक्ति के लाभ हेतु यौन शोषण या दुरुपयोग के प्रयोजनों से प्रयोग किया जाता है।<sup>117</sup>

Th

नीचे दी गई तालिका में ITPA का संक्षिप्त विवरण है:

| धाराएँ                  | उपबंध                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| धारा 3                  | वेश्यालय बनाकर रखना या उसका प्रबंधन करना या दोनों में से किसी भी कार्य में सहायता करना                                        |
| धारा 3 (2)              | परिसर का प्रयोग वेश्यालय के रूप में जानबूझकर होने देना                                                                        |
| धारा 4 (1)              | वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीना                                                                                                  |
| धारा 5                  | सहमति से या सहमति के बिना, वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति की/को दलाली/आपूर्ति/प्राप्ति करना, उसे लुभाना या उसे लेना/ले जाना |
| धारा 6 (i)              | किसी व्यक्ति को वेश्यालय में कैद करके रखना                                                                                    |
| धाराएँ 7 (1) और 7 (1-A) | किसी सार्वजनिक स्थान पर वेश्यावृत्ति करना                                                                                     |
| धारा 8                  | फुसलाना या उकसाना                                                                                                             |
| धारा 9                  | अभिरक्षा में मौजूद व्यक्ति को फुसलाना                                                                                         |
| धारा 15                 | विशेष पुलिस अधिकारियों द्वारा बिना वॉरंट तलाशी की कार्यविधियाँ                                                                |
| धारा 16                 | मैजिस्ट्रेट के निर्देशों पर बचाव                                                                                              |
| धारा 17                 | बचाए गए पीड़ित की तत्काल अभिरक्षा के संबंध में मैजिस्ट्रेट द्वारा जाँच/पूछताछ के नियंत्रक नियम                                |
| धारा 18 (1)             | वेश्यालय बंद करना और दोषियों को निकालना                                                                                       |
| धारा 19                 | न्यायालय द्वारा देखभाल और संरक्षण प्रदान किए जाने के उपबंध                                                                    |

## यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पाँक्सो/“POCSO”) अधिनियम, 2012<sup>118</sup>

यह अधिनियम बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों को गैरकानूनी घोषित करता है और इन अपराधों की जाँच और मुकदमों के लिए विशेष कार्यविधियों की रचना करता है। 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति बच्चा है, लड़के शामिल। यह अधिनियम विशेष न्यायालयों के गठन की भी संस्तुति करता है।

<sup>116</sup> धारा 2(a), ITPA, 1956.

<sup>117</sup> धारा 2(f), ITPA, 1956.

<sup>118</sup> यहाँ उपलब्ध: <https://wcd.nic.in/sites/default/files/Protection%20of%20Children%20From%20Sexual%20Offences%20%28Amendment%29%20Act%2C%202019.pdf>

## पॉक्सो अधिनियम, 2012 के तहत अपराध

- यौन हमला<sup>119</sup> - किसी भी वेधन के बिना किसी बच्चे से छेड़छाड़।
- गंभीर यौन हमला<sup>120</sup> - प्राधिकार या विश्वास की स्थिति वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी बच्चे से छेड़छाड़, अपराध दोहराव, एक से अधिक व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़, हथियारों का उपयोग करना या बच्चे को शारीरिक चोट पहुँचाना।
- वेधी यौन हमला<sup>121</sup> - किसी बच्चे का यौन वेधन।
- गंभीर वेधी यौन हमला<sup>122</sup> - प्राधिकार या विश्वास की स्थिति वाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी बच्चे का यौन वेधन, अपराध दोहराव, एक से अधिक व्यक्ति द्वारा हमला, हथियारों का उपयोग करना या बच्चे को शारीरिक चोट पहुँचाना।
- यौन उत्पीड़न<sup>123</sup> - बच्चे का शाब्दिक यौन उत्पीड़न; यौन उद्देश्य से बच्चे को अश्लील चित्र या शरीर का कोई अंग दिखाना; या बच्चे का पीछा करना।
- अश्लील प्रयोजनों से किसी भी प्रकार के माध्यम (मीडिया) में बच्चों का उपयोग और यौन संतुष्टि के लिए बच्चों का अभद्र दृश्यमान चित्रण।<sup>124</sup>
- बच्चों वाली अश्लील सामग्री का भंडारण।<sup>125</sup>
- उपर्युक्त में से किसी भी अपराध को बढ़ावा देना/को करने का प्रयास करना।<sup>126</sup>

धारा 19 के तहत, अधिनियम के तहत आने वाले किसी भी अपराध को विशेष किशोर पुलिस इकाई<sup>127</sup> या स्थानीय पुलिस स्टेशन में लिखित में दर्ज कराया जा सकता है। उन्हें मामले की सूचना 24 घंटों के भीतर बाल कल्याण समिति को देनी होगी। धारा 20 मीडिया कर्मिक, होटलों, लॉज, फोटोग्राफिक स्टूडियो और अस्पतालों के लिए बच्चों से यौन दुर्य्यवहार की सूचना पुलिस को देना अनिवार्य करती है। ऐसा नहीं करना दंडनीय है। यह अधिनियम बच्चे को अपना स्वयं का क़ानूनी परामर्शदाता/अधिवक्ता चुनने का विकल्प भी देता है।

ऊपर लिखे उपबंधों के साथ-साथ कुछ और प्रासंगिक उपबंध भी हैं जो नीचे तालिका में दिए गए हैं:

- मीडिया को बच्चे की निजता का और पहचान के अन्य विवरण का संरक्षण करना होगा, तब के सिवाय जब विशेष न्यायालय विवरण के प्रकटन की अनुमति दे।<sup>128</sup>
- बच्चे का बयान दर्ज करते समय, पुलिस अधिकारियों को वर्दी में नहीं होना चाहिए और बयान बच्चे के निवास पर या किसी ऐसे स्थान पर दर्ज किया जाएगा जहाँ वह सहज हो। बच्चे को रात में पुलिस स्टेशन में रोककर नहीं रखा जा सकता है।<sup>129</sup> (धारा 24)
- मुक़दमा, विशेष न्यायालय द्वारा उसे लिए जाने के दिनांक से 1 वर्ष के भीतर समाप्त हो जाएगा।<sup>130</sup>
- मुक़दमे के दौरान बच्चे से आक्रामक ढंग से प्रतिपरीक्षा (जिरह) नहीं की जा सकती है, उसे प्रायः ब्रेक दिए जाने चाहिए, और उसे बार-बार न्यायालय नहीं बुलाया जाना चाहिए। एकांत में कार्यवाहियाँ की जाएँगी, यानी जनता को न्यायालय में उपस्थित रहने की अनुमति नहीं होगी।<sup>131</sup>
- विशेष न्यायालय अंतरिम क्षतिपूर्ति का आदेश भी दे सकता है।

## बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976

भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 की भावना को आगे बढ़ाते हुए, संसद ने संविधान में वर्णित संरक्षणों के कार्यान्वयन के लिए बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (“BLA”) पारित किया। बंधुआ श्रम एक प्रकार का बलात् श्रम है जिसमें पीड़ित किसी अग्रिम राशि या अन्य आर्थिक प्रतिफल के बदले में, या किसी “परिपाटी” या “सामाजिक दायित्व” को पूरा करने के लिए अपना श्रम प्रदान करता है। भारत में बंधुआ श्रम को कभी-कभी “ऋण बंधन” भी कहा जाता है।

### बॉक्स 4: बंधुआ श्रम की परिभाषा<sup>132</sup>

BLA बंधुआ श्रम के दो घटक स्पष्ट करता है:

- श्रमिक कोई करार करता है या यह मान लिया जाता है कि उसने करार किया है

- बलात् या आंशिक रूप से बलात् श्रम प्रदान करने के लिए

चूँकि पहले घटक को अनुमान के आधार पर माना जा सकता है, अतः “बलात् श्रम” बंधुआ श्रम का आवश्यक घटक है।

बंधुआ श्रम का गठन किन घटकों से होता है?

## बंधुआ श्रम



किसी अग्रिम राशि के कारण  
किसी परिपाटी या सामाजिक दायित्व के कारण  
रिश्तेदार का ऋण चुकाने के लिए  
आर्थिक प्रतिफल पाने के बदले  
किसी समुदाय विशेष में जन्म के कारण



रोज़गार के लिए स्वतंत्र न होना  
आने-जाने के लिए स्वतंत्र न होना  
भुगतान न्यूनतम वेतन के मानकों से कम है  
बाज़ारों में वस्तुएँ और सेवाएँ बेचने के लिए स्वतंत्र न होना

<sup>119</sup> धारा 7, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012

<sup>120</sup> धारा 9, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012

<sup>121</sup> धारा 3, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012

<sup>122</sup> धारा 5, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012

<sup>123</sup> धारा 11, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012

<sup>124</sup> धारा 13, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012

<sup>125</sup> धारा 15, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012

<sup>126</sup> धारा 16, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012

<sup>127</sup> विशेष किशोर पुलिस इकाई (स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, SPJU): SPJU किशोर न्याय अधिनियम के तहत स्थापित की गई थीं। इन पुलिस इकाइयों का प्रयोजन, बच्चों के मामलों को संभालने वाले पुलिस कर्मियों को उन्हें संभालने से संबंधित ज्ञान और कार्यविधियों से बेहतर ढंग से लैस होने में सक्षम बनाना है। यह अधिनियम हर पुलिस स्टेशन में एक ऐसे पुलिस अधिकारी का प्रावधान करता है जिसे किशोर या बाल कल्याण अधिकारी के रूप में प्रशिक्षित किया गया है।

<sup>128</sup> धारा 20, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012।

<sup>129</sup> धारा 24(1)(4), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012।

<sup>130</sup> धारा 35(2), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012।

<sup>131</sup> धारा 33, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012।

<sup>132</sup> दावीदार, P.W.C., I.A.S., बंधुआ श्रमिकों की रिहाई और पुनर्वास के लिए पुस्तिका।

<sup>133</sup> बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, 1984 (3) SCC 161, पैरा 24।

#### 1. बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ<sup>134</sup>

सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि “इस प्रणाली में किसी कथित ऋण की चुकौती हेतु एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को वर्षों-वर्ष श्रम प्रदान करने के लिए बंधुआ बना दिया जाता है और बंधुआ श्रमिक के पूरे जीवन के दौरान वह चुकौती पूरी नहीं हो पाती है; यह प्रणाली नई समतावादी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था से पूर्णतः असंगत है जिसके निर्माण का हमने वचन दिया है...”<sup>135</sup> और यह स्पष्ट किया कि:

“यह स्पष्ट है कि बंधुआ श्रम, बलात् श्रम का एक रूप है और बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976  की धारा 12 इसे स्वतः स्पष्ट प्रस्थापना मानते हुए हर ज़िलाधिकारी और उसके द्वारा निर्दिष्ट हर अधिकारी को यह दायित्व देती है कि वह इस बात की जाँच करे कि कोई बंधुआ श्रम प्रणाली या बलात् श्रम का कोई अन्य रूप लागू किया जा रहा है या नहीं... BLA बलात् श्रम के किसी भी रूप की निरंतरता के विरोध पर ज़ोर देता है।”<sup>136</sup>

#### 2. पीपल्स यूनियन फ़ॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ<sup>137</sup>

इस मामले को “एशियाड कर्मों” केस के नाम से भी जाना जाता है; इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 23 के एक संकीर्ण पठन को अस्वीकार कर दिया जो यह संकेत दे रहा था कि “बलात् श्रम” के विरुद्ध जो निषेध है वह केवल ऐसे श्रमिकों पर लागू होता है जिन्हें वेतन न दिया गया हो। इसके उलट, न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि “बलात् श्रम” में ऐसे कर्मों शामिल हैं जिन्हें उनके श्रम के लिए कुछ वेतन मिला हो, तब भी जब उन्होंने स्वेच्छा से अपना रोज़गार शुरू किया हो या स्वेच्छा से उसमें बने रहे हों।<sup>138</sup> साथ ही, न्यायालय ने इस धारणा को खारिज कर दिया कि बलात् श्रम के लिए भौतिक/शारीरिक बल या प्रताड़ना आवश्यक है। न्यायालय के लिए लेखन में माननीय न्यायाधीश महोदय भगवती ने यह स्पष्ट किया कि पूर्वावश्यक “बल” का उद्गम “किसी भी” स्रोत में हो सकता है, किसी ऐसे स्रोत में भी जो दोषी के नियंत्रण से बाहर है:

“कोई व्यक्ति भौतिक/शारीरिक बल के कारण भी किसी अन्य व्यक्ति को श्रम या सेवा प्रदान करने पर विवश हो सकता है और किसी क़ानूनी उपबंध से पड़ने वाले बल के कारण भी, जैसे यदि कर्मचारी श्रम या सेवा प्रदान नहीं करता है तो उसे कारावास में डालने या उस पर जुर्माना लगाने का उपबंध, या फिर, वह भूख, गरीबी, ज़रूरतों और अभाव के कारण भी विवश हो सकता है। जो भी कारक किसी व्यक्ति से विकल्पों का चयन छीनता है और उसे किसी कार्य विशेष को अपनाने पर विवश करता है उस कारक को ‘बल’ माना जा सकता है और यदि उस ‘बल’ के फलस्वरूप विवश होकर श्रम या सेवा प्रदान की गई है तो वह ‘बलात् श्रम’ कहलाएगा”।.

SC (सर्वोच्च न्यायालय) ने यह निर्णय दिया कि:

“सेवा का अनुबंध ऊपर से देखने पर स्वैच्छिक दिख सकता है, पर वह, वास्तविकता में, इसलिए अनैच्छिक हो सकता है क्योंकि हो सकता है कि अनुबंध करते समय कर्मचारी, अपनी आर्थिक रूप से असहाय स्थिति के कारण, हॉबसन के चयन<sup>139</sup> का सामना कर रहा हो, यानी या तो शक्तिशाली नियोक्ता द्वारा थोपी गई शोषक शर्तें मान ले या फिर भूखा मर जाए।”

.....

<sup>134</sup> 1984(3) SCC 161 बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, 1991 (1) SCC 174 (बंधुआ 2); और बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ1991 (4) SCC 117 (बंधुआ 3) भी देखें। सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 के बंधुआ केस पर दो बार पुनर्विचार किया (बंधुआ 2 और बंधुआ 3) और राज्यों से पीड़ितों के पुनर्वास और दोषियों पर अभियोजन चलाने का कार्य और बेहतर ढंग से करने को कहा।

<sup>135</sup> पूर्व।

<sup>136</sup> पूर्व।

<sup>137</sup> 1982 AIR (SC) 1473

<sup>138</sup> 'बलात् श्रम का हर रूप, चाहे "बेगार" हो या कुछ और, अनुच्छेद 23 के निषेध के दायरे में आता है और इस बात से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि जिस व्यक्ति को अपना श्रम या सेवा किसी और व्यक्ति को देने पर विवश किया गया है उसे कोई पारिश्रमिक मिलता है या नहीं। यदि पारिश्रमिक दिया गया है तो भी, यदि किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया श्रम बलात् श्रम है, यानी, इच्छा से नहीं बल्कि बल या बाध्यता के फलस्वरूप दिया गया श्रम, तो वह इस अनुच्छेद के दायरे में आता है।'

<sup>139</sup> 'जिसकी पेशकश की गई है उसे लेने या कुछ भी नहीं लेने का विकल्प; कोई पसंद-नापसंद नहीं।' कहा जाता है कि हॉबसन के चयन का उद्गम कैंब्रिज, इंग्लैंड में टी. हॉबसन (1554-1631) नामक व्यक्ति के नाम से हुआ है जो किराये पर दिए जाने वाले घोड़ों का अस्तबल चलाता था और अपने ग्राहकों को 'या तो अगला घोड़ा चुनो या कोई भी घोड़ा नहीं' के चयन का विकल्प देता था। शॉर्टर ऑक्सफ़र्ड इंग्लिश डिक्शनरी, 5वाँ संस्करण, ऑक्सफ़र्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफ़र्ड, इंग्लैंड 2002, खंड 1, पृ. 1251. 1914 में हेनरी फ़ोर्ड ने मॉडल टी के खरीदारों के सामने एक प्रसिद्ध 'हॉबसन का चयन' रखा था जो इस प्रकार था: 'किसी भी रंग में उपलब्ध बशर्ते वह काला हो।'

##### वापस

SC (सर्वोच्च न्यायालय) ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि

“अतः हमारा यह विचार है कि जब कोई व्यक्ति न्यूनतम वेतन से कम पारिश्रमिक पर किसी और व्यक्ति को श्रम या सेवा प्रदान करता है, तो उसके द्वारा प्रदत्त श्रम या सेवा स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 23 के तहत “बलात् श्रम” शब्दों के दायरे में आता है। उक्त व्यक्ति अनुच्छेद 23 के तहत अपने मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय के पास आने का अधिकारी होगा”।<sup>140</sup>

#### 3. नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1984(SC) 1099

SC ने यह निर्णय दिया कि, “जब भी कभी यह पता चले कि किसी कामगार को शून्य पारिश्रमिक या मामूली पारिश्रमिक के बदले श्रम प्रदान करने पर विवश किया गया है, तो पूर्वधारणा यही होगी कि वह एक बंधुआ श्रमिक है।” इन और अन्य ऐतिहासिक निर्णयों के बारे में और जानकारी के लिए अध्याय 5 देखें।

### BLA के तहत दंडनीय अपराध

BLA के तहत, दोषी को इन कृत्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है:

- बंधुआ ऋणों के लिए पीड़ितों से भुगतान स्वीकारना;
- पीड़ितों को किसी बंधुआ श्रम प्रणाली में काम करने पर बाध्य करना;
- किसी बंधुआ श्रम प्रणाली में पैसे उधार देना;
- बंधुआ श्रम प्रणाली को लागू करना;
- रिहा पीड़ित को उसकी संपत्ति न लौटाना;
- इनमें से किसी भी अपराध में सहयोग करना;
- कंपनियों द्वारा अपराध।

| BLA के अन्य प्रासंगिक उपबंध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>धारा 4 के अनुसार, इस क़ानून के पारित हो जाने पर प्रत्येक बंधुआ श्रमिक को मुक्त माना जाएगा और किसी को भी श्रम करने पर विवश नहीं किया जा सकता है।</li> <li>साथ ही, धारा 5 के तहत, ऐसी कोई भी प्रथा, परंपरा या करार जिसके कारण किसी व्यक्ति को बंधुआ श्रमिक के रूप में काम करने पर विवश किया गया था, वह ‘शून्य’ हो जाएगी, यानी वह मान्य नहीं है।</li> <li>अध्याय 3 धारा 6 के तहत, बंधुआ ऋण को चुकाने की जो भी देयता हो अब वह समाप्त मानी जाएगी। अधिनियम से पहले, बंधुआ ऋण की वसूली के लिए जो भी आदेश पारित हुआ हो उसे पूर्णतः संतुष्ट माना जाएगा। बलपूर्वक ली गई संपत्ति उसी व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी जिससे वह ली गई थी।</li> <li>धारा 7 के तहत, बंधुआ श्रमिक की संपत्ति को किसी भी प्रभार, ग्रहणाधिकार, बंधक (गिरवी) या ऋणभार से मुक्त माना जाएगा।</li></ul> |

### राज्य सरकारों और ज़िला प्रशासनों की भूमिका:

BLA राज्य सरकारों को यह शक्ति देता है कि वे कार्यपालक दंडाधिकारियों (एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट) को BLA के विभिन्न उपबंध कार्यान्वित करने की शक्तियाँ प्रदान करें।<sup>141</sup> ज़िलाधिकारी अपने अधीनस्थों को विभिन्न दायित्व सौंप सकते हैं।<sup>142</sup> सर्वोच्च न्याया-लय ने ज़िला प्रशासन को बंधुआ श्रम के विरुद्ध लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेने को प्रेरित किया है:

हमें यह दिखाई नहीं पड़ता कि [ज़िला] प्रशासन को बंधुआ श्रम की मौजूदगी स्वीकारने में संकोच क्यों होना चाहिए, क्योंकि बंधुआ श्रम की मौजूदगी प्रशासन के माथे का कलंक नहीं है बल्कि बंधुआ श्रमिकों की तेज़ी से पहचान करने, उन्हें रिहा कराने और उनका स्थायी पुनर्वास करने के द्वारा बंधुआ श्रम प्रणाली को समाप्त करने के प्रयोजन से आवश्यक क़दम नहीं उठाना प्रशासन के माथे का कलंक है।<sup>143</sup>

<sup>140</sup> पीपल्स यूनियन फ़ॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, 1982 AIR (SC) 1473, 1982 (3) SCC 235 (सर्वोच्च न्यायालय 1982) (प्रमुखता जोड़ी गई)।

<sup>141</sup> धारा 10 व 2, बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976।

<sup>142</sup> धारा 10, 11 व 12, बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976।

<sup>143</sup> नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1984 AIR (SC) 1099, 1984 (3) SCC 243 (सर्वोच्च न्यायालय 1984)।

##### वापस

### सतर्कता समितियाँ

बंधुआ श्रम के अपराध की समाप्ति के लिए कार्यों की गति बढ़ाने और राजनीतिक इच्छाशक्ति उत्पन्न करने के प्रयास के रूप में, संसद यह आवश्यक करती है कि बलात् श्रम का उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए भारत के हर ज़िले में संबंधित व्यक्तियों की समितियाँ (जिन्हें सतर्कता समितियाँ कहा जाता है) बनाई जाएँ। भारत में, बलात् श्रम में बंधुआ श्रम शामिल है, पर वाणिज्यिक यौन शोषण नहीं (जिसके साथ अलग से व्यवहार होता है)। BLA के तहत ज़िलाधिकारियों और अनुमंडल दंडाधिकारियों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिकाओं के साथ-साथ, इन सतर्कता समितियों को ज़िला स्तर पर बंधुआ श्रम के उन्मूलन का एक ढाँचा प्रदान करना होता है। BLA और बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) नियम ("BLA नियम") यह चिंतन करते हैं कि सतर्कता समितियाँ बंधुआ श्रमिकों की पहचान, रिहाई और पुनर्वास सुनिश्चित करने में तथा दोषियों पर सरकारी अभियोजन की निगरानी में केंद्रीय भूमिका निभाएँगी।

BLA की धारा 13 राज्य सरकारों के लिए निम्नलिखित को मिलाकर बनी सतर्कता समितियाँ गठित करना आवश्यक करती है:

- ज़िलाधिकारी;
- दो समाजसेवी;
- SC और ST का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति;
- वित्तीय और क्रेडिट संस्थानों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यक्ति; और
- ज़िले में ग्रामीण विकास से जुड़ी आधिकारिक या अनाधिकारिक एजेंसियों के प्रतिनिधित्व के लिए अधिकतम तीन व्यक्ति।

BLA की धारा 14 के तहत सतर्कता समितियों के छः विशिष्ट कार्य इस प्रकार हैं:

1. ज़िलाधिकारियों को BLA के कार्यान्वयन के बारे में सलाह देना,
2. बंधुआ श्रम अपराध करने वाले लोगों को ढूँढना,
3. दोषियों पर सरकारी अभियोजन की निगरानी करना,
4. मुक्त बंधुआ श्रमिकों का न्यायालय में बचाव करना,
5. पर्याप्त क्रेडिट (उधार/ऋण) का संयोजन करना,
6. आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था करना।



### बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986

इस अधिनियम के तहत, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा कुछ व्यवसायों और प्रक्रियाओं में काम किए जाने पर रोक है। इस अधिनियम में 2006 में किए गए संशोधन ने घरेलू सेवा और सड़क किनारे के रेस्तराँओं में काम करने को निषिद्ध उद्योगों की सूची में डाल दिया। अधिनियम का भाग 2 ऐसे किसी भी व्यवसाय में बच्चों के काम करने पर रोक लगाता है जो अनुसूची के भाग A में शामिल हैं, जैसे: रेलवे प्रतिष्ठानों में केटरिंग, रेलवे पर या पटरियों के निकट कहीं भी निर्माण कार्य, प्लास्टिक फैक्टरियाँ, ऑटोमोबाइल गराज, पटाखा निर्माण, हथकरघा उद्योग और खानें। घरेलू सेवकों के रूप में, और ढाबों, रेस्तराँओं, होटलों, चाय की दुकानों आदि में बच्चों की नियुक्ति पर भी रोक लगा दी गई।

यह अधिनियम ऐसे स्थानों पर बच्चों के काम करने पर भी रोक लगाता है जहाँ अनुसूची के भाग B में शामिल प्रक्रियाएँ की जा रही हों, जैसे: बीड़ी बनाना, कालीन बनाना, चमड़ा रंगाई (टैनिंग), साबुन निर्माण, ईट भट्ठे और छत टाइल इकाइयाँ, और भवन व निर्माण उद्योग।

अधिनियम के भाग 3 में उन स्थितियों का वर्णन है जिनमें बच्चे अनुमन्य व्यवसायों में कार्य कर सकते हैं:

- प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठान वर्ग के कार्य घंटों की संख्या तय की जाएगी और ई भी बच्चा उस स्थान विशेष में तय घंटों से अधिक कार्य नहीं कर सकता है।
- बच्चों को एक बार में तीन घंटों से अधिक कार्य करने की अनुमति नहीं है और उन्हें तीन घंटों के बाद एक घंटे का अवकाश मिलना चाहिए।
- बच्चों को उनका अवकाश मिलाकर एक बार में छः घंटों से अधिक कार्य करने की अनुमति नहीं है और वे शाम 7 बजे से सुबह 8 बजे के बीच कार्य नहीं कर सकते हैं।
- किसी भी बच्चे को ओवरटाइम कार्य करने की या किसी दिन विशेष पर एक से अधिक स्थान पर कार्य करने की अनुमति नहीं है।
- बच्चे को हर सप्ताह कार्य से अवकाश का दिन मिलना चाहिए।
- बच्चे के नियोक्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने प्रतिष्ठान में कार्य कर रहे बच्चे के बारे में निरीक्षक को सूचना भेजे और काम पर रखे जा रहे सभी बच्चों का एक रजिस्टर निरीक्षण हेतु बनाकर रखे।

बच्चे की आयु के संबंध में जो भी विवाद हो उसे धारा 10 के अनुसार किसी विहित चिकित्सीय प्राधिकरण द्वारा हल किया जाएगा। 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि बाल श्रम के सभी पीड़ितों को उनके नियोक्ता द्वारा ₹20,000.00 की क्षतिपूर्ति दी जाएगी।<sup>144</sup> नया अधिनियम (01/09/2016 को पारित) पिछले अधिनियम में संशोधन करके सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों से काम लेने पर रोक लगाता है ताकि स्कूलों में उनका नामांकन सुगम हो सके (बच्चों का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE अधिनियम) के आलोक में)। कुछ अपवाद भी मौजूद हैं, जैसे तब जब बच्चा स्कूली घंटों के बाद किसी गैरखतरनाक व्यवसाय में अपने परिवार की मदद करता हो। “बच्चे” को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जिसने अपनी आयु का चौदहवाँ वर्ष या RTE अधिनियम में निर्दिष्ट वर्ष में से जो भी बड़ा हो वह वर्ष पूरा नहीं किया है। इसमें “किशोर” को भी 14 से 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में किशोरों से काम लेने पर रोक लगाई गई है, और ILO के समझौता सं. 138 और 182 की अनुरूपता में किशोरों की नियुक्ति की स्थितियों का नियमन किया गया है।

इस अधिनियम में, इसका उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं को मिलने वाली सज़ा को बढ़ाकर न्यूनतम छः माह से लेकर अधिक-तम दो वर्ष का कारावास, या न्यूनतम बीस हजार रुपये से लेकर अधिकतम पचास हजार रुपये का जुर्माना, या दोनों कर दिया गया है। हालाँकि, ऐसे बच्चों के माता-पिता या संरक्षक को उक्त सज़ा तब तक नहीं दी जाती है जब तक कि उन्होंने उक्त बच्चों को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए अनुमति न दी हो। यह अधिनियम उपयुक्त सरकार को प्रस्तावित कानून के उपबंधों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक शक्तियाँ व दायित्व ज़िलाधिकारी को सौंपने की शक्ति भी देता है।

.....

<sup>144</sup> एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य, 1996 (6) SCC-756।

किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015

किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 का स्थान लेता है। नया अधिनियम गहन अपराधों के मामलों में 16 से 18 वर्षीय किशोरों पर मुकदमा चलाए जाने की अनुमति देता है, पर केवल तब जब मनोविज्ञानी और समाजशास्त्री यह आकलन करें कि उन पर वयस्कों की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए। यह अधिनियम किशोरों की देखभाल और संरक्षण के साथ-साथ कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों से भी संबंधित है। किशोर को 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है। मानव व्यापार के संबंध में, किशोर न्याय अधिनियम के निम्नलिखित अंश महत्वपूर्ण हैं:

धारा 2(14) के अनुसार, ‘देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा’ ऐसा बच्चा है:

- जो किसी भी घर या निश्चित निवास स्थान से हीन और निर्वाह के किसी भी प्रत्यक्ष साधन से हीन पाया गया है; या
- जिसे तत्समय प्रभावी श्रम कानूनों की अवहेलना में कार्य करते हुए, भीख माँगते हुए, या सड़कों पर रहते हुए पाया गया है; या
- जो किसी व्यक्ति के साथ रहता है (वह व्यक्ति बच्चे का संरक्षक चाहे हो या न हो) और उस व्यक्ति ने: (a) बच्चे को चोटिल किया है, उसका शोषण किया है, उससे दुर्व्यवहार किया है या उसकी उपेक्षा की है या बच्चे के संरक्षण के लिए तत्समय प्रभावी किसी अन्य कानून का उल्लंघन किया है; या (b) बच्चे की हत्या करने, उसे चोटिल करने, उसका शोषण करने, या उससे दुर्व्यवहार करने की धमकी दी है और धमकी को सच किए जाने की समुचित संभावना मौजूद है; या (c) किसी अन्य बच्चे या किन्हीं अन्य बच्चों की हत्या की है, उनसे दुर्व्यवहार किया है, उनकी उपेक्षा की है या उनका शोषण किया है, और उस व्यक्ति द्वारा प्रश्नगत बच्चे की हत्या होने, उससे दुर्व्यवहार होने, उसका शोषण होने या उसकी उपेक्षा होने की समुचित संभावना मौजूद है; या
- जो मानसिक रूप से अस्वस्थ या मानसिक अथवा शारीरिक रूप से अशक्त है या जो गंभीर या असाध्य रोग से ग्रस्त है, जिसको सहारा देने या जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, जिसके माता-पिता या संरक्षक उसकी देखभाल नहीं कर सकते हैं, बशर्ते बोर्ड या समिति द्वारा ऐसा पाया जाए; या
- जिसकी माता है या जिसका पिता अथवा संरक्षक है और बोर्ड या समिति यह पाती है कि उक्त माता/पिता या संरक्षक बच्चे की देखभाल करने और उसकी सलामती व खुशहाली की सुरक्षा करने में अक्षम हैं; या
- जिसके माता-पिता नहीं हैं और कोई भी व्यक्ति उसकी देखभाल को तैयार नहीं है, या जिसके माता-पिता ने उसे त्याग दिया है या छोड़ दिया है; या
- जो लापता या भागा हुआ बच्चा है, या विहित किए जा सकने वाले ढंग से समुचित जाँच/पूछताछ करने के बाद भी जिसके माता-पिता का पता नहीं चला है; या
- जिसके साथ यौन दुर्व्यवहार या गैरकानूनी कृत्यों के प्रयोजन से दुर्व्यवहार, प्रताड़ना या शोषण हुआ है, हो रहा है, या होने की संभावना है; या
- जिसे असुरक्षित पाया गया है और जिसे मादक पदार्थ दुरुपयोग या मानव व्यापार में फुसला लिए जाने की संभावना है; या

धारा 2(14)(viii) ऐसे बच्चों के संरक्षण का विशिष्ट रूप से प्रावधान करती है जो मादक पदार्थ दुरुपयोग या मानव व्यापार का शिकार हुए हैं या जिनकी उनका शिकार होने की संभावना है। यह अधिनियम राज्य सरकार या किसी स्वयंसेवी अथवा गैरसरकारी संगठन द्वारा विशेष गृहों की स्थापना का भी प्रावधान करता है। अधिनियम की धारा 48 विशेष गृहों के संचालन के बारे में जानकारी देती है।

धारा 75 बच्चे से क्रूरता करने वाले व्यक्ति को अपराधी घोषित करती है।

धारा 76 किशोर से भीख मँगवाने को अपराध घोषित करती है।

धारा 77 बच्चे को मादक दवाएँ या मनःप्रभावी पदार्थ देने को अपराध घोषित करती है।

धारा 79 बच्चे को घेरने/बाँधने और उसे कैद में रखने को अपराध घोषित करती है।

धारा 27 राज्य सरकार के लिए यह प्रावधान करती है कि वह ज़रूरतमंद बच्चों की देखभाल और उनका संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए बाल कल्याण समितियों (CWC) का गठन करे।

धारा 29 के अनुसार, बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास, और पुनर्वास के मामलों के निपटारे का और, उनकी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति का तथा उनके मानवाधिकारों के संरक्षण का अंतिम प्राधिकार CWC के पास होगा।

धारा 10 के अनुसार, जैसे ही कानून का कथित उल्लंघन करने वाले बच्चे को पुलिस पकड़े, उस बच्चे को तुरंत विशेष किशोर पुलिस इकाई (“SJPU”) या नामित बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के संरक्षण में रख देना चाहिए, जो बच्चे को पकड़े जाने से चौबीस घंटों के भीतर उसे किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश करेंगे।

धारा 2(21) के अनुसार बाल देखभाल संस्थान की परिभाषा: ऐसा बाल गृह, खुला आश्रय, प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षित स्थान, विशेष दत्तकग्रहण एजेंसी और उपयुक्त केंद्र जो अधिनियम के तहत ऐसे बच्चों को देखभाल व संरक्षण देने के लिए मान्यता प्राप्त हो जिन्हें ऐसी सेवाओं की आवश्यकता है। बाल गृह की स्थापना और संचालन का प्रावधान अधिनियम की धारा 50 में किया गया है।

धाराएँ 39 और 40 बच्चे को माता-पिता, दत्तक माता-पिता, पालक माता-पिता, उपयुक्त संस्थानों, आश्रय गृह आदि के संरक्षण में सौंपने का प्रावधान करती हैं।

किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2021 ने मूल अधिनियम में 29 संशोधन किए, जिनमें शामिल हैं (1) CWC के सदस्यों के चयन के लिए अधिक कठोर मानदंडों का प्रावधान (जैसे, विशेष शिक्षा और अनुभव आवश्यक करना और बाल अधिकारों के उल्लंघन या अन्य दुराचरण के इतिहास वाले व्यक्ति की नियुक्ति पर रोक लगाना), (2) सत्रों में अनुपस्थित रहने पर CWC में नियुक्ति को समाप्त करना, (3) CWC के दायित्वों में वर्धन, (4) बच्चे की भूमिका में वृद्धि, (5) संस्थानों के अधिक कठोर निरीक्षण का प्रावधान करना, (6) लंबित मामलों में भी बच्चों की पहचान का संरक्षण करना, और (7) अधिनियम के तहत आने वाले सभी अपराधों के लिए बाल न्यायालय में मुकदमा चलाने का प्रावधान करना।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

यह अधिनियम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (SC/ST) के लोगों के अन्य जातियों द्वारा अत्याचार को गैरकानूनी घोषित करता है। यह अधिनियम सभी राज्यों से मुकदमों के संचालन के लिए हर ज़िले में मौजूदा सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय बनाने का आह्वान करता है और राज्यों के लिए जाति आधारित हिंसा के उच्च स्तरों वाले क्षेत्रों को “अत्याचार-बहुल” घोषित करने हेतु उपबंध बनाता है। इन क्षेत्रों में राज्य सरकारें निगरानी और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए योग्य अधिकारी नियुक्त कर सकती हैं। अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लोग मानव व्यापार के प्रति अधिक असुरक्षित होते हैं। अतः IPC,ITPA और बंधुआ श्रम अधिनियम के उपबंधों के साथ-साथ इस अधिनियम के उपबंधों का भी उपयोग किया जा सकता है।

- धारा 3 बताती है कि किन-किन कृत्यों को “अत्याचार” माना जाता है, जिसमें व्यक्ति को कार्य करने पर विवश करना शामिल है।
- धारा 3(1)(h) यह कहती है कि किसी SC/ST व्यक्ति को बलात् या बंधुआ श्रम करने पर विवश करना एक अत्याचार है। इसकी सज़ा न्यूनतम छः माह से अधिकतम 5 वर्ष का कारावास और साथ में जुर्माना है।
- धाराएँ 3(w)(i) और (ii) SC/ST महिला को छूने, उसके सामने इशारे करने, या आवाज़ें करने को तब दंडनीय घोषित करती हैं जब कृत्य इरादतन किया गया हो और यौन प्रकृति का हो। इसकी सज़ा न्यूनतम छः माह से अधिकतम 5 वर्ष का कारावास और साथ में जुर्माना है।
- धारा 5 यह प्रावधान करती है कि अधिनियम के तहत दूसरी बार अपराध की दोषसिद्धि होने पर न्यूनतम एक वर्ष के कारावास की सज़ा होगी, पर उसे उस अपराध के लिए दी जाने वाली सज़ा तक बढ़ाया जा सकता है।
- धारा 14 राज्य सरकारों को यह अनुमति देती है कि वे आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, हर ज़िले में इस अधिनियम के तहत मुकदमों के संचालन के लिए एक सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय घोषित करें।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 2018 SC/ST लोगों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है:

- यह अधिनियम अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लोगों के विरुद्ध हुए अपराधों के मुकदमों के संचालन और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करता है;
- जाँच अधिकारी को आरोपित की गिरफ्तारी के लिए किसी प्राधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, और अधिनियम के तहत आरोपित व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए प्रारंभिक जाँच आवश्यक नहीं होगी; और
- अधिनियम के तहत कोई अपराध करने वाले आरोपित अग्रिम ज़मानत के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि ये उपबंध, किसी न्यायालय के अन्यथा निर्णयों या आदेशों के बावजूद, लागू होंगे। इस विरोध कि, अग्रिम ज़मानत की स्वीकृति पर लगाई गई रोक, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आरोपित के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, के बावजूद, 2020 में सर्वोच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ ने 2018 के संशोधन को बनाए रखा।

### न्यूनतम वेतन अधिनियम

इस अधिनियम का उद्देश्य कुछ रोजगारों में वेतन की न्यूनतम दर तय करना है। न्यूनतम वेतन दरें उपयुक्त सरकार (केंद्र या राज्य) द्वारा तय की जाएँगी। नियोक्ता को अनुसूचित रोज़गार में लगे हर कर्मचारी को सरकारी अधिसूचना द्वारा तय की गई न्यूनतम वेतन दर के बराबर या से अधिक की दर पर भुगतान करना होगा। न्यूनतम वेतन हर छः माह पर संशोधित होता है और अलग-अलग राज्यों में यह अलग-अलग होता है।

ध्यान दें कि न्यूनतम वेतन अधिनियम उन चार क़ानूनों में से एक है जिन्हें समेकित करके वेतन संहिता, 2019 की रचना हुई है, जो ऐसे सभी रोज़गारों जिनमें कोई उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, या विनिर्माण किया जाता है, में वेतन और बोनस के भुगतानों का नियमन करती है। वेतन संहिता के न्यूनतम वेतन संबंधी उपबंध न्यूनतम वेतन अधिनियम से काफ़ी हद तक मिलते-जुलते हैं, पर इन दोनों में कुछ मुख्य अंतर हैं, जैसे वेतन की ऊपरी सीमा और क्षेत्र पर निर्भर न करते हुए सभी कर्मचारियों पर वेतन क़ानूनों को लागू करना, एक “न्यूनतम वेतन” तय करना जिससे कम न्यूनतम वेतन तय नहीं किया जा सकता है, दावों को दायर करने की सीमाबंधन अवधि में वृद्धि, और उल्लंघनों के लिए पहले से बड़ी सज़ाएँ। प्रकाशन के दिनांक तक, संपूर्ण वेतन संहिता लागू नहीं की जा रही है, क्योंकि केवल केंद्रीय सलाहकार मंडल (सेंट्रल एडवाइज़री बोर्ड) की स्थापना से संबंधित उपबंधों को ही प्रभावी किया गया है।



| धारा                                | वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                | सक्षम प्राधिकारी                                                | दावाकर्ता                                                                                                                                | टिप्पणी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| धारा 20 (2) - दावा                  | सीमाबंधन - न्यूनतम वेतन देय होने के दिनांक से 6 माह के भीतर।                                                                                                                                                                                                                         | ALC/DLC                                                         | कोई भी कर्मचारी, या उसका अधिवक्ता, कोई भी निरीक्षक, या उप-धारा (1) के तहत नियुक्त प्राधिकारी की अनुमति से कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति | धारा 20 (3) (i), न्यूनतम वेतन दर से कम के भुगतान से उत्पन्न दावे के मामले में, कर्मचारी को देय न्यूनतम वेतन और वास्तविक भुगतान के अंतर की राशि का और, प्राधिकारी की दृष्टि में जो क्षतिपूर्ति उचित है उसका कर्मचारी को भुगतान किए जाने का निर्णय; उक्त क्षतिपूर्ति <b>उक्त अंतर की राशि के दस गुना से अधिक नहीं होगी।</b> |
| धारा 22 - कुछ अपराधों के लिए सज़ाएँ | सज़ा - छः (6) माह तक का कारावास या पाँच सौ रुपयों तक का जुर्माना।                                                                                                                                                                                                                    | ALC/DLC या प्रथम वर्गीय न्यायिक दंडाधिकारी, महानगरीय दंडाधिकारी |                                                                                                                                          | यह प्रावधान करती है कि इस धारा के तहत किसी अपराध के लिए कोई जुर्माना लगाने में, न्यायालय <b>धारा 20 के तहत हुई किसी भी कार्यवाही में आरोपित के विरुद्ध</b> पहले ही निर्णीत हो चुकी किसी भी क्षतिपूर्ति की राशि को ध्यान में रखेगा।                                                                                        |
| धारा 22 - B अपराध का संज्ञान        | धारा 22 B(a), तब के सिवाय जब उक्त अपराध का गठन करने वाले तथ्यों के संबंध में धारा 20 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया हो और उसे पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकृत किया गया हो, और उपयुक्त सरकार या इस संबंध में उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी ने शिकायत की जाने की स्वीकृति दे दी हो। | ALC/DLC या प्रथम वर्गीय न्यायिक दंडाधिकारी, महानगरीय दंडाधिकारी |                                                                                                                                          | कोई भी न्यायालय: (a) धारा 22 के खंड (a) या खंड (b) के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान केवल तब लेगा यदि इस धारा के तहत स्वीकृति दी जाने से एक माह के भीतर उसकी शिकायत की गई हो; (b) धारा 22-A के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान केवल तब लेगा यदि कथित अपराध किए जाने के दिनांक से छः माह के भीतर उसकी शिकायत की गई हो।          |

न्यूनतम वेतन के बारे में नवीनतम जानकारी ऑनलाइन यहाँ उपलब्ध है: <http://www.paycheck.in/main/salary/minimumwages>.

## फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948<sup>145</sup>

फ़ैक्टरी अधिनियम भारतीय श्रम क़ानूनों का भाग है जो नियोक्ता-कर्मचारी संबंध का नियंत्रण करते हैं। श्रम क़ानूनों के पीछे मूल रूप से “संरक्षण” का सिद्धांत है। अतः श्रम क़ानूनों के चयन को रद्द करने की अनुमति नहीं है।

| अधिनियम लागू होने का दायरा                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जिस किसी भी परिसर में पिछले 12 माह के किसी भी दिन शक्ति की सहायता से 10 या अधिक कर्मों अथवा शक्ति की सहायता के बिना 20 या अधिक कर्मों कार्य कर रहे हों, और उस परिसर में विनिर्माण की प्रक्रिया चल रही हो। |

यह अधिनियम सभी फ़ैक्टरियों में चौदह वर्ष से छोटे बच्चों को काम पर रखने पर रोक लगाता है। 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों, जिन्हें इस अधिनियम में “किशोर” के रूप में परिभाषित किया गया है, को काम पर केवल तब रखा जा सकता है यदि उनके पास किसी अधिकृत चिकित्सक द्वारा जारी फ़िटनेस प्रमाणपत्र हो। किशोरों के रात्रि शिफ़्ट में काम करने पर रोक है और उन्हें दिन में केवल 4.5 घंटे काम करने की अनुमति है। यह अधिनियम कई सुरक्षा और कल्याण उपायों का भी वर्णन करता है।

### अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार (रोज़गार एवं सेवा की शर्तों का नियमन) अधिनियम, 1979<sup>146</sup>

यह अधिनियम अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मियों की नियुक्ति का नियमन करता है, जिसमें सेवा की शर्तें और कर्मियों के अधिकार शामिल हैं।

| अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मों:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| परिभाषा: “अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार” का अर्थ किसी भी ऐसे व्यक्ति से है: <ul style="list-style-type: none"><li>जिसे एक राज्य में किसी ठेकेदार द्वारा, या के ज़रिए,</li> <li>किसी अन्य राज्य में स्थित किसी प्रतिष्ठान में नियुक्ति के करार या समझौते के अधीन, और</li> <li>नए प्रतिष्ठान में नियोक्ता की जानकारी के साथ या उसके बिना, भर्ती किया गया है। लागू होने का दायरा</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>हर उस प्रतिष्ठान पर जिसमें कम-से-कम पाँच अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार नियुक्त हैं या पिछले वर्ष में नियुक्त थे।</li> <li>हर उस ठेकेदार पर जिसने कम-से-कम पाँच अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकारों को रोज़गार दिया है या पिछले वर्ष दिया था।</li></ul>                                                                                                  |

अधिकारों के संबंध में, प्रवासी कर्मों निम्नलिखित के अधिकारी हैं:

- स्थानीय कर्मकारों को दिए जाने वाले वेतन या, न्यूनतम वेतन अधिनियम में यथा वर्णित न्यूनतम वेतन में से जो भी अधिक हो उसके बराबर या उससे अधिक वेतन;
- उनके गृह राज्य से विस्थापित होने के लिए भत्ता (धारा 14);
- उनके गृह राज्य जाने की यात्रा हेतु भत्ता, जिसमें अवधि के दौरान के वेतन का भुगतान शामिल है (धारा 15);
- वेतनों का नियमित भुगतान;
- समान कार्य के लिए समान वेतन, व्यक्ति चाहे जिस भी लिंग का हो; और
- आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था।

- संतोषजनक आवास व्यवस्था और चिकित्सा सुविधाएँ निःशुल्क

|              |
|--------------|
| <p>.....</p> |
|--------------|

<sup>[145]</sup> फ़ैक्टरी अधिनियम उन 13 श्रम क़ानूनों में से एक है जिन्हें समेकित करके व्यवसाय-संबंधी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थितियाँ संहिता, 2020 की रचना हुई है जिसे भारत के राष्ट्रपति महोदय ने 28.09.2020 को स्वीकृति दी थी।

<sup>[146]</sup> अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम उन 13 श्रम क़ानूनों में से एक है जिन्हें समेकित करके व्यवसाय-संबंधी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थितियाँ संहिता, 2020 की रचना हुई है जिसे भारत के राष्ट्रपति महोदय ने 28.09.2020 को स्वीकृति दी थी।

शिकायतें, घटना से तीन माह के भीतर प्राधिकारियों के पास दर्ज कर दी जानी चाहिए। यह अधिनियम प्रतिष्ठानों के पास पंजीक-रण और ठेकेदारों के पास लाइसेंस होना भी आवश्यक करता है। प्रतिष्ठान/ठेकेदार के पास ऐसे रजिस्टर होने चाहिए जिनमें उनके यहाँ नियुक्त हर प्रवासी कर्मों का विवरण, नियुक्ति की प्रकृति, और वेतन दर लिखे हों।

समुदाय के नेता, कर्मियों की परिस्थितियों को औपचारिक रूप देने के लिए अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मों अधिनि-यम का युक्तिपूर्ण ढंग से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि अन्यथा ऐसे कर्मों बंधुआ श्रम के प्रति असुरक्षित हो सकते हैं। उनका पंजीकरण कराना एक व्यावहारिक और सुझावित तरीक़ा है।

## मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994

मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 उपचारी प्रयोजनों से मानव अंगों के निष्कासन, भंडारण और प्रत्यारोपण का नियमन करने, मानव अंगों की वाणिज्यिक ख़रीद-बिक्री की रोकथाम करने, और इसी प्रकार के अन्य मामलों के लिए पारित किया गया था।

मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 अंगों की अदला-बदली की अनुमति देता है। साथ ही, संशोधित क़ानून के नियम अधिसूचित किए जा चुके हैं जिनके तहत दाता समूह का विस्तार करने के लिए दादा-दादी/नाना-नानी और पोते-पोतियों/धेवते-धेवतियों को सूची में शामिल किया गया है, और इस क्षेत्र में वाणिज्यिक ख़रीद-बिक्री के विरुद्ध और कठोर उपबंध बनाए गए हैं।

| उल्लेखनीय क़ानूनी उपबंध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>धारा 2 (o)</b> “उपचारी प्रयोजनों” को किसी रोग के व्यवस्थित उपचार के रूप में या किसी विधि या पद्धति के अनुसार स्वास्थ्य में सुधार के उपायों के रूप में परिभाषित करती है।</p> <p><b>धारा 2 (p)</b> “प्रत्यारोपण” को उपचारी प्रयोजनों से किसी जीवित या मृत व्यक्ति से मानव अंग लेकर उसे किसी अन्य जीवित व्यक्ति में रोपित करने के रूप में परिभाषित करती है।</p> <p><b>धारा 9</b> में मानव अंगों या ऊतकों या दोनों के निष्कासन और प्रत्यारोपण पर लागू प्रतिबंधों की सूची है।</p> <p><b>धारा 11</b> उपचारी प्रयोजनों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रयोजन से मानव अंगों के निष्कासन या प्रत्या-रोपण पर रोक लगाती है।</p> <p><b>धारा 18 (1)</b> यह कहती है कि जो भी व्यक्ति किसी अस्पताल में है और वह प्रत्यारोपण के प्रयोजन से, प्राधिकार के बिना, किसी मानव अंग को निकालता है या निकालने में सहायता करता है, उसे अधिकतम दस वर्ष तक के कारावास और अधिकतम बीस लाख रुपयों तक के जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है।</p> <p><b>धारा 19</b> मानव अंगों की वाणिज्यिक ख़रीद-बिक्री के लिए सज़ा का प्रावधान करती है, और कहती है कि “जो भी कोई:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>किसी मानव अंग की आपूर्ति के लिए, या आपूर्ति की पेशकश के लिए कोई भुगतान करता या पाता है;</li> <li>भुगतान के बदले किसी मानव अंग की आपूर्ति के इच्छुक व्यक्ति को ढूँढता है;</li> <li>भुगतान के बदले किसी मानव अंग की आपूर्ति की पेशकश करता है;</li> <li>किसी ऐसी व्यवस्था या समझौते की शुरुआत करता है या का मोलभाव करता है जिसमें किसी मानव अंग की आपूर्ति के लिए, या आपूर्ति की पेशकश के लिए कोई भुगतान करना शामिल है;</li> <li>ऐसे व्यक्तियों जिनकी गतिविधियाँ [अंगों के गैरक़ानूनी प्रत्यारोपण] के दायरे में आती हैं, की संस्था के प्रबंधन या नियंत्रण में भाग लेता है;</li> <li>अंगों के प्रत्यारोपण से संबंधित] कोई विज्ञापन प्रकाशित या वितरित करता है या प्रकाशित करवाता है, उसे न्यूनतम पाँच वर्षों से लेकर अधिकतम दस वर्षों तक की सज़ा दी जा सकती है और उस पर न्यूनतम बीस लाख रुपयों से लेकर अधिकतम एक करोड़ रुपयों तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। न्यायालय, किसी भी पर्याप्त और विशेष कारण (जिसका निर्णय में उल्लेख किया जाएगा) के लिए, दो वर्ष से कम के कारावास की सज़ा दे सकता है और दस हज़ार रुपयों से कम का जुर्माना लगा सकता है।”</li></ul> <p><b>धारा 19A</b> मानव ऊतकों की गैरक़ानूनी ख़रीद-बिक्री के लिए सज़ा का प्रावधान करती है।</p> |



**मानव व्यापार विधेयक, 2018:** यह विधेयक 18 जुलाई, 2018 को लोकसभा में पेश हुआ था और 26 जुलाई, 2018 को लोकसभा से पारित हो गया पर इसे राज्यसभा में विभिन्न संसदीय नेताओं के विरोध के चलते स्वीकृति नहीं मिल सकी और इसकी इस बात को लेकर आलोचना हुई कि यह बहुत अधिक अपराधी-केंद्रित है और पर्याप्त रूप से पीड़ित-केंद्रित नहीं है। इस विधेयक की आलोचना और इस पर मिले फीडबैक के आधार पर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मानव व्यापार (रोकथाम, देखभाल एवं पुनर्वास) विधेयक, 2021 पेश किया।

**2021 वाले विधेयक के मुख्य बिंदु:** इस विधेयक का उद्देश्य “मानव व्यापार की, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के व्यापार की, रोकथाम करना और उसका विरोध करना, पीड़ितों के अधिकारों का सम्मान करते हुए उनकी देखभाल, संरक्षण, और पुनर्वास के प्रावधान करना, और उनके लिए एक सहायक कानूनी, आर्थिक, और सामाजिक परिवेश की रचना करना” है। जहाँ 2018 वाले विधेयक की विषय-वस्तु पीड़ितों के मानव व्यापार, बचाव, संरक्षण और पुनर्वास पर केंद्रित थी, वहीं 2021 वाले विधेयक ने कानून के दायरे को बढ़ाकर भारत के बाहर हो रहे अपराधों को शामिल किया है।<sup>147</sup> विधेयक के मसौदे में “पीड़ित” की परिभाषा को विस्तार देकर उसमें महिलाओं व बच्चों के साथ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल किया गया है और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) को ऐसे अपराधों की पड़ताल करने वाला केंद्रीय जाँच प्राधिकरण बनाया है। यह विधेयक आरोपितों के दोषी पाए जाने की स्थिति में 20 वर्ष तक के कारावास का और मृत्युदंड का प्रस्ताव करता है। इस विधेयक के कानून बन जाने पर, केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय मानव-व्यापार-रोधी समिति अधिसूचित करके गठित करेगी, वहीं राज्य सरकारें प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर ऐसी समितियाँ गठित करेंगी।

<sup>147</sup> अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम उन 13 श्रम कानूनों में से एक है जिन्हें समेकित करके व्यवसाय-संबंधी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थितियाँ संहिता, 2020 की रचना हुई है जिसे भारत के राष्ट्रपति महोदय ने 28.09.2020 को स्वीकृति दी थी।

## D. अपराधों का सारांश

आधुनिक दासता से संबंधित अपराधों और सज़ाओं का सारांश

| अपराध                                                               | अधिनियम और धारा                   | सज़ा                                                                   | संज्ञेय/ज़मानती/न्यायालय                               |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| भीख मँगवाने के लिए किसी अवयस्क का अपहरण करना या उसे अपंग बनाना      | भारतीय दंड संहिता, धारा 363A      | आजीवन कारावास और जुर्माना                                              | संज्ञेय, गैरज़मानती, और सत्र न्यायालय में मुकदमा-योग्य |
| अवयस्क लड़कियों की दलाली/आपूर्ति/प्राप्ति                           | भारतीय दंड संहिता, धारा 366A      | 10 वर्ष और जुर्माना                                                    | संज्ञेय, गैरज़मानती, और सत्र न्यायालय में मुकदमा-योग्य |
| विदेश से 21 वर्ष से कम आयु की लड़की का आयात                         | भारतीय दंड संहिता, धारा 366B      | 10 वर्ष और जुर्माना                                                    | संज्ञेय, गैरज़मानती, और सत्र न्यायालय में मुकदमा-योग्य |
| मानव व्यापार                                                        | भारतीय दंड संहिता, धारा 370(2)    | 7 वर्ष से 10 वर्ष और जुर्माना                                          | संज्ञेय, गैरज़मानती, और सत्र न्यायालय में मुकदमा-योग्य |
| एक से अधिक व्यक्ति का व्यापार                                       | भारतीय दंड संहिता, धारा 370(3)    | 10 वर्ष से आजीवन, और जुर्माना                                          | संज्ञेय, गैरज़मानती, और सत्र न्यायालय में मुकदमा-योग्य |
| अवयस्क का व्यापार                                                   | भारतीय दंड संहिता, धारा 370(4)    | 10 वर्ष से आजीवन, और जुर्माना                                          | संज्ञेय, गैरज़मानती, और सत्र न्यायालय में मुकदमा-योग्य |
| एक से अधिक अवयस्क का व्यापार                                        | भारतीय दंड संहिता, धारा 370(5)    | 14 वर्ष से आजीवन, और जुर्माना                                          | संज्ञेय, गैरज़मानती, और सत्र न्यायालय में मुकदमा-योग्य |
| यदि एक से अधिक बार अवयस्क के व्यापार का दोष सिद्ध हुआ हो            | भारतीय दंड संहिता, धारा 370(6)    | आजीवन कारावास, यानी व्यक्ति का शेष सारा जीवन कारावास में, और जुर्माना। | संज्ञेय, गैरज़मानती, और सत्र न्यायालय में मुकदमा-योग्य |
| जब कोई सरकारी कर्मचारी या पुलिस अधिकारी मानव व्यापार में संलिप्त हो | भारतीय दंड संहिता, धारा 370(7)    | आजीवन कारावास, यानी व्यक्ति का शेष सारा जीवन कारावास में, और जुर्माना। | संज्ञेय, गैरज़मानती, और सत्र न्यायालय में मुकदमा-योग्य |
| मानव व्यापार से लाभ गए अवयस्क का यौन शोषण                           | भारतीय दंड संहिता, धारा 370-A (1) | 5 वर्ष से 7 वर्ष और जुर्माना                                           | संज्ञेय, गैरज़मानती, और सत्र न्यायालय में मुकदमा-योग्य |

| अपराध                                                                                        | अधिनियम और धारा                                 | सज़ा                                                                                                      | संज्ञेय/ज़मानती/न्यायालय                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| मानव व्यापार से लाए गए व्यक्ति (वयस्क) का यौन शोषण                                           | भारतीय दंड संहिता, धारा 370-A (2)               | 3 वर्ष से 5 वर्ष और जुर्माना                                                                              | संज्ञेय, गैरज़मानती, और सत्र न्यायालय में मुकदमा-योग्य                                 |
| दासों की आदतन ख़रीद-बिक्री                                                                   | भारतीय दंड संहिता, धारा 371                     | आजीवन कारावास या अधिकतम 10 वर्षों का कारावास, और जुर्माना                                                 | संज्ञेय, गैरज़मानती, अशमनीय और सत्र न्यायालय में मुकदमा-योग्य                          |
| वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से अवयस्क को बेचना                                                   | भारतीय दंड संहिता, धारा 372                     | अधिकतम 10 वर्ष, और जुर्माना                                                                               | संज्ञेय, गैरज़मानती, अशमनीय और सत्र न्यायालय में मुकदमा-योग्य                          |
| वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से अवयस्क को ख़रीदना                                                 | भारतीय दंड संहिता, धारा 373                     | अधिकतम 10 वर्ष, और जुर्माना                                                                               | संज्ञेय, गैरज़मानती, अशमनीय और सत्र न्यायालय में मुकदमा-योग्य                          |
| गैरक्रान्ती बाध्यकारी श्रम                                                                   | भारतीय दंड संहिता, धारा 374                     | अधिकतम 1 वर्ष, और जुर्माना                                                                                | संज्ञेय, गैरज़मानती, अशमनीय और सत्र न्यायालय में मुकदमा-योग्य                          |
| गंभीर बलात्कार                                                                               | भारतीय दंड संहिता, धाराएं 375 और 376            | 7 वर्ष से आजीवन, और जुर्माना                                                                              | संज्ञेय, गैरज़मानती, और सत्र न्यायालय में मुकदमा-योग्य                                 |
| गंभीर बलात्कार                                                                               | भारतीय दंड संहिता, धारा 375                     | कम-से-कम 10 वर्ष से लेकर आजीवन तक, और जुर्माना                                                            | संज्ञेय, गैरज़मानती, और सत्र न्यायालय में मुकदमा-योग्य                                 |
| वेश्यालय बनाकर रखना/परिसर का प्रयोग वेश्यालय के रूप में जानबूझकर होने देना                   | अनैतिक दुर्व्यापार निवारण अधिनियम, 1965, धारा 3 | 2 से 3 वर्ष, और ₹10,000.00 तक का जुर्माना।<br>द्वितीय दोषसिद्धि - 3 से 7 वर्ष, और ₹ 2 लाख तक का जुर्माना। | संज्ञेय, गैरज़मानती (3(2) को छोड़कर) और प्रथम वर्गीय मैजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा-योग्य |
| वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीना                                                                 | ITPA, धारा 4                                    | अधिकतम 2 वर्ष, या ₹1,000.00 तक का जुर्माना।                                                               | संज्ञेय, गैरज़मानती, और प्रथम वर्गीय मैजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा-योग्य                 |
| अवयस्क की वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीना                                                       | ITPA, धारा 4                                    | 7 से 10 वर्ष                                                                                              | संज्ञेय, गैरज़मानती, और प्रथम वर्गीय मैजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा-योग्य                 |
| वेश्यावृत्ति के लिए किसी व्यक्ति की दलाली/आपूर्ति/प्राप्ति या उसे वेश्यावृत्ति के लिए उकसाना | ITPA, धारा 5                                    | 3 वर्ष से 7 वर्ष, और जुर्माना                                                                             | संज्ञेय, गैरज़मानती, और प्रथम वर्गीय मैजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा-योग्य                 |
| किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध वेश्यावृत्ति के लिए लेना या उकसाना                     | ITPA, धारा 5                                    | 14 वर्ष तक                                                                                                | संज्ञेय, गैरज़मानती, और प्रथम वर्गीय मैजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा-योग्य                 |
| वेश्यावृत्ति के लिए अवयस्क को प्राप्त करना                                                   | ITPA, धारा 5                                    | 7 वर्ष से लेकर आजीवन तक                                                                                   | संज्ञेय, गैरज़मानती, और प्रथम वर्गीय मैजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा-योग्य                 |

| अपराध                                                                                                                           | अधिनियम और धारा                                                       | सज़ा                                                                                                                                    | संज्ञेय/ज़मानती/न्यायालय                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| मानव व्यापार (भर्ती, स्थानांतरण, शरण, या प्राप्ति)                                                                              | ITPA, धारा 5B                                                         | कम-से-कम 7 वर्ष, और द्वितीय दोषसिद्धि पर आजीवन कारावास।                                                                                 | संज्ञेय, गैरज़मानती, और प्रथम वर्गीय मैजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा-योग्य |
| मानव व्यापार के किसी पीड़ित के यौन शोषण के प्रयोजन से किसी वेश्यालय में पाया गया व्यक्ति                                        | ITPA, धारा 5C                                                         | 3 माह तक का कारावास, या ₹20,000.00 तक का जुर्माना, या दोनों।<br>द्वितीय दोषसिद्धि पर छः माह तक का कारावास और ₹50,000.00 तक का जुर्माना। | संज्ञेय, गैरज़मानती, और प्रथम वर्गीय मैजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा-योग्य |
| किसी व्यक्ति की सहमति से या सहमति के बिना उसे किसी ऐसे स्थान में कैद करना जहाँ वेश्यावृत्ति होती है                             | ITPA, धारा 6                                                          | 7 से 10 वर्ष                                                                                                                            | संज्ञेय, गैरज़मानती, और प्रथम वर्गीय मैजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा-योग्य |
| किसी सार्वजनिक स्थल के समीप वेश्यावृत्ति                                                                                        | ITPA, धारा 7                                                          | 3 माह तक                                                                                                                                | संज्ञेय, गैरज़मानती, और प्रथम वर्गीय मैजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा-योग्य |
| किसी सार्वजनिक स्थल के भूस्वामी या देखभालकर्ता द्वारा परिसर को वेश्यालय के रूप में या वेश्यावृत्ति के लिए प्रयोग होने दिया जाना | ITPA, धारा 7(2)                                                       | 3 माह तक का कारावास और जुर्माना, द्वितीय दोषसिद्धि पर 6 माह तक का कारावास।<br>होटल का लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।                  | संज्ञेय, गैरज़मानती, और प्रथम वर्गीय मैजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा-योग्य |
| अभिरक्षा में मौजूद व्यक्ति को फुसलाना                                                                                           | ITPA, धारा 9                                                          | 7 वर्ष से आजीवन कारावास तक या 10 वर्ष और जुर्माना                                                                                       | संज्ञेय, गैरज़मानती, और प्रथम वर्गीय मैजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा-योग्य |
| बच्चे पर यौन वेधी हमला                                                                                                          | यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण ("पोक्सो")/("POCSO") अधिनियम, धारा 4 | बच्चे पर यौन हमला                                                                                                                       | संज्ञेय, गैरज़मानती, और सत्र न्यायालय में मुकदमा-योग्य                 |
| बच्चे पर गंभीर यौन वेधी हमला                                                                                                    | POCSO, धारा 6                                                         | बच्चे पर यौन हमला                                                                                                                       | संज्ञेय, गैरज़मानती, और सत्र न्यायालय में मुकदमा-योग्य                 |
| बच्चे पर यौन हमला                                                                                                               | POCSO, धारा 8                                                         | बच्चे पर यौन हमला                                                                                                                       | संज्ञेय, गैरज़मानती, और सत्र न्यायालय में मुकदमा-योग्य                 |
| बच्चे पर गंभीर यौन वेधी हमला                                                                                                    | POCSO, धारा 10                                                        | बच्चे पर यौन हमला                                                                                                                       | संज्ञेय, गैरज़मानती, और सत्र न्यायालय में मुकदमा-योग्य                 |
| बच्चे का यौन उत्पीड़न                                                                                                           | POCSO, धारा 12                                                        | बच्चे पर यौन हमला                                                                                                                       | संज्ञेय, गैरज़मानती, और सत्र न्यायालय में मुकदमा-योग्य                 |

| अपराध                                                                                                                | अधिनियम और धारा                                        | सज़ा                                                                                                       | संज्ञेय/ज़मानती/न्यायालय                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| अश्लील सामग्री के लिए बच्चे का उपयोग                                                                                 | POCSO, धारा 14                                         | 5 वर्ष तक, और द्वितीय दोषसिद्धि के मामले में 7 वर्ष तक।                                                    | संज्ञेय, गैरज़मानती, और सत्र न्यायालय में मुकदमा-योग्य               |
| किसी व्यक्ति को बंधुआ श्रम देने पर विवश करना                                                                         | बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, धारा 16          | अधिकतम 3 वर्ष, और जुर्माना                                                                                 | संज्ञेय, ज़मानती, और प्रथम वर्गीय मैजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा-योग्य  |
| किसी बंधुआ श्रम प्रणाली में पैसे उधार देना                                                                           | BLSA अधिनियम, धारा 17                                  | अधिकतम 3 वर्ष, और जुर्माना                                                                                 | संज्ञेय, ज़मानती, और प्रथम वर्गीय मैजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा-योग्य  |
| किसी ऐसी प्रथा, अनुबंध, परंपरा आदि को लागू करना जिसके कारण किसी व्यक्ति के लिए बंधुआ श्रम प्रदान करना आवश्यक होता है | BLSA अधिनियम, धारा 18                                  | अधिकतम 3 वर्ष, और जुर्माना। पीडित को भुगतान, जुर्माने की राशि से किया जाएगा।                               | संज्ञेय, ज़मानती, और प्रथम वर्गीय मैजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा-योग्य  |
| रिहा पीडित को उसकी संपत्ति न लौटाना                                                                                  | BLSA अधिनियम, धारा 19                                  | अधिकतम 1 वर्ष, और जुर्माना                                                                                 | संज्ञेय, ज़मानती, और प्रथम वर्गीय मैजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा-योग्य  |
| किसी निषिद्ध व्यवसाय या प्रक्रिया में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से काम लेना                                         | बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) ) अधिनियम, 1986, धारा 14    | 3 माह से एक वर्ष का कारावास और/या ₹10,000.00 से 20,000.00 का जुर्माना। द्वितीय दोषसिद्धि - 6 माह से 2 वर्ष | असंज्ञेय, ज़मानती, और प्रथम वर्गीय मैजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा-योग्य |
| सूचना नहीं देना, रजिस्टर बनाकर नहीं रखना, या बाल श्रम निषेध अधिनियम की किसी अन्य शर्त का पालन नहीं करना              | बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) ) अधिनियम, 1986, धारा 14(3) | 1 माह तक का कारावास, और/या ₹10,000.00 तक का जुर्माना                                                       | असंज्ञेय, ज़मानती, और प्रथम वर्गीय मैजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा-योग्य |
| बच्चे से क्रूरता/को त्यागना                                                                                          | किशोर न्याय अधिनियम, धारा 75                           | अधिकतम 3 वर्ष, या जुर्माना, या दोनों                                                                       | संज्ञेय, ज़मानती, और प्रथम वर्गीय मैजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा-योग्य  |
| बच्चे से भीख मँगवाना                                                                                                 | JJ अधिनियम, धारा 76                                    | अधिकतम 5 वर्ष, और जुर्माना                                                                                 | संज्ञेय, ज़मानती, और प्रथम वर्गीय मैजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा-योग्य  |
| बच्चे को मादक पेय, स्वापक दवाएँ या मनःप्रभावी पदार्थ देना                                                            | JJ अधिनियम, धारा 77                                    | अधिकतम 7 वर्ष, और जुर्माना                                                                                 | संज्ञेय, ज़मानती, और प्रथम वर्गीय मैजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा-योग्य  |

| अपराध                                                                      | अधिनियम और धारा                                                                 | सज़ा                                                                                                                                                     | संज्ञेय/ज़मानती/न्यायालय                                             |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| किशोर या बाल कर्मचारी का शोषण                                              | JJ अधिनियम, धारा 26                                                             | अधिकतम 3 वर्ष, और जुर्माना                                                                                                                               | संज्ञेय, ज़मानती, और प्रथम वर्गीय मैजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा-योग्य  |
| उचित प्राधिकार के बिना मानव अंग निकालना                                    | मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994                                              | अधिकतम 5 वर्ष, और जुर्माना। राज्य चिकित्सा परिषद की पंजी से चिकित्सक का नाम पहले अपराध पर 2 वर्षों के लिए और दूसरे अपराध पर हमेशा के लिए काट दिया जाएगा। | असंज्ञेय, ज़मानती, और प्रथम वर्गीय मैजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा-योग्य |
| अंगों की वाणिज्यिक खरीद-बिक्री                                             | मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994                                              | 2 वर्ष से 7 वर्ष, ₹10,000.00 से ₹20,000.00 तक का जुर्माना                                                                                                | असंज्ञेय, ज़मानती, और प्रथम वर्गीय मैजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा-योग्य |
| मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियमय के किसी अन्य उपबंध का उल्लंघन करना           | मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994                                              | अधिकतम 3 वर्ष, या ₹5,000.00 तक का जुर्माना                                                                                                               | असंज्ञेय, ज़मानती, और प्रथम वर्गीय मैजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमा-योग्य |
| किसी SC/ST व्यक्ति को बलात् श्रम करने पर विवश करना                         | अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, धारा 3(1)(h) | 6 माह से 5 वर्ष, और जुर्माना                                                                                                                             | संज्ञेय, गैरज़मानती, और सत्र न्यायालय में मुकदमा-योग्य               |
| किसी SC/ST महिला का बलात्कार                                               | SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, धारा 3(1)(xii)                                 | 6 माह से 5 वर्ष, और जुर्माना                                                                                                                             | संज्ञेय, गैरज़मानती, और सत्र न्यायालय में मुकदमा-योग्य               |
| SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत किसी SC/ST व्यक्ति के विरुद्ध अपराध | SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, धारा 7                                         | मुकदमे के दौरान अपराधी की चल व अचल संपत्ति कुर्क की जा सकती है। अपराध करने में प्रयुक्त संपत्ति को सरकार जब्त कर सकती है                                 | संज्ञेय, गैरज़मानती, और सत्र न्यायालय में मुकदमा-योग्य               |

# भारत

## के सर्वोच्च न्यायालय

## और विभिन्न राज्यों के

## अन्य उच्च न्यायालयों के

## ऐतिहासिक निर्णय

सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के अपने क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं जो मानव व्यापार से लड़ने की सरकार की शक्ति को और मजबूती देते हैं। इस अनुभाग में अधिवक्ताओं और समाजसेवियों के लिए भारत में मानव व्यापार और बलात् श्रम से जुड़े निर्णयों का सारांश दिया गया है।

मानव व्यापार से संबंधित सभी प्रमुख मुद्दों से जुड़े निर्णयों का नीचे प्रस्तुत संकलन, पुटिंग जस्टिस फ्रस्ट: लीगल स्ट्रेटजीज़ टू कॉम्बेट ट्रेफ़िकिंग इन इंडिया<sup>148</sup> से लिया गया है। उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय, दोनों के मामलों के संदर्भ दिए गए हैं। उच्च न्यायालय के नज़ीरी निर्णय केवल संबंधित राज्य पर बाध्यकारी होते हैं, हालाँकि, किसी अन्य राज्य में वैसा ही मुद्दा पैदा होने पर उन्हें न्यायालय के लिए बतौर प्रेरणा प्रयोग किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भारत के सभी राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं।

### जनहित याचिका का उपयोग - भारत के संविधान का 32वाँ अनुच्छेद

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशों, आदेशों, या रिट के ज़रिए मौलिक संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति मिली हुई है। अनुच्छेद 142 के तहत, न्यायालय प्रवर्तनीय बाध्यकारी आदेशों को अंगीकार कर सकती है जिन्हें बाध्यकारी नज़ीरी माना जाता है (गौरव जैन बनाम भारत संघ, AIR 1997 SC 3021)। इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में राहत के लिए कौन आवेदन कर सकता है। उल्लंघन का पीड़ित या पीड़ित का कोई भी सदाशयी/वास्तविक प्रतिनिधि न्यायालय में आवेदन कर सकता है। न्यायालय याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों के निपटान के लिए कोई भी विधि विकसित कर सकता है, जिसमें आयुक्तों की नियुक्ति शामिल है। (बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ (UOI) एवं अन्य, AIR 1984 SC 802)।

### अवैध यौन व्यापार और सामान्य आपराधिक न्याय के प्रावधान

**अभियोग चलाने का दायित्व:** विधि प्रवर्तन एजेंसियों का यह दायित्व है कि वे कानून और मौलिक संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघनों की जाँच करें और उल्लंघन के जिम्मेदार व्यक्तियों पर अभियोग चलाएँ (पीएन स्वामी बनाम थाना प्रभारी, 1998 (1) ALD 755)। राज्य के जिन विधिक अधिकारियों को आपराधिक मामलों को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई है उनका यह दायित्व है कि वे जाँच के मामले में पुलिस अधिकारियों को उनके कानून-सम्मत दायित्वों और जिम्मेदारियों के बारे में बताएँ। (मनोज शॉ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2020 क्रिमिनल लॉ जरनल 1292 (05.08.2019))।

**बचाव अभियान में विशेष पुलिस अधिकारी उपस्थित होना चाहिए:** व्यक्ति का बचाव किसी विशेष पुलिस अधिकारी द्वारा या मैजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत पुलिस अधिकारी द्वारा ही किया जाना चाहिए। (पुष्पा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2004 क्रिमिनल लॉ जरनल 4540, 2004)।

**ITPA के मामलों में जाँच अधिकारियों के लिए दिशानिर्देश:** ITPA, 1956 के तहत आने वाले अपराधों और/या भारतीय दंड संहिता के तहत आने वाले अन्य समवर्गी अपराधों की जाँच में शामिल जाँच अधिकारी जाँच के क्रम में किसी भी यौन कर्मों को गिरफ्तार नहीं करेंगे और उन्हें अपराध का पीड़ित मानेंगे और उन्हें कानून के तहत उपलब्ध सभी उपचारी उपाय प्रदान करेंगे, जैसे गवाह सुरक्षा कार्यक्रम, अंतरिम क्षतिपूर्ति और/या अन्य पुनर्वास उपायों की प्रदायगी और संरक्षात्मक अभिरक्षा। अवयस्क पीड़ित को देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास के लिए CWC के पास भेजा जाना चाहिए। (मनोज शॉ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2020 क्रिमिनल लॉ जरनल 1292 (05.08.2019))। पश्चिम बंगाल राज्य बनाम संगीता साहू @Shaw MANU/WB/0559/2018 में, न्यायालय ने ITPA मामलों की कार्यविधियाँ निर्धारित की थीं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (1) प्राथमिकी की जाँच किसी विशेषज्ञ एजेंसी, जैसे AHTU, द्वारा की जानी चाहिए; (2) पीड़ितों के बयान अनिवार्य रूप से CrPC की धारा 164 के तहत दर्ज किए जाने चाहिए; (3) पीड़ितों को चिकित्सीय और वित्तीय सहायता तथा पुलिस सुरक्षा मिलनी चाहिए; और (4) अभियोजन शीघ्रता से किया जाना चाहिए।

**प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट):** FIR या प्राथमिकी, मुकदमे के मौखिक साक्ष्य की पुष्टि के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण साक्ष्य होती है। यदि प्राथमिकी संदेहपूर्ण हो, तो पूरे-के-पूरे सरकारी अभियोजन केस पर संदेह खड़ा हो जाता है। जो भी व्यक्ति

<sup>148</sup> परिशिष्ट 1, पुटिंग जस्टिस फ्रस्ट: लीगल स्ट्रेटजीज़ टू कॉम्बेट ट्रेफ़िकिंग इन इंडिया, जिसे फ्रीडम फंड के साथ भागीदारी में थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन ने लॉन्च किया है। इस अनुभाग में उद्धृत निर्णय विधि (केस कानून) का संकलन लूथरा एंड लूथरा लॉ ऑफिसर्स ने जनहित में फ्रीडम फंड को दिया है। लूथरा एंड लूथरा द्वारा संकलित कानूनों और संबंधित निर्णय विधि (केस कानून) की व्यापक तालिकाएँ फ्रीडम फंड से अनुरोध पर उपलब्ध हैं।

इसका सत्यापन करता है उसे इसकी विषय-वस्तु ज्ञात होनी चाहिए। (मोहम्मद अली अल गितार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2014 (1) ACR 279)। कोई मामूली गलती, जैसे प्राथमिकी में पता गलत होना, सरकारी अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं होती है, विशेष रूप से तब जब उसे बाद में ठीक कर दिया गया हो (आशा तमांग बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2012 (1) CHN 465)। अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों से संबंधित प्राथमिकी कोई भी व्यक्ति दर्ज करा सकता है (2011 (2) ACR 1435, 2011)।

किसी संज्ञेय अपराध के होने की प्राथमिकी पुलिस को पंजीकृत करनी ही होती है, क्योंकि न्याय मिलने की राह में यही पीड़ित का पहला कदम होता है। पुलिस के पास प्राथमिकी पंजीकृत करने से मना करने का विकल्प या विवेकाधिकार नहीं होता है, तब भी नहीं जब सूचना विश्वसनीय या तर्कसंगत न हो। (ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य, AIR 2014 SC 187 (भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान बेंच का एक निर्णय))। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि पुलिस का यह दायित्व है कि वह संज्ञेय अपराध के मामले में प्राथमिकी पंजीकृत करे, तब भी जब उक्त अपराध किसी अन्य पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार के भीतर हुआ हो; ऐसी स्थिति में, प्राथमिकी उस सही पुलिस स्टेशन को भेजी जानी चाहिए जिसका उस अपराध की जाँच पर क्षेत्राधिकार है, और ऐसी प्राथमिकी को अक्सर ‘शून्य प्राथमिकी’ (जीरो FIR) कहा जाता है। (सतविंदर कौर बनाम राज्य (दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार), AIR 1999 SC 3596)। मैजिस्ट्रेट, CrPC की धारा 156(3) के तहत प्रदत्त शक्ति का उपयोग करके, न केवल पुलिस को प्राथमिकी पंजीकृत करने और मामले की जाँच करने का निर्देश दे सकते हैं, बल्कि वे जाँच की निगरानी भी कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जाँच निष्पक्ष और उचित ढंग से की जा रही हो, विशेष रूप से उन मामलों में जिनमें जाँच उचित ढंग से नहीं की जा रही है। (सकीरी वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, AIR 2008 SC 907)।

**ज़मानत के विरुद्ध पूर्वधारणा:** गुड़िया स्वयं सेवी संस्थान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2009 (10) SCALE 516) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि अपराध की गंभीरता (अवयस्क लड़कियों का यौन व्यापार) को देखते हुए उच्च न्यायालय को अवैध यौन व्यापार के आरोपितों की ज़मानत स्वीकृत नहीं करनी चाहिए थी।

2008 के शेख जफ़्फ़ार शेख अहमद बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (2008 क्रिमिनल लॉ ज़रनल 2413) के मामले में, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय ने भी यही निर्णय दिया था कि ITPA के तहत आने वाले मामले बहुत गंभीर प्रकृति के होते हैं, और जब तक अपवादस्वरूप परिस्थितियाँ या तथ्य मौजूद न हों तब तक, ज़मानत अस्वीकार की जानी चाहिए। ज़मानत स्वीकार की जाए इस निर्धारण में, अपराध की गंभीरता के साथ-साथ आरोपित की संपदा और प्रभाव पर, और उस कारण से उसकी जाँच को प्रभावित करने तथा गवाहों को डराने की योग्यता पर भी विचार किया जा सकता है (सौदाबीवी बनाम पुलिस उप-निरीक्षक, पल्लिकल पुलिस स्टेशन एवं एक अन्य, 2012 (1) क्राइम्स 574)।

**फ़्रीडम फ़र्म बनाम प्रतिवादी:** पुलिस आयुक्त, पुणे, एवं अन्य MANU/MH/3295/2015, में न्यायालय ने ITPA के तहत ज़मानत आवेदनों पर विचार के लिए व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित किए थे, जिनमें शामिल हैं: (1) यदि अपराधी बार-बार/आदतन अपराध करता है, पीड़ित अवयस्क है, या अपराध हिंसक है तो ज़मानत अस्वीकार की जानी चाहिए बशर्त अकाट्य परिस्थितियाँ उपस्थित न हों; (2) वेश्यालय स्वामी की ज़मानत तब तक स्वीकार नहीं की जानी चाहिए जब तक वेश्यालय को बंद करके सील न कर दिया जाए; (3) मुकदमे का निर्णय होने तक आरोपित की साप्ताहिक उपस्थिति, ज़मानत की एक शर्त होनी चाहिए; (4) आरोपित को कभी-भी पीड़ित तक पहुँचने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए; (5) पीड़ित के पास ज़मानत की कार्यवाहियों के दौरान विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार है; और (6) मैजिस्ट्रेट व न्यायाधीशों को ज़मानत आवेदन पर निर्णय लेते समय प्रदत्त ज़मानत जाँचसूची प्रारूप का उपयोग करना चाहिए, जिसमें आपराधिक इतिहास पर विचार करना शामिल है।

**मुकदमा तेज़ी से शुरू किए/आगे बढ़ाए जाने का अधिकार, विशेष रूप से तब यदि मुकदमा-पूर्व कैद में हो:** व्यक्ति के पास मुकदमा तेज़ी से शुरू किए/आगे बढ़ाए जाने का अधिकार है, विशेष रूप से तब जब उसे मुकदमे से पहले अभिरक्षा में रखा गया हो। (राजदेव कुमार मथुरा यादव पप्पू बनाम महाराष्ट्र राज्य फ़ौजदारी आवेदन संं. 4943 वर्ष 2009)।

**वीडियो कॉन्फ़रेंसिंग:** यदि गवाहों के लिए परिस्थिति विशेष के कारण एक से दूसरे राज्य की यात्रा असुविधाजनक हो, तो बयान वीडियो कॉन्फ़रेंसिंग के ज़रिए दर्ज किए जा सकते हैं (न्यायालय अपने स्वयं के प्रस्ताव पर बनाम राज्य (CrI. W. 532/1992 में CrI. M. 1467/04; आदेश: 27.02.2004)। वीडियो कॉन्फ़रेंसिंग का उपयोग करते समय न्यायाधीश को महाराष्ट्र राज्य बनाम डॉ प्रफुल्ल बी. देसाई, (2003) 4 SCC 601 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सुरक्षा-उपायों का पालन करना होगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने मानव व्यापार के पीड़ितों के लिए वीडियो कॉन्फ़रेंसिंग की सुविधा का और मानव व्यापार के बाल पीड़ितों/गवाहों, जिनके लिए न्यायालय में गवाही देना आवश्यक है, की गवाहियों की वर्चुअल रिकॉर्डिंग की सुविधा का आदेश दिया था, क्योंकि उनमें से कई पीड़ित/गवाह अन्य राज्यों के दूर-दराज़ के स्थानों पर रह रहे हो सकते हैं। बाल संरक्षण गृहों में कोविड 19 वायरस का रोग संचार बनाम एन रघुपति, 1 दिसंबर, 2020 [SMW (C) No.4/2020] के संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि हालाँकि वैश्विक-महामारी ने बच्चों और अन्य असुरक्षित पीड़ितों द्वारा गवाहों के रूप में न्यायालय में गवाही देने के वैकल्पिक तरीके की तलाश को आवश्यक बनाया है, पर वीडियो कॉन्फ़रेंसिंग के व्यावहारिक सुझाव को अंतरराज्यीय, अंतरनगरीय, या अंतरजनपदीय क्षेत्राधिकार वाले मामलों में मानव व्यापार के बाल पीड़ितों/पीड़ितों की गवाहियों की रिकॉर्डिंग के लिए स्थायी मानक बनाया जा सकता है। कोविड-19 वैश्विक-महामारी के दौरान मानव व्यापार के मामलों में बाल पीड़ितों और

गवाहों की गवाही दर्ज करने के संबंध में JVI द्वारा दायर एक जनहित याचिका के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि ऐसे मामलों में बाल गवाहों की गवाहियाँ वीडियो कॉन्फ़रेंसिंग के ज़रिए दर्ज की जाएँ, ताकि बच्चे अपने निवास स्थान से अपनी गवाही दर्ज करा सकें। संतोष विश्वनाथ शिंदे एवं एक अन्य बनाम भारत संघ एवं एक अन्य, SMW(C) संं. 4/2020 साथ में W.P.(CrI). संं. 274/2020 (प्रकाशन के समय विचाराधीन)।

**पीड़ित का विरोधी हो जाना - पिछले बयानों पर निर्भरता:** विरोधी हो गए गवाह की गवाही को पूरी तरह से त्यागा नहीं जा सकता है, और उक्त गवाह की पिछली गवाही का उपयोग अन्य विश्वसनीय साक्ष्य की पुष्टि के लिए किया जा सकता है। जब गवाह की परीक्षा न लेने के कारण आरोपित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो या जब संबंधित दस्तावेजों या गवाहियों से अन्य स्वीकार्य साक्ष्य उपलब्ध हो, तो सरकारी अभियोजन का पक्ष प्रभावित नहीं होगा। (आशा तमांग बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2012 (1) CHN 465)।

**बाल वेश्यावृत्ति और बाल व्यापार: सलाहकार समितियों की स्थापना:** सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की सरकारों को बाल वेश्यावृत्ति के उन्मूलन के उपाय और, देखभाल, उपचार, विकास और पुनर्वास के लिए लागू किए जाने वाले कार्यक्रम सुझाने के लिए सलाहकार समितियों का गठन करना चाहिए। सभी सरकारों को सुयोग्य व प्रशिक्षित समाजसेवियों, मनोरोगविज्ञानियों और चिकित्सकों से सुसज्जित पुनर्वास गृह प्रदान करने के क़दम उठाने चाहिए। (विशाल जीत बनाम भारत संघ एवं अन्य, AIR 1990 SC)।

- पॉक्सो अधिनियम का कार्यान्वयन:** अर्जुन किशनराव मालगे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य [फ़ौजदारी जनहित याचिका 5, वर्ष 2021)]। 8 अप्रैल, 2021 को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने पॉक्सो अधिनियम, 2012 और पॉक्सो नियम, 2020 का कठोर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए थे। आदेश में आरोपित के अधिवक्ता, पुलिस अधिकारियों और न्यायालय को यौन दुर्व्यवहार के बाल पीड़ितों के दो अति महत्वपूर्ण अधिकार, नामतः सूचित किए जाने का अधिकार और विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार, लागू करने के कुछ दायित्व सौंपे गए थे।
  - आरोपित के अधिवक्ता का दायित्व: जब भी कभी आरोपित न्यायालय में कोई आवेदन दायर करे (जैसे, ज़मानत आवेदन) तो (पीड़ित के माता-पिता, सहयोगी व्यक्ति या अधिवक्ता के ज़रिए) पीड़ित को नोटिस भेजकर पीड़ित को सूचित करना। इससे पीड़ितों को क़ानूनी कार्यवाहियों में भाग लेकर अपनी चिंताएँ न्यायालय के सामने रखने का अवसर मिल पाता है। यदि पीड़ित को सूचित किए बिना या पीड़ित को आवेदन की प्रति प्रदान किए बिना किसी पॉक्सो न्यायालय में कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो पीड़ित के पास क़ानून के तहत यह उपाय है कि वह ऐसे किसी भी आवेदन पर पारित आदेश को चुनौती दे सकता है।
  - मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारियों का दायित्व: (1) क़ानूनी कार्यवाही के हर कदम के बारे में (पीड़ित के माता-पिता, सहयोगी व्यक्ति या अधिवक्ता के ज़रिए) पीड़ित को सूचित करना। (2) न्यायालय को इस बारे में सूचित करना कि नोटिस (पीड़ित के माता-पिता, सहयोगी व्यक्ति या अधिवक्ता के ज़रिए) पीड़ित तक पहुँचाया गया है या नहीं।
- न्यायालय का दायित्व: आवेदन की सुनवाई करने से पहले नोटिस तामीली की स्थिति का पता लगाना।

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भी यह पुनः पुष्टि की कि बाल यौन दुर्व्यवहार के पीड़ितों के पास विधिक प्रतिनिधित्व का अधिकार है, यानी कोई भी पीड़ित क़ानूनी कार्यवाहियों में सरकारी अभियोजक की सहायता के लिए किसी अधिवक्ता को नियुक्त कर सकता है। अवयस्क पीड़ित मुफ्त क़ानूनी सहायता सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। पीड़ित अपने अधिवक्ता के ज़रिए अपनी चिंताएँ न्यायालय के सामने रख सकता है।

**महिलाओं और लड़कियों को पुनर्वास गृह भेजना:** ITPA के वे प्रावधान असंवैधानिक नहीं हैं जो मैजिस्ट्रेट को बचाई गई महिलाओं को पुनर्वास गृह में अभिरक्षा में रखे जाने का आदेश देने की शक्ति देते हैं। हालाँकि, सरकारी कल्याण गृह अच्छी अवस्था में होने चाहिए और NGO के पास कल्याण गृह की स्थापना का लाइसेंस होना चाहिए। (पीएन स्वामी बनाम थाना प्रभारी, 1998 (1) ALD 755)। बाद में, बुद्धदेव कर्मस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के 2011 वाले मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलोकन दिया कि बचाव के बाद यौन कर्मियों को इन गृहों में बने रहने पर विवश करना कभी-कभी वयस्क महिलाओं के साथ कैदियों जैसा व्यवहार करने के समान हो जाता है। साथ ही, न्यायालय ने यह अवलोकन भी दिया कि अस्थायी या दीर्घकालिक अभिरक्षा गृह कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं हैं, बल्कि कौशल-उन्नयन और सशक्तीकरण की आवश्यकता है।

न्यायालय ने यह आदेश दिया कि:

- राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र (विशेषज्ञ पैनलों के ज़रिए) यौन कर्मियों के सर्वेक्षण करके पता लगाएँ कि उनमें से कौन, रोज़गार के किसी नए क्षेत्र को अपनाने के लिए सहायता तलाश रहा है।
- यदि परिवार किसी लड़की को यौन कार्य में धकेल रहा है तो NGO या अधिकारियों को ऐसी परिस्थितियों के बारे में राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष/सचिव को सूचित करना होगा।
- राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों को सभी कर्ताओं – यानी NGO, राज्य अधिकारियों, यौन कर्मियों और मानव व्यापार के पीड़ितों – के उपयोग के लिए एक कानूनी सहायता एवं सामान्य सहायता हेल्पलाइन नंबर प्रदान करना चाहिए।
- यौन कर्मियों के लिए रोज़गार के वैकल्पिक रूपों और पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- यदि संभव हो तो अवैध यौन व्यापार के पीड़ितों को पुनर्वास के लिए उनके गृह राज्य वापस भेजा जाना चाहिए (सवेरा, श्रीमती तारा केरकर एवं अन्य बनाम गोआ राज्य एवं अन्य, रिट याचिका सं. 365 वर्ष 1997 साथ में दीवानी आवेदन सं. 206/97)।

वयस्क (बालिग) पीड़ितों को उनकी इच्छा के विरुद्ध अनावश्यक रूप से निरुद्ध नहीं रखा जा सकता है, और एक स्थान से दूसरे स्थान जाने या अपनी पसंद के स्थान पर निवास करने और अपना व्यवसाय चुनने के उनके मौलिक अधिकार पर विचार किया जाना आवश्यक है। (काजल मुकेश सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2020(4) बॉम्बे केसेज़ रिपोर्टर (क्रि) 172)।

**वेश्यालय बंद करना और वहाँ से निष्कासन:** यदि किसी सार्वजनिक स्थान के 200 मी के दायरे के भीतर आने वाले किसी स्थान पर यौन कार्य किया जा रहा है, तो उसे आपराधिक सरकारी अभियोजन की आवश्यकता के बिना बंद किया जा सकता है। हालाँकि, अधिभोक्ता (वहाँ बसने/रहने वाले व्यक्ति) को निकालने के लिए दोषसिद्धि आवश्यक है (चेतन जे. वासवानी एवं एक अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य एवं एक अन्य (1975))। अधिभोक्ता का स्वामी होना आवश्यक नहीं है, वह पट्टेदार हो सकता है। यदि मैजिस्ट्रेट यह मानते हैं कि स्वामी के पास गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं थी, तो परिसर उसे वापस सौंप दिया जाएगा (धानसिंह गोपाल चौहान बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2005 (3) महाराष्ट्र लॉ जरनल 500); हालाँकि, न्यायालय यह आदेश भी दे सकता है कि संपत्ति को ‘कुर्क’ कर लिया जाए, ताकि यदि स्वामी संपत्ति को दोबारा पट्टे पर देना चाहे तो उसे पहले न्यायालय से स्वीकृति लेनी होगी। (राज्य बनाम कल्पना रंगनाथ गलफडे)।

बाल श्रम और बाल व्यापार

**एम सी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 6 (SCC) 756:** सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को ऐसे 14 वर्ष से छोटे सभी बच्चों की पहचान हेतु सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया जो खतरनाक उद्योगों में कार्य कर रहे हैं। सरकारों को पहचाने गए बच्चों को कार्य से हटाने और उन्हें शिक्षा मिले यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, न्यायालय ने यह सुझाव भी दिया कि बाल श्रम अधिनियम का अतिक्रमण करने वाला नियोक्ता एक जुर्माना चुकाए जिसे पुनर्वास निधि में जमा कर दिया जाए।

न्यायालय ने एक अधिवक्ता समिति को बाल श्रम से निपटने की अनुशंसाओं वाली एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने को भी कहा। अनुशंसाओं में शामिल थीं (ये संपूर्ण सूची नहीं है):

- नियोक्ताओं को बच्चों को दिन में छः घंटों से अधिक कार्य नहीं करने देना चाहिए।
- नग-दर वेतन खत्म कर दिया जाना चाहिए, और भुगतान मासिक आधार पर किया जाना चाहिए। वेतन, बच्चों द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में होना चाहिए।
- बच्चों को घर से कार्यस्थल लाने और वापस ले जाने के लिए परिवहन की सुविधा, बुनियादी आहार, मनोरंजन, घुलने-मिलने और शिक्षा की सुविधाएँ, ये सभी बीमा योजना में शामिल होनी चाहिए।
- एक कल्याण निधि और समिति का गठन किया जाना चाहिए, जो या तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के प्रति जवाबदेह हो। नियोक्ताओं और राज्यों, दोनों को निधि में प्रति कर्मी प्रति माह 2-2 रुपये जमा करने चाहिए।
- बाल श्रम के चरणबद्ध उन्मूलन हेतु योजना तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय बाल कल्याण आयोग का गठन किया जाना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के प्रति जवाबदेह हो।

**समग्र जनता बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, 1997 (4) बॉम्बे केसेज़ रिपोर्टर 171:** न्यायालय ने बाल व्यापार से संबंधित विभिन्न निर्देश जारी किए, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (1) जिन क्षेत्रों में यौन कर्मी कार्य करते हैं वहाँ कड़ी सतर्कता बनाए रखी जाए ताकि बाल यौन कर्मियों को बचाया जा सके और मानव व्यापारियों को सज़ा

को सज़ा दी जा सके; (2) राज्य सरकार को महिलाओं के व्यापार की रोकथाम के क़दम उठाने चाहिए; (3) बचाए गए यौन कर्मियों, जिनमें बच्चे शामिल हैं, के लिए पुनर्वास गृह स्थापित किए जाने चाहिए; और (4) राज्य सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट पेश करनी चाहिए जिनमें बताया गया हो कि न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में क्या-क्या क़दम उठाए गए।

**बाल संरक्षण गृहों में कोविड-19 वायरस का रोग-संचार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (रिट याचिका 5327 वर्ष 2020) (10.06.2020) (न्यायालय अपने स्वयं के प्रस्ताव पर) के संदर्भ में:** कलकत्ता उच्च न्यायालय ने श्रम विभाग के सचिव को इस निष्कर्ष की जाँच का निर्देश दिया कि कोविड-19 लॉकडाउन हटाने से श्रम और वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए बच्चों के व्यापार में उछाल आएगा, और बाल श्रम के रोकथाम के लिए तथा दोषियों को सज़ा देने के लिए श्रम विभाग द्वारा उठाए गए क़दमों की रिपोर्ट पेश करने को कहा।

- कर्नाटक में बाल श्रम और वेतन:** ए श्रीराम बाबू बनाम मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार, बंगलुरु एवं अन्य: (निर्णय नहीं बल्कि आदेश) 1998 (1) कर्नाटक लॉ जरनल 191
- न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत बच्चों और वयस्कों के लिए समान वेतन अधिसूचित किए जा सकते हैं।
  - 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम लेने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए।
  - राज्य को बाल कल्याण से संबंधित एक अलग व स्वतंत्र विभाग गठित करना चाहिए।
  - राज्य को बच्चों के जन्म का और 14 वर्ष की आयु पाने तक उनकी प्रगति का रिकॉर्ड बनाकर रखना चाहिए। प्रगति में इस बात की निगरानी होनी चाहिए कि बच्चा स्कूल जाता है या काम करता है, और यदि काम करता है तो कहाँ करता है।
  - राज्य को अनाथ बच्चों के लिए अधिकतम संभव संख्या में देखभाल गृह बनाने चाहिए।
  - राज्य को सारे श्रम क़ानून भी कड़ाई से लागू करने चाहिए। चिकित्सीय जाँचें होनी चाहिए, और फ़ैक्टरी या कार्यस्थल को सुखद व स्वच्छ बनाया जाना चाहिए। जहाँ बड़ी संख्या में बच्चों से काम लिया जाता हो ऐसे स्थानों में, राज्य को स्कूल खोलने पर विचार करना चाहिए, जैसा सर्वोच्च न्यायालय ने (एमसी मेहता केस में) इंगित किया है।
  - राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को वही लाभ मिलें जो वयस्कों को मिलते हैं।
  - सरकार को असंगठित क्षेत्र में कार्यरत बाल श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एक निधि बनानी चाहिए।
  - सरकार को क़ानून तोड़ने वाले नियोक्ताओं का रिकॉर्ड बनाकर रखना चाहिए और लाइसेंस व अन्य लाभ स्वीकृत करते समय इस रिकॉर्ड को विचार में रखना चाहिए।

**उत्तर प्रदेश में बाल श्रम:** 2008 के विष्णु दयाल शर्मा 2009 (64) ACC 52 केस में यह निर्णय दिया गया कि:

- सरकारी अभियोजन के मामलों में तेज़ी से निर्णय दिया जाना चाहिए, यदि संभव हो तो तीन माह के भीतर।
- UNICEF और NGO बचाए गए बच्चों का सर्वेक्षण करके ग़ायब होने का कारणों का पता लगाएँ। बचाए गए सभी बच्चे CWC के सामने पेश किए जाएँ।

निम्नलिखित के बारे में न्यायालय के अगले दिनांक पर अपडेट मिलनी है:

- हर जिले में किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियों का गठन।
- सभी उपलब्ध शेष बाल श्रमिकों के सरकारी योजनाओं और स्कूलों में नामांकन हेतु किए जा रहे उपाय। जब बाल श्रमिकों के परिवार स्वयं-सहायता समूहों का गठन कर लें तो उन्हें ऋण देने पर विचार करें।
- स्कूल नहीं जाने/स्कूल छोड़ने वाले बच्चों और स्कूल में नामांकन की पहचान और निगरानी के लिए प्रायोगिक आधार पर एक प्रगति वेबसाइट की स्थापना। बच्चे स्कूल क्यों छोड़ते हैं इस बारे में बच्चों की प्रगति पर निगरानी के लिए एक ‘डेटा बैंक’ योजना का कार्यान्वयन।
- लापता बच्चों और उनके माता-पिता के लिए उपलब्ध क़ानूनी सहायता के बारे में जानकारी दी जाए।

**बाल कल्याण समिति - महाराष्ट्र केस:** प्रथम संभव अवसर पर, मैजिस्ट्रेट को व्यक्ति की आयु का निर्धारण करवाना चाहिए, और यदि वह किशोर हो तो उसे बाल कल्याण समिति के पास भेजना चाहिए। बच्चों की देखभाल, संरक्षण और घर वापसी से संबंधित मामलों के निपटारे में CWC का निर्णय अंतिम होगा, जिसमें यह आकलन शामिल है कि माता-पिता/संरक्षक बच्चे की अभिरक्षा वापस लेने में सक्षम हैं या नहीं। कोई भी अधिवक्ता बच्चे की ओर से CWC के सामने पेश नहीं हो सकता है, केवल माता-पिता और संरक्षक ही स्वयं या किसी अधिवक्ता के ज़रिए पेश हो सकते हैं (प्रेरणा बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, 2003)।

**बाल कल्याण समिति का महत्व:** मुन्नी बनाम महाराष्ट्र राज्य - फ़ौजदारी रिट याचिका सं. 227, वर्ष 2011 (बॉम्बे उच्च न्यायालय)। एक मैजिस्ट्रेट के मानव व्यापार के एक अवयस्क पीड़ित की अभिरक्षा के आवेदन पर निर्णय लेने से मना करने और उस आवेदन को विचार के लिए CWC के पास भेजने के आदेश का समर्थन करते हुए, न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि बचाए गए अवयस्क बच्चे के पुनर्वास के दृष्टिकोण से देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे की सुरक्षात्मक अभिरक्षा के निर्णय पर किसी सक्षम अर्द्ध-न्यायिक प्राधिकरण, जैसे JJ अधिनियम के तहत गठित बाल कल्याण समिति, को विचार करना चाहिए। संपूर्ण बेहुरुआ बनाम भारत संघ, (2018) 4 SCC 433 [09.02.2018]। JJ अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में राज्य सरकारों की विफलता का उल्लेख करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्देश दिए कि (1) JJ अधिनियम लागू करने और पंजीकृत बाल देखभाल संस्थानों के रखरखाव के लिए NGO और नागरिक समाज की सहायता ली जानी चाहिए; (2) राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि JJB और CWC में जितनी भी रिकियाँ हों उन्हें शीघ्रता से भरा जाए, और वे नियमित रूप से बैठकें करें ताकि किसी भी समय विशेष पर न्यूनतम संख्या में जाँचें लंबित हों; (3) बच्चों के लाभ के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाइयों और बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों के दायित्वों की पहचान की जानी चाहिए; और (4) JJB, CWC, परिवीक्षा अधिकारी, बाल संरक्षण सोसायटियों और जिला बाल संरक्षण इकाइयों के सदस्यों, विशेष किशोर पुलिस इकाइयों, बाल कल्याण पुलिस अधिकारियों और बाल देखभाल संस्थानों के प्रबंधकीय कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए और उनके पदों से संबंधित पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

**बाल श्रम के मामलों में प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए, और जब तक पूर्व-वेतन चुका न दिए जाएँ तब तक व्यवसाय को बंद कर देना चाहिए - दिल्ली केस:** सेव द चाइल्डहुड फ़ाउंडेशन बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि बाल श्रम के सभी मामलों में प्राथमिकी दर्ज की जाए, और जब तक पूर्व-वेतन या न्यायालय द्वारा लगाए गए जुर्माने, जो भी लागू हो, चुका न दिए जाएँ तब तक व्यवसाय को सील किया जाए (लाइसेंस रद्द/निलंबित किए जाएँ)। दोषसिद्धि आवश्यक नहीं है।

प्लेसमेंट एजेंसियाँ – बाल व्यापार और श्रम: 2012 के बचपन बचाओ एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बाल व्यापार और श्रम के बारे में, विशेष रूप से बच्चों और वयस्कों को कार्यस्थलों पर भर्ती दिलवाने वाली प्लेसमेंट एजेंसियों के नियमन के बारे में, कई निर्देश प्रदान किए थे:

- श्रम विभाग को ऐसी सभी प्लेसमेंट एजेंसियों का पंजीकरण करना चाहिए जो दिल्ली में लोगों को रोज़गार के लिए भर्ती दिलवाती हैं।
- CWC को एक रिपोर्ट पेश करनी चाहिए जिसमें बाल घरेलू कर्मियों की शिकायतें हल करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण होना चाहिए। CWC सेवाओं तक पहुँचने के तरीके की जानकारी ऑनलाइन डाली जानी चाहिए।
- केवल एक प्रवर्तन एजेंसी का गठन किया जाना चाहिए ताकि भ्रम घटे और सुलभता बढ़े।
- सॉलिसिटर जनरल द्वारा तैयार “इंडियन चाइल्ड: इंडियाज़ एटरनल होप एंड फ़्यूचर” नामक रिपोर्ट में NGO और पुलिस के लिए दिए गए दिशानिर्देशों को अपनाया जाए।
- ग्राम न्यायालयों और पंचायतों को संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान को प्रेरित किया जाए। हर ज़िला परिषद में एक संपर्क बिंदु स्थापित किया जाना चाहिए।

समेकित बाल संरक्षण योजना लागू की जानी चाहिए।

लापता बच्चे

2013 के बचपन बचाओ एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि:

- लापता बच्चों के सभी मामलों में, अपहरण या मानव व्यापार का अपराध होने का अनुमान माना जाएगा, तब के सिवाय जब जाँच द्वारा अन्यथा सिद्ध हो। इसलिए, सभी मामलों का पंजीकरण और जाँच संज्ञेय अपराध के रूप में की जानी है। यदि प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है और बच्चा अभी-भी लापता है, तो एक माह के भीतर प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए।
- लापता बच्चा “अठारह वर्ष से कम आयु का ऐसा व्यक्ति है जिसके ठौर-ठिकाने के बारे में उसके माता-पिता, कानूनी संरक्षकों और जिस अन्य व्यक्ति को बच्चे की अभिरक्षा कानूनन सौंपी जा सकती है उस अन्य व्यक्ति को पता नहीं है, ग़ायब होने की परिस्थितियाँ/कारण चाहे जो भी हों। जब तक उस बच्चे का पता न चल जाए और/या उसकी सुरक्षा/कुशलक्षेम प्रमाणित न हो जाए तब तक उस बच्चे को किशोर न्याय अधिनियम के उत्तरवर्ती भाग के अर्थ की सीमा में देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा माना जाएगा।”

- यदि कोई लापता बच्चा प्राथमिकी दर्ज होने से चार माह बाद भी बरामद नहीं होता है, तो मामले को सघन जाँच के लिए मानव व्यापार-रोधी इकाई (AHTU) को भेजा जाएगा। AHTU जाँच के बारे में विधिक सेवाएँ प्राधिकरण को नवीनतम जानकारी से अवगत रखने के लिए हर तीस माह पर स्थिति रिपोर्ट पेश करेगी।
- बच्चों से संबंधित (असंज्ञेय अपराधों की) सभी शिकायतें मैजिस्ट्रेट को भेजे जाने के बाद उनकी जाँच की जाएगी।
- पुलिस बरामद हुए हर बच्चे का फोटो लेगी।
- लापता बच्चों के मामलों को संभालने के लिए एक मानक प्रचालन कार्यविधि विकसित की जानी चाहिए। मानक प्रचालन कार्यविधि के भाग के रूप में, स्थानीय पुलिस को लापता बच्चों के मामलों की निगरानी के लिए उच्च न्यायालयों और राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के साथ मिलकर एक प्रोटोकॉल स्थापित करनी चाहिए।
- न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि:
- हर पुलिस स्टेशन में किशोर न्याय अधिनियम के तहत निर्देशानुसार एक किशोर कल्याण अधिकारी होना चाहिए। साथ ही, इस आदेश में दिए गए निर्देश विधिवत लागू किए जाएँ यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस स्टेशनों में एक विशेष किशोर अधिकारी को शिफ़्टों में इयूटी पर होना चाहिए। लापता बच्चों की शिकायतों के प्रबंधन की निगरानी के लिए पुलिस स्टेशनों में विधिक सेवाएँ प्राधिकरण द्वारा भर्ती किए गए परा-विधिक (पैरालीगल) स्वयंसेवी को भी तैनात किया जाना चाहिए।
- लापता बच्चों का पता लगाने और उनकी घर वापसी के लिए एक ऐसा कंप्यूटरीकृत प्रोग्राम बनाया जाना चाहिए जो बाल संरक्षण और बाल पुलिस इकाइयों के बीच नेटवर्क स्थापित करे।
- लापता बच्चों की खोज के दिशानिर्देश। होरी लाल बनाम पुलिस आयुक्त, दिल्ली एवं अन्य प्रतिवादीगण (14.11.2002) में, सर्वोच्च न्यायालय ने लापता बच्चों की खोज के दिशानिर्देश निर्धारित किए थे, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- सूचना से एक सप्ताह के भीतर, लापता व्यक्तियों के फोटोग्राफ शीघ्रता से समाचार-पत्रों में प्रकाशित करें और टेलीविज़न पर प्रसारित करें;
- आस-पड़ोस में और कार्य/पढ़ाई के स्थानों में पूछताछ करें और पता करें कि क्या परिवार में पहले कभी हिंसा की घटनाएँ हुई हैं या ऐसी घटनाओं की सूचनाएँ मिली हैं;
- जाँच अधिकारी को फ़ॉलो अप करके सुनिश्चित करना चाहिए कि माता-पिता से माँगे गए रिकॉर्ड प्राप्त हों;
- लापता व्यक्ति का सुराग देने वाले को इनाम की घोषणा, व्यक्ति के ग़ायब होने से एक माह के भीतर कर देनी चाहिए।
- दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नै जैसे महानगरों में जाँच अधिकारी को तत्काल बदनाम गलियों में जाकर अवयस्क लड़कियों की तलाश करनी चाहिए। यदि कोई अवयस्क लड़की (जो वहाँ चाहे हाल में लाई गई हो या नहीं) मिले तो उसे उसकी अनुमति से बाल गृह ले जाया जा सकता है (किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 34), और IO को उसे चिकित्सीय/अन्य सुविधाएँ देने के उपयुक्त क़दम उठाने चाहिए।

| बंधुआ श्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>बंधुआ श्रम का अर्थ और उपचार/उपाय के लिए कौन आवेदन कर सकता है:</p> <p>पीपल्स यूनियन फ़ॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ (1982) 3 SCC 235:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>अनुच्छेद 23 के तहत “बलात् श्रम” में न्यूनतम वेतन से कम पारिश्रमिक मिलना शामिल है। “बल” का अर्थ केवल भौतिक/शारीरिक बल तक सीमित नहीं है और गरीबी तथा वित्तीय स्थितियों के कारण उपजी विवशता भी उक्त बल हो सकती है (2002 के राजपति देवी बनाम बिहार राज्य, 2002 (2) पटना लॉ जरनल 203 के मामले में भी कहा गया है)।</li><li>बंधुआ बाल श्रम अनुच्छेद 24 (बाल श्रम), अनुच्छेद 14 (समान वेतन), अनुच्छेद 21 (जीवन एवं स्वतंत्रता, कार्य करने पर विवश किए जाने पर मानव गरिमा और स्वतंत्रता की हानि के संबंध में मेनका गाँधी बनाम भारत संघ की व्यापक व्याख्या के कारण) और अनुच्छेद 23 (बलात् श्रम) का उल्लंघन कर सकता है।</li><li>निर्माण एक खतरनाक उद्योग है और इसलिए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे संविधान के 24वें अनुच्छेद के तहत इस क्षेत्र में कार्य नहीं कर सकते हैं।</li><li>कोई NGO या जनता में से कोई भी व्यक्ति पीड़ित की ओर से क़ानूनी उपाय के लिए आवेदन कर सकता है।</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>यह पूर्वधारणा कि किसी अग्रिम राशि के लिए करार किया गया है:</b> बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ (UOI) एवं अन्य, AIR 1984 SC 802 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि जब भी कभी यह दर्शाया जाए कि किसी श्रमिक ने बलात् श्रम प्रदान किया है, तो न्यायालय यह पूर्वधारणा रखेगा (यानी यह मानकर चलेगा) कि श्रमिक के लिए किसी अग्रिम राशि या उसे मिले किसी अन्य आर्थिक प्रतिलाभ के बदले ऐसा करना आवश्यक किया गया था। अतः वह एक बंधुआ श्रमिक है जो अधिनियम के प्रावधानों के लाभों का अधिकारी है। यदि संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत हो तो इस पूर्वधारणा का खंडन किया जा सकता है।</p> <p>इलाहाबाद उच्च न्यायालय के शिवा ईंट उद्योग बनाम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं अन्य, 2011 (3) ADJ (इलाहाबाद डेली जजमेंट) 189 के मामले में, न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि किसी अग्रिम राशि या करार का कोई भी साक्ष्य नहीं है तो भी, अपना रोज़गार या आजीविका चुनने की स्वतंत्रता नहीं होने का परिणाम बंधुआ श्रम के रूप में मिलता है। बंधुआ श्रम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धाराओं 2(d) और (f) के तहत यथा परिभाषित मानवाधिकारों का उल्लंघन है, और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास उक्त अधिनियम के अनुसरण में पूछताछ करने, जाँच करने और कार्रवाई करने का प्राधिकार है।</p> <p><b>जब NGO ने बंधुआ श्रमिकों की पहचान की हो तो बचाव अभियानों में उन्हें शामिल करना चाहिए:</b> नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, AIR 1984 SC 1099। जब भी कभी किसी NGO का प्रतिनिधि बंधुआ श्रम/श्रमिक की पहचान करे, तो राज्य सरकार को श्रमिकों की पहचान और रिहाई के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। सरकारी अधिकारियों को उस प्रतिनिधि को बचाव अभियान में अपने साथ ले जाना चाहिए और रिपोर्ट की एक प्रति उसे देनी चाहिए। बंधुआ श्रमिक पुनर्वास की समस्या से निपट रहे अधिकारियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित होना चाहिए और उन्हें विशेष रूप से संवेदनशील बनाया गया होना चाहिए। बंधुआ श्रमिकों की पहचान, रिहाई और पुनर्वास का कार्यभार जिन अधिकारियों को सौंपा गया है उनकी गतिविधियों की निरंतर जाँच होती रहनी चाहिए।</p> |

| बंधुआ श्रम पर बेहतर कार्रवाई के निर्देश और NHRC की भूमिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>पब्लिक यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज़ (PUCL) बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य (2004) 12 SCC 381 और पब्लिक यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य, 115 (2013) CLT 535 (SC)।</p> <p>सर्वोच्च न्यायालय ने NHRC को BLA के प्रावधानों के कार्यान्वयन की निगरानी का आदेश दिया है (1997 का आदेश)। 2013 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>सभी राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र 6 माह के भीतर सतर्कता समितियाँ गठित करेंगे।</li><li>सभी राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र रिहा बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास की उचित व्यवस्थाएँ करेंगे या इस भूमिका के निर्वहन के लिए दो NGO की पहचान करेंगे। रिहा बंधुआ श्रमिकों की पुनर्वास योजनाएँ 6 माह के भीतर तैयार कर ली जानी चाहिए।</li><li>ज़िला स्तरीय सतर्कता समितियाँ और उप-अनुमंडलीय सतर्कता समितियों द्वारा हर तीन वर्ष पर बंधुआ श्रम सर्वेक्षण किए जाएँ और रिपोर्ट NHRC के सामने पेश की जाएँ। निष्कर्षों को एक ऑनलाइन उपलब्ध डेटाबेस में क्रमवार रखा जाए।</li></ul> |

- सभी ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों को यह निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे बंधुआ श्रम की सूचना ज़िलाधिकारी को दें, बाल घरेलू कर्मियों की पहचान करें, और सुनिश्चित करें कि उन्हें शिक्षा मिले।
- शून्य बंधुआ श्रम की सूचना देने वाले राज्यों में हो सकता है कि उनके सर्वेक्षणों की पद्धति में दोष हो। NHRC
- बंधुआ श्रमिकों की पहचान के दिशानिर्देशों का पालन, स्थानीय स्थितियों के अनुसार उपयुक्त संशोधनों के बाद किया जाए। पुनर्वास पैकेज की वर्तमान सीमा को ₹20,000.00 से ऊपर उठाने के क़दम उठाए जाएँ।
- ज़िलाधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे BLA का और साथ-ही-साथ न्यूनतम वेतन अधिनियम, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, अंतरराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, और बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करवाएँ।

**सर्वोच्च न्यायालय बंधुआ श्रमिकों के बचाव के क़दम उठाने पर ज़ोर देता है:** जाहिद हुसैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, दीवानी रिट याचिका सं. 503/ 2020 में, एक शिकायत दर्ज की गई जिसमें कहा गया कि संभल, उत्तर प्रदेश, और रोहतास, बिहार के ज़िलाधिकारियों ने बंधुआ श्रम पीड़ितों के बचाव के क़दम नहीं उठाए। सर्वोच्च न्यायालय ने ज़िलाधिकारियों को NHRC द्वारा जारी निर्देशों की प्रतिक्रिया में, ईंट भट्टों में काम करने वाले 187 बंधुआ श्रम पीड़ितों को मुक्त कराने में उनके द्वारा उठाए गए क़दमों की विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा। साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने NHRC से यह अनुरोध भी किया कि वह अभूतपूर्व कोविड-19 वैश्विक-महामारी के दौरान बंधुआ श्रमिकों के संरक्षण, रिहाई और पुनर्वास के दिशानिर्देश जारी करे।

- विधिक सेवाएँ प्राधिकरण का उपयोग - उत्तर प्रदेश:** सगीर एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2012 (91) ALR 59 में उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि:
- चूँकि सतर्कता समितियाँ प्रायः विफल हो जाती हैं, अतः विधिक सेवाएँ प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित पराविधिक (पैरालीगल) स्वयंसेवी बंधुआ श्रम की समस्या से निपटने की बेहतर स्थिति में हो सकते हैं। न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवाएँ प्राधिकरण को बंधुआ श्रम के उन्मूलन के लिए क़ानूनी सहायता क्लीनिक स्थापित करने और पराविधिक स्वयंसेवियों तथा अधिवक्ताओं की व्यवस्था करने के प्रयास गंभीरता से करने का निर्देश दिया।
  - राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग बंधुआ श्रमिकों से संबंधित निर्देश जारी कर सकते हैं।
  - वरिष्ठ पुलिस व श्रम अधिकारियों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों को यह निर्देश देना चाहिए कि वे बंधुआ श्रम की शिकायतों के संबंध में तत्काल कार्रवाई शुरू करें और ज़िला व उप-अनुमंडलीय विधिक सेवाएँ प्राधिकरणों (LSA) को सूचित करें। LSA शिकायतों की जाँच करेंगे, उनकी विश्वसनीयता परखेंगे, और बंधुआ श्रम शिकायतकर्ताओं को क़ानूनी सहायता देंगे।

**वैश्विक-महामारी के दौरान बचाव के दिशानिर्देश:** जाहिद हुसैन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [रिट याचिका (दीवानी) सं. 503, वर्ष 2020]। सर्वोच्च न्यायालय में एक PIL (जनहित याचिका) दायर की गई जिसमें कोविड प्रोटोकॉलों का पालन करते हुए, संभल, उत्तर प्रदेश और रोहतास, बिहार के क्षेत्राधिकार के तहत लगभग 187 बंधुआ श्रमिकों की तत्काल जाँच और उनका बचाव करने तथा उनकी घर वापसी कराने के क़दम तत्काल उठाने के निर्देश उक्त ज़िलों के ज़िला प्रशासन को देने की माँग की गई। इस PIL के तहत तीनों हस्तक्षेप मामले NHRC मामले थे और NHRC से आदेश मिलने के बावजूद ज़िला प्रशासन ने बचाव के क़दम नहीं उठाए थे। न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर, सभी 187 बंधुआ श्रमिकों को सुरक्षित रूप से बचाकर घर वापस भेजा गया, और न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 09/जून/2020 के माध्यम से NHRC को कोविड-19 वैश्विक-महामारी के दौरान बचाव, घर वापसी और पुनर्वास के दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया। NHRC ने उक्त दिशानिर्देश तैयार किए, जिन्हें वैश्विक-महा-मारी के दौर में बहुत से बंधुआ श्रमिकों के लाभ के लिए लागू किया गया।

**न्यूनतम वेतन:** मोहन बिंद बनाम बिहार राज्य, CWJC-16246, वर्ष 2019, पटना उच्च न्यायालय में। JVI ने गया के एक ईट भट्ठे से बचाए गए 12 श्रमिक परिवारों की ओर से न्यूनतम वेतन वसूली की कार्यवाही शुरू करने के लिए एक रिट दायर की। माननीय न्यायालय ने एक ऐतिहासिक अवलोकन दिया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा: “कृषि श्रमिकों के हित का ध्यान रखना श्रम विभाग का मुख्य कर्तव्य है और यदि यह पता चलता है कि उन्हें वेतन दर से कम भुगतान मिल रहा है, तो श्रम विभाग पर यह बाध्यता है कि वह कानून के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई करे, जिसमें न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के यहाँ शिकायत दर्ज कराकर श्रमिक जिस वेतन के अधिकारी हैं उसके अंतरों का दावा करना शामिल है, वह भी उन नियोक्ताओं को नोटिस देकर जिन्होंने कथित रूप से उन्हें कृषि श्रमिक के रूप में नियुक्त किया है।” इस आदेश के बाद, बिहार के श्रम विभाग ने बिहार के सभी जिलाधिकारियों को यह नोटिस जारी किया कि वे कृषि बंधुआ श्रमिकों के मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर न्यूनतम वेतन कार्यवाहियाँ शुरू करें। इस मामले में, न्यूनतम वेतन दावे की सुनवाई पूरी हो गई है और 12 बंधुआ श्रमिक परिवारों के पक्ष में ₹34,28,736.00 की राशि मुक्त किए जाने का अंतिम आदेश जारी हो चुका है जिसका कार्यान्वयन शेष है।

**भूमि पुनर्वास:** कारी सादा एवं अन्य बनाम बिहार राज्य [रिट याचिका (दीवानी) सं. 497 वर्ष 2018] (प्रकाशन के समय मामला विचाराधीन है)। JVI ने मधुबनी के 38 बचाए गए बंधुआ श्रमिक परिवारों की ओर से भूमि पुनर्वास, यानी सभी 38 परिवारों के लिए 3 डिसमिल वासभूमि और केंद्र सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा जारी बंधुआ श्रमिक केंद्रीय क्षेत्र योजना 2016 (2016) के अन्य गैरनक्रदी घटकों की प्राप्ति की माँग के साथ एक रिट दायर की। सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आदेश दिनांकित 25/फ़रवरी/2020 के माध्यम से मधुबनी के प्रज्ञ ज़िला न्यायाधीश को यह निर्देश दिया कि वे एक दिन के भीतर स्वयं जाकर 38 परिवारों में से प्रत्येक को 3 डिसमिल भूमि के सीमांकन व आवंटन का पर्यवेक्षण करें। आदेश की विषय-वस्तु के अनुसार, मधुबनी ज़िला प्रशासन ने 38 परिवारों में से प्रत्येक को 3 डिसमिल भूमि का सीमांकन व आवंटन किया, जिन्होंने अपनी-अपनी भूमि पर घर बना लिए हैं और वे वहाँ शांतिपूर्वक रह रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय उक्त पीड़ितों को गैरनक्रदी घटक प्रदान करने में ज़िला प्रशासन के प्रयासों की निगरानी भी कर रहा है, जिसके फलस्वरूप पीड़ितों को पानी के कनेक्शन, बिजली, पक्की सड़क, मनरेगा जॉब कार्ड, राशन कार्ड और अन्य लाभ मिले हैं, और इस प्रकार यह मामला, सफल बंधुआ श्रमिक पुनर्वास का एक आदर्श मामला बन गया है।

**तत्काल क्षतिपूर्ति रिट:** ज़ाहिद हुसैन बनाम बिहार राज्य [रिट याचिका (दीवानी) सं. 7980 वर्ष 2020 (PIL)] पटना उच्च न्यायालय (प्रकाशन के समय मामला विचाराधीन है)। JVI ने सरकारी अधिकारियों पर CSS-2016 के नियमों के अनुसरण में 180 बंधुआ श्रम पीड़ितों के पुनर्वास के लिए तत्काल वित्तीय सहायता अविलंब स्वीकृत करने का दबाव डालने के लिए 2020 में एक केस दायर किया। न्यायालय ने सरकारी अधिकारियों पर ऐसा दबाव डाला कि जुलाई 2020 में एक सप्ताह के भीतर लगभग 200 रिहा बंधुआ श्रमिकों को ₹20,000.00 प्रति व्यक्ति की दर से उनकी तात्कालिक क्षतिपूर्ति मिल गई, यानी पीड़ितों को कुल लगभग ₹40,00,000.00 का भुगतान हुआ। इस मामले ने CSS के तहत फंड के संवितरण में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच के खराब तालमेल पर प्रकाश डाला। यह मामला, फंड संवितरण समयसीमा के साथ एक व्यापक SOP की रचना की जाने और जिन पीड़ितों की क्षतिपूर्ति में विलंब हो उन्हें ब्याज चुकाई जाने पर बहस के लिए लंबित है।

# आधुनिक दासता हस्तक्षेप





नीचे विभिन्न AHT संगठनों द्वारा किए गए आधुनिक दासता हस्तक्षेपों की कहानियों का एक संकलन दिया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के कदम उठाए गए थे कि इन कहानियों में शामिल किए गए फोटो और पहचानों से पीड़ित जोखिम में न पड़ें, और ये फोटो व पहचान विवरण सहभागियों की सूचित सहमति से प्राप्त किए गए हैं

## दमन से बहाली तक: बिहार के एक ईंट भट्टे से मिली 76 बंधुआ श्रमिकों को आज़ादी

19 जून, 2015 को विधि प्रवर्तन अधिकारियों ने ईंट भट्टे का घेराव करके महादलित समुदाय (सबसे अधिक वंचित) के कुल 76 वयस्क बंधुआ श्रमिकों को कपट और दासता से आज़ादी दिलाई। पीड़ितों ने बताया कि किस प्रकार हिंसा और ज़बरदस्ती का उपयोग करके उनसे उनकी बुनियादी इंसानियत व्यवस्थित ढंग से छीन ली जाती थी। बचाए गए श्रमिकों ने जाँच दल को जो बयान दिए उनसे पता चला कि किस प्रकार भट्टा स्वामी ने निरक्षर श्रमिकों के ऋण में हेरा-फेरी की, उनसे अत्यधिक ब्याज वसूली, और जाली वेतन रिकॉर्ड बनाए। कई सप्ताह पहले, ईंट भट्टा स्वामी ने श्रमिकों के अग्रिम का निपटारा किए बिना और उन्हें उनकी देय राशियाँ दिए बिना उनकी झोपड़ियों से बलपूर्वक निकाल दिया था। श्री धीरेंद्र झा, वरिष्ठ उप समाहर्ता, नवादा ज़िला, श्रम प्रवर्तन अधिकारी, सर्कल अधिकारी, और अन्य अधिकारियों ने बचाव अभियान का नेतृत्व किया जिसमें JVI ने उनकी सहायता की।

“

वे निरंतर यही मानते थे कि किसी को उनसे संपर्क करने की परवाह नहीं है। लगता है कि ये श्रमिक आशा और निराशा के बीच झूल रहे थे। आज वे खुश हैं और बिहार सरकार तथा संपूर्ण इंसानियत में उनका विश्वास बहाल हो गया है।” – प्रेम कुमार, राज्य प्रबंधक – JVI परियोजना, बिहार।

श्रमिक अत्यंत कठिन स्थितियों में 12 घंटों से भी अधिक काम करते थे और ₹500.00 (US\$7.87) के न्यूनतम वेतन से कम वेतन पर रोजाना 1,500 ईंटें बनाते थे। ईंट भट्टा स्वामी द्वारा नियुक्त ठेकेदार ने पिछले सारे वादों को दरकिनार कर दिया और उन्हें केवल ₹100.00 (US\$1.57) प्रति दिन की खुराकी (भोजन भत्ता) दिया। यह वित्तीय क्षतिपूर्ति पूरे परिवार का पेट भरने के लिए थी, जिनमें अवयस्क बच्चे भी शामिल थे।

“ईंट भट्टे की छायाहीन ज़मीनें, आग बरसाती धूप, और परिवार के सभी लोगों और बच्चों द्वारा कमर-तोड़ मेहनत, यह दिखाते हैं कि दासता और दमन किस प्रकार आज भी मौजूद है। हर गुजरते दिन के साथ उनके हाथ ईंट बनाने के कारण खुरदरे होते गए, और उनकी आत्मा जीवन भर के लिए झुलस गई।” – समाजसेवी।

श्रमिकों ने बचाव दल को बताया कि किस प्रकार उन्हें अक्सर 12 घंटों से भी अधिक काम करने पर मजबूर किया जाता था और उन पर अधिक-से-अधिक ईंटें बनाने का दबाव डाला जाता था। तिस पर, अचानक बारिश होने पर जितनी कच्ची ईंटें बेकार हो जाती थीं उनका नुकसान श्रमिकों के सिर मढ़ दिया जाता था। उन्हें नए सिरे से सारी ईंटें दोबारा बनानी पड़ती थीं।

“बचाए गए श्रमिकों से बात करने के बाद हमने जाना कि उन्हें अपने खुद के जीवन पर अपना कोई अधिकार महसूस ही नहीं होता था। ईंट भट्टा स्वामी की दासता और उसका कपट उन पर राज करते थे। मैं अभी-अभी एक श्रमिक से उसकी झोपड़ी के बाहर मिला जो दो तरफ से खुली हुई है, वह वहाँ अपने परिवार के साथ रहता है। श्रमिकों को बड़े ही निर्देयी ढंग से असुरक्षा में कैद रखा गया था।” – राजन शाह, JVI परियोजना, बिहार।

बचाए गए श्रमिक बचाव दल को पीड़ा और आज़ादी की अपनी-अपनी कहानियाँ सुनाकर कृतज्ञ थे। जब धूप ने ईंट भट्टे पर से अपनी चादर समेट ली, तो बचाव दल ने श्रमिकों को “आज़ादी का भाषण” सुनाया जिसे उन्होंने, उन्हें हाल ही में मिली आज़ादी के लिए कृतज्ञता के आँसुओं के साथ ध्यान से सुना।



# NHRC ने शुरु की कामिया प्रणाली के विरुद्ध लड़ाई: बिहार में 160 बंधुआ श्रमिक बचाए गए

“हमें स्वतंत्र हुए 67 वर्ष हो चुके हैं। पर फिर भी, इन श्रमिकों को कई पीढ़ियों से इस धोखे में रखा जा रहा था कि जीवन जीने का यही एकमात्र तरीका है। वर्तमान पीढ़ी दासता के इस रूप को ठुकराती है। वे बंधुआ श्रम से आज़ाद किए जाने की राह तक रहे हैं, और यह उनका अधिकार है।” श्री ए.के. पाराशर, संयुक्त निबंधक (विधि), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)।

“मेरा परिवार पिछली तीन पीढ़ियों से सेवा कर रहा है। पर मैं आज़ादी चाहता हूँ। हम हमारे बच्चों और आगे की पीढ़ियों के लिए एक बेहतर ज़िंदगी चाहते हैं।” इस वर्ष कुछ समय पहले, NHRC के वरिष्ठ अधिकारी बिहार के गया ज़िले में बचाव दल के साथ एक मुश्किलों भरे रास्ते पर चले। NHRC के नेतृत्व वाले दल में गया प्रशासन, पुलिस, श्रम विभाग, और Justice Ventures International (JVI) परियोजना के प्रतिनिधि शामिल थे। उनकी मंज़िल थी एक छोटा-सा गाँव, निकटतम सड़क से थोड़ी दूर, जहाँ 160 श्रमिकों और उनके आश्रितों के कामिया प्रणाली में फँसे होने की सूचना मिली थी; कामिया, कृषि में प्रथागत दासता का एक पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाला रूप है। श्रमिक और उनके पूर्वज एक ही परिवार समूह के लिए तीन से पाँच पीढ़ियों से खेतों में काम करते आ रहे थे।

NHRC और ज़िला प्रशासन ने उसी दिन 68 रिहाई प्रमाणपत्र जारी करके

श्रमिकों को प्रथागत दायित्व की दासता से मुक्त कर दिया। आरोपित के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ बंधुआ श्रम अधिनियम, SC/ST अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम, और न्यूनतम वेतन अधिनियम के उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज की गई।

अभियान के दौरान मौजूद हेम राज, निदेशक – उत्तर भारत, ने अपने अवलोकन में कहा, “बचाए गए श्रमिकों को खेतों में उनके परिश्रम के बदले पारिश्रमिक के रूप में केवल चावल दिए जा रहे थे। साथ ही, उन्हें लगातार मानसिक, शब्दिक, और शारीरिक दुर्व्यवहार झेलना पड़ रहा था, यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी नहीं बख़्शा जा रहा था। उनकी आज़ादी की पुकार को सुनना ज़रूरी था। उनके साहस ने इस बचाव अभियान को सफल बनाया है।”

उप-अनुमंडल दंडाधिकारी, सर्कल निरीक्षक, प्रखंड विकास अधिकारी, श्रम अधिकारी, थाना प्रभारी, संबंधित स्टेशनों के पुलिस अधिकारियों, और अन्य सरकारी अधिकारियों ने इस संयुक्त अभियान में भाग लिया। यह ऐतिहासिक हस्तक्षेप बिहार में कामिया प्रणाली के विरुद्ध लड़ाई का बिगुल बजने का संकेत है।

## बिहार सरकार ने बंधुआ श्रम के पीड़ितों को दी क्षतिपूर्ति, लाभ और गरिमा

“हमें जल्द समझ आ गया कि साथ मिलकर एक आवाज़ के रूप में अधिकारियों से बात करने से हमें अधिक लाभ होगा। आज हमारे पास जॉब कार्ड हैं, मतदाता पहचान पत्र हैं, बैंक खाते हैं और हमें राज्य सरकार से तथा SC/ST कल्याण योजना से क्षतिपूर्ति भी मिली है। हम उसी गाँव में रह रहे हैं और अब हम हमारे बच्चों को रोज़ाना स्कूल जाते देखते हैं। हमारा जीवन अब गरिमापूर्ण है और दासता से मुक्त है।” – एक बंधुआ श्रम पीड़ित।

22 जनवरी, 2015 को पीढ़ी-दर-पीढ़ी बंधुआ श्रम से मुक्त कराए गए 38 परिवारों की बहाली का सफ़र अभी जारी है। उसके बाद, मधुबनी ज़िला प्रशासन ने 7 फ़रवरी, 2015 को 101 पीड़ितों के रिहाई प्रमाणपत्र जारी किए, जिसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) और Justice Ventures International (JVI) परियोजना ने उसका सक्रिय सहयोग किया। एक सप्ताह के भीतर, 14 फ़रवरी, 2015 को, चौंसठ श्रमिकों को ज़िला प्रशासन की ओर से चेक के माध्यम से ₹10,000.00 प्रति श्रमिक की दर से सरकारी क्षतिपूर्ति राशि मिली, शेष सैंतीस श्रमिकों की क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया चल रही थी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने ‘आज़ादी का भाषण’ देकर बचाए गए बंधुआ श्रमिकों को आज़ाद घोषित किया।

“रिहाई प्रमाणपत्र के वितरण वाले दिन से ही अधिकारीगण हमें चेक सौंपने की कोशिश कर रहे थे। पर हम उन्हें ले नहीं पा रहे थे क्योंकि हमारे पास तो बैंक खाते तक नहीं थे। अब हमारे पास बैंक की पासबुक हैं, जो अधिकारियों ने हमारे सारे विवरण के साथ हमें रातोंरात उपलब्ध कराई थीं, और इस प्रकार हम आखिरकार चेक स्वीकार कर पाए। क्षतिपूर्ति पाकर हम बहुत खुश हैं।” – एक बंधुआ श्रम पीड़ित।

JVI ने पीड़ितों, प्रशासन, और NHRC के साथ दैनिक आधार पर संपर्क बनाए रखकर इस पूरी पुनर्वास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 16 फ़रवरी, 2015 तक, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत जॉब कार्ड जारी कर दिए गए, और बासठ पीड़ितों का मतदाता पहचान पत्र हेतु पंजीकरण भी कर लिया गया। बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन सोसायटी (BRLPS) ने महिला पीड़ितों के लिए दो स्वयं-सहायता समूहों का गठन भी किया।

“मेरा बच्चा स्कूल जाने को तरसता था; पर मेरे पास उसे काम पर ले जाने के सिवाय कोई चारा नहीं था। रोज़ाना जब मैं और मेरा बच्चा खेत पर जाते थे तो मेरा दिल रोता था। पर जब कुछ दिन पहले सरकारी अधिकारियों ने आकर यह बताया कि हमारे बच्चे का गाँव के स्कूल में दाखिला हो गया है, तो उस दिन मेरी आँखों ने खुशी के आँसू रोए। और अब मेरी आँखें मेरे बेटे को दौड़कर स्कूल जाता देखती हैं।” – एक बंधुआ श्रम पीड़ित।

“यह अभियान JVI में हमारे लिए एक बड़ी सीख बनकर आया है। बिहार सरकार और उसके विभिन्न विभागों ने कदम बढ़ाए और देखभाल कार्यक्रम में मौजूद बड़ी खामियों को दूर किया। हम NHRC की सक्रिय भूमिका के प्रति भी मुक्त कंठ से आभार प्रकट करते हैं। 27 फ़रवरी, 2015 को ज़िलाधिकारी के आदेश पर पूरा ज़िला प्रशासन गाँव में जाकर पीड़ितों से उनकी आवश्यकताओं के बारे में पूछ रहा था। इससे हमारा हौसला बढ़ा है, और हम आज़ादी की प्रक्रिया का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं।” – हेम राज, निदेशक – उत्तर भारत, JVI परियोजना।



बहाली की यह ऐतिहासिक कहानी अभी जारी है। 16 मार्च, 2015 को, SC/ST कल्याण योजना के तहत निन्यानवे पीड़ितों को ₹22,500.00 प्रति व्यक्ति की दर से क्षतिपूर्ति दी गई। इससे पीड़ितों को अपना जीवन दोबारा खड़ा करने और दासता के चंगुल में दोबारा फँसने से बचने में मदद मिलेगी। JVI पीड़ितों को अन्य योजनाओं और लाभों, जैसे आवास, भूमि और आजीविका संबंधी अवसरों से जोड़ने के प्रयास में बिहार सरकार के विभागों से लगातार संपर्क बनाए हुए है।

# गुड़िया द्वारा प्रभावी क़ानूनी हस्तक्षेप के कारण बंधुआ श्रमिकों को मिली ईंट भट्टे से आज़ादी

राम से यह वादा किया गया था कि जमालपुर के पायल मार्का ईंट भट्टे में काम करने पर उसे उचित वेतन और रहने व काम करने की उचित स्थितियाँ मिलेंगी। वह एक अनुसूचित जाति से है; उसका एक बड़ा परिवार है जिसकी वित्तीय स्थिति खराब है। राम ने ईंट भट्टे पर काम करने का फैसला लिया ताकि वह अपने परिवार का पेट भरने लायक पैसा कमा सके। ईंट भट्टे पर काम करना शुरू करने के कुछ ही समय बाद राम को पता चल गया कि वहाँ रहने और काम करने की स्थितियाँ बहुत ही खराब हैं और उसका अनुभव उससे किए गए वादे से बिल्कुल उलट था। एक दिन उसने अपने बेटे की शादी के खर्च के लिए अपना बकाया वेतन माँगा। ईंट भट्टा स्वामी ने उसे यह कह कर मना कर दिया कि उसका हिसाब सीज़न के अंत में होगा। ईंट भट्टा स्वामी से इस बातचीत के बाद, 1 अप्रैल, 2015 को राम ने गुड़िया के पास इस अनुरोध का आवेदन किया कि वे पायल मार्का ईंट भट्टे से 62 बंधुआ श्रमिकों को छुड़ाने में उसकी सहायता करें। राम ने ईंट भट्टे की परिस्थितियों का जो वर्णन किया था, ईंट भट्टे पर काम करने वाले एक अन्य बंधुआ श्रमिक पुनीत ने

उसकी पुष्टि की।

तथ्यों के सत्यापन के बाद गुड़िया ने ज़िलाधिकारी, मिर्ज़ापुर और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के अध्यक्ष को जानकारी भेजी। न तो ज़िलाधिकारी ने और न ही श्रम विभाग ने कोई कार्रवाई की। 20 अप्रैल, 2015 को गुड़िया ने दोबारा कोशिश की और गुड़िया स्टाफ़ ने स्वयं जाकर ज़िलाधिकारी को वही जानकारी दी और आवेदन किया, पर फिर भी उन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की। गुड़िया ने माननीय उच्च न्यायालय में बंधुआ श्रमिकों के बचाव के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका दायर की और बचाव स्थल का पूरा विवरण दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने मिर्ज़ापुर के ज़िलाधिकारी को आदेश की प्राप्ति से चार सप्ताह के भीतर अनुपालन का आदेश दिया।

आदेश मिलने के बाद, श्रम विभाग, पुलिस, और संगठन के प्रतिनिधियों से मिलाकर बना बचाव दल पायल मार्का ईंट भट्टे पर गया। ईंट भट्टा स्वामी और उसके साथियों ने कर्मियों के बचाव का पुरज़ोर विरोध किया, डराने-धमकाने वाली और अभद्र भाषा का प्रयोग किया, और यहाँ तक कि गुड़िया स्टाफ़ को जान से मारने की धमकी भी दी। ईंट भट्टा स्वामी से हुए मुकाबले के बावजूद, पुलिस और श्रम विभाग के अधिकारियों ने 11 जून, 2015 को 62 बंधुआ श्रमिकों को छुड़ा लिया। ईंट भट्टे से बचाए गए बंधुआ श्रमिकों को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और उन्हें भोजन तथा मनोसामाजिक सहयोग दिया गया।

राम ने 13 जून, 2015 को एक आवेदन, जिसमें गुड़िया स्टाफ़ के साथ ईंट भट्टा स्वामियों और उनके साथियों के अनुपयुक्त व्यवहार का विवरण था, ज़िलाधिकारी, मिर्ज़ापुर के पास जमा किया। दुर्भाग्य से, ईंट भट्टा स्वामी को सज़ा दिलवाने के लिए आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। गुड़िया ने ज़िलाधिकारी, मिर्ज़ापुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना की शिकायत के साथ माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से संपर्क किया और उन्हें बताया कि ज़िलाधिकारी ने बचाव अभियान उचित ढंग से संचालित नहीं किया, और बंधुआ श्रमिकों को रिहाई प्रमाणपत्र व पुनर्वास पैकेज जारी नहीं किए।

## समुदाय के लोगों की भूमि के संरक्षण के लिए सामूहिक कार्य प्रभावी है

शंकरगढ़ में अमीर, उच्चवर्गीय ठेकेदार दशकों से गरीब और वंचित लोगों से अपनी भूमि पर काम करवाते आ रहे थे। ये ठेकेदार अपने कर्मियों से दुर्व्यवहार के लिए कुख्यात थे। यदि कोई श्रमिक अधिक वेतन वाली नौकरी ढूँढने की कोशिश करता था, तो ठेकेदार उसके परिवार से कहते थे कि उन्हें गाँव से बाहर फेंक दिया जाएगा। कई बार, जब कोई श्रमिक काम करने से मना कर देता था, या उसे काम नहीं करते हुए पाया जाता था, तो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था।

एक स्वयं-सहायता समूह (SHG) के गठन के ज़रिए श्रमिकों ने सामूहिक प्रभाव जुटाकर ठेकेदार पर उनसे गलत व्यवहार रोकने का दबाव डाला। दुर्भाग्य से, जो श्रमिक उस समूह का हिस्सा नहीं थे वे वही मानसिक आघात और दुर्व्यवहार झेलते रहे। वे ठेकेदार उनके आस-पास रहने वाले परिवारों की भूमि ज़बरन कब्ज़ाने के लिए भी कुख्यात थे। इसका जवाब देने के लिए, SHG सदस्यों ने ठेकेदारों को दूसरों की भूमि पर गैरकानूनी ढंग से कब्ज़ा करने से रोकने के लिए साथ मिलकर लड़ाई लड़ी।

गणेश और उसका परिवार पिछले तीन दशकों से गाँव में एक कच्चे घर में रहते आ रहे हैं। उनके पास उनके घर के पास दो बिस्वा खुली भूमि थी जिसके चारों ओर कच्ची दीवार थी। इस भूमिका उपयोग मुख्य रूप से उत्पादक गतिविधियों में होता था। कामता नामक ठेकेदार का इस भूमि के सामने एक बड़ा मकान था और वह इस खुली भूमि को अपने लाभ के लिए पाना चाहता था। वह किसी भी क्रीमत पर भूमि हासिल करने को बेताब था, इसलिए उसने गणेश से कहा कि यदि वह भूमि खाली कर देता है तो वह उसे कुछ पैसे दे देगा। जब गणेश ने अपनी भूमि छोड़ने से मना किया, तो ठेकेदार ने भूमि पर गैरकानूनी ढंग से ज़बरन कब्ज़ा कर लिया। कामता के कारण, गणेश ने सिविल जज के न्यायालय में केस दायर किया। यह केस चार वर्षों तक चला, जिसके बाद न्यायालय ने वंचित समुदाय के पक्ष में अंतिम निर्णय दिया।

2014 में कामता के बेटे ने गणेश की भूमि पर रेत, ईंटों और सीमेंट की ढुलाई शुरू कर दी। जब गणेश ने उसे टोका, तो 20-25 ठेकेदार बंदूकों और राइफ़लों के साथ वहाँ आ गए। वे गणेश को धमकाने लगे, और कहने लगे कि वे उसकी भूमि ले लेंगे और जो भी उनके रास्ते में आएगा उसे गोली मार देंगे या उसकी जान ले लेंगे। इन गंभीर धमकियों से गणेश का परिवार बुरी तरह डर गया। उन्होंने ठेकेदारों के विरुद्ध खड़े होने की हिम्मत नहीं की। गणेश ने समुदाय के अन्य लोगों को एकजुट करके परिस्थिति पर बात की। उन्होंने तय किया कि ठेकेदारों का सामना करना ठीक नहीं है, नहीं तो उनकी हत्या हो जाने का डर है।

जब गणेश की पत्नी को इस बारे में पता चला तो उसने गाँव की अन्य महिलाओं से बात करना शुरू किया, उन्हीं में सीता भी थी, जो SHG की एक सदस्य थी। सीता ने समूह के अन्य सदस्यों और एक और SHG के सदस्यों से बात की। इन दोनों समूहों ने मुद्दे पर बात के लिए मुलाक़ात की और यह तय किया कि वे ठेकेदारों को गणेश की भूमि नहीं छीनने देंगी। इसके बाद महिलाएँ गणेश के घर गई जहाँ उन्होंने तय किया कि वे एक-दूसरे के साथ मज़बूती से खड़े रहकर ठेकेदारों का सामना करेंगी। उसी रात उन्होंने पुलिस स्टेशन और ज़िलाधिकारी से संपर्क करके उन्हें परिस्थिति के बारे में बताया। उस रात दस बजे शंकरगढ़ से कई पुलिसकर्मी आए और कामता व उसके बेटे के विरुद्ध खड़े हो गए। महिलाओं की एकता और पुलिस की प्रतिक्रिया देखने के बाद कामता ने तुरंत कदम पीछे हटा लिए। उसने उनकी शक्ति को समझ लिया और फिर कभी उन्हें नहीं धमकाया।

# परिशिष्ट सूची

## परिशिष्ट सूची

|                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>परिशिष्ट 1:</b><br>बचाव-पूर्व दस्तावेजीकरण फ़ॉर्म                                                                                                                                                                                                             | <b>परिशिष्ट 2:</b><br>राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराने के दिशानिर्देश                                                                                                                             | <b>परिशिष्ट 3:</b><br>राज्य मानवाधिकार आयोग शिकायत पंजीकरण फ़ॉर्म का नमूना                                            | <b>परिशिष्ट 4:</b><br>बचाव-पूर्व नियोजन बैठक फ़ॉर्म                                      | <b>परिशिष्ट 5:</b><br>बंधुआ श्रम के मिथक और वास्तविकताएँ                                                       |
| पृष्ठ 189                                                                                                                                                                                                                                                        | पृष्ठ 191                                                                                                                                                                                                        | पृष्ठ 192                                                                                                             | पृष्ठ 194                                                                                | पृष्ठ 197                                                                                                      |
| <b>परिशिष्ट 6:</b><br>कानूनी हस्तक्षेप रिपोर्ट प्रारूप का नमूना                                                                                                                                                                                                  | <b>परिशिष्ट 7:</b><br>बंधुआ श्रम पहचान फ़ॉर्म का प्रारूप                                                                                                                                                         | <b>परिशिष्ट 7A:</b><br>RDO के पास बंधुआ श्रम की मौजदग़ी की शिकायत दर्ज कराने के लिए नमूना प्रारूप                     | <b>परिशिष्ट 7B:</b><br>प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए शिकायत पत्र का नमूना                  | <b>परिशिष्ट 8:</b><br>महत्वपूर्ण साक्ष्य की सूची का प्रारूप और जाँच के लिए उसकी प्रासंगिकता                    |
| पृष्ठ 198                                                                                                                                                                                                                                                        | पृष्ठ 206                                                                                                                                                                                                        | पृष्ठ 206                                                                                                             | पृष्ठ 208                                                                                | पृष्ठ 213                                                                                                      |
| <b>परिशिष्ट 9:</b><br>उत्पीड़न संरक्षण पत्र का नमूना प्रारूप                                                                                                                                                                                                     | <b>परिशिष्ट 10:</b><br>आरोप-पत्र दायर करने के लिए लिखित निवेदनों का नमूना                                                                                                                                        | <b>परिशिष्ट 11:</b><br>CrPC की धारा 301 के तहत आवेदन दायर करने का नमूना प्रारूप                                       | <b>परिशिष्ट 12:</b><br>CrPC की धारा 172(2) के तहत आवेदन दायर करने का नमूना प्रारूप       | <b>परिशिष्ट 13:</b><br>जमानत विरोध का आवेदन दायर करने का नमूना प्रारूप                                         |
| पृष्ठ 214                                                                                                                                                                                                                                                        | पृष्ठ 214                                                                                                                                                                                                        | पृष्ठ 215                                                                                                             | पृष्ठ 217                                                                                | पृष्ठ 219                                                                                                      |
| <b>परिशिष्ट 13A:</b><br>जमानत विरोध संदर्भ शीट                                                                                                                                                                                                                   | <b>परिशिष्ट 14:</b><br>पीड़िता को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने और आवेदक/प्राकृतिक संरक्षक/माता को पीड़िता की अभिरक्षा सौंपने के लिए पुलिस/CWC को निर्देश जारी करने का आवेदन दायर करने का नमूना प्रारूप | <b>परिशिष्ट 15:</b><br>रिहाई प्रमाणपत्रों के अनुरोध के लिए DM/SDM को लिखे जाने वाले पत्र का नमूना प्रारूप             | <b>परिशिष्ट 16:</b><br>रिहाई प्रमाणपत्र का प्रारूप                                       | <b>परिशिष्ट 17:</b><br>बंधुआ श्रम हस्तक्षेपों में दी जाने वाली देखभाल सेवाओं की जाँचसूची                       |
| पृष्ठ 226                                                                                                                                                                                                                                                        | पृष्ठ 230                                                                                                                                                                                                        | पृष्ठ 232                                                                                                             | पृष्ठ 234                                                                                | पृष्ठ 233                                                                                                      |
| <b>परिशिष्ट 18:</b><br>पुनर्वास परिवार फ़ॉर्म का नमूना                                                                                                                                                                                                           | <b>परिशिष्ट 19:</b><br>पीड़ित को क्षतिपूर्ति के लिए CrPC की धारा 357A(6) के तहत आवेदन का नमूना प्रारूप                                                                                                           | <b>परिशिष्ट 20:</b><br>जबधुआ श्रम हस्तक्षेपों के तहत मुकदमों में प्रस्तुत किए जाने वाले लिखित तर्कों का नमूना प्रारूप | <b>परिशिष्ट 21:</b><br>वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए मानव व्यापार के मिथक और वास्तविकताएँ    | <b>परिशिष्ट 22:</b><br>महत्वपूर्ण साक्ष्य की सूची और जाँच के लिए उसकी प्रासंगिकता (CSE हस्तक्षेप)              |
| पृष्ठ 239                                                                                                                                                                                                                                                        | पृष्ठ 224                                                                                                                                                                                                        | पृष्ठ 244                                                                                                             | पृष्ठ 263                                                                                | पृष्ठ 264                                                                                                      |
| <b>परिशिष्ट 22A:</b><br>शिकायत का संलग्न लेने के लिए CrPC की धारा 200 के तहत मैजिस्ट्रेट को किए जाने वाले आवेदन का नमूना और, संबंधित SHO को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिलवाने के लिए CrPC की धारा 156(3) के तहत मैजिस्ट्रेट को किए जाने वाले आवेदन का नमूना | <b>परिशिष्ट 23:</b><br>आरोप-पत्र दायर करने के लिए लिखित निवेदनों का नमूना (CSE हस्तक्षेप)                                                                                                                        | <b>परिशिष्ट 24:</b><br>CrPC की धारा 301 के तहत आवेदन का नमूना प्रारूप (CSE हस्तक्षेप)                                 | <b>परिशिष्ट 25:</b><br>CrPC की धारा 172(2) के तहत आवेदन का नमूना प्रारूप [CSE हस्तक्षेप] | <b>परिशिष्ट 26:</b><br>जमानत विरोध के आवेदन का नमूना प्रारूप [अवैध यौन व्यापार]                                |
| पृष्ठ 265                                                                                                                                                                                                                                                        | पृष्ठ 269                                                                                                                                                                                                        | पृष्ठ 270                                                                                                             | पृष्ठ 272                                                                                | पृष्ठ 274                                                                                                      |
| <b>परिशिष्ट 27:</b><br>न्यायालय से अभिरक्षा आवेदन CWC को संप्रेषित करने के अनुरोध का नमूना प्रारूप                                                                                                                                                               | <b>परिशिष्ट 28:</b><br>CSE हस्तक्षेप बचाव की जाँचसूची                                                                                                                                                            | <b>परिशिष्ट 29:</b><br>गृह जाँच रिपोर्ट का नमूना प्रारूप                                                              | <b>परिशिष्ट 30:</b><br>पीड़ित को क्षतिपूर्ति के अनुरोध का नमूना प्रारूप [CSE हस्तक्षेप]  | <b>परिशिष्ट 31:</b><br>CSE हस्तक्षेपों के तहत मुकदमों में प्रस्तुत किए जाने वाले लिखित तर्कों का नमूना प्रारूप |
| पृष्ठ 276                                                                                                                                                                                                                                                        | पृष्ठ 278                                                                                                                                                                                                        | पृष्ठ 278                                                                                                             | पृष्ठ 283                                                                                | पृष्ठ 284                                                                                                      |
| <b>परिशिष्ट 31A:</b><br>प्रायः उठाए जाने वाले समापन तर्क के टॉपिक                                                                                                                                                                                                | <b>परिशिष्ट 32:</b><br>उत्तर प्रदेश और बिहार के आश्रय गृहों की सूची                                                                                                                                              | <b>परिशिष्ट 33:</b><br>मानव व्यापार से संबंधित प्रकाशनों की सूची                                                      | <b>परिशिष्ट 34:</b><br>संबंधित अंतरराष्ट्रीय लिखतों की सूची                              | <b>परिशिष्ट 35:</b><br>CrPC की धारा 156(3) के तहत आवेदन का नमूना प्रारूप                                       |
| पृष्ठ 291                                                                                                                                                                                                                                                        | पृष्ठ 300                                                                                                                                                                                                        | पृष्ठ 301                                                                                                             | पृष्ठ 304                                                                                | पृष्ठ 307                                                                                                      |

# अस्वीकरण



यहाँ दिए गए प्रारूप और नमूना दस्तावेज अप-टू-डेट और शुद्ध हों यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं। हालाँकि, कानूनों में अक्सर बदलाव होते हैं जिनके साथ-साथ प्रारूपों, फॉर्मों और कार्यविधियों में भी बदलाव होते हैं, और वे स्थानीय क्षेत्राधिकार के आधार पर भी अलग-अलग होते हैं। इसलिए, अपनी ज़रूरतों के अनुसार इस नियमावली में प्रयुक्त समस्त जानाकारी की शुद्धता का सत्यापन करने का ध्यान रखें। यहाँ इस दस्तावेज में मौजूद किसी भी त्रुटि के लिए या इन परिशिष्टों पर निर्भरता के कारण हुई किसी भी अन्य असुविधा के लिए JVI कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है।

## परिशिष्ट 1: बचाव-पूर्व दस्तावेज़ीकरण फ़ॉर्म<sup>149</sup> बचाव-पूर्व दस्तावेज़ीकरण फ़ॉर्म

| केस लॉजिस्टिक्स            |  |
|----------------------------|--|
| PI (प्रारंभिक जाँच) संख्या |  |
| केस संख्या                 |  |
| केस कर्मी                  |  |
| PI आरंभ दिनांक             |  |
| अपडेट दिनांक               |  |

| श्रम स्थल         |  |
|-------------------|--|
| उद्योग            |  |
| व्यवसाय का नाम    |  |
| श्रम स्थल का पता  |  |
| गाँव              |  |
| तालुक             |  |
| राजस्व संभाग/मंडल |  |
| ज़िला             |  |
| राज्य             |  |
| पिन कोड           |  |
| श्रम स्थल का फोन  |  |
| प्रमुख थलचिह्न    |  |

|                                                   | पीड़ित | संदर्भ |
|---------------------------------------------------|--------|--------|
| अनुमानित पीड़ितों की संख्या                       |        |        |
| दस्तावेज़ीकृत पीड़ितों की संख्या                  |        |        |
| वेतन दिवस                                         |        |        |
| अनुमानित वेतन (प्रति दिन)                         |        |        |
| अवकाश दिवस/बाज़ार दिवस                            |        |        |
| पीड़ित की कार्य समय-सारणी                         |        |        |
| पीड़ित का पैतृक ज़िला                             |        |        |
| पीड़ित की संपर्क जानकारी                          |        |        |
| भरे गए व हस्ताक्षरित शपथपत्र (एफ़िडेविट/हलफ़नामे) |        |        |

<sup>149</sup> इस फ़ॉर्म का उपयोग बंधुआ श्रम मामले की ओपनिंग जाँचसूची के रूप में किया जा सकता है।

| श्रम स्थल का नक्शा                |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| दूरियाँ/ड्राइविंग समय             |  |  |
| उ द पू प दिशाएँ दिखाता है         |  |  |
| निकटतम पुलिस स्टेशन               |  |  |
| निकटतम तालुक/RDO कार्यालय         |  |  |
| निकटतम अस्पताल                    |  |  |
| निकटतम बस स्टैंड                  |  |  |
| निकटतम गाँव                       |  |  |
| निकटतम प्रमुख कस्बा(बे)           |  |  |
| निकटतम रेलवे स्टेशन               |  |  |
| सुरक्षित स्थल 1                   |  |  |
| सुरक्षित स्थल 2                   |  |  |
| नक्शे की समीक्षा की               |  |  |
| पीड़ित सूची का पिछला अपडेट दिनांक |  |  |
| पीड़ितों की जाति                  |  |  |

साक्ष्य जाँचसूची

फ़ॉलो अप रिपोर्ट (FUR)

- ☐ PI के लिए की गई हर यात्रा की एक अलग FUR होती है
- ☐ सभी FUR की समीक्षा हुई है, उन्हें चिह्नकित किया गया है और उनमें सुधार किए गए हैं
- ☐ सभी प्रश्नों और सुधारों पर ध्यान दिया गया है और FUR अपडेट कर दी गई हैं

पीड़ित का दस्तावेज़ीकरण

- ☐ सभी दस्तावेज़ीकरण फ़ॉर्म पूरी तरह भरे गए हैं।
- ☐ सभी बयान हस्ताक्षरित हैं और उन्हें सही प्रकार से भरा गया है।
- ☐ दस्तावेज़ीकृत पीड़ितों के वीडियो साक्षात्कार लिए गए थे।

पीड़ित सहायता के बारे में टिप्पणियाँ

अतिरिक्त टिप्पणियाँ

ये चीज़ें चाहिए:

- प्रतिष्ठान का फोटो,
- पीड़ित का फोटो,
- टाइप की हुई बातचीत और उसका ट्रांसक्रिप्शन (दस्तावेज़ीकरण के समय या उससे पहले INV द्वारा रिकॉर्ड की गई),
- वीडियो क्लिप, यदि कोई हों,
- नक्शे (जैसे ऊपर भी उल्लिखित हैं),
- श्रमिकों के आश्रितों, यदि कोई हों, के विवरण।

परिशिष्ट 2: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराने के दिशानिर्देश  
NHRC में शिकायत दर्ज कराने के दिशानिर्देश

- पीड़ित या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है।
- शिकायत या तो अंग्रेज़ी में या हिंदी में या संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य किसी भी भाषा में लिखी होनी चाहिए। आयोग में केवल एक शिकायत दर्ज कराने की ज़रूरत होती है।
- शिकायत या तो डाक से या 91-11-23382911/23382734 पर फ़ैक्स से या covdnhrc@nic.in पर ई-मेल से भेजी जा सकती है।
- ऐसी शिकायतों के लिए कोई फ़ीस नहीं ली जाती है।
- शिकायत में i) मानवाधिकारों के उल्लंघन का या उसमें योगदान का; अथवा (ii) किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा ऐसे उल्लंघनों की रोकथाम में लापरवाही का प्रकटन होगा।
- आयोग का क्षेत्राधिकार मानवाधिकारों के ऐसे उल्लंघनों तक सीमित है जो कथित रूप से आयोग को शिकायत की प्राप्ति से पहले के एक वर्ष के भीतर घटित हुए हैं।
- शिकायत में लिखे आरोपों के समर्थन में संलग्न किए गए दस्तावेज़, यदि कोई हों तो, पठनीय होने चाहिए।
- शिकायत में पीड़ित का नाम, उसकी आयु, लिंग, धर्म/जाति, घटना से संबंधित राज्य और ज़िले, और घटना की दिनांक आदि का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।
- कृपया शिकायत संलग्न प्रारूप में ही प्रस्तुत करें, वही बेहतर है।
- निम्नलिखित प्रकार की शिकायत(तों) को साधारणतः स्वीकार नहीं किया जाता है:
  - अपठनीय;
  - अस्पष्ट, बेनामी या छद्मनामी;
  - तुच्छ या अगंभीर प्रकृति की;
  - ऐसे कोई भी मामले जो राज्य मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित हैं;
  - मानवाधिकारों के उल्लंघन का गठन करने वाला कृत्य कथित रूप से जिस दिनांक को घटित हुआ है उस दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति के बाद कोई भी मामला;
  - आरोप किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध नहीं है;
  - उठाया गया मामला दीवानी विवाद से संबंधित है, जैसे संपत्ति अधिकार, अनुबंधीय दायित्व, आदि;
  - उठाया गया मामला सेवा संबंधी मामलों से संबंधित है;
  - उठाया गया मामला श्रम/औद्योगिक विवादों से संबंधित है;
  - आरोपों में मानवाधिकारों के किसी उल्लंघन विशेष का दावा नहीं है;
  - मामला किसी न्यायालय/अधिकरण में विचाराधीन है;
  - मामला आयोग के न्यायिक निर्णय/निर्णय के दायरे से बाहर है।
- हम शिकायतकर्ताओं को प्रेरित करते हैं कि वे अपनी शिकायतें दर्ज कराने में ऊपर दिए गए प्रारूप का अधिकतम संभव उपयोग करें। ये दिशानिर्देश बताते हैं कि किस-किस प्रकार की जानकारी से शिकायत को प्रोसेस करना आसान हो जाता है।

परिशिष्ट 3: राज्य मानवाधिकार आयोग शिकायत पंजीकरण फ़ॉर्म का नमूना  
ध्यान दें: नीचे बिहार मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराने का शिकायत पंजीकरण फ़ॉर्म दिया गया है और उसके बाद शिकायत दर्ज कराने के दिशानिर्देश दिए गए हैं

सेवा में  
अध्यक्ष  
बिहार मानवाधिकार आयोग  
9, बेली रोड,  
पटना - 800 015

BHRC शिकायत पंजीकरण फ़ॉर्म

A. शिकायतकर्ता का विवरण

- 1. नाम
- 2. लिंग
- 3. संपर्क/मोबाइल नं.
- 4. पता
- 5. ज़िला राज्य पिन-कोड

B. घटना का विवरण

- 1. घटना स्थल (गाँव/कस्बा/शहर)
- 2. ज़िला/राज्य
- 3. घटना का दिनांक

C. घटना का विवरण

- 1. नाम
- 2. पीड़ितों की संख्या
- 3. पता
- 4. ज़िला/राज्य
- 5. पिन-कोड
- 6. धर्म (हिंदू/मुसलमान/सिख/ईसाई/बौद्ध/अन्य)
- 7. जाति (SC/ST/OBC)
- 8. लिंग (पुरुष/महिला)
- 9. आयु (वर्ष)
- 10. अशक्त (हाँ/नहीं)

D. शामिल मानवाधिकार उल्लंघनों के तथ्यों/आरोपों का संक्षिप्त वर्णन

E. क्या यह शिकायत सशस्त्र बलों/अर्द्धसैनिक बलों के सदस्यों के विरुद्ध है (हाँ/नहीं)?

F. क्या राज्य के किसी न्यायालय/राज्य मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य आयोग में ऐसी ही शिकायत दर्ज कराई हुई है?

G. उस सरकारी कर्मचारी का नाम, पद और पता जिसके विरुद्ध शिकायत की जा रही है:

H. उन प्राधिकारियों/अधिकारियों के नाम, पद और पते जिनके प्रति सरकारी कर्मचारी जवाबदेह है:

I. प्रार्थित याचना/राहत, यदि कोई हो:

BHRC में शिकायत दर्ज कराने के दिशानिर्देश

- 1. पीड़ित या उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति आयोग में शिकायत दर्ज करा सकता है।
- 2. शिकायत या तो अंग्रेज़ी में या हिंदी में या संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य किसी भी भाषा में लिखी होनी चाहिए। आयोग में शिकायत का केवल एक सेट दर्ज कराने की ज़रूरत होती है।
- 3. शिकायत या तो डाक से या (0612)-2232280 पर फ़ैक्स से या sec-bhrc@nic.in पर ई-मेल से भेजी जा सकती है।
- 4. शिकायतें दर्ज कराने के लिए कोई फ़ीस नहीं ली जाती है।
- 5. शिकायत में - (i) मानवाधिकारों के उल्लंघन का या उसमें योगदान का; अथवा (ii) किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा ऐसे उल्लंघनों की रोकथाम में लापरवाही का प्रकटन होगा।
- 6. आयोग का क्षेत्राधिकार मानवाधिकारों के ऐसे उल्लंघनों तक सीमित है जो कथित रूप से आयोग को शिकायत की प्राप्ति से पहले के एक वर्ष के भीतर घटित हुए हैं।
- 7. शिकायत में लिखे आरोपों के समर्थन में संलग्न किए गए दस्तावेज़, यदि कोई हों तो, पठनीय होने चाहिए।
- 8. शिकायत में पीड़ित का नाम, उसकी आयु, लिंग, धर्म/जाति, घटना से संबंधित राज्य और ज़िले, और घटना की दिनांक आदि का उल्लेख अवश्य होना चाहिए।
- 9. शिकायत निर्धारित प्रारूप में जमा करने से आयोग को उसका निपटान शीघ्रता से करने में मदद मिलती है।
- 10. निम्नलिखित प्रकार की शिकायत(तों) को साधारणतः स्वीकार नहीं किया जाता है – (a) अपठनीय; (b) अस्पष्ट, बेनामी या छद्मनामी; (c) तुच्छ या अगंभीर प्रकृति की; (d) ऐसे कोई भी मामले जो राज्य मानवाधिकार आयोग या किसी अन्य आयोग के समक्ष लंबित हैं; (e) मानवाधिकारों के उल्लंघन का गठन करने वाला कृत्य कथित रूप से जिस दिनांक को घटित हुआ है उस दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति के बाद कोई भी मामला; (f) आरोप किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध नहीं है; (g) उठाया गया मामला श्रम/औद्योगिक विवादों से संबंधित है; (h) आरोपों में मानवाधिकारों के किसी उल्लंघन विशेष का दावा नहीं है; (i) मामला किसी न्यायालय/अधिकरण में विचाराधीन है; (j) मामला आयोग के न्यायिक निर्णय/निर्णय के दायरे से बाहर है।
- 11. हम शिकायतकर्ताओं को प्रेरित करते हैं कि वे अपनी शिकायतें दर्ज कराने में ऊपर दिए गए प्रारूप का अधिकतम संभव उपयोग करें। ये दिशानिर्देश बताते हैं कि किस-किस प्रकार की जानकारी से शिकायत को प्रोसेस करना आसान हो जाता है।
- 12. कार्रवाई, संबंधित याचिका की प्राप्ति के बाद ही शुरू होगी।

परिशिष्ट 4: बचाव-पूर्व नियोजन बैठक फ़ॉर्म<sup>150</sup>  
बचाव-पूर्व नियोजन बैठक फ़ॉर्म

प्रतिष्ठानों के नाम:  
बचाए जाने वाले पीड़ितों की संख्या:  
श्रम स्थल:  
स्थान:  
पुनः एकत्रण बिंदु:  
दल सदस्य:

| क्रमांक | TM का नाम | संगठन | संपर्क नं. |
|---------|-----------|-------|------------|
| 1       |           |       |            |
| 2       |           |       |            |
| 3       |           |       |            |

बचाव अभियान का विवरण (लक्ष्य बिंदु):  
a. क्षेत्र:  
b. प्रतिष्ठान:  
c. समुदाय:  
d. जोखिम:  
e. प्रतिष्ठान

| क्रमांक | बिंदु | इकाई | पता | दूरी |
|---------|-------|------|-----|------|
| 1       |       |      |     |      |
| 2       |       |      |     |      |
| 3       |       |      |     |      |

महत्वपूर्ण संपर्क नंबर:

| क्रमांक | व्यक्ति का नाम | विभाग | संपर्क नं. | वैकल्पिक नं. |
|---------|----------------|-------|------------|--------------|
| 1       |                |       |            |              |
| 2       |                |       |            |              |

<sup>150</sup> कृपया ध्यान दें कि यह फ़ॉर्म केवल आंतरिक उपयोग के लिए है और बचाव स्थल पहुँचने से पहले इसका बाह्य वितरण नहीं होना चाहिए।

दल की ज़िम्मेदारियाँ:

| क्रमांक | नाम | भूमिका<br>(कुछ भूमिकाओं के संक्षिप्त उदाहरण नीचे दिए गए हैं)          | सहायक स्टाफ़ |
|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1       |     | संपूर्ण तालमेल, SDM                                                   |              |
| 2       |     | फोटोग्राफर                                                            |              |
| 3       |     | निगरानी                                                               |              |
| 4       |     | श्रम स्थल सील करना                                                    |              |
| 5       |     | जलपान                                                                 |              |
| 6       |     | समूह परामर्श                                                          |              |
| 7       |     | पंजीकरण                                                               |              |
| 8       |     | विस्तार से फ़ॉर्म भरना                                                |              |
| 9       |     | चिकित्सा दल से तालमेल                                                 |              |
| 10      |     | श्रम विभाग से तालमेल                                                  |              |
| 11      |     | SDM से तालमेल                                                         |              |
| 12      |     | CWC से तालमेल (बच्चे के मामले में)                                    |              |
| 13      |     | पुलिस से तालमेल/प्राथमिकी                                             |              |
| 14      |     | आश्रय गृह से तालमेल और पीड़ितों को आश्रय गृह सुरक्षित ढंग से पहुँचाना |              |
| 15      |     | सामान व लोगों के आने-जाने की व्यवस्था और बचाव किट                     |              |
| 16      |     | भोजन व्यवस्था                                                         |              |
| 17      |     | साक्ष्य एकत्रण                                                        |              |

दल-A: प्रत्येक दल सदस्य की ज़िम्मेदारियाँ:

| क्रमांक |                | व्यक्ति का नाम | संपर्क नं. | ज़िम्मेदारी |
|---------|----------------|----------------|------------|-------------|
| 1       | श्रम स्थल<br>1 |                |            |             |
| 2       |                |                |            |             |
| 3       |                |                |            |             |
| 4       |                |                |            |             |
| 5       |                |                |            |             |

दल-A: प्रत्येक दल सदस्य की ज़िम्मेदारियाँ:

| क्रमांक | व्यक्ति का नाम | संपर्क नं. | ज़िम्मेदारी |
|---------|----------------|------------|-------------|
| 1       |                |            |             |

वस्तुओं की सूची (उदाहरण नीचे हैं):

- a. सभी प्रकार के फ़ॉर्म
- b. A4 शीट
- c. टॉर्च
- d. कैमरे
- e. प्राथमिक उपचार किट
- f. भोजन
- g. पानी और अल्पाहार
- h. पीड़ितों की पहचान के लिए टैग और स्लिप
- i. स्टेपलर और पिन
- j. पेन और नोट पैड
- k. निर्णय और अधिनियमों की प्रतियाँ
- l. अधिनियम का सटीक पाठ्य/आपराधिक नियमावली
- m. यदि बच्चे बचाए जाने हों तो क्रियाकलाप पुस्तिकाएँ, मोम के रंग, रंगीन पेंसिलें
- n. प्रिंटर
- o. एक्सटेंशन कॉर्ड

सभी के लिए निर्देश:

- 1. अधिकारियों/पुलिस कर्मियों/दोषियों/मानव व्यापारियों/दर्शकों से भिड़ने/बहसबाज़ी से बचें;
- 2. पीड़ितों की सुरक्षित अभिरक्षा प्राथमिकता है;
- 3. दल सदस्यों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करें;
- 4. सुनिश्चित करें कि आपके मोबाइल फोन पूरी तरह चार्ज हों और यह कि आपने महत्वपूर्ण संपर्क नंबर/आपातकालीन नंबर सेव किए हुए हों।

महत्वपूर्ण संपर्क सूची:

| क्रमांक | नाम | पद                    | संपर्क नं. |
|---------|-----|-----------------------|------------|
| 1       |     | SDM                   |            |
| 2       |     | ACP पुलिस स्टेशन      |            |
| 3       |     | श्रम विभाग            |            |
| 4       |     | SHO, पुलिस स्टेशन     |            |
| 5       |     | पर्यवेक्षक, आश्रय गृह |            |

गवाहों की सूची:

| क्रमांक | नाम | संगठन | संपर्क नं. | भवन |
|---------|-----|-------|------------|-----|
| 1       |     |       |            |     |
| 2       |     |       |            |     |
| 3       |     |       |            |     |

परिशिष्ट 5: बंधुआ श्रम के मिथक और वास्तविकताएँ  
बंधुआ श्रम के मिथकों और वास्तविकताओं की तालिका<sup>151</sup>

| मिथक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | वास्तविकता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>श्रम को केवल तब “बलात्” माना जाएगा यदि बंधुआ श्रम के पीड़ितों को भौतिक/शारीरिक रूप से पीटा गया हो।</p> <p>पीड़ितों को विवश केवल तब माना जाएगा यदि श्रम स्थलों की दीवारें हों या वहाँ अन्य भौतिक नियंत्रण हों।</p> <p>मौसमी कर्मियों या घर से काम करने वाले कर्मियों को बंधुआ श्रमिक नहीं माना जा सकता है।</p> <p>पीड़ितों को बंधुआ केवल तब माना जाएगा यदि उन्हें न्यूनतम वेतन से कम वेतन मिलता हो।</p> | <p>सर्वोच्च न्यायालय ने “बल” की परिभाषा किसी भी ऐसे कारक के रूप में दी है जो व्यक्ति से विकल्प छीन लेता है। बंधुआ श्रम को “बलात्” माने जाने के लिए ज़ंजीरों या भौतिक बल का होना आवश्यक नहीं है।</p> <p>व्यक्ति को हिंसा की धमकियों, कानूनी सज़ा की धमकियों या गरीबी की धमकियों से बंधुआ श्रमिक बने रहने पर विवश किया जा सकता है।</p> <p>बंधुआ श्रम की हर परिस्थिति ग़ैरकानूनी है – उसका स्थान या समयावधि चाहे जो भी हो। यदि कोई ऋण या दायित्व किसी भी समय चार स्वतंत्रताओं में से किसी के भी छीने जाने का कारण बनता है तो उसे बंधुआ श्रम ही माना जाएगा।</p> <p>न्यूनतम वेतन नहीं देना, उन चार अधिकारों/स्वतंत्रताओं में से मात्र एक अधिकार/स्वतंत्रता है जिन्हें किसी बंधुआ श्रम प्रणाली में छीना जा सकता है।</p> |

151 ट्रैफ़िकिंग इन पर्सन्स: लॉ एंड प्रॉसीजर फ़ॉर बॉन्डेड लेबर, Labour, IJMI।

परिशिष्ट 6: क़ानूनी हस्तक्षेप रिपोर्ट प्रारूप का नमूना

क़ानूनी हस्तक्षेप रिपोर्ट

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| सेक्टर:                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| गाँव:                              | उप-संभाग/अनुमंडल:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| ज़िला:                             | पो.ऑ.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पु.स्टे.: |
| दिनांक:                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| बुनियादी तथ्य और शब्द              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
| प्रतिष्ठान की तस्वीर               | <b>श्रमिक</b><br>गोपनीय जानकारी के अनुसार निम्नलिखित श्रमिक (“श्रमिक”), जिनके उपर्युक्त कृषि भूमि पर बंधुआ श्रमिक होने की संभावना है, पहचाने गए हैं:<br><br>_____                                                                                                                                                     |           |
| किसी एक श्रमिक के परिवार की तस्वीर | <b>श्रम स्थल</b><br><br>_____                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|                                    | <b>आरोपित</b><br><br>_____                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|                                    | <b>दंडनीय अपराध</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• बंधुआ श्रम अधिनियम के उल्लंघन।</li><li>• भारतीय दंड संहिता के उल्लंघन।</li><li>• SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम के उल्लंघन।</li><li>• न्यूनतम वेतन अधिनियम के उल्लंघन।</li><li>• JJ अधिनियम के उल्लंघन।</li><li>• बाल श्रम अधिनियम के उल्लंघन।</li></ul> |           |

“मानव व्यापार और बेगार और बलात् श्रम के ऐसे ही अन्य रूप निषिद्ध हैं और इस उपबंध का कोई भी अतिक्रमण क़ानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।”  
- भारत के अनुसंधान का 23वाँ अनुच्छेद<sup>152</sup>

“[बंधुआ श्रमिक] अस्तित्वहीन हैं, वे सभ्यता से निष्कासित हैं, वे पशुओं से भी बदतर जीवन जी रहे हैं क्योंकि पशुओं को कम-से-कम अपने मन से आने-जाने की आज़ादी तो होती है... इस प्रणाली में किसी कथित ऋण की चुकौती हेतु एक व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को वर्षों-वर्ष श्रम प्रदान करने के लिए बंधुआ बना दिया जाता है और बंधुआ श्रमिक के पूरे जीवन के दौरान वह चुकौती पूरी नहीं हो पाती है; यह प्रणाली नई समतावादी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था से पूर्णतः असंगत है जिसके निर्माण का हमने वचन दिया है...”  
- सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश पी. एन. भगवती<sup>153</sup>

<sup>152</sup> भारत के संविधान का 23वाँ अनुच्छेद।  
<sup>153</sup> बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, 1984 AIR (SC) 802, 1984 (3) SCC 161 (सर्वोच्च न्यायालय 1983)।

क्रयाचिका

अधोहस्ताक्षरी याची निम्नलिखित स्थान पर श्रम हेतु विवश लोगों की ओर से यह याचना करता है कि:

|        |                   |           |
|--------|-------------------|-----------|
| गाँव:  | उप-संभाग/अनुमंडल: |           |
| ज़िला: | पो.ऑ.:            | पु.स्टे.: |

1. दंडनीय बंधुआ श्रम यहाँ होता है

|        |                   |           |
|--------|-------------------|-----------|
| गाँव:  | उप-संभाग/अनुमंडल: |           |
| ज़िला: | पो.ऑ.:            | पु.स्टे.: |

2. संबंधित स्वामियों के नाम और कथित ..... के उनके संबंधित श्रमिकों के नाम संलग्नत सूची में हैं जो संलग्नक - ..... है और जिसे तत्काल याचिका के अभिन्न अंग के रूप में पढ़ा जा सकता है।

3. आरोपित(तों) ने:
- a. श्रमिकों पर (बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के उपबंधों के उल्लंघन में) उत्तराधिकार के ज़रिए हस्तांतरित हुई कामिया बंधन प्रणाली के तहत प्रथागत/सामाजिक दायित्वों के अनुसरण में श्रमिकों को उपर्युक्त कृषि इकाइयों में नियुक्त किया है और उन्हें बंधुआ श्रम प्रणाली में फँसा लिया है;
  - b. श्रमिकों को सांविधिक न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं किया है (यह भी बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के उपबंधों का उल्लंघन है);
  - c. पूरे भारत में श्रमिकों के आने-जाने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया है (यह भी बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के उपबंधों और भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन है);
  - d. श्रमिकों की रोजगार की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया है (यह भी बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के उपबंधों का उल्लंघन है।

4. 4. श्रमिक ..... समुदाय के हैं, जो अनुसूचित जाति/जनजाति है जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(vi) के तहत एक संरक्षित समूह है।

अतैव, आरोपित(तों) ने बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (संक्षेप में, “BLA”), भारतीय दंड संहिता (“IPC”), अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (“SC/ST अधिनियम”), न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015, बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम और भारत के संविधान के उल्लंघन किए हैं।

I. **बंधुआ श्रम यहाँ उपस्थित है:** \_\_\_\_\_  
बंधुआ श्रम प्रणाली, जैसी बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा 2(g) में परिभाषित है, बलात् या आंशिक रूप से बलात् श्रम की एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें कोई श्रमिक किसी नियोक्ता से इस आशय का करार करता है कि वह किसी ऋण, दायित्व या अन्य प्रतिलाभ के बदले स्वतंत्रताओं या अधिकारों को खो देगा।

BLA में ऐसी चार स्वतंत्रताएँ या अधिकार बताए गए हैं जिन्हें श्रमिक किसी बंधुआ ऋण के बदले खो बैठता है:

- 1. रोजगार की स्वतंत्रता खो देना; या
- 2. पूरे भारत में आने-जाने की स्वतंत्रता खो देना; या
- 3. न्यूनतम वेतन पाने का अधिकार<sup>154</sup> खो देना; या
- 4. बाजारों में वस्तुएँ और सेवाएँ बेचने की स्वतंत्रता खो देना।

बंधुआ श्रम की मौजदगी सिद्ध करने के लिए उपर्युक्त में से किसी भी एक को खोना सिद्ध करना पर्याप्त है।

जबकि इस मामले में, उक्त ..... [स्थान] पर उपर्युक्त में से कम-से-कम तीन स्थितियाँ साफ़ तौर पर मौजूद हैं। कृपया नीचे देखें:

A. स्वतंत्रता खोना (बंधुआ श्रम के निष्कर्ष के लिए केवल एक आवश्यक)

- i. आने-जाने की स्वतंत्रता खोना और रोजगार की स्वतंत्रता खोना: आरोपित श्रमिकों को अनुमति के बिना ..... से जाने नहीं देता है/नहीं देते हैं। वे श्रमिकों के अन्यत्र काम करने पर भी रोक लगाते हैं। इस प्रकार, आरोपित श्रमिकों की आने-जाने व कार्य करने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है करते हैं और अतैव श्रमिक बंधुआ श्रम प्रणाली में कार्य करते हैं।

आने-जाने की स्वतंत्रता खोना

श्रमिकों का आना-जाना प्रतिबंधित है, और श्रमिकों को अपनी इच्छा से उक्त ..... से जाने की अनुमति नहीं है। सभी परिवारों ने यह कहा है कि मासिक राशन खरीदने के लिए परिवार के केवल एक सदस्य को बाज़ार जाने की अनुमति है (और स्वामियों के एजेंट हमेशा उसके साथ जाते हैं) और परिवार के अन्य सदस्यों को श्रम स्थल के भीतर ही रुकना पड़ता है ताकि यह सुनिश्चित हो कि बाज़ार जाने वाला व्यक्ति श्रम स्थल अवश्य लौटे।

अधिकांश श्रमिकों ने यह भी कहा है कि जब उन्होंने स्वामी/एजेंट की अनुमति के बिना बाहर जाने की कोशिश की तो उन्हें (उनके पूरे परिवार को) पीटा गया। अन्य मामलों में उन्हें यह धमकी दी गई कि स्वामी/एजेंट पुलिस को सूचित कर देंगे। अतः उनके पास अपनी इच्छा से बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं है और उन्हें अनवरत दासता में रखा गया है क्योंकि अत्यधिक कम भुगतान, जो न्यूनतम वेतन से बहुत-बहुत कम है, को देखते हुए उनके लिए उनके अग्रिम को चुका पाना असंभव है।

रोजगार की स्वतंत्रता खोना

श्रमिकों को उक्त ..... से जाने और अन्य नियोक्ताओं के लिए कार्य करने की अनुमति नहीं है। आरोपित(तों) ने श्रमिकों के आने-जाने पर नियंत्रण कर रखा है, जिसके फलस्वरूप उनकी रोजगार की स्वतंत्रता प्रतिबंधित हो गई है। अधिकांश श्रमिकों ने यह बताया कि स्वामी/एजेंटों ने उन्हें अन्य नियोक्ताओं के तहत कार्य करने की अनुमति नहीं दी। और कुछ श्रमिकों ने कहाकि स्वामी/एजेंट इस बात पर भी नियंत्रण रखते हैं कि श्रमिक बाज़ार में क्या-क्या खरीद और बेच सकते हैं और क्या-क्या नहीं।

संक्षेप में, आरोपित(तों) ने श्रमिकों को आने-जाने, यात्रा करने, या अन्य नियोक्ताओं के साथ स्वतंत्र रूप से कार्य करने से प्रतिबंधित कर रखा है। श्रमिकों को न्यूनतम वेतन से बहुत कम भुगतान दिया जाता है, और उन्हें उनके कठोर परिश्रम के बदले अत्यल्प मासिक वेतन दिया जा रहा है। अधिकांश श्रमिक अनुसूचित जाति के (महादलित) हैं, जो प्रति दिन ..... से अधिक कार्य करते हैं। वे एक बंधुआ श्रम प्रणाली में फँसे हुए हैं जिसमें श्रमिक भारत में आने-जाने या कहीं और काम करने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं।

(BLA की धाराओं 9, 16, 17 और 18; IPC की धाराओं 323, 344, 370 और 374; तथा SC/ST अधिनियम की धारा 3(1)(vi) के उल्लंघन)।

.....

<sup>154</sup> धारा 2(g)(1-4), बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976।

- ii. न्यूनतम वेतन पाने अधिकार खोना: ..... में (.....14 से प्रभावी), अर्द्धकुशल कर्मों का न्यूनतम वेतन कम-से-कम ₹ ..... प्रति दिन है। आरोपित(तों) ने श्रमिकों को ..... के भुगतान का वचन दिया था। श्रमिकों को न्यूनतम वेतन से बहुत कम वेतन या मामूली वेतन का भुगतान किया जाता है या उन्हें कोई भी वेतन नहीं मिलता है, ..... (BLA की धाराओं 9, 16, और 18; IPC की धारा 374; और न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा 22 के उल्लंघन)।

ध्यान दें: इस मामले में श्रमिक अशिक्षित हैं और हो सकता है कि वे संख्याओं/आँकड़ों को हमेशा समझ न पाते हों।

B. अग्रिम: एक बंधुआ ऋण

आरोपित(तों) ने श्रमिकों के श्रम के बदले में उन्हें अग्रिम राशियाँ दीं। श्रमिकों का यह कहना है कि आरोपित(तों) ने उन्हें अग्रिम राशियाँ दीं और उनकी चुकौती के लिए उन्हें ..... में कार्य करने पर विवश किया, और यह कि आरोपित(तों) ने उनकी अग्रिम राशियों के मद में भुगतान के रूप में उनके वेतनों से पैसे काट लिए। हालाँकि, श्रमिकों ने बताया कि स्वामी/एजेंट खाता बहियों के बारे में उन्हें सूचित नहीं करते थे या अवगत नहीं रखते थे और उन्हें निश्चित रूप से पता नहीं है कि उन पर स्वामी/एजेंटों की कितनी राशि अभी-भी बकाया है।

श्रमिकों ने बताया कि उन्होंने स्वामी से अग्रिम राशियाँ ली हैं।

ध्यान दें: अग्रिम राशि यदि स्वतंत्रता खोने (कृपया ऊपर देखें) के बदले में दी जाए तो वह गैरकानूनी अग्रिम राशि है। तदनुसार, ऐसी अग्रिम राशियों के मद में की गई कटौतियाँ भी गैरकानूनी हैं (BLA की धाराओं 4, 5, 6, 9 और 17 के उल्लंघन)।

II. अकाट्य/बाध्यकारी मुद्दे:

III. ज़िला प्रशासन के कर्तव्य:

- 1. बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 ज़िला प्रशासन को यह शक्ति देता है और उसके लिए यह आवश्यक करता है कि वह इन श्रमिकों की ओर से तत्काल हस्तक्षेप करे।
- 2. कानून ज़िला प्रशासन के लिए निम्नलिखित कर्तव्य निर्धारित करता है:
  - a. श्रमिकों को तत्काल रिहा कराना;
  - a. आरोपित पर अभियोजन चलाना; और
  - a. इस मामले में श्रमिकों को अर्थपूर्ण पुनर्वास प्रदान करना।

अतैव, चूँकि उपर्युक्त जानकारी यह बताती है कि मानवों को ..... में स्थित ..... में बंधुआ श्रमिक बनाकर उन पर अत्याचार हो रहा है, याची शिकायतकर्ता इस माननीय आयोग के समक्ष यह सादर निवेदन करता है कि ..... के ज़िला प्रशासन को निम्नलिखित करने का निर्देश दिया जाए:

- 1. श्रमिकों को निकालने के लिए शिकायतकर्ता/मुखबिर NGO को साथ रखते हुए ..... पर छापा मारे;
- 2. शिकायतकर्ता/मुखबिर NGO को साथ रखते हुए श्रमिकों से पूछताछ करे;
- 3. शिकायतकर्ता/मुखबिर NGO को साथ रखते हुए, प्रथम दृष्टया बंधुआ श्रम का मामला दर्शाने वाले उन पूछताछ बयानों के आधार पर श्रमिकों की पहचान बंधुआ श्रमिकों के रूप में करे; और
- 4. शिकायतकर्ता/मुखबिर NGO को साथ रखते हुए, बंधुआ श्रमिक के रूप में पाए गए श्रमिकों को रिहा करे और उनका पुनर्वास करे (लागू कानून नीचे दिए गए हैं, (देखें “परिशिष्ट ....”))।

साथ ही, BLA के अनुसार श्रमिकों से पूछताछ के बाद, यह प्रार्थना है कि यह

साथ ही, BLA के अनुसार श्रमिकों से पूछताछ के बाद, यह प्रार्थना है कि यह माननीय आयोग उक्त प्रशासन को निम्नलिखित करने का निर्देश देने की भी कृपा करे:

1. आरोपित(तों) और जो भी अन्य ज़िम्मेदार व्यक्ति हों उनके विरुद्ध प्राथमिकी (“FIR”) दर्ज करे।
2. दोषी(षियों) को तुरंत गिरफ़्तार करे।
3. दोषियों की पहचान के सत्यापन के लिए, और सभी ज़िम्मेदार व्यक्तियों की उपयुक्त आपराधिक जवाबदेही कानून के अनुसार सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत जाँच करे या संबंधित पुलिस को ऐसा करने का निर्देश दे।
4. बंधुआ श्रमिक के रूप में पहचाने गए प्रत्येक व्यक्ति को बचाव के दौरान तुरंत ही PUCI बनाम तमिलनाडु राज्य नामक मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार ₹1000.00 का निर्वाह भत्ता प्रदान करे।
5. बचाव व रिहाई के तुरंत बाद श्रमिकों के संक्षिप्त ठहराव, भोजन, पानी, सुरक्षा व सलामती और परिवहन आदि की उचित व पर्याप्त व्यवस्थाएँ प्रदान करे।
6. यह माननीय आयोग जिन भी अन्य आदेशों या निर्देशों को तथ्यों व परिस्थिति के आलोक में उपयुक्त व उचित समझे उसे कृपया उक्त ज़िला प्रशासन को प्रदान करें।

“परिशिष्ट”- A: प्राथमिकी में शामिल किए जाने वाले अपराधों का सारांश

बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976

- धारा 9: बंधुआ श्रम के बदले भुगतान स्वीकारना,
- धारा 16: किसी व्यक्ति को बंधुआ श्रम प्रणाली में काम करने पर बाध्य करना,
- धारा 17: किसी बंधुआ श्रम प्रणाली में पैसे उधार देना,
- धारा 18: कोई बंधुआ श्रम प्रणाली लागू करना।

भारतीय दंड संहिता<sup>155</sup>

- धारा 341/344: अवैधानिक रोक/कैद,
- धारा 370: बंधुआ श्रम या दासता आदि के लिए भर्ती करना, प्राप्त करना, आदि,
- धारा 374: गैरकानूनी बाध्यकारी श्रम।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1976

- धारा 3(1)(vi): किसी SC या ST व्यक्ति को ‘बेगार’ करने या बलात् अथवा बंधुआ श्रम के ऐसे ही अन्य रूप करने पर बाध्य करना या फुसलाना।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

- धारा 22: कम वेतन या शून्य वेतन के लिए सज़ाएँ।

किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015

- धारा 75: बच्चे से क्रूरता, आदि।
- धारा 79: बाल कर्मचारी का शोषण
- धारा 81: किसी भी प्रयोजन से बच्चों की बिक्री और खरीद/दलाली/प्राप्ति

बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम

- धारा 3: कुछ प्रतिष्ठानों आदि में बच्चों पर निषेध।
- धारा 14: सज़ाएँ।

.....

<sup>155</sup> This list provided is not exhaustive. Other sections, as applicable and relevant can be included.

“परिशिष्ट”- B: बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत प्रभावी बंधुआ श्रम पूछताछ/जाँच के दिशानिर्देश

I. जाँच/पूछताछ के आवश्यक तत्व, संक्षेप में

- A. शिकायत प्राप्त करना और सामाजिक कार्य समूह की संलग्नता  
बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (“अधिनियम”) ज़िला प्रशासन को अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए विशेष शक्तियाँ और ज़िम्मेदारियाँ सौंपता है।<sup>156</sup> माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि जब भी कभी सामाजिक कार्य समूह का कोई प्रतिनिधि ज़िलाधिकारी या उप-ज़िलाधिकारी का ध्यान बंधुआ श्रम की मौजूदगी की ओर आकर्षित करे तो ज़िलाधिकारी बंधुआ श्रमिकों की रिहाई के लिए उस प्रतिनिधि को अपने साथ ले जाएँगे और रिपोर्ट की प्रति तुरंत उस प्रतिनिधि को देंगे।<sup>157</sup>
- B. शिकायत प्राप्त करना और सामाजिक कार्य समूह की संलग्नता  
यह स्पष्ट रूप से अनिवार्य है कि शिकायत दर्ज कराई जाने के तुरंत बाद जाँच की जाए, क्योंकि मामूली से विलंब से भी संबंधित समस्याएँ पैदा हो सकती हैं, जैसे नियोक्ता की ओर से गंभीर रूप से डराने-धमकाने की युक्तियाँ, धमकियाँ, और दबाव/ज़बरदस्ती।<sup>158</sup>
- C. जाँच में दोषियों की आवश्यकता नहीं है  
जाँच में दोषियों का साक्षात्कार आवश्यक नहीं है। यह भी स्पष्ट रूप से अनिवार्य है कि श्रमिकों को दोषियों से अलग रखते हुए श्रमिकों से पूछताछ की जाए ताकि डर और धमकियों के उनके एहसास को न्यूनतम करके निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित की जा सके।<sup>159</sup>
- D. रिहाई प्रमाणपत्र  
रिहाई के तुरंत बाद श्रमिकों को रिहाई प्रमाणपत्र जारी किए जाने चाहिए जिनमें यह प्रमाणित होना चाहिए कि वह एक बंधुआ श्रमिक था जिसे दासता से मुक्त कर दिया गया है।<sup>160</sup>
- E. आरंभिक पुनर्वास भुगतान यानी निर्वाह भत्ता  
रिहाई प्रमाणपत्र पाने वाले हर पीड़ित को आरंभिक पुनर्वास आवश्यकताओं के लिए तुरंत ₹1000.00 दिए जाने चाहिए। राज्य सरकारें बंधुआ श्रमिक को उसकी पहचान होने के तुरंत बाद निर्वाह भत्ते के रूप में ₹1000.00 देंगी।<sup>161</sup>
- F. प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश  
जाँच/पूछताछ के समापन पर, यदि आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी (“FIR”) पहले ही दर्ज नहीं की जा चुकी है, तो ज़िला प्रशासन को पुलिस को यह निर्देश देना चाहिए कि वह परिशिष्ट A में वर्णित सभी अपराधों के लिए आरोपित के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करे।<sup>162</sup>

.....

<sup>156</sup> BLA, धारा 10।

<sup>157</sup> नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, AIR 1984 SC 1099।

<sup>158</sup> दावीदार, PWC, IAS, बंधुआ श्रमिकों की रिहाई और पुनर्वास के लिए पुस्तिका, अनुभाग 3.8।

<sup>159</sup> दावीदार, PWC, IAS, बंधुआ श्रमिकों की रिहाई और पुनर्वास के लिए पुस्तिका, अनुभाग 3.9 और 4.22; बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, 1984 AIR (SC) 802, 1984(3) SCC 161, पैरा 28 (सर्वोच्च न्यायालय 1983): ‘जाँच का उद्देश्य और प्रयोजन... (स्वामियों) पर कोई देयता थोपना नहीं बल्कि उन श्रमिकों की रिहाई और घर वापसी कराना है जिन्होंने बंधुआ श्रमिक होने का दावा किया है और जो रोजगार छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं।’

<sup>160</sup> संतल परगना अंत्योदय आश्रम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, 1987 संलग्नक (1) SCC 141।

<sup>161</sup> PUCI बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य, वर्ष 1985 की रिट याचिका 3922 दिनांकित 5 मई, 2004 में।

<sup>162</sup> दावीदार, PWC, IAS, बंधुआ श्रमिकों की रिहाई और पुनर्वास के लिए पुस्तिका, अनुभाग 4.2 और 4.4।

II. बंधुआ श्रम की परिभाषा

- A. बंधुआ श्रम के घटक, विस्तार में
- अधिनियम बंधुआ श्रम प्रणाली की रूपरेखा एक ऐसे करार के रूप में देता है जिसमें निम्नलिखित घटक होते हैं:
- पीड़ित कुछ स्वतंत्रताओं या अधिकारों को खोता है;

● किसी ऋण या अन्य दायित्व के बदले में<sup>163</sup>

1. अधिकारों या स्वतंत्रताओं को खोना
- बंधुआ श्रम की मौजूदगी सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किसी भी एक को खोना सिद्ध करना पर्याप्त है। श्रमिकने:
- a. अन्यत्र काम करने की योग्यता खोई है; या

b. स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की योग्यता खोई है; या

c. बाज़ारों में अपनी वस्तुएँ और सेवाएँ बेचने की योग्यता खोई है; या

d. न्यूनतम वेतन पाने का अधिकार<sup>164</sup> खोया है।
2. ऋण या दायित्व
- आरोपित ने ऋण के सबसे आम रूप, अग्रिम का उपयोग किया है।<sup>165</sup>
- a. अग्रिम मौखिक या लिखित हो सकता है।<sup>166</sup>

b. ब्याज आवश्यक नहीं है।<sup>167</sup>

c. अग्रिम पीड़ित द्वारा या पीड़ित के पूर्वजों या वंशजों द्वारा लिया गया हो सकता है।<sup>168</sup>

- B. बंधुआ होने की पूर्वधारारें
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने उदार-हस्त से पीड़ित की रिहाई के पक्ष में अधिनियम की व्याख्या की है। यदि निम्नलिखित पूर्वधारणाएँ लागू होती हैं तो गैरकानूनी बंधुआ श्रम प्रणाली की मौजूदगी सिद्ध की जा सकती है:

1. आने-जाने/रोज़गार पर प्रतिबंध
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा है कि आने-जाने या रोज़गार की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के ज़रिए बलात् श्रम का प्रमाण, गैरकानूनी बंधुआ ऋण की पूर्वधारणा उत्पन्न करता है।<sup>169</sup>
2. न्यूनतम वेतन नहीं देना
- यदि कर्मों को स्थापित न्यूनतम वेतन के बराबर या से अधिक वेतन नहीं मिलता है, तो यह माना जाएगा कि कर्मों एक बंधुआ पीड़ित है।<sup>170</sup> जाँच होने पर उस व्यक्ति को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए।

III. जवाबदेही और सरकारी अभियोजन

- चार अपराध
- अधिनियम में ऐसे चार अपराध गिनाए गए हैं जिनके लिए दोषी को जवाबदेह ठहराया जा सकता है:
1. धारा 9: बंधुआ ऋणों के लिए श्रमिकों से भुगतान स्वीकारना।

2. धारा 16: श्रमिकों को बंधुआ श्रम प्रणाली में काम करने पर बाध्य करना।

3. धारा 17: किसी बंधुआ श्रम प्रणाली में पैसे उधार देना

4. धारा 18: बंधुआ श्रम प्रणाली को लागू करना।

.....

<sup>163</sup> BLA, धारा 2(g)।

<sup>164</sup> BLA, धारा 2(g)(1-4)।

<sup>165</sup> BLA, धारा 2(g)(i)।

<sup>166</sup> BLA, धारा 2(b)।

<sup>167</sup> BLA, धारा 2(g)(i)।

<sup>168</sup> BLA, धारा 2(g)(i)।

<sup>169</sup> बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, 1984 AIR (SC) 802, 1984 (3) SCC 161 (सर्वोच्च न्यायालय 1983)।

<sup>170</sup> नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, II LLN 219, 223 (1984)।

- B. मामले में मुकदमा चलाने की शक्ति।
- यह अधिनियम यह प्रावधान करता है कि न्यायिक दंडाधिकारी (ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट) के पास इस अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों के मुकदमों के लिए कार्यपालक दंडाधिकारी (एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट) की समवर्ती शक्तियाँ हैं।<sup>171</sup>

1. धारा 9: बंधुआ ऋणों के लिए श्रमिकों से भुगतान स्वीकारना।
2. धारा 16: श्रमिकों को बंधुआ श्रम प्रणाली में काम करने पर बाध्य करना।
3. धारा 17: किसी बंधुआ श्रम प्रणाली में पैसे उधार देना।
4. धारा 18: बंधुआ श्रम प्रणाली को लागू करना।

निवेदक:

.....

<sup>171</sup> BLA, धारा 21।

परिशिष्ट 7: बंधुआ श्रम पहचान फ़ॉर्म का प्रारूप  
बचाव-पूर्व नियोजन बैठक फ़ॉर्म

नाम: 

लिंग:

आयु: 

दिनांक:

|           | पूरा नाम | लिंग | आयु | श्रम स्थल | भागा/गौ? | संपर्क विवरण |
|-----------|----------|------|-----|-----------|----------|--------------|
| पिता      |          |      |     |           |          |              |
| माता      |          |      |     |           |          |              |
| पति/पत्नी |          |      |     |           |          |              |
| बच्चे     |          |      |     |           |          |              |

पैतृक पता:: 

गाँव का नाम:

तालुक: 

ज़िला

राज्य:

स्वामी का नाम: 

ठेकेदार का नाम:

आप श्रम स्थल पर कितने समय से कार्य कर रहे हैं?

- क्या आपको स्वामी/ठेकेदार से कोई अग्रिम राशि मिली थी या आपने उससे कोई धनराशि उधार ली थी?
- कितनी राशि?
- आपको ऋण/अग्रिम राशि किसने दी थी?
- वह राशि किसके लिए दी गई थी?
- क्या ऋण/अग्रिम राशि के फलस्वरूप कोई कटौतियाँ हुई हैं?
- स्वामी/ठेकेदार के अनुसार इस समय आप पर कितना बकाया है?
- यदि बकाया राशि बड़ी है, तो क्यों?
- अन्य दायित्व

- यदि आपने कोई अग्रिम राशि नहीं ली थी, तो आपने स्वामी/ठेकेदार के लिए कार्य क्यों किया?
- क्या आप किसी रिश्तेदार के ऋण के लिए कार्य कर रहे हैं? यदि हाँ, तो किसके?
  - क्या स्वामी/ठेकेदार ने आपको भोजन या आवास का वचन दिया था? उसने क्या वचन दिया था?

वेतन वेतन

- जब आप श्रम स्थल पर काम करने के लिए आए थे तो आपको कितने वेतन का वचन दिया गया था? .....
- स्वामी ने आपको कितना भुगतान करने की बात कही थी? .....
- जब आपको आपका वेतन मिला तो आपको वास्तव में कितना धन अपने हाथों में मिला? .....
- आपको आपका वेतन कब-कब मिलता है?.....
- क्या वह वेतन आपके परिवार के लिए होता है या केवल आपके लिए? जो-जो लोग शामिल हैं उनके नाम बताएँ .....
- आप किस समय काम शुरू करते हैं? आप किस समय काम खत्म करते हैं? .....
- क्या आपको अवकाश का दिन मिलता है? .....

स्वतंत्रता पर प्रतिबंध

- आने-जाने की स्वतंत्रता
- क्या आप अपने परिवार के साथ श्रम स्थल से जाने को स्वतंत्र हैं? .....
  - क्या आप अपने पूरे परिवार के साथ अपने पैतृक गाँव जाने को स्वतंत्र हैं? .....
  - क्या आप अपने मनचाहे दिन अपने पूरे परिवार के साथ और बिना किसी की निगरानी के बाज़ार जाने को स्वतंत्र हैं? .....
  - क्या आपने कभी स्वामी/ठेकेदार की अनुमति के बिना बाहर जाने की कोशिश की है? यदि हाँ, तो ऐसा करने पर क्या हुआ? .....

- रोज़गार की स्वतंत्रता
- यदि आप पर ऋण/अग्रिम राशि बकाया है तो क्या आप किसी अन्य नियोक्ता के लिए काम कर सकते हैं? .....

- आर्थिक स्वतंत्रता
- क्या स्वामी इस बात पर प्रतिबंध लगाता है कि आप क्या-क्या चीज़ें खरीद या बेच सकते हैं? .....

अन्य दुर्व्यवहार

- क्या कभी स्वामी/ठेकेदार ने आपको/आपके परिवार को धमकाया है या आपसे/आपके परिवार से शाब्दिक दुर्व्यवहार किया है? .....
  - क्यों? .....
  - उसने क्या कहा? .....
- क्या कभी स्वामी/ठेकेदार या उसके सुपरवाइज़रों ने आपसे/आपके परिवार से भौतिक/शारीरिक दुर्व्यवहार किया है? .....
  - क्यों? .....
  - क्या हुआ? .....
- क्या-क्या चोटें लगीं? .....

श्रमिक का नाम: 

श्रमिक के अंगूठे का निशान/हस्ताक्षर:

दिनांक:

परिशिष्ट 7A: RDO के पास बंधुआ श्रम की मौजूदगी की शिकायत दर्ज कराने के लिए नमूना प्रारूप RDO से बलात् श्रम की शिकायत का नमूना

[दिनांक] [शिकायतकर्ता का पता लिखें]

स्वयं जाकर दें और प्राप्य अभिस्वीकृति के साथ पंजीकृत डाक से भेजें  
[अधिकारी का नाम लिखें]  
राजस्व संभाग/मंडल अधिकारी  
X राजस्व संभाग/मंडल  
काँचीपुरम ज़िला  
तमिलनाडु - [पिन कोड लिखें]

संदर्भ: X सॉल्ट वर्क्स – बलात् श्रम उल्लंघन

प्रिय महोदय/महोदया,  
हमने आपके क्षेत्राधिकार के भीतर, Y गाँव, Z तालुक, T राजस्व संभाग/मंडल, काँचीपुरम ज़िला, तमिलनाडु में स्थित X सॉल्ट वर्क्स में एक गैरकानूनी बलात् श्रम प्रणाली के होने की पहचान की है। सॉल्ट वर्क्स का स्वामित्व और संचालन A और उसके पुत्र B के पास है। हमारा विश्वास है कि इन लोगों ने सॉल्ट वर्क्स में लगभग [अनुमानित संख्या] पीड़ितों के साथ दंडनीय अपराध किए हैं। हालाँकि, सॉल्ट वर्क्स के भीतर बलात् श्रम के पीड़ितों की संख्या निश्चित रूप से और अधिक हो सकती है, पर हमने जिन पीड़ितों की पहचान अब तक की है उनके नाम इस प्रकार हैं:

[पीड़ितों के नाम]

बलात् श्रम अपराधों का विवरण

सभी पीड़ितों को आरोपित की गैरकानूनी बलात् श्रम प्रणाली की अधीनता स्वीकारने हेतु फुसलाने के लिए आरोपित द्वारा दी गई गैरकानूनी अग्रिम नकदी के बदले कार्य करने पर विवश किया गया है। जब तक आरोपित गैरकानूनी अग्रिम राशियों की पूरी चुकौती की घोषणा न कर दे तब तक, पीड़ित अपने परिवारों के साथ सॉल्ट वर्क्स में रहने को विवश हैं, और वहाँ वे अन्यत्र कार्य करने या पूरे भारत में अपनी इच्छा से आने-जाने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। जब पीड़ितों ने बच निकलने की कोशिश की है, तो आरोपित ने उन्हें ढूँढ निकाला है और उन्हें ज़बरन वापस सॉल्ट वर्क्स ले आया है। उन्हें न्यूनतम वेतन से बहुत कम वेतन मिलता है और कथित रूप से गैरकानूनी अग्रिमों के भुगतान के लिए उस अत्यल्प राशि का भी एक बड़ा हिस्सा काट लिया जाता है।

आरोपितों ने न केवल इन पीड़ितों को एक ऐसी बलात् श्रम प्रणाली में फाँसा हुआ है जहाँ से उनका बच निकलना लगभग असंभव है, बल्कि वे भौतिक/शारीरिक और शाब्दिक दुर्व्यवहार के ज़रिए इन श्रमिकों पर अपना प्रभुत्व भी सुनिश्चित करते हैं। वे अनेक अवसरों पर पीड़ितों को मार-मारकर अपने अधीन करते हैं, उन्हें चेहरे, गर्दन और पीठ व कमर पर मारते हैं। एक अवसर पर, बचकर भागे एक पीड़ित [पीड़ित का नाम लिखें] को ढूँढ निकाला गया, वापस सॉल्ट वर्क्स लाया गया, और आरोपित C ने प्लास्टिक पाइप से उसे पीटा।

कानून

इन असुरक्षित पीड़ितों के पास इस दमनकारी बलात् श्रम प्रणाली से अपने बूते बच निकलने की कोई वास्तविकतावादी आशा शेष नहीं बची है। भाग्य से, भारत का कानून उन्हें सुरक्षा देता है।

बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 ज़िला प्रशासन को यह शक्ति देता है और उसके लिए यह आवश्यक करता है कि वह इन पीड़ितों की ओर से तत्काल हस्तक्षेप करे।

ज़िला प्रशासन का यह कर्तव्य है कि वह:

- a. पीड़ितों को तत्काल रिहा कराए
- b. पीड़ितों को अर्थपूर्ण पुनर्वास प्रदान करे; और
- c. आरोपित पर सरकारी अभियोजन चलाए।

आवश्यक हस्तक्षेप

चूँकि X सॉल्ट वर्क्स आपके राजस्व संभाग/मंडल, काँचीपुरम ज़िला में स्थित है, अतः हम प्रशासन से निम्नलिखित करने का अनुरोध करते हैं:

- 1. सभी पीड़ितों को निकालने के लिए सॉल्ट वर्क्स पर छापा मारें;
- 2. अंदर मिले श्रमिकों और हाल ही में जो भी श्रमिक बच निकले हों उनसे तुरंत किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर पृछताछ करे;
- 3. पीड़ितों द्वारा बलात् श्रम के प्रथम दृष्टया मामले की प्रस्तुति होने पर, कानून द्वारा आवश्यक किए अनुसार उनके बंधुआ श्रमिक होने की खोज करें; और
- 4. जो बंधुआ श्रमिक पाए जाएँ उनके लिए तत्काल रिहाई प्रमाणपत्र जारी करें और उनका पुनर्वास करें। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में, [NGO का नाम लिखें] के स्टाफ सदस्य बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (नीरजा चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 3 SCC 252 (1984)) के तहत जाँच/पृछताछ, रिहाई, सरकारी अभियोजन और पुनर्वास की कार्यवाही के प्रत्येक चरण के दौरान प्रशासन की सहायता हेतु उपस्थित रहेंगे।

सादर निवेदित,

[शिकायतकर्ता हस्ताक्षर करे]

[शिकायतकर्ता का पद टाइप करें]

प्रति: ज़िला समाहर्ता, काँचीपुरम ज़िला

परिशिष्ट 7B: प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए शिकायत पत्र का नमूना

प्राथमिकी दर्ज कराने के शिकायत पत्र का नमूना

[शिकायतकर्ता का पता लिखें]

[दिनांक]

स्वयं जाकर दें और प्राप्य अभिस्वीकृति के साथ पंजीकृत डाक से भेजें

निरीक्षक

X पुलिस स्टेशन

काँचीपुरम ज़िला

तमिलनाडु - 603 001

संदर्भ: X सॉल्ट वर्क्स और उसके स्वामियों व संचालकों की आपराधिक गतिविधियाँ – प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध।

आदरणीय श्रीमान,

हम अनुरोध करते हैं कि आप X सॉल्ट वर्क्स में चल रही बलात् श्रम की दुर्व्यवहारी प्रणाली के दोषियों के विरुद्ध तत्काल फ़ौजदारी कार्रवाई करें। इस संबंध में, [पीड़ितों की संख्या व जाति/जनजाति लिखें] और उनके परिवार, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं ("पीड़ित") ने सॉल्ट वर्क्स में लागू बलात् श्रम की दुर्व्यवहारी प्रणाली के तहत कष्ट झेल रहे हैं; सॉल्ट वर्क्स का स्वामित्व व संचालन A और उसके सह-षड्यंत्रकारियों B,C तथा D ("आरोपित") के पास है।

26 सितंबर, 2006 को XRDO और उनके अधिकारियों ने बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम ("BLA") के तहत आधिका-रिक जाँच की थी जिसमें उन्होंने इन निष्कर्षों की पुष्टि की। उस दिन, XRDO ने RDO के इस निष्कर्ष कि इन पीड़ितों को BLA का उल्लंघन करते हुए सॉल्ट वर्क्स में कार्य करने पर विवश किया गया था, के आधार पर [पीड़ितों की संख्या लिखें] पीड़ितों को आधिकारिक रिहाई प्रमाणपत्र जारी किए थे। पीड़ितों को दिए गए रिहाई प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ संलग्न हैं।

बलात् श्रम

सभी पीड़ितों को आरोपित की गैरक़ानूनी बलात् श्रम प्रणाली की अधीनता स्वीकारने हेतु फुसलाने के लिए आरोपित द्वारा दी गई ग़ैरक़ानूनी अग्रिम नक़दी के बदले कार्य करने पर विवश किया गया है। जब तक आरोपित ग़ैरक़ानूनी अग्रिम राशियों की पूरी चुकौती की घोषणा न कर दे तब तक, पीड़ित अपने परिवारों के साथ सॉल्ट वर्क्स में रहने को विवश थे, और वहाँ वे अन्यत्र कार्य करने या पूरे भारत में अपनी इच्छा से आने-जाने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। जब पीड़ितों ने बच निकलने की कोशिश की, तो आरोपितों ने उन्हें ढूँढ निकाला और उन्हें ज़बरन वापस सॉल्ट वर्क्स ले आए। उन्हें न्यूनतम वेतन से बहुत कम वेतन मिलता था और कथित रूप से ग़ैरक़ानूनी अग्रिमों के भुगतान के लिए उस अत्यल्प राशि का भी एक बड़ा हिस्सा काट लिया जाता था।

शारीरिक दुर्व्यवहार

साथ ही, आरोपितों ने शारीरिक दुर्व्यवहार के ज़रिए अपनी ग़ैरक़ानूनी बलात् श्रम प्रणाली को लागू किया था। वे अनेक अवसरों पर पीड़ितों को मार-मारकर अपने अधीन करते थे, उन्हें चेहरे, गर्दन और पीठ व कमर पर मारते थे। एक अवसर पर, बचकर भागे एक पीड़ित [पीड़ित का नाम लिखें] को ढूँढ निकाला गया, वापस सॉल्ट वर्क्स लाया गया, और आरोपित C ने प्लास्टिक पाइप से उसे पीटा। तदनुसार, आरोपितों ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 321, 323, 351 और 352 का उल्लंघन किया है जो हमले और जानबूझकर चोट पहुँचाने से संबंधित हैं।

यौन दुर्व्यवहार

आरोपितों ने श्रम स्थल में एक या अधिक महिला पीड़ितों का बलात्कार व यौन शोषण भी किया। हमें यह जानकारी मिली है कि C ने पीड़िता T को उसके पति को मार डालने की धमकी देकर उसे उससे शारीरिक संबंध बनाने पर विवश किया। अतैव [] ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 375 और 376 का उल्लंघन किया है।

हमें यह जानकारी भी मिली है कि आरोपित महिला पीड़ितों को ड़ूकर, उनके हाथ पकड़कर, और उन्हें उनके साथ शारीरिक संबंध बनाने पर विवश करने की कोशिश करके महिला पीड़ितों का नियमित रूप से यौन उत्पीड़न किया करते थे। महिला पीड़ितों पर इस बल का प्रयोग उनके शील भंग के इरादे से किया गया है जो IPC की धारा 354 का उल्लंघन है।

हमें यह जानकारी मिली है कि यौन दुर्व्यवहार, जिसमें बलात्कार शामिल है, जितना इस समय ज्ञात है उससे अधिक व्यापक हो सकता है। महिला पीड़ितों के विरुद्ध ऐसे अपराधों की व्यापकता की जाँच के लिए तुरंत अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए।

शाब्दिक दुर्व्यवहार

आरोपितों ने पीड़ितों को अक्सर और जानबूझकर “तेविडिया” (वेश्या) या “तेविडिया पय्या” (वेश्यापुत्र), “पोलु” (शिश्र), “पेड़” (राक्षस/राक्षसी), “कुढी” (चूत), और “ओता” (चोद्) कहकर भी उन्हें नीचा दिखाया है और उनका अपमान किया है। संक्षेप में, पीड़ितों के सभी कृत्य पीड़ितों को आरोपितों के चिरस्थायी दासों के रूप में नियंत्रित करने और उन पर हावी होने के लिए सोच-समझकर किए गए थे जो BLA, भारतीय दंड संहिता, और भारतीय संविधान के 23वें अनुच्छेद के उल्लंघन में हैं।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

आरोपितों ने पीड़ितों को अक्सर और जानबूझकर “तेविडिया” (वेश्या) या “तेविडिया पय्या” (वेश्यापुत्र), “पोलु” (शिश्र), “पेड़” (राक्षस/राक्षसी), “कुढी” (चूत), और “ओता” (चोद्) कहकर भी उन्हें नीचा दिखाया है और उनका अपमान किया है। संक्षेप में, पीड़ितों के सभी कृत्य पीड़ितों को आरोपितों के चिरस्थायी दासों के रूप में नियंत्रित करने और उन पर हावी होने के लिए सोच-समझकर किए गए थे जो BLA, भारतीय दंड संहिता, और भारतीय संविधान के 23वें अनुच्छेद के उल्लंघन में हैं।

अतैव हम सादर अनुरोध करते हैं कि X सॉल्ट वर्क्स और व्यवसाय के संचालन हेतु जिम्मेदार सभी व्यक्तियों, जिनमें A,B,C और D तथा आरोपितों के अन्य सह-षड्यंत्रकारी शामिल हैं पर वे इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, के विरुद्ध तुरंत प्राथमिकी दर्ज की जाए। हम यह अनुरोध भी करते हैं कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 की अनुरूपता में शीघ्र जाँच की जाए। हमारे मत में, आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी में कम-से-कम निम्नलिखित दंडनीय अपराध शामिल किए जाने चाहिए:

1. बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम के तहत आने वाले उल्लंघन

- धारा 9: बंधुआ ऋण के बदले भुगतान स्वीकारना

- धारा 16: लोगों को बंधुआ श्रम प्रणाली में काम करने पर बाध्य करना

- धारा 17: किसी बंधुआ श्रम प्रणाली में पैसे उधार देना

- धारा 18: कोई बंधुआ श्रम प्रणाली लागू करना

- धारा 18: कोई बंधुआ श्रम प्रणाली लागू करना

2. भारतीय दंड संहिता के तहत आने वाले उल्लंघन

- धाराएँ 120A, 120B: आपराधिक षड्यंत्र

- धाराएँ 321, 323: जानबूझकर चोट पहुँचाना

- धाराएँ 351, 352: हमला

- धारा 354: किसी महिला के शील भंग के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग

- धारा 370: किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध दास के रूप में स्वीकारना, प्राप्त करना, या कैद करना

- धारा 371: धारा 370 का आदतन उल्लंघन
- धारा 374: गैरकानूनी बाध्यकारी श्रम
- धाराएँ 375, 376: बलात्कार

3. भारतीय दंड संहिता के तहत आने वाले उल्लंघन

- धारा 3(1)(vi): अनुसूचित जनजाति के लोगों को बलात् श्रम के लिए फुसलाना या बाध्य करना
- धारा 3(1)(xi): किसी महिला पर यौन हमला या उसका अनादर
- धारा 3(1)(xii): ऐसा यौन शोषण जिसके लिए महिला अन्यथा सहमत न हुई होती
- धारा 3(1)(xv): अनुसूचित जनजाति के लोगों को विस्थापित करना

प्राथमिकी दर्ज किए जाने और आपकी जाँच के बाद हो सकता है कि यह बात सामने आए कि और भी आपराधिक उल्लंघन हुए हैं। इस मामले को आगे बढ़ाने के दौरान यदि आपको हमसे कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए हो तो कृपया निःसंकोच हमें कॉल करें।

यदि आपकी जाँच में मैं या मेरा कोई सहकर्मी आपकी सहायता कर सकते हों को कृपया मुझसे संपर्क करें।

सादर निवेदित,

[शिकायतकर्ता हस्ताक्षर करें]

[शिकायतकर्ता का पद टाइप करें]

संलग्नक: बलात् श्रमिकों को जारी हुए रिहाई प्रमाणपत्र  
प्रति:  
पुलिस अधीक्षक, काँचीपुरम ज़िला  
राजस्व संभाग/मंडल अधिकारी, X  
पुलिस उपाधीक्षक, X, काँचीपुरम ज़िला

परिशिष्ट 8: महत्वपूर्ण साक्ष्य की सूची का प्रारूप और जाँच के लिए उसकी प्रासंगिकता

महत्वपूर्ण साक्ष्य की सूची का प्रारूप और जाँच के लिए उसकी प्रासंगिकता <sup>172</sup>

जाँच के लिए क्या-क्या एकत्र करें

- कार्यस्थल पर डायरियाँ, नोटबुक, खाता बहियाँ, रजिस्टर, और कार्य आदेश
- यदि बचाए गए पीड़ित किसी फ़ैक्टरी/उत्पादन इकाई/शोषण करने वाली श्रम इकाई आदि में काम कर रहे हों तो, उत्पादित हो रहा सामान
- यात्रा दस्तावेज़, बस/ट्रेन/हवाई टिकट, यात्रा एजेंटों के कागज़ात, यात्रा एजेंटों के विज़िटिंग कार्ड, आदि
- किराया करार, किराये की रसीदें, गृहकर की रसीदें, राशन कार्ड, पासपोर्ट, बिजली/टेलीफोन/पानी/मोबाइल फोन के बिल, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों के पंजीकरण दस्तावेज़, बीमा पॉलिसियाँ, निवेश के विवरण, बैंक बुक, मनी ऑर्डर की रसीदें, आदि
- फोटोग्राफ, एल्बम, वीडियो, पत्र, अश्लील सामग्री, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, कॉम्पेक्ट डिस्क (CD), ब्रोशर, मीडिया में दिए गए विज्ञापन।

जाँच के लिए प्रासंगिकता

- कार्यस्थल की मौजूदगी; पीड़ितों के नाम (जो पहले ही मानव व्यापार का शिकार हो चुके हैं और जिनके शिकार होने की संभावना है); पीड़ितों की संख्या; भुगतानों व वेतनों के विवरण; कमाई; सह-अपराधी; षड्यंत्रकारी; सहयोगी; मानव व्यापारी एवं अन्य को सिद्ध करना; ख़तरनाक रोज़गार, बंधुआ श्रम, पीड़ितों की आयु आदि सिद्ध करना।
- मानव व्यापार के दौरान व्यक्तियों का आना-जाना सिद्ध करना; स्रोत, पारगमन, और गंतव्य क्षेत्रों के बीच कड़ी जोड़ना; अपराध की प्रक्रिया में शामिल अपराधियों के बीच कड़ी जोड़ना।
- कार्यस्थल की मौजूदगी, उसके पते और उसका प्रबंधन करने वाले लोगों के नाम सिद्ध करना।
- अपराधियों के संगठित नेटवर्क और संभावित यौन दुर्व्यवहार की मौजूदगी सिद्ध करना।

.....

<sup>172</sup> SOP on investigation of Crime on Trafficking for Forced Labour, UNODC

परिशिष्ट 9: उत्पीड़न संरक्षण पत्र का नमूना प्रारूप

उत्पीड़न संरक्षण पत्र

उप-निरीक्षक:  
पुलिस स्टेशन:  
ज़िला:  
दिनांक:  
विषय: रिहा बंधुआ श्रमिकों के संरक्षण का प्रावधा

श्रीमान,  
..... द्वारा की गई शिकायत के आधार पर यह पता चला कि ....., जो ..... के संचालक/स्वामी हैं, के द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को बंधुआ श्रमिकों के रूप में रखा जा रहा था और उन्हें ..... द्वारा बंधुआ श्रम प्रणाली से रिहा कराया गया है और वे अपने पैतृक गाँव ..... में रहेंगे।  
हमें यह आशंका है कि या तो ..... या फिर उनके सहयोगियों द्वारा रिहा बंधुआ श्रमिकों को धमकाया जा सकता है या उनका उत्पीड़न किया जा सकता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप पीड़ितों को उपयुक्त संरक्षण प्रदान करके उन्हें अपने गाँव में अपना जीवन भयमुक्त होकर जीने में सक्षम बनाएँ।  
भवदीय

.....

रिहाई प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ संलग्न हैं।

परिशिष्ट 10: आरोप-पत्र दायर करने के लिए लिखित निवेदनों का नमूना

आरोप-पत्र दायर करने के लिए लिखित निवेदन

सेवा में,  
दिनांक:  
अपर पुलिस आयुक्त (ACP):  
पु. स्टे.: .....  
विषय: प्राथमिकी सं. ... में ठोस प्रगति पर चर्चा हेतु भेंट

आदरणीय महोदय,  
मैं ..... की ओर से आपसे संपर्क कर रहा/ही हूँ।  
हम सविनय आपके ध्यान में यह बात लाना चाहते हैं कि उपर्युक्त प्राथमिकी ..... को पंजीकृत किए जाने के बावजूद अभी तक आरोप-पत्र दायर नहीं किया गया है। साथ ही, मौजूदा मामले में आरोप-पत्र दायर करने की 90 दिनों की सांविधिक अवधि समाप्त हो गई है। अतः हम आपसे मामले को दृष्टिगत लेने का सादर अनुरोध करते हैं ताकि मौजूदा मामले के तहत प्रक्रिया को शीघ्रातिशीघ्र तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके।

भवदीय,  
.....

परिशिष्ट 11: CrPC की धारा 301 के तहत आवेदन दायर करने का नमूना प्रारूप

CrPC की धारा 301 के तहत आवेदन

प्रज्ञ अपर ज़िला न्यायाधीश ..... के माननीय न्यायालय सं. .... में  
सत्र वाद सं. .... /20.....

.  
..... शिकायतकर्ता  
और  
..... अभियुक्त  
के मध्य

प्राथमिकी सं.: .....  
अंतर्गत धारा 370/374/342/34 IPC पुलिस स्टेशन: .....

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 301 सहपठित धारा 24(8) के तहत आवेदन

| क्रमांक | विवरण                                                                                                           | पृष्ठ सं. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1       | सरकारी अभियोजन पक्ष की सहायता हेतु अवकाश के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 301 सहपठित धारा 24(8) के तहत आवेदन |           |
|         | वकालतनामा                                                                                                       |           |

दिनांक: .....  
स्थान: .....  
इनके माध्यम से: ..... (वास्तविक शिकायतकर्ता/गवाह)  
..... वकील (आवेदक का अधिवक्ता)  
प्रज्ञ अपर ज़िला न्यायाधीश ..... के माननीय न्यायालय सं. .... में  
सत्र वाद सं. .... /20.....  
.....  
शिकायतकर्ता  
और  
.....  
अभियुक्त  
के मध्य  
प्राथमिकी सं.: .....  
अंतर्गत धारा 370/374/342/34 IPC  
पुलिस स्टेशन: .....

अभियोजन पक्ष की सहायता हेतु इस माननीय न्यायालय से अवकाश के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 301 सहपठित धारा 24(8) के तहत ..... की ओर से आवेदन।

पूर्ण सम्मान सहित आपको प्रदर्शित है

1. कि उपर्युक्त आवेदक ने उसकी ओर से इस माननीय न्यायालय में उसके प्रतिनिधित्व के लिए अधोहस्ताक्षरी अधिवक्ता को संलग्न व अनुदेशित किया है। इस संबंध में उपर्युक्त आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वकालतनामा भी इस दस्तावेज़ के साथ संलग्न है।
2. कि आवेदक हेतु अधोहस्ताक्षरी अधिवक्ता सरकारी अभियोजन पक्ष की सहायता करना चाहता है। वह प्रज्ञा अपर सरकारी अभियोजक (AAP)/सरकारी अभियोजक (PP) के अनुदेश के तहत कार्य करेगा। अतः सरकारी अभियोजन पक्ष की सहायता की अनुमति देने की कृपा करें।
3. यह कि तात्कालिक याचिका किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के बिना है, सदाशयी है और न्याय के हित में है।

प्रार्थना

ऊपर संदर्भित तथ्यों और परिस्थितियों को और न्याय के हित को ध्यान में रखते हुए, यह सविनय प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय कृपया:

a. इस याचिका को अनुमति दे और फलतः

b. आवेदक हेतु अधोहस्ताक्षरी अधिवक्ता को सरकारी अभियोजन पक्ष की सहायता करने की अनुमति दे।

c. यह माननीय न्यायालय जो भी अन्य आदेश या निर्देश इस वाद के तथ्यों के लिए और न्याय के हित में उपयुक्त व उचित समझे उन्हें भी पारित करे

दिनांक: .....

स्थान: .....

इनके माध्यम से:..... (वास्तविक शिकायतकर्ता/गवाह)

.....

परिशिष्ट 12: CrPC की धारा 172(2) के तहत आवेदन दायर करने का नमूना प्रारूप

CrPC की धारा 172(2) के तहत आवेदन

माननीय महानगरीय दंडाधिकारी

.....  
के न्यायालय में

वाद सं. .... /20.....  
इनके विषय में:

.....  
शिकायतकर्ता  
और  
.....  
अभियुक्त  
के मध्य

प्राथमिकी सं.: .....  
दिनांक: .....  
अंतर्गत धारा 370/374/342/34 IPC; धारा 23/26 किशोर न्याय अधिनियम, धारा 4/16/17/18/19 बंधुआ श्रम अधिनियम, धारा 3/14 बाल श्रम अधिनियम,  
पु.स्टे.: .....

उपयुक्त आदेशों की माँग के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172(2) के तहत आवेदन

पूर्ण सम्मान सहित आपको प्रदर्शित है

1. यह कि तात्कालिक मामला इस माननीय न्यायालय के समक्ष अधिनिर्णय हेतु लंबित है जिसका दिनांक आज निर्धारित है। यह कि ..... को ..... के SDM, पुलिस, श्रम विभाग, ..... सरकार, और दो NGO नामतः ..... को मिलाकर बने छापा दल द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया था।
2. उक्त बचाव अभियान के दौरान, ..... के बीच की आयु के ..... पीड़ित बंधुआ श्रमिकों के रूप में कार्य करते हुए पाए गए और ..... आरोपित व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया था पर वे सभी जमानत पर बाहर हैं। यह कि ऊपर उल्लिखित दोनों NGO के अनुरोध पर ..... के पुलिस स्टेशन, श्रम विभाग, और ..... के SDM के सहयोग व तालमेल से बचाव कार्य किया गया।
3. इन पीड़ितों को न्यूनतम वेतन से कम पर काम करने व ..... में रहने को विवश किया जाता था।
4. यह कि प्राथमिकी ..... को दर्ज की गई थी और आज तक आरोप-पत्र दायर नहीं किया गया है। सविनय निवेदन है कि CrPC की धारा 167 के तहत आरोप-पत्र दायर करने की 60 दिनों की अनिवार्य समयावधि समाप्त हो चुकी है।
5. 5. प्राथमिकी दर्ज हुए ..... से अधिक समय बीत चुका है और जाँच अधिकारी ने किसी भी प्रकार की रिपोर्ट - चाहे वह CrPC की धारा 173 के तहत यथा परिकल्पित पुलिस रिपोर्ट हो या अंतिम रिपोर्ट हो या समापन रिपोर्ट हो। इस तथ्य के बावजूद कि CrPC की धारा 173 (1) विशिष्ट रूप से इस पाठ्य से आरंभ होती है - धारा 173(1) – इस अध्याय के अंतर्गत हर जाँच अनावश्यक विलंब के बिना पूरी की जाएगी।"
6. यह कि CrPC की धारा 172(2) CrPC के तहत इस माननीय न्यायालय के पास जाँचाधीन या मुकदमा-अधीन मामले की जाँच या के मुकदमे में सहायता के लिए उक्त मामले की पुलिस डायरी उक्त न्यायालय में मँगवाने की पर्याप्त शक्ति व क्षेत्राधिकार है। अतः सविनय निवेदन है धारा 172(2) के पठन से स्पष्ट है कि इस माननीय न्यायालय के पास जाँच

अधिकारी द्वारा जाँच पूरी की जाने में हुए अनुचित विलंब की जाँच में सहयोग हेतु पुलिस डायरी मँगवाने की शक्ति है।

7. सविनय निवेदन है कि आरोपितों द्वारा इन ..... पीड़ितों के साथ किया गया अपराध जघन्यतम अपराध है और इन अवयस्क पीड़ितों को उनके स्वास्थ्य एवं कुशलक्षेम के लिए हानिकारक असहनीय स्थितियों में कार्य करके कष्ट सहने पर विवश किया गया है।
8. यह कि तात्कालिक आवेदन एक सदाशयी आवेदन है और किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के बिना है। यह कि यह न्याय के और बच्चों के सर्वोत्तम हित में है।

प्रार्थना

सविनय प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय क्रानून के अनुसार पुलिस डायरी को अभिलेख हेतु मँगाए और न्यायालय वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में जो भी अन्य आदेश उपयुक्त व उचित समझे उन्हें भी पीड़ितों के पक्ष में पारित करने की कृपा करे।

और दयालुता के इस कृत्य के लिए कर्तव्यबद्ध विनीत याची सदा प्रार्थना करेगा।

दिनांक: .....  
स्थान: .....  
इनके माध्यम से: ..... (आवेदक/शिकायतकर्ता)

परिशिष्ट 13: ज़मानत विरोध का आवेदन दायर करने का नमूना प्रारूप

ध्यान दें

- यदि ज़मानत सुनवाई केवल एक आरोपित के लिए है तो आरोपितों को संदर्भित करने वाले “वे”, “उन्हें”, “आरोपितों” आदि शब्दों को एकवचन रूप में बदल दें।
- लाल अक्षरों में लिखे कथनों का शामिल किया जाना, मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है और यदि वे लागू न हों तो उन्हें मिटा देना चाहिए।
- हरे रंग में हाइलाइट किए गए अनुच्छेद “अतिरेकी” हैं और अधिकांश मामलों में उन्हें मिटाया जा सकता है, तब के सिवाय वह मुद्दा सामने आए जिससे वे विशिष्ट रूप से संबंध रखते हैं।

... के न्यायालय में  
वाद संख्या

इनके विषय में:  
पश्चिम बंगाल राज्य, इनके माध्यम से: ..... शिकायतकर्ता  
बनाम  
आरोपितों के नाम ..... आरोपित

ज़मानत विरोध आवेदन

पूर्ण सम्मान सहित आपको प्रदर्शित है

1. कि दिनांक ..... को, पुलिस अधिकारियों ने पुलिस स्टेशन ..... के क्षेत्राधिकार के तहत ..... [अभियान चलाने के स्थान का पता] पर एक बचाव अभियान चलाया था और ..... [अवयस्कों की संख्या, नाम, आयु और जो भी वयस्क पीड़ित बचाए गए हों उनकी संख्या, नाम व आयु] को बचाया जिन्हें नीचे नामित आरोपित व्यक्तियों द्वारा वाणिज्यिक यौन शोषण के प्रयोजन से अधिप्राप्त किया गया था।
2. यह कि संबंधित पुलिस अधिकारियों ने पुलिस द्वारा छापे के समय उक्त वेश्यालय से ..... [दोषियों के नाम, लिंग, व आयु] को गिरफ्तार किया।
- तथ्यात्मक पृष्ठभूमि:
3. 3. यह कि पुलिस को विश्वसनीय स्रोतों से यह जानकारी मिली थी कि [नाम और जानकारी की विषय-वस्तु (वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से अवयस्क पीड़ित लड़कियों की आपूर्ति और/या बिक्री। संबंधित पता और क्षेत्राधिकार वाला पुलिस स्टेशन शामिल करें]।
4. 4. यह कि जिस परिसर से पीड़ित लड़कियों को छुड़ाया गया वहाँ से ..... [दोषियों की संख्या] दोषियों को गिरफ्तार किया गया। [यदि बाद में कोई दोषी गिरफ्तार किए गए हों तो वह जानकारी यहाँ शामिल करें।] उन पर ITPA और IPC की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
5. 5. यह कि आरोपितों ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एतद्पश्चात, CrPC) की धारा 437/439 के तहत ज़मानत के लिए आवेदन किया है। यह कि कथित आरोप गैरज़मानती हैं।

क्रानूनी निवेदन:

6. यह कि CrPC की धारा 439 के तहत न्यायालय द्वारा विवेकाधिकार के उपयोग को नियंत्रित करने वाले सुस्थापित सिद्धांत मौजूद हैं। यह कि ज़मानत स्वीकृत करने की शक्ति एक विवेकाधीन शक्ति है जिसका उपयोग “विवेकपूर्ण ढंग से पूर्ण सम्मान सहित आपको प्रदर्शित है करना होता है, न कि स्वाभाविक या अपेक्षित रूप से” (कल्याण चंद्र सरकार AIR 2004 SC 1866, पैरा 11), और यह कि ज़मानत आवेदन पर विचार करते समय, “दोनों पक्षों के प्रति न्याय से न्यायालय के न्यायिक

विवेकाधिकार का विवेकपूर्ण उपयोग नियंत्रित होता है” (गुरचरण सिंह एवं अन्य बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) 1978 क्रिमिनल लॉ जरनल 129 (SC), पैरा. 25)। यह कि इस नियम की पुष्टि करने वाले कई न्यायिक निर्णय मौजूद हैं। संक्षिप्तता बनाए रखने के लिए, सरकारी अभियोजन पक्ष उन सभी मामलों को सूचीबद्ध नहीं करेगा, बल्कि प्रज्ञ न्यायालय को तीन मामलों के तीन निष्कर्षणों की ओर संदर्भित करेगा। गुरचरण सिंह एवं अन्य बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) 1978 क्रिमिनल लॉ जरनल 129 के पैरा 24 और 30, प्रह्लाद सिंह भट बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली एवं एक अन्य, AIR 2001(SC)1444 का पैरा 8, और कल्याण चंद्र सरकार AIR 2004 SC 1866 का पैरा 11 उन सबसे महत्वपूर्ण कारकों की (संपूर्ण नहीं पर) प्रामाणिक सूची प्रदान करने को पर्याप्त हैं जिन्हें न्यायालय को ज़मानत स्वीकृत करने या नहीं करने का निर्णय लेते समय ध्यान में रखना चाहिए।

7. इन पैराओं से, यह स्पष्ट है कि न्यायालय को निम्नलिखित को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए:

- अपराध की प्रकृति और उसकी गंभीरता;
- सज़ा की तीव्रता;
- साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंकाएँ हैं या नहीं और शिकायतकर्ता को खतरा होने की आशंका है या नहीं;
- यह खतरा कि ज़मानत स्वीकृत किए जाने पर आरोपित फ़रार हो सकता है
- आरोपित के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामले की मौजूदगी

अपराध की गंभीरता:

8. ज़मानत स्वीकृत करने में न्यायालय द्वारा उसके विवेकाधिकार के उपयोग के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने जिस पहले विचारणीय बिंदु को प्रासंगिक ठहराया है वह है अपराध की प्रकृति और उसकी गंभीरता – अपराध जितना जघन्य है, ज़मानत उतनी ही तेज़ी से अस्वीकृत कर दी जानी चाहिए (कल्याण चंद्र सरकार AIR 2004 SC 1866, पैरा 11(a))। यह सबसे महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु है। सर्वोच्च न्यायालय ने सतीश जग्गी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य, 2007, क्रिमिनल लॉ जरनल 2766 में यह पुष्टि की है कि यह वह अधिभावी कारक है जिस पर न्यायालय को ज़मानत आवेदनों की सुनवाई में विचार करना चाहिए; उक्त निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने (पैरा 5 और पैरा 12 में) कहा कि, “यह एक सुस्थापित क़ानून है कि गैरज़मानती अपराध के मामलों में ज़मानत स्वीकृत या अस्वीकृत करने का निर्णय करते समय, अपराध की प्रकृति और गंभीरता ही प्रमुख विचारणीय बिंदु होता है।”

8. अनैतिक दुर्य्यापार अधिनियम के तहत शेख ज़फ़र शेख अहमद बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य (“ज़फ़र”), 2008 (1) क्रिमिनल लॉ जरनल 216 के हालिया मामले में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने इसी तर्क का अनुसरण करते हुए ITPA अपराधियों की ज़मानत अस्वीकार कर दी थी। ज़फ़र, पैरा 21 में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनैतिक दुर्य्यापार अधिनियम के तहत आने वाले अपराध संगीन, गंभीर और जघन्य होते हैं, और कहा कि “संगीन, गंभीर और जघन्य अपराधों में संलिप्त आरोपितों के पास विवेकाधीन राहत का लाभ माँगने का नैतिक अधिकार नहीं है।”

9. विशाल जीत बनाम भारत संघ, 1990 क्रिमिनल लॉ जरनल, 1469, 1472-73 में सर्वोच्च न्यायालय ने बाल वेश्यावृत्ति की बुराई पर बोलते हुए कहा कि:

10. यह अत्यंत खेदजनक और हृदयविदारक है कि गरीबी से ग्रस्त बहुत से बच्चों और यौवन की प्रथम अवस्था में मौजूद लड़कियों को ‘देह बाज़ार’ में ले जाया जाता है और ज़बरन ‘देह व्यापार’ में धकेल दिया जाता है, जिसे मानवजाति की नैतिकता, सभ्यता, और गरिमा के सभी सिद्धांतों के अतिशय उल्लंघन के साथ संचालित किया जा रहा है। इसमें कोई दोराय नहीं हो सकती हैं - और वस्तुतः हैं भी नहीं - कि सभी प्रकार की अकल्पनीय अशिष्टता के साथ किए जाने वाले इस घृणित और घिनौने अपराध को कठोर कदमों द्वारा सभी स्तरों पर ख़त्म किया जाना चाहिए... [वेश्यावृत्ति की] इस विनाशकारी बुराई का दमन और खात्मा केवल तब संभव है जब इस संबंध में विधि प्रवर्तन प्राधिकारी सभी पापियों जैसे दलालों, ब्रोकरो और वेश्यालय के रखवालों आदि के विरुद्ध गंभीर और तेज़ क़ानूनी कार्रवाई करें।”

11. प्रस्तुत मामले में, आरोपितों पर क़ानून द्वारा निषिद्ध कुछ सबसे घिनौने और जघन्य अपराध करने का आरोप है। वे जिन अपराधों के आरोपित हैं वे अपराध समाज और जन-नैतिकता के ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को बारंबार एकसमान रूप से मान्यता दी है और यौन प्रेरित अपराधों की गंभीरता पर बार-बार जोर दिया है। पंजाब राज्य बनाम रामदेव सिंह, 2004 AIR (SC) 1290 में (पैरा 1 में) न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा है कि महिलाओं, विशेष रूप से बच्चों, के विरुद्ध यौन दुर्य्यवहार के मामलों के प्रति अधिक संवेदनशीलता नहीं बरतने से समाज के सामूहिक हितों के खतरे में पड़ने का जोखिम है। इसी दिशा में, सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह, 1996 AIR (SC) 1393 में (पैरा 22 में) अपने निर्णय में यह कहा है कि “पिछले कुछ समय से महिलाओं के विरुद्ध अपराध, विशेष रूप से बलात्कार, बढ़ रहे हैं”, और यह कि ऐसे अपराध गंभीर थे और उन्हें “सर्वोच्च संवेदनशीलता” के साथ संभाला जाना चाहिए। यौन-प्रेरित अपराधों को उनकी जघन्य प्रकृति के अनुसार उपयुक्त गंभीरता से संभाला जाना चाहिए यह दर्शाने वाला एक और न्यायिक कथन

12. महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रप्रकाश केवलचंद जैन, 1990 AIR (SC) 658 में देखने को मिलता है, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने, पैरा 17 में, अपने निर्णय में यह कहा है कि, “सार्वजनिक जीवन में शिष्टता और नैतिकता को केवल तब बढ़ावा और संरक्षण मिल सकता है यदि हम यौन-प्रेरित अपराध करके समाज के मानदंडों का उल्लंघन करने वालों के साथ सख्ती से निपटें।” और अंत में, 1993 क्रिमिनल लॉ जरनल 2025 में पैरा 29 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि, “महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ रहे हैं और महिलाओं के विरुद्ध जघन्य अपराध करने के आरोपितों की ज़मानत स्वीकृत करने में न्यायालयों को बहुत सतर्क रहना होगा।”

13. प्रस्तुत मामले में आरोपित पर महिलाओं के विरुद्ध जघन्य अपराध करने का आरोप है। [किए गए अपराधों के विवरण लिखें। यदि धारा 375/6 के तहत आरोप लगाए हों तो बलात्कार पर फ़ोकस करें, और गुरमीत सिंह 1996 AIR (SC) 1393 के पैरा 22 से यह अंश उद्धृत करें: “बलात्कार केवल एक शारीरिक हमला मात्र नहीं है - यह अक्सर पीड़ित के पूरे व्यक्तित्व का नाश कर देता है। क़ातिल अपने शिकार के भौतिक शरीर को नष्ट करता है; जबकि बलात्कारी असहाय महिला की आत्मा को ही नष्ट कर डालता है। अतैव न्यायालयों पर बलात्कार के आरोपित पर मुकदमा चलाते समय बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है।” [राजस्थान राज्य बनाम ओम प्रकाश, AIR 2002 SC 2235 (पैरा 18) को भी उद्धृत कर सकते हैं।] “बच्चों से बलात्कार के मामले, विकृत काम वासना के मामले हैं जिनमें यौन आनंद पाने के लिए बच्चों तक को नहीं छोड़ा जाता है। इससे अधिक घृणित और कुछ नहीं हो सकता है। यह मानवता के विरुद्ध अपराध है। ऐसे बहुत से मामले उनसे जुड़े सामाजिक कलंक के कारण सामने ही नहीं लाए जाते हैं... बच्चों को विशेष देखभाल और संरक्षण की ज़रूरत होती है। ऐसे मामलों में, न्यायालयों के कंधों पर इन बच्चों को उचित क़ानूनी संरक्षण प्रदान करने की और भी भारी ज़िम्मेदारी है।”

14. अपराध की गंभीरता इस तथ्य से और बढ़ जाती है कि प्रस्तुत मामले में आरोपित ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 द्वारा उसके पीड़ितों को दिए गए संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। आरोपित ने बच्चों की आशा, नादानी, और गरिमा को बेचकर अपनी आजीविका कमाई है। इसलिए, उन्हें ज़मानत पर रिहा करना न केवल स्थापित निर्णय विधि (केस क़ानून) से असंगत होगा, बल्कि ऐसा करना संविधान में स्थापित मौलिक अधिकारों से दुर्य्यवहार को खुलकर सहने के बराबर भी होगा, और साथ ही इससे यौन शोषण के अपराधों के प्रति न्यायिक उदासीनता का संकेत भी जाएगा।

सज़ा की तीव्रता:

15. प्रश्नगत अपराध किए जाने के लिए जो सज़ा मिलनी चाहिए उस सज़ा की तीव्रता भी, ज़मानत स्वीकृत की जाए या नहीं इसका निर्णय लेने में महत्व रखती है – सज़ा जितनी अधिक तीव्र हो, न्यायालय को ज़मानत अस्वीकार करने का उतना ही अधिक इच्छुक होना चाहिए (कल्याण चंद्र सरकार AIR 2004 SC 1866, पैरा 11(a))। प्रस्तुत मामले में आरोपितों पर ऐसे विभिन्न अपराध करने का आरोप है जिनके लिए तीव्र सज़ाएँ दी जाती हैं। उन पर जिन-जिन अपराधों के आरोप हैं उन सभी अपराधों के लिए कारावास की सज़ाएँ दी जाती हैं और कुछ के लिए भारी-भरकम अनिवार्य न्यूनतम कारावास की सज़ाएँ दी जाती हैं। [आरोपों और सज़ाओं का विस्तृत वर्णन करें।]

16. आरोपित अपने अपराधों के लिए सश्रम आजीवन कारावास की संभावना का सामना कर रहे हैं, और स्थापित निर्णय विधि (केस क़ानून) से यह संकेत मिलता है कि ऐसे में प्रज्ञ न्यायालय को प्रस्तुत मामले में ज़मानत अस्वीकार कर देनी चाहिए।

आरोपितों द्वारा साक्ष्य से छेड़छाड़ की और मुख्य गवाहों को धमकाने या उन्हें नुकसान पहुँचाने की अत्यधिक संभावना

17. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने (देखें कल्याण चंद्र सरकार AIR 2004 SC 1866, पैरा 11 (b)) इस बात पर जोर दिया है कि प्रमाणों और साक्ष्यों से छेड़छाड़ की उचित आशंकाओं या शिकायतकर्ता के लिए खतरा होने की आशंका होने पर न्यायालय को ज़मानत अस्वीकार कर देनी चाहिए। [तथ्य शामिल करें, असुरक्षित समूहों से दुर्य्यवहार और धमकियों का वर्णन करें।]

18. याची इस बात पर बल देता है कि ज़मानत अस्वीकार करने के लिए न्यायालय को केवल आरोपित द्वारा साक्ष्य से छेड़छाड़ का एक जोखिम मात्र ढूँढने की आवश्यकता है (न कि स्पष्ट संभावना की)। शहज़ाद हसन खान बनाम इश्तियाक़ हसन खान एवं एक अन्य, 1987 में, पैरा 6 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि ज़मानत अस्वीकार करनी है या नहीं इसका निर्णय लेने में न्यायालय को पीड़ित के लिए आसन्न खतरे के ठोस साक्ष्य पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है, और यह कहा कि “ज़मानत स्वीकार करने हितकारी सिद्धांतों में से एक सिद्धांत यह है कि न्यायालय को इस बात की संतुष्टि होनी चाहिए कि जिस आरोपित की ज़मानत बढ़ाई जा रही है वह साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की स्थिति में नहीं होगा।” शहज़ाद हसन खान बनाम इश्तियाक़ हसन खान एवं एक अन्य, 1987 AIR 1613, पैरा 6 (जोर दिया गया)।

20. सर्वोच्च न्यायालय ने जो शब्द चुने उनसे, और विशेष रूप से इस बात पर जोर देने कि आरोपित “साक्ष्य से छेड़छाड़ करने की स्थिति में” नहीं होना चाहिए, से यह स्पष्ट है कि साक्ष्य से छेड़छाड़ के पिछले प्रयासों का ठोस साक्ष्य आवश्यक नहीं है। यह अंश यह सिद्ध करता है कि ज़मानत अस्वीकृत करने के लिए न्यायाधीश को केवल इतने पर संतुष्ट किया जाना पर्याप्त है कि आरोपों का कोई तथ्यात्मक आधार है, यानी यह कि वे पूरी तरह मन-गढ़ंत नहीं हैं। पैरा 6 में भी इस पर जोर दिया

गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि:

“न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह इस बारे में खुद को संतुष्ट करे कि उन आरोपों का कोई आधार है या नहीं (ठोस साक्ष्यों द्वारा उन्हें सिद्ध किया जाना कभी-कभार ही हो पाता है) और यदि आरोप मनगढ़ंत नहीं पाए जाते हैं तो आरोपित की जमानत बढ़ाना विवेकाधिकार का उचित उपयोग नहीं होगा।” शहजाद हसन खान बनाम इश्तियाक़ हसन खान एवं एक अन्य, 1987 AIR 1613, पैरा 6 (ज़ोर दिया गया)।

20. गुरचरण सिंह एवं अन्य बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) 1978 क्रिमिनल लॉ जरनल 129 (SC) के पैरा 24 से हम जानते हैं कि “पीड़ित और गवाहों के सापेक्ष आरोपित की स्थिति और हैसियत” ज़मानत स्वीकृत करने या नहीं करने का निर्णय लेते समय महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु हैं। इसी प्रकार, आरोपित साक्ष्यों या गवाहों से छेड़छाड़ की स्थिति में है या नहीं यह तय करने में आरोपित के “साधन और पद-प्रतिष्ठा” भी विचारणीय होते हैं (प्रह्लाद सिंह भाटी बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, AIR 2001 (SC) 1444, पैरा 8)।

21. आरोपों के लिए इस बात का स्पष्ट प्रत्यक्ष आधार मौजूद है कि आरोपित पीड़ितों और गवाहों को प्रभावित करने की स्थिति में हैं। पीड़ित लड़कियों के बयान से यह स्पष्ट है कि आरोपितों के पास पीड़ित लड़कियों के ऊपर शक्ति और प्राधिकार की स्थिति है। वे सभी व्यावहारिक प्रयोजनों से पीड़ित लड़कियों के वास्तविक संरक्षक बने रहे हैं, और पीड़ित लड़कियों के सामाजिक जीवन में प्रधान आधिकारिक व्यक्ति हैं। साथ ही, उन्होंने बहुत लंबे समय तक अपने युवा पीड़ितों पर दबाव का उपयोग किया है, उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध वेश्यालय में क़ैद किया है और उन्हें अपनी इच्छा के अधीन करने के लिए हिंसा द्वारा डराया-धमकाया है। अतैव उनके पास युवा और भावनात्मक रूप से बेहद कमज़ोर लड़कियों के मन में भय पैदा करने और उन पर प्रभाव डालने के साधन और पद-प्रतिष्ठा, दोनों ही हैं।

22. आरोपित का “चरित्र और व्यवहार” भी एक प्रासंगिक विचारणीय बिंदु है जिसे न्यायालय ध्यान में रख सकता है (प्रह्लाद सिंह भाटी बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र AIR 2001 (SC) 1444, पैरा 8)। दलाली के पेशे में भाग लेने वाले व्यक्तियों का चरित्र इस बात की संभावना बढ़ाता है कि दलाल न केवल पीड़ित लड़कियों से छेड़छाड़ करेंगे, बल्कि उनका मुँह बंद करने के लिए उन्हें शारीरिक नुकसान भी पहुँचाएँगे या उनकी हत्या तक कर देंगे।

23. [यदि आरोपित पर पूर्व में कोई आपराधिक दोष-सिद्धि हुई हो तो उसका यहाँ वर्णन करें।]

24. अनुभव दर्शाता है कि इस प्रज़ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामले जैसे मामलों में इस बात की बहुत अधिक संभावना होती है कि यदि इस चरण में आरोपित को ज़मानत पर रिहा किया जाए तो वह बाल पीड़ितों को वेश्यावृत्ति में पुनः धकेलने का प्रयास करेगा। इस संभावना को गुरचरण सिंह एवं अन्य बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) 1978 क्रिमिनल लॉ जरनल 129 के पैरा 24 में व्यक्त रूप से मान्यता दी गई है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ज़मानत आवेदन की सुनवाई कर रहे न्यायालय को “आरोपित द्वारा... अपराध दोहराए जाने की संभावना” पर अवश्य विचार करना चाहिए।

ये चिंताएँ सभी आरोपितों पर लागू होती हैं क्योंकि अवैध यौन व्यापार के अपराधलोक के तत्वों से उनके संपर्क हैं, जिनके कारण वे शुरुआत में अवयस्क लड़कियाँ प्राप्त कर पाए थे।

25. याची आगे यह भी कहता है कि सभी आरोपितों के पास गवाहों और साक्ष्यों से छेड़छाड़ का मज़बूत कारण है क्योंकि उनके विरुद्ध गंभीर आरोप लगे हैं, उन्हें तीव्र सज़ा मिलने की संभावना है, और बड़ी मात्रा में साक्ष्य उनके दोष की ओर इशारा कर रहे हैं। जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंचानन मिश्रा बनाम दिगंबर मिश्रा 2005 क्रिमिनल लॉ जरनल 1721 (पैरा 22) में कहा है, “यह कहने की आवश्यकता नहीं कि बहुत कठोर और भयोपरतकारी सज़ाओं वाले गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपित के ज़मानत पर रिहा हो जाने पर आरोपित क़ानून के चंगुल से बचने के लिए सरकारी अभियोजन पक्ष के गवाहों से छेड़छाड़ जैसी विभिन्न गतिविधियाँ करता है।”

26. गुरचरण सिंह एवं अन्य बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) 1978 क्रिमिनल लॉ जरनल 129 (SC) का पैरा 29 यह सिद्ध करता है कि आरोपित के न्याय के चंगुल से बच निकलने का खतरा, ज़मानत स्वीकृत करने या नहीं करने के निर्णय में “सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु” है। [यदि पूर्व में आरोपित फ़रार हुआ हो, तो यह बात यहाँ शामिल करें।] यह तथ्य स्वयं ही पर्याप्त रूप से दर्शाता है कि इस बात का गंभीर जोखिम मौजूद है कि वह ऐसा फिर करेगा। [इस बात की भी चर्चा करें कि सह-आरोपित फ़रार हुए हैं या नहीं।]

27. प्रस्तुत मामले में, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आरोपित फ़रार हो जाएँगे, क्योंकि उनके विरुद्ध गंभीर आरोप लगे हैं, उनका दोष सिद्ध होने की स्थिति में उन्हें तीव्र सज़ाएँ मिलेंगी, और प्रचुर मात्रा में महत्वपूर्ण साक्ष्य आरोपितों के दोष की ओर इशारा कर रहे हैं। पीड़ित लड़कियों का दलाल और/या देखभालकर्ता यह दिखा सकता है कि समुदाय के साथ कोई संबंध नहीं हैं, जिससे यह संभावना और बढ़ जाती है कि यदि उन्हें ज़मानत पर रिहा किया गया तो वे फ़रार हो जाएँगे। साथ ही, इस अपराध में संलिप्त वेश्यालय स्वामी उनकी अनुपस्थिति में किराये से आय प्राप्त करने और संपत्ति के प्रबंधन के

लिए किसी प्रबंधक की व्यवस्था करने के बाद आसानी से फ़रार हो सकते हैं।

28. न्यायालय को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि आरोप के समर्थन में मौजूद साक्ष्य आरोपित के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला सिद्ध करते हैं या नहीं (कल्याण चंद्र सरकार AIR 2004 SC 1866, पैरा 11(c))। यदि हाँ, तो न्यायालय को ज़मानत अस्वीकार करने के पक्ष में होना चाहिए। प्रस्तुत मामले में आरोपितों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला स्पष्ट है। उनके विरुद्ध जो आरोप हैं वे राज्य ने, यानी समाज के हितों के संरक्षक ने, पुलिस जाँच के बाद और जिस परिसर में वे अपना वेश्यालय चलाते थे उस परिसर पर छापे के बाद, लगाए हैं। इस मामले में पीड़ितों ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 164/धारा 161 (जो लागू न हो उसे मिटा दें) के तहत पुलिस को बयान दिए हैं जो उनकी इस स्मृति की स्पष्टतः पुष्टि करते हैं कि आरोपितों ने वे अपराध किए हैं जिनके आरोप उन पर लगाए गए हैं।

29. यौन अपराधों या शोषण का आरोप लगाने वाले बयानों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए या उन्हें अनुचित संदेह से नहीं देखा जाना चाहिए। जैसा भरवडा भोगिनभाई हीरजीभाई बनाम गुजरात राज्य 1983 क्रिमिनल लॉ जरनल (SC) 1096 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, “भारतीय परिस्थितियों में, यौन हमले के पीड़ित की गवाही पर, पुष्टि की अनुपस्थिति में, एक नियम के रूप में कदम न उठाना, घाव पर नमक छिड़कने के बराबर है। बलात्कार या यौन छेड़छाड़ की शिकायत करने वाली लड़की या महिला के साक्ष्य को संदेह, अविश्वास या संशय के चश्मे से भला क्यों देखा जाना चाहिए? यदि ऐसा किया जाता है, तो यह एक पुरुष प्रधान समाज में पुरुष अहंकार के आरोप को उचित ठहराने के बराबर है।” (पैरा 9)

30. छापा स्थल पर एकत्र साक्ष्य से भी आरोपितों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला स्पष्टतः सिद्ध होता है। [जब्ती सूची का विवरण लिखें।] जिस परिसर पर छापा मारा गया वहाँ से एकत्र साक्ष्य, विशेष रूप से वहाँ मिले कॉन्डम और पीड़ित लड़कियों के सामान में मिले कॉन्डम (यदि उपयुक्त हो तो मिटा दें) स्पष्ट रूप से यह संकेत देते हैं कि आपराधिक यौन शोषण किए जाने का मज़बूत मामला बनता है।

31. आरोपितों को ... से क़ैद रखा गया है और इसलिए वे उनकी स्वतंत्रता से वंचित हैं। अतः वे यह तर्क दे सकते हैं कि अनुच्छेद 21 के तहत उनके स्वतंत्रता के अधिकार का अतिक्रमण हुआ है। हालाँकि, न्यायालयों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि क़ैद की अवधि ज़मानत स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए कोई प्रासंगिक विचारणीय बिंदु नहीं है।

32. राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह एवं अन्य AIR 2002 SC 1475 के पैरा 2 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि:

“हालाँकि व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुमूल्य है और विधि न्यायालयों की ओर से व्यक्तियों की उक्त स्वतंत्रता के संरक्षण के सर्वांगीण प्रयास होने चाहिए - पर यह संरक्षण केवल योग्य व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है क्योंकि ‘संरक्षण’ शब्द को किसी भी और हर परिस्थिति में निरपेक्ष नहीं माना जा सकता है, बल्कि वह परिस्थिति की आवश्यकताओं के आधार पर स्वीकार्य या अस्वीकार्य होता है। इसी परिप्रेक्ष्य में, कोई जघन्य अपराध होने पर समाज को इन तत्वों से संरक्षण की आवश्यकता होती है क्योंकि ऐसे तत्वों में समाज के लोगों के जीवन और शांति को भंग करने के लिए भय का राज फैलाने की क्षमता होती है।” (ज़ोर दिया गया)

33. शहजाद हसन खान बनाम इश्तियाक़ हसन खान AIR 1987 SC 1613 में (पैरा 5 में) आरोपित को इस आधार पर ज़मानत दे दी गई कि मुकदमे में देरी हो रही थी और एक नागरिक [आरोपित] की स्वतंत्रता का मामला था। पर सर्वोच्च न्यायालय ने ज़मानत स्वीकृति के आदेश को रद्द करते हुए यह निर्णय दिया कि मुक़दमे में देरी ज़मानत स्वीकृति के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। न्यायालय ने यह अवलोकन दिया कि उच्च न्यायालय ने मात्र इस आधार पर ज़मानत स्वीकृत कर दी कि एक नागरिक की स्वतंत्रता का मामला था। न्यायालय ने निम्नवत अवलोकन दिया (पैरा 5): “स्वतंत्रता क़ानूनी प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त की जानी होती है, और क़ानूनी प्रक्रिया को आरोपितों के हितों को और, अपना जीवन खो देने वाले पीड़ित के प्रियजनों, जो असहाय महसूस कर रहे हैं और यह मान रहे हैं कि दुनिया में न्याय नहीं है, के हितों को, और समुदाय के सामूहिक हित को ध्यान में रखते हुए लागू की जाती है ताकि पक्षगण संस्था में विश्वास न खोएँ और निजी स्तर पर प्रतिशोध का सहारा न लें। प्रज़ न्यायाधीश स्वतंत्रता की अवधारणा से अनुचित ढंग से प्रभावित थे और उन्होंने मामले के तथ्यों को अनदेखा कर दिया।”

34. साथ ही, निर्णय विधि (केस क़ानून) इस प्रस्ताव का समर्थन करता है कि आरोपित की स्वतंत्रता ऐसा कोई अधिभावी कारक नहीं है जिसे न्यायालय को ज़मानत आवेदनों की सुनवाई में ध्यान में रखना ही चाहिए। अमर सिंह बनाम राज्य, 1985 क्रि. 550 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने आरोपित की ज़मानत रद्द कर दी, और पैरा 7 में यह कहा कि:

“व्यक्तिगत स्वतंत्रता वास्तव में एक मूल्यवान् आस्ति है, पर क़ानून का पालन करने वाले व्यक्तियों की स्वतंत्रता क़ानून तोड़ने निकले व्यक्तियों की स्वतंत्रता से संभवतः अधिक मूल्यवान् है क्योंकि क़ानून तोड़ने वाले व्यक्ति उनकी स्वतंत्रता की ज़ब्ती के लिए स्वयं ज़िम्मेदार हैं।”

35. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निर्णय हेतु न्यायालयों द्वारा निर्धारित विचारणीय बिंदुओं को, आरोपितों की स्वतंत्रता के संरक्षण पर वरीयता है। जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंचानन मिश्रा बनाम दिगंबर मिश्रा 2005 क्रिमिनल लॉ जरनल 1721 में कहा है कि CrPC की धारा 439 का उद्देश्य “निष्पक्ष मुकदमे का संरक्षण करना और समाज को न्याय प्राप्ति सुनिश्चित करना” है (पैरा 13)। आरोपित के स्वतंत्रता के अधिकार से समझौता हुआ है यह तथ्य केवल तब समीकरण में आता है जब न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि निष्पक्ष मुकदमे और व्यापक जनहित के सिद्धांत लागू नहीं होते हैं।
36. आरोपित यह तर्क दे सकते हैं कि चूँकि उनके [सह-आरोपितों की संख्या लिखें] सह-आरोपितों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, अतः उनसे भी यही व्यवहार होना चाहिए। यह तर्क प्राधिकार के चलते गलत है। राज्य बनाम कैप्टन जगजीत सिंह, AIR 1962 SC 252 : (1962 (1) क्रिमिनल लॉ जरनल 215) में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क रखा गया था कि चूँकि दो आरोपितों की जमानत बढ़ाई गई है, अतः प्रतिवादी को भी रिहा किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह तर्क अस्वीकार कर दिया कि जगजीत सिंह को इस आधार पर जमानत मिलनी चाहिए कि उसके सह-आरोपितों को जमानत मिली है। न्यायालय ने अपने निर्णय में पृष्ठ 217 पर यह कहा कि प्रत्येक आरोपित की स्थिति पर अलग-अलग विचार किया जाा चाहिए, और यह तथ्य कि एक आरोपित की जमानत स्वीकृत या अस्वीकृत हुई है, अन्य आरोपित को समता के आधार पर समान व्यवहार का अधिकारी नहीं बनाता है। प्रस्तुत मामले पर यह सिद्धांत लागू करने से यह स्पष्ट है कि यह तथ्य मात्र कि ... के कुछ सहयोगियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है, उसे जमानत का अधिकारी नहीं बनाता है। बल्कि इसके उलट, उसके मामले पर अलग से और उसके अपने गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाना चाहिए, और जैसा उपर्युक्त तर्क दर्शाते हैं, लागू स्थापित कानूनी सिद्धांत यह माँग करते हैं कि उसकी जमानत अस्वीकार की जाए।

यह निवेदन है कि आरोपित को जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उसे पुलिस अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए क्योंकि जाँच अभी तक शुरू नहीं हुई है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, यदि आरोपितों को जमानत पर रिहा किया जाता है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आरोपित साक्ष्य और गवाहों से छेड़छाड़ करेंगे और उनके फ़रार होने की भी संभावना है। साथ ही, अपराध की गंभीर प्रकृति न्यायालय के लिए यह आवश्यक करती है कि वह इस मामले में कठोरता के साथ और पीड़ितों के प्रति अधिक संवेदनशीलता के साथ कार्य करे।

प्रार्थना

अतैव सविनय प्रार्थना है कि:

1. आरोपित व्यक्तियों द्वारा दायर जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए और आरोपित व्यक्तियों को जाँच हेतु पुलिस अभिरक्षा में रिमांड पर दिया जाए।
2. और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह प्रज्ञ न्यायालय जो भी अन्य आदेश (एक या अधिक) एव जो भी अन्य व अतिरिक्त राहत उपयुक्त एवं उचित समझे उसे/उन्हें पारित किया जाए।

और इसके लिए कर्तव्यबद्ध याची सदा प्रार्थना करेगा।

स्थान  
दिनांक  
अधिवक्ता

परिशिष्ट 13A: ज़मानत विरोध संदर्भ शीट

ज़मानत विरोध त्वरित संदर्भ शीट<sup>173</sup>

| मुद्दा/मसला                              | लागू सिद्धांत                                                                                                                                                                 | निर्णय विधि (केस क़ानून)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ज़मानत से संबंधित सामान्य विचारणीय बिंदु | <p>न्यायालय कुछ कारकों पर विचार के लिए बाध्य है</p> <p>अपराध की गंभीरता प्रधान कारक है</p> <p>आरोपित की पृष्ठभूमि और पीड़ित से उसका संबंध एक प्रासंगिक विचार-णीय बिंदु है</p> | <p><b>कल्याण चंद्र सरकार</b>, AIR 2004 SC 1866</p> <p>- पैरा 11: “ज़मानत स्वीकार कर रहे न्यायालय के लिए यह भी आवश्यक है कि वह ज़मानत स्वीकार करने से पहले अन्य परिस्थिति-यों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर भी विचार करे: (a) आरोप की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सज़ा की तीव्रता और समर्थक साक्ष्य की प्रकृति; (b) गवाहों से छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ता को धमकाए जाने की आशंका; (c) आरोप के समर्थन में न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि।”</p> <p><b>सतीश जग्गी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य एवं अन्य</b>, 2007 क्रिमिनल लॉ जरनल SC 2766</p> <p>- पैरा 5: “यह एक सुस्थापित क़ानून है कि ग़ैरज़मानती अपराध के मामलों में ज़मानत स्वीकृत या अस्वीकृत करने का निर्णय करते समय, अपराध की प्रकृति और गंभीरता ही प्रमुख विचारणीय बिंदु होते हैं।”</p> <p><b>गुरचरण सिंह एवं अन्य बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन)</b>, 2007 SC क्रिमिनल लॉ जरनल 2766</p> <p>- पैरा 24: “[न्यायालयों को] पीड़ित और गवाहों के सापेक्ष आरोपित की स्थिति और हैसियत पर [विचार करना चाहिए]</p> |
| ज़मानत के क्रमागत आवेदन                  | <p>आवेदक को परिस्थितियों में बदलाव दर्शाना होगा</p> <p>परिस्थितियों में बदलाव उल्लेख-नीय होने चाहिए</p>                                                                       | <p><b>मध्य प्रदेश राज्य बनाम वी. काजड</b> AIR 2001 SC 3317</p> <p>- पैरा 11: “यह सच है कि बदली हुई परिस्थितियों में क्रमागत आवेदनों की अनुमति है। पर परिस्थितियों में बदलाव के बिना दूसरे आवेदन को पिछले निर्णय की समीक्षा की माँग माना जाएगा जिसकी फ़ौजदारी क़ानून के तहत अनुमति नहीं है...</p> <p><b>तमिलनाडु राज्य बनाम एस. ए. राजा</b>, AIR 2005 SC 4462</p> <p>- पैरा 8: “जब परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, तब प्रज़ न्यायाधीश ने प्रतिवादी की ज़मानत स्वीकृत नहीं की होती।”</p> <p><b>महाराष्ट्र राज्य बनाम कैप्टन बुद्धिकोट सुब्ब राव</b>, AIR 1989 SC 2292</p> <p>- पैरा. 7: “और जब हम बदलाव की बात करते हैं तो हमारा अर्थ ऐसे उल्लेखनीय बदलाव से होता है जिसका पिछले निर्णय पर सीधा प्रभाव होता है, न कि ऐसे सतही बदलावों मात्र से जिनका महत्व बहुत मामूली या शून्य होता है।”</p>                                                                                                                                                                      |

<sup>173</sup> ज़मानत त्वरित संदर्भ मार्गदर्शिका इंटरनेशनल जस्टिस मिशन ने संकलित की है।

| मुद्दा/मसला             | लागू सिद्धांत                                                                                                                                                                 | निर्णय विधि (केस क़ानून)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ज़मानत के क्रमागत आवेदन | <p>लंबी कैद को परिस्थितियों में उल्लेखनीय बदलाव नहीं माना जा सकता है</p> <p>आरोप-पत्र दायर होने को परिस्थि-तियों में बदलाव नहीं माना जा सकता है</p>                           | <p><b>कल्याण चंद्र सरकार</b>, AIR 2004 SC 1866</p> <p>- पैरा 14: “उक्त ज़मानत रद्द करते समय न्यायालय ने विशिष्ट रूप से यह निर्णय दिया था कि यह तथ्य कि प्रस्तुत आरोपित (उस समय) एक वर्ष से अधिक समय से अभिरक्षा में था और यह तथ्य भी कि एक पूर्ववर्ती आवेदन को अस्वीकार करते समय उच्च न्यायालय ने भविष्य में ज़मानत आवेदन के नवीकरण की स्वतंत्रता दी थी, वे आधार नहीं हैं जिनकी संहिता की धारा 437(1)(1) के तहत परिकल्प-ना की गई थी।”</p> <p><b>कुमुद महापात्र एवं एक अन्य बनाम अभिना मलिक एवं अन्य</b>, 1990 क्रिमिनल लॉ जरनल 2646 (ओडिशा)</p> <p>- पैरा 9: “आरोप-पत्र का दायर किया जाना, निर्धारित अवधि के भीतर कार्यविधि की अनुपालना मात्र है और इसका वाद के आपेक्षिक गुणावगुणों से कोई लेना-देना नहीं होता है। यह कहा जा सकता है कि आरोप-पत्र के दायर किए जाने को परिस्थितियों में उल्लेखनीय बदलाव नहीं माना जा सकता है।”</p> <p><b>पदम चंद जैन बनाम राजस्थान राज्य एवं एक अन्य, 1991 क्रिमिनल लॉ जरनल 736</b>, 1990 (1) वीकली लॉ नोट्स (WLN) 284 (राज-स्थान)</p> <p>- पैरा 7: “...यह कहा जा सकता है कि आरोप-पत्र के दायर किए जाने को परिस्थितियों परिस्थितियों में बदलाव नहीं माना जा सकता है...”</p>           |
| ज़मानत के क्रमागत आवेदन | <p>यदि एक आरोपित का मामला ऐसे सह-आरोपितों से विभेय हो तो न्यायालय ज़मानत अस्वी-कार कर सकता है।</p> <p>समता मात्र को ज़मानत स्वीकृति का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता है।</p> | <p><b>राज्य बनाम जगजीत सिंह</b>, AIR 1962 SC 253</p> <p>- न्यायालय ने ज़मानत अस्वीकार करते हुए पैरा 6 में कहा कि: “यह सच है कि प्रतिवादी के साथ-साथ जिन व्यक्तियों पर अभियोजन चलाया गया था उनमें से दो व्यक्तियों को अभिरक्षा-सुपुर्दगी आदेश जारी किए जाने से पहले ज़मानत पर रिहा कर दिया गया था; पर प्रतिवादी का मामला उनके मामले से स्पष्टतः विभेय है।”</p> <p><b>विष्णु माहेश्वरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य</b>, 1999 क्रिमिनल लॉ जरनल 4403 (मध्य प्रदेश) (पैरा 9)</p> <p>- पैरा 9: “समता मात्र को ज़मानत स्वीकृति का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता है।”</p> <p><b>अमीन ख़ान अमानुल्लाह ख़ान एवं एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य</b>, 2003 (2) आंध्र लीगल डिसीज़न क्रिमिनल (ALD CRI) 123, 2003 बॉम्बे केस रिपोर्टर क्रिमिनल (BOMCR CRI) (बॉम्बे)</p> <p>- पैरा 7: “... समता मात्र को ज़मानत स्वीकृति का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता है और आरोपित के हर मामले का परीक्षण अलग-अलग किया जाना होता है...”</p> <p><b>सुंदर लाल बनाम राज्य</b> 1983 क्रिमिनल लॉ जरनल 736 (ऑल महाराष्ट्र लॉ रिपोर्टर (ALL)) (पैरा 15 इस सिद्धांत को दोहराता है कि समता मात्र को ज़मानत स्वीकृति का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता है)</p> |

| मुद्दा/मसला                          | लागू सिद्धांत                                                                                                                                                                                                                                     | निर्णय विधि (केस क़ानून)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जब आरोपित बीमारी/कमज़ोरी का दावा करे | अस्वस्थता में गंभीर जोखिम शामिल होना चाहिए और जेल में उपचार असंभव होना चाहिए।                                                                                                                                                                     | <p><b>राज्य बनाम गदाधर बराल</b> , (65 (1988) कटक लॉ टाइम्स (CLT) 664, 1989 क्रिमिनल लॉ जरनल 627 (ओडिशा)</p> <p>- पैरा 7: “हालाँकि, किसी भी प्रकार की रुग्णता किसी आरोपित को ज़मानत पर रिहाई का अधिकारी नहीं बनाएगी। उसकी प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि यदि आरोपित को रिहा नहीं किया जाता है तो उसे रोग मुक्ति के लिए उचित उपचार नहीं मिल सकता है।”</p> <p><b>संगप्पा बनाम कर्नाटक राज्य</b>, 1978 क्रिमिनल लॉ जरनल 1367 (कर्नाटक)</p> <p>- रोग के आधार पर ज़मानत स्वीकृत करने से पहले अस्वस्थता या बीमारी/कमज़ोरी की प्रकृति, और</p> <p>- जेल में अभिरक्षा रिमांड की उपयुक्तता या अनुपयुक्तता, आवश्यक चिकित्सीय उपचार और उचित साधन-सुविधाओं की उपलब्धता, और अन्य परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए।</p> <p><b>राज्य बनाम शार्दुल सिंह एवं एक अन्य</b>, 1975 क्रिमिनल लॉ जरनल 1348 (जम्मू व कश्मीर)</p> <p>- “आरोपित व्यक्ति हर किसी रोग के आधार पर ज़मानत का अधिकारी नहीं हो सकता है। प्रावधानों द्वारा अपेक्षित अस्वस्थता ऐसी अस्वस्थता है जिसमें आरोपित व्यक्ति के जीवन को जोखिम या ख़तरा हो।”</p> |
| बयानों की भूमिका                     | <p>न्यायालय CrPC की धाराओं 161/164 के तहत दिए गए बयानों पर विचार करने को कर्तव्य-बद्ध है।</p> <p>पीड़ित द्वारा उस पर यौन हमले किए जाने के बयानों की पुष्टि आवश्यक नहीं है।</p> <p>धारा 164 बयान की अनुपस्थिति ज़मानत स्वीकृति का आधार नहीं है</p> | <p><b>सलीम ख़ान बनाम संजय सिंह</b>, 2002 9 सुप्रीम कोर्ट केसेज़ (SCC) 670</p> <p>- पैरा 1: “इस चरण में उच्च न्यायालय CrPC की धारा 161 के तहत दर्ज हुए सभी बयानों पर विचार करने के लिए कर्तव्यबद्ध है।”</p> <p>गुडिया स्वयं सेवी संस्थान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2010 क्रिमिनल लॉ जरनल 1433 (SC)</p> <p>- पैरा 11: “अतैव, ज़मानत स्वीकृति के प्रश्न पर उस अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए जिसका आरोप आरोपित पर लगा है। अतैव हमारे मत में उच्च न्यायालय ने मामले को सरसरी तौर पर निपटा कर सही नहीं किया है। उच्च न्यायालय इस तथ्य पर ध्यान देने में भी असफल रहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत लड़कियों के बयान अनावश्यक मानकर दर्ज नहीं किए गए।”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| मुद्दा/मसला                    | लागू सिद्धांत                                                                                                                 | निर्णय विधि (केस क़ानून)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अंतरिम ज़मानत                  | अंतरिम ज़मानत की स्वीकृति अपने-आप में पुष्टि (यानी नियमित ज़मानत की स्वीकृति) को उचित सिद्ध नहीं करती है                      | <p><b>हाजी पीर बख़्श एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य</b>, 1993 क्रिमिनल लॉ जरनल 3574 (ऑल महाराष्ट्र लॉ रिपोर्टर (ALL))</p> <p>- पैरा 19: “हम हालाँकि यह स्पष्ट करते हैं कि किसी आरोपित की अंतरिम ज़मानत पर रिहाई अपने-आप में ज़मानत स्वीकृति का आधार नहीं होती है। ज़मानत आवेदन का अंतिम निपटान सभी गुणावगुणों पर विचार के बाद किया जाना होता है।”</p> <p><b>सतीश कुमार बनाम राज्य, 14 फ़रवरी को</b>, इंडियन लॉ रिपोर्ट्स (ILR) 1989 (दिल्ली) 413</p> <p>- पैरा 3: “इस तथ्य मात्र कि याची की अंतरिम ज़मानत स्वीकृत हुई है, का यह अर्थ नहीं है कि वह गुणावगुणों पर नियमित ज़मानत पाने का इसलिए अधिकारी है क्योंकि उसने अंतरिम ज़मानत का लाभ उठाने के बाद न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। याचिका अस्वीकृत की जाती है।”</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| यौन अपराध के मामलों में ज़मानत | <p>ऐसे मामले जो आम तौर पर ज़मानत के लिए उपयुक्त नहीं हैं</p> <p>अत्यधिक गंभीर अपराध जो कठोर उपायों को उचित सिद्ध करते हैं</p> | <p><b>न्यायालय अपने स्वयं के प्रस्ताव पर बनाम विष्णु पंडित एवं एक अन्य</b>, 1993 क्रिमिनल लॉ जरनल दिल्ली 2025</p> <p>- पैरा 29: “महिलाओं के विरुद्ध अपराध बढ़ रहे हैं और महिलाओं के विरुद्ध जघन्य अपराध करने के आरोपितों की ज़मानत स्वीकृत करने में न्यायालयों को बहुत सतर्क रहना होगा।”</p> <p><b>विशाल जीत बनाम भारत संघ</b>, 1990 क्रिमिनल लॉ जरनल 1469 (SC) में सर्वोच्च न्यायालय ने बाल वेश्यावृत्ति पर चर्चा करते हुए कहा कि:</p> <p>- पैरा 7: “यह अत्यंत खेदजनक और हृदयविदारक है कि गरीबी से ग्रस्त बहुत से बच्चों और यौवन की प्रथम अवस्था में मौजूद लड़कियों को ‘देह बाज़ार’ में ले जाया जाता है और जबरन ‘देह व्यापार’ में धकेल दिया जाता है, जिसे मानवजाति की नैतिकता, सभ्यता, और गरिमा के सभी सिद्धांतों के अतिशय उल्लंघन के साथ संचालित किया जा रहा है। इसमें कोई दोराय नहीं हो सकती हैं - और वस्तुतः हैं भी नहीं - कि सभी प्रकार की अकल्पनीय अशिष्टता के साथ किए जाने वाले इस घृणित और घिनौने अपराध को कठोर क़दमों द्वारा सभी स्तरों पर ख़त्म किया जाना चाहिए।”</p> |

परिशिष्ट 14: पीड़िता को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने और आवेदक/प्राकृतिक संरक्षक/माता को पीड़िता की अभिरक्षा सौंपने के लिए पुलिस/CWC को निर्देश जारी करने का आवेदन दायर करने का नमूना प्रारूप

माननीय महानगरीय दंडाधिकारी के न्यायालय में,  
प्राथमिकी सं.: .....  
पु.स्टे.: .....

इनके विषय में:  
..... शिकायतकर्ता  
बनाम  
..... आरोपित

प्राथमिकी सं.: .....  
पु.स्टे.: .....  
अंतर्गत धारा .....  
दिनांक .....

पीड़िता ..... को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने और आवेदक/प्राकृतिक अथवा माता को पीड़िता की अभिरक्षा सौंपने के लिए पुलिस/CWC ..... को आवश्यक निर्देश जारी करने के आवेदन का उत्तर।

पूर्ण सम्मान सहित आपको प्रदर्शित है कि इस वाद का माननीय न्यायालय के समक्ष अधिनिर्णय लंबित है और सुनवाई का तथा पीड़िता को प्रस्तुत करने का दिनांक आज यानी ..... को तय है। कि उपर्युक्त वाद में वाद के सच्चे व सही तथ्य इस प्रकार हैं: कि पीड़िता के अवयस्क होने के कारण उसे ..... को बाल कल्याण समिति (एतदपश्चात “CWC”) के सामने पेश किया गया था। किशोर न्याय अधिनियम, 2000 (एतदपश्चात, “JJ अधिनियम, 2000”) की धारा 32 विशिष्ट रूप से यह कहती है कि:

“धारा 32. समिति के समक्ष प्रस्तुति

- जिस भी बच्चे को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है उसे इनमें से किसी भी व्यक्ति द्वारा समिति के सामने पेश किया जा सकता है:
  - कोई भी पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई या कोई नामित पुलिस अधिकारी;
  - कोई भी सरकारी कर्मचारी;
  - चाइल्डलाइन, कोई भी पंजीकृत स्वयंसेवी संगठन या ऐसा कोई भी अन्य स्वयंसेवी संगठन या एजेंसी जिसे राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी गई हो;
  - कोई भी समाजसेवी या लोकहितैषी नागरिक जिसे राज्य सरकार ने अधिकृत किया हो; या
  - वह बच्चा खुद।

राज्य सरकार पुलिस को व समिति को सूचना देने के तरीके और जब तक जाँच पूरी नहीं हो जाती तब तक बच्चे को बाल गृह भेजने और बाल गृह को सौंपने के तरीके का प्रावधान करने के लिए इस अधिनियम की अनुरूपता में नियम बना सकती है।”

कि उपर्युक्त दिनांक यानी 10 अक्टूबर, 2013 को CWC ने यह देखा कि पीड़िता देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाली बच्ची है, और समिति ने JJ अधिनियम, 2000 की धारा 31 जिसमें निम्नवत नियम किया गया है:

“समिति की शक्तियाँ।

बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास, और पुनर्वास के मामलों के निपटारे का और, उनकी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति का तथा उनके मानवाधिकारों के संरक्षण का अंतिम प्राधिकार समिति के पास होगा। जहाँ भी किसी भी क्षेत्र के लिए समिति का गठन किया गया है वहाँ, उक्त समिति, तत्समय प्रभावी अन्य किसी भी क़ानून में निहित किसी भी बात के बावजूद पर इस अधिनियम में व्यक्त रूप से प्रावधानित अन्यथा बात को छोड़कर, के पास देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में इस अधिनियम के तहत होने वाली सभी कार्यवाहियों के साथ अनन्य रूप से निपटने की शक्ति है।” - के अनुसार उपयुक्त प्राधिकरण होने के नाते पीड़िता को अपनी अभिरक्षा में लिया और देखभाल व संरक्षण के लिए पीड़िता को ..... में रखा।

सविनय निवेदन है कि JJ अधिनियम, 2000 की धारा 31 के अनुसार, बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास, और पुनर्वास के मामलों के निपटारे का और, उनकी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति का तथा उनके मानवाधिकारों के संरक्षण का अंतिम प्राधिकार CWC के पास है। प्रेरणा बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2003(2) महाराष्ट्र लॉ जरनल 105 में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से भी इस तर्क का समर्थन होता है। इस न्यायालय की खंड (न्याय) पीठ ने यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलि-खित दिशानिर्देश प्रदान किए कि देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे के साथ उसके सुधार और पुनर्वास की संभावना को ध्यान में रखते हुए व्यवहार किया जाना चाहिए:

“37. हमें लगता है कि निम्नलिखित निर्देश भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोक सकते हैं:

(A) कोई भी मैजिस्ट्रेट 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति पर क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है, चाहे वह व्यक्ति क़ानून का उल्लंघन करने वाला कोई किशोर हो या देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा, जैसा किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धाराओं 2(1) और 2(d) में परिभाषित है। मैजिस्ट्रेट को, जो व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का लगे उसकी आयु निर्धारण के क़दम पहला अवसर मिलते ही उठाने चाहिए। यदि उक्त व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम पाई जाए तो मैजिस्ट्रेट को उक्त मामला, यदि वह व्यक्ति क़ानून का उल्लंघन करने वाला किशोर है तो किशोर न्याय बोर्ड को, या यदि वह व्यक्ति देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा है तो बाल कल्याण समिति को भेजना होगा...” आवेदक की ओर से किया गया तात्कालिक आवेदन सदाशयी है और न्याय के हित में है।

प्रार्थना

अतैव, ऊपर संदर्भित तथ्यों और परिस्थितियों को और न्याय के हित को ध्यान में रखते हुए, यह सविनय प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय कृपया:

- आवेदक को उपयुक्त प्राधिकरण यानी बाल कल्याण समिति के समक्ष अभिरक्षा हेतु आवेदन का निर्देश दे, और/या
- मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायालय जिन भी अन्य आदेशों को उपयुक्त एवं उचित समझे उन्हें पारित करे।

दिनांक: .....  
स्थान: .....  
आवेदक: .....  
इनके माध्यम से: **वकील**

परिशिष्ट 15: रिहाई प्रमाणपत्रों के अनुरोध के लिए DM/SDM को लिखे जाने वाले पत्र का नमूना प्रारूप

रिहाई प्रमाणपत्रों के अनुरोध के लिए DM/SDM को पत्र

[ऊपर प्रेषक का पता]

दिनांक:

[ऊपर प्राप्तकर्ता का पता]

संदर्भ: **बंधुआ श्रमिक रिहाई प्रमाणपत्रों हेतु अनुरोध**

मैं निम्नलिखित सामाजिक कार्य समूह का/की प्रतिनिधि हूँ जो बंधुआ श्रमिकों के बचाव और पुनर्वास में सहायता करता है।

..... को निम्नलिखित पते पर एक बचाव अभियान चलाया गया था:

बचाव के दौरान, निम्नलिखित बंधुआ श्रमिकों को छुड़ाया गया:

बचाव कार्य में निम्नलिखित सरकारी अधिकारी उपस्थित थे:

छुड़ाए गए श्रमिक स्पष्ट रूप से बंधुआ श्रमिक हैं। बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम स्पष्ट रूप से कहता है कि बंधुआ श्रमिक ऐसा श्रमिक है जो अपने स्वामी के साथ बलात् श्रम प्रदान करने के किसी लिखित या मौखिक करार के कारण कार्य कर रहा है (धारा 2(g))। वह करार इनमें से कुछ भी हो सकता है:

●

कोई अग्रिम राशि/ऋण। जैसे: एक श्रमिक की बेटी बीमार पड़ जाती है, इसलिए वह उपचार के खर्च के लिए अपने नियोक्ता से पैसे उधार लेता है पर उसे वे पैसे चुकाने के लिए नियोक्ता के यहाँ कार्य करना होगा

●

कोई परिपाटी या सामाजिक दायित्व: जैसे: उत्तर-पूर्वी भारत में यह सामाजिक परिपाटी है कि सुलौंग जनजाति के लोगों को दासों के रूप में कार्य करना होता है, तब भी जब वे अपने स्वामियों के ऋणी न हों।

●

उत्तराधिकार। जैसे: बच्चों को उनके पिता को पैसे उधार देने वाले नियोक्ता के लिए कार्य करना ही होगा

●

अन्य आर्थिक प्रतिलाभ। जैसे: एक नियोक्ता एक श्रमिक को ट्रैक्टर देता है पर श्रमिक के लिए यह आवश्यक करता है कि ट्रैक्टर की कीमत चुकाने के लिए वह नियोक्ता के यहाँ कार्य करेगा

●

जाति या समुदाय। जैसे: तमिलनाडु में यह परंपरा है कि इरुलर जनजाति में पैदा होने वाला हर व्यक्ति कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करने को बाध्य होता है।

●

कानूनी न्यूनतम वेतन का कोई भुगतान नहीं। जैसे: दिल्ली में अकुशल कर्मों का क़ानूनी न्यूनतम वेतन ₹256.00 प्रति दिन है। यदि किसी श्रमिक को इससे कम वेतन पर श्रम प्रदान करने को विवश किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि उसे बंधुआ श्रमिक माना जा सकता है।

बलात् श्रम का यह अर्थ है कि श्रमिकों को निम्नलिखित परिस्थितियों में कार्य करने पर विवश किया जाता है:

●

रोज़गार की कोई स्वतंत्रता नहीं। जैसे: आलू के खेत का एक स्वामी अपने श्रमिकों को अपने यहाँ से जाने और किसी अन्य स्वामी के लिए कार्य करने की अनुमति नहीं देता है।

●

आने-जाने की कोई स्वतंत्रता नहीं। जैसे: एक श्रमिक को, उसे अग्रिम राशि देने वाले नियोक्ता के स्वामित्व वाले एक ईंट भट्ठे पर रहने को विवश किया जाता है। वह नियोक्ता उस श्रमिक को केवल रविवार को वस्तुएँ खरीदने हेतु बहुत थोड़े समय के लिए बाज़ार जाने देता है या वह श्रमिक को ईंट भट्ठे से जाने ही नहीं देता है।

●

बाज़ार मूल्य पर वस्तुएँ और बेचने की कोई स्वतंत्रता नहीं। जैसे: एक रेशम बुनकर को उसका स्वामी किसी भी दूसरे खरीदार को रेशम बेचने नहीं देता है।

●

क़ानूनी न्यूनतम वेतन का कोई भुगतान नहीं। जैसे: दिल्ली में अकुशल कर्मों का क़ानूनी न्यूनतम वेतन ₹256.00 प्रति दिन है। यदि किसी श्रमिक को इससे कम वेतन पर श्रम प्रदान करने को विवश किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि उसे बंधुआ श्रमिक माना जा सकता है।

हाल ही में छुड़ाए गए श्रमिकों ने ये बयान दिए हैं कि उनका निम्नलिखित लोगों से श्रम प्रदान करने का करार था:

श्रमिकों ने ये बयान भी दिए हैं कि उन्होंने बलात् श्रम की निम्नलिखित परिस्थितियों में कार्य किया।

बंधुआ श्रम (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अनुसरण में श्रमिक स्पष्ट रूप से बंधुआ श्रमिक हैं।

अब जबकि बंधुआ श्रमिकों को छुड़ा लिया गया है, वे रिहाई प्रमाणपत्र पाने के अधिकारी हैं। ये रिहाई प्रमाणपत्र प्रदान करने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की है क्योंकि 1987 में संतल परगना अंत्योदय आश्रम बनाम बिहार राज्य नामक वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की सभी राज्य सरकारों को निम्नलिखित निर्देश दिया था:

“संबंधित ज़िला आयुक्त/अनुमंडल दंडाधिकारी हर बंधुआ श्रमिक को तुरंत एक प्रमाणपत्र जारी करेंगे जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि वह बंधुआ श्रमिक है और उसे दासत्व से मुक्त कर दिया गया है। ये प्रमाणपत्र संबंधित ज़िला आयुक्त/अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा जारी किए जाएँगे और वे बंधुआ श्रमिकों की रिहाई के साथ ही उन्हें ये प्रमाणपत्र सौंपेंगे।”

सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना है कि रिहाई प्रमाणपत्र रिहाई के समय तुरंत ही या बचाव के बाद जल्द-से-जल्द बना दिए जाने चाहिए। रिहा किए गए हर पुरुष, महिला और बच्चे को अपना स्वयं का रिहाई प्रमाणपत्र मिलना चाहिए।

यदि प्राथमिकी दर्ज न हुई हो, या प्राथमिकी दर्ज हुई हो पर बंधुआ श्रम अधिनियम के तहत आने वाले आरोप न लगाए गए हों तो भी रिहाई प्रमाणपत्र दिए जाने चाहिए।

बंधुआ श्रम अधिनियम की धारा 10 के अनुसार, बचाए गए बंधुआ श्रमिकों को रिहाई प्रमाणपत्र जारी करने की ज़िम्मेदारी ज़िलाधिकारी की है। जहाँ ज़िलाधिकारी ने अपनी शक्तियाँ अनुमंडल दंडाधिकारी को सौंपी हों वहाँ, बचाए गए बंधुआ श्रमिकों को रिहाई प्रमाणपत्र जारी करने की ज़िम्मेदारी अनुमंडल दंडाधिकारी की है।

**अतैव मैं आपसे सविनय अनुरोध करता/ती हूँ कि आप बचाए गए सभी बंधुआ श्रमिकों को रिहाई प्रमाणपत्र जारी किए जाने का आदेश पारित करें।**

बचाए गए बंधुआ श्रमिक अपनी रिहाई पर ₹1000.00 के भी अधिकारी हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पब्लिक यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य के मामले में 5 मई, 2004 को राज्य सरकार को बचाए गए सभी बचाए गए बंधुआ श्रमिकों को ₹1000.00 देने का निर्देश दिया था:

“राज्य सरकार बंधुआ श्रमिक को उसकी पहचान होने के तुरंत बाद निर्वाह भत्ते के रूप में ₹1000.00 देगी।”

**अतैव मैं आपसे सविनय अनुरोध करता/ती हूँ कि आप बचाए गए सभी बंधुआ श्रमिकों को ₹1000.00 दिए जाने का आदेश पारित करें।**

यदि बचाए गए बंधुआ श्रमिकों के बारे में आपके कोई प्रश्न हों या यदि मैं आपकी कोई सहायता कर सकता/ती होऊँ तो कृपया मुझसे संपर्क करें।

सादर निवेदित,

[प्रेषक का हस्ताक्षर]  
प्रेषक का नाम:

वापस

वापस

पृष्ठ 233

परिशिष्ट 16: रिहाई प्रमाणपत्र का प्रारूप<sup>174</sup>

रिहाई प्रमाणपत्र BL वाद सं. .... (बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा 12 के अंतर्गत JMFC/JMSC का आदेश) का प्रारूप

1. नाम:
2. जाति श्रेणी (SC/ST/OBC)
3. पिता/ माता का नाम:
4. आयु:
5. पुरुष/महिला/ट्रांसजेंडर:
6. बंधुआ श्रम का पता
7. बंधुआ श्रमिक की आधार कार्ड संख्या (यदि उपलब्ध हो)
8. बंधुआ श्रमिक का संपर्क विवरण (मोबाइल नं., यदि उपलब्ध हो)
9. वह पता जहाँ बंधुआ श्रमिक की पहचान हुई/जहाँ से उसे बचाया गया
10. बंदी/बंधुआ बनाने वाले का नाम
11. बंदी/बंधुआ बनाने वाले की आधार कार्ड संख्या
12. बंदी/बंधुआ बनाने वाले का पता

मेरे हस्ताक्षर व मुद्रा के तहत दिनांक ..... को दिया गया

हस्ताक्षर

नाम

ज़िलाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी

ज़िला ..... राज्य .....

मुद्रा

रिहा बंधुआ श्रमिक का रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ संलग्न किया जाना चाहिए।

परिशिष्ट 17: बंधुआ श्रम हस्तक्षेपों में दी जाने वाली देखभाल सेवाओं की जाँचसूची<sup>175</sup>

देखभाल सेवाओं (बंधुआ श्रम) की जाँचसूची

बचाव / आपातकालीन सहायता (0-2 सप्ताह)

| चरण      | कार्य                                                                                                                             | समय-सीमा         | दस्तावेज़                                                                          | पूर्ण होने पर सही का निशान लगाएँ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| घर वापसी | आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल (शारीरिक और मानसिक देखभाल शामिल)                                                                       | तुरंत            |                                                                                    |                                  |
|          | रिहाई प्रमाणपत्र                                                                                                                  | तुरंत            |                                                                                    |                                  |
|          | सुरक्षा और सलामती, उत्पीड़न से संरक्षण की याचिका शामिल                                                                            | तुरंत            |                                                                                    |                                  |
|          | आपातकालीन आवश्यक वस्तुएँ – भोजन, पेय, और तत्काल स्वच्छता                                                                          | तुरंत            |                                                                                    |                                  |
|          | अस्थायी आवास व्यवस्था                                                                                                             | तुरंत            |                                                                                    |                                  |
|          | बंधुआ श्रम व जाँच/पूछताछ प्रक्रिया की जानकारी, और स्वतंत्रता भाषण दें – पीड़ितों को अपनी कहानी निडर होकर सुनाने के लिए प्रोत्साहन | तुरंत            |                                                                                    |                                  |
|          | पुनर्वास पत्र                                                                                                                     | तुरंत            |                                                                                    |                                  |
|          | सूचित सहमति के बारे में चर्चा – चिकित्सीय देखभाल, परामर्श, मीडिया                                                                 | 2 सप्ताह के भीतर |                                                                                    |                                  |
| भर्ती    | आरंभिक आकलन                                                                                                                       | 2 सप्ताह के भीतर | देखभाल केस फ़ाइल (हर परिवार के लिए) – परिवार का विवरण, फोटोग्राफ, आपातकालीन सहायता |                                  |

<sup>174</sup> यह प्रारूप बंधुआ श्रमिक पुनर्वास केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2021 दिनांकित 7 फरवरी, 2022 के पैरा 4.2 में दिए गए संशोधित प्रावधानों के अनुसार रिहाई प्रमाणपत्र का प्रारूप है। यहाँ उपलब्ध: [https://labour.gov.in/sites/default/files/20220208154105\\_compressed.pdf](https://labour.gov.in/sites/default/files/20220208154105_compressed.pdf) पृष्ठ 6 पर।

<sup>175</sup> कृपया ध्यान दें कि यह जाँचसूची एक संदर्भ मात्र है और देखभाल प्रक्रिया संचालक NGO की आवश्यकताओं के अनुसार इसमें संशोधन किए जा सकते हैं।

वापसीकालीन देखभाल (1-2 माह)

| चरण                   | कार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | समय-सीमा      | दस्तावेज़ | पूर्ण होने पर सही का निशान लगाएँ |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------|
| घर वापसी              | परिवारों को उनके पैतृक गाँव या उनके चुने हुए स्थान तक वापस पहुँचाएँ                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 माह के भीतर |           |                                  |
|                       | तंबू के लिए प्लास्टिक शीट, आवश्यकतानुसार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 माह के भीतर |           |                                  |
|                       | आवश्यक वस्तुओं की किट (चावल, दाल, रागी, तेल, शक्कर, नमक, आदि)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 माह के भीतर |           |                                  |
|                       | परिवार किट (बर्तन, कपड़े, छाते, शौचालय व प्रसाधन सामग्री, मच्छरदानियाँ, आदि)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 माह के भीतर |           |                                  |
|                       | टूल किट, आवश्यकतानुसार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 माह के भीतर |           |                                  |
|                       | स्थानीय संसाधन जुटाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 माह के भीतर |           |                                  |
|                       | व्यावसायिक प्रशिक्षण और आजीविका के विकल्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 माह के भीतर |           |                                  |
|                       | स्थानीय अस्पताल में चिकित्सीय जाँच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 माह के भीतर |           |                                  |
|                       | चिकित्सीय स्क्रीनिंग (TB, HIV आदि)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 माह के भीतर |           |                                  |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |           |                                  |
| स्थानीय संसाधन जुटाना | स्वतंत्रता प्रशिक्षण, जिसमें शामिल है:<br>► “डर से निपटना” – श्रम स्थल के स्वामियों द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न को संभालना<br>► जोखिमपूर्ण स्थितियों (अग्रिम राशियाँ, प्रवास, आदि) की पहचान करना<br>► कानूनी अधिकार<br>► सुरक्षा योजनाएँ और खतरे के स्तरों की निगरानी<br>► देखभाल प्रदाता को स्वामियों से आमना-सामना के और संभावित प्रवासन के बारे में सूचित रखने का महत्व | 1 माह के भीतर |           |                                  |
| स्वतंत्रता प्रशिक्षण  | कार्यात्मक आकलन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 माह के भीतर |           |                                  |
| आकलन                  | उपचार योजना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 माह के भीतर |           |                                  |

दीर्घकालिक देखभाल (2-12 माह)

| चरण       | कार्य                                                | समय-सीमा                 | दस्तावेज़ | पूर्ण होने पर सही का निशान लगाएँ |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|----------------------------------|
| सरकार लाभ | मासिक बैठकें                                         | हर माह दूसरी तारीख से    |           |                                  |
|           | PVC/CWC से वापस मिलवाना                              | 2 माह के भीतर            |           |                                  |
|           | बैंक खाता खुलवाना                                    | 2 माह के भीतर आवेदन करें |           |                                  |
|           | ₹20000.00 BLA क्षतिपूर्ति                            | 2 माह के भीतर आवेदन करें |           |                                  |
|           | राशन कार्ड                                           | 2 माह के भीतर आवेदन करें |           |                                  |
|           | प्रासंगिक पेंशनें – विधवा पेंशन, अशक्तता पेंशन, आदि। | 2 माह के भीतर आवेदन करें |           |                                  |

|                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                     |  |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
|                          | आवास योजनाएँ और भूमि पट्टे                                                                                                                                                                                               | 2 माह के भीतर आवेदन करें            |  |  |
| आर्थिक सशक्तीकरण/ शिक्षण | मनरेगा (MGNREGA)                                                                                                                                                                                                         | 2 माह के भीतर आवेदन करें            |  |  |
|                          | मतदाता पहचान पत्र                                                                                                                                                                                                        | 2 माह के भीतर आवेदन करें            |  |  |
|                          | जाति प्रमाणपत्र                                                                                                                                                                                                          | 2 माह के भीतर आवेदन करें            |  |  |
|                          | 14 वर्ष और उससे छोटे सभी बच्चों का स्कूल में नाम लिखवाएँ                                                                                                                                                                 | 3 माह के भीतर                       |  |  |
|                          | क्लाइंट के सभी अवयस्क आश्रितों (आयु 15-17 वर्ष) का स्कूल में नाम लिखवाएँ                                                                                                                                                 | 3 माह के भीतर, यदि संभव हो          |  |  |
|                          | स्कूल में उपस्थिति की निगरानी करें                                                                                                                                                                                       | 3 माह के भीतर                       |  |  |
|                          | कार्यस्थल तक जाने के लिए साइकिल दें, आवश्यकतानुसार                                                                                                                                                                       | 3 माह के भीतर                       |  |  |
|                          | सुनिश्चित करें कि जिस भी अवयस्क बच्चे को काम पर लगाया गया हो वह दुर्व्यवहार-मुक्त परिवेश में कार्य कर रहा हो                                                                                                             | 3 माह के भीतर                       |  |  |
|                          | सुनिश्चित करें कि हर परिवार का कम-से-कम एक वयस्क सदस्य आमदनी कमा रहा हो                                                                                                                                                  | 3 माह के भीतर                       |  |  |
|                          | वयस्क क्लाइंट के रोज़गार की निगरानी करें                                                                                                                                                                                 | 3 माह के भीतर                       |  |  |
| सामुदायिक सशक्तीकरण      | निरंतर व्यावसायिक प्रशिक्षण और आजीविका के विकल्प                                                                                                                                                                         | 3 माह के भीतर                       |  |  |
|                          | रसोई उद्यान के बीज दें, आवश्यकतानुसार                                                                                                                                                                                    | उगाई सीज़न के अनुसार जो उपयुक्त हों |  |  |
|                          | किसी स्वयं-सहायता/बचत समूह में शामिल करवाएँ                                                                                                                                                                              | 3 माह के भीतर                       |  |  |
| घर पर मुलाकातें          | पीड़ितों का परिचय सरकारी अधिकारियों (VAO) से कराएँ                                                                                                                                                                       | 3 माह के भीतर                       |  |  |
|                          | सामुदायिक संसाधनों (परिसंपत्तियों) की मैपिंग करें                                                                                                                                                                        | 3 माह के भीतर                       |  |  |
|                          | आय सृजन कार्यक्रम दिलवाएँ                                                                                                                                                                                                | 3 माह के भीतर                       |  |  |
|                          | घर पर मुलाकात 1:<br>► श्रम स्थल के स्वामियों द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न को संभालने के कौशल<br>► सुरक्षा योजनाओं का विकास और खतरे के स्तरों की निगरानी<br>► सामना करने के सामान्य कौशल<br>*प्रशिक्षण में महिलाएँ शामिल | 3 माह के भीतर                       |  |  |
|                          | घर पर मुलाकात 1:<br>► घरेलू हिंसा का सदमा (यदि आवश्यक हो तो उबरने का कार्यक्रम शामिल)<br>► यौन सदमा (यदि आवश्यक हो तो उबरने का कार्यक्रम शामिल)<br>► अन्य सदमा (यदि आवश्यक हो तो उबरने का कार्यक्रम शामिल)               | 6 माह के भीतर                       |  |  |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |  |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--|
|                  | <div>▶ सामना करने के अस्वस्थ तरीके और लत (यदि आवश्यक हो तो उबरने का कार्यक्रम शामिल)</div> <div>▶ स्वस्थ संबंध</div> <div>*प्रशिक्षण में महिलाएँ शामिल</div>                                                                                                     |                               |  |  |
| Legal Assistance | <div>घर पर मुलाकात 3:</div> <div>▶ शिक्षा का महत्व</div> <div>▶ परिवार नियोजन</div> <div>▶ स्वास्थ्य एवं स्वच्छता –</div> <div>▶ पोषण, सरकारी स्वास्थ्य इकाइयाँ और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल पाने का अधिकार शामिल</div> <div>*प्रशिक्षण में महिलाएँ शामिल</div> | 9 माह के भीतर                 |  |  |
|                  | <div>घर पर मुलाकात 4:</div> <div>▶ रोज़गार</div> <div>▶ आवास</div> <div>▶ बचत और बीमा</div> <div>▶ समस्या समाधान के सामान्य कौशल</div> <div>*प्रशिक्षण में महिलाएँ शामिल</div>                                                                                   | 12 माह के भीतर                |  |  |
|                  | न्यायालय के लिए तैयारी करवाएँ                                                                                                                                                                                                                                    | न्यायालय कार्यवाहियों से पहले |  |  |
|                  | क्रानूली कार्यवाहियों के दौरान सहायता दें                                                                                                                                                                                                                        | न्यायालय कार्यवाहियों से पहले |  |  |
|                  | मुकदमे के बाद, कार्यवाही में जो कुछ हुआ उसकी जानकारी दें                                                                                                                                                                                                         | न्यायालय कार्यवाहियों के बाद  |  |  |

पूर्ण और केस समापन (12 माह के बाद)

| चरण   | कार्य                                                                                                            | समय-सीमा                   | दस्तावेज़ | पूर्ण होने पर सही का निशान लगाएँ |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------|
| पूर्ण | पूर्ण प्रमाणपत्र                                                                                                 | 1 वर्ष के भीतर             |           |                                  |
|       | पूर्ण समारोह                                                                                                     | 1 वर्ष के भीतर             |           |                                  |
|       | सुनिश्चित करें कि सभी रिहाई प्रमाणपत्र मिल गए हों, सारा पुनर्वास धन जारी हो गया हो और सारे सरकारी लाभ मिल गए हों | पूर्ण से पहले              |           |                                  |
|       | अंतिम कार्यात्मक आकलन                                                                                            |                            |           |                                  |
|       | अंतिम स्थान व सत्यापन जाँच                                                                                       | 1 वर्ष बाद                 |           |                                  |
|       | नेतृत्व प्रशिक्षण                                                                                                | केस समापन से 1 माह के भीतर |           |                                  |

परिशिष्ट 18: पुनर्वास परिवार फ़ॉर्म का नमूना<sup>176</sup>

राष्ट्रीय हस्तक्षेप पुनर्वास परिवार फ़ॉर्म

|                    |  |                     |  |
|--------------------|--|---------------------|--|
| NGO भागीदार        |  | फील्ड कर्मी         |  |
| केस का नाम और सं.: |  | आरंभिक आकलन दिनांक: |  |

परिवार का विवरण

| परिवार का मुखिया:<br>पता: |     | Mob:  |     |                  |                |
|---------------------------|-----|-------|-----|------------------|----------------|
| क्रमांक                   | नाम | संबंध | आयु | पीड़ित की स्थिति | शिक्षा/रोज़गार |
|                           |     |       |     |                  |                |
|                           |     |       |     |                  |                |
|                           |     |       |     |                  |                |
|                           |     |       |     |                  |                |
|                           |     |       |     |                  |                |
|                           |     |       |     |                  |                |

व्यक्ति का और परिवार का फोटोग्राफ

| चिकित्सीय सहायता    |                       |                       |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                     |                       |                       |
| आरंभिक जाँच दिनांक: | फ़ॉलो-अप जाँच दिनांक: | फ़ॉलो-अप जाँच दिनांक: |
| ध्यान दें:          | ध्यान दें:            | ध्यान दें:            |

<sup>176</sup> यह एक नमूना प्रारूप है जिसका उपयोग बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास में सहयोग के समय किया जाना है। हम NGO को प्रेरित करते हैं कि वे उस प्रारूप का उपयोग करें जिसका उपयोग करने में वे सहज हैं या फिर उसका जिसके उपयोग के लिए राज्य सरकार/न्यायालय ने कहा है, क्योंकि यह एक नमूना मात्र है।

| किट (यदि दी गई हों - वस्तुओं के नाम लिखें) |  |
|--------------------------------------------|--|
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |
|                                            |  |

| आपातकालीन सहायता                           |                               |       |
|--------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| उत्पीड़न से संरक्षण (हाँ/नहीं, और दिनांक): | संपर्क नंबर (संबंध भी लिखें): | अन्य: |

| अस्थायी आवास व्यवस्था और यात्रा सहायता |
|----------------------------------------|
|                                        |

| Name              |              |                 |               |              |                 |               |              |                 |               |              |                 |               |
|-------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|
|                   | आवेदन दिनांक | प्राप्ति दिनांक | पहले से मौजूद | आवेदन दिनांक | प्राप्ति दिनांक | पहले से मौजूद | आवेदन दिनांक | प्राप्ति दिनांक | पहले से मौजूद | आवेदन दिनांक | प्राप्ति दिनांक | पहले से मौजूद |
| रिहाई प्र.प.      |              |                 |               |              |                 |               |              |                 |               |              |                 |               |
| पुनर्वास धन       |              |                 |               |              |                 |               |              |                 |               |              |                 |               |
| बैंक खाता         |              |                 |               |              |                 |               |              |                 |               |              |                 |               |
| पट्टा (H/L)       |              |                 |               |              |                 |               |              |                 |               |              |                 |               |
| श्रम कार्ड        |              |                 |               |              |                 |               |              |                 |               |              |                 |               |
| मतदाता पहचान पत्र |              |                 |               |              |                 |               |              |                 |               |              |                 |               |
| जाति प्र.प.       |              |                 |               |              |                 |               |              |                 |               |              |                 |               |
| राशन कार्ड        |              |                 |               |              |                 |               |              |                 |               |              |                 |               |
| पेंशन             |              |                 |               |              |                 |               |              |                 |               |              |                 |               |
| आधार कार्ड        |              |                 |               |              |                 |               |              |                 |               |              |                 |               |
| RSBY कार्ड        |              |                 |               |              |                 |               |              |                 |               |              |                 |               |
| आवास              |              |                 |               |              |                 |               |              |                 |               |              |                 |               |

| स्वतंत्रता प्रशिक्षण/रोज़गार प्रशिक्षण           |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| भाग लेने का दिनांक:<br>सीखी गई उल्लेखनीय चीज़ें: |                                 |
| कार्यात्मक आकलन दिनांक:                          | उपचार योजना किए जाने का दिनांक: |

| संपूर्ण डोमेन-आधारित आकलन                                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>संरक्षण</b><br>शक्ति<br>आकलित आवश्यकता<br>लक्ष्य (अ.का. और दी.का.) कार्रवाई<br>परिणाम/टिप्पणियाँ         |  |
| <b>स्वास्थ्य</b><br>शक्ति<br>आकलित आवश्यकता<br>लक्ष्य (अ.का. और दी.का.) कार्रवाई<br>परिणाम/टिप्पणियाँ       |  |
| <b>आवास</b><br>शक्ति<br>आकलित आवश्यकता<br>लक्ष्य (अ.का. और दी.का.) कार्रवाई<br>परिणाम/टिप्पणियाँ            |  |
| <b>शिक्षा</b><br>शक्ति<br>आकलित आवश्यकता<br>लक्ष्य (अ.का. और दी.का.) कार्रवाई<br>परिणाम/टिप्पणियाँ          |  |
| <b>रोज़गार</b><br>शक्ति<br>आकलित आवश्यकता<br>लक्ष्य (अ.का. और दी.का.) कार्रवाई<br>परिणाम/टिप्पणियाँ         |  |
| <b>वित्तीय जानकारी</b><br>शक्ति<br>आकलित आवश्यकता<br>लक्ष्य (अ.का. और दी.का.) कार्रवाई<br>परिणाम/टिप्पणियाँ |  |

|                                                                                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div>सामुदायिक संलग्नता</div> <div>शक्ति</div> <div>आकलित आवश्यकता</div> <div>लक्ष्य (अ.का. और दी.का.) कार्रवाई</div> <div>परिणाम/टिप्पणियाँ</div> |  |
| <div>सदमे से उबरना</div> <div>शक्ति</div> <div>आकलित आवश्यकता</div> <div>लक्ष्य (अ.का. और दी.का.) कार्रवाई</div> <div>परिणाम/टिप्पणियाँ</div>      |  |
| <div>पारिवारिक संबंध</div> <div>शक्ति</div> <div>आकलित आवश्यकता</div> <div>लक्ष्य (अ.का. और दी.का.) कार्रवाई</div> <div>परिणाम/टिप्पणियाँ</div>    |  |

|                                  |  |                         |  |
|----------------------------------|--|-------------------------|--|
| <div>दिनांक:</div>               |  | <div>फील्ड कर्मी:</div> |  |
| <div>घर-पर-मुलाकात संख्या:</div> |  |                         |  |

परिशिष्ट 19: पीड़ित को क्षतिपूर्ति के लिए CrPC की धारा 357A(6) के तहत आवेदन का नमूना प्रारूप

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| सेवा में            | दिनांक: ..... |
| थाना प्रभारी (SHO), |               |
| पु.स्टे. ....       |               |
| ज़िला .....         |               |

विषय: IPC की धारा(ओं) 376 और 506 के तहत प्राथमिकी सं. ...., पु.स्टे. .... के संबंध में पीड़ित ..... की ओर से CrPC की धारा 357-A(6) के तहत आवेदन

आदरणीय महोदय,

आपके ध्यानार्थ लाना है कि ..... को आपके पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी सं. .... दर्ज हुई है। उक्त प्राथमिकी की एक प्रति संलग्नक - ..... के रूप में इस आवेदन के साथ संलग्न है।

जैसा आप महोदय अवगत होंगे कि उपर्युक्त योजना पीड़ित की वित्तीय सहायता आवश्यकता को पूरा करती है और मुकदमे का निर्णय आने तक पीड़ित को अंतरिम राहत देती है, अंतिम निर्णय का परिणाम चाहे जो हो। हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि तात्कालिक मामले में, <पीड़ित का नाम>, “पीड़ित” की परिभाषा, जैसी CrPC की धारा 2(c) में वर्णित है, के दायरे के भीतर आता है।

"पीड़ित का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे उस कृत्य या लोप जिसका आरोप आरोपित व्यक्ति पर लगा है, के कारण कोई हानि हुई है या चोट/क्षति पहुँची है और “पीड़ित” शब्द में उसके संरक्षक या कानूनी उत्तराधिकारी शामिल हैं।

आपसे शीघ्र उत्तर की आशा के साथ आपको धन्यवाद।

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| प्रति: ..... | इनके माध्यम से: ..... |
|--------------|-----------------------|

तमिलनाडु राज्य  
प्रतिनिधि  
पुलिस उप-अधीक्षक  
मरकडै अनुमंडल  
मरकडै

|                               |      |                  |
|-------------------------------|------|------------------|
|                               | बनाम | शिकायतकर्ता      |
| श्री कुमार रामस्वामी एवं अन्य |      | प्रतिवादी/आरोपित |

परिचय

1. यह वाद 28 नवंबर, 2014 को या उससे पहले मरकडै में घटित बंधुआ श्रम के उन्मूलन के बारे में है।
2. बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत बंधुआ श्रम प्रणाली दंडनीय अपराध है। भारतीय दंड संहिता दासता, मानव व्यापार और बलात् श्रम के अपराध को दंडनीय घोषित करती है। यह संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत भी निषिद्ध है। यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय इसे दासता के समान मानते हैं।
3. इस न्यायालय को दोनों आरोपितों द्वारा किए गए अपराधों के लिए दोनों को सज़ा देने का, बंधुआ श्रम के उन्मूलन की दिशा में क़दम उठाने का, और माननीय न्यायपालिका में पीड़ितों का विश्वास सुदृढ़ करने का अवसर और साक्ष्य मिला है।

पृष्ठभूमि तथ्य:

शिकायत

4. 28 नवंबर, 2014 को श्री प्रभु शिवांकर ने सरनकुडी पुलिस स्टेशन में बलात् श्रम के अपराधों के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी (“FIR”) सं. 336/2014 दर्ज कराई:
- a. कुमार रामस्वामी

b. वीलम ताडी

c. मलैसुकुर

d. कुमारना

e. देइवारा

f. सेलाराउ

g. तोमिल

h. पांडे वैरी

i. मुहम्मद जिन्ना

j. मयंक

परिशिष्ट 20: बंधुआ श्रम हस्तक्षेपों के तहत मुक़दमों में प्रस्तुत किए जाने वाले लिखित तर्कों का नमूना प्रारूप

माननीय प्रधान ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश, मरकडै के समक्ष

सत्र वाद सं: 334 वर्ष 2015

- k. अवडि
- l. वेधमनिकम

5. प्राथमिकी में लिखा है कि उपर्युक्त आरोपितों को निम्नलिखित उपबंधों के तहत अपराध करने के लिए गिरफ़्तार किया जा चुका है:
- a. धारा 3(i)(vi), अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

b. धाराएँ 370, 371, 374, भारतीय दंड संहिता, 1860

c. धाराएँ 9, 16, 17, 18, 20, बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976

d. धारा 3, बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986।

पीड़ितों का बचाव:

6. 28 नवंबर, 2014 को, पुलिस और मरकडै ज़िला प्रशासन के नेतृत्व में मारे गए छापे में सरनकुडि तालुक, मरकडै ज़िला के तिरगडम गाँव में एक ईट भट्ठे से बंधुआ श्रम के 136 पीड़ितों को छुड़ाया गया।
7. सभी रिहा बंधुआ श्रमिकों को मरकडै के ज़िलाधिकारी ने रिहाई प्रमाणपत्र स्वीकृत किए।

लगाए गए आरोप:

8. पुलिस ने 17 फ़रवरी, 2015 को आरोप-पत्र दायर किया। आरोप लगाए जाते समय, बाल श्रम निरोध अधिनियम के उपबंधों के तहत लगाए गए आरोप छोड़कर बाकी सभी आरोप कायम रहे।

मुक़दमा

9. वाद, जिसमें SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत आने वाले अपराधों का मुक़दमा शामिल था, को मुंसिफ़-सह-न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय, मरकडै से तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश (PCR) मदुरै भेजा गया जिसे SC सं. 221 वर्ष 2015 मिली और जिसका मुक़दमा लंबित है।
10. उसके बाद, जब SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 14 के तहत विशेष न्यायालयों का उपबंध लागू किया गया तो वाद को प्रधान सत्र न्यायालय, मरकडै भेज दिया गया और उसकी वाद संख्या बदलकर SC सं. 336 वर्ष 2015 हो गई।

क्रानून

इस न्यायालय के समक्ष नौ अलग-अलग अपराध हैं:

1. धारा 3(1)(vi), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (“SC/ST अधिनियम”) – किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के बंधुआ श्रमिक को बलात् श्रम के लिए फुसलाना और बाध्य करना।

2. धारा 370, भारतीय दंड संहिता, 1860 (“IPC”) – मानव व्यापार।

3. धारा 371, IPC – दासों की आदतन खरीद-बिक्री।

4. धारा 374, IPC – गैरक्रानूनी बाध्यकारी श्रम।

5. धारा 9, बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 (एतद्पश्चात “BLA”) – लेनदार को शमित ऋण के मद में भुगतान नहीं स्वीकारना है

6. धारा 16, BLA – बंधुआ श्रम लागू करना

7. धारा 17, BLA – बंधुआ श्रम को बढ़ावा देना

8. धारा 18, BLA – बंधुआ श्रम प्रणाली के तहत बंधुआ श्रम प्राप्त करना

9. धारा 20, BLA – बंधुआ श्रम को दुरुत्साहन देन

तर्क

- भाग I - बंधुआ श्रम की मौजूदगी

1. BLA के अनुसार बंधुआ श्रम प्रणाली के तत्व: आरोपितों पर BLA की धाराओं 9,16,17,18 और 20 के तहत अपराधों के आरोप लगे हैं। इन सभी अपराधों के लिए बंधुआ श्रम प्रणाली का लागू स्थिति में मौजूद होना आवश्यक है:

A. BLA की धारा 2(g) बंधुआ श्रम प्रणाली की यह परिभाषा देती है: बलात् या आंशिक रूप से बलात् श्रम की एक ऐसी प्रणाली जिसमें ऋणी यानी ऋण लेने वाला व्यक्ति ऋणदाता से इस आशय का करार करता है, या कर चुका होता है या परिकल्पित रूप से करता है या कर चुका होता है कि वह किसी अग्रिम राशि, या ऋण, या दायित्व के बदले स्वतंत्रताओं या अधिकारों को खो देगा। बंधुआ श्रम के अपराध के दो घटक इस प्रकार हैं:

a. कोई ऋणी किसी ऋणदाता यानी लेनदार से करार करता है

b. बलात् श्रम

- a. करार  
BLA की धाराओं 2(g)(i)-(v) में वे कारक बताए गए हैं जो ऋणी को लेनदार से करार करने पर बाध्य करते हैं; वे कारक इस प्रकार हैं:
- कोई अग्रिम (नकदी या वस्तु-रूप), या
  - कोई प्रथागत या सामाजिक दायित्व, या
  - उत्तराधिकार के माध्यम से आ पड़ा दायित्व, या
  - आर्थिक प्रतिलाभ, या
  - किसी समुदाय विशेष में जन्म के कारण।
- b. बलात् श्रम  
BLA की धारा 2(g) यह निर्धारित करती है कि किसे बलात् श्रम माना जाता है। धाराएँ 2(g)(1)-(4) यह स्पष्ट करती हैं कि जब कोई श्रमिक इनमें से कुछ भी करता है तो यह माना जाता है कि बंधुआ श्रम प्रणाली में “बलात् श्रम” मौजूद है:
- मामूली वेतन (न्यूनतम वेतन से कम वेतन) के बदले श्रम प्रदान करके न्यूनतम वेतन पाने का अधिकार खो देना, या
  - रोज़गार की स्वतंत्रता खो देना, या
  - आने-जाने की स्वतंत्रता खो देना, या
  - बाज़ार मूल्य पर वस्तुएँ बेचने का अधिकार खो देना।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पीपल्स यूनियन फ़ॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य<sup>228</sup> के मामले में इस तथ्य को दोहराते हुए ‘बलात् श्रम’ का दायरा और बढ़ा दिया कि यदि श्रम प्रदान करने वाले व्यक्ति को मिला पारिश्रमिक न्यूनतम वेतन से कम हो तो इसे “बलात् श्रम” माना जाएगा: “अतः हमारा यह विचार है कि जब कोई व्यक्ति न्यूनतम वेतन से कम पारिश्रमिक पर किसी और व्यक्ति को श्रम या सेवा प्रदान करता है, तो उसके द्वारा प्रदत्त श्रम या सेवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत स्पष्ट रूप से “बलात् श्रम” शब्दों के दायरे में आता है।”

बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ एवं अन्य<sup>229</sup> में भी सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि, “अतः जब भी कभी यह दर्शाया जाए कि किसी श्रमिक ने बलात् श्रम प्रदान किया है, तो न्यायालय यह पूर्वधारणा रखेगा (यानी यह मानकर चलेगा) कि श्रमिक के लिए किसी अग्रिम राशि या उसे मिले किसी अन्य आर्थिक प्रतिलाभ के बदले ऐसा करना आवश्यक किया गया था, और अतैव वह एक बंधुआ श्रमिक है। इस पूर्वधारणा का खंडन नियोक्ता द्वारा और राज्य सरकार द्वारा भी किया जा सकता है यदि वह ऐसा करने का विकल्प चुने, पर तब तक नहीं जब तक इस पूर्वधारणा के खंडन हेतु संतोषजनक सामग्री न प्रदान कर दी जाए, और तब तक न्यायालय को इसी आधार पर आगे बढ़ना होगा कि श्रमिक एक बंधुआ श्रमिक है और अधिनियम के उपबंधों का लाभ पाने का अधिकारी है। राज्य सरकार को बंधुआ श्रमिकों की पहचान करने, उन्हें रिहा कराने और उनका पुनर्वास कराने के अपने दायित्व के परित्याग की अनुमति इस तर्क के आधार पर नहीं दी जा सकती है कि भले ही संबंधित श्रमिक संभवतः बलात् श्रम प्रदान कर रहे थे पर राज्य सरकार पर उनके प्रति तब तक कोई दायित्व नहीं बनता है जब तक वे विरोधात्मक न्याय प्रणाली के नियमों के अनुसार संचालित किसी उपयुक्त कानूनी कार्यवाही में यह न दिखा दें कि वे बंधुआ श्रमिक हैं।”

- प्रस्तुत वाद में बंधुआ श्रम प्रणाली के मजबूत तत्वों की मौजूदगी: इस वाद के तथ्य, जो पीड़ितों यथा PW 2, 3, 4, 6, 7, 9 लगायत 31 के बयानों से प्रमाणित हैं, आरोपित के ईंट भट्ठे में बंधुआ श्रम प्रणाली की मौजूदगी स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं।

- A. करार  
बंधुआ श्रम की मौजूदगी को सिद्ध करने के लिए जिस पहले तत्व का होना आवश्यक है वह है लेनदार और ऋणी के बीच करार। धारा 2(g)(i) के अनुसार, ऐसे करार का एक उदाहरण है “उसके द्वारा या उसके किसी भी वंशज द्वारा प्राप्त किसी अग्रिम (चाहे उस अग्रिम के साक्ष्य स्वरूप कोई दस्तावेज़ हो अथवा नहीं) के बदले और उक्त अग्रिम पर देय ब्याज, यदि कोई हो, के बदले” श्रमिक बलात् श्रम को स्वीकारता है।
- A. प्रस्तुत वाद में अन्य के साथ-साथ PW (2), (5), (6), (9) और (31) के बयानों से बंधुआ श्रम अधिनियम, 1976 की धारा 2(g)(i) के अनुसार ‘अग्रिम के बदले में’ किया गया करार स्पष्ट है; उक्त बयान नीचे उल्लिखित हैं।
- PW 2 ने कहा कि “प्रति एक हजार ईंटों के लिए ₹135.00 (रुपये एक सौ पैंतीस मात्र) में से, मुहम्मद जिन्ना ₹10,000.00 (रुपये दस हजार मात्र) के अग्रिम के मद में ₹85.00 (रुपये पचासी मात्र) काटने के बाद केवल ₹50.00 (रुपये पचास मात्र) दिया करता था।”

[यहाँ, गवाह PW 2 के बयान के प्रासंगिक अंश को तमिल में या न्यायालय की आधिकारिक स्थानीय भाषा में, उसी स्थानीय भाषा की लिपि का उपयोग करते हुए लिखें --- इसी प्रकार, लिखित निवेदनों में उद्धृत हर गवाह के बयान से भी ऐसे प्रासंगिक अंश, अधिकतम संभव सीमा तक, लिखें<sup>177</sup>]

- PW 5 ने कहा, “मैं सरनकुडि लट्टी चैंबर भट्ठे में ईंट बनाने के काम पर नियुक्त था। उस समय मेरा दैनिक भुगतान ₹130.00 (रुपये एक सौ तीस मात्र) था पर मेरे हाथ में ₹50.00 (रुपये पचास मात्र) दिए जाते थे। शेष धन काट लिया जाता था। वह राशि मेरे द्वारा लिए गए ऋण के मद में काटी जाती थी।”

- PW 6 ने कहा कि, “हमने एक एजेंट के ज़रिए अग्रिम राशि पाने के बाद श्रमिक के रूप में भट्ठे पर काम करना शुरू किया था। 1,000 ईंटें काटने के लिए ₹135.00 (रुपये एक सौ पैंतीस मात्र) का वेतन मिलता था पर मुहम्मद जिन्ना केवल ₹50.00 (रुपये पचास मात्र) देता था और पांडे अग्रिम के मद में ₹85.00 (रुपये पचासी मात्र) काट लेता था।”

- PW 7 ने कहा कि“...एक एजेंट के ज़रिए मैं खुद, मेरी पत्नी और मेरे पिता श्रमिक के रूप में भट्ठे पर काम करने गए थे। केवल मेरे पिता को पता था कि अग्रिम के रूप में हमें कितनी राशि मिली थी।”

- PW 9 ने अपने बयान में कहा कि, “एक एजेंट के ज़रिए मुझे अग्रिम के रूप में ₹5,000.00 (रुपये पाँच हजार मात्र) की राशि मिली थी और मैंने लट्टी चैंबर्स पर काम करना शुरू किया। 1,000 ईंटों के लिए ₹135.00 (रुपये एक सौ पैंतीस मात्र) का वेतन तय था। पर वे केवल ₹50.00 (रुपये पचास मात्र) देते थे और ₹85.00 (रुपये पचासी मात्र) अग्रिम के मद में ले लेते थे।”

- PW 10 ने कहा कि, “हमने एक एजेंट के ज़रिए ₹5,000.00 (रुपये पाँच हजार मात्र) की अग्रिम राशि पाने के बाद भट्ठे पर काम करना शुरू किया था। 1,000 ईंटें काटने के लिए ₹135.00 (रुपये एक सौ पैंतीस मात्र) का वेतन तय था। पर उसमें से वे केवल ₹50.00 (रुपये पचास मात्र) हमें देते थे और ₹85.00 (रुपये पचासी मात्र) अग्रिम के मद में ले लेते थे।”

- PW 11 ने कहा कि, “मैंने 2011 में लट्टी चैंबर्स पर काम करना शुरू किया था। मुझे अग्रिम राशि के रूप में ₹10,000.00 (रुपये दस हजार मात्र) मिले थे। 1,000 ईंटें काटने के लिए वे बस ₹50.00 (रुपये पचास मात्र) दिया करते थे।”

- PW 12 ने कहा कि “एक एजेंट के ज़रिए मुझे अग्रिम के रूप में ₹5,000.00 (रुपये रुपये पाँच हजार मात्र) की राशि मिली थी और मैंने व मेरी पत्नी ने लट्टी चैंबर्स पर काम करना शुरू किया। 1,000 ईंटें काटने के लिए ₹135.00 (रुपये एक सौ पैंतीस मात्र) का वेतन तय था। पर अवडि और मयंक उसमें से केवल ₹50.00 (रुपये पचास मात्र) हमें देते थे और मुहम्मद जिन्ना और पांडे ₹85.00 (रुपये पचासी मात्र) अग्रिम के मद में ले लेते थे।”

- PW 13 ने कहा कि, “जब मैंने एक एजेंट के ज़रिए लट्टी पर काम करना शुरू किया तो उन्होंने हमारे परिवार को अग्रिम के रूप में ₹10,000.00 (रुपये दस हजार मात्र) दिए। एक हजार ईंटों के लिए ₹135.00 (रुपये एक सौ पैंतीस मात्र) का वेतन तय था। उसमें से आरोपित अग्रिम के मद में ₹85.00 (रुपये पचासी मात्र) ले लेते थे।”

- PW 14 ने कहा कि, “ईंट भट्ठे की ओर से हमारे परिवार को ₹5,000.00 (रुपये पाँच हजार मात्र) की राशि अग्रिम के रूप में मिली थी।”

- PW 15 ने कहा कि, “एक एजेंट के ज़रिए हमारे पूरे परिवार ने वर्ष 2002 में लट्टी पर काम करना शुरू किया और हमें ₹5,000.00 (रुपये पाँच हजार मात्र) की राशि अग्रिम के रूप में मिली थी।”

- PW 16 ने कहा कि, “एक सुपरवाइज़र के ज़रिए मैंने ₹5,000.00 (रुपये पाँच हजार मात्र) की राशि अग्रिम के रूप में पाने के बाद लट्टी चैंबर्स में काम करना शुरू किया।”

- PW 17 ने कहा कि, “2011-2012 में लट्टी चैंबर्स के स्वामी से मुझे ₹5,000.00 (रुपये पाँच हजार मात्र) की राशि अग्रिम के रूप में मिली थी। एक हजार ईंटें काटने के लिए ₹135.00 (रुपये एक सौ पैंतीस मात्र) का वेतन तय था। उसमें से वे ₹85.00 (रुपये पचासी मात्र) अग्रिम के मद में ले लेते थे और हमें केवल ₹50.00 (रुपये पचास मात्र) देते थे।”

.....

<sup>177</sup> अधिकांश भारतीय भाषाओं के लिए स्थानीय भाषा लिपि में पाठ्य लिखने की टेक्नॉलजी उपलब्ध है। जहाँ ऐसी टेक्नॉलजी न हो वहाँ आप इसे किसी व्यक्ति से लिखवा सकते हैं।

- ▶ PW 18 ने कहा कि, “सुपरवाइज़र पिचाई के ज़रिए हमें ₹10,000.00 की राशि अग्रिम के रूप में मिलने के बाद मैंने, मेरी पत्नी ने और मेरे बेटे ने लट्टी चैंबर्स में श्रमिकों के रूप में काम करना शुरू किया।”
- ▶ PW 19 ने कहा कि, “हमने सुपरवाइज़र मरिमुतु के ज़रिए लट्टी चैंबर्स पर काम करना शुरू किया और उन्होंने हमें ₹5,000.00 (रुपये पाँच हजार मात्र) की राशि अग्रिम के रूप में दी। एक हजार ईंटें काटने के लिए ₹135.00 (रुपये एक सौ पैंतीस मात्र) का वेतन तय था। उसमें से वे ₹85.00 (रुपये पचासी मात्र) अग्रिम के मद में ले लेते थे और हमें केवल ₹50.00 (रुपये पचास मात्र) देते थे।”
- ▶ PW 20 ने कहा कि, “नौ वर्ष पहले मैंने लट्टी चैंबर्स में काम करना शुरू किया था और तब मुझे ₹5,000.00 (रुपये पाँच हजार मात्र) की राशि अग्रिम के रूप में मिली थी। स्वामी ने वह अग्रिम राशि एक एजेंट के ज़रिए दी थी। एक हजार ईंटें काटने के लिए ₹135.00 (रुपये एक सौ पैंतीस मात्र) का वेतन तय था, जिसमें से वे ₹85.00 (रुपये पचासी मात्र) अग्रिम के मद में ले लेते थे और हमें केवल ₹50.00 (रुपये पचास मात्र) देते थे।”
- ▶ PW 21 ने कहा कि, “मैंने ₹5,000.00 (रुपये पाँच हजार मात्र) की राशि अग्रिम के रूप में पाने के बाद लट्टी चैंबर्स पर काम करना शुरू किया था। एक हजार ईंटें काटने के लिए ₹135.00 (रुपये एक सौ पैंतीस मात्र) का वेतन तय था, जिसमें से वे ₹85.00 (रुपये पचासी मात्र) अग्रिम के मद में ले लेते थे और हमें केवल ₹50.00 (रुपये पचास मात्र) देते थे।”
- ▶ PW 22 ने कहा कि, “एक एजेंट के ज़रिए मुझे ₹10,000.00 (रुपये दस हजार मात्र) की राशि अग्रिम के रूप में मिली थी। 1,000 ईंटें काटने के लिए वे ₹50.00 (रुपये पचास मात्र) देते थे और ₹85.00 (रुपये पचासी मात्र) अग्रिम के मद में काट लेते थे।”
- ▶ PW 23 ने कहा कि, “मैंने सीधे ही लट्टी चैंबर्स पर श्रमिक के रूप में काम करना शुरू किया था। उन्होंने ₹8,000.00 (रुपये आठ हजार मात्र) की राशि अग्रिम के रूप में दी थी। हमें 1,000 ईंटें काटने पर आरोपित ₹85.00 (रुपये पचासी मात्र) अग्रिम के मद में काटने के बाद हमें केवल ₹50.00 (रुपये पचास मात्र) देते थे।”
- ▶ PW 24 ने कहा कि, “एक एजेंट के ज़रिए मुझे अग्रिम के रूप में ₹5,000.00 (रुपये पाँच हजार मात्र) की राशि मिली थी और मैंने लट्टी चैंबर्स पर श्रमिक के रूप में काम करना शुरू किया। एक हजार ईंटें काटने के लिए ₹135.00 (रुपये एक सौ पैंतीस मात्र) का वेतन तय था, जिसमें से आरोपित ₹85.00 (रुपये पचासी मात्र) अग्रिम के मद में ले लेते थे और हमें केवल ₹50.00 (रुपये पचास मात्र) देते थे।”
- ▶ PW 25 ने कहा कि, “₹5,000.00 (रुपये पाँच हजार मात्र) की राशि अग्रिम के रूप में पाने के बाद मैंने लट्टी चैंबर्स में काम करना शुरू किया था। मैं वहाँ एक झोपड़ी में रहता था। एक हजार ईंटें काटने के लिए ₹135.00 (रुपये एक सौ पैंतीस मात्र) का वेतन तय था, जिसमें से आरोपित ₹85.00 (रुपये पचासी मात्र) अग्रिम के मद में ले लेते थे और हमें केवल ₹50.00 (रुपये पचास मात्र) देते थे।”
- ▶ PW 26 ने कहा कि, “सुपरवाइज़र मरतुर सेकर के ज़रिए मुझे ₹10,000.00 (रुपये दस हजार मात्र) अग्रिम के रूप में मिले थे, मैं चैंबर के भीतर एक झोपड़ी में रहता था और काम करता था। 1,000 ईंटें काटने के लिए ₹135.00 (रुपये एक सौ पैंतीस मात्र) का वेतन तय था। उसमें से आरोपित हमें ₹50.00 (रुपये पचास मात्र) देते थे और बाकी के ₹85.00 (रुपये पचासी मात्र) अग्रिम के मद में काट लेते थे।”
- ▶ PW 27 ने कहा कि, “एक एजेंट हमें लट्टी चैंबर्स ले गया था। उसने हमें अग्रिम राशि के रूप में ₹10,000.00 (रुपये दस हजार मात्र) दिलवाए। मैं और मेरी पत्नी रोजाना 1,000 ईंटें काट सकते हैं। उसके लिए ₹135.00 (रुपये एक सौ पैंतीस मात्र) का वेतन तय था जिस में से वे हमें केवल ₹50.00 (रुपये पचास मात्र) देते थे और ₹85.00 (रुपये पचासी मात्र) अग्रिम के मद में काट लेते थे।”
- ▶ PW 28 ने कहा कि, “एजेंट के ज़रिए आरोपितों ने हमें अग्रिम राशि दी थी।”
- ▶ PW 29 ने कहा कि, “एजेंट ने हमें ₹5,000.00 (रुपये पाँच हजार मात्र) की राशि अग्रिम के रूप में दिलवाई। 1,000 ईंटें काटने के लिए ₹135.00 (रुपये एक सौ पैंतीस मात्र) का वेतन तय था। पर उसमें से वे केवल ₹50.00 (रुपये पचास मात्र) हमें देते थे और ₹85.00 (रुपये पचासी मात्र) अग्रिम के मद में ले लेते थे।”
- ▶ PW 30 ने कहा कि, “एक व्यक्ति हमें लट्टी चैंबर्स ले गया और हमें ₹5,000.00 (रुपये पाँच हजार मात्र) की राशि अग्रिम के रूप में दी। उसके लिए ₹135.00 (रुपये एक सौ पैंतीस मात्र) का वेतन तय था जिस में से वे हमें केवल ₹50.00 (रुपये पचास मात्र) देते थे और ₹85.00 (रुपये पचासी मात्र) अग्रिम के मद में काट लेते थे।”

- ▶ PW 31 ने कहा कि, “एक व्यक्ति के ज़रिए हमारे पूरे परिवार ने श्रमिकों के रूप में लट्टी चैंबर्स में काम करना शुरू किया था। मुझे अग्रिम राशि के रूप में ₹10,000.00 (रुपये दस हजार मात्र) मिले थे।”

इसलिए, उपर्युक्त सरकारी अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाहियों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि श्रमिकों और उपर्युक्त लेनदारों के बीच ‘अग्रिम के बदले में’ करार मौजूद है। जैसा ऊपर कहा गया है, PW को एक राशि विशेष का अग्रिम मिलने के बाद उन्होंने खुद को बंधुआ श्रम की गैरकानूनी प्रथा की अधीनता स्वीकारने के लिए विवश पाया। उदाहरण के लिए, PW 2 के बयान के उचित पठन से यह स्पष्ट है कि ईंट भट्ठे ने उसे ₹10,000.00 (रुपये दस हजार मात्र) की राशि अग्रिम के रूप में दी थी। इस रूप में, भुगतान की विधि और साधन, जैसा कथित है, केवल उसकी कुल वेतन राशि यानी ₹135.00 (रुपये एक सौ पैंतीस मात्र) में से कटौती था, जिसमें से ₹85.00 (रुपये पचासी मात्र) काट लिए जाते थे और श्रमिक के पास ₹50.00 (रुपये पचास मात्र) की राशि बचती थी।

- B. बलात् श्रम
- जैसा ऊपर उद्धृत सर्वोच्च न्यायालय के मामलों नामतः i.) पीपल्स यूनियन फ़ॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ एवं अन्य, और ii) बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ एवं अन्य, में कथित है, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत उसे प्राप्त शक्ति द्वारा ‘बलात् श्रम’ के संबंध में प्राधिकार के साथ यह निर्देश जारी किया है कि:
- c. यदि किसी व्यक्ति को किसी अनुसूचित रोजगार विशेष के लिए न्यूनतम वेतन अधिनियम 1984 के तहत वर्तमान में अधिसूचित न्यूनतम वेतन से कम पारिश्रमिक मिलता है, तो उस व्यक्ति द्वारा प्रदत्त श्रम या सेवा भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत स्पष्ट रूप से “बलात् श्रम” शब्दों के दायरे में आती है, और
- d. यदि किसी श्रमिक से बलात् श्रम प्रदान करवाया जाता है, तो बंधुआ श्रम व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अर्थों में उसे बंधुआ श्रमिक माना जाता है।

अतः बंधुआ श्रम प्रणाली की मौजूदगी सिद्ध करने हेतु आवश्यक दूसरा तत्व, यानी “बलात् श्रम”, ऊपर PW के बयानों से स्पष्ट है। PW 2, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 के बयानों से यह स्पष्ट है कि सभी श्रमिकों को 1,000 ईंटें बनाने के लिए ₹135.00 (रुपये एक सौ पैंतीस मात्र) का वेतन मिलता था और जैसा PW 2 ने कहा है, ईंट भट्ठा फिर उन्हें मिली अग्रिम राशि के मद में ₹85.00 (रुपये पचासी मात्र) काट लेता था। इसका यह अर्थ है कि एक श्रमिक को दिन भर के काम के लिए ₹50.00 (रुपये पचास मात्र) मिलते थे। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार वर्ष 2011 में न्यूनतम वेतन ₹80.00 (रुपये अस्सी मात्र) था, हालाँकि, 1 अप्रैल, 2011 से न्यूनतम वेतन का राष्ट्रीय न्यूनतम स्तर बढ़ाकर ₹115.00 (रुपये एक सौ पंद्रह मात्र) कर दिया गया था। पर श्रमिकों को ₹50.00 (रुपये पचास मात्र) प्रति दिन की दर से भुगतान किया जा रहा था। यह राशि न्यूनतम वेतन से काफी कम है। इस प्रकार, गैरकानूनी कटौतियों के कारण, सभी पीड़ितों ने BLA की धारा 2(g)(1) में स्थापित अपना न्यूनतम वेतन पाने का अधिकार खो दिया था, और इस प्रकार सभी श्रमिक अनुच्छेद 23 के शब्द ‘बलात् श्रमिक’ तथा बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अर्थों में शब्द ‘बंधुआ श्रमिक’ के दायरे में आते हैं।

तात्कालिक वाद में, यह पहले ही सिद्ध किया जा चुका है कि एक “अग्रिम”, जिसने बंधुआ ऋण का रूप ले लिया था, के बदले में एक “करार” हुआ था। इस बंधुआ ऋण के फलस्वरूप, इन बंधुआ श्रमिकों ने ऐसे कई अधिकार खो दिए थे जिनका खोना उन्हें बंधुआ श्रम प्रणाली के दायरे में आने के योग्य बनाता है; वे निम्नलिखित से संबंधित हैं और उन्हें बंधुआ श्रम अधिनियम, 1976 की धारा 2(g)(i) (1) (2) (3) के साथ पढ़ा जाना है:

1. मामूली वेतन (न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन) पर श्रम प्रदान करके न्यूनतम वेतन पाने का अधिकार खोना: ऊपर उल्लिखित PW के बयानों के ज़रिए यह पहले ही सिद्ध किया जा चुका है कि ईंट भट्ठे के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन की राशि से कम वेतन मिल रहा था, क्योंकि उन्हें ₹85.00 (रुपये पचासी मात्र) की कटौतियों के बाद ₹50.00 (रुपये पचास मात्र) प्रत्येक की दर से भुगतान किया जाता था। प्रस्तुत वाद में गैरकानूनी कटौती (न्यूनतम वेतन (केंद्रीय) नियम, 1950 के तहत): न्यूनतम वेतन (केंद्रीय) नियम, 1950 की धारा 21(2)(vi) के तहत, “अग्रिम की वसूली हेतु कटौतियाँ” “नियुक्त व्यक्ति के दो कैलेंडर माह के वेतन के बराबर राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए और, किसी भी स्थिति में, कटौती की मासिक किस्त उस माह में अर्जित वेतन के एक-चौथाई से अधिक नहीं होगी”।

हालाँकि प्रस्तुत वाद में, सरकारी अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों के अनुसार, यह सिद्ध हुआ है कि ₹135.00 (रुपये एक सौ पैंतीस मात्र) की राशि में से ₹85.00 (रुपये पचासी मात्र) की कटौती गैरकानूनी ढंग से की जा रही थी, जिसके कारण श्रमिक के हाथ में केवल ₹50.00 (रुपये पचास मात्र) का वेतन बचता था।

लेनदार द्वारा की जाने वाली यह कटौती गैरकानूनी है, क्योंकि किसी अग्रिम की वसूली हेतु कटौती केवल तब अनुमन्य है जब वह उस माह में अर्जित वेतन के एक-चौथाई से अधिक न हो।

हालाँकि, जैसा नीचे तालिका में इंगित है, लेनदारों द्वारा की जाने वाली वर्तमान कटौती श्रमिकों की कुल वेतन राशि की लगभग तीन-चौथाई है।

| कुल वेतन<br>(कटौती के बिना)                 | कटौतियों की कुल राशि                     | हाथ में कुल वेतन<br>(कटौतियों के बाद)                                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ₹135.00 (प्रतिदिन) x 26 (कार्य दिवस)        | ₹85.00 (प्रतिदिन) x 26 (कार्य दिवस)      | [कुल वेतन – कटौती = हाथ में वेतन] x (कार्य दिवस) = [₹135.00 – ₹85.00 = ₹50.00] x 26 = ₹1,300.00 (रुपये एक हजार तीन सौ मात्र) |
| ₹3,510.00 (रुपये तीन हजार पाँच सौ दस मात्र) | ₹2,210.00 (रुपये दो हजार दो सौ दस मात्र) | ₹1,300.00 (रुपये एक हजार तीन सौ मात्र)                                                                                       |

यह कि न्यूनतम वेतन (केंद्रीय) नियम, 1950 की धारा 21(2)(vi) के तहत, ₹85.00 (रुपये पचासी मात्र) की कटौती की मासिक किस्त गैरकानूनी है क्योंकि वह “उस माह में अर्जित वेतन के एक-चौथाई से अधिक है”।

यह भी कि, बंधुआ ऋण वसूलना वैसे भी बंधुआ श्रम अधिनियम, 1976 के तहत एक दंडनीय अपराध है क्योंकि बंधुआ श्रमिक पर बंधुआ ऋण चुकाने का कोई दायित्व नहीं होता है।

2. रोज़गार की स्वतंत्रता खो देना

PW 2 ने कहा कि, “जब हम यहाँ काम कर रहे थे तो वे हमें कहीं और काम करने नहीं जाने देते थे ... हर शनिवार, जब हम साप्ताहिक मंडी जाते थे, तो वे हमारे परिवार में से केवल एक व्यक्ति को जाने देते थे।”

PW 14 ने अपने बयान में कहा कि, “हम लट्टी में काम करते और वहीं रहते थे। मंडी जाने के लिए, परिवार में से केवल एक पुरुष सदस्य अकेले जा सकता था और सभी महिलाओं को चैंबर में ही रुकना पड़ता था। अपने पैतृक गाँव जाने के लिए, परिवार के केवल एक सदस्य को ही अनुमति मिलती थी और अन्य सदस्य(यों) वहीं रुकना पड़ता था। जब हम मंडी गए तो हम एक परोपकारी संस्था से मिले और उन्हें लिखित में अनुरोध दिया। हम दासों की तरह जीते थे। हमें भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ता था। हमने उनसे कहा कि वे हमें यहाँ से छुड़ाएँ।”

PW 3, 4, 6, 11 से 13, 15, 17 से 20, 24 से 28, 30, 31 ने भी अपने-अपने बयानों में कहा है कि उन्हें सपरिवार बाहर जाने की अनुमति नहीं थी और उन्हें चैंबर में ही रुकना पड़ता था। इस वाद में पीड़ितों ने आरोपित के ईंट भट्ठे को छोड़कर कहीं और काम करने का अपना अधिकार खो दिया था। अतः उन्हें आरोपित के ईंट भट्ठे पर श्रम करने को छोड़कर, कोई अन्य रोज़गार ढूँढ़ने की स्वतंत्रता नहीं दी गई थी, अग्रिम राशि के भुगतान के प्रयोजन से भी नहीं। ऐसी स्थिति में जब पीड़ितों को ईंट भट्ठे से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी, तो श्रमिकों के लिए कोई अन्य रोज़गार ढूँढ़ना संभव नहीं था, उन्हें मिले अग्रिम को चुकाने के लिए भी नहीं। रोज़गार का कोई अन्य स्रोत ढूँढ़ने पर इस प्रतिबंध से यह सिद्ध होता है कि उन्होंने अपनी रोज़गार की स्वतंत्रता, जैसी बंधुआ श्रम अधिनियम, 1976 की धारा 2(g)(2) में वर्णित है, खो दी थी।

3. आने-जाने की स्वतंत्रता खो देना, या

PW 2 के बयान को और आगे पढ़ने से यह प्रत्यक्षतः स्पष्ट हो जाता है कि श्रमिकों ने ईंट भट्ठे के परिसर को छोड़कर और कहीं भी आने-जाने की अपनी स्वतंत्रता भी खो दी थी। जैसा PW 2 के बयान में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है: “जब हम उक्त ईंट भट्ठे के भीतर रह रहे और काम कर रहे थे, तो वे हमें बाहर कहीं भी जाकर काम करने नहीं देते थे। बल्कि, जब हमारा बाहर जाना ज़रूरी होता था, तो हम ईंट भट्ठे को सूचना देने के बाद ही जा सकते थे। इसके अलावा, सप्ताह में एक बार, केवल शनिवार को, परिवार के केवल एक व्यक्ति को ज़रूरी सामान खरीदने के लिए मंडी जाने दिया जाता था। इस प्रकार, हमें ज़रूरी सामान मंडी से खरीदने पड़ते थे और चैंबर के भीतर काम करना पड़ता था।”

PW 14 ने अपने बयान में कहा है कि, “काम करने के दौरान हम केवल लट्टी के भीतर ही रहते थे। यदि हमें मंडी

जाना होता था तो केवल कोई पुरुष जाता था। महिलाओं को वहीं रुकना पड़ता था। यदि हमें गाँव जाना होता था, तो किसी एक व्यक्ति को रुकना पड़ता था, और दूसरा व्यक्ति गाँव जाकर आता था।”

PW 12 ने कहा कि, “हम वहीं रहा करते थे। हममें से एक व्यक्ति राशन खरीदने बाहर जाता था। हमारे गाँव हममें से केवल एक ही जा सकता था...”

PW 13 ने कहा कि, “मैं और मेरी पत्नी चैंबर में ही रहकर वहीं काम करते थे। ज़रूरी सामान खरीदने मंडी जाने के लिए, हममें से केवल एक को जाने दिया जाता था।”

PW 2, 3, 4, 6, 15, 17 से 20, 24 से 28, 30, 31 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि आरोपित उन्हें उनकी इच्छानुसार ईंट भट्ठे से बाहर जाने नहीं देते थे। यदि वे जाते भी थे तो उन्हें किसी एक को पीछे छोड़ना पड़ता था। इससे बिना किसी संदेह के स्पष्ट है कि पीड़ितों की आने-जाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध था और उन्होंने अपनी स्वतंत्रता, जैसी BLA की धारा 2(g)(3) द्वारा आवश्यक की गई है, खो दी थी।

BLA यह आवश्यक करता है कि [बंधुआ श्रम का होना सिद्ध करने के लिए] चार स्वतंत्रताओं या अधिकारों में से मात्र एक का खोया जाना काफ़ी है। जबकि इस वाद में पीड़ितों के बयान यह सिद्ध करते हैं कि उन्होंने अपना न्यूनतम वेतन पाने का अधिकार, अपनी आने-जाने की स्वतंत्रता, और अपनी रोज़गार की स्वतंत्रता खो दी थीं।

C. रमाण का भार आरोपित पर (BLA की धारा 15)

BLA की धारा 15 के अनुसार, “जब भी कभी किसी बंधुआ श्रमिक द्वारा, या सतर्कता समिति द्वारा, किसी ऋण का दावा किया जाता है तो, उक्त ऋण बंधुआ ऋण नहीं है इसका प्रमाण देने का भार लेनदार पर होता है।” मुकदमे के दौरान किसी भी बिंदु पर आरोपित ने यह सिद्ध नहीं किया कि बंधुआ श्रमिकों का ऋण बंधुआ ऋण नहीं है। बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम के तहत आने वाले सभी अपराध, ऋण पर निर्भर होते हैं।

भाग II - आरोपित के विरुद्ध बंधुआ श्रम अपराधों का प्रमाण

1. पहला अपराध: आरोपित ने BLA की धारा 9 के तहत समाप्त किए गए ऋण के मद में भुगतान स्वीकारा।

BLA की धारा 9 कहती है कि, “(1) कोई भी लेनदार ऐसे किसी भी बंधुआ ऋण के मद में कोई भी भुगतान नहीं स्वीकारेगा जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के आधार पर समाप्त कर दिया गया है या समाप्त किया गया माना गया है या पूर्णतः अदा माना गया है। (2) जो भी व्यक्ति उप-धारा (1) का उल्लंघन करेगा उसे अधिकतम तीन वर्षों तक के कारावास और जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है। (3) न्यायालय, किसी व्यक्ति को उप-धारा (2) के तहत दोषी घोषित करने पर, उस उप-धारा के तहत दी जा सकने वाली सज़ाओं के साथ-साथ, उस व्यक्ति को उप-धारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन में स्वीकारी गई राशि, बंधुआ श्रमिक को लौटाए जाने के लिए आदेश में निर्दिष्ट अवधि के भीतर जमा करने का निर्देश भी दे सकता है।”

आरोपित ने यह अपराध किया है यह सिद्ध करने के लिए सरकारी अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना होता है कि:

- a. आरोपित ने बंधुआ ऋण के मद में भुगतान स्वीकारा।
- b. बंधुआ ऋण समाप्त किया जा चुका था या समाप्त किया गया माना जा चुका था।

गवाहों के मौखिक साक्ष्य के आधार पर, सरकारी अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में सफल रहा है कि:

- a. आरोपित ने बंधुआ ऋण के मद में भुगतान स्वीकारा।  
BLA की धारा 2(d) में दी गई परिभाषा के अनुसार बंधुआ ऋण का अर्थ है “एक ऐसा अग्रिम जो बंधुआ श्रम प्रणाली के तहत या उसके अनुसरण में, किसी बंधुआ श्रमिक ने लिया है या यह माना गया है कि उसने लिया है।”

जैसा भाग I में प्रदर्शित है, पीड़ित आरोपित द्वारा संचालित बंधुआ श्रम प्रणाली की गिरफ्त में थे। प्रश्नगत ऋण निःसंदेह एक ‘बंधुआ ऋण’ है क्योंकि प्रस्तुत वाद में बंधुआ श्रमिकों को एक ‘अग्रिम’ प्राप्त हुआ था जिसने, BLA, 1976 की धारा 2(g) के अनुसार, बंधुआ श्रम प्रणाली के भीतर एक बंधुआ ऋण का रूप ले लिया था; जिसके कारण श्रमिकों ने (i) न्यूनतम वेतन के बिना कार्य किया, या (ii) उन्होंने रोज़गार की स्वतंत्रता खो दी, या (iii) और उन्होंने आने-जाने की स्वतंत्रता भी खो दी।

BLA की धारा 2(d) में दी गई परिभाषा के अनुसार अग्रिम का अर्थ है, “किसी एक व्यक्ति (एतदपश्चात “लेनदार”) द्वारा किसी अन्य व्यक्ति (एतदपश्चात “ऋणी”) को नक़द रूप में या वस्तु रूप में, अथवा आंशिक रूप से नक़द रूप में या आंशिक रूप से वस्तु रूप में दिया गया अग्रिम”।

नीचे उल्लिखित गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आरोपित (लेनदार) ने बंधुआ श्रमिकों को अग्रिम के रूप में नक़दी दी थी:

- ▶ PW 2 ने कहा है कि, “प्रति एक हज़ार ईंटों के लिए ₹135.00 (रुपये एक सौ पैंतीस मात्र) के वेतन में से, वे ₹10,000.00 (रुपये दस हज़ार मात्र) के अग्रिम के मद में ₹85.00 (रुपये पचासी मात्र) काटने के बाद हमें बस ₹50.00 (रुपये पचास मात्र) देते थे।”
- ▶ PW 17 ने कहा कि, “2011-2012 में लट्टी चैंबर्स के स्वामी से मुझे ₹5,000.00 (रुपये पाँच हज़ार मात्र) की राशि अग्रिम के रूप में मिली थी।”
- ▶ PW 18 ने कहा कि, “सुपरवाइज़र पिचाई के ज़रिए मुझे ₹10,000.00 (रुपये दस हज़ार मात्र) की राशि अग्रिम के रूप में मिली थी।”
- ▶ PW 19 ने कहा कि, “हमने सुपरवाइज़र मरिमुतु के ज़रिए लट्टी चैंबर्स पर काम करना शुरू किया और उन्होंने हमें ₹5,000.00 (रुपये पाँच हज़ार मात्र) की राशि अग्रिम के रूप में दी।”
- ▶ PW 20 ने कहा कि, “नौ वर्ष पहले मैंने लट्टी चैंबर्स में काम करना शुरू किया था और तब मुझे ₹5,000.00 (रुपये पाँच हज़ार मात्र) की राशि अग्रिम के रूप में मिली थी। स्वामी ने वह अग्रिम राशि एक एजेंट के ज़रिए दी थी।”
- ▶ PW 28 ने कहा है कि, “हमने 1 वर्ष तक काम किया। हमने चैंबर में पत्थर बनाए। हम रोज़ाना 1,500 से 1,700 पत्थर बनाते थे। वे हर 1,000 पत्थरों के लिए ₹135.00 (रुपये एक सौ पैंतीस मात्र) का वेतन देते थे। वे सारा वेतन अपने पास रोक लेते थे। हर शनिवार को वे मंडी के लिए ₹100.00 (रुपये एक सौ मात्र) देते थे। हम रात 12 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक काम करते थे। हम चैंबर में रहते थे और वहीं काम करते थे। मैं और मेरी पत्नी चैंबर में रहते थे और हम दोनों काम करते थे। लट्टी चैंबर का स्वामी कुमार रामस्वामी नामक व्यक्ति है। यदि हम पत्थर बनाकर अपने पास रख लेते थे, तो वे उन पर चोट करके उन्हें तोड़ देते थे।”

इस प्रकार, उपर्युक्त बयानों और PW 10 से 15, 20 से 31 के बयानों से यह स्पष्ट है कि आरोपित सं. 1, लट्टी ईंट भट्ठे के स्वामी ने एक बंधुआ श्रम प्रणाली में अपने एजेंटों और उनके आदमियों के साथ बंधुआ श्रमिकों को नक़द अग्रिम दिया था।

- b. बंधुआ ऋण समाप्त किया जा चुका था या समाप्त किया गया माना जा चुका था। प्रस्तुत वाद में, आरोपित ने समाप्त किए जा चुके या समाप्त किए गए माने जा चुके बंधुआ ऋण के मद में भुगतान स्वीकारा था।

निम्नलिखित गवाहों के बयानों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आरोपित ने समाप्त किए गए माने जा चुके बंधुआ ऋण के मद में भुगतान स्वीकारा था:

PW 20 ने कहा कि, “नौ वर्ष पहले मैंने लट्टी चैंबर्स में काम करना शुरू किया था और तब मुझे ₹5,000.00 (रुपये पाँच हज़ार मात्र) की राशि अग्रिम के रूप में मिली थी। स्वामी ने वह अग्रिम राशि एक एजेंट के ज़रिए दी थी। एक हज़ार ईंटें काटने के लिए ₹135.00 (रुपये एक सौ पैंतीस मात्र) का वेतन तय था, जिसमें से वे ₹85.00 (रुपये पचासी मात्र) अग्रिम के मद में ले लेते थे और हमें केवल ₹50.00 (रुपये पचास मात्र) देते थे।” उसकी ही तरह सरकारी अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों 2, 6, 7, 9 से 19, 21 से 31 ने भी इसी आशय के बयान दिए हैं कि लट्टी ईंट भट्ठे का प्रबंधन उनके वेतन का लगभग 75% अंश वहाँ श्रमिक के रूप में काम करना शुरू करते समय उन्हें दिए गए ऋण के मद में काट लेता था।

बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 की धारा 6(1) के तहत, बंधुआ श्रमिक के किसी भी बंधुआ ऋण को चुकाने के सभी दायित्व समाप्त कर दिए गए हैं... उसका पाठ्य अग्रवत है, “बंधुआ ऋण चुकाने का दायित्व समाप्त किया जाता है – (1) इस अधिनियम के आरंभ होते ही, किसी भी बंधुआ श्रमिक का किसी भी बंधुआ ऋण जो उक्त आरंभ से तत्काल पहले पूर्णतः अदा नहीं हुआ है, को चुकाने का हर दायित्व समाप्त किया गया माना जाएगा।”

इस रूप में, हर बंधुआ ऋण समाप्त हो चुका है और बंधुआ श्रम प्रणाली के तहत बंधुआ श्रम का हर अनुबंध बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के तहत गैरकानूनी है और दंडनीय है।

सरकारी अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए उपर्युक्त बयानों को देखने से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत वाद में श्रमिकों अथवा ऋणियों ने एक अग्रिम के बदले लेनदार से एक करार किया था और उस अग्रिम ने बंधुआ ऋण का रूप ले लिया था और इस कारण उन्होंने अपने (i) न्यूनतम वेतन पाने; (ii) रोज़गार की स्वतंत्रता; और (iii) आने-जाने की स्वतंत्रता के अधिकार खो दिए थे।

इस रूप में, बंधुआ श्रमिकों को बंधुआ श्रम प्रणाली में अनुबंधित करने वाला बंधुआ ऋण आज बंधुआ श्रम अधिनियम, 1976 के तहत समाप्त है।

**प्रमाण का भार आरोपित पर:**  
BLA की धारा 15 के अनुसार, “जब भी कभी किसी बंधुआ श्रमिक द्वारा, या सतर्कता समिति द्वारा, किसी ऋण का दावा किया जाता है तो, उक्त ऋण बंधुआ ऋण नहीं है इसका प्रमाण देने का भार लेनदार पर होता है।”

मुकदमे के दौरान किसी भी बिंदु पर आरोपित ने यह सिद्ध नहीं किया कि बंधुआ श्रमिकों का ऋण बंधुआ ऋण नहीं है।

इस प्रकार सरकारी अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध कर दिया है कि, a) आरोपित को बंधुआ ऋण के मद में भुगतान प्राप्त हुआ था; और b) आरोपित को समाप्त किए हुए माने जा चुके बंधुआ ऋण के मद में भुगतान प्राप्त हुआ था। अपराध के दोनों घटक संदेह से परे सिद्ध किए जा चुके हैं और अतएव इस माननीय न्यायालय को BLA की धारा 9 के तहत लगाए गए आरोप के लिए आरोपित को दोषी घोषित करना ही चाहिए।

- 2. दूसरा अपराध: आरोपित ने एक व्यक्ति को बंधुआ श्रम देने पर विवश किया, जो BLA की धारा 16 के तहत दंडनीय अपराध है।

BLA की धारा 16 यह कहती है कि, “इस अधिनियम के आरंभ के बाद जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को बंधुआ श्रम प्रदान करने पर विवश करेगा उसे अधिकतम तीन वर्षों तक के कारावास और अधिकतम दो हज़ार रुपयों तक के जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है।”

आरोपित ने यह अपराध किया है यह सिद्ध करने के लिए सरकारी अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना होता है कि:

- a. पीड़ित बंधुआ श्रम प्रदान कर रहे थे।
- b. आरोपित ने उन्हें ऐसा करने पर विवश किया था।

सरकारी अभियोजन पक्ष ने रिकॉर्ड में दर्ज साक्ष्य के आधार पर दोनों घटकों को स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया है कि:

- a. पीड़ित बंधुआ श्रम प्रदान कर रहे थे:  
BLA की धारा 2(e) में दी गई परिभाषा के अनुसार बंधुआ श्रम का अर्थ, “बंधुआ श्रम प्रणाली के तहत दिए गए किसी भी श्रम या दी गई किसी भी सेवा” से है। जैसा भाग I में प्रदर्शित है, इस वाद में पीड़ित आरोपित द्वारा संचालित बंधुआ श्रम प्रणाली की गिरफ्त में थे।
- b. आरोपित ने उन्हें ऐसा करने पर विवश किया था:  
धारा 16 के तहत, यह आवश्यक है कि आरोपित ने किसी व्यक्ति को बंधुआ श्रम देने पर विवश किया हो। यह दबाव शारीरिक/भौतिक दबाव, शाब्दिक दबाव, या न्यूनतम वेतन से कम वेतन पर कार्य करने से उत्पन्न दबाव में से कुछ भी हो सकता है, और इस पूर्वधारणा को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने मान्यता दी है।<sup>178</sup>

- i. दबाव:  
PW [2] ने कहा कि, “जब हम उक्त ईंट भट्ठे के भीतर रह रहे और काम कर रहे थे, तो वे हमें बाहर कहीं भी जाकर काम करने नहीं देते थे। बल्कि, जब हमारा बाहर जाना ज़रूरी होता था, तो हम ईंट भट्ठे को सूचना देने के

.....

<sup>178</sup> पीपल्स यूनियन फ़ॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ, AIR 1982 SC 1473, 1486, पैरा 14 : (1982) 3 SCC 235।

बाद ही जा सकते थे। इसके अलावा, सप्ताह में एक बार, केवल शनिवार को, परिवार के केवल एक व्यक्ति को ज़रूरी सामान खरीदने के लिए मंडी जाने दिया जाता था। इस प्रकार, हमें ज़रूरी सामान मंडी से खरीदने पड़ते थे और चैंबर के भीतर काम करना पड़ता था।”

PW ने अपने बयानों के ज़रिए बताया है कि किस प्रकार उनसे दुर्व्यवहार होता था।

- ▶ PW 3 ने कहा कि, “सप्ताह में एक बार वे हमें राशन खरीदने मंडी जाने देते थे। परिवार में से केवल एक व्यक्ति को साप्ताहिक बाज़ार जाने दिया जाता था। बाकियों को काम करते रहना होता था।”
- ▶ PW 4 ने कहा कि, “केवल शनिवार को वे हमें इल्यानकुडि बाज़ार जाने देते थे। और उस समय भी, मुझे मेरी पत्नी को ईंट चैंबर में छोड़ना पड़ता था और केवल एक श्रमिक को अकेले बाहर जाने दिया जाता था।”
- ▶ PW 5 ने कहा कि, “जब हम कहते थे कि वेतन पर्याप्त नहीं है तब भी ईंट भट्ठे का स्वामी कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं करता था। मेरा बेटे ने बीमारी से बिस्तर पकड़ लिया था। अस्पताल में उसका इलाज कराने के लिए मुझे मेरी पत्नी का ‘ताली’ (मंगलसूत्र) गिरवी रखना पड़ा।”
- ▶ PW 6 ने कहा कि, “हर शनिवार साप्ताहिक मंडी जाने के लिए हमें परिवार के किसी एक सदस्य को ईंट भट्ठे में छोड़ना पड़ता था और हममें से किसी एक को ही बाज़ार जाने दिया जाता था।”
- ▶ PW 9 ने कहा कि, “स्वामी हमारी बनाई ईंटें नहीं लेते थे। नई बनी ईंटें ज़मीन पर पड़ी रहती थीं। वे उन्हें खराब ईंटें बताकर कुल ईंटों में से घटाकर मेरे ऋण में जोड़ देते थे। हम भोजन के साधनों के बिना संघर्ष कर रहे थे।”
- ▶ PW 10 ने कहा कि, “यदि हमें चैंबर से बाहर जाना होता था तो केवल एक व्यक्ति जा सकता था, और उसे एक व्यक्ति को पीछे छोड़ना पड़ता था।”
- ▶ PW 12 ने कहा कि, “हम वहीं रहा करते थे। हममें से एक व्यक्ति राशन खरीदने बाहर जाता था। हमारे गाँव हममें से केवल एक ही जा सकता था...”
- ▶ PW 13 ने कहा कि, “मैं और मेरी पत्नी चैंबर में ही रहकर वहीं काम करते थे। ज़रूरी सामान खरीदने मंडी जाने के लिए, हममें से केवल एक को जाने दिया जाता था।”
- ▶ PW 14 ने कहा कि, “हम लट्टी में काम करते और वहीं रहते थे। मंडी जाने के लिए, परिवार में से केवल एक पुरुष सदस्य अकेले जा सकता था और सभी महिलाओं को चैंबर में ही रुकना पड़ता था। अपने पैतृक गाँव जाने के लिए, परिवार के केवल एक सदस्य को ही अनुमति मिलती थी और अन्य सदस्य(यों) को वहीं रुकना पड़ता था। ”
- ▶ PW 15 ने कहा कि, “चैंबर में रहने के लिए उन्होंने हमें एक छप्पर दिया था। हर परिवार का एक अलग निशान तय था। भट्ठे में तपाई के बाद ईंटें बाहर ले जाते समय, यदि कोई ईंट टूटी होती थी तो उस पर मौजूद निशान के आधार पर वे हजार ईंटों का वेतन काट लेते थे। “कनक्कुप-पिल्लै” (अकाउंटेंट) हर सुबह 7 बजे हर जगह जाता था। यदि कोई व्यक्ति इलाज के लिए अस्पताल गया हो, तो वह स्वामी के कार्यालय में उसकी अनुपस्थिति की सूचना दे देता था। और फिर, उसके खाते में से ₹75.00 (रुपये पचहत्तर मात्र) काट लिए जाते थे।”
- ▶ PW 17 ने कहा कि, “वे हमें चैंबर में बने छप्परों के नीचे रहने को मज़बूर करते थे। ...उन्हें एक सप्ताह के भीतर कच्ची ईंटें ले जानी होती थीं। पर वे दो-दो सप्ताह तक उन्हें नहीं ले जाते थे। यदि ईंटें टूट जाती थीं तो वे कहते थे कि वे ईंटें अच्छी ईंटें नहीं हैं। ”
- ▶ PW 18 ने कहा कि, “ईंटें गिनते समय वे कुछ ईंटें तोड़ देते थे। उन्हें गिना नहीं जाता था। उन्हें हमें भुगतना पड़ता था। भट्ठे में तपाई के बाद, वे 1,000 ईंटें काट लेते थे। ईंटों में एक निशान होता है। चूँकि वे ईंटें तोड़ देते थे, अतः हमें काम दोबारा और बार-बार करना पड़ता था। हम हमारे गाँव नहीं जा सकते थे। वे हमें बाहर नहीं जाने देते थे।”
- ▶ PW 19 ने कहा कि, “हम चैंबर में ही रहा करते थे। यदि किसी परिवार में दो व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति को चैंबर में ही रुकना पड़ता था और दूसरे व्यक्ति को गाँव जाने दिया जाता था।”

- ▶ PW 24 ने कहा कि, “सप्ताह में एक बार हमारे परिवार से कोई एक व्यक्ति राशन लेने जा सकता था। वे पत्थरों को तोड़कर हमारे खाते में जोड़ देते थे। स्वामी ने नहीं बल्कि अकाउंटेंट ने हम पर अत्याचार किए।”
- ▶ PW 25 ने कहा कि, “हम बाहर कहीं भी नहीं जा सकते थे। मंडी जाने के लिए, हममें से केवल एक ही जा सकता था। चैंबर में वे हमसे बंधुआ श्रमिकों जैसा व्यवहार करते थे।”
- ▶ PW 26 ने कहा कि, “सप्ताह में एक बार हर परिवार से एक व्यक्ति को सामान खरीदने साप्ताहिक मंडी जाने दिया जाता था। हम चैंबर में मौजूद पुरुषों से अनुमति लेकर बाहर जा सकते थे।”
- ▶ PW 27 ने कहा कि, “चैंबर में एक छप्पर है। हम वहीं रहकर हमारा काम करते थे। ...हर शनिवार, मैं एक व्यक्ति को चैंबर में छोड़कर मंडी जाता था। ईंटों की कटाई के बाद, “कनक्कुप पिल्लै कुमार” यह कहकर उन्हें तोड़ देता था कि वे उड़कल (टूटा पत्थर) हैं। उन टूटे पत्थरों के लिए वे हमारे वेतन से कटौती करते थे।
- ▶ PW 30 ने कहा कि, “सप्ताह में एक बार जब हम मंडी जाते थे, तो पति और पत्नी में से किसी एक को चैंबर में ही रुकना पड़ता था। सुपरवाइजर पत्थर कटाई की मशीनों को नुकसान पहुँचाते थे। उन्होंने हम पर बहुत अत्याचार किया है। वे हमें बंधुआ श्रमिकों जैसे रखते थे।”

ii. न्यूनतम वेतन से कम पर काम करना = बाध्यकारी बल (सर्वोच्च न्यायालय की पूर्वधारणा): भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पीपल्स यूनियन फ़ॉर डेमोक्रेटिक राइट्स बनाम भारत संघ<sup>179</sup> में यह निर्णय दिया कि, “अतः वैध ढंग से यह माना जा सकता है कि जब कोई व्यक्ति न्यूनतम वेतन से कम पारिश्रमिक की प्राप्ति के बदले किसी अन्य व्यक्ति को श्रम या सेवा प्रदान करता है, तो वह किसी बाध्यता के दबाव के अधीन कार्य कर रहा होता है जो उसे, वह कानून के तहत जितने वेतन का अधिकारी है उससे कम वेतन के बावजूद कार्य करने को प्रेरित करता है।”

तात्कालिक वाद में, जैसी भाग I (2) - लट्टी ईंट भट्ठे में बंधुआ श्रम प्रणाली की मौजूदगी, में चर्चा की गई है, सभी पीड़ितों, PW 2, 6, 7, 9 से 31 ने कहा है कि उन्हें न्यूनतम वेतन से काफी कम भुगतान मिलता था। इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, इस माननीय न्यायालय को यह मानकर चलना चाहिए कि पीड़ित किसी बाध्यता के बल के अधीन कार्य कर रहे थे। सभी पीड़ितों ने कहा है कि वे न्यूनतम वेतन से कम वेतन पर आरोपित के लिए कार्य कर रहे थे और इसलिए आरोपित ने उन्हें बाध्य किया था।

इस प्रकार सरकारी अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध कर दिया है कि, a) पीड़ित बंधुआ श्रम प्रदान कर रहे थे; और b) आरोपित ने उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य किया था। अपराध के दोनों घटक संदेह से परे सिद्ध किए जा चुके हैं और अतएव इस माननीय न्यायालय को BLA की धारा 16 के तहत लगाए गए आरोप के लिए आरोपित को दोषी घोषित करना ही चाहिए।

3. तीसरा अपराध: आरोपित ने बंधुआ ऋण दिया, जो BLA की धारा 17 के तहत दंडनीय अपराध है। BLA की धारा 17 यह कहती है कि, “इस अधिनियम के आरंभ के बाद जो भी व्यक्ति बंधुआ ऋण प्रदान करेगा उसे अधिकतम तीन वर्षों तक के कारावास और अधिकतम दो हजार रुपये तक के जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है।”

आरोपित ने यह अपराध किया है यह सिद्ध करने के लिए सरकारी अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना होता है कि:

- a. बंधुआ ऋण मौजूद था।
- b. आरोपित ने ऋण दिया।

सरकारी अभियोजन पक्ष ने पीड़ितों के मौखिक साक्ष्य के ज़रिए अपराध के दोनों आवश्यक घटक निम्नवत सिद्ध कर दिए हैं:

- a. बंधुआ ऋण मौजूद था।  
बंधुआ ऋण की मौजूदगी भाग II में सिद्ध की जा चुकी है।
- b. आरोपित ने ऋण दिया।

.....

<sup>179</sup> AIR 1982 SC 1473, 1486, पैरा 14: (1982) 3 SCC 235।

गवाहों PW 2, 9, 13, 14, 17, 23, 27 के बयान से यह सिद्ध होता है कि आरोपित, यानी ईंट भट्ठे के स्वामी ने अपने प्रतिनिधियों/एजेंटों के साथ बंधुआ ऋण प्रदान किया।

- ▶ PW 13 ने कहा कि, “जब मैंने लट्टी भट्ठे के एक एजेंट के ज़रिए नौकरी शुरू की तब उन्होंने मेरे परिवार को अग्रिम के रूप में ₹10,000.00 (रुपये दस हजार मात्र) दिए।”
- ▶ PW 14 ने कहा कि, “भट्ठे की ओर से हमारे परिवार को अग्रिम धन के रूप में ₹5,000.00 (रुपये पाँच हजार मात्र) दिए गए।
- ▶ PW 17 ने कहा कि, “2011-2012 में लट्टी चैंबर्स के स्वामी से मुझे ₹5,000.00 (रुपये पाँच हजार मात्र) की राशि अग्रिम के रूप में मिली थी।”
- ▶ PW 20 ने कहा कि, “मैंने लट्टी चैंबर्स में काम करना शुरू किया और मुझे ₹5,000.00 (रुपये पाँच हजार मात्र) की राशि अग्रिम के रूप में मिली। स्वामी ने वह अग्रिम राशि एक एजेंट के ज़रिए दी थी।” इन और अन्य गवाहों के बयानों से यह सिद्ध होता है कि आरोपित सं. 1 ही वह व्यक्ति था जिसने अपने एजेंटों के ज़रिए बंधुआ ऋण प्रदान किया।
- ▶ PW 25 ने कहा कि, “हम बाहर कहीं भी नहीं जा सकते थे। मंडी जाने के लिए, हममें से केवल एक ही जा सकता था। चैंबर में वे हमसे बंधुआ श्रमिकों जैसा व्यवहार करते थे।”

इस प्रकार सरकारी अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध कर दिया है कि, a) बंधुआ ऋण मौजूद था; और b) आरोपित ने बंधुआ ऋण दिया। अपराध के दोनों घटक संदेह से परे सिद्ध किए जा चुके हैं और अतैव इस माननीय न्यायालय को BLA की धारा 17 के तहत लगाए गए आरोप के लिए आरोपित को दोषी घोषित करना ही चाहिए।

4. चौथा अपराध: आरोपित ने BLA की धारा 18 में वर्णित ऋणी व लेनदार के मध्य के करार को लागू करने के लिए बंधुआ श्रमिक के परिवार/आश्रितों को बंधुआ श्रम प्रणाली के तहत सेवा प्रदान करने पर विवश किया।

BLA की धारा 18 कहती है कि, “जो भी व्यक्ति, इस अधिनियम के आरंभ के बाद, कोई ऐसी प्रथा, परंपरा, अनुबंध, करार या अन्य लिखत लागू करेगा जिसके आधार पर किसी व्यक्ति या उक्त व्यक्ति के किसी परिजन या उक्त व्यक्ति के किसी आश्रित के लिए बंधुआ श्रम प्रणाली के तहत कोई सेवा प्रदान करना आवश्यक किया जा सकता है, तो उसे अधिकतम तीन वर्षों तक के कारावास और अधिकतम दो हजार रुपयों तक के जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है;...’

आरोपित ने यह अपराध किया है यह सिद्ध करने के लिए सरकारी अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना होता है कि:

- a. कोई प्रथा, परंपरा, अनुबंध, करार या अन्य लिखत मौजूद है।
- b. उक्त (a) के आधार पर, आरोपित ने श्रमिकों के लिए बंधुआ श्रम प्रणाली के तहत कोई सेवा प्रदान करना आवश्यक किया है।

सरकारी अभियोजन पक्ष ने पीड़ितों के मौखिक साक्ष्य के ज़रिए अपराध के दोनों आवश्यक घटक निम्नवत सिद्ध कर दिए हैं:

- a. करार की मौजूदगी।

BLA की धारा 2(b) के अनुसार, ऐसा करार मौखिक करार हो सकता है। आरोपित ने श्रमिकों और आरोपित के मध्य मौखिक करार के ज़रिए, श्रमिकों को धन दिया जिन्होंने अग्रिम (धनराशि) के बदले बंधुआ श्रम प्रदान किया।

- b. करार के उक्त प्रवर्तन के आधार पर, आरोपित ने श्रमिकों के लिए बंधुआ श्रम प्रणाली के तहत कोई सेवा प्रदान करना आवश्यक किया।

गवाहों के इस आशय के बयान कि उन्हें अग्रिम मिले और यह तथ्य कि वे चैंबर में ही रहते थे और श्रम प्रदान करते थे और उन्हें कहीं और रोज़गार पाने के लिए बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं थी, से भी दोनों बिंदु सिद्ध होते हैं, पहला यह कि मौखिक करार मौजूद था, और दूसरा यह कि श्रमिकों ने बंधुआ श्रम प्रणाली के तहत सेवा प्रदान की।

इस प्रकार सरकारी अभियोजन पक्ष ने संदेह के परे यह सिद्ध कर दिया है कि ) करार मौजूद था; और b) करार के उक्त प्रवर्तन के आधार पर, आरोपित ने श्रमिकों के लिए बंधुआ श्रम प्रणाली के तहत सेवा प्रदान करना आवश्यक किया।

5. पाँचवाँ अपराध: आरोपितों (आरोपित/प्रतिवादी सं. 2-11) ने BLA की धारा 20 के तहत आने वाले अपराधों को करने में सहायता की और का दुरुत्साहन दिया।

BLA की धारा 20 कहती है कि, “जो भी व्यक्ति इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध को सहयोग या दुरुत्साहन देगा, चाहे दुरुत्साहित अपराध किया जाए या नहीं, उसे दुरुत्साहित अपराध को करने पर मिलने वाली सज़ा के बराबर सज़ा दी जा सकती है।”

इस धारा के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए सरकारी अभियोजन पक्ष को आरोपित की ओर से ‘दुरुत्साहन’ की मौजूदगी सिद्ध करनी होती है।

धारा 20 की व्याख्या में लिखा है कि इस धारा के प्रयोजन से ‘दुरुत्साहन’ शब्द का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता, 1860 के उपबंधों के अनुसार होता है।

IPC की धारा 107 में दी गई दुरुत्साहन की परिभाषा के अनुसार, “वह व्यक्ति कोई कार्य किए जाने को दुरुत्साहन देता है जो

- ▶ पहले - किसी व्यक्ति को वह कार्य करने को उकसाता है; या
- ▶ दूसरे - उस कार्य को करने के किसी षड्यंत्र में एक या अधिक अन्य व्यक्तियों के साथ संलिस होता है, बशर्ते उस षड्यंत्र को करने से कोई कृत्य या गैरकानूनी लोप होता हो, और उस कार्य को करने के लिए एक या अधिक अन्य व्यक्तियों के साथ संलिस होता है; या
- ▶ तीसरे - उस कार्य के किए जाने में किसी कृत्य या गैरकानूनी लोप के द्वारा जानते-बूझते हुए सहायता करता है।

सरकारी अभियोजन पक्ष को दुरुत्साहन का अपराध सिद्ध करने के लिए अग्रलिखित में से कोई एक सिद्ध करना होता है:

- a. आरोपित ने अपराध के किए जाने को उकसाया, या
- b. आरोपित अपराध किए जाने के किसी षड्यंत्र में एक या अधिक व्यक्तियों के साथ संलिस था, या
- c. आरोपित ने अपराध के किए जाने में जानते-बूझते हुए सहायता की।

रिकॉर्ड में दर्ज साक्ष्य, जिसे सरकारी अभियोजन पक्ष ने सिद्ध किया है, यह स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि आरोपित/प्रतिवादी सं. 2 से 11 ने अपराध के किए जाने में जानते-बूझते हुए सहायता की।

आरोपितों (प्रतिवादी सं. 2 से 11) ने अपने कृत्यों के ज़रिए अपराध के किए जाने में सहायता की है क्योंकि उन्हें आरोपित ने नियुक्त किया था और उन पर आरोपित द्वारा संचालित ईंट भट्ठे का प्रभार था। उन्होंने ईंट भट्ठे में पीड़ितों के शोषण में बराबर भागीदारी की।

- ▶ PW [1] ने कहा कि, “हमें मिली जानकारी के अनुसार, 12 व्यक्ति, जिनमें कुमार रामस्वामी, मुहम्मद जिन्ना, मलैचामी, देइवा, सेल्वम, सेल्वमनि, वेदमनिकम, पांडी शामिल हैं और जो सब-के-सब ईंट भट्ठे से जुड़े हुए हैं, वे हरिजन लोगों को एक अग्रिम राशि देकर उपर्युक्त ईंट भट्ठे में बंधुआ श्रमिकों के रूप में नियुक्त कर रहे हैं, और यह कि उन्हें ईंट भट्ठे के भीतर रखा जाता है और उन्हें बाहर रहने जाने नहीं दिया जाता है, और यह कि उन्हें स्वामी और अधीक्षक की अनुमति के बिना बाहर जाने नहीं दिया जाता है, और यह कि उन्हें बहुत कम वेतन मिलता है, और यहाँ तक कि उस वेतन का भी उन्हें उचित भुगतान नहीं होता है।”

- ▶ PW [2] ने कहा कि, “प्रतिवादी 2 से 12 उपर्युक्त प्रतिवादी 1 के साथ उपर्युक्त ईंट भट्ठे में अकाउंटेंट और चौकीदार के रूप में कार्य कर रहे हैं।”

- ▶ PW [3] ने कहा कि, “ईंट भट्ठे का स्वामी प्रथम प्रतिवादी कुमार रामस्वामी नामक व्यक्ति है। अन्य प्रतिवादी उसके साथ अकाउंटेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं... उपर्युक्त ईंट भट्ठे में, लट्टी ईंट भट्ठे के अकाउंटेंट उनकी बनाई बिना तपी ईंटों को तोड़ देते थे। ईंटें तोड़ने का कारण पूछने पर वे कहते थे कि वे दूटे हुए पत्थर हैं जिन्हें ईंटों के रूप में तपाने को नहीं ले जाया जा सकता है। कारण पूछने पर वे हमसे अभद्र व्यवहार करते थे।”

- ▶ PW [11] ने कहा कि, “चैंबर के लोग निर्मित ईंटों का विवरण नोट करते थे। चैंबर के लोग आकर हमारी बनाई और सुखाई ईंटों को भट्ठे में लोड करने के लिए ले जाते थे। फिर वे एक ईंट तोड़कर परखते थे। यदि वह टूट जाती थी, तो वे सभी निर्मित ईंटें तोड़ देते थे।”

- ▶ PW [17] ने कहा कि, “अकाउंटेंट आता था और हमारे बनाए पत्थर देखता था। हमारे बनाए पत्थरों को एक सप्ताह के

भीतर ले जाया जाना चाहिए।”

- ▶ PW [18] ने कहा कि, “अकाउंटेंट आता था और गिनती करता था। वहाँ 6 अकाउंटेंट थे। उनमें से मलैचामी, वेधमनिकम और तोमिल अकाउंटेंट के रूप में नियुक्त थे। अन्य 3 अकाउंटेंट के नाम ज्ञात नहीं हैं। गिनती करते समय वे पत्थरों को तोड़ते थे। उन्हें अकाउंट में जोड़ा नहीं जाता था। इस कारण हमें भुगतना पड़ता था। पत्थरों को तपाते समय वे 1,000 पत्थर काट लेते थे।”
- ▶ PW [27] ने कहा कि, “अकाउंटेंट तोमिल हमारे बनाए पत्थरों को तोड़ देता था और उन्हें टूटे पत्थरों में गिनता था। उन टूटे पत्थरों के लिए वे हमारे वेतन से कटौती करते थे।”

आरोपितों सं. 2 से 11 ने अपने कृत्यों के ज़रिए अपराध के किए जाने में सहायता की है क्योंकि उन्हें आरोपित ने नियुक्त किया था और उन पर आरोपित द्वारा संचालित ईंट भट्ठे का प्रभार था। उन्होंने ईंट भट्ठे में पीड़ितों के शोषण में बराबर भागीदारी की।

इस प्रकार सरकारी अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध कर दिया है कि आरोपित ने अपराध के किए जाने में जानते-बूझते हुए सहायता की। अपराध संदेह के परे सिद्ध कर दिया गया है। माननीय न्यायालय को BLA की धारा 20 के तहत लगाए गए आरोप के लिए आरोपित को दोषी घोषित करना ही चाहिए।

6. छठवाँ अपराध: आरोपित ने IPC की धारा 370 के अनुसार बंधुआ श्रम के लिए मानव व्यापार किया है: IPC की धारा 370 कहती है कि, “जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का दास के रूप में आयात, निर्यात, निष्कासन, खरीद, बिक्री, या निपटान करता है, या किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध दास के रूप में स्वीकारता है, प्राप्त करता है या कैद करता है, उसे, दोनों में से किसी भी प्रकार के और अधिकतम सात वर्षों के कारावास की सज़ा दी जा सकती है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।”

इस आरोप को सिद्ध करने के लिए सरकारी अभियोजन पक्ष को निम्नलिखित को सिद्ध करना होता है:

1. कि आरोपित किसी व्यक्ति का दास के रूप में आयात, निर्यात, निष्कासन, खरीद, बिक्री या निपटान करता है, या
2. कि आरोपित किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध दास के रूप में स्वीकारता है, प्राप्त करता है, या कैद करता है। प्रस्तुत वाद में रिकॉर्ड में दर्ज साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि आरोपित ने व्यक्तियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध स्वीकारा, प्राप्त किया, और कैद किया। अपराध के तत्त्व निम्नवत हैं:
  - i. कैद पीड़ितों के मौखिक साक्ष्य में उन घटनाओं का वर्णन है जो सिद्ध करती हैं कि पीड़ितों को कार्य के लिए भट्ठे में कैद रखा गया था।
    - ▶ PW [2] ने कहा कि, “जब हम उक्त ईंट भट्ठे के भीतर रह रहे और काम कर रहे थे, तो वे हमें बाहर कहीं भी जाकर काम करने नहीं देते थे।”
    - ▶ PW [6] ने कहा कि, “अक्सर, सप्ताह भर के दौरान हमारी बनाई ईंटें गिनती के लिए नहीं आती थीं। यदि गाँव में किसी रिश्तेदार से मिलने जाना ज़रूरी होता था, तो परिवार के एक व्यक्ति को ईंट भट्ठे में ही रोका जाता था और तब ही दूसरों को जाने दिया जाता था।”
    - ▶ PW [12] ने कहा कि, “हम वहीं रहा करते थे। हममें से कोई एक ज़रूरी सामान खरीदने बाहर जाता था। यदि गाँव जाना होता था तो केवल कोई एक व्यक्ति पुरुष जाता था।”
    - ▶ PW [14] ने कहा कि, “यदि हमें मंडी जाना होता था तो केवल कोई पुरुष जाता था। महिलाओं को वहीं रुकना पड़ता था। यदि हमें गाँव जाना होता था, तो किसी एक व्यक्ति को रुकना पड़ता था, और दूसरा व्यक्ति गाँव जाकर आता था।”
    - ▶ PW [26] ने कहा कि, “सप्ताह में एक बार हर परिवार से केवल एक व्यक्ति को सामान खरीदने मंडी जाने दिया जाता था। लोग चैंबर से पूछकर ही बाहर जा सकते थे।”
    - ▶ PW 25 ने कहा कि, “हम बाहर कहीं भी नहीं जा सकते थे। मंडी जाने के लिए, हममें से केवल एक ही जा सकता था। चैंबर में वे हमसे बंधुआ श्रमिकों जैसा व्यवहार करते थे।”
  - ii. व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध कैद पीड़ितों के बयान सिद्ध करते हैं कि आरोपित ने उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध कैद कर रखा था।

- ▶ PW 18 ने कहा कि, “चूँकि वे ईंटें तोड़ देते थे, अतः हमें काम दोबारा और बार-बार करना पड़ता था। हम हमारे गाँव नहीं जा सकते थे। वे हमें बाहर नहीं जाने देते थे।”

- ▶ PW 19 ने कहा कि, “हम चैंबर में ही रहा करते थे। यदि किसी परिवार में दो व्यक्ति हैं तो एक व्यक्ति को चैंबर में ही रुकना पड़ता था और दूसरे व्यक्ति को गाँव जाने दिया जाता था।”

- iii. कैद दासता के प्रयोजन से थी। भारतीय दंड संहिता में ‘दास’ शब्द की परिभाषा नहीं है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ के मामले में, यह कहा गया है कि, “जिस भी व्यक्ति को बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के उपबंधों के उल्लंघन में अनुचित और गैरकानूनी ढंग से श्रमिक के रूप में नियुक्त किया गया है, उसे मूलतः उसकी स्वतंत्रता से वंचित किया गया है। बंधुआ श्रमिक सच में एक दास बन जाता है और उसकी रोज़गार की और आने-जाने की स्वतंत्रता लगभग पूरी तरह उससे छीन ली जाती है और उस पर बलात् श्रम थोप दिया जाता है।”

सरकारी अभियोजन पक्ष इस वाद के रिकॉर्ड में दर्ज साक्ष्य के ज़रिए बंधुआ श्रम की मौजूदगी सिद्ध कर चुका है। अतः IPC की धारा 370 के तहत अपराध के घटक संदेह से परे सिद्ध किए जा चुके हैं और माननीय न्यायालय को इस अपराध के लिए आरोपित को दोषी घोषित करना ही चाहिए।

7. सातवाँ अपराध: आरोपित ने IPC की धारा 371 के अनुसार दासों की खरीद/बिक्री/का व्यापार किया है। IPC की धारा 371 कहती है कि, “जो भी व्यक्ति आदतन दासों का आयात, निर्यात, निष्कासन, खरीद, बिक्री, व्यापार या सौदा करता है उसे आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी या दोनों में से किसी भी प्रकार के व अधिकतम दस वर्षों के कारावास की सज़ा दी जाएगी और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकेगा।”

आरोपित ने इस धारा के तहत आने वाला अपराध किया है यह सिद्ध करने के लिए सरकारी अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना होता है कि:

- a. आरोपित ने दासों का व्यापार किया;
- b. आरोपित को दासता के लिए मानव व्यापार करने की आदत थी।

- a. आरोपित ने दासों का व्यापार किया गवाहों PW 2, 3, 4, 6, 7, 9 से 31 के बयान स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि आरोपित अपने ईंट भट्ठे में दासों के रूप में उपयोग के प्रयोजन से आस-पास के गाँवों के व्यक्तियों की सौदेबाज़ी में संलिप्त था।
  - b. दासता के लिए व्यक्तियों की आदतन सौदेबाज़ी की गवाहों PW 2, 3, 4, 6, 7, 9 से 31 के बयान स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं कि आरोपित अपने ईंट भट्ठे में दासों के रूप में उपयोग के प्रयोजन से आस-पास के गाँवों के व्यक्तियों की सौदेबाज़ी में संलिप्त था।
    - ▶ PW [1] ने कहा कि, “हमें मिली जानकारी के अनुसार, 12 व्यक्ति, जिनमें कुमार रामस्वामी, मुहम्मद जिन्ना, मलैचामी, देड़वा, सेल्वम, सेल्वमनि, वेदमनिकम, पांडे शामिल हैं और जो सब-के-सब ईंट भट्ठे से जुड़े हुए हैं, वे हरिजन लोगों को उपर्युक्त ईंट भट्ठे में बंधुआ श्रमिकों के रूप में नियुक्त कर रहे हैं।”
  - ▶ PW [9] ने कहा कि, “मैंने तिरुगडम के ज़रिए लट्टी ईंट भट्ठे पर काम किया था। मैंने एक एजेंट के ज़रिए ₹5,000.00 (रुपये पाँच हजार मात्र) की राशि अग्रिम के रूप में मिलने के बाद नौकरी शुरू की थी।”
  - ▶ PW [13] ने कहा कि, “जब मैंने लट्टी भट्ठे के एक एजेंट के ज़रिए नौकरी शुरू की तब उन्होंने मेरे परिवार को अग्रिम के रूप में ₹10,000.00 (रुपये दस हजार मात्र) दिए।”
  - ▶ PW [27] ने कहा कि, “10 वर्ष पहले एक एजेंट मुझे काम के लिए लट्टी चैंबर्स ले गया था। उसने मुझे ₹10,000.00 (रुपये दस हजार मात्र) की राशि अग्रिम के रूप में दिलवाई और मैं और मेरी पत्नी ने वहाँ काम किया।”

उपर्युक्त साक्ष्य से यह सिद्ध हो चुका है कि आरोपित ने पीड़ितों को एजेंटों के ज़रिए अग्रिम राशियों का भुगतान करके पीड़ितों को बंधुआ श्रमिकों के रूप में नियुक्त किया था। यह भी सिद्ध हो चुका है कि पीड़ितों को दासों के रूप में नियुक्त किया गया था। अतः उपर्युक्त पीड़ितों के बयान यह सिद्ध करते हैं कि आरोपित आदतन दासों की सौदेबाज़ी में संलिप्त था।

उपर्युक्त से यह सिद्ध होता है कि आरोपित को दासता के प्रयोजन से व्यक्तियों की सौदेबाज़ी की आदत थी। अतः सरकारी अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे यह सिद्ध कर दिया है कि आरोपित ने भारतीय दंड संहिता की धारा 371 के तहत आने वाला एक अपराध किया है और उसे तदनुसार सज़ा मिलनी ही चाहिए।

8. आठवाँ अपराध: आरोपित ने व्यक्तियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध श्रम प्रदान करने के लिए गैरकानूनी ढंग से बाध्य किया है जो IPC की धारा 374 के तहत दंडनीय अपराध है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 374 कहती है कि, “जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध गैरकानूनी ढंग से श्रम करने को बाध्य करता है, उसे दोनों में से किसी भी प्रकार के और अधिकतम एक वर्ष के कारावास की, या जुर्माने की, या दोनों की सज़ा दी जाएगी।”

आरोपित ने इस धारा के तहत आने वाला अपराध किया है यह सिद्ध करने के लिए सरकारी अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना होता है कि:

- a. आरोपित ने किसी व्यक्ति को श्रम करने के लिए गैरकानूनी ढंग से बाध्य किया
- b. श्रमिक ने अपनी इच्छा के विरुद्ध श्रम प्रदान किया।

सरकारी अभियोजन पक्ष ने धारा 16 के घटक (b), पहला अपराध, के ज़रिए यह सिद्ध कर दिया है कि आरोपित ने पीड़ितों को बंधुआ श्रम प्रदान करने पर बाध्य किया, जो बलात् श्रम की एक प्रणाली है। यह बाध्यता शारीरिक/भौतिक बल लगाने के ज़रिए थी और इस तथ्य के द्वारा थी कि आरोपित ने पीड़ितों को न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं किया (सर्वोच्च न्यायालय की पूर्वधारणा)।

इस प्रकार सरकारी अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे यह सिद्ध कर दिया है कि आरोपित ने भारतीय दंड संहिता की धारा 374 के तहत आने वाला एक अपराध किया है।

9. नौवाँ अपराध: आरोपित ने SC/ST समुदाय के लोगों को बंधुआ श्रम प्रदान करने को फुसलाया/बाध्य किया है जो SC/ST अधिनियम की धारा 3(1)(vi) के तहत दंडनीय अपराध है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(vi) कहती है कि, “वह कोई भी व्यक्ति जो किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है और वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को ‘बेगार’ करने या किसी अन्य प्रकार का बलात् या बंधुआ श्रम, जिसमें किसी सार्वजनिक प्रयोजन से सरकार द्वारा लागू कोई भी अनिवार्य सेवा शामिल नहीं है, करने को बाध्य करता है या फुसलाता है, उसे न्यूनतम: छः माह और अधिकतम पाँच वर्ष के कारवास और जुर्माने की सज़ा दी जा सकेगी।”

आरोपित ने इस धारा के तहत आने वाला अपराध किया है यह सिद्ध करने के लिए सरकारी अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना होता है कि:

- a. आरोपित सं. 1 से 5, 7 से 10 किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं।
- b. पीड़ित एक अनुसूचित जाति के हैं।
- c. आरोपित ने पीड़ितों को बाध्य किया या फुसलाया।
- d. बाध्य करना/फुसलाना बलात् या बंधुआ श्रम के लिए था।

मुकदमे में गवाहों की गवाहियों और दस्तावेज़ी साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि आरोपित ने इस धारा के तहत आने वाला अपराध किया था:

- a. आरोपित सं. 1 से 5, 7 से 10 किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के नहीं हैं।
  - b. पीड़ित एक अनुसूचित जाति के हैं।
- इस वाद में सभी पीड़ितों ने अपने-अपने बयानों में कहा है कि वे पारायर समुदाय के हैं जो अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 में अधिसूचित के अनुसार एक अनुसूचित जाति है। मौखिक गवाही और दस्तावेज़ी साक्ष्य, दोनों ही यह स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि इस वाद में पीड़ित, निःसंदेह पारायर समुदाय के हैं जो एक अनुसूचित जाति है। इस वाद में सभी पीड़ितों ने अपने-अपने बयानों में कहा है कि वे [पारायर] समुदाय के हैं जो अनुसूचित जातियाँ एवं अनुसूचित जनजातियाँ आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 में अधिसूचित के अनुसार एक अनुसूचित जाति है।

PW [2] ने कहा कि, “मैं हिंदू-पारायर समुदाय का हूँ।”

इसके साथ-साथ, PW 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ने अपने-अपने बयानों में कहा कि वे हिंदू पारायर समुदाय के हैं।

c. आरोपित ने पीड़ितों को बाध्य किया या फुसलाया।

बाध्यता: सरकारी अभियोजन पक्ष ने धारा 16 के घटक (b), पहला अपराध, के ज़रिए यह सिद्ध कर दिया है कि आरोपित ने पीड़ितों को बंधुआ श्रम प्रदान करने पर बाध्य किया, जो बलात् श्रम की एक प्रणाली है। यह बाध्यता शारीरिक/भौतिक बल लगाने के ज़रिए थी और इस तथ्य के द्वारा थी कि आरोपित ने पीड़ितों को न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं किया (सर्वोच्च न्यायालय की पूर्वधारणा)।

अतैव सरकारी अभियोजन पक्ष ने यह घटक सिद्ध कर दिया है।

d. बलात् या बंधुआ श्रम:

इस अपराध को सिद्ध करने के लिए सरकारी अभियोजन पक्ष को जो अंतिम घटक सिद्ध करना है वह है यह दिखाना कि श्रमिक बलात् या बंधुआ श्रम प्रदान कर रहे थे। बंधुआ श्रम के माध्यम से बलात् श्रम:

BLA की धारा 2(g) कहती है कि, “बंधुआ श्रम प्रणाली का अर्थ बलात् या आंशिक रूप से बलात् श्रम की प्रणाली से है।” बंधुआ श्रम, बलात् श्रम का एक प्रकार है।

सरकारी अभियोजन पक्ष ने अनुभाग 2 में इस तर्क में और पहले व दूसरे अपराध के संबंध में दिए गए तर्कों के ज़रिए निःसंदेह यह सिद्ध कर दिया है कि आरोपित के ईंट भट्ठे में बंधुआ श्रम प्रणाली वास्तव में थी और यह कि पीड़ित बंधुआ श्रम प्रदान कर रहे थे। आरोपित ने इसके खंडन में न्यायालय के समक्ष कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। साथ ही, पीपल्स यूनियन फ़ॉर डेमोक्रेटिक राइट्स एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य<sup>180</sup> के मामले, जिसे एशियाड कर्मों मामला भी कहा जाता है, में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, “अतः हमारा यह विचार है कि जब कोई व्यक्ति न्यूनतम वेतन से कम पारिश्रमिक पर किसी और व्यक्ति को श्रम या सेवा प्रदान करता है, तो उसके द्वारा प्रदत्त श्रम या सेवा (भारत के संविधान के) अनुच्छेद 23 के तहत स्पष्ट रूप से “बलात् श्रम” शब्दों के दायरे में आता है।”

इस वाद में, जैसा भाग II (बंधुआ श्रम प्रणाली की मौजूदगी) में पहले ही सिद्ध किया जा चुका है, पीड़ितों को उनके द्वारा किए जा रहे कार्य के लिए न्यूनतम वेतन से बहुत कम वेतन मिलता था और अतैव वे बलात् श्रम प्रदान कर रहे थे।

इस प्रकार सरकारी अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध कर दिया है कि, a) आरोपित किसी अनुसूचित जाति या जनजाति का नहीं था; b) पीड़ित अनुसूचित जाति के थे; c) आरोपित ने पीड़ितों को बाध्य किया था; और d) पीड़ित बंधुआ श्रम प्रदान कर रहे थे।

इस प्रकार सरकारी अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे यह सिद्ध कर दिया है कि आरोपित ने SC/ST) अधिनियम की धारा 3(1)(vi) के तहत आने वाला एक अपराध किया है।

प्रार्थना

उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियों, और इस लिखित तर्क के भाग I व II में सिद्ध अपराधों के आलोक में, यह स्पष्ट रूप से दस्तावेज़ीकृत है व पहचाना जा सकता है कि आरोपित और पीड़ितों के बीच एक बंधुआ श्रम अनुबंध मौजूद है। उपर्युक्त तर्कों और निवेदनों के तहत, अतैव सविनय प्रार्थना है कि यह माननीय न्यायालय निम्नलिखित के तहत आने वाले आरंभित व कृत अपराधों के लिए आरोपितों के विरुद्ध आदेश पारित करे:

- a. बंधुआ श्रम अधिनियम, 1976 की धाराएँ 9, 16, 17, 18 और 20 के तहत आने वाले अपराध, जिन्हें अधिकतम तीन वर्षों के कारावास और अधिकतम दो हजार रुपयों के जुर्माने की सज़ा के योग्य माना गया है।
- b. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (“SC/ST अधिनियम”) की धारा 3(1)(vi) – किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के बंधुआ श्रमिक को बलात् श्रम के लिए फुसलाना और बाध्य करना, जो न्यूनतम छः माह और अधिकतम पाँच वर्षों के कारावास और जुर्माने की सज़ा के योग्य है।

.....

<sup>180</sup> AIR1982SC1473, पैरा 20: (1982) 3 SCC 235।

- c. भारतीय दंड संहिता, 1860 ("IPC") की धारा 370 – मानव व्यापार, जो दोनों में से किसी भी प्रकार के और अधिकतम सात वर्षों के कारवास और जुर्माने की सज़ा के योग्य है।
- d. IPC की धारा 371 – आदतन दासों की सौदेबाज़ी, जो आजीवन कारावास की सज़ा, या दोनों में से किसी भी प्रकार के व अधिकतम दस वर्षों के कारवास और जुर्माने की सज़ा के योग्य है।
- e. IPC की धारा 374 – गैरक़ानूनी बाध्यकारी श्रम, जो दोनों में से किसी भी प्रकार के और अधिकतम एक वर्ष के कारावास की, जुर्माने की, या दोनों की सज़ा के योग्य है।
- f. यह माननीय न्यायालय न्याय के अनुसरण में जो भी अन्य आदेश उपयुक्त समझे वह अन्य आदेश।

दिनांकित: 2016 का ..... वाँ दिन, मरकड़ै  
विशेष सरकारी अभियोजक

परिशिष्ट 21: वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए  
मानव व्यापार के मिथक और वास्तविकताएँ

वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए मानव व्यापार के मिथकों और वास्तविकताओं की तालिका<sup>181</sup>

| मिथक                                                                                                                     | वास्तविकता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वेश्यावृत्ति हेतु मानव व्यापार में, वेश्यालय का प्रबंधक/की संचालिका मानव व्यापार के अपराध का/की मुख्य आरोपित होता/ती है। | वेश्यालय का प्रबंधक/की संचालिका शोषक का वह चेहरा मात्र होता है जो सबके सामने होता है, जबकि मानव व्यापारी मुख्य दोषी होता है।                                                                                                                                                                                                                                                           |
| वेश्यालय, मानव व्यापार के अपराध का एकमात्र स्थल होता है।                                                                 | मानव व्यापार के अपराध के स्थलों में स्रोत, पारगमन, और गंतव्य के सभी स्थान शामिल होते हैं। इसमें वे स्थान शामिल होते हैं जहाँ अन्य उपक्रमों के मुखौटे के पीछे शोषण होता है, जैसे ब्यूटी पार्लर और मसाज पार्लर, फ्रेंडशिप क्लब, छोटे-छोटे होटल, एक्सक्लूसिव क्लब, कॉल सेंटर आदि के मुखौटे के पीछे।                                                                                       |
| मानव व्यापार से संबंधित एकमात्र क़ानून ITPA है।                                                                          | CSE हेतु मानव व्यापार पर न केवल ITPA बल्कि IPC की प्रासंगिक धाराएँ (जैसे, 366 A, 366B , 370, 372, 373, 375, 376, आदि) भी लागू होती हैं।                                                                                                                                                                                                                                                |
| आग्रह करती दिखाई पड़ने वाली सभी महिलाएँ ITPA के तहत आरोपित व्यक्ति होती हैं।                                             | केस अध्ययन और शोध से पता चला है कि इनमें से अधिकांश महिलाओं से शोषक आग्रह करवाते हैं; उन महिलाओं का कोई आपराधिक इरादा नहीं होता है और वे पीड़ित होती हैं।                                                                                                                                                                                                                              |
| ग्राहक ITPA के तहत आरोपित नहीं होता है।                                                                                  | ग्राहक धाराओं5(1)(d) तथा 7(1) और संबंधित IPC अपराधों के तहत दंडयोग्य होता है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| केवल विशेष पुलिस अधिकारी ही मानव व्यापार के आरोपित को गिरफ़्तार कर सकता है।                                              | विशेष पुलिस अधिकारी SI और उससे ऊपर की रैंक के किसी भी अधिकारी को ITPA के तहत लिखित में अधिकृत कर सकता है (धा. 14(ii) या अन्यथा धा. 14(iii))। हालाँकि, जो भी व्यक्ति कोई संज्ञेय अपराध कर रहा है या जिस भी व्यक्ति द्वारा कोई संज्ञेय अपराध किए जाने की संभावना है उसे किसी भी पुलिस अधिकारी (हवलदार शामिल) द्वारा गिरफ़्तार किया जा सकता है (धारा 41, CrPC)।                           |
| प्राथमिकी के बिना गिरफ़्तारी या बचाव संभव नहीं है।                                                                       | चूँकि मानव व्यापार एक संज्ञेय अपराध है, अतः कोई भी पुलिस अधिकारी अपराध रोकने के लिए प्राथमिकी के बिना भी गिरफ़्तारी कर सकता है (धारा 41, CrPC)। साथ ही, कोई भी मैजिस्ट्रेट SI और उससे ऊपर की रैंक के किसी भी अधिकारी को बचाव कार्य के संचालन हेतु अधिकृत कर सकते हैं (धारा 16(1), ITPA)।                                                                                               |
| PO केवल बचाव के बाद ही मानव व्यापार का मामला दर्ज कर सकता है।                                                            | बचाव कार्य आम तौर पर अंतिम गंतव्य के स्थान पर होता है, जबकि मानव व्यापार के अपराध स्रोत से ही शुरू हो जाते हैं और पारगमन से लेकर गंतव्य बिंदु तक, और उसके बाद भी, जारी रहते हैं। यदि PO को किसी व्यक्ति को पारगमन स्थान से होकर स्थानांतरित किए जाने के बारे में सूचना मिलती है, तो उन क्षेत्रों के PO को ITPA की धारा 5(3) के तहत मानव व्यापार के अपराध की प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए। |

<sup>180</sup> AIR1982SC1473, para. 20 : (1982)3SCC235.

<sup>181</sup> SOP on investigation of Crime on Trafficking for commercial sexual exploitation, UNODC.

.....

<sup>182</sup> SOP on investigation of Crime on Trafficking for commercial sexual exploitation, UNODC.

परिशिष्ट 22: महत्वपूर्ण साक्ष्य की सूची और जाँच के लिए उसकी प्रासंगिकता (CSE हस्तक्षेप)

महत्वपूर्ण साक्ष्य की सूची और जाँच के लिए उसकी प्रासंगिकता<sup>182</sup>

जाँच के लिए क्या-क्या एकत्र करें

- वेश्यालय में मौजूद डायरियाँ, नोटबुक, खाता बहियाँ, रजिस्टर, आदि।
- यात्रा दस्तावेज़, जिनमें बस/ट्रेन/हवाई टिकट, यात्रा एजेंटों के कागज़ात, यात्रा एजेंटों के विज़िटिंग कार्ड, आदि शामिल हैं।
- किराया करार, किराये की रसीदें, गृहकर की रसीदें, राशन कार्ड, पासपोर्ट, बिजली/टेलीफोन/पानी/मोबाइल फोन के बिल, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों के पंजीकरण दस्तावेज़, बीमा पॉलिसियाँ, निवेश के विवरण, बैंक पास बुक, मनी ऑर्डर की रसीदें, आदि।
- दवाओं (जिनमें गर्भनिरोधक, चिकित्सक के पर्चे, पीड़िताओं का गर्भपात कराए जाने का संकेत देने वाले अस्पताल के रिकॉर्ड शामिल हैं), सौंदर्य प्रसाधनों, अश्लील सामग्री आदि पर हुए खर्चे दिखाने वाली रसीदें और रजिस्टर।
- फोटोग्राफ, एल्बम, वीडियो कैसेट, DVD, CD, पत्र, अश्लील सामग्री, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, ब्रोशर, मीडिया में दिए गए विज्ञापन।
- पीड़ितों के परिवहन में प्रयुक्त वाहन।
- आने वालों की सूची, आने वालों/क्लाइंटों को जारी हुए 'टोकन', क्लाइंटों से संबंधित दस्तावेज़, उनके वर्गीकरण (जैसे, 'नियमित', 'नए' आदि)।
- उस स्थान के बंदियों की आय/व्यय/परिसंपत्तियों से संबंधित दस्तावेज़, जिनमें पीड़ितों की वे व्यक्तिगत चीज़ें शामिल हैं जो शोषकों/दुर्व्यवहारियों ने छिपाई हैं।

जाँच के लिए प्रासंगिकता

- वेश्यालय की मौजूदगी, और वेश्यालय में मौजूद पीड़ितों (जिनका पहले ही व्यापार किया जा चुका है, जिनका व्यापार होने की संभावना है) के नाम, पीड़ितों की संख्या, भुगतानों का विवरण, अर्जन, 'ग्राहकों', सह-अपराधियों, षड्यंत्रकारियों, दुरुत्साहकों, मानव व्यापारियों व अन्य के नाम सिद्ध करने के लिए।
- मानव व्यापार के दौरान व्यक्तियों का आना-जाना सिद्ध करने; स्रोत, पारगमन, और गंतव्य क्षेत्रों के बीच कड़ी जोड़ने; और अपराध की प्रक्रिया में शामिल अपराधियों के बीच कड़ी जोड़ने के लिए।
- वेश्यालय मौजूदगी, उसके पते और उसका प्रबंधन करने वाले लोगों के नाम और उनकी आय व अर्जन सिद्ध करने के लिए।
- पीड़ितों का यौन शोषण सिद्ध करने के लिए।
- पीड़ितों का यौन शोषण और अपराधियों के संगठित नेटवर्क की मौजूदगी सिद्ध करने के लिए।
- पीड़ितों का एक से दूसरे स्थान आना-जाना सिद्ध करने, शोषणों के स्थानों के बीच कड़ी जोड़ने, और ऐसा करके शोषकों के नेटवर्कों के बीच की कड़ियाँ जोड़ने के लिए।
- शोषण की 'माँग' वाले पहलू और शोषण के स्तर की जाँच करने के लिए।
- गैरक्रान्ती कैद के पहलुओं, पीड़ितों के शोषण के स्तर, पीड़ितों के बंधुआ ऋण को सिद्ध करने के लिए और शोषकों द्वारा अर्जित गैरक्रान्ती परिसंपत्तियों का आकलन करने के लिए भी।

परिशिष्ट 22A: शिकायत का संज्ञान लेने के लिए CrPC की धारा 200 के तहत मैजिस्ट्रेट को किए जाने वाले आवेदन का नमूना और, संबंधित SHO को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिलवाने के लिए CrPC की धारा 156(3) के तहत मैजिस्ट्रेट को किए जाने वाले आवेदन का नमूना

..... में ..... के न्यायालय में  
शिकायत वाद सं. .... वर्ष 2015

निम्नांकित के विषय में:

XYZ

बनाम

शिकायतकर्ता

1. ABC पुत्र श्री .....
2. ABCD पुत्र श्री .....

सभी यहाँ के निवासी:  
निवासी

प्रतिवादी

अनुक्रमणिका

क्रमांक

विवरण

न्यायालय शुल्क

पृष्ठ सं.

1. पक्ष ज्ञाप
2. CrPC की धारा 200 के तहत शिकायत वाद।
3. CrPC की धारा 156(3) के तहत आवेदन।
4. गवाहों की सूची
5. दस्तावेज़ों की सूची, दस्तावेज़ों के साथ।
6. वकालतनामा

श्री .....

शिकायतकर्ता .....

इनके माध्यम से

दिनांक .....

अधिवक्ता .....

..... में ..... के न्यायालय में  
शिकायत वाद सं. .... वर्ष 2015

निम्नांकित के विषय में:

XYZ

शिकायतकर्ता

बनाम

1. ABC पुत्र श्री .....
2. ABCD पुत्र श्री .....

सभी यहाँ के निवासी:  
निवासी

प्रतिवादी

पक्ष ज्ञाप

श्री XYZ पुत्र श्री abc

निवासी .....

शिकायतकर्ता .....

बनाम

ABC पुत्र श्री

BCD पुत्र श्री

ZDC पुत्र श्री

सभी यहाँ के निवासी:

निवासी

प्रतिवादी

पुलिस स्टेशन

श्री .....

इनके माध्यम से

दिनांक .....

शिकायतकर्ता .....

अधिवक्ता .....

..... में ..... के न्यायालय में  
शिकायत वाद सं. .... वर्ष 2015

निम्नलिखित के विषय में:

XYZ

शिकायतकर्ता

बनाम

1. ABC पुत्र श्री .....

2. ABCD पुत्र श्री .....

सभी यहाँ के निवासी:

निवासी

प्रतिवादी

पुलिस स्टेशन  
IPC की धारा ..... के तहत मुक़दमे का सामना करने हेतु आरोपित व्यक्तियों को बुलाने के लिए  
CrPC की धारा 200 के तहत शिकायत वाद।

पूर्ण सम्मान सहित आपको प्रदर्शित है:-

1. कि शिकायतकर्ता भारत का एक शांतिप्रिय और क़ानून का पालन करने वाला नागरिक है और उसका ..... निवास ..... पर है और शिकायतकर्ता उपर्युक्त पते पर ..... से निवास कर रहा है।

2. कि प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 आदि [प्रतिवादियों की भूमिका का संक्षिप्त वर्णन करें] है/हैं।

3. कि शिकायतकर्ता [शिकायतकर्ता की स्थिति का संक्षिप्त वर्णन करें] है। मामले की पृष्ठभूमि का वर्णन करें और वाद की कहानी के अनुसार दस्तावेज़ संलग्न करें। संलग्नक-A/B/C आदि।

4. कि .....

5. कि .....

6. कि .....

7. कि शिकायतकर्ता उच्चतर पुलिस अधिकारियों और SHO पुलिस स्टेशन ..... के समक्ष पहले ही कई बार

- अभिवेदन कर चुका है पर वे निष्प्रभावी रहे हैं।

8. कि, अब प्रतिवादी और उसके सहयोगी अभी-भी शिकायतकर्ता को नियमित रूप से धमका रहे हैं कि वह उक्त अपराधों के संबंध में किसी भी अधिकारी से संपर्क न करे।

9. कि उपर्युक्त अपराध प्रतिवादी और उसके सहयोगियों ने पुलिस स्टेशन ..... के क्षेत्राधिकार के भीतर किए हैं अतः इस माननीय न्यायालय के पास प्रस्तुत शिकायत का परीक्षण करने व उस पर विचार करने का क्षेत्राधिकार है। उपर्युक्त परिस्थितियों के आलोक में, अतैव यह प्रार्थना है कि यह माननीय न्यायालय न्याय के हित में कृपया उपर्युक्त आरोपित व्यक्तियों को बुलाए और IPC की धारा ..... के तहत उन्हें सज़ा दे। यह माननीय न्यायालय न्याय के हित और प्रोत्साहन में जो भी अन्य या अतिरिक्त राहत शिकायतकर्ता के पक्ष में और प्रतिवादी के विपक्ष में उपयुक्त व उचित समझे उन्हें पारित करने की कृपा करे।

श्री .....

शिकायतकर्ता .....

इनके माध्यम से

दिनांक .....

अधिवक्ता .....

..... में ..... के न्यायालय में  
शिकायत वाद सं. .... वर्ष .....

निम्नलिखित के विषय में:

XYZ

शिकायतकर्ता

बनाम

ABC

प्रतिवादी

पुलिस स्टेशन  
संबंधित SHO को उपर्युक्त व्यक्ति के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिलवाने और ..... में पुलिस स्टेशन ..... से रिपोर्ट मँगवाने के लिए CrPC की धारा 156(3) के तहत आवेदन:

पूर्ण सम्मान सहित आपको प्रदर्शित है:

1. कि, आवेदक/शिकायतकर्ता ने संलग्न शिकायत इस माननीय न्यायालय के समक्ष दायर की है और इस माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त शिकायत का निपटारा लंबित है। उक्त शिकायत की विषय-वस्तु को यहाँ इसमें इस आवेदन का अभिन्न अंग माना जा सकता है।

2. कि, आवेदक/शिकायतकर्ता ने SHO ..... को दिनांक ..... को एक शिकायत दी थी जिसमें नामित आरोपित व्यक्तियों द्वारा किए गए संज्ञेय अपराधों का स्पष्ट प्रकटन है।

3. कि, यहाँ इस बात का उल्लेख करना उचित होगा कि संज्ञेय अपराध किए जाने के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है और पुलिस के पास प्रतिवादी/आरोपित व्यक्ति और उसके सहयोगियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने और उसके बाद मामले की जांच करने को छोड़कर और कोई विकल्प नहीं होता है। इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से क़ानून पहले ही स्थापित कर दिया है।

4. कि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने:

“भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत विशेष अवकाश याचिका, जो 1997 J.C.C. 532 (S.C.) में सूचित हुई है, में यह निर्णय दिया है कि पुलिस संज्ञेय अपराधों की जाँच केवल तब कर सकती है यदि औपचारिक प्राथमिकी दर्ज हुई हो।”

5. कि, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा पारित कई निर्णयों में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि:

“जब संज्ञेय अपराध किए जाने से संबंधित सूचना किसी पुलिस स्टेशन में दायर की जाती है, तो पुलिस पर मामला दर्ज करने का सांविधिक दायित्व होता है और पुलिस मामले दर्ज करने से पहले यह पता करने को जाँच पर नहीं निकल सकती है कि सूचना विश्वसनीय व प्रमाणिक है या नहीं, और इस आधार पर मामला दर्ज करने से मना नहीं कर सकती है।”

प्रार्थना

उपर्युक्त परिस्थितियों के आलोक में, अतैव यह प्रार्थना है कि यह माननीय न्यायालय न्याय के हित और प्रोत्साहन में कृपया संबंधित SHO को उपर्युक्त मामले में शिकायतकर्ता की प्राथमिकी/का मामला दर्ज करने का निर्देश दे और उक्त मामले में पुलिस से रिपोर्ट तत्काल मँगवाए।

यह माननीय न्यायालय न्याय के हित और प्रोत्साहन में जो भी अन्य आदेश शिकायतकर्ता के पक्ष में और प्रतिवादी व उसके सहयोगियों के विपक्ष में उपयुक्त व उचित समझे उन्हें पारित करने की कृपा करे।

श्री ..... शिकायतकर्ता .....

इनके माध्यम से

दिनांक ..... अधिवक्ता .....

..... में ..... के न्यायालय में  
शिकायत वाद सं. .... वर्ष 2015

निम्नलिखित के विषय में: XYZ शिकायतकर्ता

बनाम

- 1. ABC पुत्र श्री .....
- 2. ABCD पुत्र श्री .....

सभी यहाँ के निवासी:

निवासी

प्रतिवादी

- गवाहों की सूची:
- 1. शिकायतकर्ता स्वयं
  - 2. श्री ..... पुत्र श्री
  - 3. .
  - 4. वे कोई भी अन्य गवाह जिन्हें माननीय न्यायालय आवश्यक मानता है।

श्री ..... शिकायतकर्ता .....

इनके माध्यम से

दिनांक ..... अधिवक्ता .....

परिशिष्ट 23: आरोप-पत्र दायर करने के लिए  
लिखित निवेदनों का नमूना (CSE हस्तक्षेप)

सेवा में,  
अपर पुलिस आयुक्त (ACP),  
पु.स्टे.: .....

दिनांक: .....

विषय: प्राथमिकी सं..... में ठोस प्रगति पर चर्चा हेतु भेंट।

आदरणीय महोदय,

मैं ..... की ओर से आपसे संपर्क कर रहा/ही हूँ।

हम सविनय आपके ध्यान में यह बात लाना चाहते हैं कि उपर्युक्त प्राथमिकी ..... को पंजीकृत किए जाने के बावजूद अभी तक आरोप-पत्र दायर नहीं किया गया है। साथ ही, मौजूदा मामले में आरोप-पत्र दायर करने की 90 दिनों की सांविधिक अवधि समाप्त हो गई है। अतः हम आपसे मामले को दृष्टिगत लेने का सादर अनुरोध करते हैं ताकि मौजूदा मामले के तहत प्रक्रिया को शीघ्रातिशीघ्र तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके।

भवदीय, .....

परिशिष्ट 24: CrPC की धारा 301 के तहत आवेदन का नमूना प्रारूप [CSE हस्तक्षेप]

प्रज्ञ अपर ज़िला न्यायाधीश ..... के माननीय न्यायालय ..... में न्यायालय सं.: .....

सत्र वाद सं. .... /20.....

इनके मध्य ..... शिकायतकर्ता बनाम और ..... आरोपित

प्राथमिकी सं.: ..... अंतर्गत धारा ..... पुलिस स्टेशन: .....

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 301 सहपठित धारा 24(8) के तहत आवेदन

| क्रमांक | विवरण                                                                                                           | पृष्ठ सं. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1       | सरकारी अभियोजन पक्ष की सहायता हेतु अवकाश के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 301 सहपठित धारा 24(8) के तहत आवेदन |           |
| 2       | वकालतनामा                                                                                                       |           |

दिनांक: ..... स्थान: .....

..... (वास्तविक शिकायतकर्ता/गवाह) इनके माध्यम से..... वकील (आवेदक का अधिवक्ता)

प्रज्ञ अपर ज़िला न्यायाधीश ..... के माननीय न्यायालय ..... में न्यायालय सं.: .....

सत्र वाद सं. .... /20.....

इनके मध्य ..... शिकायतकर्ता बनाम और ..... आरोपित

प्राथमिकी सं.: ..... अंतर्गत धारा 370/374/342/34 IPC पुलिस स्टेशन: .....

अभियोजन पक्ष की सहायता हेतु इस माननीय न्यायालय से अवकाश के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 301 सहपठित धारा 24(8) के तहत ..... की ओर से आवेदन।

पूर्ण सम्मान सहित आपको प्रदर्शित है:-

कि उपर्युक्त आवेदक ने उसकी ओर से इस माननीय न्यायालय में उसके प्रतिनिधित्व के लिए अधोहस्ताक्षरी अधिवक्ता को संलग्न व अनुदेशित किया है। इस संबंध में उपर्युक्त आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित वकालतनामा भी इस दस्तावेज़ के साथ संलग्न है।

कि आवेदक हेतु अधोहस्ताक्षरी अधिवक्ता सरकारी अभियोजन पक्ष की सहायता करना चाहता है। वह प्रज्ञ अपर सरकारी अभियोजक (AAP)/सरकारी अभियोजक (PP) के अनुदेश के तहत कार्य करेगा। अतैव सरकारी अभियोजन पक्ष की सहायता की अनुमति देने की कृपा करें।

यह कि तात्कालिक याचिका किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के बिना है, सदाशयी है और न्याय के हित में है।

प्रार्थना

ऊपर संदर्भित तथ्यों और परिस्थितियों को और न्याय के हित को ध्यान में रखते हुए, यह सविनय प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय कृपया:-

- a. इस याचिका को अनुमति दे और फलतः
- b. आवेदक हेतु अधोहस्ताक्षरी अधिवक्ता को सरकारी अभियोजन पक्ष की सहायता करने की अनुमति दे।
- c. यह माननीय न्यायालय जो भी अन्य आदेश या निर्देश इस वाद के तथ्यों के लिए और न्याय के हित में उपयुक्त व उचित समझे उन्हें भी पारित करे।

दिनांक: ..... स्थान: .....

..... (वास्तविक शिकायतकर्ता/गवाह) इनके माध्यम से..... वकील (आवेदक का अधिवक्ता)

परिशिष्ट 25: CrPC की धारा 172(2) के तहत आवेदन का नमूना प्रारूप [CSE हस्तक्षेप]

माननीय महानगरीय दंडाधिकारी, ..... के न्यायालय में

वाद सं. .... /20.....  
इनके विषय में:

इनके मध्य ..... शिकायतकर्ता  
बनाम .....  
और ..... आरोपित

प्राथमिकी सं.: .....  
दिनांक .....  
अंतर्गत धारा .....  
पुलिस स्टेशन: .....

उपयुक्त आदेशों की माँग के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 172(2) के तहत आवेदन

पूर्ण सम्मान सहित आपको प्रदर्शित है:-

यह कि तात्कालिक मामला इस माननीय न्यायालय के समक्ष अधिनिर्णय हेतु लंबित है जिसका दिनांक आज निर्धारित है। कि दिनांक ..... को ..... को मिलाकर बने छापामार दल द्वारा एक संयुक्त बचाव अभियान चलाया गया था। उक्त बचाव अभियान के दौरान, ..... के बीच की आयु के ..... पीड़ितों को ..... से छुड़ाया गया और ..... आरोपित व्यक्तियों को भी गिरफ़्तार किया गया था पर वे सभी ज़मानत पर बाहर हैं।

यह कि प्राथमिकी ..... को दर्ज की गई थी और आज तक आरोप-पत्र दायर नहीं किया गया है। सविनय निवेदन है कि CrPC की धारा 167 के तहत आरोप-पत्र दायर करने की ..... दिनों की अनिवार्य समयावधि समाप्त हो चुकी है। प्राथमिकी दर्ज हुए ..... से अधिक समय बीत चुका है और जाँच अधिकारी ने कोई भी रिपोर्ट दायर नहीं की है। CrPC की धारा 173(1) कहती है कि -

“धारा 173(1) – इस अध्याय के तहत हर जाँच बिना किसी अनावश्यक विलंब के पूरी की जाएगी।”

कि CrPC की धारा 172(2) के तहत इस माननीय न्यायालय के पास जाँचाधीन या मुकदमा-अधीन मामले की जाँच या के मुकदमे में सहायता के लिए उक्त मामले की पुलिस डायरी उक्त न्यायालय में मँगवाने की पर्याप्त शक्ति व क्षेत्राधिकार है। अतः सविनय निवेदन है कि धारा 172(2) के पठन से स्पष्ट है कि इस माननीय न्यायालय के पास जाँच अधिकारी द्वारा जाँच पूरी की जाने में हुए अनुचित विलंब की जाँच में सहयोग हेतु पुलिस डायरी मँगवाने की शक्ति है। कि तात्कालिक आवेदन एक सदाशयी आवेदन है और किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के बिना है। कि यह न्याय के सर्वोत्तम हित में है।

प्रार्थना

सविनय प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय क़ानून के अनुसार पुलिस डायरी को अभिलेख हेतु मँगाए और न्यायालय वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में जो भी अन्य आदेश उपयुक्त व उचित समझे उन्हें भी पीड़ितों के पक्ष में पारित करने की कृपा करे।

और दयालुता के इस कृत्य के लिए कर्तव्यबद्ध विनीत याची सदा प्रार्थना करेगा।

दिनांक: .....  
स्थान: .....

इनके माध्यम से..... (आवेदक/शिकायतकर्ता)

प्रज्ञ अपर ज़िला न्यायाधीश ..... के माननीय न्यायालय ..... में न्यायालय सं.: .....

सत्र वाद सं. .... /20.....

इनके मध्य ..... शिकायतकर्ता  
बनाम .....  
और ..... आरोपित

प्राथमिकी सं.: .....  
अंतर्गत धारा .....  
पुलिस स्टेशन: .....

परिशिष्ट 26: ज़मानत विरोध के आवेदन का नमूना  
प्रारूप [अवैध यौन व्यापार]

(अधिक विस्तृत प्रारूप के लिए परिशिष्ट 13 देखें)

प्रज्ञा अपर जिला न्यायाधीश ..... के माननीय न्यायालय ..... में न्यायालय सं.: .....

फौजदारी वाद सं. ....

इनके विषय में:

..... शिकायतकर्ता

बनाम

..... आरोपित

प्राथमिकी सं.: .....

दिनांक .....

पुलिस स्टेशन: .....

फौजदारी वाद सं. .... में इस माननीय न्यायालय के समक्ष ..... द्वारा यथा आवेदित  
जमानत विरोध आवेदन प्राथमिकी ..... अंतर्गत धारा .....

पूर्ण सम्मान सहित आपको प्रदर्शित है:-

कि इस वाद का माननीय न्यायालय के समक्ष अधिनिर्णय लंबित है और सुनवाई का तथा पीड़िता को प्रस्तुत करने का दिनांक आज यानी ..... को तय है। कि उपर्युक्त वाद में वाद के सच्चे व सही तथ्य इस प्रकार हैं:

यह एक स्थापित कानून है कि इस माननीय न्यायालय के पास आरोपित की ज़मानत स्वीकृत या अस्वीकृत करने की विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में यह कहा है कि ज़मानत स्वीकृत करते समय निम्न-लिखित परीक्षणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, हालाँकि यह कोई संपूर्ण सूची नहीं है:

1. अपराध की प्रकृति और उसकी गंभीरता;
2. सज़ा की तीव्रता;
3. गवाहों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंकाएँ हैं या नहीं और शिकायतकर्ता को खतरा होने की आशंका है या नहीं;
4. यह खतरा कि ज़मानत स्वीकृत किए जाने पर आरोपित फ़रार हो सकता है;
5. आरोपित के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मज़बूत मामले की मौजूदगी।

यह भी निवेदन है कि आरोपित की ज़मानत बढ़ाए जाने पर उसके फ़रार होने की उचित आशंका मौजूद है।

यह भी निवेदन है कि समता मात्र को ज़मानत स्वीकृति का एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता है, जैसा माननीय उच्च न्यायालय ने सिद्धार्थ बेहुरा बनाम CBI; अमीन खान अमानुल्लाह खान और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य 2003 (2) आंध्र लीगल डिसीज़न्स (ALD) क्रि. 123, 2003 बॉम्बे केस रिपोर्टर (BomCR) क्रि. (बॉम्बे) में निर्णय दिया है।

आरोपित की ज़मानत याचिका ऊपर उद्धृत आधारों के कारण खारिज किए जाने योग्य है। आरोपित की ज़मानत याचिका खारिज करने के द्वारा यह माननीय न्यायालय समाज को यह मज़बूत संदेश देगा कि समाज के ऐसे संदिग्ध तत्वों से क़ानून कठोरता से निपटता है।

## प्रार्थना

सविनय प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय आरोपित की ज़मानत याचिका अस्वीकार करे और न्यायालय वाद के तथ्यों और परिस्थितियों में पीड़ितों के पक्ष में जो भी अन्य आदेश उपयुक्त व उचित समझे उन्हें भी पारित करे। और दयालुता के इस कृत्य के लिए कर्तव्यबद्ध विनीत याची सदा प्रार्थना करेगा।

दिनांक: .....

स्थान: .....

इनके माध्यम से.....(आवेदक/शिकायतकर्ता)

परिशिष्ट 27: न्यायालय से अभिरक्षा आवेदन CWC को संप्रेषित करने के अनुरोध का नमूना प्रारूप

माननीय महानगरीय दंडाधिकारी, ..... के न्यायालय में वाद. सं. ....

प्राथमिकी सं.: .....  
दिनांक .....  
पुलिस स्टेशन: .....  
इनके विषय में:

..... शिकायतकर्ता

बनाम

..... आरोपित

पूर्ण सम्मान सहित आपको प्रदर्शित है:-

कि इस वाद का माननीय न्यायालय के समक्ष अधिनिर्णय लंबित है और सुनवाई का तथा पीड़िता को प्रस्तुत करने का दिनांक आज यानी ..... को तय है।

कि उपर्युक्त वाद में वाद के सच्चे व सही तथ्य इस प्रकार हैं: कि पीड़िता के अवयस्क होने के कारण उसे ..... को बाल कल्याण समिति (एतद्पश्चात “CWC”) के सामने पेश किया गया था। किशोर न्याय अधिनियम, 2000 (एतद्पश्चात, “JJ अधिनियम, 2000”) की धारा 32 विशिष्ट रूप से यह कहती है कि:

“धारा 32. समिति के समक्ष प्रस्तुति -

1. जिस भी बच्चे को देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है उसे इनमें से किसी भी व्यक्ति द्वारा समिति के सामने पेश किया जा सकता है:

i. कोई भी पुलिस अधिकारी या विशेष किशोर पुलिस इकाई या कोई नामित पुलिस अधिकारी;

ii. कोई भी सरकारी कर्मचारी;

iii. चाइल्डलाइन, कोई भी पंजीकृत स्वयंसेवी संगठन या ऐसा कोई भी अन्य स्वयंसेवी संगठन या एजेंसी जिसे राज्य सरकार द्वारा मान्यता दी गई हो;
2. राज्य सरकार पुलिस को व समिति को सूचना देने के तरीके और जब तक जाँच पूरी नहीं हो जाती तब तक बच्चे को बाल गृह भेजने और बाल गृह को सौंपने के तरीके का प्रावधान करने के लिए इस अधिनियम की अनुरूपता में नियम बना सकती है।”

कि उपर्युक्त दिनांक यानी 10 अक्टूबर, 2013 को CWC ने यह देखा कि पीड़िता देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाली बच्ची है, और समिति ने JJ अधिनियम, 2000 की धारा 31, जिसमें निम्नवत नियम किया गया है, के अनुसार उपयुक्त प्राधिकरण होने के नाते पीड़िता को अपनी अभिरक्षा में लिया और देखभाल व संरक्षण के लिए पीड़िता को ..... में रखा:

“समिति की शक्तियाँ -

बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास, और पुनर्वास के मामलों के निपटारे का और, उनकी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति का तथा उनके मानवाधिकारों के संरक्षण का अंतिम प्राधिकार समिति के पास होगा।

जहाँ भी किसी भी क्षेत्र के लिए समिति का गठन किया गया है वहाँ, उक्त समिति, तत्समय प्रभावी अन्य किसी भी क़ानून में निहित किसी भी बात के बावजूद पर इस अधिनियम में व्यक्त रूप से प्रावधानित अन्यथा बात को छोड़कर, के पास देखभाल

और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में इस अधिनियम के तहत होने वाली सभी कार्यवाहियों के साथ अनन्य रूप से निपटने की शक्ति है।”

सविनय निवेदन है कि JJ अधिनियम, 2000 की धारा 31 के अनुसार, बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास, और पुनर्वास के मामलों के निपटारे का और, उनकी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति का तथा उनके मानवाधिकारों के संरक्षण का अंतिम प्राधिकार CWC के पास है। प्रेरणा बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2003(2) महाराष्ट्र लॉ जरनल 105 में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से भी इस तर्क का समर्थन होता है। इस न्यायालय की खंड (न्याय) पीठ ने यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलि-खित दिशानिर्देश प्रदान किए कि देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे के साथ उसके सुधार और पुनर्वास की संभावना को ध्यान में रखते हुए व्यवहार किया जाना चाहिए:

“37. हमें लगता है कि निम्नलिखित निर्देश भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोक सकते हैं:  
(A) कोई भी मैजिस्ट्रेट 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति पर क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है, चाहे वह व्यक्ति क़ानून का उल्लंघन करने वाला कोई किशोर हो या देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा, जैसा किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धाराओं 2(1) और 2(d) में परिभाषित है। मैजिस्ट्रेट को, जो व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का लगे उसकी आयु निर्धारण के क़दम पहला अवसर मिलते ही उठाने चाहिए। यदि उक्त व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम पाई जाए तो मैजिस्ट्रेट को उक्त मामला, यदि वह व्यक्ति क़ानून का उल्लंघन करने वाला किशोर है तो किशोर न्याय बोर्ड को, या यदि वह व्यक्ति देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाला बच्चा है तो बाल कल्याण समिति को भेजना होगा...”

आवेदक की ओर से किया गया तात्कालिक आवेदन प्रामाणिक है और न्याय के हित में है।

प्रार्थना

अतैव, उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को और न्याय के हित को ध्यान में रखते हुए, यह सविनय प्रार्थना है कि यह माननीय न्यायालय कृपया:-

- a. आवेदक को उपयुक्त प्राधिकरण यानी बाल कल्याण समिति के समक्ष अभिरक्षा हेतु आवेदन का निर्देश दे, और/या
- b. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्यायालय जिन भी अन्य आदेशों को उपयुक्त एवं उचित समझे उन्हें पारित करे।

दिनांक: .....

स्थान: .....

..... (आवेदक/शिकायतकर्ता)  
इनके माध्यम से..... अधिवक्ता

परिशिष्ट 28: CSE हस्तक्षेप बचाव की जाँचसूची

CSE हस्तक्षेप बचाव की जांचसूची

1. 1. क्या आपने पीड़ित को गरिमापूर्ण ढंग से सुरक्षित किया है?
2. क्या आपने पीड़ित और आरोपित को अलग कर दिया है?
3. क्या आपने पीड़ित को बता दिया है कि यह अभियान उसे बचाने के लिए है, न कि उसे दोषी सिद्ध करने के लिए?
4. क्या आपने यह सुनिश्चित कर लिया है कि पुलिस डराने-धमकाने वाला कोई भी प्रश्न न पूछे और यह कि बयान एक महिला समाजसेवी की उपस्थिति में किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया जाए?
5. क्या आपने यह सुनिश्चित कर लिया है कि पीड़ित ने वेश्यालय से निकलने से पहले अपनी सारी संपत्ति/समान एकत्र कर लिया है?
6. क्या आपने यह सुनिश्चित किया है कि पीड़ित को तात्कालिक सहायता जैसे कपड़े, भोजन, चिकित्सीय आवश्यकताएँ आदि प्रदान की गई है?
7. क्या आपने पीड़ित को न्यायिक दंडाधिकारी / CWC के सामने पेश किया है?
8. क्या आपने यह सुनिश्चित किया है कि पीड़ित को आश्रय गृह की सुरक्षित अभिरक्षा में भेजा जाए?
9. क्या आपने यह सुनिश्चित किया है कि पीड़ित को किसी प्रशिक्षित पेशेवर परामर्शदाता से परामर्श मिले?
10. क्या आपने पीड़ित के परिवार का पता लगाने के लिए परिवार का विवरण नोट कर लिया है?
11. क्या आपने संबंधित जाँच अधिकारी को मानव व्यापार और दुर्व्यवहार के संबंध में पीड़ित द्वारा प्रकट किए गए सभी प्रासंगिक तथ्य बता दिए हैं?
12. क्या आपने पीड़ित को न्यायालय की कार्यवाहियों से संबंधित सभी तथ्य और विवरण बता दिए हैं?
13. क्या आपने पीड़ित को उसके परिवार के पास वापस पहुँचाने / पीड़ित को उसके परिवार के साथ फिर से एक करने के जोखिम कारकों की पहचान कर ली है?
14. क्या आपने पीड़ित को समाज के साथ फिर से एक करने और शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण या रोज़गार के विकल्पों के ज़रिए उसे आत्मनिर्भर बनाने के आवश्यक क़दम उठाए हैं?

परिशिष्ट 29: गृह जाँच रिपोर्ट का नमूना प्रारूप<sup>183</sup>

गृह जाँच रिपोर्ट  
महत्वपूर्ण नोट:

HAIR (गृह जाँच रिपोर्ट) सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित लिखित आदेश के आधार पर संचालित की जाएगी। सक्षम प्राधिकरण इस प्रकार का आदेश ऐसे किसी भी NGO, संस्थान, समाजसेवी, सरकारी कार्यबल या किसी अन्य पेशेवर को जारी कर सकते हैं जिसे गृह जाँच के संचालन का कार्य सौंपा गया हो।

HAIR को निर्धारित प्रारूप में और समर्थक दस्तावेज़ों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए; जिस एजेंसी को गृह जाँच का आदेश दिया गया था उसके अधिकृत प्रतिनिधि के विधिवत हस्ताक्षर HAIR पर होने चाहिए।

यदि HAIR अंतिम नहीं है और एक और मुलाक़ात/दौरा आवश्यक है, तो कृपया दस्तावेज़ के शीर्षक में “गृह जाँच रिपोर्ट” की बजाए “अंतरिम गृह जाँच रिपोर्ट” लिखें। HAIR को अधिकतम संभव विस्तृत बनाएँ। यदि जाँचकर्ता ने किसी ऐसे व्यक्ति का साक्षात्कार लिया है जिसका संपर्क नंबर उपलब्ध है, तो कृपया रिपोर्ट में उसका उल्लेख करें।

HAIR के संचालक व्यक्ति को पीड़ित से संबंधित गोपनीय जानकारी HAIR के संचालन के दौरान पीड़ित के परिवार या उसके समुदाय के लोगों को बताने के मामले में संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। HAIR के संचालन के दौरान समाजसेवी के पास पहचान के मान्य काग़ज़ात होने चाहिए।

अंतरिम/अंतिम - गृह जाँच रिपोर्ट

रिपोर्ट इनके समक्ष प्रस्तुत की जानी है \_\_\_\_\_

वाद सं. \_\_\_\_\_

अग्रलिखित के विषय में \_\_\_\_\_

मानव व्यापार से संबंधित पुलिस स्टेशन/संस्थान/एजेंसी (बचावकर्ता) \_\_\_\_\_

प्रोफ़ाइल सं. \_\_\_\_\_

भर्ती दिनांक: \_\_\_\_\_

ITPA/JJ अधिनियम या अन्य अधिनियम की धारा \_\_\_\_\_ के तहत बचाया गया/आरोपित।

.....

<sup>183</sup> यह एक नमूना प्रारूप है। NGO को प्रेरित किया जाता है कि वे उनके राज्य में प्रयुक्त प्रारूप का पालन करें। साथ ही, यदि किसी NGO द्वारा किसी अन्य प्रारूप का पालन किया जा रहा हो या न्यायालय/CWC किसी अन्य प्रारूप के पालन का आदेश दे, तो कृपया उस अन्य प्रारूप का पालन करें।

HIR करने वाली एजेंसी/पुलिस स्टेशन/व्यक्ति का विवरण:

|                 |  |                 |  |
|-----------------|--|-----------------|--|
| HIR दल:         |  |                 |  |
| HIR दिनांक/समय: |  | HIR दिनांक/समय: |  |
| बचाव दिनांक:    |  | बचाव स्थान:     |  |

|                                                                                       |                                 |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|--|
| पीड़ित का नाम:<br><small>(व्यक्ति के अन्य नाम शामिल करें)</small>                     |                                 | आयु:       |  |
| ज्ञात भाषाएँ:                                                                         |                                 | धर्म/जाति: |  |
| पता व जानकारी:<br><small>संपर्क व्यक्ति<br/>पता<br/>प्रमुख चिह्न<br/>फोन नंबर</small> | वर्तमान पता:<br><br>स्थायी पता: |            |  |

| परिवार की जानकारी  | नाम | व्यवसाय | वेतन | संपर्क विवरण | अन्य कोई विवरण |
|--------------------|-----|---------|------|--------------|----------------|
| पीड़ित             |     |         |      |              |                |
| माता               |     |         |      |              |                |
| पति                |     |         |      |              |                |
| भाई                |     |         |      |              |                |
| बहन                |     |         |      |              |                |
| अन्य (कृपया बताएं) |     |         |      |              |                |

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| संरक्षक कारक:<br>▶ संबंध<br>▶ परिवार की शक्तियाँ<br>▶ परिवार की आय<br>▶ माता-पिता/संबंधी                   | (जाँचकर्ता को आकलन करके अनुभाग में लिखना है। प्रश्न जाँचकर्ता के लिए हैं)। क्या आपको लगता है कि परिवार पीड़ित की देखभाल करने में सक्षम है? क्या परिवार उसे स्वीकारेगा? परिवार ने पीड़ित के लिए आगे क्या सोचा है? परिजनों द्वारा जो कुछ भी कहा जाए वे कथन। |
| जोखिम कारक:<br>▶ घरेलू हिंसा<br>▶ पदार्थ दुरुपयोग<br>▶ परिवार में रोग<br>▶ वर्तमान तनाव कारक<br>▶ कोई अन्य | घर की वर्तमान स्थिति में ऐसा क्या है जो, यदि लड़की को वापस घर भेजा जाए तो, उसे जोखिम में डाल सकता है? क्या आपको लगता है कि पीड़ित के लिए भविष्य में कोई समस्या विशेष होगी/होगी? परिजनों द्वारा जो कुछ भी कहा जाए वे कथन।                                  |
| वेश्यावृत्ति पर निर्भरता:                                                                                  | (यदि लागू हो) क्या परिवार लड़की की आय पर निर्भर है? कृपया घर पैसे भेजने की घटनाएँ और घर भेजे गए पैसे का परिवार की आय में अंश लिखें:                                                                                                                       |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पीड़ित के घर छोड़कर जाने/का मानव व्यापार किए जाने की परिस्थितियाँ: | (जैसा लागू हो) उन परिस्थितियों का वर्णन करें जिनमें लड़की ने घर छोड़ा, प्रस्थान दिनांक का, पीड़ित द्वारा या पीड़ित के बारे में किन्हीं अन्य लोगों द्वारा संपर्क किए जाने का, जो भी फोन नंबर हों उनका/लड़की को ढूँढने के लिए परिवार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख करें। (खोज, संपर्क, गुमशुद-गी की शिकायत, प्राथमिकी): |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| घर की जानकारी:       | क्या परिवार भूमि/घर का स्वामी है? या फिर किरायेदार? यदि किरायेदार, तो मासिक किराया कितना है? वे स्थायी संरचना में रहते हैं या अस्थायी में?                                                                                                                                                                                                                  |
|                      | घर के आस-पास की स्थितियों का वर्णन करें (जो भी फोटोग्राफ हों उन्हें संलग्न करें): आस-पड़ोस/मोहल्ले का संक्षिप्त वर्णन, आय के मुख्य स्रोत, आस-पड़ोस/मुहल्ले के बारे में सामान्य अवलोकन।                                                                                                                                                                      |
|                      | विस्तार से वर्णन करें कि आपने घर में क्या देखा (जो भी फोटोग्राफ हों उन्हें संलग्न करें): घर में कमरों की संख्या लिखें, घर की सामान्य स्थिति बताएँ। लिखें कि परिवार किन-किन वस्तुओं का स्वामी है, जैसे TV, फ्रिज, AC, वॉशिंग मशीन, आदि। क्या परिवार के पास स्वयं का दोपहिया वाहन या कार है?                                                                  |
| जाँचकर्ता का अवलोकन: | क्या आपको लगता है कि परिवार लड़की की अभिरक्षा लेने के लिए उपयुक्त या उचित है? यदि हाँ, तो कारण बताएँ। क्या वे लड़की की जरूरतें पूरी कर सकेंगे? क्या वह घर वापस आने पर सुरक्षित स्थान में रह सकेगी?                                                                                                                                                          |
| दस्तावेज़ सत्यापन    | पीड़ित के और परिवार के जो भी स्कूल अभिलेख, ग्राम पंचायत के प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, अवकाश और लाइसेंसिंग दस्तावेज़, जन्म प्रमाणपत्र, पैन कार्ड, फोटो आदि हों उनका उल्लेख करें। दस्तावेज़ों से पीड़ित के सही-सही नाम, पते, आयु और पारिवारिक विवरण का पता लगाना महत्वपूर्ण है। जो भी दस्तावेज़ हों उनकी प्रतियाँ HIR के अंत में संलग्न करें। |

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| अन्य स्रोतों से जानकारी: | - पंचायत (क्या समुदाय पीड़ित को स्वीकारने का इच्छुक है?) |
|                          | - पुलिस                                                  |
|                          | - स्कूल                                                  |
|                          | - पड़ोसी                                                 |
|                          | - मित्र                                                  |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मानव व्यापारी के बारे में जानकारी | परिवार को मानव व्यापारियों की पहचान, निवास, व्यवसाय, माता-पिता/पीड़ित से बातचीत, और जिन भी उल्लेखनीय मामलों की जानकारी हो उसका वर्णन करें:<br><br>उस क्षेत्र में मानव व्यापारियों के आने-जाने की बारंबारता और अवधि का वर्णन करें: |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                           |                                                                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जाँचकर्ता द्वारा विश्लेषण | (गोला बनाएँ) क्या परिवार पीड़ित की अभिरक्षा के लिए उपयुक्त है?<br>हाँ / नहीं / अनिश्चित                                |
|                           | उपयुक्तता/अनुपयुक्तता के कारणों का वर्णन और उनकी व्याख्या करें:                                                        |
|                           | पीड़ित के वेश्यावृत्ति में लौटने की संभावना को प्रभावित करने वाले जो भी कारक हों उनके नाम लिखें और उनकी व्याख्या करें: |
|                           | यदि आवश्यक हो तो, जो भी अन्य नोट्स हों वे शामिल करें:                                                                  |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| फ़ॉलो अप एजेंसी | क्या ऐसा कोई NGO, एजेंसी, आश्रय गृह, आदि है जो क्लाइंट के नियमित फ़ॉलो अप में सहायता कर सके। कृपया पूरा पता और संपर्क नंबर लिखें। (यदि लागू हो) क्या आपके आकलन के अनुसार पीड़ित के पास गाँव में रोज़गार के उचित अवसर हैं? इसका पता DWCD, SWO, CDPO, NGO आदि से बात करके लगाया जा सकता है। |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |  |        |  |
|---------------------------------|--|--------|--|
| HIR तैयारकर्ता: नाम व हस्ताक्षर |  | दिनांक |  |
|---------------------------------|--|--------|--|

परिशिष्ट 30: पीड़ित को क्षतिपूर्ति के अनुरोध का नमूना प्रारूप [CSE हस्तक्षेप]

सेवा में,  
थाना प्रभारी,  
पु.स्टे.: .....  
ज़िला .....

दिनांक: .....

विषय: IPC की धारा(ओं) 376 और 506 के तहत प्राथमिकी सं. ...., पु.स्टे. ....  
के संबंध में पीड़ित ..... की ओर से CrPC की धारा 357-A(6) के तहत आवेदन

आदरणीय महोदय,

आपके ध्यानार्थ लाना है कि ..... को आपके पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी सं. .... दर्ज हुई है। उक्त प्राथमिकी की एक प्रति संलग्नक ..... के रूप में इस आवेदन के साथ संलग्न है।

जैसा आप महोदय अवगत होंगे कि उपर्युक्त योजना पीड़ित की वित्तीय सहायता आवश्यकता को पूरा करती है और मुकदमे का निर्णय आने तक पीड़ित को अंतरिम राहत देती है, अंतिम निर्णय का परिणाम चाहे जो हो। हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि तात्कालिक मामले में, <पीड़ित का नाम>, “पीड़ित” की परिभाषा, जैसी CrPC 2 2(c) में वर्णित है, के दायरे के भीतर आता है।

“पीड़ित का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे उस कृत्य या लोप जिसका आरोप आरोपित व्यक्ति पर लगा है, के कारण कोई हानि हुई है या चोट/क्षति पहुँची है और “पीड़ित” शब्द में उसके संरक्षक या कानूनी उत्तराधिकारी शामिल हैं।” आपसे शीघ्र उत्तर की आशा के साथ आपको धन्यवाद।

प्रति: .....

इनके माध्यम से  
.....

परिशिष्ट 31: CSE हस्तक्षेपों के तहत मुकदमों में प्रस्तुत किए जाने वाले लिखित तर्कों का नमूना प्रारूप

बंगलुरु में FTC-6 (फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट - 6) के माननीय न्यायालय में  
SC सं. 0000/2011

इनके मध्य  
कर्नाटक राज्य  
विवेकनगर पुलिस के माध्यम से

और  
XYZ व अन्य

प्राथमिकी सं.: 0000/2011  
अंतर्गत धारा 4, 5, व 9, ITPA  
पुलिस स्टेशन: विवेकनगर

..... शिकायतकर्ता

..... आरोपित

| क्रमांक | विवरण                                                                                                                               | पृष्ठ |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1       | सूचनादाता के अधिवक्ता की ओर से लिखित तर्क                                                                                           |       |
| 2       | संलग्नक-P/1 – “गौरव जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य” AIR 1997 S.C. 3021                                                                  |       |
| 3       | संलग्नक-P/2 – नसीम बानो @ नसीम बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य, फौजदारी अपील सं. 121, वर्ष 2004 दिनांकित 17 जनवरी, 2011 |       |
| 4       | संलग्नक-P/3 – श्री नारायण साहा एवं एक अन्य बनाम त्रिपुरा राज्य, 2004 (7) SCC 775,                                                   |       |
| 5       | संलग्नक-P/4 – बुद्धदेव कर्मस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2011) 11 SCC 538                                                           |       |
| 6       | संलग्नक-P/5 – नीलोफ़र एवं नीलम उस्मान शैक बनाम गुजरात राज्य 2004 3 गुजरात लॉ रिपोर्टर (GLR) 2630                                    |       |
| 7       | संलग्नक-P/6 – शिवाजी साहेबराव बोबाडे बनाम महाराष्ट्र राज्य 1973 क्रिमिनल लॉ जरनल 1783                                               |       |
| 8       | संलग्नक-P/7 – विशाल जीत बनाम भारत संघ, 1990 (96) क्रिमि. लॉ. ज. 1469                                                                |       |
| 9       | संलग्नक-P/8 – पंजाब राज्य बनाम रामदेव सिंह, 2004 AIR (SC) 1290                                                                      |       |
| 10      | संलग्नक-P/10 – रफीक़ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1981 SCR (1) 402                                                                      |       |

बंगलुरु में FTC-6 (फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट - 6) के माननीय न्यायालय में  
SC सं. 0000/2011

इनके मध्य  
कर्नाटक राज्य  
विवेकनगर पुलिस के माध्यम से

र्ता

और  
XYZ व अन्य

प्राथमिकी सं.: 0000/2011  
अंतर्गत धारा 4, 5, व 9, ITPA  
पुलिस स्टेशन: विवेकनगर

..... शिकायतक-

..... आरोपित

अभियोजन में सहायता कर रहे पीड़ित के अधिवक्ता की ओर से लिखित निवेदन

पूर्ण सम्मान सहित आपको प्रदर्शित है:-

1. इस वाद में आरोपितों पर अनैतिक दुर्य्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (एतद्पश्चात “ITPA”) की धाराओं 4, 5, व 9 के उल्लंघनों का आरोप लगा है।

इस वाद में आरोपित निम्नवत हैं:

A1 – अंजू सिंह @ मारिया,  
A2 – मुस्कान रॉय,  
A3 – देवगन रॉय,

2. (a) सरकारी अभियोजन पक्ष ने अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित का साक्ष्य अभिलेखों में प्रस्तुत किया है:
1. PW 1 सुश्री बदरामा के.आर. (PI CCB),'
  2. PW 2 A (पीडित),
  3. PW 3 श्री सिदारामप्पा (सहायक आयुक्त, CCB),
  4. PW 4 B (पीडित),
  5. PW 5 C (पीडित),
  6. PW 6 D (पीडित)
  7. PW 7 E (पीडित),
  8. PW 8 F (पीडित),
  9. PW 9 G (पीडित),
  10. PW 10 डॉ चंद्रशेखर
  11. PW 11 एच तिरिउएम्प आर
  12. PW 12 W (मकानमालिक)
  13. PW 13 NGO (मूल सूचनादाता)
  14. PW 14 अमिता (स्वतंत्र महिला पंच)
  15. PW 15 श्री मल्लिकार्जुन (PI, विवेकनगर पु.स्टे.)
  16. PW 16 H (पीडित)
  17. PW 17 श्री आनंद कबूरी (निरीक्षक, CCB)

(b) निम्नलिखित वस्तुएँ भी साक्ष्य में पेश की गई थीं:

प्रदर्श P1 महाज़र  
प्रदर्श P1(a) PW1 का हस्ताक्षर  
प्रदर्श P1(b) प्र. P1(a) - PW3 का हस्ताक्षर  
प्रदर्श P2 शिकायत  
प्रदर्श P2(a) PW2 का हस्ताक्षर  
प्रदर्श P3 PW2 का हस्ताक्षर  
प्रदर्श P4 अधिसूचना PW3  
प्रदर्श P5 ITP अधिनियम की धारा 15 के तहत अभिलेख

- प्रदर्श P5(a) हस्ताक्षर
- प्रदर्श P6 पुलिस के समक्ष बयान PW4
- प्रदर्श P7 पुलिस के समक्ष बयान PW5
- प्रदर्श P8 पुलिस के समक्ष बयान PW6
- प्रदर्श P8 पुलिस के समक्ष बयान PW7
- प्रदर्श P10 पुलिस के समक्ष बयान PW8
- प्रदर्श P11 पुलिस के समक्ष बयान PW9
- प्रदर्श P12 रिपोर्ट PW10
- प्रदर्श P12(a)PW10 का हस्ताक्षर
- प्रदर्श P12 (b) प्रतिहस्ताक्षर
- प्रदर्श P13 मुद्रा
- (c) साक्ष्य सीलबंद
- MO 1 से 5 मोबाइल फोन

साक्ष्य मुकदमे के दौरान अभिलेख में लाया गया। आरोपितों का दोष सिद्ध करने वाले तथ्यों और तर्कों का सारांश निम्नवत कथित है।

3. साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध किए गए तथ्य

- a. यह कि श्री ....., मूल सूचनादाता (PW 13), एक स्वयंसेवी संगठन नामतः “NGO” का प्रतिनिधि है। NGO एक स्वयंसेवी संगठन है जो कम उम्र लड़कियों और महिलाओं की किसी भी जारी वेश्यावृत्ति के बारे में पुलिस को विश्वसनीय सूचना देकर मानव व्यापार के मामलों में पुलिस की सहायता करता है।
- b. यह कि 00.00.11 को, मूल सूचनादाता ने वेश्यावृत्ति के लिए कम उम्र लड़कियों के जारी मानव व्यापार के बारे में पुलिस को विश्वसनीय सूचना दी (PW 13)। इस विश्वसनीय सूचना के आधार पर विवेकनगर पुलिस ने CCB पुलिस के साथ स्वतंत्र गवाहों की व्यवस्था की, जो अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (एतद्पश्चात, “ITPA”) की धारा 15 के अनुसार अनिवार्य है, और तत्पश्चात एक बचाव अभियान चलाया गया (PW 13 व 14)।
- c. यह कि घटना स्थल पर पंचनामा महाज़र तैयार किया गया। विधिवत जाँच के बाद उपर्युक्त सभी आरोपितों को अपराध में संलिप्त पाया गया। पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी अपराध सं. 0000 दिनांकित 01.07.11 पंजीकृत की गई और आरोपितों को गिरफ्तार किया गया (PW 1, 2, 13 व 14)। तत्पश्चात गिरफ्तार आरोपितों और पीड़ित को ITPA की धारा 15(5) के अनुसार माननीय MMTC-1, बंगलुरु के सामने पेश किया गया। आरोपितों को न्यायिक अभिरक्षा में रिमांड पर लिया गया। तत्पश्चात, माननीय MMTC-1 ने पीड़ितों का विधिवत सत्यापन व जाँच/पूछताछ की, और उसके बाद सदमाग्रस्त पीड़ितों को एक सुरक्षित स्थान भेजा गया।
- d. यह कि विवेकनगर पुलिस ने एक आरोप-पत्र दायर किया और उस आरोप-पत्र के आधार पर माननीय MMTC-1 को आरोपितों के विरुद्ध आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण सामग्री व साक्ष्य अभिलेख में मिले और उन्होंने आरोप तय किए। इसके बाद मामले को सत्र न्यायालय को सौंपा गया क्योंकि इस पर सत्र न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया जा सकता है। आरोपित ने निर्दोष होने का निवेदन किया और मुकदमे की माँग की। सरकारी अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए। आरोपितों के बयान CrPC की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए, जिनमें उन्होंने सभी आरोपों को अस्वीकार किया है।

4. निवेदन

यह निवेदन है कि सरकारी अभियोजन पक्ष ने सभी उचित संदेहों के परे अपना पक्ष सिद्ध कर दिया है। सरकारी अभियोजन पक्ष ने सरकारी अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य द्वारा प्रस्तुत गवाहियों के माध्यम से आरोपित व्यक्तियों का दोष सफलतापूर्वक सिद्ध कर दिया है। गवाहों की पुष्ट गवाहियों के साथ-साथ, चिह्नित प्रदर्शों और ज़ब्त की जापन से भी साक्ष्य को मज़बूती मिली है; उक्त प्रदर्श व जापन स्वयं भी मज़बूती से यह सिद्ध करते हैं कि सभी आरोपित ITPA की धाराओं 4, 5 व 9 में यथा प्रतिष्ठापित आरोपों के दोषी हैं।

- a. स्वतंत्र गवाह सुश्री ..... (PW 14) के बयानों ने यह पूरी तरह सिद्ध कर दिया है कि निरीक्षक ने उनसे छापे और बचाव अभियान में भाग लेने को कहा था और उन्होंने A-1 के फ्लैट पर हुई तलाशी व ज़ब्त को स्वयं देखा भी है। स्वतंत्र गवाह ने वह सारी सामग्री भी पहचानकर सिद्ध कर दी है जिसे उनकी उपस्थिति में ज़ब्त व सीलबंद किया गया था।

साथ ही, इस गवाह ने पंचनामा महाज़र को सिद्ध किया है और अपने हस्ताक्षरों का सत्यापन भी किया है। प्रतिपरीक्षा में, बचाव पक्ष के अधिवक्ता उक्त गवाह की विश्वसनीयता को ढिगाने में असमर्थ रहे। यहाँ तक कि आरोपित भी उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों का खंडन करने में पूरी तरह विफल रहे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (संलग्नक-P/1) गौरव जैन बनाम भारत संघ एवं अन्य AIR 1997 S.C. 3021 (पैरा 16) में निम्नवत दिए गए निर्णय का आश्रय लिया गया है:

“वेश्यावृत्ति सिद्ध करने के लिए एक से अधिक ग्राहक का साक्ष्य हमेशा आवश्यक नहीं होता है। सिद्ध करने के लिए बस इतना आवश्यक है कि लड़की/महिला किसी व्यक्ति को कामुकतापूर्ण संभोग के लिए अपना शरीर भाड़े पर पेश कर रही होनी चाहिए। संभोग आवश्यक घटक नहीं है। वेश्यावृत्ति का निष्कर्ष मामले में सिद्ध की गई विभिन्न परिस्थितियों से निकाला जाता है।”

PW 16 का साक्ष्य रूप में उद्धृत बयान, जिसकी पुष्टि PW 11, PW 13, PW 14, PW 16, और PW 17 की गवाहियों ने की है, यह सिद्ध करता है कि सभी आरोपितों द्वारा महिलाओं का उपयोग वेश्यावृत्ति के लिए किया जा रहा था।

- b. यह कि आरोपित व्यक्ति जानते-बूझते हुए पीड़ित की वेश्यावृत्ति की कमाई पर जीने के दोषी हैं और अतः वे ITPA, 1956 की धारा 4 के तहत दोषी हैं। यह माना जाता है कि आरोपित धारा 4 के उल्लंघन में वेश्यावृत्ति की कमाई पर जी रहा है यदि वह: (1) किसी वेश्या के साथ रहा था या आदतन उसके साथ रहता था; (2) किसी वेश्या की गतिविधियों पर इस प्रकार नियंत्रण, निर्देश या प्रभाव का उपयोग करता था जिससे यह प्रदर्शित होता हो कि उक्त व्यक्ति ने वेश्यावृत्ति में सहायता की, उसे दुरुस्तसाहन दिया, या उसे ज़बरन करवाया; या (3) किसी वेश्या की ओर से दलाल का कार्य करता था। साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि सभी आरोपितनों ने जानते-बूझते हुए पीड़ित (PW 16) पर नियंत्रण का उपयोग किया। PW 13 व 14 और विशेष रूप से PW 16 (पीड़ित का बयान) की गवाहियों से प्रस्तुत साक्ष्य यह सिद्ध करता है कि आरोपित वाणिज्यिक यौन कार्य के लिए पीड़ित (PW16) और अन्य पीड़ितों को ग्राहकों को बेचने के द्वारा वेश्यावृत्ति की कमाई पर जी रहे थे। (संलग्नक P/2) नसीम बानो @ नसीम बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य, फौजदारी अपील सं. 121, वर्ष 2004 दिनांकित 17 जनवरी, 2011 का आश्रय लिया गया है जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने ITPA की धाराओं 4 व 5 के तहत आरोपितों की दोषसिद्धि बरकरार रखी है।
- c. यह कि आरोपित व्यक्ति वेश्यावृत्ति के लिए लड़की को प्राप्त करने, उसे उकसाने और उसे लेने के दोषी हैं और अतः वे ITPA की धारा 5 के तहत दोषी हैं। PW 16 द्वारा प्रदत्त साक्ष्य यह सिद्ध करता है कि आरोपित ने एक एजेंट से संपर्क किया था जिसके ज़रिए पीड़ित को नौकरी दिलाने के बहाने से बंगलुरु लाया गया जहाँ उसके प्रमाणपत्र और अन्य मूल्यवान वस्तुएँ उससे छीन ली गईं और स्वयं उससे वेश्यावृत्ति करवाई गई। पीड़ित ने यह बात मुख्य परीक्षा के आरंभ में स्पष्ट रूप से कही है और प्रतिपरीक्षा में इस बिंदु का खंडन भी नहीं किया गया है। प्रतिपरीक्षा में पीड़ित (PW 16) ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि उसे हिंसा की धमकी मिली थी और उसे अपने प्रमाणपत्र, जो A1 के पास थे, खो देने का डर था। पीड़ित ने अपनी गवाही में यह कहा है कि A3 और A4 ग्राहकों और वरिष्ठ महिलाओं से पैसे इकट्ठे करते थे। PW 16 ने अपनी मुख्य परीक्षा में पैरा 3 और 5 में क्रमशः निम्नवत बयान दिया है;

“... (A3) द्वारा लड़कियों से वे पैसे एकत्र किए जाते थे जो लड़कियों की वेश्यावृत्ति से कमाए गए थे। A4 घर में खाना पकाता था/पकाती थी और सभी आरोपितों का संयोजक था/थी। A5 का कार्य ग्राहक लाना और A1 से संपर्क करना था...”

“A1 और A4 द्वारा लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए राममूर्तिनगर, ..... और ..... ले जाया जाता था।”

उसने न्यायालय के सामने पैसों के लेनदेन के व्यवस्थित संगठन का और लड़कियों को विभिन्न गंतव्यों पर पहरों में ले जाए जाने का बयान दिया है (PW 16)। (संलग्नक P/3) श्री नारायण साहा एवं एक अन्य बनाम त्रिपुरा राज्य, 2004 (7) SCC 775 (पैरा 6) का आश्रय लिया गया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि;

“पीड़िता की गवाही के बारे में आश्वस्त होने हेतु आवश्यक साक्ष्य की प्रकृति हर वाद के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर होनी चाहिए। पर यदि पीड़िता वयस्क है और पूरी तरह समझदार है तो न्यायालय दोषसिद्धि को उसे (पीड़िता को) अस्थिर चित्त और अविश्वसनीय प्रदर्शित किए जाने पर आधारित करने का अधिकारी है।”

बचाव पक्ष पीड़िता (PW 16) द्वारा दी गई गवाही की विश्वसनीयता को प्रतिपरीक्षा के दौरान ढिगा पाने में असमर्थ रहा है। पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार हुआ है और उसका शोषण हुआ है और आरोपितों के कृत्यों के कारण उसे अत्यधिक कष्ट भुगतना पड़ा है, और ये सारी बातें उसने इस माननीय न्यायालय के सामने अपने बयान में कही हैं। अतः आरोपित ITPA, 1956 की धारा 5 के तहत दोषी हैं। (संलग्नक P/2) नसीम बानो @ नसीम बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य का आश्रय लिया जा सकता है (ऊपर लिखित)

- d. आरोपित अनैतिक दुर्यापार निवारण अधिनियम की धारा 9 के तहत पीड़ित को वेश्यावृत्ति के लिए फुसलाने के दोषी हैं। ITPA की धारा 9 'ऐसे किसी भी व्यक्ति को सजा देती है जिसके पास किसी व्यक्ति की अभिरक्षा है, का प्रभार है या की देखभाल की ज़िम्मेदारी है या वह उस व्यक्ति के ऊपर प्राधिकार रखने की स्थिति में है और वह वेश्यावृत्ति के लिए उस व्यक्ति को फुसलाता है या फुसलाने में सहायता करता है या फुसलाने को दुरुत्साहन देता है'। (संलग्नक P/4) नीलोफ़र एवं नीलम उस्मान शैक बनाम गुजरात राज्य 2004 3 गुजरात लॉ रिपोर्टर (GLR) 2630 में गुजरात उच्च न्यायालय ने रमेश बनाम महाराष्ट्र राज्य, AIR 1962 SC 1908 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का आश्रय लेते हुए 'फुसालना' शब्द की व्याख्या करते हुए निम्नवत कहा है:

“‘फुसलाना’ क्रिया का उपयोग दो अर्थों में किया जाता है। पहला अर्थ, जो साधारण व संकीर्ण है – किसी महिला को पहली बार शील के पथ से हटने को प्रेरित करना (शीलभंग), और दूसरा अर्थ, जो अधिक व्यापक है – किसी महिला को किसी भी समय या किसी भी अवसर पर अवैध संभोग हेतु समर्पण के लिए प्रेरित करना।

इस वाद में यह अवलोकन भी दिया गया है कि;

“...यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई उक्त शब्द की व्याख्या के अनुसार भी, यह अकेला बयान ही अनैतिक दुर्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 की धारा 9 के आह्वान के लिए पर्याप्त है। उक्त निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं भी यह अवलोकन नहीं दिया है कि फुसलाने के लिए बाध्यता का घटक होना आवश्यक है। पैरा 8 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलोकन दिया है कि फुसलाने का अर्थ समझाने-बुझाने, चापलूसी, प्रलोभन या ज़िद के फलस्वरूप किसी ऐसी महिला द्वारा अपना शरीर समर्पित करने से है जो अन्यथा स्वयं को अवैध संभोग के लिए समर्पित करने की अनिच्छुक है, चाहे यह समर्पण पहली बार हो या इससे पहले के अवसरों पर इसी प्रकार का समर्पण किया गया हो। सर्वोच्च न्यायालय का यह अवलोकन ... धारा 9 को प्रथम दृष्टया लागू करने के लिए उपर्युक्त गवाह के एक अकेले बयान पर विचार किए जाने पर भी, प्रस्तुत वाद के तथ्यों को कवर करता है ... और पुलिस कागजात से प्रथम दृष्टया प्रकट होने वाले नेटवर्क से यह स्पष्ट है कि धन की अत्यधिक आवश्यकता वाली महिलाओं को प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अन्य व्यक्तियों के ज़रिए तलाशा जाता था और अहमदाबाद लाया जाता था जहाँ उन्हें आरोपितों द्वारा वनश्री बंगले में रखा जाता था। यह सच है कि भले ही उनकी सभी गतिविधियाँ प्रतिबंधित न की गई हों, पर इससे यह वाद वर्तमान में, धारा 9 में यथा प्रयुक्त वाक्यांश “जिसके पास किसी व्यक्ति की अभिरक्षा है, का प्रभार है या की देखभाल की ज़िम्मेदारी है या वह उस व्यक्ति के ऊपर प्राधिकार रखने की स्थिति में है” से बाहर नहीं हो जाता है।”

पीड़ित (PW 16) ने न्यायालय के सामने यह बयान दिया है कि A1 ने उसे ललचाकर और फुसलाकर इस व्यापार में धकेला था। पीड़ित एक बेहतर नौकरी मिलने के वादे के झाँसे में आकर अपने जन्मस्थान को छोड़कर बंगलुरु आई थी। वह A1 की देखरेख में आई थी, और उसने A1 पर भरोसा करके अपनी मूल्यवान वस्तुएँ उसे दे दीं। A1 ने A2, A3, A4 और A5 की सहायता से उसके साथ विश्वासघात किया और ऐसा करने के द्वारा उन्होंने पीड़ित की वेश्यावृत्ति में सहायता की और उसे दुरुत्साहन दिया। आज तक पीड़िता को उसे देय कोई भी धन नहीं मिला है। सर्वोच्च न्यायालय ने (संलग्नक P/5) बुद्धदेव कर्मस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2011) 11 SCC 538 में गरीबी और ज़िंदा रहने की आवश्यकता के फलस्वरूप वेश्यावृत्ति में कदम रखने वाली महिलाओं की दुर्दशा पर सहानुभूति जताई है। महिलाओं को उनकी परिस्थितियों के कारण वेश्यावृत्ति में जबरन धकेला जाता है। तात्कालिक आरोपित ने पीड़ित को उसके जन्म स्थान से लाने के द्वारा उसे अपने नियंत्रण व ज़िम्मेदारी में लिया था और उसने अंजान भाषा वाले अंजान शहर के कारण पीड़िता के मन में पैदा डर का लाभ लेते हुए उसकी गतिविधियों पर नियंत्रण किया और उसे वेश्यावृत्ति में जबरन धकेल दिया। पीड़ित एक शिक्षित लड़की है और इसलिए, तदनुसार, उसके भी यह सपने और आकांक्षाएँ थी कि उसे देश के IT केंद्र में एक सम्मानपूर्ण नौकरी मिले। जैसा पीड़ित (PW16) ने कहा है, "आरोपित" ने उसकी शैक्षिक योग्यताओं से संबंधित दस्तावेज़ ले लिए और इसलिए, आरोपित ने उसकी इच्छा के विरुद्ध वेश्यावृत्ति करने के लिए उसे अप्रत्यक्ष रूप से विवश किया क्योंकि पीड़िता के दस्तावेज़ आरोपित के पास थे। पीड़ित बिल्कुल अकेली थी और इसलिए आरोपित के पास पीड़ित पर पूरा नियंत्रण था। सर्वोच्च न्यायालय वाद... के अनुसार (अप्रत्यक्ष आरोप)।

- e. (संलग्नक P/6) शिवाजी साहेबराव बोबाडे बनाम महाराष्ट्र राज्य 1973 क्रिमिनल लॉ जरनल 1783 (पैरा 19) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निम्नलिखित अवलोकन फौजदारी मुकदमों में साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय ध्यान रखने योग्य हैं:

“यदि आरोपित के विरुद्ध वाद केवल एक चश्मदीद गवाह के साक्ष्य पर निर्भर है तो भी वह किसी सक्षम व ईमानदार व्यक्ति की विशुद्ध गवाही पर दी गई दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त हो सकता है...” (पृष्ठ 10)।

अतः तात्कालिक वाद में पीड़ित की स्पष्ट, संक्षिप्त और विश्वसनीय गवाही पर्याप्त है क्योंकि उसने अपराधों को स्वयं देखा है और उसकी विश्वसनीयता पर कोई संदेह नहीं है।

- f. कई बदनसीब कम उम्र लड़कियाँ और महिलाओं को ललचाकर वेश्यावृत्ति के लिए प्राप्त किया जाता है। उन्हें वेश्यावृत्ति के दुष्चक्र में धकेल दिया जाता है और उनसे निरंतर यौन दुर्य्यवहार होता है। यह एक गंभीर और जघन्य अपराध है। सर्वोच्च न्यायालय के एक उद्धरण (संलग्नक-P/7) “विशाल जीत बनाम भारत संघ, 1990 (96) क्रिमिनल लॉ जरनल 1469”, पैरा 7 व 15, का आश्रय लिया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों और लड़कियों को “देह व्यापार” में ज़बरन धकेलने के अपराध को “घृणित और घिनौना” कहा है और कठोर व तेज़ कानूनी कार्रवाई की माँग की है:

“यह अत्यंत खेदजनक और हृदयविदारक है कि गरीबी से ग्रस्त बहुत से बच्चों और यौवन की प्रथम अवस्था में मौजूद लड़कियों को ‘देह बाज़ार’ में ले जाया जाता है और ज़बरन ‘देह व्यापार’ में धकेल दिया जाता है, जिसे मानवजाति की नैतिकता, सभ्यता, और गरिमा के सभी सिद्धांतों के अतिशय उल्लंघन के साथ संचालित किया जा रहा है। इसमें कोई दोराय नहीं हो सकती हैं - और वस्तुतः हैं भी नहीं - कि सभी प्रकार की अकल्पनीय अशिष्टता के साथ किए जाने वाले इस घृणित और घिनौने अपराध को कठोर कदमों द्वारा सभी स्तरों पर ख़त्म किया जाना चाहिए। (पैरा 7) वेश्यावृत्ति की इस विनाशकारी बुराई का दमन और खात्मा केवल तब संभव है जब इस संबंध में विधि प्रवर्तन प्राधिकारी सभी पापियों जैसे दलालों, ब्रोकरोँ और वेश्यालय के रखवालों आदि के विरुद्ध गंभीर और तेज़ कानूनी कार्रवाई करें” (पैरा 15)।

- g. यह कि तात्कालिक अपराध जघन्य और गंभीर प्रकृति हैं, जिनसे समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। समाज में असुरक्षित महिलाओं का संरक्षण करने की आवश्यकता है। अतैव महिलाओं, विशेष रूप से बच्चों, के विरुद्ध यौन दुर्य्यवहार के मामलों के प्रति अधिक संवेदनशीलता नहीं बरतने से समाज के सामूहिक हितों के ख़तरे में पड़ने का जोखिम है। (संलग्नक-P/8) पंजाब राज्य बनाम रामदेव सिंह, 2004 AIR (SC) 1290 (पैरा 16) का आश्रय लिया गया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नवत निर्णय दिया है:

“समाज में आसान शिकार की खोज में निकले भेड़ियों को अयोग्य दोषमुक्ति से प्रोत्साहन मिलेगा, तब तो और भी अधिक जब अपराध के पीड़ित असहाय महिलाएँ या अवयस्क बच्चे हों। न्यायालयों को महिलाओं, विशेष रूप से सुकुमार आयु की महिलाओं और बच्चों पर यौन हमलों के आरोपों से निपटते समय अधिक ज़िम्मेदारी की समझ दर्शानी होगी और अधिक संवेदनशीलता बरतनी होगी।

पीड़ित (PW 16) आरोपितों और उनकी संगठित कार्य प्रणाली के हाथों में ऐसी ही एक ‘आसान शिकार’ बन गई थी।

- h. यह कि पीड़ित (PW 16), जिसने उसके साथ हुए अन्याय के कारण भावनात्मक और शारीरिक कष्ट भुगते हैं, का साक्ष्य तात्कालिक वाद में दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है। (संलग्नक-P/9) महाराष्ट्र राज्य बनाम चंद्रप्रकाश केवल चंद जैन, 1990 SCR (1) 115 (पैरा 17) का आश्रय लिया गया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि:

“दुर्लभतम मामलों को छोड़कर, पुष्टि की माँग पर अड़ना किसी अन्य व्यक्ति की कामवासना की शिकार महिला को सह-अपराधी मानकर नारीत्व का अपमान करने के बराबर है। किसी महिला से यह कहना उसके घावों पर नमक छिड़कने के बराबर होगा कि उसके दुखों की कहानी पर तब तक विश्वास नहीं किया जाएगा जब तक महत्वपूर्ण विवरण में उसकी पुष्टि न हो, जैसा किसी सह-अपराधी के मामले में होता है... ऐसे मामलों में न्यायालय को किस मानक के प्रमाण की अपेक्षा करनी चाहिए यह तय करने में न्यायालय को इस तथ्य को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे अपराध आम तौर पर छिपकर किए जाते हैं और पीड़िता से इतर किसी अन्य व्यक्ति का प्रत्यक्ष साक्ष्य बहुत दुर्लभ मामलों में ही उपलब्ध होता है। न्यायालयों को यह भी समझना चाहिए कि साधारणतः कोई भी महिला, विशेष रूप से कोई कम उम्र लड़की, उसकी पवित्रता से संबंधित झूठा आरोप लगाकर अपनी प्रतिष्ठा दाँव पर नहीं लगाएगी।”

साथ ही, (संलग्नक-P/10) रफ़ीक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1981 SCR (1) 402 (पैरा 5 व 6) का भी आश्रय लिया जा सकता है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः यह निर्णय दिया है कि:

“पुष्टि को किसी पीड़िता की गवाही पर न्यायिक विश्वास की शर्त बनाना क़ानून का विषय नहीं है बल्कि प्रस्तुत परिस्थितियों के तहत विवेक का मार्गदर्शन है... जब बलात्कारी अपनी कामकुतापूर्ण स्वच्छंद हरकतों में मदमस्त हो रहे हैं और दुनिया की आधी आबादी - यानी महिलाएँ - अपनी घोर बदनसीबी के विरुद्ध प्रदर्शन कर रही हैं, और चूँकि कोई भी इज़्जतदार महिला किसी व्यक्ति पर बलात्कार का आरोप नहीं लगाएगी क्योंकि ऐसा करके वह अपनी सबसे प्रिय चीज़ खो देगी, अतः हम एक आदिम सिद्धांत से लिपटे नहीं रह सकते हैं और पुष्टिकारी गवाही की माँग पर अड़े नहीं रह सकते हैं, तब भी नहीं जब समग्र रूप से देखने पर, न्यायाधीश के मन में यह बात आए कि पीड़ित द्वारा वर्णित प्रकरण संभावित मात्र लगता है।”

बलात्कार के ही समान, कोई भी महिला किसी अन्य व्यक्ति पर उसकी दलाली करने या उसका यौन शोषण करने का झूठा आरोप नहीं लगाएगी; वह उक्त आरोप केवल तब लगाएगी जब उसने इस संबंध में समान प्रकार से गंभीर कष्ट भुगता हो; यहाँ पीड़ित का सम्मान दाँव पर है।

प्रार्थना

न्याय मिलने के उद्देश्य के लिए और न्याय का दुरुपयोग रोकने के लिए पूर्व-सिद्ध तथ्यों और परिस्थितियों को और साक्ष्य रूप में उद्धृत और सिद्ध की जा चुकी गवाहियों को ध्यान में रखते हुए, यह सविनय प्रार्थना है कि यह माननीय न्यायालय:

- a. A1 से A6 को ITPA, 1956 की धाराओं 4, 5 और 9 के तहत दोषी मानने की कृपा करे।
- b. A1 से A5 को ITPA, 1956 की धारा 4 के तहत अधिकतम अवधि के कारावास और अधिकतम जुर्माने की सज़ा देने की कृपा करे।
- c. A1 से A5 को ITPA, 1956 की धारा 5 के तहत दोषी सिद्ध करके अधिकतम अवधि के कारावास और अधिकतम जुर्माने की सज़ा देने की कृपा करे।
- d. A1 से A5 को ITPA, 1956 की धारा 9 के तहत दोषी सिद्ध करके अधिकतम अवधि के कारावास और अधिकतम जुर्माने की सज़ा देने की कृपा करे।
- e. यह माननीय न्यायालय जो भी अन्य आदेश या निर्देश इस वाद के तथ्यों के लिए और न्याय के हित में उपयुक्त व उचित समझे उन्हें भी पारित करने की कृपा करे।

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| दिनांकित   | अमिताभ राज                  |
| बंगलुरु    | (सूचनादाता NGO का अधिवक्ता) |
| Exhibit P6 | Statement before Police PW4 |

परिशिष्ट 31: प्रायः उठाए जाने वाले समापन तर्क के टॉपिक

प्रायः उठाए जाने वाले समापन तर्क के टॉपिक<sup>184</sup>

1. वेश्यावृत्ति की मात्र एक घटना वेश्यालय सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है।
2. सार्वजनिक स्थान की परिभाषा
3. CSX (वाणिज्यिक यौन शोषण) एक जघन्य अपराध है
4. धोखे से सहमति
5. दुरुत्साहन (उकसावा/सहायता/बढ़ावा)
6. ITPA के लिए विशेष अधिकारीगण
7. स्थानीय गवाह
8. कार्यविधिगत अनियमितताएँ—स्थानीय गवाह का अभाव
9. कार्यविधिगत अनियमितताएँ—वॉरंट बिना तलाशी के आधार दर्ज नहीं करना
10. अवैध तलाशी से प्राप्त साक्ष्य—यदि प्रासंगिक हों तो प्रयोग हो सकते हैं
11. छापे में IO उपस्थित
12. छापे में IO उपस्थित
13. जाँच में चूक — IO की लापरवाही पीड़िता की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं कर सकती है
14. पूरी तरह दोषरहित जाँच करना असंभव है
15. जाँच में चूक — बचाव पक्ष को लाभ तब तक नहीं मिल सकता जब तक IO से इसके बारे में पूछा न जाए
16. प्राथमिकी में विवरण अनुपस्थित — आरोपित का नाम न होना
17. प्राथमिकी में विवरण अनुपस्थित — आरोपित का नाम न होना और प्राथमिकी दर्ज करने में देरी
18. पीड़ित की आयु — अपराध होने के समय पर निर्धारित की जाती है, न कि बचाव के समय पर
19. पीड़ित की आयु — ऐसा कोई नियम नहीं है कि त्रुटि की गुंजाइश के लिए अतिरिक्त वर्ष जोड़े जाने चाहिए
20. केवल पीड़ित की गवाही — पुष्टि के बिना, बलात्कार की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त हो सकती है
21. केवल पीड़ित की गवाही — मानव व्यापार के मामले की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है
22. पीड़ित का बयान — देरी
23. पीड़ित का बयान — मामूली विसंगतियाँ क्योंकि सदमा परामर्श के बाद पीड़ित खुलकर बयान देता/ती है
24. पीड़ित का बयान — हर मामले में थोड़ी विसंगति होना निश्चित है
25. पीड़ित की विश्वसनीयता — विश्वसनीय क्योंकि रूढ़िवादी भारतीय समाज में लड़कियाँ बलात्कार स्वीकारने की अनिच्छुक होती हैं
26. पीड़ित का चरित्र
27. NGO गवाह, गवाहों की गवाहियों की पुष्टि कर सकते हैं
28. पुलिस की गवाही विश्वसनीय होती है
29. गवाहों की गवाहियों में विसंगतियाँ — सरकारी अभियोजन पक्ष का दोषमुक्त होना ज़रूरी नहीं है
30. गवाहों की गवाहियों में मामूली विसंगतियाँ सच की कसौटी हैं
31. गवाहों की गवाहियों में विसंगतियाँ — समय बीतने के कारण होना निश्चित है
32. गवाहों की गवाहियों में विसंगतियाँ — वे कारण जिनके चलते न्यायालयों को मामूली विसंगतियों को महत्व नहीं देना चाहिए
33. कुछ गवाहों से पूछताछ नहीं करना
34. कुछ गवाहों से पूछताछ नहीं करना — समय बचाने और गवाहियों के दोहराव से बचने के लिए उचित है
35. सज़ा — अपराध की क्रूरता से संगत होनी चाहिए
36. सज़ा — पीड़ित की कम उम्र सज़ा की गंभीरता बढ़ाने वाला कारक होती है
37. सज़ा — अपराध की क्रूरता सज़ा की गंभीरता बढ़ाने वाला कारक होती है
38. यौन दुर्य्यवहार एक जघन्य अपराध है
39. बलात्कार के कारण गंभीर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान होता है
40. पीड़ित को क्षतिपूर्ति

<sup>184</sup> यह चार्ट समापन तर्क तैयार करने वालों के लिए सहायक के रूप में 10 अप्रैल, 2013 को बनाया गया था। इसमें आम तौर पर उठाए जाने वाले मसले और प्रासंगिक वाद उद्धरण हैं। इस चार्ट को समापन तर्क के अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है — सबसे पहले संविधि के उल्लंघन का प्रमाण, फिर कार्यविधिगत दोषों और गवाहों की गवाहियों में दोषों पर बचाव पक्ष के आम तर्क, और फिर सज़ा तथा पीड़ित की क्षतिपूर्ति।

|                                                                                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वेश्यावृत्ति की मात्र एक घटना वेश्यालय सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है।                                    | गौरव जैन बनाम भारत संघ, AIR 1997 SC 3021, पैरा 16 (सर्वोच्च न्यायालय 1997)।                                      | “परिवेशी परिस्थितियों के साथ एक अकेली घटना यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हो सकती है कि स्थान का उपयोग वेश्यालय के रूप में किया जा रहा है और आरोपित व्यक्ति उसे वेश्यालय के रूप में रख रहा था। सरकारी अभियोजन पक्ष को बस इतना सिद्ध करना होता है कि अमुक परिसर में कोई महिला कामुकतापूर्ण संभोग के लिए अपना शरीर भाड़े पर पेश करने के कृत्य में संलिप्त है।”                                                  |
| सार्वजनिक स्थान की परिभाषा                                                                               | गौरव जैन बनाम भारत संघ, AIR 1997 SC 3021, पैरा 18 (सर्वोच्च न्यायालय 1997)।                                      | सर्वोच्च न्यायालय ने “सार्वजनिक स्थान” की परिभाषा इस प्रकार दी है: “ऐसा कोई भी स्थान जो जनता द्वारा उपयोग के लिए या को सुलभ होने के लिए उद्दिष्ट है और इसमें सभी सार्वजनिक परिवहन शामिल हैं। उसका सार्वजनिक संपत्ति होना आवश्यक नहीं है। यदि वह निजी संपत्ति है तो भी, इतना पर्याप्त है कि वह स्थान जनता के लिए सुलभ हो। उसे ऐसा स्थान होना चाहिए जिसका जनता वस्तुतः प्रयोग करती है या जहाँ बार-बार आती है।” |
| CSX (वाणिज्यिक यौन शोषण) एक जघन्य अपराध है                                                               | विशाल जीत बनाम भारत संघ, 1990 (96) क्रि. लॉ ज. 1469, पैरा 7, 15                                                  | सर्वोच्च न्यायालय ने बच्चों के वाणिज्यिक यौन शोषण को “अकल्पनीय अशिष्टता” के साथ किया जाने वाला एक “घृणित व घिनौना अपराध” बताया है जिसे केवल तब खत्म किया जा सकता है यदि न्यायालय “सभी पापियों के विरुद्ध गंभीर और तेज़ कानूनी कार्रवाई करें”।                                                                                                                                                                |
| धोखे से सहमति अमान्य है                                                                                  | दीलिप सिंह उर्फ़ दिलीप कुमार बनाम बिहार राज्य, AIR 2005 SC 203, पैरा 27 (सर्वोच्च न्यायालय 2005)।                | “जिससे लड़की का अधिकार लिया गया है उस व्यक्ति की सहमति यदि धोखे से प्राप्त की गई है, तो इस ग्रहण को उक्त व्यक्ति के विरुद्ध किया गया ग्रहण माना जाता है।”                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VG (असुरक्षित समूहों) की “अभिरक्षा” और “उन पर प्राधि-कार”, तब भी जब VG की गतिविधियाँ प्रतिबंधित नहीं हैं | नीलोफ़र और नीलम उस्मान शेख बनाम गुजरात राज्य, (2004) 3 GLR 2630, पैरा 21 (गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद, 2004)। | भले ही लड़कियों की गतिविधियाँ प्रतिबंधित न की गई हों, पर इससे यह वाद वर्तमान में, ITPA की धारा 9 में यथा प्रयुक्त वाक्यांश “जिसके पास किसी व्यक्ति की अभिरक्षा है, का प्रभार है या की देखभाल की जिम्मेदा-री है या वह उस व्यक्ति के ऊपर प्राधिकार रखने की स्थिति में है” से बाहर नहीं हो जाता है।”                                                                                                            |
| दुरुत्साहन - यदि मुख्य आरोपित को निर्दोष घोषित किया गया है तो भी अनुमन्य।                                | जमुना सिंह बनाम बिहार राज्य, AIR 1967 SC 553 (सर्वोच्च न्यायालय 1966) पैरा 6।                                    | “कानून में यह निर्णय नहीं दिया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध विशेष को दुरुत्साहन देने का दोषी कभी-भी सिद्ध नहीं किया जा सकता है जबकि दुरुत्साहन के परिणामस्वरूप वह अपराध करने के आरोपित व्यक्ति को निर्दोष सिद्ध कर दिया गया है। दुरुत्साहक के दोष का प्रश्न दुरुत्साहित कृत्य की प्रकृति पर और दुरुत्साहन देने के तरीके पर निर्भर करता है।”                                                      |

|                                                                                                                                         |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITPA के लिए विशेष अधिकारीगण: निरीक्षक या इससे ऊपर की रैंक वाले सभी अधिकारियों को विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जा सकता है | कोलकाता पुलिस गज़ट, 5 नवंबर, 1996 और 16 सितंबर, 2008।                          | “अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम), 1956 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्यपाल पश्चिम बंगाल पुलिस एवं कलकत्ता पुलिस प्राधिकरण के तहत पुलिस निरीक्षक और उससे ऊपर की रैंक के सभी अधिकारियों को अपने-अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में अनैतिक दुर्व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के तहत आने वाले अपराधों से निपटने के लिए विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करने को तत्काल प्रभाव से एतद्द्वारा नियुक्त करते हैं।”                                                                                                                                                                  |
| स्थानीय गवाह                                                                                                                            | धारा 15(2)।                                                                    | धारा 15 के तहत वॉरंट बिना तलाशी के दौरान दो “सम्माननीय स्थानीय निवासियों”, जिनमें से एक महिला हो, को उपस्थित होना चाहिए। महिला स्वतंत्र गवाहों का स्थानीय निवासी होना ज़रूरी नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| कार्यविधिगत अनियमितताएँ – स्थानीय गवाह का अभाव                                                                                          | बाई राधा बनाम गुजरात राज्य, AIR 1970 SC 1396, पैरा 6 (सर्वोच्च न्यायालय 1968)। | धारा 15(2) की स्थानीय गवाहों से संबंधित आवश्यक-ता के पूर्ण अनुपालन में विफलता “कोई अवैधता नहीं है बल्कि एक अनियमितता मात्र है”।<br><br>वहाँ, पुलिस एक स्वतंत्र गवाह प्रेम सिंह को छापे में ले गई थी, पर वह उस मुहल्ले का निवासी नहीं था जहाँ तलाशी हुई थी। अन्य स्वतंत्र गवाह एक महिला थी और वह भी उस मुहल्ले की निवासी नहीं थी। न्याया-लय ने अनियमितता के बावजूद तलाशी से मिले साक्ष्य को विश्वसनीय पाया। ऐसी अनियमितताएँ सरकारी अभियोजन पक्ष के मामले को तब तक हानि नहीं पहुँचाती हैं जब तक वे बचाव पक्ष के लिए प्रतिकूल प्रभाव न रखती हों।                                                                    |
| कार्यविधिगत अनियमितताएँ – वॉरंट बिना तलाशी के आधार दर्ज नहीं करना                                                                       | बाई राधा बनाम गुजरात राज्य, AIR 1970 SC 1396, पैरा 6 (सर्वोच्च न्यायालय 1970)। | “तलाशी लेने का क्षेत्राधिकार या शक्ति संविधि द्वारा दी गई थी, वह कारणों के अभिलेखन से व्युत्पन्न नहीं थी।”<br><br>बाई राधा मामले में, पुलिस ने वारंट बिना तलाशी के अपने आधार दर्ज नहीं किए और उसके पास दो स्थानीय गवाह भी नहीं थे, पर न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि कार्यविधि के ये दोष बचाव पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं और संपूर्ण कार्यवाही को हानि नहीं पहुँचाते हैं। “अधिनियम के तहत की जाने वाली तलाशी को धारा 15 के उपबंधों का अनुपालक होना ही चाहिए; पर यह निर्णय नहीं दिया जा सकता है कि यदि किसी तलाशी को उस धारा के उपबंधों के सख्त अनुसरण में संचालित नहीं किया गया है तो मुकदमा अवैध है।” |
| अवैध तलाशी से प्राप्त साक्ष्य – यदि प्रासंगिक हों तो प्रयोग किए जा सकते हैं                                                             | हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम श्री पिथी चंद एवं एक अन्य, AIR 1996 SC 977, पैरा 5।   | “यह स्थापित क़ानून है कि जाँच में की गई किसी अवैधता से उस जाँच के तहत प्राप्त साक्ष्य अस्वीकार्य नहीं हो जाता है। अवैध तलाशी के बावजूद, उक्त तलाशी के आधार पर ज़ब्त संपत्ति आगे की जाँच और आरोपित के विरुद्ध सरकारी अभियोजन का आधार बनेगी।”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| छापे में IO उपस्थित                                                                       | भास्कर रामप्पा मदार बनाम कर्नाटक राज्य, 2009 क्रि. लॉ ज. 2422, पैरा 5-6।                                                               | <p>“[मा]त्र यह तथ्य कि शिकायतकर्ता ने जाँच संचालित की, सरकारी अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा... मामले को, किसी भी सार्वत्रिक सामान्यीकरण के बिना, वाद-दर-वाद आधार पर तय किया जाना आवश्यक है।”</p> <p>भास्कर के मामले में, विचारण न्यायालय ने जाँच को इसलिए दूषित पाया था क्योंकि शिकायतकर्ता जाँच अधिकारी भी था। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी दी कि मृतका के पति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, और SI ने मामला दर्ज किया था, और DSP ने आरोप-पत्र दायर किया था; अतैव, सर्वोच्च न्यायालय ने जाँच के दूषित पाए जाने को कोई मुद्दा नहीं माना था।</p>                                                                                                  |
| छापे में IO उपस्थित                                                                       | मनमीत सग्गू बनाम महाराष्ट्र राज्य, फ़ौजदारी अपील सं. 222, वर्ष 2004, 17 अक्टूबर, 2008 को निर्णीत (बॉम्बे उच्च न्यायालय 2008), पैरा 11। | <p>मनमीत सग्गू बनाम महाराष्ट्र राज्य, फ़ौजदारी अपील सं. 222, वर्ष 2004, 17 अक्टूबर, 2008 को निर्णीत (बॉम्बे उच्च न्यायालय 2008), में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सरकारी स्टॉप की जाल-साज़ी हेतु दोषसिद्धि को बरकरार रखा, और जाँच अधिकारी छापे में उपस्थित था। उसमें, IO को जाली स्टॉप छापे जाने की सूचना मिली थी, उसने सूचना का सत्यापन किया, फिर प्राथमिकी दर्ज की और परिसर पर छापा मारा। न्यायालय को IO की जाँच में कुछ भी “अस्वाभाविक” नहीं मिला और न्यायालय ने यह टिप्पणी दी कि IO ने “यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती कि वह किसी ग़लत जानकारी के आधार पर छापा न मार रहा हो” और यह कि छापे के गवाहों ने IO के साक्ष्य की पुष्टि की।</p> <p>मनमीत सग्गू, पैरा 11 में।</p> |
| जाँच में चूक – IO की लापरवाही पीड़िता के बयान की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं कर सकती है। | पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह एवं अन्य, 1996 क्रि. लॉ ज. 1728 (SC), पैरा 9।                                                             | <p>“पुनः, यदि जाँच अधिकारी ने जाँच उचित ढंग से नहीं की या वह अपनी लापरवाही के कारण ड्राइवर या कार का पता लगाने में असमर्थ रहा, तो यह तथ्य पीड़िता की गवाही पर अविश्वास करने का आधार भला कैसे हो गया? पीड़िता का जाँच एजेंसी पर कोई नियंत्रण नहीं था और जाँच अधिकारी की लापरवाही पीड़िता के बयान की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं कर सकती है। विचारण न्यायालय ने इस कारण पीड़िता की गवाही को अविश्वसनीय मानकर ग़लत किया है।”</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| पूरी तरह दोषरहित जाँच करना असंभव है।                                                      | पश्चिम बंगाल राज्य बनाम मीर मुहम्मद उमर एवं अन्य इत्यादि, AIR 2000 SC 2988, पैरा 41।                                                   | <p>“न्यायालयों को यह देखने के प्रयास करने चाहिए कि जाँच में ऐसे दोषों के बावजूद फ़ौजदारी न्याय की रक्षा हो। न्यायालयों को वर्तमान तंत्र में पुलिस अधिकारियों की समय संबंधी विवशताओं/दबावों को, उन्हें जिस अभावग्रस्त ढाँचे के साथ काम करना पड़ता है उस ढाँचे पर, और फ़ौजदारी मामलों में साक्ष्य/गवाही देने हेतु आगे आने में सम्माननीय व्यक्तियों की परंपरागत उदासीनता को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि ये वे वास्तविकताएँ हैं जिनसे पुलिस बल का सामना लगभग हर मामले में जाँच करने के दौरान होता है।”</p>                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जाँच में चूक - बचाव पक्ष को लाभ तब तक नहीं मिल सकता जब तक IO से इसके बारे में पूछा न जाए।       | उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सतीश, AIR 2005 SC 1000, पैरा 19 (सर्वोच्च न्यायालय 2005)।                                                      | जब तक जाँच अधिकारी से स्पष्ट रूप से यह पूछा न जाए कि गवाहों से पूछताछ में देरी क्यों हुई तब तक, बचाव पक्ष को इससे कोई लाभ नहीं मिल सकता है। यदि पूछताछ में देरी के लिए बताया गया कारण विश्वसनीय और स्वीकार्य हो और न्यायालय उसे विश्वसनीय के रूप में स्वीकार करे, तो निष्कर्ष में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं होता है।                                                                                                                                                                                                                                                         |
| प्राथमिकी में विवरण अनुपस्थित — आरोपित का नाम न होना                                            | उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नरेश एवं अन्य, 2011 क्रि. लॉ ज. 2162, पैरा 26।                                                                 | “प्राथमिकी संपूर्ण वाद का विश्वकोष नहीं है।” “सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि प्राथमिकी में आरोपित का नाम न होना “प्राथमिकी की विषय-वस्तु पर संदेह का आधार नहीं हो सकता है बशर्ते गवाह का बयान विश्वसनीय पाया जाए”। वही। कारण यह बताया गया है कि विवरण इसलिए अनुपस्थित हैं क्योंकि मुखबिर के पास किसी भी चीज़ में कोई भी विवरण चूके बिना घटना का वर्णन करने का कौशल या योग्यता संभवतः नहीं है। वही। आरोपित ने अपराध किया है या उसे झूठा फँसाया गया है यह निर्धारित करने के लिए न्यायालय को प्राथमिकी और प्रस्तुत साक्ष्य का समग्र रूप से मूल्यांकन करना चाहिए। वही। |
| प्राथमिकी में विवरण अनुपस्थित — आरोपित का नाम न होना और प्राथमिकी दर्ज करने में देरी।           | जितेंदर कुमार बनाम हरियाणा राज्य, AIR 2012 SC 2488 पैरा 11।                                                                            | सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि “प्राथमिकी का मुख्य प्रयोजन पुलिस अधिकारी को संज्ञेय अपराध होने के बारे में संतुष्ट करना है ताकि वह क़ानून के अनुसार आगे की जाँच कर सके... प्राथमिकी अपने-आप में किसी मामले का प्रमाण नहीं होती है, पर यह एक साक्ष्य होती है जिसे सरकारी अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि के लिए प्रयोग किया जा सकता है।”                                                                                                                                                                                                                               |
| पीड़ित की आयु – अपराध होने के समय पर निर्धारित की जाती है, न कि बचाव के समय पर।                 | श्रीमती नर्मदा गोविंद कांबले बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2010 क्रि. लॉ ज. 1220 (बॉम्बे), पैरा 11 (बॉम्बे उच्च न्यायालय 2009)।               | “यदि यह मान भी लिया जाए कि वह उस समय 18 वर्ष की थी, उसे उस समय से 5 से 6 माह पहले वेश्यावृत्ति में लाया गया था और इसलिए यह निर्णय दिया जा सकता है कि जब उसे पहली बार वेश्यावृत्ति में लाया गया तब वह अवयस्क थी।”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| पीड़ित की आयु – ऐसा कोई नियम नहीं है कि त्रुटि की गुंजाइश के लिए अतिरिक्त वर्ष जोड़े जाने चाहिए | उत्तर प्रदेश राज्य बनाम छोटेलाल, AIR 2011 SC 697, पैरा 11।                                                                             | “परम नियम तो छोड़िए ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि चिकित्सक द्वारा निर्धारित आयु में दो वर्ष जोड़ने होते हैं।”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| केवल पीड़ित की गवाही — पुष्टि के बिना, बलात्कार की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त हो सकती है         | पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह एवं अन्य, 1996 क्रि. लॉ ज. 1728 (SC), पैरा 22। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम छोटेलाल, AIR 2011 SC 697, पैरा 19। | “न्यायालयों को वाद की व्यापक संभावनाओं की जाँच करनी चाहिए और पीड़िता की गवाही में ऐसे मामूली विरोधाभासों या महत्वहीन विसंगतियों, जो घातक प्रकृति की नहीं हैं, से प्रभावित होकर सरकारी अभियो-जन पक्ष के अन्यथा विश्वसनीय वाद को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि पीड़िता के साक्ष्य/गवाही से विश्वास प्रेरित होता है, तो महत्वपूर्ण विवरण में उसके बयान की पुष्टि की माँग किए बिना उस पर विश्वास किया जाना चाहिए।”                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>केवल पीड़ित की गवाही –</b> मानव व्यापार के मामले की दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त है।                                          | पिंकी दास उर्फ़ रिहाना खातून उर्फ़ रीना मित्रा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (सूचित नहीं। निर्णय CRA 401/10 में, कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2 अगस्त 2012 को पारित), पृष्ठ 13। | पीड़ित की गवाही पर्याप्त है। कोई पुष्टि आवश्यक नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>पीड़ित का बयान –</b> देरी                                                                                                  | श्रीमती नर्मदा गोविंद कांबले बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2010 क्रि. लॉ ज. 1220 (बॉम्बे), पैरा 10 (बॉम्बे उच्च न्यायालय 2009)।                                                  | आरोपित के विरुद्ध बयान देने में पीड़ित की 75 दिनों की देरी साक्ष्य को अस्वीकार करने का आधार नहीं है। “यह कड़े अर्थों में बलात्कार का मामला नहीं है। उसे वेश्यावृत्ति में रखा गया था और जब पुलिस ने उसे छुड़ाया तब वह आरोपित सं. 1 पर पूरी तरह निर्भर थी। ऐसा प्रतीत होता है कि उसके माता-पिता ने भी उसके घर छोड़ जाने के बाद उसकी परवाह नहीं की। अतः उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसे उसके माता-पिता के घर में पुनः आश्रय मिलेगा। अतः ऐसी परिस्थितियों में, देरी मात्र के कारण से, उसके साक्ष्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।” |
| <b>पीड़ित का बयान –</b> मामूली विसंगतियाँ क्योंकि सदमा परामर्श के बाद पीड़ित खुलकर बयान देता/ती है।                           | श्रीमती नर्मदा गोविंद कांबले बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2010 क्रि. लॉ ज. 1220 (बॉम्बे), पैरा 10 (बॉम्बे उच्च न्यायालय 2009)।।                                                 | “[उसे मुंबई लाए जाने वाले दिन] से लेकर पुलिस द्वारा उसे छुड़ाए जाने वाले दिन तक, वह वेश्या के रूप में कार्य कर रही थी। उस अवधि के दौरान, उसे अवश्य ही भली-भाँति राजी कर लिया गया होगा कि वह पुलिस को वास्तविक तथ्य न बताए।” न्यायालय ने यह भी टिप्पणी दी कि जब पीड़िता रेणुका को आश्रय गृह लाया गया तब वह सदमे की हालत में थी, और जब परामर्श के कारण वह स्थिर हुई तो उसके बाद उसने खुलकर बात की और तथ्य प्रकट किए।                                                                                                            |
| <b>पीड़ित का बयान –</b> थोड़ी विसंगति होना निश्चित है।                                                                        | कृष्ण मोची एवं अन्य बनाम बिहार राज्य, AIR 2002 SC 1965, पैरा 76- 77 (सर्वोच्च न्यायालय 2002)।                                                                             | जब “कोई ग्रामीण या निरक्षर गवाह किसी चतुर अधिवक्ता का सामना करता है तो असंतुलन होना निश्चित है और, इसलिए, मामूली विसंगतियों को अनदेखा करना ही चाहिए।”<br><br>“हर मामले में थोड़ी विसंगति होना निश्चित है और न्यायालय को उसे तब तक महत्व नहीं देना चाहिए जब तक वह सरकारी अभियोजन पक्ष को उल्लेखनीय रूप से प्रभावित न करती हो... न्यायालयों को यह स्वीकारने को बाध्य किया गया है कि “गलत दोषसिद्धियों और गलत निर्दोषसिद्धियों, दोनों ही से समाज को बराबर हानि होती है।”                                                         |
| <b>पीड़ित की विश्वसनीयता –</b> विश्व-सनीय क्योंकि रूढ़िवादी भारतीय समाज में लड़कियाँ बलात्कार स्वीकारने की अनिच्छुक होती हैं। | भरवडा भोगिनभाई हीरजीभाई बनाम गुजरात राज्य, 1983 क्रि. लॉ ज. 1096, 10-11।                                                                                                  | सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि भारतीय लड़कियाँ उनकी पवित्रता के विरुद्ध हुए अपराधों को स्वीकारने में अत्यधिक अनिच्छुक होती हैं क्योंकि समाज व परिवार से उनके बहिष्कार की अत्यधिक संभावना होती है और इन अपराधों का होना स्वीकारने के बाद उपयुक्त वर मिल पाना बहुत कठिन हो जाता है। जब पीड़ित लड़कियाँ इन कारकों के बावजूद गवाही देती हैं तो इस बात की “अंतर्निहित आश्वस्ति मौजूद होती है कि आरोप मनगढ़ंत नहीं बल्कि वास्तविक है।”                                                                                       |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>पीड़ित का चरित्र</b>                                                                         | पिंकी दास उर्फ़ रिहाना खातून उर्फ़ रीना मित्रा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (सूचित नहीं। निर्णय CRA 401/10 में, कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा 2 अगस्त 2012 को पारित)। | पीड़ित का चरित्र अप्रासंगिक है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>NGO गवाह, गवाहों की गवाहियों की पुष्टि कर सकते हैं।</b>                                      | श्रीमती नर्मदा गोविंद कांबले बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2010 क्रि. लॉ ज. 1220 (बॉम्बे), पैरा 13 (बॉम्बे उच्च न्यायालय 2009)।                                        | “यदि कोई NGO उक्त पेशे में लिस महिलाओं के बचाव में रुचि लेता है, तो उसके इरादे पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। अतः मात्र इस तथ्य कि PW 5 साइमन ने मामले का अनुसरण किया था, के कारण यह निर्णय नहीं दिया जा सकता है कि उसका मामले में कोई व्यक्तिगत हित था और यह कि उसने इस वाद में किसी को झूठा फँसाया है।”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>पुलिस की गवाही</b> विश्वसनीय होती है                                                         | आशा तमांग बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 2012 (1) CHN 465, पैरा 48 (कलकत्ता उच्च न्यायालय 2011)।                                                                      | “ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है कि पुलिस की गवाही को संदेह से ही देखा जाना चाहिए। बल्कि, इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अनैतिक दुर्व्यापार अनुभाग, गुसचर विभाग, लालबाज़ार, कोलकाता के इन पुलिस अधिकारियों ने अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में छपा मारा था और ज़ब्त की सूची व अन्य संबंधित दस्तावेज़ तैयार किए थे।”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>गवाहों की गवाहियों में विसंगतियाँ –</b> सरकारी अभियोजन पक्ष का दोषमुक्त होना ज़रूरी नहीं है। | इंदर सिंह एवं एक अन्य बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), AIR 1978 SC 1091, पैरा 2- 3।                                                                                 | “मौखिक व परिस्थितिजन्य गवाही की विश्वसनीयता, पृथक संवीक्षा पर नहीं बल्कि संपूर्णता के न्यायिक मूल्यांकन पर उल्लेखनीय रूप से निर्भर करती है। हालाँकि यह आवश्यक है कि सभी फ़ौजदारी वादों में ऐसा प्रमाण साक्ष्य रूप में उद्धृत किया जाए जो उचित संदेह से परे हो, पर यह आवश्यक नहीं कि वह पूरी तरह से दोषमुक्त हो। यदि किसी मामले को पूरी तरह दोषमुक्त तरीके से सिद्ध किया जाता है तो यह तर्क दिया जाता है कि वह कृत्रिम है; यदि किसी मामले में कुछ दोष होते हैं, जो अपरिहार्य हैं क्योंकि इंसानों से गलतियाँ होती ही हैं, तो यह तर्क दिया जाता है कि उसमें बहुत अधिक दोष हैं।” वहाँ, न्यायालय ने वाद की व्यापक विशेषताओं, गवाही के सामान्य प्रवाह, और विश्वसनीय तथ्यों को देखते हुए यह निष्कर्ष दिया कि आरोपित दोषी हैं। |
| <b>गवाहों की गवाहियों में मामूली विसंगतियाँ सच की कसौटी हैं</b>                                 | हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम लेख राज, AIR 1999 SC 3916, 7।                                                                                                          | मामूली विसंगतियाँ इंसानी आचरण के सामान्य क्रम का हिस्सा होती हैं और ये भिन्नताएँ अक्सर गवाह की गवाही में सच की कसौटी होती हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>गवाहों की गवाहियों में विसंगतियाँ –</b> समय बीतने के कारण होना निश्चित है।                   | उत्तर प्रदेश राज्य बनाम संतोष कुमार, (2009) 9 SCC 626, पैरा 28।                                                                                                 | “जिन भी फ़ौजदारी मामलों में उल्लेखनीय समय बीतने के बाद बयान दर्ज किए जाते हैं उनमें कुछ विसंगतियाँ होनी निश्चित है। पर, सत्य की जय हो यह सुनिश्चित करना न्यायालयों का कर्तव्य है। यदि महत्वपूर्ण विवरणों में सरकारी अभियोजन पक्ष के बयानों में एकरूपता है, तो उन्हें मामूली विसंगतियों मात्र के कारण अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।” जगदीश बनाम मध्य प्रदेश राज्य, AIR 1981 S.C. 1167, 5 भी देखें (जिसमें चश्मदीद गवाहों के बयानों में विसंगतियों को हत्या की दोषसिद्धि रद्द करने के लिए अपर्याप्त ठहराया गया है)।                                                                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>गवाहों की गवाहियों में विसंगतियाँ</b> — वे कारण जिनके चलते न्यायालयों को मामूली विसंगतियों को महत्व नहीं देना चाहिए। | भोगिनभाई हीरजीभाई बनाम गुजरात राज्य, 1983 क्रि. लॉ ज. 1096, 5।                                          | सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात के सात कारण बताए कि न्यायालयों को मामूली विसंगतियों को अधिक महत्व क्यों नहीं देना चाहिए। इन कारणों में शामिल तथ्य इस प्रकार हैं: गवाहों से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि उनकी याद्दाश्त बेहद तेज हो; अलग-अलग व्यक्तियों की चीज़ों पर ध्यान देने की शक्ति अलग-अलग होती है; और पूरी तरह सच्चे गवाह भी घबराहट के कारण और न्यायालय के वातावरण से परिचित न होने कारण अपनी गवाहियों में गलतियाँ कर सकते हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>कुछ गवाहों से पूछताछ नहीं करना</b>                                                                                   | राज नारायण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (2009) 10 SCC 362, पैरा 20।                            | “यह आवश्यक नहीं है कि आरोपित का दोष सिद्ध करने के लिए सरकारी अभियोजन पक्ष उन सभी व्यक्तियों से पूछताछ करे जो घटना स्थल पर उपस्थित थे।”<br><br>सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है कि निम्नलिखित स्थितियों में किसी गवाह विशेष से पूछताछ करना आवश्यक नहीं है: “[वा]द के तथ्यों और परिस्थितियों में, क्या उन अन्य गवाहों से पूछताछ आवश्यक थी, और यदि हाँ तो, क्या उक्त गवाह पूछताछ के लिए उपलब्ध था और फिर भी उसे न्यायालय आने से रोका गया। यदि उत्तर हाँ है तो ही प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने का प्रश्न उठ सकता है, अन्यथा नहीं। यदि जिन गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है वे विश्वसनीय हैं और उनके मुख से निकली गवाही असंदिग्ध है, तो न्यायालय अन्य गवाहों से पूछताछ नहीं किए जाने के तथ्य से प्रभावित हुए बिना, निःशंक होकर उक्त गवाहियों के आधार पर कार्यवाई कर सकता है।” |
| <b>कुछ गवाहों से पूछताछ नहीं करना</b> — समय बचाने और गवाहियों के दोहराव से बचने के लिए उचित है।                         | हरपाल सिंह बनाम देविंदर सिंह, 1997 क्रि. लॉ ज. 22।                                                      | इस वाद में सरकारी अभियोजन पक्ष के ऐसे कई गवाह जिनसे पूछताछ नहीं की गई, पूछताछ किए जाने पर कोई नई जानकारी नहीं दे पाते। इसलिए, हर गवाह से पूछताछ से मुकदमे की अवधि बढ़ जाती पर आरोपित के दोष की सिद्धि के लिए कोई अतिरिक्त महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिलती।<br><br>आरोपित का दोष सिद्ध करने के लिए जिन गवाहियों का दोहराव अनावश्यक है उनसे बचने के लिए सरकारी अभियोजक मुकदमे के दौरान महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ नहीं करने का विकल्प चुन सकता है। इससे, सरकारी अभियोजन पक्ष की शक्ति को हानि पहुँचे बिना न्यायालय का समय बचता है।<br><br>भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 134 कहती है कि, “किसी भी वाद में किसी भी तथ्य की सिद्धि के लिए गवाहों की कोई भी संख्या विशेष आवश्यक नहीं की जाएगी”।                                                                          |
| <b>सज़ा</b> — अपराध की क्रूरता से संगत होनी चाहिए                                                                       | मध्य प्रदेश राज्य बनाम काशीराम एवं अन्य, 2009 क्रि. लॉ. ज. 1530 (SC), पैरा 17 (सर्वोच्च न्यायालय 2009)। | आरोपित की सज़ाएँ उसके द्वारा पीड़ित लड़की के साथ किए गए “अपराध की क्रूरता से संगत होनी” चाहिए क्योंकि “यदि एक ऐसे अपराध जो न केवल एक व्यक्ति के विरुद्ध बल्कि अपराधी और पीड़ित जिस समाज से आते हैं उसके विरुद्ध भी किया गया है, के लिए उपयुक्त सज़ा न दी जाए तो न्यायालय अपने कर्तव्य के निर्वहन में विफल रहेगा”।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>सज़ा</b> — पीड़ित की कम उम्र सज़ा की गंभीरता बढ़ाने वाला कारक होती है | एस. कृष्ण बनाम कर्नाटक राज्य, 1998 क्रि. लॉ ज. 785, पैरा 10 (कर्नाटक उच्च न्यायालय , 1996)।                                        | कर्नाटक उच्च न्यायालय ने पीड़ित की सुकुमार आयु को आरोपित द्वारा बलात्कार के प्रयास की दोषसिद्धि के समर्थन के लिए एक गंभीरतावर्धक परिस्थिति माना और सज़ा को बढ़ाकर 5 वर्ष का कारावास कर दिया।                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>सज़ा</b> — अपराध की क्रूरता सज़ा की गंभीरता बढ़ाने वाला कारक होती है  | बंतू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (2008) 11 SCC 113, MANU/SC/7863/2008, पैरा 23 (सर्वोच्च न्यायालय, 2008)।                             | न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे “अपराध की प्रकृति और, उसे किए जाने के तरीके आदि” के अनुसार उचित सज़ा दें।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>यौन दुर्व्यवहार</b> एक जघन्य अपराध है                                 | चाइल्डलाइन इंडिया फ़ाउंडेशन और एक अन्य बनाम एलन जॉन वॉटर्स एवं अन्य, 2011 क्रि. लॉ ज. 2305 (SC), पैरा 24 (सर्वोच्च न्यायालय 2011)। | हमारा न्याय तंत्र इस बात को मान्यता देता है कि “बच्चों से यौन दुर्व्यवहार जघन्यतम अपराधों में से एक है”।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>बलात्कार</b> के कारण गंभीर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान होता है     | पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह एवं अन्य, 1996 क्रि. लॉ ज., 1728 (SC), पैरा 22 (सर्वोच्च न्यायालय 1996)।                              | अनवरत बलात्कार “अपरिहार्य रूप से गंभीर मनोवैज्ञानिक और शारीरिक नुकसान पहुँचाता है” और “पीड़ित के संपूर्ण व्यक्तित्व को नष्ट कर देता है” अतः कम उम्र लड़कियों को अनवरत बलात्कार के दलदल में झोंकने वाले इस पेशे में भागदौरी रखने वाले लोगों को जवाबदेह ठहराने की एक बड़ी ज़िम्मेदारी न्यायालयों पर है।                                                                                                                                          |
| पीड़ित को क्षतिपूर्ति                                                    | हरि किशन बनाम सुखबीर सिंह, AIR 1988 SC 2127, पैरा 10 (सर्वोच्च न्यायालय 1988)।                                                     | “[न्या]यालय आरोपित को आरोपित के कृत्य के कारण कष्ट भुगतने वाले पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में किसी राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकता है... यह शक्ति पीड़ित को यह भरोसा दिलाने हेतु कुछ करने के लिए उद्दिष्ट थी कि आपराधिक न्याय तंत्र में उसे भुला नहीं दिया गया है।” वही।<br><br>सर्वोच्च न्यायालय ने पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने के लिए “सभी न्यायालयों को उनकी [CrPC धारा 357(3)] की शक्ति का उदारता से उपयोग करने की संस्तुति” की है। |

परिशिष्ट 32: उत्तर प्रदेश और बिहार के आश्रय गृहों की सूची

उत्तर प्रदेश और बिहार के आश्रय गृहों की सूची

उत्तर प्रदेश

| क्रमांक | आश्रय गृह का नाम                                              | आश्रय गृह का पता                                                   |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1       | एशियन सहयोगी संस्था इंडिया                                    | 42 जेल रोड, गीता वाटिका, गोरखपुर - 273004, उत्तर प्रदेश, भारत।     |
| 2       | मोतीलाल मेमोरियल शिक्षण संस्थान                               | कानपुर                                                             |
| 3       | भारतीय आदिमजाति सेवक संघ                                      | स्टेशन रोड, श्री गणेश टॉकीज़ के पास, शिकोहाबाद, ज़िला फ़िरोज़ाबाद। |
| 4       | ग्राम सेवा निकेतन                                             | 295/23, अशरफ़ा, लखनऊ                                               |
| 5       | महिला कल्याण निगम, उत्तर प्रदेश सरकार आश्रय सदन (स्वाधार गृह) | चैतन्य विहार, फेज़-1, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश।                |
| 6       | मधु ग्राम विकास संस्थान                                       | ग्राम देघटा गहरवार, तहसील लालगंज, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश।        |
| 7       | ज्योति विद्या मंदिर                                           | सिविल लाइंस, PCF गोदाम के पास, गोंडा, उत्तर प्रदेश।                |
| 8       | शांति समाज सेवा समिति                                         | भवन सं. A-104, बरहपुर, फ़र्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश।                  |

बिहार

| क्रमांक | आश्रय गृह का नाम                                                                             | आश्रय गृह का पता                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1       | सेल्फ एंप्लॉइड विमेन्स एसोसिएशन (SEWA/सेवा), मिथिला                                          | मंगरौनी रोड, मधुबनी (बिहार)                                         |
| 2       | सिस्टर निवेदिता मेमोरियल ट्रस्ट                                                              | जक्कनपुर पटना SSH, हाजीपुर, ज़िला वैशाली।                           |
| 3       | बिहार रीहैबिलिटेशन एंड वेलफ़ेयर इंस्टीट्यूट                                                  | P-84/HIG फ़्लैट ब्लॉक-7, फ़्लैट सं. 8, बहादुरपुर, पटना।             |
| 4       | सेवा संकल्प एवं विकास समिति                                                                  | साहू रोड, मुजफ़्फ़रपुर, बिहार।                                      |
| 5       | नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, सोशल अपलिफ़्टमेंट एंड हेल्थ (NIRDESH/निर्देश) | ग्राम भगवानपुर, पु.स्टे. सदर, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ज़िला मुजफ़्फ़रपुर। |
| 6       | बी. चंद फ़ाउंडेशन                                                                            | महानंदा कॉलोनी, कटिहार, बिहार।                                      |

परिशिष्ट 33: मानव व्यापार से संबंधित प्रकाशनों की सूची

मानव व्यापार से संबंधित प्रकाशनों की सूची

| टॉपिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रचयिता | प्रकाशक                        | वर्ष |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|------|
| द रोल ऑफ़ रिक्रूटमेंट फ़ीस एंड एव्यूज़िव एंड फ़ॉइलेंट रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेज़ ऑफ़ रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ इन ट्रेफ़िकिंग इन पर्सन्स<br>(मानव व्यापार में भर्ती एजेंसियों के भर्ती शुल्क और उनकी दुर्त्यवहारपूर्ण और धोखाधड़ीपूर्ण भर्ती कार्यप्रथाओं की भूमिका)                                                                                                                                                      |        | UNODC, विएना                   | 2015 |
| स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑन इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स ऑफ़ ट्रेफ़िकिंग फ़ॉर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन<br>(वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए मानव व्यापार के अपराधों की जाँच की मानक प्रचालन कार्यविधियाँ)                                                                                                                                                                                                         |        | UNODC, भारत                    | 2007 |
| स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ऑन इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम्स ऑफ़ ट्रेफ़िकिंग फ़ॉर फ़ोर्सड लेबर<br>(बलात् श्रम के लिए मानव व्यापार के अपराधों की जाँच की मानक प्रचालन कार्यविधियाँ)                                                                                                                                                                                                                                    |        | UNODC, भारत                    | 2008 |
| SOP फ़ॉर पब्लिक प्रॉसिക്यूटर्स टू कॉम्बेट ह्यूमन ट्रेफ़िकिंग<br>(मानव व्यापार से मुकाबले के लिए सरकारी अभियोजकों हेतु SOP (मानक प्रचालन कार्यविधियाँ))                                                                                                                                                                                                                                                             |        | UNODC, भारत                    | 2009 |
| भारत में मानव व्यापार और मानव व्यापार से मुकाबले के विषय पर गृह मंत्रालय की सलाह <a href="http://bba.org.in/sites/default/files/CS_TraffickingOfChild_14%20Aug%202013.pdf">http://bba.org.in/sites/default/files/CS_TraffickingOfChild_14%20Aug%202013.pdf</a>                                                                                                                                                     |        | गृह मंत्रालय                   | 2009 |
| मानव व्यापार - छापे और बचाव की SOP <a href="http://socialwelfare.icdsbih.gov.in/upload/LatestUpdates/LatestUpdates_135356207344.pdf">http://socialwelfare.icdsbih.gov.in/upload/LatestUpdates/LatestUpdates_135356207344.pdf</a>                                                                                                                                                                                   |        | समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार |      |
| मैनुअल फ़ॉर ट्रेनिंग पुलिस ऑन एंटी ह्यूमन ट्रेफ़िकिंग<br>(मानव व्यापार विरोध के विषय पर पुलिस प्रशिक्षण की नियमावली)<br><a href="https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/India_Training_material/Training_Manual_-_Police.pdf">https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/India_Training_material/Training_Manual_-_Police.pdf</a>                                                                |        | UNODC, भारत                    | 2008 |
| ट्रेनिंग मैनुअल फ़ॉर पब्लिक प्रॉसिक््यूटर्स ऑन कन्फ़र्टिंग ह्यूमन ट्रेफ़िकिंग<br>मानव व्यापार से मुकाबले के विषय पर सरकारी अभियो-जकों के लिए प्रशिक्षण नियमावली) <a href="https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/India_Training_material/Training_Manual_-_PublicProsecutors.pdf">https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/India_Training_material/Training_Manual_-_PublicProsecutors.pdf</a> |        | UNODC                          | 2008 |

|                                                                                                                                                                                         |                                               |                                                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| मॉडल SOP फ़ॉर पुलिस फ़ॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ़ केसेज़ ऑफ़ ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग<br>मानव व्यापार के मामलों की जाँच के लिए पुलिस हेतु आदर्श SOP)                                                 |                                               | ION इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन फ़ॉर माइग्रेशन (अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन) |                |
| समाजसेवियों हेतु नियमावली - मानव व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ित बच्चों को संभालना                                                                                             |                                               | मानव संसाधन विकास मंत्रालय और UNICEF                                    |                |
| द कंसेप्ट ऑफ़ ‘एक्स्प्लॉइटेशन’ इन द ट्रैफ़िकिंग इन पर्सन्स प्रोटोकॉल<br>(मानव व्यापार प्रोटोकॉल में ‘शोषण’ की अवधारणा)                                                                  |                                               | UNDOC, विेना                                                            | 2015           |
| एंटी-ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग मैनुअल फ़ॉर क्रिमिनल जस्टिस प्रैक्टिशनर्स<br>(आपराधिक न्याय व्यवसायियों के लिए मानव-व्यापार-रोधी नियमावली)                                                      |                                               | UNDOC                                                                   |                |
| टुवाइर्स प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल एब्यूज़: नौ चाइल्ड्स प्ले<br>(यौन दुर्य्यवहार के विरुद्ध बच्चों के संरक्षण की दिशा में: बच्चों का खेल नहीं)                           | पल्लवी नौटियाल और अरुण माल                    | NUJS लॉ रिव्यू                                                          | 2010           |
| सीइंग विक्टिम्स एज़ विक्टिम्स<br>(पीड़ितों को पीड़ितों के रूप में देखना)                                                                                                                | अधिवक्ता मिशेलि मेंदोंग्स (Michelle Mendonça) | मनुपात्र                                                                |                |
| एंटी-ट्रैफ़िकिंग लॉज़ इन इंडिया - इश्यूज़ एंड पर्सपेक्टिव्स<br>(भारत के मानव-व्यापार-रोधी कानून - मुद्दे और नज़रिये)                                                                    | तसनीम कुंदन पटेल                              | मनुपात्र                                                                |                |
| चाइल्ड पॉर्नोग्राफी - नेशनल एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव, अ मेनेस<br>(बाल अश्लील सामग्री - राष्ट्रीय और वैश्विक परिप्रेक्ष्य, एक संकट)                                                        | श्री अंकुश भदौरिया                            | मनुपात्र                                                                |                |
| Genocide of Daughters जेनोसाइड ऑफ़ डॉटर्स<br>(बेटियों का नरसंहार)                                                                                                                       | वंदना वरुचीज़                                 | मनुपात्र                                                                |                |
| पॉर्नोग्राफी - विक्टिमाइज़ेशन ऑफ़ विमेन एंड चिल्ड्रन<br>(अश्लील सामग्री - महिलाओं और बच्चों का पीड़ितीकरण)                                                                              | सुश्री रूपाली शर्मा और श्रुति एस मेनन         | मनुपात्र                                                                | 13 अगस्त 2012  |
| गर्ल चाइल्ड इन प्रॉस्टिट्यूशन<br>(बालिका वेश्यावृत्ति)                                                                                                                                  | आकृति                                         | मनुपात्र                                                                |                |
| इंडिया स्टिल स्टक इन द ट्रैफ़िकिंग<br>(भारत अभी भी मानव-व्यापार में फँसा हुआ है)                                                                                                        | श्रेया गांगुली और रौनक शतपति                  | मनुपात्र                                                                |                |
| स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (SOP) फ़ॉर पब्लिक प्रॉसिक््यूटर्स टू कॉम्बेट ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग<br>(मानव व्यापार से मुकाबले के लिए सरकारी अभियोजकों हेतु मानक प्रचालन कार्यविधियाँ (SOP)) |                                               | UNODC, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय                                  | 2009           |
| SOP फ़ॉर ट्रीटमेंट ऑफ़ विक्टिम्स ऑफ़ ट्रैफ़िकिंग इन ह्यूमन वीइंग्स<br>(मानव-व्यापार के पीड़ितों से व्यवहार की SOP)                                                                      |                                               | मैसेडोनिया गणरा-ज्य सरकार                                               | अक्टूबर 2010   |
| BRICS रेडी टू चेक ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग, माइग्रेंट स्मग्लिंग<br>(BRICS देश मानव-व्यापार और प्रवासियों की तस्करी पर नियंत्रण को तैयार)                                                      |                                               | इकॉनमिक टाइम्स                                                          | 9 अक्टूबर 2015 |
| ओबैमा एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिसाइज़्ड ट्रैफ़िकिंग रिपोर्ट<br>ऑन इंडिया: US लॉमेकर ओबामा प्रशासन ने भारत की मानव-व्यापार रिपोर्ट को राजनीतिक रंग दिया: एक अमरीकी सांसद                      |                                               | इकॉनमिक टाइम्स                                                          | 7 अगस्त, 2015  |

|                                                                                                                                                                                              |                             |                                             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------------|
| मोदी गवर्नमेंट टू सेटअप नेशनल बॉडी टू कॉम्बेट ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग<br>(मोदी सरकार मानव-व्यापार से मुकाबले के लिए एक राष्ट्रीय संस्था का गठन करेगी)                                             |                             | इकॉनमिक टाइम्स                              | 30 मार्च, 2015   |
| इंडियन गैंग्स फ़ाउंड ट्रैफ़िकिंग विमेन फ़्रॉम अर्थक्वेक-हिट नेपाल<br>(भूकंप की मार झेल रहे नेपाल से भारतीय गिरोह कर रहे हैं महिलाओं का व्यापार)                                              | दिल्ली में जेसन बर्क        | द गार्डियन                                  | 30 जुलाई, 2015   |
| वाट इज़ द क्राइम ऑफ़ ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग?<br>मानव-व्यापार का अपराध क्या है?                                                                                                                   | एनी केली और फेलिसिटि लॉरेंस | द गार्डियन                                  | 2 नवंबर, 2015    |
| चाइल्ड ट्रैफ़िकिंग इन इंडिया: ‘इट वाज़ ओनली आफ्टर अ फ़्यू यिअर्स आई रियलाइज़्ड आई हैड बीन सोल्ड’<br>भारत में बच्चों का व्यापार: ‘बिक जाने के कुछ वर्ष बाद मुझे पता चला कि मैं बेच दी गई हूँ’ | सुतीर्थ सहरिया              | द गार्डियन                                  | 28 अप्रैल, 2015  |
| इंडियाज़ टी फ़र्म्स अर्ज्ड टू एक्ट ऑन स्लेव ट्रैफ़िकिंग<br>आफ्टर गर्ल्स फ़्रीड लड़कियों को छुड़ाए जाने के बाद भारत के चाय प्रतिष्ठानों से किया गया दास व्यापार पर कदम उठाने का आग्रह         | सुतीर्थ सहरिया              | द गार्डियन                                  | 1 मार्च, 2014    |
| बॉन्डेड लेबर सिस्टम स्टिल अ रिएलिटी<br>(बंधुआ श्रम प्रणाली आज भी मौजूद)                                                                                                                      | उमि ए गोस्वामी              | इकॉनमिक टाइम्स                              | 12 अगस्त, 2013   |
| द रिमूवल ऑफ़ बॉन्डेड लेबर सिस्टम इन इंडिया<br>(भारत में बंधुआ श्रम प्रणाली का उन्मूलन)                                                                                                       | अजय बिश्रोई                 | लीगल सर्विस इंडिया                          | 28 अक्टूबर, 2007 |
| भारत में बच्चों का व्यापार: ‘बिक जाने के कुछ वर्ष बाद मुझे पता चला कि मैं बेच दी गई हूँ’                                                                                                     | उमि ए गोस्वामी              | इकॉनमिक टाइम्स                              |                  |
| द रिमूवल ऑफ़ बॉन्डेड लेबर सिस्टम इन इंडिया<br>(भारत में बंधुआ श्रम प्रणाली का उन्मूलन)                                                                                                       | अजय बिश्रोई                 | लीगल सर्विस इंडिया                          |                  |
| ह्यूमन राइट्स वॉयलेशन एंड ट्रैफ़िकिंग<br>(मानवाधिकार उल्लंघन और मानव-व्यापार)                                                                                                                |                             | lawteacher.net                              |                  |
| बॉन्डेड लेबर: कंसेप्ट, कॉंजेज़ एंड अदर डिटेल्स<br>(बंधुआ श्रम: अवधारणा, कारण और अन्य विवरण)                                                                                                  | पूजा मॉडल                   | इंडियन सोसायटी                              |                  |
| बॉन्डेड लेबर इन इंडिया<br>(भारत में बंधुआ श्रम)                                                                                                                                              | डेविन फ़िन                  |                                             |                  |
| बॉन्डेड लेबर (बंधुआ श्रम)                                                                                                                                                                    | सुश्री गुंजन चौहान          | मनुपात्र                                    |                  |
| सेक्स ट्रैफ़िकिंग: इनसाइड द बिज़नेस ऑफ़ मॉडर्न स्लेवरी<br>(अवैध यौन व्यापार: आधुनिक दासता के कारोबार के भीतर)                                                                                | कारा, सिद्धार्थ             | कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू यॉर्क      |                  |
| बॉन्डेड लेबर: टैकलिंग द सिस्टम ऑफ़ स्लेवरी इन साउथ एशिया<br>(बंधुआ श्रम: दक्षिण एशिया में दासता की प्रणाली का नियंत्रण)                                                                      | कारा, सिद्धार्थ             | कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यू यॉर्क      |                  |
| डिस्पोज़ेबल पीपल: न्यू स्लेवरी इन द ग्लोबल इकॉनमी<br>(उपयोग कर फैकने योग्य लोग: वैश्विक अर्थव्यवस्था में नई दासता)                                                                           | बेल्स, केविन                | यूनिवर्सिटी ऑफ़ कैलिफ़ोर्निया प्रेस, बर्कले |                  |

परिशिष्ट 34: संबंधित अंतरराष्ट्रीय लिखतों की सूची

संबंधित अंतरराष्ट्रीय लिखतों की सूची

| नाम                                                                                                                                                                                                                                                       | संबंधित उपबंध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अनुसमर्थन की स्थिति                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| द इंटरनेशनल बिल ऑफ़ ह्यूमन राइट्स (अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक) <sup>185</sup>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |
| यूनिवर्सल डेक्लेरेशन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स (मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा) <sup>186</sup>                                                                                                                                                                  | अनुच्छेद 4: किसी को भी दासता या दासत्व में रोककर नहीं रखा जाएगा; दासता और दास व्यापार के सभी रूप निषिद्ध किए जाएँगे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |
| इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स (अंतरराष्ट्रीय नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रसंविदा) <sup>187</sup>                                                                                                                                        | अनुच्छेद 8: किसी को भी दासता में रोककर नहीं रखा जाएगा और दास व्यापार के सभी रूप निषिद्ध किए जाएँगे। किसी के लिए भी बलात् या अनिवार्य श्रम करना आवश्यक नहीं होगा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | भारत ने 10 अप्रैल, 1979 को इस समझौते को स्वीकारा। |
| इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकॉनमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स (अंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा) <sup>188</sup>                                                                                                                      | अनुच्छेद 6: कार्य का अधिकार, जिसमें अपने रोज़गार को मुक्त रूप से चुनने का अधिकार शामिल है।<br>अनुच्छेद 7: कार्य की उचित व अनुकूल स्थितियों के भोग का अधिकार।<br>अनुच्छेद 12: शारीरिक और मानसिक कुशलक्षेम का उच्चतम स्तर प्राप्त करने का अधिकार।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | भारत ने 10 अप्रैल, 1979 को इस समझौते को स्वीकारा। |
| यूनाइटेड नेशंस प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट, सप्रेस एंड पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, इस्पेशली विमेन एंड चिल्ड्रन (व्यक्तियों के, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के, व्यापार की रोकथाम, का दमन, और को दंडित करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का प्रोटोकॉल) <sup>189</sup> | अनुच्छेद 3: मानव व्यापार का अर्थ होगा शोषण के प्रयोजन से, बल या दबाव के अन्य रूपों, अपहरण, धोखाधड़ी, छल-कपट, शक्ति या असुरक्षा की किसी स्थिति के दुरुपयोग की धमकियों या के उपयोग द्वारा, या किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति की सहमति पाने के लिए भुगतान या लाभ देने या पाने के उपयोग द्वारा, व्यक्तियों की भर्ती, उनका परिवहन, स्थानांतरण, उन्हें आश्रय देना, या उनकी प्राप्ति। शोषण में, न्यूनतम तौर पर, अन्य व्यक्तियों की वेश्यावृत्ति का शोषण या यौन शोषण के अन्य रूप, बलात् श्रम या सेवाएँ, दासता या दासता जैसी प्रथाएँ, दासत्व या अंगों का निकाला जाना शामिल होगा। | भारत ने मई 2011 में इस समझौते का अनुसमर्थन किया।  |

<sup>185</sup> अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक में UDHR, ICCPR, ICESCR और उसके दो वैकल्पिक प्रोटोकॉल शामिल हैं, देखें Fact Sheet No.2 (Rev.1), The International Bill of Human Rights. यहाँ उपलब्ध:< <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet2Rev.1en.pdf>>।

<sup>186</sup> The Universal Declaration of Human Rights, 1948, यहाँ उपलब्ध: <<http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml>>।

<sup>187</sup> International Covenant on Civil and Political Rights. यहाँ उपलब्ध: <<http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>>।

<sup>188</sup> International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. यहाँ उपलब्ध: <<http://www.ohchr.org/ENProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx>>।

<sup>189</sup> कन्वेंशन अर्गेस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम (पार-राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध समझौता) 2003 में प्रभावी हुआ था। यह वह मुख्य अंतरराष्ट्रीय लिखत है जो पार-राष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध लड़ाई को प्रतिष्ठापित करता है। यह समझौता समस्याओं से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की ज़रूरत को मान्यता देता है और राष्ट्रों को संगठित अपराध के विरुद्ध उपाय करने की प्रतिबद्धता सौंपता है। इस समझौते के साथ तीन प्रोटोकॉल हैं: (1) द प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट, सप्रेस एंड पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स, इस्पेशली विमेन एंड चिल्ड्रन (व्यक्तियों के, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के, व्यापार की रोकथाम, का दमन, और को दंडित करने हेतु प्रोटोकॉल); (2) द प्रोटोकॉल अर्गेस्ट द स्मग्लिंग ऑफ़ माइग्रेंट्स बाय लैंड, सी एंड एयर (थल, समुद्र और वायु मार्गों से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध प्रोटोकॉल); और (3) द प्रोटोकॉल अर्गेस्ट द इलिसिट मैन्युफ़ेक्चरिंग ऑफ़ एंड ट्रैफिकिंग इन फ़ायरआर्म्स, देअर पाटर्न्स एंड कंपोनेंट्स एंड एम्बुलिशन (हथियारों, उनके पुर्जों, घटकों और गोला-बारूद के अवैध निर्माण और उनकी तस्करी के विरुद्ध प्रोटोकॉल)। व्यक्तियों के, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के, व्यापार की रोकथाम, का दमन, और को दंडित करने हेतु प्रोटोकॉल को महासभा संकल्प 55/25 के द्वारा अंगीकार किया गया था। यह प्रोटोकॉल 25 दिसंबर, 2003 को प्रभावी हुआ। यह पहला वैश्विक रूप से बाध्यकारी लिखत है जिसमें मानव व्यापार की सर्वसम्मत परिभाषा है। देखें United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto, UNODC. यहाँ उपलब्ध: <<http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/>>।

| नाम                                                                                                                                                                                                   | संबंधित उपबंध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | अनुसमर्थन की स्थिति                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                       | अनुच्छेद 5: हर राज्य पक्ष इस प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 3 में वर्णित आचरण, जब जानते-बूझते हुए किया जाए तब, को दंडनीय अपराध घोषित करने हेतु आवश्यक विधायी व अन्य प्रकार के उपाय अंगीकार करेंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |
| कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ़ ऑल फ़ॉर्मर्स ऑफ़ डिस्क्रिमिनेशन अर्गेस्ट विमेन (महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति का समझौता) <sup>190</sup>                                              | अनुच्छेद 6: राज्य पक्ष महिलाओं के सभी प्रकार के व्यापार एवं वेश्यावृत्ति में महिलाओं के शोषण का दमन करने के लिए, विधि-निर्माण व प्रवर्तन समेत, सभी उपयुक्त उपाय करेंगे।<br>अनुच्छेद 11: राज्य पक्ष रोज़गार के क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को समाप्त करने के सभी उपयुक्त उपाय करेंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | भारत ने 30 जुलाई, 1993 को इस समझौते का अनुसमर्थन किया।             |
| कन्वेंशन फ़ॉर द सप्रेसन ऑफ़ द ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स एंड ऑफ़ द एक्स्प्लॉइटेशन ऑफ़ द प्रॉस्टिट्यूशन ऑफ़ अदर्स (मानव व्यापार और अन्य व्यक्तियों की वेश्यावृत्ति के शोषण के दमन का समझौता) <sup>191</sup> | अनुच्छेद 1: वर्तमान समझौते के पक्षगण ऐसे किसी भी व्यक्ति को दंडित करने पर सहमत हैं जो, किसी अन्य व्यक्ति की वासना को संतुष्ट करने के लिए: (1) वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों से किसी अन्य व्यक्ति को प्राप्त/की दलाली/आपूर्ति करता है, को फुसलाता है या भटकाता है, तब भी जब ऐसा उस व्यक्ति की सहमति के साथ किया जाए; (2) किसी व्यक्ति की वेश्यावृत्ति का शोषण करता है, तब भी जब ऐसा उस व्यक्ति की सहमति के साथ किया जाए। अनुच्छेद 2: वर्तमान समझौते के पक्षगण ऐसे किसी भी व्यक्ति को दंडित करने पर भी सहमत हैं जो: (1) कोई वेश्यालय चलाता या उसका प्रबंधन करता है, या जानते-बूझते हुए उसका वित्तपोषण करता है या उसके वित्तपोषण में भाग लेता है; (2) किसी इमारत या अन्य स्थान या उसके किसी भाग को अन्य व्यक्तियों की वेश्यावृत्ति के प्रयोजन से जानते-बूझते हुए किराये पर देता या लेता है। | भारत ने 9 जनवरी, 1953 को इस समझौते का अनुसमर्थन किया।              |
| कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ़ द चाइल्ड (बाल अधिकारों का समझौता) <sup>192</sup>                                                                                                                             | अनुच्छेद 32: राज्य पक्षगण बच्चे के आर्थिक शोषण से संरक्षण के और संभावित रूप से ख़तरनाक या बच्चे की शिक्षा में हस्तक्षेप करने वाले या बच्चे के स्वास्थ्य या शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक विकास के लिए हानिकार कार्य को करने के विरुद्ध संरक्षण के अधिकार को मान्यता देते हैं।<br><br>अनुच्छेद 34: राज्य पक्ष बच्चे को सभी प्रकार के यौन शोषण और यौन दुर्व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण देने का वचन देते हैं।<br><br>अनुच्छेद 35: राज्य पक्ष किसी भी प्रयोजन से या किसी भी रूप में बच्चों के अपहरण, बिक्री या व्यापार की रोकथाम के सभी उपयुक्त राष्ट्रीय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय उपाय करेंगे।                                                                                                                                                                            | India acceded to the Convention on 11 December 1992.               |
| बच्चों की बिक्री, बाल वेश्यावृत्ति और बाल अश्लील सामग्री के विषय पर बाल अधिकारों के समझौते की वैकल्पिक प्रोटोकॉल <sup>193</sup>                                                                       | अनुच्छेद 1: राज्य पक्ष बच्चों की बिक्री, बाल वेश्यावृत्ति और बाल अश्लील सामग्री पर वर्तमान प्रोटोकॉल द्वारा यथा प्रावधानित ढंग से रोक लगाएँगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | भारत ने 30 नवंबर, 2005 को इस वैकल्पिक प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन किया। |

<sup>190</sup> Convention on Elimination of All forms of Discrimination against Women. यहाँ उपलब्ध: <<http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm#article6>>।

<sup>191</sup> Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others. यहाँ उपलब्ध: <[http://portal.unesco.org/culture/en/files/38444/12815479071Convention\\_for\\_the\\_Suppression\\_of\\_the\\_Traffic\\_in\\_Persons\\_and\\_of\\_the\\_Exploitation\\_of\\_Others.pdf/Convention%2Bfor%2Bthe%2BSuppression%2Bof%2Bhe%2BTraffic%2Bin%2BPersons%2Band%2Bof%2Bthe%2BExploitation%2Bof%2BOthers.pdf](http://portal.unesco.org/culture/en/files/38444/12815479071Convention_for_the_Suppression_of_the_Traffic_in_Persons_and_of_the_Exploitation_of_Others.pdf/Convention%2Bfor%2Bthe%2BSuppression%2Bof%2Bhe%2BTraffic%2Bin%2BPersons%2Band%2Bof%2Bthe%2BExploitation%2Bof%2BOthers.pdf)>।

<sup>192</sup> Convention on the Rights of the Child. यहाँ उपलब्ध: <<http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>>।

<sup>193</sup> Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography. यहाँ उपलब्ध: <<http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx>>।

| नाम                                                                                                          | संबंधित उपबंध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अनुसमर्थन की स्थिति                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| फ़ोर्सर्ड लेबर कन्वेंशन (बलात् श्रम समझौता) (सं. 29) <sup>194</sup>                                          | अनुच्छेद 1: अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का हर वह सदस्य जो इस समझौते का अनुसमर्थन करता है, वह बलात् या अनिवार्य श्रम के सभी रूपों के उपयोग का अल्पतम संभव अवधि में दमन करने का वचन देता है।                                                                                                                                                                                                                           | भारत ने 30 नवंबर, 1954 को इस समझौते का अनुसमर्थन किया। |
| कन्वेंशन ऑन द वर्स्ट फ़ॉर्म ऑफ़ चाइल्ड लेबर (बाल श्रम के निकृष्टतम रूपों पर समझौता) (सं. 182) <sup>195</sup> | अनुच्छेद 1: इस समझौते का अनुसमर्थन करने वाला हर सदस्य बाल श्रम के निकृष्टतम रूपों के निषेध और उन्मूलन को सुनिश्चित करने के प्रभावी उपाय, अत्यावश्यक विषय मानते हुए तत्काल लागू करेगा।<br><br>अनुच्छेद 2: इस समझौते के प्रयोजनों से, बच्चा शब्द 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों पर लागू होगा।                                                                                                                  | भारत ने इस समझौते का अनुसमर्थन अभी तक नहीं किया है।    |
| अबोलिशन ऑफ़ फ़ोर्सर्ड लेबर कन्वेंशन (बलात् श्रम उन्मूलन समझौता) (सं. 105) <sup>196</sup>                     | अनुच्छेद 1: अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का हर वह सदस्य जो इस समझौते का अनुसमर्थन करता है, वह बलात् या अनिवार्य श्रम के सभी रूपों का दमन करने और उकना उपयोग नहीं करने का वचन देता है।<br><br>अनुच्छेद 2: अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का हर वह सदस्य जो इस समझौते का अनुसमर्थन करता है, वह बलात् या अनिवार्य श्रम का इस समझौते के अनुच्छेद 1 में निर्दिष्टानुसार तत्काल और संपूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने का वचन देता है। | भारत ने 18 मई, 2000 को इस समझौते का अनुसमर्थन किया।    |

.....

<sup>194</sup> Co 29 Forced Labour Conventions (No. 29). यहाँ उपलब्ध: <[http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEX-PUB:12100:0::NO::P12100\\_ILO\\_CODE:C029](http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEX-PUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029)>।  
<sup>195</sup> Convention on the Worst Form of Child Labour (No 182). यहाँ उपलब्ध: <<http://www.internationaldemocracywatch.org/index.php/international-labour-organization/declarations/281-no-182-worst-forms-of-child-labour-convention>>।  
<sup>196</sup> Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105). यहाँ उपलब्ध: <<http://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/abolition.pdf>>।

परिशिष्ट 35: CrPC की धारा 156(3) के तहत आवेदन का नमूना प्रारूप

..... के माननीय न्यायालय में

निम्नलिखित के विषय में: राज्य  
..... याची  
बनाम  
..... आरोपित  
  
प्राथमिकी सं.: .....  
प्राथमिकी दिनांक: .....  
अंतर्गत धारा: .....  
पुलिस स्टेशन: .....

जाँच की निगरानी के अनुरोध के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत आवेदन

पूर्ण सम्मान सहित आपको प्रदर्शित है:-

1. कि ..... को ..... की उपस्थिति में एक संयुक्त छापा एवं बचाव अभियान चलाया गया था।
2. कि उक्त बचाव अभियान के दौरान, संपत्ति सं. .... पर फैक्टरियों में कार्यरत ..... पीड़ितों को छुड़ाया गया।
3. कि बचाव अभियान के बाद बंधुआ श्रमिकों को SDM कार्यालय लाया गया जहाँ श्रम विभाग द्वारा पीड़ितों के बयान दर्ज किए गए। बयानों से प्रकट हुआ कि उन्हें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र द्वारा विहित न्यूनतम वेतन से बहुत कम वेतन दिया जाता था और उन्हें उचित विश्राम के बिना अस्वच्छ/अस्वास्थ्यकर स्थितियों में काम करने पर विवश किया जाता था। उनका शोषण भी किया जाता था और उनकी आने-जाने व रोज़गार की स्वतंत्रता पर रोक थी। श्रम स्थल में उचित वायु संचार नहीं था और उन्हें प्रति दिन 10-16 घंटे काम करने पर विवश किया जाता था।
4. कि पीड़ितों के बयान और SDM द्वारा संचालित आरंभिक पूछताछ के आधार पर, SDM महोदय ने पुलिस को दोषियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश जारी करने की कृपा की। तदोपरांत, भारतीय दंड संहिता की धाराओं ..... और बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम की धारा 16 के तहत ..... पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी संख्या ..... दिनांकित ..... दर्ज की गई। प्राथमिकी संख्या ..... दिनांकित ..... “संलग्नक I” के रूप में इस आवेदन के साथ संलग्न है।
5. कि SDM ..... महोदय ने विस्तृत आरंभिक जाँच करने के बाद [दिनांक] ..... को यह आदेश जारी करने की कृपा की कि सभी पीड़ित छुड़ाए गए बंधुआ श्रमिक हैं और उन्हें “रिहाई प्रमाणपत्र” जारी किए। SDM के आदेश, जिसकी वाद सं. .... दिनांकित ..... है, की प्रति “संलग्नक II” के रूप में इस आवेदन के साथ संलग्न है।
6. कि यहाँ यह उल्लेख करना भी उचित है कि शिकायतकर्ता ने अपने अधिवक्ता की सहायता से CrPC की धारा 172(2) के तहत भी एक आवेदन दायर किया था और पुलिस ने अपनी स्थिति रिपोर्ट दिनांकित ..... में यह निवेदन किया है कि वे आरोपित का पता लगाने में असमर्थ रहे हैं और जाँच अभी-भी लंबित है। स्थिति रिपोर्ट दिनांकित ..... की प्रति “संलग्नक III” के रूप में इस आवेदन के साथ संलग्न है।
7. कि इस माननीय न्यायालय ने 10 को जाँच की गति बढ़ाने और इस मामले में अंतिम रिपोर्ट जल्द-से-जल्द दायर करने का आदेश जारी करने की कृपा की थी। उक्त आदेश दिनांकित ..... की प्रमाणित प्रति “संलग्नक IV” के रूप में इस आवेदन के साथ संलग्न है।

8. कि यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि 172(2) आवेदन के उत्तर में पारित आदेश के बाद ..... माह से भी अधिक बीत जाने के बावजूद, पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट अभी तक दायर नहीं की है और मुकदमा आरंभ नहीं हुआ है।
9. 9. कि शिकायतकर्ता यह निवेदन करता है कि 10 इस बारे में कृपया सूचना दें कि फ़रार आरोपित का पता लगाने के लिए 10 ने किसी समाचार-पत्र में कोई सूचना प्रकाशित कराई है या नहीं।
10. कि बंधुआ श्रम के साथ मानव व्यापार के जघन्य और पैशाचिक अपराध में अंतिम रिपोर्ट दायर किए जाने में अब लगभग ..... वर्षों की देरी पहले ही हो चुकी है। पीड़ित अत्यंत निर्धन पृष्ठभूमि के हैं और उनके पास केवल और केवल न्यायपालिका से ही आशा शेष है, जो उनके मौलिक और क़ानूनी अधिकारों की संरक्षक है।
11. कि याची CrPC की धारा 156(3) के तहत इस माननीय न्यायालय के पास आया है जो इस माननीय न्यायालय को उचित ढंग से जाँच आयोजित करने और उसकी निगरानी करने के निर्देश जारी करने की शक्ति देती है।
12. कि सिकिरि वासु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी वाद विशेष की जाँच पर न्यायालय के नियंत्रण के संबंध में न्यायालय की शक्ति पर विस्तार से चर्चा की है। न्यायालय के पास वे सभी शक्तियाँ हैं जो उचित जाँच सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक हैं। इस शक्ति में जाँच की निगरानी की शक्ति भी शामिल है।
13. कि निर्णय का संबंधित पैरा इस माननीय न्यायालय द्वारा विचार किए जाने के लिए एतद्पश्चात प्रतिकृत है।

“हमारा यह विचार है कि हालाँकि धारा 156(3) बहुत संक्षिप्त में लिखित है, पर CrPC की धारा 156(3) के तहत मैजिस्ट्रेट में यह निहित शक्ति है कि वे दंडनीय अपराध के पंजीकरण का आदेश दे सकते हैं और/या संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को उचित जाँच आयोजित करने और वे सभी उपयुक्त क़दम उठाने का निर्देश दे सकते हैं जो उचित जाँच, जिसमें जाँच की निगरानी शामिल है, सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं। हालाँकि CrPC की धारा 156(3) में इन शक्तियों का व्यक्त उल्लेख नहीं है, पर हमारा यह मत है कि वे उपर्युक्त उपबंध में निहित हैं।”

14. कि बंधुआ श्रम के मामलों में पुलिस प्राधिकारियों द्वारा अंतिम रिपोर्ट दायर नहीं किए जाने के फलस्वरूप बंधुआ श्रम के पीड़ित उन पुनर्वास लाभों से वंचित रह गए हैं जो उन्हें बंधुआ श्रमिक पुनर्वास केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2016 के तहत मिलने होते हैं।

प्रार्थना

अतैव ससम्मान यह प्रार्थना है कि यह माननीय न्यायालय दयालुतापूर्वक निम्नलिखित करने की कृपा करे:

1. पुलिस को इस बारे में सूचना देने का आदेश जारी करें कि उसने फ़रार आरोपित को ढूँढने के लिए क्या-क्या क़दम उठाए।
2. पुलिस प्राधिकारियों को जाँच उचित व समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश देने वाला आदेश जारी करें।
3. लिस प्राधिकारियों को जाँच में हो रही प्रगति दर्शाने वाली जाँच रिपोर्ट नियमित रूप से न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश देने वाला आदेश जारी करें।
4. यह माननीय न्यायालय अन्य जिस भी आदेश को न्याय, समता और सुविवेक के हित में उपयुक्त व उचित समझे उसे भी जारी करें।

स्थान  
दिनांक  
इनके माध्यम से  
..... शिकायतकर्ता का अधिवक्ता



Prepared in collaboration with  
the Human Liberty Network  
and Geneva Global with  
support from Freedom Fund.

